PW 30

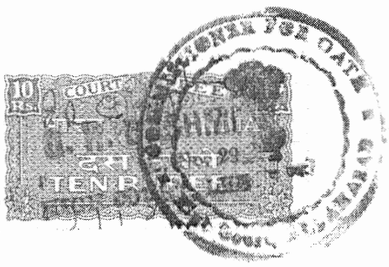
IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

In Re:

O.O.S. No. 4 of 1989





Sunni Central Board of Waqfs, U.P. and others

----------Plaintiffs

Versus

Gopal Singh Visharad (now dead) and others

----------Defendants

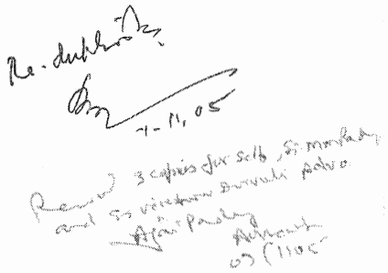
AFFIDAVIT OF DR. R.C. THAKRAN as Examination in chief

under order 18 Rule 4 C.P.C.



I, Dr. R.C. Thakran, aged about 53 years, son of Shri Tek Chand, residing at C-29(29-31) Probyn Road, University of Delhi, Delhi-7, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

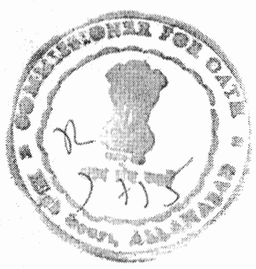
1. That the deponent is presently working as a Professor in the Department of History, University of Delhi, Delhi. The deponent did his M.A. in



Ancient History, Culture and Archaeology from Kurukshetra University, Kurukshetra in 1975 and his M.Phil in Archaeology from the Centre of Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi in 1981. The deponent did his Ph.D. in Archaeology from the Department of History, University of Delhi in 1993. The deponent is teaching Ancient History and Archaeology since 1977 in the University of Delhi. During the Masters Degree course the deponent attended excavations at the sites of Mirzapur and Raja Karan Ka Qila, Kurukshetra for two academic sessions in 1974-75 and the deponent is continuously involved in archaeological research since 1976.

2. That the deponent had observed the excavations at the disputed site of Ayodhya during the Excavation conducted by the Archaeological Survey of India under the orders of this Hon'ble court during March to August 2003.

3. That the report of the Archaeological Survey of India (ASI) submitted to this Hon'ble Court on 22nd August 2003, is an unprofessional document, full of gross omissions, one-sided presentations of evidence, clear falsifications and motivated inferences. It is full of internal contradictions and discrepancies as will be pointed out below. The ASI's only aim seems to be to so ignore and twist the evidence as to make it suit its "conclusions" tailored to support the fictions of interested parties about the previous existence of an alleged temple on the disputed site.



4. That the first and crucial gross omission in the ASI's Report is the total absence of any list in which the numbered layers in each trench are assigned to the specific Period as distinguished and numbered by the ASI itself. The only list available is for some trenches only in the Charts placed between pages 37-38. A list or Concordance of trench-layers in *all* trenches with Periods was essential to test whether the ASI has correctly assigned artefacts from certain trench layers

to particular periods in its main Report. Where, as we shall see below, in connection with bones, Glazed Wares and terracotta pieces the finds can be traced to trench-layers that are expressly identified with certain Periods by the ASI in its above-mentioned charts, it can be shown that the ASI's assignment of layers to particular periods is often demonstrably wrong and made only with the object of tracing structural remains or artefacts there to an earlier time in order to bolster the wrong theory of a pre-mosque alleged Hindu temple.

5. That one decisive piece of evidence, which entirely negates the possibility of a temple, is that of animal bones. Bone fragments of large and medium size animals (cattle, sheep and goats) are a sure sign of animals being eaten or thrown away dead at the site, and, therefore, rule out a temple existing at the site at the time. In this respect directions were given by the Hon'ble High Court to the ASI to record "the number and size of bones and glazed wares". The Report in its "Summary of Results" admits that "animal bones have been recovered from various levels of different periods" (Report, p.270). But this is the sole reference the Report makes to them. Any serious archaeological report would have tabulated the bones, by periods, levels and trenches, and identified the species of the animals (which in bulk seem to be sheep and goats). There should, indeed, have been a chapter devoted to animal remains. But despite the statement in its "Summary", there is no word about the animal bones in the main text of the Report. This astonishing omission is patently due to the ASI's fear of the fatal implications held out by the animal bone evidence for its preconceived temple theory.

Now if we turn to the ASI's record of Finds in the Day-to-Day Register and Antiquities Register we find that in Trenches Nos.E-6 (Layer 4), E-7 (Layer 4), F-4/F-5 (layer 4) animal bones have been found well below Period VII-layers, i.e. to Period VI (Early Medieval –Pre-Sultanate) or still earlier, and in Trenches Nos.F-8, G-2, G-7, J-2/J-3, they are found in Layers assigned by ASI to Period VI itself. Thus bones have been found in what are allegedly central precincts of the

alleged Rama temple allegedly built in 'Period VI'. The ASI says that a massive temple was built again in Period VII, but in Trenches Nos.E6, F8, G-2 and J-E/J-4 bones have been found in layers assigned to this very Period also in the same central prencincts. The above data may be found in the Tables produced in Sunni Central Board of Waqfs (UP)'s 'Additional Objection', dated on 3-2-04.

The ASI perhaps knows that sacrificial animals' bones (if we are dealing here with a temple where animals were sacrificed, which, incidentally, has not been claimed for any Rama temple) cannot be represented by bone fragments, but need to be found at particular spots, practically whole and entire, which is not here at all the case in even a single instance.

6. That the glazed ware, often called "Muslim" glazed ware, constitutes an equally definite piece of evidence, which militates against the presence or construction of a temple, since such glazed ware was not at all used in temples. The ware is all-pervasive till much below the level of "Floor No.4", which floor is falsely ascribed in the Report to the "huge" structure of a temple allegedly built in the 11th-12th centuries. The Report tells us that the glazed ware sherds only "make their appearance" "in the last phase of the period VII" (p.270). Here we directly encounter the play with the names of periods. On page 270, Period VII is called "Medieval Sultanate", dated to 12th-16th century A.D. But on p.40 "Medieval-Sultanate" is the name used for Period VI, dated to 10th and 11th centuries. The Summary concedes (on page 270) that the glazed ware appears only in "the last phase of Period VII". In Chapter V, however, no mention is made of this "last phase" of Period VII: it is just stated that "the pottery of Medieval-Sultanate, Mughal and Late-and-Post Mughal period (Periods VII to IX)... indicates that there is not much difference in pottery wares and shapes" and that "the distinctive pottery of the periods is glazed ware" (p.108). The placing of the appearance of Glazed Ware in the "last phase" only of Period VII appears to be a

last-minute invention in the Report (contrary to the findings in the main text) to keep its thesis of alleged "massive" temple, allegedly built in Period VII, clear of the "Muslims" Glazed-Ware by a sleight of hand, because otherwise it would militate against a temple being built in that period. All this gross manipulation has been possible because not a single item of glazed pottery is attributed to its trench and stratum in the select list of 21 items of glazed ware (out of hundreds of items actually obtained) on pages 109-111. Seeing the importance of glazed ware as a factor for elementary dating (pre- or post-Muslim habitation at the site), (and in view also of the Hon'ble High Court's orders about the need for recording of glazed ware, a tabulation of all recorded glazed-ware sherds according to trench and stratum was essential.) That this has been entirely disregarded shows that, owing to the glazed-ware evidence being totally incompatible with any temple construction activity in Periods VI and VII, the ASI has resorted to the most unprofessional act of ignoring and manipulating evidence.

7. That going by the Pottery Section of the Report (p.108), not by its "Summary", the presence of Glazed Ware throughout Period VII (Medieval, 12th-16th centuries) rules out what is asserted on page 41, that a "column-based structure" — the alleged 50-pillar temple — was built in this period. How could Muslims have been using glazed ware inside a temple? Incidentally, the claim of a Delhi University archaeologist (Dr Nainjot Lahiri) defending the Report, that glazed ware was found at Multan and Tulamba (near Multan) before the 13th century, is hardly germane to the issue, since these were towns under Arab rule with Muslim settlements since 714 AD onwards, and so the use of glazed ware there is to be expected. The whole point is that glazed ware is an indicator of Muslim habitation, and is not found in medieval Hindu temples.

8. That the story of Glazed Tiles is very similar. These too are an index of Muslim habitation. Yet 2 Glazed Tiles are found in layers of Period VI

which means that the layers are wrongly assigned and must be dated to Period VII (Sultanate period). There could be no remains of any alleged "huge temple" in these layers, then.

9. That when the ASI submitted its Day-to-Day and Antiquities Register for inspection it turned out that the ASI had concealed the fact in its Report that the layers of certain trenches it had been attributing to pre-Sultanate Period V cannot simply belong to it, because glazed tiles have been found in it; and the layers assigned to Period VI could not have belonged to a temple, as alleged, because both glazed ware and glazed tiles have been found in it. In this respect attention may be invited to the Tables submitted as Annexure I to the Additional Objection of the Sunni Waqf Board, dated 3-2-04.

10. That the ASI's Report is so lacking in integrity that it tries to achieve its object by manipulating nomenclature. In Chapter III, "Stratigraphy and Chronology" it has names for Periods VI and VII that are coolly altered in the other Chapters in order simply to transfer inconvenient material of Period VI to Period VII and thus make Period VI levels purely "Hindu". On pages 38-41, the nomenclature for Periods V, VI and VII is given as follows:

Period V: Post-Gupta-Rajput, 7th to 10th Century
Period VI: Medieval -Sultanate, 11th-12th Century
Period VII: Medieval, 12th-16th Century

Now let us turn to "Summary of Results" (pp.268-9). Here the nomenclature is altered as follows:-

Period V: Post-Gupta-Rajput, 7th-10th century AD
Period VI: Early medieval, 11th-12th century
Period VII: Medieval-Sultanate, 12th-16th century

11. That this transference of "Medieval-Sultanate period" from Period VI to Period VII has the advantage of ignoring Islamic-period materials like Glazed ware or lime-mortar bonding by removing them arbitrarily from Period VI levels to those of Period VII so that their actual presence in those levels need not embarrass the ASI in its placing of the construction of an alleged "massive" or "huge" temple in Period VI. The device is nothing but a manipulation and the so-called single "correction" of nomenclature of Period VI, *after* the Report had been prepared, does not remove the confusion.

12. That this brings us to the way in which the entire stratigraphy has been fixed, and certain layers obviously of Islamic provenance pressed into pre-Muslim periods (Period VI and earlier) as shown in Annexure No.1, Table 2, attached to the objection of Mr Mohd. Hashim dated 8.10.2003. This kind of false stratigraphy has led to situations that are impossible in correctly stratified layers, namely, the presence of later materials in earlier strata. The presence of earlier materials in later or upper layers is possible, but not the reverse. (Obviously the entire stratigraphy has been falsified to invent a temple in "post-Gupta-Rajput" times.)

13. That while digging up the Babri Masjid site, the excavators found four floors, numbered, upper to lower, as Nos.1, 2, 3 and 4, Floor No.4 being the lowest and so the oldest. Floor No.3 is linked to the foundation walls of the Babri Masjid — what the ASI calls the "demolished" or "disputed structure" — built in 1528. Floor No.4 is described by the Report as "a floor of lime mixed with fine clay and brick crush", i.e. a typically Muslim style *surkhi* and lime floor. It is obviously the floor of an earlier Mosque / Eidgah and a *mihrab* and *taq* were also found in the associated foundation wall (not, of course, identified as such in the ASI's report). Such a floor, totally Muslim on "stylistic grounds" is turned by the ASI into an alleged temple floor, "over which a column-based structure was

built". (as asserted by A.S.I.). No single example is offered by the ASI of any temple of pre-Mughal times having such a lime-*surkhi* floor, though one would think that this is an essential requirement when a purely Muslim structure is sought by the ASI as a Hindu one. Once this arbitrary appropriation has occurred (page 41), we are then asked by the ASI's report to imagine a "Massive Structure Below the Disputed Structure", the massive structure being an alleged temple. It is supposed to have stood upon alleged 50 pillars, and by fanciful drawings (Figures 23, 23A and 23B) in the ASI's Report, it has been "reconstructed". [Though one may still feel that it was hardly "massive" when one compares Figure 23 (showing Babri Masjid before demolition) and Figure 23B (showing the reconstructed temple with 50 imaginary pillars!)] Now, according to the ASI's Report, this massive structure with "bases" of 46 of its alleged 50 pillars now allegedly exposed, was built in Period VII, the Period of the Delhi Sultans, Sharqi rulers and Lodi Sultans (1206-1526): This attribution of the Grand Temple, to the "Muslim" period is not by choice, but because of the presence of "Muslim" style materials and techniques all through. This, given their jaundiced view of medieval Indian history, must have been a bitter pill for the ASI's mentors to swallow; and, therefore, there has been all the more reason for them to imagine a still earlier structure assignable to an earlier time. Of this structure, however, only four alleged "pillar bases", with "foundations" attached to Floor 4, have been found; and it is astonishing that this should be sufficient to ascribe them to 10th -11th century and to assume that they all belong to one structure. That structure is proclaimed as "huge", extending nearly 50 metres that separate the alleged "pillar-bases" at the extremes. Four "pillar bases" can hardly have held such a long roof; and if any one tried it on them it is not surprising that the result was, as the ASI Report admits, "short-lived" (Report, p.269). (All of this seems a regular part of a propagandist archaeology rather than a report from a body called the Archaeological Survey of India.)



14. That further the four alleged pillar bases dated to 11th-12th centuries are said "to belong to this level with a brick crush floor". This amounts

to a totally unsubstantiated claim that *surkhi* was used in the region in Gahadavala times (11^{th}-12^{th} centuries). No examples of such use in Gahadavala times are offered. One would have thought that Sravasti (District Bahraich), from which the ASI team has produced a linga-centred Shavite "circular shrine" of the Gahadavala period for comparison with the so-called "circular shrine" at the Babri Masjid site, would be able to produce at least one example of either *surkhi* or lime mortar from the Gahadavala-period structures at Sravasti. But such has not at all been the case. One can see now why it had been necessary to call this period (Period V) "Medieval -Sultanate" (p.40) (by a later "correction" submitted to the Hon'ble Court, this has been changed to "Post-Gupta, Rajput"), though it is actually claimed to be pre-Sultanate, being dated 11th-12th century. By clubbing together the Gahadavalas with the Sultanate, the *surkhi* is sought to be explained away; but if so, the alleged "huge" structure too must come to a time after 1206, for the Delhi Sultanate was only established in that year. And so, to go by ASI's reasoning, the earlier allegedly "huge" temple too must have been built when the Sultans ruled!

15. That the way the ASI has distorted evidence to suit its "temple theory" is shown by its treatment of the *mihrab* (arched recess) and *taq* (niche) found in the western wall, which it turns into features of its imagined temple. On p. 68 of the ASI's Report are described two niches in the inner side of Wall 16 at an interval of 4.60 metres in trenches E6 and E7. These were 0.20 metre deep and 1 metre wide. A similar niche was found in Trench ZE2 in the northern area and these have been attributed to the first phase of construction of the so-called 'massive structure' associated with Wall 16. Such niches, along the inner face of a western wall, are again characteristic of Mosque / Eidgah construction. Moreover, the inner walls of the niche are also plastered (as in Plate 49) which indicates that the plaster was meant to be visible. A temple niche, if found, it would in any case have to be on the outer wall. In the first phase of construction,

the supposed massive structure was confined to the thin wall found in Trenches ZE1-ZH1 in the north and E6-H5/H6 in the south (p. 41). How then does one explain the location of niches outside the floor area of the massive structure? This is typical of a mosque / eidgah, which has a long, wide north-south wall, with niches at intervals on its inner face and there may be a small covered area in the centre, which would have narrow demarcating walls. And the ASI is able to produce no example of similar recess and niche from any temple.

16. That since the entire basis of the supposed "huge" and "massive" temple-structures preceding the demolished mosque lies in the ASI's reliance upon its alleged "pillar bases" I beg now to consider what these really are and what they imply. In this respect One must first remember that what are said by the ASI to be pillar bases are in many cases only one or more calcrete stones resting upon brickbats, just heaped up, though ASI claims that mud-mortar was sometimes used. In many claimed "pillar bases" the calcrete stones are not found at all. As one can see from the descriptive table on pages 56-67 of the Report not a single one of these supposed "pillar bases" has been found in association with any pillar or even a fragment of it; and it has not been claimed that there are any marks or indentations or hollows on any of the calcrete stones to show that any pillar had rested on them. The ASI Report nowhere attempts to answer the questions (1) why brickbats and not bricks were used at the base, and (2) how mud-bonded brickbats could have possibly withstood the weight of roof-supporting pillars without themselves falling apart. It also offers not a single example of any medieval temple where pillars stood on such brick-bat bases.

17. That despite the claims of these "pillar bases" being in alignment and their being so shown in fancy drawings (Figures 23, 23A and 23B), the Report's claim that these bases are in alignment is not borne out by the actual

measurements and distances; and there is indeed much doubt whether the plan provided by ASI is drawn accurately at all, since there are enormous discrepancies between Fig.3A (the main plan) and the Table in Chapter IV on the one hand, and the Report's Appendix IV, on the other. Trench F7 has 4 alleged "pillar bases" in the former, for example; but only one in the latter!

18. That in fact the entire matter of the way the ASI has identified or created "pillar-bases" is a matter of serious concern. Complaints were also made to the Observers appointed by the High Court that the ASI was ignoring calcrete-topped brickbat heaps where these were not found in appropriate positions and selected only such brickbat heaps as were not too far-off from its imaginary grids, and there creating the alleged "bases" by clearing the rest of the floor of brick-bats.

19. That the most astonishing thing that the ASI so casually brushes aside relates to the varying levels at which the so-called "pillar-bases" stand. Even if we go by the ASI's own descriptive table (pages 56-67), as many as seven of these alleged 50 "bases" are definitely above Floor 2, and one is in level with it. At least six rest on Floor 3, and one rests partly on Floor 3 and 4. Since at least Floors 1 to 3 are even recognised by the ASI to be floors of the Mosque, how come that so many pillars were erected after the Mosque had been built in order to sustain an alleged earlier temple structure! More, as many as nine alleged "pillar bases" are shown as cutting through Floor No.3. So, are we to understand that when the Mosque floor was laid out, the "pillar bases" were not floored over? It is thus clear that what we have are simply not "pillar bases" at all, but some kind of loosely-bonded brickbat deposits, which continued to be laid right from the time of Floor 4 to Floor 1.

20. That it may be added that even the table on pages 56-67 of the ASI's Report may not correctly represent the layers of the pillar bases, since its

information on floors does not match that of the Report's Appendix IV which in several trenches does not attest to Floor No.4 at all, which the "pillar-bases" in many cases are supposed to have been sealed by, or to have cut through or stand on! For example, "pillar base 22" on pp.60-61 is indicated as resting on floor 4, but there is no Floor 4 shown as existing in Appendix IV of the Report in Trench F2 where this base supposedly stands. Similar other discrepancies are listed below:

Information in text of ASI's Report	**Information in Appendix IV of Report**
PB No.3:ZG2- F1.2 (p.56)	Only F1. 1 mentioned (p.8)
PB No.6: ZJ2-F1.2 (p.57)	F1. 1 mentioned (p.12)
PB No.8: ZG1-F1. 2 (p.58)	Only F1. 1 mentioned (p.8)
PB No.18: H1-F1. 4 (p.60)	No.F1.4 (p.11)
PB No.22: F2-F1. 4 (p.60-61)	No.F1.4 (p.6)
PB No.27: H5-F1. 4 (p.62)	3 successive floors. No.F1.4 (p.11)
PB No.28: F6-F1. 4 (p.62)	No.F1. 4 (p.7)
PB No.31: F6-F7-F1. 4 (p.63)	3 floors mentioned for F6 (p.7); Floors 1 and 1A for F7 (p.7).
PB No.32: F6/F7-F1. 4 (p.63)	3 floors mentioned for F6 (p.7); Floors 1 and 1A for F7 (p.7)
PB Nos.34, 35: F7-F1. 4 (p.64)	Only F1. 1 and 1A (p.7)
PB No.36: G7-F1. 4 (p.64)	No.F1. 4 (p.10).
PB No.37: F8-F1. 3 (p.65); no.F1. 3 beyond 6 series (p.63)	–
PB No.39: G8-F1. 4 (p.65)	3 successive floors (p.10)
PB No.45: G9-F1. 4 (p.66)	3 successive floors (p.10)
PB No.44: F9-F1. 4 (p.66)	2 floors mentioned (p.8)
PB No.46: H9-F1. 4 (p.66)	3 floors (p.12)
PB No.47: F10/F10-F1. 4 (p.66)	E10: F1. 1 mentioned (p.5); F10: 2 floors mentioned (p.8)
PB No.48: F10- F1. 4 (p.67)	2 floors mentioned (p.8)
PB No.49: G10 -F1. 4 (p.67)	2 floors mentioned (p.10)
PB No.49: G10/H10-F1. 4 (p.67)	2 floors each in G10 and H10 (pp.10, 12)
PB No.50: H10 -F1. 4 (p.67)	Floors mentioned (p.12)

21. That the ASI should have surely looked about for other explanations of the heaps of brickbats before jumping to its "pillar base" theory. There is at least one clear and elegant explanation. When the *surkhi*- lime mortar

bonded Floor No.4 was being laid out over the mound sometime during the Sultanate period, its builders must have had to level the mound properly. The hollows and depressions then had to be filled by brickbats topped by calcrete stones (the latter often joined with lime mortar) to fill them and enable the floor to be laid. When in time Floor 4 went out of repair, its holes had similarly to be filled up in order to lay out Floor 3. And so again when Floor 3 decayed, similar deposits of brickbats had to be made to fill the holes in order to lay out Floor 2 (or, indeed, just to have a level surface). This explains why the so called "pillar bases" appear to "cut through" both Floors 3 and 4, at some places, while at others they "cut through" Floor 3 or Floor 4 only. They are mere deposits to fill up holes in the floors. Since such repairs were in time needed at various spots all over the floors, these brickbat deposits are widely dispersed. Had not the ASI been so struck by the necessity of finding pillars and "pillar bases" to please its masters, which had to be in some alignment, it could have found scattered over the ground not just fifty but perhaps over a hundred or more such deposits of brickbats. A real embarrassment of riches of "pillar bases", that is! Only they are, of course, not pillar bases at all.

22. That it may here be pointed out that when Mr. B.R. Mani the first leader of the ASI team at Ayodhya, excavated at Lal Kot, District of South New Delhi, he describes "pillar bases" of "Rajput style", about which he says:

> "These pillar bases rest on stone pedestals and are 2.90 m. apart from each other. They might have supported some wooden canopy".
>
> (*Indian Archaeology, 1992-93 – A Review*, official publication of ASI, New Delhi, 1997, p.9).

A true copy of the relevant extract of the said report of Mr. Mani is enclosed herewith as **ANNEXURE No. 1** to this affidavit.

Mr Mani illustrates these four pillar bases in Plates VI and VII of the same publication. Each comprises a number of squarish stone slabs resting on each other with a larger stone slab at the bottom. Yet these were not thought by him to be strong enough to support anything more than "a wooden canopy". And yet at Ayodhya, single calcrete slabs resting on nothing more than brickbats are held by

the same Mr Mani and his team to have supported stone pillars bearing massive stone structures!

23. That having thus shown that there is no basis for the ASI's illusionary 50-pillared structure, it is still pertinent to ask why the ASI regards a pillared hall to have necessarily been a temple. In this respect the A.S.I. should have noticed such pillared structures of the Begampuri Mosque, the Kali Masjid and the Khirki Masjid, all built at Delhi by Khan Jahan Firozshahi in the 1380's AD the original photographs of which are printed in Tatsuro Yamamoto, Matsuo Ara and Tokifusa Tsokinowa, *Delhi: Architectural Remains of the Delhi Sultanate Period*, Tokyo, 1967, Vol.I, Plates 14b, 18c and 20c. It is astonishing that the ASI should have closed its eyes to such structures; but this is just another proof that its Report is a simple product of bias and partisanship.

24. That much is made in the ASI's Report of the "Circular Shrine" (Report, pages 70-71), again with fanciful figured interpretations of the existing debris (Figs.24 and 24A in the Report). Comparisons with circular Shaivite and Vaishnavite shrines (Fig.18) are made. The ASI had no thought, of course, of comparing it with circular walls and buildings of Muslim construction — a very suggestive omission. The surviving wall, even in ASI's own drawing makes only a quarter of circle, and such shapes are fairly popular in walls of Muslim construction. And then there are Muslim-built domed circular buildings, such as the 13th-century tomb of Sultan Ghari at Delhi, where the inner tomb chamber is circular (See *Ancient India*, official publication of ASI, 1947 volume, Pl. VIII). A true copy of the said Plate VIII is enclosed herewith as **ANNEXURE No. 2** to this affidavit.

25. That even if we forget the curiously one-eyed nature of ASI's investigations, let us first consider the size of the alleged "shrine".Though there is no reason to complete the circle in the elliptical way as the ASI does, the circular

shrine, given the scale of the Plan (Figure 17 in the Report), would have an internal diameter of just 160 cms. or barely 5½ feet! Such a small structure can hardly be a shrine. But it is, in fact, much smaller. The plan in Fig.17 of the Report shows not a circle (as one would have if the wall shown in Plates 59 and 60 are continued) but an ellipse, which it has to be in order to enclose the entire masonry floor. No "elliptic (Hindu) shrine" is, however, produced by ASI for comparison: the few that are shown are all circular. As Plate 59 makes clear the drawing in Fig.17 ignores a course of bricks which juts out to suggest a true circle, much shorter than the elliptic one: this would reduce the internal diameter to even less than 130 cms or just 4.3 feet! Finally, as admitted by the ASI itself, nothing has been found in the structure in the way of image or sacred piece that can justify it being called a "shrine".

26. That, indeed, if the ASI insists on its being a shrine, it is strange that it did not consider the relevance of a Buddhist *stupa* here. Attention is drawn to Plate XLV-A showing "exposed votive stupas" Sravasti, in the ASI's own Indian *Archaeology 1988-89 — a Review*, a true copy of which is enclosed herewith as **ANNEXURE No3** to this affidavit. It is indicative of the ASI's bias that while it provided an example of an alleged circular Shaivite shrine from Sravasti, along with a photograph (Report's Plate 61), it totally overlooks the stupas found there. As shown above the small size of the so-called "circular shrine" at the Babri Masjid site precludes it from being a temple, and the stupa (which is not entered!) is the only possible candidate for it, if the structure has to be a pre-Muslim sacred structure. But the stupa is *not* a temple, let alone a Hindu temple.

27. That the short report on Inscriptions on pages 204-06, one of which is in Nagari, and two are in Arabic show how casual and preconceived in its notions the ASI was. There is no argument given for dating it to the 11th century: its time range could be 7th-12th centuries; and if so it could be a Pala record of a Buddhist provenance — a piece of evidence negating the presence of a Hindu

temple. There is also no argument offered why the Arabic inscriptions can be dated to the 13th century with as much reason as to the 16th century.

28. That the ASI makes much use of terracotta figures. Yet its statigraphy is found to be totally wrong. No later figurine or artefact can be found in an earlier layer, while the converse can, of course, be the case. Yet there are a number of cases where layers in different trenches assigned to early Periods by ASI in its table of terracotta objects (pages 219-243) contain items of later periods (as identified by ASI itself) in these early layers. These are evident from the chart given below showing, again, how the propensity to date certain layers early so as to support the ancient temple thesis has landed the ASI into impossible discrepancies. These discrepancies show that (a) the dating of the individual layers is wrong, and (b) the terracotta evidence thus does not support the presence of an alleged temple here built before the construction of the Babri Masjid:-

DISCREPANCIES IN STRATIGRAPHY IN RELATION TO TERRACOTTA FIGURINES
(Periods as defined by ASI's Report)

Artefact details	Discrepancies
S.No. 50, R.No. 1027. Part of human figurine. Mughal level. G5, layer 2, below Floor 2	Layer 2 below Floor 2 belongs to Medieval period. It is impossible for a Medieval period layer to have material from Mughal period which is later
S.No. 52, R.No. 393. Animal figurine. Late Medieval period. E8, layer 5	Layer 5 in E8 is Post Gupta (7th-10th centuries AD). It is impossible for late Medieval (Mughal) period material to be found in an earlier period
S.No. 67, R.No. 549. Animal figurine. Early Medieval. F9, layer 5	F9 layer 5 is post Gupta. It is impossible for Early Medieval period material to be found in post Gupta period which is earlier
S.No. 69, R.No. 594. Animal figurine. Medieval. E8, layer 5	E8 layer 5 is post Gupta. It is impossible for Medieval period material to be found in post Gupta period which is earlier
S,No. 71, R.No. 607. Animal figurine. Mughal. E8, layer 6	E8 layer 6 is post Gupta. It is impossible for Mughal period material to be found in post Gupta period which is earlier
S.No. 73, R.No. 628. Animal figurine. Mughal. E8, layer 6	E8 layer 6 is post Gupta. It is impossible for Mughal period material to be found in post Gupta period which is earlier
S.No. 76, R.No. 689. Animal figurine. Early Medieval. F8, layer 5	F8 layer 5 is post Gupta-Rajput. It is impossible for Early Medieval period material to be found in post Gupta period which is earlier
S.No. 84, R.No. 739. Animal figurine. Post-Gupta. E8, layer 8A	E8 layer 8A is Gupta level. It is impossible for post-Gupta period material to be found in Gupta period which is earlier

S.No. 85, R.No. 762. Animal figurine. Post-Gupta. E8, layer 9	E8 layer 9 is Gupta/Kushan level. It is impossible for post-Gupta period material to be found in Gupta/Kushan period which is earlier
S.No. 86, R.No. 767. Animal figurine. Post-Gupta. F8, layer 7	F8 layer 7 is Gupta level. It is impossible for post-Gupta period material to be found in Gupta period which is earlier
S.No. 90, R.No. 793. Animal figurine. Medieval. H4/H5, layer 4	H4/H5 layer 4 is Early Medieval. It is impossible for Medieval period material to be found in Early Medieval period which is earlier
S.No. 114, R.No. 1087. Animal figurine. Gupta. G7, layer 10	G7 layer 10 is Kushan. It is impossible for Gupta period material to be found in Kushan period which is earlier
S.No. 115, R.No. 1088. Animal figurine. Gupta. G7, layer 10	G7 layer 10 is Kushan. It is impossible for Gupta period material to be found in Kushan period which is earlier
S.No. 119, R.No. 1152. Animal figurine. Kushan. G7, layer 13	G7 layer 13 is Sunga. It is impossible for Kushan period material to be found in Sunga period which is earlier
S.No. 122, R.No. 1177. Bird figurine. Early Medieval. G8, layer 5	G8 layer 5 is post-Gupta-Rajput. It is impossible for Early Medieval period material to be found in post Gupta period which is earlier

29. That it may be mentioned that in the purely Muslim phase at Lalkot, South New Delhi District, excavated by Mr. B.R. Mani, the first team leader of the ASI at Ayodhya and joint author of its Report on Ayodhya, Mr Mani found "a large number of crude handmade terracotta human and animal figurines" (*Indian Archaeology, 1991-92 – A Review*, page 15). Thus it cannot be argued that the presence of such human and animal figurines suggests a non-Muslim or pre-Muslim association, let alone any affiliation with a temple.

30. That no Vaishnavite images have been found. All finds are stray ones or, as with the black schist pillar, visible within it when the Masjid had stood but not yet broken up by the Karsevaks and buried in the Masjid debris in 1992. Whatever little in stone has come out (as one decorated stone or inscribed slab-used in a wall), like stones with "foliage patterns, *amalaka, kapotapadi* door jamb with semi-circular pilaster, lotus motif" (Report, p.271), are in total very few, and all easily explicable as belonging to ruins elsewhere and brought for re-use during

the construction of the Babri Masjid or the earlier Mosque / Eidgah. Moreover, the lozenge design (Report, Plate 90) is probably Islamic (compare Plate 92, with Arabic inscription). The extremely short list that the ASI is able to compile of such doubtful temple-relics shows that they did not come from any alleged "massive" temple at the site, but brought randomly from different earlier ruins.

31. That it is most interesting that while these few stray finds are sought to justify the thesis of the presence of an alleged temple at this site, but when Dr B.R. Mani, the joint author of the ASI Report, found many more similar items in his excavations at Lalkot, South New Delhi district, his conclusions were quite different. He found, in his own words, "a stone *Varaha* figure, two stone *amalakas*, decorated pillar bases, and a number of other decorated architectural fragments reused in later structures or scattered on the mound or in the tank area of Anang Tal along with a huge part of another *amalaka* and pillar bases found in the eastern part of the tank" (*Indian Archaeology, 1991-92 – A Review*, official publication of ASI, New Delhi, 1996, p.12). Mr Mani nevertheless says that this site was *away from* "the temple-mosque complex" and contained the palace of Anang Pal (*ibid.*, p.9). Clearly, in taking the much smaller and slimmer list of doubtful artefacts at the Babri Masjid site as indicative of a temple, Mr Mani and his colleagues have now simply pursued a given brief. A true copy of the relevant extracts of this report of Dr. B.R. Mani is enclosed herewith as **ANNEXURE No. 4** to this affidavit.

32. That the bias and partisanship of the ASI's Report takes one's breath away. In almost everything the lack of elementary archaeological controls is manifest. The one-page carbon-date report, without any description of material, strata and comments by the laboratory, is meaningless, and open to much misuse. There has been no thermoluminescence (TL) dating of the pottery; nor any carbon-dating of the animal or human bones, although these are necessary for dating the remains themselves and the strata in which they are found, in order to

test the ASI's own manipulated chronology. Indeed, no care has been exercised in its references to chronology, and Period I "Northern Black Polished Ware" has been pushed back to 1000 BC in the "Summary of Results" (page 268), when even in Chapter II of "Stratigraphy and Chronology", the earlier limit of the period is rightly placed at 6th century B.C. (page 38). The urge is obviously to provide the maximum antiquity to habitation at Ayodhya, however absurd the claim.

33. That quite obviously such claims as made by ASI in its Report and the demands of professional integrity cannot go together. What all well-wishers of Indian Archaeology have to consider is how, with a Report of the calibre we have examined, there can be any credibility left in the Archaeological Survey of India, an organisation that has had such a distinguished past. But now the good repute of the Archaeological Survey of India has also suffered an irremediable blow. (It has been shown up as partisan and subservient to its master's wishes. Its so-called "Conclusions" must be rejected *in toto.*)

Lucknow: Dated

November 7, 2005

(DEPONENT)

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of paras 1 and 2 of this affidavit are true to my own knowledge while the contents of paras 3 to 22, and 24 to 33 of the same, except the bracketted portions of paras 6, 12, 13 and 33, are true to my knowledge based on records and the contents of para 23 as well as those of the bracketted portions of paras 6, 12, 13 and 33 of this affidavit are believed by me to be true on the basis of information and advice etc. No part of it is false and nothing material has been concealed.

Lucknow: Dated

November 7, 2005

(DEPONENT)

I identify the deponent who has signed above in my presence and is personally known to me.

Nejam Zafar
Advocate

Solemnly affirmed before me

on 7-11-2005 at 10.45 A.M./P.M.

by Sri Dr. R.C. Thakran, the

deponent, who has been identified

by Sri Nejam Zafar

Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER
133134
7-11-05

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE

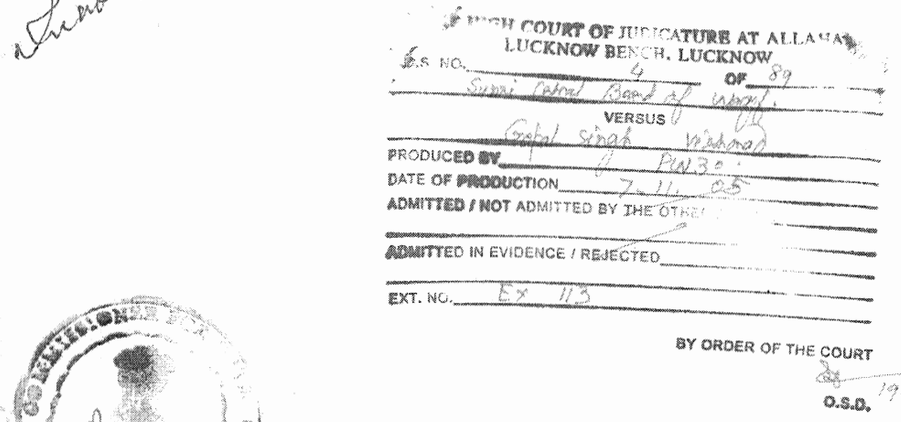
O.O.S. NO. 4 OF 1989

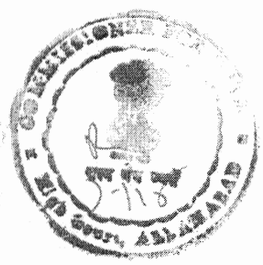
Sunni Central Board Of Waqf, U.P. and others----------plaintiffs

Versus

Gopal Singh visharad (now dead) and others----------Defendants

ANNEXURE NO. 1





7355

ANNEXURE No. 1

INDIAN ARCHAEOLOGY 1992-93
— A REVIEW

EDITED BY
AJAI SHANKAR
Director General
Archaeological Survey of India

Ex 113

PUBLISHED BY THE DIRECTOR GENERAL
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
GOVERNMENT OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI
1997

7356

The Kushana brick-lined tank noticed in last year's excavation was fully exposed measuring approximately 32·5 meters east-west and 31·5 meters north-south. The length and width of the tank was fully exposed barring western outer wall of southwestern end. The northern and southern walls of the tank have got 'Z' shape projection.

The maximum depth of the tank exposed so far measures 4·30 meters. Further digging of the tank could not be possible due to profuse influx of sub-soil water. Entire tank was fashioned in tier-system with altogether seven tiers so far exposed in the northwestern corner. Major portion of tiers constructed in brick-masonry was in the usual header and stretcher style (pl. I).

The northern wall of the projected western half of the tank was fashioned in regular off-set system at every alternate course. The off-sets, varied from 8 cm to 20 cm, upto the depth of three tiers when counted from top. Also noticed were the two bathing *ghats*, a corbelled arch, *pucca* drain, running from north-east.

14. EXCAVATION AT MANER, DISTRICT PATNA.— The Department of Ancient Indian History and Archaeology, Patna University, in continuation of previous work (*1991-92*, pp. 6-7) resumed excavation at Maner under the direction of A.K. Singh, B.P. Roy, with the assistance of J.P. Singh, N.K. Arya and P.K. Bose.

Two trenches, each measuring 6 m × 4 m were laid out near the eastern edge of the southern mound overlooking the old bed of river Sone with a view to confirm the cultural sequence of the site.

Excavation in this area revealed two cultural periods as against the four-fold sequence noticed earlier. Of the two periods, Period I is represented by Northern Black Polished Ware (NBP) deposit with a maximum thickness of 1·20 m. It rests over the natural soil and characterized by a compact deposit of yellowish red soil. Remains of burnt brick wall found at a depth of 4·50 m in north-south direction, measured 1·13 × 0·50 m. The wall consists of four courses of bricks (0·43 × 0·25 × 0·6 m). Two examples of cast copper coins of Sunga affinity were found in the vicinity of the wall. One of the two coins is square showing a tree in the obverse, while the reverse contains symbol depicting three arches and a crescent on top (*chandrameru*). The second one also square, has on its obverse a figure of tiger or lion and on the reverse there is a moving elephant. Other antiquities of the period include terracotta sealing, animal figurine, skin rubber; stone weight, iron implements; terracotta and stone beads. The other associated wares comprise of black-slipped, grey, black-and-red and red ware.

Period II is marked by the appearance of Gupta and late Gupta antiquities along with the remains of burnt brick structures. A wall running in north-south direction found at a depth of 4·05 m, consists of six courses of bricks (1·95 m × 0·65 m). The antiquities belonging to this period include terracotta animal figurines, female head, conical objects, trunk portion possibly of an elephant made of bone, iron objects, terracotta and stone beads. The excavation also yielded sherds of polished and plain red ware apart from a sprinkler in red ware. From the topmost layer were recovered mixed materials including sherds of green glazed ware of medieval period.

DELHI

15. EXCAVATION AT LAL KOT AND ANANGTAL, DISTRICT SOUTH NEW DELHI.— In continuation of last season's work (*1991-92*, pp.9-15), Delhi Circle of the Survey, under the direction of B.R. Mani assisted

Ex 113

Sharma



by Urmila Sant, A.K. Khanna, Vishnu Kant, A.C. Chakravarti, M.K. Batra, D.K. Bhardwaj, S.K. Dikshit, R.B. Chhetri, R.K. Sachdeva, G. Nageshwar Rao, Jagdish Chander, Suresh Chand Sankhyan, Suresh Choudhary, Sunil Kumar, Devi Charan Sharma, Indronil Roy, Rajani Shankar, Sanjay Kumar and H.S. Meyan and Ram Kumar of Headquarter's office resumed excavations at the citadel mound at Lal Kot and adjoining Anang Tal reservoir.

The cultural deposits at the site have been assigned to two periods, *viz.*, Period I : Rajput period (middle of eleventh century to the end of twelfth century) and Period II : early Sultanate period (end of twelfth century to the middle of fourteenth century). No evidence of post-Tughlaq phases was found at the citadel mound. Period II has further been divided into four structural phases– the two earliest representing palatial structures and the last two comprise *interior* and ordinary house complexes of late Khalji and Tughlaq periods. This confirms the fact that intially the Turks had settled at Lal Kot and shifted their capital in AD 1303 to Siri, the second city of Delhi after which the citadel of Lal Kot was gradually occupied by common folk and was finally abandoned in Tughlaq period. With a view to collect more archaeological information regarding the distinguishing cultural traits and material culture of the Rajput and the early phase of Sultanate periods, the site was taken up for excavation.

The main objective of this season's work was to study the layout and settlement pattern of the palaces and other allied structures of the citadel; to confirm the literary evidences about location and shifting of royal seat in Delhi; to ascertain the structural activities of pre-Sultanate period, particularly under the Tomars and the Chauhans who established the first city of Delhi in this area and constructed palaces at Lal Kot; and lastly, to know the structural conception of huge depression on the eastern side of the mound, known as Anang Tal.

The excavations were carried out in 28 quadrants of 11 squares, 10 × 10 m each in the Area-I called LKT-I (pl. II). The study of excavated remains confirmed the cultural sequence. Period I revealed three structural phases while the phase I of Period II has two sub-phases. The study of pottery and structure revealed the existence of four structural phases in Period II.

A limited area in the southern half of Qd 2 of square ZC 1 was excavated upto the depth of about 6·50 m below peg ZC1 (pl. III). Different structural phases of Periods I and II were exposed, although the natural soil or bed-rock level could not be reached, in all twenty layers were encountered.

Because of large-scale building activity in different phases of Period II throughout the site, the structures of Period I could be encountered only in two quadrants in limited areas where they could be reached without disturbing any structure. No structures were however, encountered in the first season's work.

The phase I of Period I (Rajput period) is characterized by partly exposed, 2·5 m long medium sized random rubble wall running west to east and attached with the northern section of Qd 2 of ZC1 and another wall, 50 cm thick and 1·0 m long running south to north and joining the first wall at middle as a cross wall. These exposed structures perhaps belong to a room.

A significant feature of this phase was the use of plain red ware, red-slipped ware, red ware decorated with painted design in black or incision, occasionally with stamped designs and applique

7358

bands. Besides there was occasional use of mica dust in pottery. The vases are decorated on the shoulder as well as on the top or side of the rims while the basins decorated on the top of the rim with painted designs. Painted designs comprise mainly criss-cross lines bordered with thin bands and in some cases, only upper side is bordered with a group of bands,horizontal bands or zig-zag lines. The incised designs have wavy lines and horizontal bands, wavy lines intersecting each other, stamped designs in relief with horizontal bands, series of dots, triangles, combination of oblique lines and dots and applique bands with a series of incised or notched oblique lines. Sharp-edged medium-sized bowls with 9-10 cm diameter, small short sided plain lamps, spouted vases occasionally double mouthed, lids with flared rim and ledged interior with flattish base and occasionally flared thick rim lids, cooking *handis* with or without short neck and splayed out rim, small to medium-sized basins – occasionally painted on top of the rim and medium-sized vases are the characteristic shapes of the pottery of phase I. A notable feature was the use of hopscotches made out of red ware sherds, sometimes out of painted red ware sherds.

The phase II (Rajput period) is represented by a partly exposed 2·5 m long and 1 m high medium-sized random rubble wall running west to east which is also attached with northern section of Qd 2 of Sq ZC1 about 30 cm above the wall of phase 1 and two successive floor levels. Another feature of phase II was the use of some variants of plain red ware alongwith the shapes of phase I. Sharp-edged medium-sized bowls with 9–10·5 cm diameter are less in number and changed into small-sized bowls having diametres of 6 to 8 cm. Large storage vases to miniature vases appear in this phase. Some sherds of red ware are decorated with an impressed design of chequer-pattern, incised design with incised or notched triangles in series, applique bands with thumb impression and painted design with filled triangle in series in addition to the continuation of designs of earlier phase. In some cases, extra mud-paste mixed with sand was applied before firing on the lower half of the vases for roughening.

In phase II (Rajput period) partly exposed two medium-sized random rubble walls, both 2·5 m, 30 cm and 80 cm running west to east, were partly exposed, both of them attached with the northern section of Qd 2 of Sq ZC1 and rest one above the other and two floors of red *murram* and mud respectively. The significant feature of this phase was the introduction of inverted flat terminal top lid with the lids of early phases. Large-mouthed shallow cooking *handis* like pans, flat-based dish with splayed out rim and ledged body, thick red ware lid or stand are the additional shapes of this phase. Some sherds are painted with group of horizontal bands in chocolate colour.

A notable feature of phase III was the presence of incised potter's mark like a 'plus' on two lids. One is on the top of the flared rim ledged interior lid and the other is on the interior of the body of the internally beaked rim lid.

In one case clay lumps were applied with some gaps on the outer side of the splayed out rim of a *handi*. In another case a rim of a vase is decorated with notched vertical lines in a series on the outer side. A ring base of grey ware vase with black slip on the exterior also appears in this phase. The hopscotches also continue in all the three phases.

Amongst the antiquities of this period the small rectangular sandstone sculpture of Ganesa in low relief suggesting its use for personal worship and fragmentary lower half of a terracotta mould for

casting Jaina Tirthankara figure (pl. IV A-B) flanked by two attendants wearing different ornaments and clothes are noteworthy.

A copper coin of twelfth century AD, with *Nagari* legend deserves mention here. It bears the figure of *Dev (i)* on the obverse and a crude form of fire altar on the reverse. This coin similar to the coins of Chauhan queen Somaladevi of Shakambhari dynasty, was found in the top level of Period I. Other important antiquities of the period include arrowhead, beads of glass and semiprecious stones, bangle pieces of glass, ivory and bone, finger-ring pieces of copper and semiprecious stones like quartz and lapis lazuli and a few fragmentary terracotta animal figurines such as, a small animal, a pair of horns and leg. A stone head of lion (pl. IV C) and a part of doorjamb in sandstone depicting *mithuna* figures (pl. V A). These were, perhaps, reused in the structural phases of Period II. Two more broken head portions of stone figures were found from the late levels, one of which appears to be an image of Jaina Tirthankara.

In continuation of the previous year's work in Sq C1, Qd 1, the excavation work was further extended to ascertain the complete plan and its relation to already exposed part of eight lotus petal designed water cistern. The exposed structures of Period II, sub-phase IA, probably formed a portion of palace complex (fig. 1) having at least three rooms (pl. VI) each ornamented with a water cistern in the centre, one side open verandah between room 1 and 2 with decorative lime plaster and parts of drains. Room 1 (7·30 m × 6 m) is ornamented with a magnificent eight lotus petal designed circular water cistern encircled by double drainage finished with fine lime plaster and covered by a 5 cm raised square outline in the centre of the room (pl. VII). In the succeeding phase the drainage was covered with stone chips and a fresh coat of lime floor was applied. Outside the square there were pillars fixed on the corners of the square. Only pillar bases of Rajput style were unearthed which resemble the pillar bases available in a very large number at Quwwatul Islam mosque and Sultan Ghari's tomb and were quite seemingly works of the transitional period of Rajput-Mamluk phase when traditional Indian architecture remained unchanged till the time of Iltutmish whose coins have been found from the working levels of these structures. These pillar bases rest on stone pedestals and are 2·90 m apart from each other. They might have supported some wooden canopy. The room has three openings in the west to a verandah and probably three openings in the north in which west one is clear, the second one is partly clear and the third one is not traceable due to ghost wall and the southern wall of the room has three large niches originally corresponding to the three front openings in the northern wall. On the top or in the upper portions of the extant height of this southern wall there are traces of a series of small intermediary alcoves coming after each of the large niche in the room 1 and its adjoining verandah and room 2. The verandah (6·50 m × 3·50 m) is fully open in north probably to a courtyard and attached with room 1 in the east and room 2 in the west with three openings of 1·05 m wide on each side. The walls of the verandah were provided with a raised decorative band of plaster 1 to 1·5 cm thick and 11 to 13 cm wide just over the 0·75 m high thick dado with a gap of about 5 cm and bordered to the doors. The band is decorated with undercut design of a climber with flowers and leaves between two thin bands (pl. VIII). The artistic design of this scroll work is quite akin to the plaster as well as stone decorations in Balban's tomb and earlier buildings like screen of Quwwatul Islam Mosque, Delhi and Arhai-din-ka-jhopra, Ajmer, both belonging to the end of the twelfth century AD. The decorated designs of plaster were

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE

O.O.S. NO. 4 OF 1989

Sunni Central Board Of Waqf, U.P. and others----------plaintiffs

Versus

Gopal Singh visharad (now dead) and others----------Defendants

ANNEXURE NO. 2

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHA
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
O.S. NO. 4 OF 89
Sunni Central Board of Waqf
VERSUS
Gopal Singh Visharad
PRODUCED BY Pl/30
DATE OF PRODUCTION 7-11-05
ADMITTED / NOT ADMITTED BY THE OTHER PARTY
ADMITTED IN EVIDENCE / REJECTED
EXT. NO. 114
BY ORDER OF THE COURT
O.S.D.

ANNEXURE No. 2

ANCIENT INDIA

20/6

Bulletin of the Archaeological Survey of India

20/6

Ex 114

NUMBER 3

1947

CONTENTS

	PAGE
Notes	1
Sultan Ghari, Delhi By *S. A. A. Naqvi*	4
Stone Age India By *V. D. Krishnaswamy*	11
Harappa 1946: the Defences and Cemetery R 37 By *R. E. M. Wheeler*	58
A new Prehistoric Ceramic from Baluchistan By *Stuart Piggott*	131
Technical Section: 3.—The Recording of Archaeological Strata ...	143

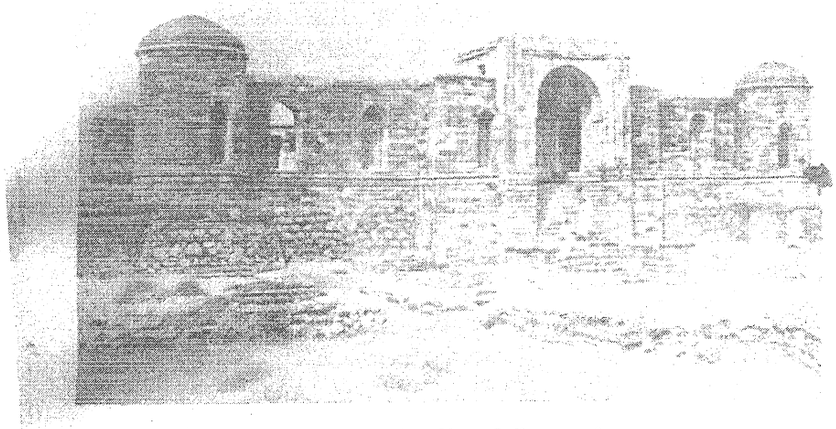
Published By
THE DIRECTOR GENERAL
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
NEW DELHI
1984

Sivaram

7362

To face page 10

PLATE VIII



A. *Tomb of Sulṭān Ghārī, Delhi : east front*



B. *Tomb of Sulṭān Ghārī : western colonnade*

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE

O.O.S. NO. 4 OF 1989

Sunni Central Board Of Waqf, U.P. and others----------plaintiffs

Versus

Gopal Singh visharad (now dead) and others----------Defendants

ANNEXURE NO. 3

Lucknow

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
O.S. NO. 4 OF 89
Sunni Central Board of Waqf & Ors.
VERSUS
Gopal Singh Visharad & Ors.
PRODUCED BY Plaintiffs
DATE OF PRODUCTION 7.11.05
ADMITTED / NOT ADMITTED BY THE OTHER PARTY
ADMITTED IN EVIDENCE / REJECTED
EXT. NO. 115
BY ORDER OF THE COURT
O.S.D. 19.2.10.

7.11.5

7364

ANNEXURE No. 3

20

20/8

INDIAN ARCHAEOLOGY 1988-89
—A REVIEW

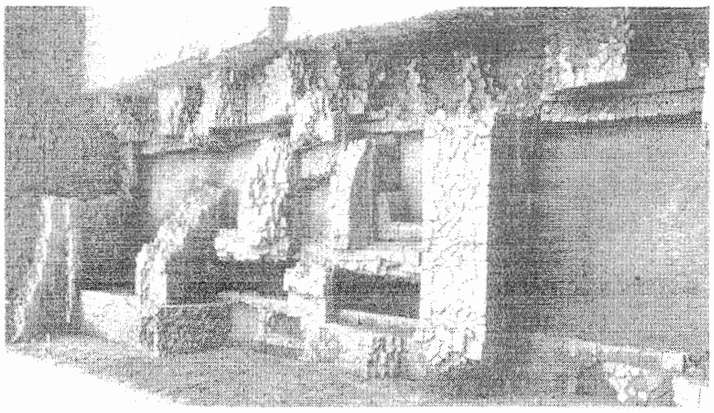
Ex 115

EDITED BY
M.C. JOSHI

PUBLISHED BY THE DIRECTOR GENERAL
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
GOVERNMENT OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI
1993

Sharma

7365



B



A

Sravasti: A, *exposed votive stupas;* B, *structural activities of Kushana, Gupta and later Guptas and Gahadavala periods.* *See p. 83*

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE

O.O.S. NO. 4 OF 1989

Sunni Central Board Of Waqf, U.P. and others----------plaintiffs

Versus

Gopal Singh visharad (now dead) and others----------Defendants

ANNEXURE NO. 4

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
O.O.S. NO. 4 OF 89
Sunni Central Board of Waqf
VERSUS
Gopal Singh Visharad
PRODUCED BY Plff Side
DATE OF PRODUCTION 7-11-05
ADMITTED / NOT ADMITTED BY THE OTHER PARTY
ADMITTED IN EVIDENCE / REJECTED
EXT. NO. Ex 116
BY ORDER OF THE COURT
O.S.D. 19.2.10

7367

ANNEXURE No. 4 20/10

INDIAN ARCHAEOLOGY 1991-92
— A REVIEW

EDITED BY:
B.P. Singh
Secretary
Department of Culture
&
Director General
Archaeological Survey of India

Ex 116

PUBLISHED BY THE DIRECTOR GENERAL
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI
1996

Page No 20/11

Ex 116

in relief bowed in adoration (pl. VIII C), geometrical and niche design, *amalakas* (pl. VIII D), *pranala*, inverted lotus, *kantha* of the *sikharas* were also noticed. Besides, a small stone slab representing a broken *purnaghata* with one line fragmentary inscription is noteworthy.

Evidence of two subsidiary shrines have also been noticed on the southern and south-eastern end of the temple site at a distance of 2·15 m and 1·15 m respectively. These have almost square plan, measure 2·10 m square and 1·80 m × 1·50 m respectively with two remaining courses. On palaeographic evidence the site could be dated to the late medieval period.

DELHI

15. EXCAVATIONS AT LAL-KOT AND ANANGTAL, DISTRICT SOUTH NEW DELHI.—The Delhi Circle of the Survey under the direction of B.R. Mani, assisted by Urmila Sant, A.K. Khanna, Vishnu Kant, A.C. Chakravarti, M.K. Batra, D.K. Bhardwaj, S.K. Dikshit, R.B. Chhatri, R.K. Sachdeva, G. Nageshwar Rao, Jagdish Chander, L.S. Mamani and V.P. Verma carried out excavations at the citadel mound of Lal-Kot (28°31'40" N; 77°11'E) and adjoining Anang Tal, a reservoir traditionally known to have been constructed by Anang Pal II, the Tomar ruler in the middle of the eleventh century AD. The excavations were taken up with the view to study the layout and settlement pattern of the palaces and other allied structures of the citadel and to confirm the literary evidences about the location and shifting of the royal seat in Delhi. Another objective was to confirm the structural conception of the huge depression on the eastern side of the mound, known as Anang Tal. The citadel area must have been at a distance from the temple-mosque complex, preferably at higher level of strategic importance with better water facility. Such suitable spot of the citadel in the fort of Lal Kot could be searched only at the massive main mound having large structural complex of rubble stones abutting the Anang Tal on its western side.

Lal Kot is the earliest known fort in Delhi which is supposed to have been constructed in the middle of the eleventh century AD by Anang Pal II, the Tomar ruler of Delhi. Its lofty walls, massive bastions and gateways are mostly damaged and sporadically covered with debris. The circumference of the ramparts is nearly 3·6 km with varying thickness ranging between 3 to 9m. The total area of the fort is 7,63,875 sqm. It is presumed that Anang Pal II peopled Delhi and constructed the Lal Kot between AD 1052 and 1060. Amir Khusrau mentions the palace of Anang Pal and the Ain-i-Akbari and a few other works are specific about the residence of Qutb-uddin Aibak and Iltutmish in the fort of Rai Pithora which is none other than the Lal Kot. Kushak Firozi, Kushak Sabj and Chabutra Nasira were the palace sites of Mamluk Sultans of Delhi in Lal Kot and on the basis of Ibn Batuta it can be said that in the year AD 1205 Qutb-uddin Aibak built a palace in the fort which was known as Kasr-Safed or White Palace. Kasr-Safed, was also occupied later by Iltutmish, Nasiruddin Mahmud Shah, Balban and others. The earlier excavations conducted by Y.D. Sharma from 1957 to 1961 at Lal Kot were mainly confined to the fortification walls.

The main mound at the citadel site of Lal Kot was named as LKT-1 where excavation trenches in form of 10 × 10m squares divided by quadrants were laid and excavations were done in 40 quadrants of 16 squares (pls. IX-X). Maximum height of the mound (fig.1) is about 10 m near peg A1 of LKT-1 (254 m above sea level). The maximum length of the mound is about 300 m in north-south and 50m in east-west orientation. During the excavations it was noticed that debris of the adjoining damaged

Ex 116

structures have fallen from all the sides in the tank and hence it is not possible to take accurate measurements of the tank unless the structures are properly exposed. Roughly the dimensions of the inner area of the tank are about 50×50m in north-south and east-west orientation. The present depth of the tank is about 14 m from the adjoining ground level (the bottom level being 231m above sea level). Because of the close proximity and the probable association of the Anang Tal with the mound, the area was covered under LKT-1 and accordingly trenches were laid out in grid fashion.

A preliminary study of the excavated remains revealed a sequence of two cultural periods:

Period I:- Rajput Period (middle of the eleventh century to the end of the twelfth century AD)

Period II:- Sultanate period (end of the twelfth century to the middle of the fourteenth century AD).

During this field-season, due to massive structural activities of the Sultanate period a limited area, restricted in one part of quadrant No. 1 of square C7 was excavated deep upto the natural rock wherein thirteen layers were encountered upto a depth of about 5 m (fig.2). Of the Rajput period, no structure could be encountered in the C7 under excavation. The study of pottery provisionally suggests two phases of the Rajput period. The phase I of Rajput period is represented by plain red ware also with red slip, decorated red ware with painted design in black colour, incised designs and occasionally stamped designs. Amongst the vases, some are decorated with incised horizontal bands, wavy lines and a line of notched triangles on the shoulder. Some pots are decorated with black painted zig-zag lines on the top or side of the rim of vases, small basins and lids and criss-cross pattern and horizontal bands on the shoulder of the vases. Mention may be made of a single potsherd from layer 12 with inscribed Brahmi letters of Gupta period (around AD 400) mentioning perhaps a name '*V* (i) *ras* (o) *ma*' (pl. XIA). Only on the basis of a single sherd it is not possible at present to suggest a separate horizon of Gupta period.

The phase II of Rajput period is characterised by the occasional appearance of plain glazed ware of ordinary terracotta core, black-slipped grey ware with associated red ware. Small spouted vases occasionally double-mouthed, sharp-edged medium-sized bowls, cooking *handi* with ledged shoulder and mild carination, inverted flat terminal top lid, small to large-sized basins, miniature bowls and vases are the characteristic shapes of the Period I.

A conical hollow knobbed-lid and ring base were introduced in the second phase. The presence of glazed ware of ordinary core indicated that this phase was much closer to the Turkish invasion of Delhi as during the Muslim period its use was plentiful. Other finds of this period include a copper ring; two terracotta beads; a lipped earthen lamp; red ware circular discs or hop-scotches; and some fragments of legs of terracotta figurines.

The pre-Muslim association of this cultural period is evidenced by a number of scattered or reused architectural and sculptural fragments in the following period. Among them mention may be made of a stone *Varaha* figure, two stone *amalakas*, decorated pillar bases and a number of other decorated architectural fragments reused in later structures or scattered on the mound or in the tank area of Anang Tal alongwith a huge part of another *amalaka* and pillar bases found in the eastern part of the tank. The incised mason marks and the *Nagari* letters on dressed and semi-dressed stone blocks discovered during excavation in the south-western part of the Anang Tal are also evidences of Period I.

7370

The Sultanate period (Period II) is represented by four structural phases. Phase I is characterised by small lime plastered water tanks of brick masonry of which the western one has a small circular hole, provided in the southern wall at the bottom, a lime floor and a magnificent circular, eight lotus petal designed water cistern with brick masonry and lime plaster and 1·40m in diametre and 72m deep, ornamented with two series of circular drains around it. The top level of the cistern synthecised with the lime plaster floor with some sort of canopy improvised, as evidenced by the two stone pillar-bases of Rajput period set in the floor in one alignment and the two other pillar-bases may be traced after removal of the adjoining western baulk. In this phase the drains were probably open and water fell into the cistern through each petal of the lotus shape. The same drains were covered by stone chips and plastered over in the succeeding phase, i.e., phase II. The cistern was also used in phase II. The phase II is characterised by massive house complex of medium sized rubble masonry, lime floors, paved stone floor, lime plaster occasionally decorated. Noteworthy is the exposed part of the complex having two rooms of size 6·70 m × 4·80m and 9·60 m × 3 m attached with a verandah (pl. XII) of size 6·70 m × 3·90 m in the east and attached with 1·10 m wide staircase (pl. XIII) in the north to lead upwards. The opening of this complex is in the 2 m wide gallery on its eastern side with other openings of structures of the succeeding phase (fig.3). Notable feature of this phase was the occasional reuse of architectural and sculptural fragments of Rajput period. Amongst such remains the stone sculpture of *Varaha* (pl. XI B) of tenth-eleventh century AD and *amalaka* of some temple are remarkable.

The phase III is represented by a degenerated form of the earlier phase and is characterised by hearth, ovens, large-sized storage jars buried into the floors and a thick random rubble wall running north to south which fortified the mound (LKT-1) in the western side. The residents of this phase mostly reused the structures of the former phase. They occasionally added masonry walls in the former structures.

The phase IV is limited only in a small area at the top of the mound (LKT-1) and is characterised by the random rubble walls running west to east and turning towards north. On the basis of numismatic and other evidences, it seems that the first two phases of Period II represent the age of Mamluk and early Khalji Sultans (thirteenth century AD) when the royal seat was located in the Lal Kot. The latter two phases represent late Khalji and Tughlaq periods (first half of the fourteenth century AD) and the capital was shifted to Siri or Tughlaqabad and the site was perhaps occupied by common folk.

The significant feature of the Sultanate period was the use of plain and painted glazed ware, both of sandy-friable with whitish gritty core (pl. XI C) as well as ordinary terracotta core with associated red ware, black-slipped grey ware and thick grey ware. The underglaze decorations are patterns painted with brushes mostly in brown or black picked out with blue or greenish blue. Most of the sherds are painted with one colour – green, blue, greenish blue, pink or brown. The important shapes of the glazed ware are shallow dishes and bowls with ring base, decorated with floral and geometrical painted designs. A medium size vase with elongated body and of ordinary glazed red ware is remarkable. Chinese celadon is represented by a few sherds from the upper layers and its indigenous variety seems to have become very popular having sandy friable brownish white core and greenish surface. Two sherds of Painted Grey Ware (PGW) of protohistoric origin were also found in two different pits of layer-2 in Qd 1 of C1 and Qd 1 of C7 which suggest the location of such a protohistoric site in the

vicinity. Among other finds mention may be made of thirty-one copper coins of Horseman and Bull type and coins of Muhammad Ghori, Iltutmish, Razia Sultana (?), Kaikubad, Jalaluddin Khalji, Alauddin Khalji, Ghayasuddin Tughlaq and other Tughlaq coins without names. A large number of crude handmade terracotta human (pls. XIID-XIV) and animal figurines (pl. XVA).The human figurines invariably represent bearded soldiers, categorised under Rajput period levels at Purana Qila, but found in large numbers from Sultanate period levels in the present excavations. Among animal figurines horse is the most common, fragments of inscribed Persian glazed tile with Arabic legends; beads of semiprecious stones, glass and terracotta; fragments of a large number of thin green-glass vessels and bottles probably with concave base; glass bangles; ivory ring; terracotta lipped lamps and *dipa-stambha* (pl.XV B); terracotta glazed tiles; ear-cleaner of copper, incense burner of copper or brass, decorated door nails of iron and other metallic objects and terracotta finials (pl.XV C).

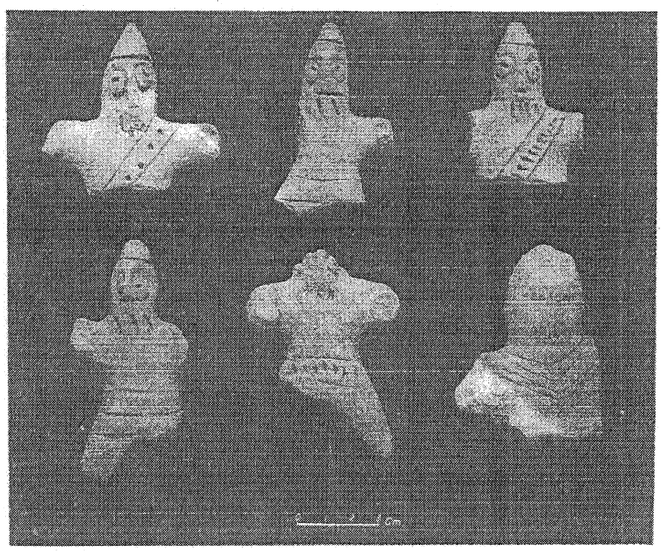
Another notable feature of this period was the use of plenty of circular discs or gamesmen like hopscotches made out of glazed ware mostly with gritty core. The Chinese porcelain pottery is totally absent at the site which alongwith other evidences suggests that after the Tughlaq period the site was fully uninhabited. No specific evidence of a succeeding period was found in the excavations.

In the tank area of the adjoining Anang Tal the upper part was partly exposed in the southwestern corner. The exposed area suggests some types of steps and retaining wall with wide and long platform of the tank. This also suggests that the repairs or additions were done after the period of its original construction, most probably by Anang Pal II. The wide platform of thick lime concrete plaster was strengthened by semi-dressed stone blocks tightened with iron clamps. The remarkable feature of the Rajput period was the presence of incised mason marks on the semi-dressed stone blocks which were used in the construction of the tank. Amongst the mason marks the symbols of *swastika*, trident, circle divided into four parts, drum, numerals, letters, scorpion, bow and arrow are found which resemble such mason marks as found in the temple of Bhojpur (Madhya Pradesh) of the same period and also on the reused stone slabs in the Quwwatul Islam Mosque near Qutb. The name Pinasi is found in *Nagari* characters on one of the stone blocks. These evidences clearly suggest that the tank was originally constructed in the middle of the eleventh century AD, most probably by Anang Pal II whose name is conjured with it.

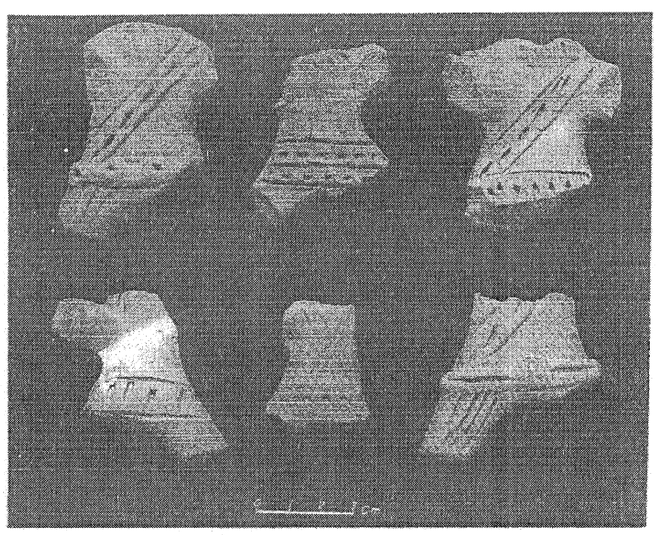
16. EXPLORATIONS IN NORTH AND WEST DELHI.— Delhi Circle of the Survey under the direction of B.R. Mani and Excavation Branch II under the direction of C.L. Suri assisted by Indu Dhar Dwivedi carried out explorations in Delhi and its neighbourhood. During the course of explorations three mounds near village Jhatikra (28° 31' 15" N; 76° 58' E) towards south of Najafgarh, two mounds at Bankner (28° 51' 10" N; 77° 4' 30" E) and a medieval fortress called Kot (28° 36" 20" N; 77° 0' 45" E) towards east of Najafgarh on the west bank of Najafgarh drain were discovered.

The 6 m high mound at Jhatikra-1 yielded PGW, grey ware, black-slipped ware, black and red ware, Kushana red ware and medieval ceramics including red ware, both plain as well as painted with black colour with criss-cross designs, glazed ware both with sandy friable core and terracotta core, white and chocolate painted grey ware and a piece of Chinese procelain. Other important finds from the mound include three copper coins of Sultanate period, stone bead, glass bangles, a stone ball and pieces of green glass bottles of medieval times. A Mughal period mosque is located on the eastern side

Ex 116 Page 50 26 152 20/15



A

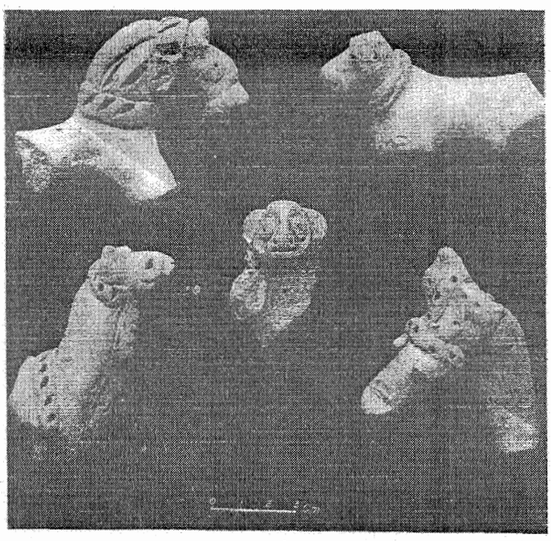


B

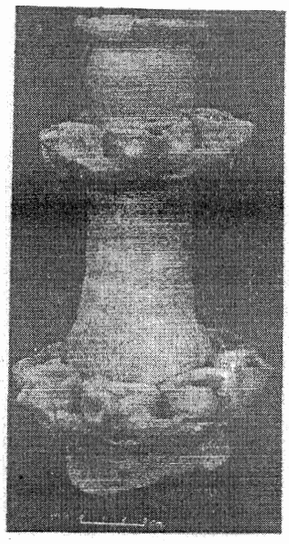
Lal Kot: terracotta human figurines. See p. 15

Chairman

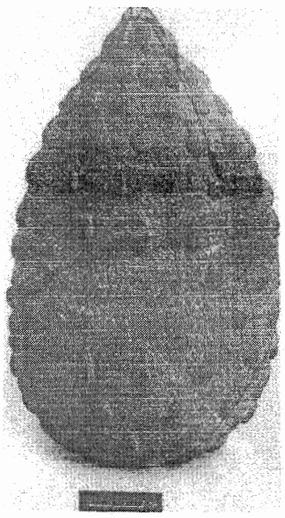




A



B



C

Lal Kot: A, *animal figurine;* B, *lamp stand; and* C, *finial, all terracotta. See p. 15*

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, ALLAHABAD

समक्षः आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/विशेष कार्याधिकारी मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ पीठ, लखनऊ

(अन्य मूल वाद सं0-4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में मा0 विशेष पूर्ण पीठ के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा नियुक्त)

सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़,उ0प्र0 व अन्य.....वादीगण

बनाम

गोपाल सिंह विशारद व अन्य .....प्रतिवादीगण

अन्य मूल वाद सं0- 4/1989
(रेगुलर वाद संख्या-12/1961)

दिनांक 07.11.2005 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0ठाकरान**

डा0 आर0सी0 ठाकरान आयु लगभग 53 वर्ष की मुख्य परीक्षा का शपथ-पत्र पृष्ठ संख्या- 1 से 20 तक प्रस्तुत किया गया, जो अभिलेख पर लिया गया ।

(पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान आयु लगभग 53 वर्ष पुत्र श्री टेक चन्द्र निवासी सी-29 प्रोविन रोड,दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली-7 की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूल वाद सं0- 3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री रंजीत लाल वर्मा, एडवोकेट द्वारा प्रारम्भ)

मेरी मुख्य परीक्षा के शपथ - पत्र की धारा-1 में वर्णित पुरातात्विक उत्खनन स्थल ग्राम मिर्ज़ापुर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है ।राजा कर्ण का क़िला तथा ग्राम मिर्ज़ापुर में स्थितपुरातात्विक उत्खनन स्थल एक-दूसरे से लगभग एक

फ़र्लांग की दूरी पर स्थित हैं । दोनों का राजस्व ग्राम एक ही है । यह उत्खनन प्रो0 उदयवीर सिंह, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे , की लीडरशिप में किया गया था । यह उत्खनन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया था । यह सन् 1974 में शुरु हुआ था । मैंने सन् 1974 से ही इस उत्खनन में भाग लिया था । उस समय मैं एम0ए0 प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा था । पहले ग्राम मिर्ज़ापुर में उत्खनन शुरु हुआ था,उसके एक वर्ष बाद राजा कर्ण का किला नामक स्थल पर उत्खनन कार्य शुरु किया गया था । उत्खनन की टीम को मेरे प्रोफ़ेसर उदयवीर सिंह जी द्वारा गठित किया गया था । विश्वविद्यालय का पुरातत्व विभाग यह निर्णय लेता है कि कहाँ पर कब उत्खनन किया जाना है । इस निर्णय का प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व विभाग को अनुमति के लिए भेजा जाता है, वहां से अनुमति प्राप्त हो जाने पर उत्खनन का कार्य शुरु होता है । यह दोनों स्थल प्राचीन सेटिलमेंट्स (बस्तियां) थीं । राजा कर्ण का क़िला प्रोटेक्टेड मानूमेंट नहीं है, बल्कि वह संरक्षित पुरास्थल है । यह भारतीय पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत संरक्षित है तथा इस विभाग के अभिलेखों में इसका नाम अंकित है । चूँकि सन् 1974 में उपरोक्त स्थल पर उत्खनन का कार्य शुरु हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रुप से उत्खनन के संबंध में भारतीय पुरातत्व विभाग की अनुमति इसके पूर्व ही प्राप्त हुई होगी । चूँकि मैं उस समय एम0ए0 के छात्र के रुप में अध्ययनरत था, इसलिए मुझे इस अनुमति की तिथि के संबंध में विशेष जानकारी नहीं है । प्रो0 उदयवीर सिंह,जो उपरोक्त उत्खनन के टीम-लीडर थे, उनके अलावा 25 या 27 व्यक्ति और उस टीम के सदस्य थे। उस टीम में डिप्टी- टीम लीडर भी थे, उनका नाम प्रो0 एस0बी0 सिंह था । किसी उत्खनन के संबंध में सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उस उत्खनन स्थल

का नेचर (स्वभाव) महत्वपूर्ण होता है । ग्राम मिर्ज़ापुर तथा राजा कर्ण का क़िला के जिस उत्खनन स्थल के बारे में मैंने ऊपर बताया है, उसके नेचर को देखते हुए शुरु में पुरातत्वविदों की आवश्यकता इस हेतु पड़ी थी, जैसे-जैसे उत्खनन का कार्य आगे बढ़ा तथा उत्खनन के दौरान पुरावशेष प्राप्त होते गये, वैसे-वैसे अन्य विशेषज्ञों की भी आवश्यकता पड़ी । आमतौर पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी विशेषज्ञ उस उत्खनन स्थल पर एक ही समय पर उपस्थित हों । उत्खनन के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, वह उत्खनन की पूरी टीम का कार्य होता है । स्वयं कहा कि यदि इस उत्खनन की टीम के गठन (कम्पोजीशन) की चर्चा की जाय, तो इसमें पुरातत्वविदों के साथ-साथ भू-विशषज्ञ (स्वायल साइंटिस्ट),जियोलोजिस्ट, जलवायु विशेषज्ञ(क्लाइमेटोलाजिस्ट), पैलियोबोटोनिस्ट(पुरावनस्पति विशेषज्ञ)पलियोटोलाजिस्ट (प्राणि विशेषज्ञ), एंथ्रोपोलोजिस्ट (नृविज्ञान विशेषज्ञ),हाइड्रोलालिस्ट ,केमिस्ट (रसायन विशेषज्ञ),क्रापसाइन्टिस्टस इंटिस्ट, फ़ोटेग्राफ़र, सर्वेयर आदि-आदि की आवश्यकता होती है।

पुरातत्वविदों की टोम में उपरोक्त विशेषज्ञों की आवश्कयता होती है, जो उत्खनन की विधा तथा उत्खनन में प्राप्त सामग्री से किसी न किसी प्रकार संबंधित होते हैं । यह कहना सही नहीं होगा कि उपरोक्त विशेषज्ञों की आवश्यकता तभी पड़ती है, जब किसी प्रागै-तिहासिक स्थल का उत्खनन हो रहा हो,बल्कि सही यह है कि जहाँ-तहाँ वक्त की नजाकत को देखते हुए इनकी आवश्कयता होती है । उत्खनन की टोम में प्रत्येक ट्रेंच के लिए एक ट्रेंच सुपरवाइज़र होता है,जिसका यह उत्तरदायित्व होता है कि वह खुदाई का निरीक्षण करें,। जो भी सामग्री खुदाई के दौरान प्राप्त हो रही हो, उसकी रिकार्डिंग करें और वह ट्रेंच सुपरवाइजर दिन-प्रतिदिन हुई खुदाई के प्रत्येक दिन का अपनी ट्रेंच का रिकार्ड लिखित रुप से मेन्टेन करे। जो पर्तें (लेयर्स)

खुदाई के दौरान मिलती हैं, उनकी समुचित पहचान करे और सेक्शन का सही मेंटोनेंन्स रखे । उत्खनन का कार्य शुरु होने पर केवल एक ही ट्रेंच की आवश्यकता नहीं होती है,बल्कि वह मानव जो उस वस्ती में रह रहा था, उसकी जीवन-शैली या दिनचर्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक ट्रेंचों की आवश्यकता होती है,क्योंकि बस्ती का जो विस्तार होता है, वह एक समान नहीं होता है,अतएव उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की अनेक ट्रेंचों की ज़रुरत पड़ती है । खुदाई मुख्य रुप से दो प्रकार की होती है। एक वर्टिकल(लम्बवत्) , दूसरी हारिज़ेंटल (क्षैतिज) होती है । वर्टिकल डिगिंग के लिए किसी ट्रेंच की लम्बाई और चौड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि भूमि के तल से उस पुरा स्थल की ऊँचाई क्या है,क्योंकि भूमि-तल की ऊँचाई के अनुसार ही ट्रेंच की लम्बाई- चौड़ाई परिवर्तित हो जाती है । ट्रेंच की न्यूनतम लम्बाई तथा चौड़ाई तय की जा सकती है, परन्तु उस ट्रेंच की अधिकतम लम्बाई और चौड़ाई भूमि तल से उस ट्रेंच के स्थल की उँचाई पर निर्भर करती है । यह लम्बाई असीमित नहीं होगी, क्योंकि उस ट्रेंच के स्थल की ऊँचाई की भी एक सीमा निश्चित रुप से होगी । जो ट्रेंच बनाई जाती है ,उसकी पेगिंग होती है अर्थात् ट्रेंच के चारों कोनों पर पेग लगाये जाते हैं । लम्बवत् ट्रेंच की चौड़ाई, ऊँचाई के आधारित होती है । यह तकनीकी आधार है ,अर्थात् इसके कुछ और भी आधार होते हैं । हारीज़ेंटल डिगिंग के लिए जो ट्रेंच बनाई जाती है,उसका न्यूनतम आकार 5 X 5 मीटर का होता है लेकिन यदि पुरास्थल की ऊँचाई अधिक है, तो उसी अनुपात में ट्रेंच का आकार बदल जाता है । यह कहना सही नहीं है कि पुरातात्विक सिद्धान्त के अनुसार हारीज़ेंटल ट्रेंच का मानक आकार 10 मीटर बाई 10 मीटर का होना चाहिए, बल्कि यह आकार पुरास्थल की ऊँचाई पर निर्भर करता है। स्वयं कहा कि यदि यह मान लिया

जाये कि पुरास्थल की ऊँचाई 50 फ़िट है तो उस दशा में निश्चित रुप से इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि प्राकृतिक भूतल तक पहुँचते-पहुँचते उचित प्रकाश (लाइट) उपलब्ध होना चाहिए । अतएव ट्रेंच का आकार उसी अनुपात में बढ़ाया जा सकता है ।

हारीज़ेंटल डिगिंग वाली ट्रेंच की लम्बाई दस मीटर से ज़्यादा उस दशा में हो सकती है,जब डिगिंग वाले स्थल की ऊँचाई अधिक हो । यदि उत्खनन स्थल छोटा हो तो छोटे ट्रेंच बनाये जाते हैं, परन्तु यदि उत्खनन के दौरान नीचे खुदाई करने पर इस प्रकार की आवश्यकता प्रतीत होती है तो दो ट्रेंचों को मिला भी दिया जाता है । यदि चार मीटर बाई चार मीटर का ट्रेंच बनाया जाता है, तो इस आकार का ट्रेंच उत्खनन के सिद्धान्त के विपरीत नहीं होगा, परन्तु सामान्य रुप से पांच मीटर बाई पांच मीटर का ही ट्रेंच बनाया जाता है। दो ट्रेंचों के बीच की बाक आमतौर पर एक मीटर चौड़ा होती है । वर्टिकल डिगिंग द्वारा बनाये गये ट्रेंच तथा हारीज़ेन्टल डिगिंग द्वारा निर्मित ट्रेंच दोनों में सेक्शन की संख्या चार ही होगी । वर्टिकल डिगिंग में काल-निर्धारण में थोड़ी कठिनाई आती है तथा उसमें काल निर्धारण टेंटेटिव रुप से किया जाता है ,परन्तु हारीज़ेन्टल डिगिंग में काल निर्धारण में अधिक सुविधा होती है । हालांकि, काल निर्धारण का केवल यही एकमात्र आधार नहीं होता है । खुदाई की टीम के प्रत्येक सदस्य का कार्य लगभग एक जैसे ही महत्व का होता है,क्योंकि कोई एक सदस्य जो विशिष्ट कार्य करता है,उसको दूसरा नहीं कर सकता है। इस रुप में प्रत्येक सदस्य के कार्य की महत्ता होती है । खुदाई शुरु होने के पहले से ही ड्राफ़्ट्समैन का कार्य शुरु हो जाता है और जैसे-जैसे उत्खनन का कार्य आगे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ड्राफ़्टसमैन का कार्य विस्तृत होता जाता है । उत्खनन के दौरान फ़ोटोग्राफ़ी के साथ ही साथ वीडियोग्राफ़ी भी होती है । वीडियोग्राफ़ी किस प्रकार की जा रही है,इस पर

यह निर्भर करता है कि उत्खनन के दौरान कोई अनावश्यक गतिविधि होने की सम्भावना हो सकती है । वीडियोग्राफ़ी निरन्तर नहीं की जाती है, यह स्टेजेज़ में की जाती है । दो वीडियोग्राफ़ी के बीच के समय में उत्खनन में अनावश्यक गतिविधि होने की कुछ संभावना हो सकती है, परन्तु इसकी बहुत संभावना नहीं है । यदि वीडियोग्राफ़ी निरन्तर चलती रहे, तो उस संभावना को भी पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है । किसी भी खुदाई स्थल पर पहले एक्सप्लोरेशन होता है और यह कार्य पुरातत्वविदों द्वारा ही किया जाता है। सर्वेक्षण के उपरान्त पुरातत्वविद् यह निश्चित करते हैं कि किस स्थल पर खुदाई कराना आवश्यक है । एक्सप्लोरेशन के बाद ड्राफ़्ट्समैन नियत स्थल अर्थात् जिस स्थल पर खुदाई की जानी है, उस स्थान का चार्ट बना लेता है । खुदाई होने वाले स्थल का हू -ब- हू चार्ट बना लिया जाता है, जिसे कन्टूर मैप कहा जाता है ।

कुरुक्षेत्र जनपद में हुए जिस उत्खनन का उल्लेख मैंने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ- पत्र में किया है, उस उत्खनन में मैंने अध्ययन के प्रयोजन से भाग लिया था । 'राजा कर्ण का क़िला' की खुदाई के लिए जो सर्वेक्षण किया गया था, उस समय मैं वहां पर उपस्थित था । सर्वेक्षण के समय पेगिंग की आवश्यकता नहीं होती है । पेगिंग उस समय होती है, जिस समय उत्खननकर्ता खुदाई प्रारम्भ करना चाहता है । 'राजा कर्ण का क़िला' के सर्वेक्षण होने के दस दिन बाद उत्खनन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा उत्खनन के लिए ले-आउट तैयार किया गया । उसी दौरान ट्रेंचेज़ भी तय किये गये और उसी के अनुरुप पेगिंग का कार्य भी सम्पन्न किया गया । राजा कर्ण का क़िला में खुदाई की लम्बवत् पद्धति अपनाई गई थी । ट्रेंच की लम्बाई तथा चौड़ाई वहाँ पर 7 बाई 7 मीटर थी । वहां पर दो ट्रेंच लगाये गये थे । ये ट्रेंच अलग-अलग प्वाइंट्स पर बनाये गये थे 'राजा कर्ण का क़िला'

वाले स्थल पर कोई क़िला उस समय नहीं था, वहां पर केवल माउण्ड या टीला था,जिसकी ऊँचाई लगभग बीस फ़िट थी । मैं इस खुदाई के दौरान दोनों ट्रेंचों पर मौजूद नहीं था । इन ट्रेंचों में एक ट्रेंच माउण्ड के ऊपर लगाई गई थी और दूसरी ट्रेंच माउण्ड के पूरबी छोर पर जो ढ़लान वाला छोर था, वहां पर लगाई गई थी । मैं माउण्ड के ऊपर वाले ट्रेंच, जो मुख्य स्थल था, पर था । ऊपर वाले मुख्य ट्रेंच से पूरबी छोर वाला ट्रेंच लगभग पांच फ़िट नीचे था । ऊपर वाली ट्रेंच सात मीटर बाई सात मीटर थी । उस ट्रेंच के ट्रेंच-सुपरवाइज़र प्रो0 एस0पी0 शुक्ला जी थे । वे पुरातत्व में पी0एचडी0 थे । ड्राफ़्ट्समैन श्री जगदीश चन्द्र थे । वहां पर कोई पाटरी असिस्टेंट नहीं था । मुख्य ट्रेंच लगभग 24-25 फ़िट गहराई तक गई थी । मैंने इस ट्रेंच के संबंध में अपना कोई नोट नहीं बनाया था, परन्तु मैंने वहां क्या देखा था, यह बता सकता हूँ । इस ट्रेंच में खुदाई वर्जिन स्वायल के लेवेल तक अर्थात 25 फ़िट की गहराई तक की गई थी । स्वयं कहा कि खुदाई का यह नियम होता है कि नेचुरल स्वायल या वर्जिन स्वायल (प्राकृतिक भूमि) तक पहुंचा जाये और उसके बाद भी कम से कम एक मीटर नेचुरल स्वायल में खुदाई की जावे। ऐसा नियमतः इसलिए किया जाता है,जिससे वर्जिन स्वायल के नीचे कम से कम एक मीटर की गहराई तक यह पता लगाया जा सके कि उसके अन्दर और उसके नीचे और किसी प्रकार की बस्ती या मानवीय गतिविधियों के अवशेष तो नहीं हैं । ऐसा किया जाना लाज़िमी है, वैसे नेचुरल स्वायल के एक मीटर नीचे भी खुदाई की जा सकती है,इसमें इस प्रकार की कोई मुमानियत (निषेध) नहीं है । पुरातत्व के अन्तर्गत नेचुरल स्वायल या वर्जिन स्वायल उसी को कहा जाता है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, जिसमें मानवीय गतिविधियों का कोई लेशमात्र भी प्रमाण नहीं होता है। इस प्रकार की प्राकृतिक भूमि सामान्य तौर पर कम्पैक्ट होती है और अनडिस्टर्बड होती है ।

साधारण रुप से इस प्रकार की मिट्टी में जल का होना आवश्यक नहीं है, परन्तु इसके बावजूद भी निश्चित रुप से पानी का कुछ अंश उपस्थित होता है या पाया जाता है । इस प्रकार की मिट्टी या भूमि में कुछ पेड़ -पौधों के अंश उपस्थित होने की संभावना रहती है,क्योंकि जिस वक़्त मानव के द्वारा पहली बार यह स्थल निवास के लिए चुना गया, उस वक़्त यह प्राकृतिक अवस्था में ही था ।

नेचुरल स्वायल का सैम्पुल लिया जाना चाहिए । नेचुरल स्वायल स्ट्राइल मिट्टी या बांझ मिट्टी कही जाती है , इसको " बैरन " भी कहा जाता है । जिसका अर्थ पुरातत्व में यह होता है कि इस मिट्टी में मानव गतिविधियों के कोई भी अवशेष नहीं होते हैं । स्ट्राबुल स्वायल तथा नेचुरल स्वायल को एक जैसा होना कहा जा सकता है । इस प्रकार की मिट्टी में मानवीय गतिविधियों का अभाव होने के साथ ही साथ यह मिट्टी प्राकृतिक शक्तियों की गतिविधियों से ही निर्मित होती है । मैं "राजा कर्ण का क़िला" के मुख्य ट्रेंच, जो माउण्ड के ऊपर थी , में उतरा था । उस ट्रेंच में कितने लेयर थे , यह मुझे इस समय स्मरण नहीं है । इस खुदाई की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई थी । इस उत्खनन के बारे में कोई आर्टिकिल नहीं लिखा गया था । मिर्जापुर गाँव में हुए उत्खनन के कुल ट्रेंचों की वास्तविक संख्या मुझे इस समय याद नहीं है , पर जहाँ तक याद है , उनकी संख्या - 20 - 22 रही होगी । इन ट्रेंचों में सबसे गहरी ट्रेंच 8 फ़िट की थी , क्योंकि यह उत्खनन लो माउण्ड पर हुआ था । मेरी उपस्थिति में नेचुरल स्वायल वहाँ के किसी ट्रेंच में नहीं मिला था । उपरोक्त दोनों साइट्स पर मैं लगभग 3 माह तक रहा था । इस तीन माह के अन्तराल में मैंने क्लासेज़ नहीं किए थे क्योंकि इस प्रकार की खुदाई के दौरान प्रायः क्लासेज़ विभाग द्वारा बन्द कर दिए जाते हैं । जब से खुदाई शुरू होती है ,तब से वह लगातार चलती है । इन

दोनों उत्खननों में मैं लगभग डेढ़ माह - डेढ़ माह रहा था । पहले उत्खनन में मैं शिक्षण शुरू होने के लगभग सात माह बाद शामिल हुआ था । स्वयं कहा कि दूसरे उत्खनन में भी लगभग यही स्थिति थी ।

बी0 ए0 में मेरे अध्ययन के विषय हिन्दी , अंग्रेज़ी , इतिहास और अर्थशास्त्र थे । एम0 ए0 में मेरा विषय प्राचीन भारतीय इतिहास , संस्कृति एवं पुरातत्व था ।

मेरी मुख्य परीक्षा के शपथ - पत्र की धारा - 1 के पृष्ठ - 2 पर एंसियेन्ट हिस्ट्री लिखा हुआ है , जबकि इसे एशियंट इण्डियन हिस्ट्री लिखा जाना चाहिए था ।

एंशियंट हिस्ट्री में भारतीय वैदिक इतिहास भी आता है । इसके अन्तर्गत भारतीय संस्कृति भी आती है । इसमें साहित्य का भी योगदान है । पुरातत्व प्राचीन इतिहास विभाग का ही एक अंग है । पुरातत्व को भारतीय इतिहास का अंग कहना कठिन है , क्योंकि पुरातत्व तथा भारतीय इतिहास स्वतंत्र विषय हैं ।

आर्क्योलाजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया की स्थापना सन् 1861 में की गई थी , तभी से पुरातत्व की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में की जाती है । भारत के किस विश्वविद्यालय में पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहली बार पढ़ाना शुरू किया गया , इसकी जानकारी मुझे नहीं है । संस्कृति से मेरा तात्पर्य किसी प्रदेश विशेष में रहने वाले जन - मानस की जीवन - पद्धति को मोटे तौर पर संस्कृति का नाम दिया जा सकता है ।

प्रश्न - क्या संस्कृति मनुष्य की उन परिष्कृत मानसिक क्रियाओं , व्यापारों और अभिव्यक्तियों (expressions) का नाम है , जिन्हें वह साक्ष्य के रूप में देखता है ?

उत्तर - यह तत्व मानवीय संस्कृति के अंग माने जा सकते हैं , बशर्ते कि इनकी पुष्टि के लिए ठोस , पुरातात्विक (प्रत्यक्ष तथा परोक्ष) अवशेष उपलब्ध हों । केवल मान्यताओं के बलबूते पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

भारतीय संस्कृति का मूल आधार मानव की जीविकोपार्जन से सम्बन्धित गतिविधियाँ हैं । इन गतिविधियों में उत्पादन की गतिविधियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के परिणामस्वरूप ही मनुष्य अन्य क्रियाओं की तरफ़ आकर्षित हुआ । इन गतिविधियों में वे क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती हैं , जो धर्म , साहित्यिक रचनाओं तथा अन्य इसी प्रकार की क्रियाओं से सम्बन्धित हैं ।

प्रश्न - क्या भारतीय संस्कृति के कार्यक्षेत्र में सनातन हिन्दू वैदिक धर्म आता है ?

उत्तर - यह निश्चित तौर पर उसका एक अंग है ।

प्रश्न - क्या भारतीय संस्कृति के कार्यक्षेत्र में भारतीय दर्शन आता है या नहीं ?

उत्तर - यह भी भारतीय संस्कृति का एक पहलू है ।

प्रश्न - क्या भारतीय संस्कृति में भारतीय कला (क्राफ्टमैनशिप) , वास्तुकला , गृहनिर्माण की शैली एवं मन्दिर निर्माण की शैली आती है ?

उत्तर - ये सभी भी भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंगों में से हैं ।

प्रश्न - क्या भारतीय संस्कृति में भाषा , शिक्षा , भाषा एवं लिपि का भी कार्यक्षेत्र है ?

उत्तर - उनके स्थान को भी नकारा नहीं जा सकता है ।

प्रश्न - क्या भारत के प्राचीन धार्मिक संस्थान भी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

Shapran

उत्तर - काल विशेष में यह भी भारतीय संस्कृति के अन्य अंग के रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं ।

" कल्चर" कोई स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन के दौरान नहीं पढ़ाया जाता है । वस्तुतः संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन , विभिन्न पेपर्स में ही अध्ययन किया जाता है ।

प्रश्न - आपने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ - पत्र की धारा - 1 में जो शब्द समूह एशियंट हिस्ट्री , कल्चर एण्ड आर्कियोलाजी लिखा है , उसमें कल्चर से सम्बन्धित कार्यक्षेत्र भारतीय धर्म , भारतीय दर्शन , भारतीय कला , भारतीय भाषा (लिपि) के विषय में एम0 ए0 की कक्षाओं में कोई पढ़ाई आपने की थी ?

उत्तर - एम0 ए0 प्रथम वर्ष में अध्ययन के चार विषय (पेपर्स) होते थे । उनमें से एक विषय " भारतीय दर्शन का अध्ययन " नाम से होता था । ठीक वैसे ही एम0 ए0 द्वितीय वर्ष में अध्ययन के कई विषय होते थे । उनमें से दो विषय भारतीय अभिलेख शास्त्र एवं मुद्रा शास्त्र होते थे और होते हैं , जिनके अध्ययन के लिए प्राचीन काल में प्रचलित लिपियों के सम्बन्ध में अध्यापन कराया जाता था । इसी प्रकार एक अन्य विषय इण्डियन आर्ट एवं आर्किटेक्चर (कला एवं भवन निर्माण कला) भी पढ़ाया जाता था , जिसमें भारतीय कला और भारतीय भवन निर्माण कला पर गहन अध्ययन कराया जाता था । परन्तु यह अन्तिम विषय मेरे अध्ययन का विषय नहीं था। इसी प्रकार से दो विषय भारतीय प्रागैतिहास एवं भारतीय प्राक इतिहास का अध्ययन भी होता था । इन सभी विषयों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के विषय में अध्ययन करने का अवसर मिला ।

प्रागैइतिहास विषय को प्रो0 उदयवीर सिंह , भारतीय इतिहास को प्रो0 सूरजभान , भारतीय अभिलेख शास्त्र को प्रो0 मन्तोष कुमार चौधरी

P. Shaqran

और भारतीय मुद्रा शास्त्र को दिवंगत प्रो0 सीलक राम पढ़ाते थे । प्रो0 सूरज भान विगत दस वर्षों से रिटायर हो चुके हैं । प्रो0 सूरजभान वही हैं , जिनका बयान इस न्यायालय में हो चुका है ।

भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये पुरातात्विक तथा साहित्यिक हैं । भारतीय प्राचीन इतिहास तथा प्राचीन भारतीय इतिहास में अन्तर है । जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास कहते हैं ,तो इसका तात्पर्य ऐसा लगता है कि भारत प्राचीन काल से ही इसी नाम से जाना जाता रहा हो ,जबकि भारतीय प्राचीन इतिहास इस बात की तरफ़ संकेत करता है कि जो वर्तमान भारत देश है , उसके भूखण्ड पर रहने वाले प्राचीन काल में रहने वाले लोगों का इतिहास है । उपरोक्त दोनों इतिहासों के एक काल विशेष के अध्ययन के लिए ऋग्वैदिक साहित्य को जानने का एक आधार है ।

मेरी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र की धारा 1 में उल्लिखित मिर्ज़ापुर के उत्खनन की अन्तरिम रिपोर्ट ए0एस0आई0 को भेजी गई थी ,परन्तु राजा कर्ण के क़िले के उत्खनन की कोई रिपोर्ट ए0एस0आई0 को उस समय नहीं भेजी गई।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

7.11. 2005

मेरे बोले जाने पर आशुलिपिक द्वारा खुले न्यायालय में टाईप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दि0 8.11.2005 को प्रस्तुत हो।

(हरि शंकर दूबे) 7.11.2005

आयुक्त

7.11.2005

समक्षः आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/विशेष कार्याधिकारी,
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ पीठ, लखनऊ

(अन्य मूल वाद सं0-4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में मा0 विशेष पूर्ण पीठ के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा नियुक्त)

दिनाँक 08.11.2005 पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0ठाकरान

(पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांक -07.11.2005 के क्रम में अन्य मूल वाद सं0-3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री तरुणजीत वर्मा, एडवोकेट द्वारा जारी)

ग्राम मिर्ज़ापुर तथा कर्ण का क़िला के उत्खनन में मैंने ट्रेनी (विद्यार्थी) की हैसियत से भाग लिया था । आमतौर पर इस प्रकार के उत्खनन में केवल टीम लीडर का नाम जाता है , प्रशिक्षुओं (ट्रेनीज़) का नाम रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं होता है । सामान्य रुप से यदि भारतीय पुरातत्व विभाग को उत्खनन की कोई रिपोर्ट भेजी जाती है, तो उसे उसी रुप में स्वीकार कर लिया जाता है तथा इसे प्रकाशित भी कर दिया जाता है । यदि उत्खननकर्ताओं की इन्टीग्रिटी पर शक नहीं किया जाता है तो उस दशा में उत्खनन की रिपोर्ट,पारदर्शिता को ही दर्शाती है । मैंने ग्राम मिर्ज़ापुर तथा राजा कर्ण का क़िला के उत्खननों में भाग लेने के अलावा और किसी उत्खनन में भागीदारी नहीं की है, परन्तु बहुत से उत्खननों के दौरान मैंने दो-चार दिनों के लिए उन्हें देखा है ।

प्र0- क्या आज तक के आपके अनुभव में आपने किसी भी उत्खनन के दौरान टीम-लीडर के रुप में कार्य नहीं किया है ?

उ0- आमतौर पर खुदाई करने के लिए एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है। खुदाई का कार्य प्रारम्भ करने से पहले भारतीय पुरातत्व विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ती है । स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही एक व्यक्ति किसी उत्खनन के लीडर के रुप में काम कर सकता है । मुझे कभी इस तरह का अवसर नहीं मिला ।

प्र0- क्या टीम-लीडर के रुप में कार्य करने की आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई ?

उ0- जिस समय मैं अपने शोध-कार्य में लगा हुआ था और मेरे द्वारा अनेक स्थल सर्वेक्षण के दौरान खोज निकाले गये, उसी दौरान मेरी चाहत थी कि खोज किये गये कुछ स्थलों पर ट्रायल ट्रेंच लगाकर उत्खनन किया जाये, परन्तु इसके लिए पुरातत्व विभाग से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है और जिस समय इस आशय का पत्र पुरातत्व विभाग भेजा गया, उस पत्र पर पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई फ़ैसला नहीं किया गया । अतएव मेरे उत्खनन-लीडर के रुप में कार्य करने का अवसर बराबर बाधित रहा ।

प्र0- टीम लीडर होने के लिए किसी योग्यता (इलिजिबिलिटी) की आवश्यकता होती है ?

उ0- निश्चित तौर पर इस तरह का कार्य करने के लिए एक न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है । इस योग्यता में होने वाले उत्खननकर्ता को पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल होनी चाहिए और उत्खनन की तकनीकों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए । इसके साथ ही साथ उत्खनन का कुछ व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए ।

प्र0- तो क्या आपके पास उपरोक्त प्रकार की योग्यता नहीं थी, जिसके कारण आप टीम-लीडर नहीं बन पाये ?

उ0- मेरे पास टीम-लीडर बनने की सभी योग्यताएं उपलब्ध थीं, फिर भी यह अधिकार भारतीय पुरातत्व विभाग के पास ही निहित होता है कि वे अमुक परिस्थितियों में किसी को इजाज़त दें या न दें ।

प्र0- क्या ए0 एस0 आई0 अपने आप में एक स्वतंत्र विभाग है अथवा वह किसी मंत्रालय द्वारा गवर्न होता है ?

उ0- भारतीय पुरातत्व विभाग अपने आप में स्वतंत्र विभाग नहीं है, अपितु वह भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है ।

प्र0- क्या ए0एस0आई0 विभाग में जो नियुक्तियां होती हैं, उसके लिए कोई स्वतंत्र परीक्षा होती है अथवा संस्कृति विभाग के द्वारा उन लोगों की नियुक्ति होती है ?

उ0- सामान्य तौर पर इस विभाग में नियुक्तियों के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है, परन्तु निश्चित तौर पर कुछ पदों पर नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार होता है और इस साक्षात्कार को यू0पी0एस0सी0 कण्डक्ट कराती है।

यह साक्षात्कार राष्ट्रीय स्तर पर ही होता है । इसमें बाहर के देशों के लोग भाग नहीं लेते हैं । केवल भारतीय नागरिक ही इसमें भाग ले सकते हैं ।

प्र0 - क्या यदि कोई भारतीय विदेश में रहकर पढ़ रहा है, तो वह उपरोक्त साक्षात्कार में हिस्सा ले सकता है ?

उ0- ऐसे वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी शैक्षणिक डिग्रियां विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त की हैं और उनको भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा

मान्यता प्राप्त होती है, तो वे इस तरह के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार माने जाते हैं ।

प्र0- क्या यू0पी0एस0सी0 द्वारा ए0 एस0 आई0 में भर्ती के लिए केवल एक पद के लिए ही साक्षात्कार होता है अथवा अन्य पदों के लिए भी साक्षात्कार होता है ?

उ0- पुरातत्व विभाग में पुरातात्विक कार्यों के लिए जो भी महत्वपूर्ण तकनीकी पद होते हैं,सम्भवतः उन सभी के लिए यू0पी0एस0सी0 के द्वारा ही साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं ,परन्तु यह प्रक्रिया आज-कल (हाल के समय) (रिसेंट टाइम) में प्रारम्भ हुई है । इससे पहले इस तरह की प्रायः सभी नियुक्तियां पुरातत्व विभाग के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा ही की जाती थीं ।

प्र0- क्या ए0 एस0 आई0 द्वारा उपरोक्त रीति से जो नियुक्तियां की जाती हैं,उसके ऊपर क्या कभी शक किया गया है ?

उ0- मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

प्र0- ए0 एस0 आई0 द्वारा अयोध्या में किये गये उत्खनन के अतिरिक्त उनके द्वारा भारतवर्ष में कहीं पर भी किये गये किसी और उत्खनन के बारे में शक व शुबहा किया गया है ?

उ0- जब भी कभी भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किसी या किन्हीं पुरास्थलों पर खुदाई प्रारम्भ की जाती है, खुदाई प्रारम्भ करने के अपने कुछ मूलभूत उद्देश्य होते हैं। खुदाई सम्पन्न होने के बाद जब भी कभी इसके संबंध में कोई भी सूचना पुरातत्व विभाग के द्वारा या उत्खनन के लीडर के द्वारा दी जाती है और सूचना प्राप्त होने पर इस विषय में रुचि रखने वाले जिस किसी व्यक्ति को भी उत्खनित जानकारी और उद्देश्यों में तालमेल दिखाई नहीं देता

है या प्रदत्त जानकारी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण का अभाव नज़र आता है या फिर इस तरह की सूचना किसी ख़ास संकुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर दी जाती है, तब- तब इस तरह की खुदाइयों पर संदेह व्यक्त किया जाता है । मेरी जानकारी में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनित अनेक स्थल हैं, जिन पर समय-समय पर विभिन्न पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा ऐसा संदेह व्यक्त किया गया है ।

प्र0- आप किये गये प्रश्न का उत्तर सीधे ढंग से न देकर घुमा-फिराकर क्यों दे रहे हैं?

उ0- मैं केवल वही उत्तर दे रहा हूँ,जो मुझे सवाल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतीत हो रहा है ।

मैंने अपने सेवाकाल में ट्रेंच-सुपरवाइज़र के रुप में मिर्ज़ापुर में कार्य किया है । कल मैंने अपने बयान में यह बताया है कि मिर्ज़ापुर में ट्रेनी के रुप में भाग लिया था, परन्तु एक ट्रेनी भी ट्रेंच- सुपरवाइज़र के रुप में कार्य कर सकता है । जिस समय मैंने ट्रेंच सुपरवाइज़र के रुप में कार्य किया था,उस समय मैंने यह कार्य विद्यार्थी की हैसियत से ही किया था ।

प्र0 - क्या ट्रेनी व ट्रेंच सुपरवाइज़र के कार्य में कोई भिन्नता या अन्तर होता है ?

उ0- ट्रेनीज़ में से ही अनेक लोगों को ट्रेंच सुपरवाइज़र का कार्य भी सौंपा जाता है ,लेकिन निश्चित तौर पर एक ट्रेंच सुपरवाइज़र और ट्रेनी सुपरवाइज़र - दोनों में अन्तर सहज रुप से समझा जा सकता है या यह अन्तर किया जा सकता है ।

प्र0- मैंने आपसे स्पष्ट रुप से यह पूछा था कि ट्रेनी और ट्रेंच सुपरवाइज़र में क्या विभिन्नताएं होती हैं ?

उ0-इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है ।

प्र0- क्या कुरुक्षेत्र में राजा कर्ण का क़िले का जो उत्खनन हुआ था, उस उत्खनन से पूर्व ए0एस0आई0 से कोई पूर्व अनुमति ली गई थी ।

उ0- निश्चित रुप से यह अनुमति ली गई थी, बग़ैर ऐसी अनुमति के ऐसा उत्खनन कार्य नहीं कराया जा सकता है ।

प्र0- राजा कर्ण के किले (कुरुक्षेत्र) में जो उत्खनन किया गया था, उसकी रिपोर्ट ए0 एस0 आई0 को क्यों नहीं भेजी गई । इसका क्या कारण था ?

उ0- इस सवाल का कारण बताने में मैं सक्षम नहीं हूँ ,क्योंकि यह फ़ैसला उत्खननकर्ताओं के लीडर के द्वारा लिया जाता है।

प्र0- राजा कर्ण के क़िले की खुदाई की रिपोर्ट ए0 एस0 आई0 को क्यों नहीं भेजी गई, इसके बारे में अपनी तरफ़ से जानकारी प्राप्त करने का आप द्वारा कोई प्रयत्न किया गया था ?

उ0- उस समय मैं एक विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा था, इसलिए इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा मुझे कभी नहीं हुई और यह मेरे कार्य-सीमा के बाहर भी था ।

प्र0- आपने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ - पत्र की धारा-1 में पृष्ठ -2 पर तीसरी लग़ायत पांचवीं पंक्ति में यह कहा है कि आपने आर्कियोलोजी में पीएचडी0 सन् 1993 में किया था। आपके शोध का विषय क्या था ?

उ0- मेरे शोध का विषय " प्रोटोहिस्टारिक सेटिलमेंट पैटर्नस इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट आफ़ हरियाणा" था ।

प्र0- आप अपने अध्ययन काल में तथा कार्यकाल में इतिहास या पुरातत्व के संबंध में जानकारी या अध्ययन किसी विशेष तथ्य के संबंध में रहा है ?

Chairman

उ0- मेरे शोध व अध्ययन का विषय मुख्य रुप से आर्कियोलोजी और सेटिलमेंट पैटर्नस् - विषयों पर रहा है ।

प्र0-" सेटिलमेंट पैटर्नस्" से आपका तात्पर्य क्या है ?

उ0- इस विषय के अन्तर्गत प्राचीनकाल में या पश्चावर्ती काल में मानव के द्वारा एक क्षेत्र विशेष में अपने रहने तथा जीवन-यापन करने के उद्देश्यों से जो बस्तियां अमुक स्थानों पर बसायी गईं,उन बस्तियों की भौगोलिक परिस्थितियों और मानव के तकनीकी विकासों के सन्दर्भ में अध्ययन किया जाता है।

प्र0-क्या आपका अध्ययन किसी विशिष्ट एरा अथवा युग के सन्दर्भ में रहा है?

उ0- इतिहास का अध्ययन केवल मात्र पश्चात- काल या भूतकाल से ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि यह अध्ययन भूत, वर्तमान और भविष्यत् कालों से संबंधित होता है । ऐसी स्थिति में, हालांकि मेरे विशेष अध्ययन का काल प्राक् या आद्य इतिहास व ऐतिहासिक काल रहे हैं, लेकिन इस अध्ययन के दौरान अन्य कालों के संबंध में कुछ अध्ययन करना तो आवश्यक होता ही है।

प्र0 - आप सवाल के जवाब में कारण पहले देते हैं तथा प्रश्न का उत्तर बाद में देते हैं, ऐसा क्यों ?

उ0- सवाल का जवाब ठीक रुप से समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि (बैकग्राउण्ड) को समझना आवश्यक होता है,इसीलिए मैं जवाब को सही सन्दर्भ में पेश करने के लिए ऐसा करता हूँ ।

प्र0- आपने अपना नाम आर0सी0 ठाकरान बताया है। आपकी जाति (कास्ट) क्या है ?

उ0-मैं यह महसूस करता हूँ कि इस सवाल का जवाब देना या जवाब देने के लिए मैं वैधानिक तरीक़े से बाध्य नहीं हूँ ,लेकिन इसके बावजूद इस

सन्दर्भ में मैं अपना पक्ष जन-सामान्य की संतुष्टि के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पैदा होना किसी के वश में नहीं है और मैं इसी वजह से एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ,जिसका जाट समुदाय से संबंध है ।

प्र0- आप स्वयं को क्या मानते हैं ?

उ0- ज़ाहिर है कि मैं आदमी के रुप में यहाँ पर उपस्थित हूँ और अपने को एक साधारण आदमी के रुप में मानता हूँ ।

प्र0- क्या आप अपने को हिन्दू मानते हैं?

उ0- जैसा कि मैंने उपरोक्त बयान में स्पष्ट किया है कि पैदा होना मनुष्य के अपने वश में नहीं होता है,हालांकि पैदा होने के बाद मनुष्य यह महसूस करता है कि वह केवल मात्र एक आदमी ही नहीं है, अपितु वह जाट भी है और उसका अपना एक धर्म भी है, परन्तु जैसे-जैसे जानकारी बढ़ती गई,मुझे इसकी व्यर्थता का एहसास भी हुआ और इसीलिए मैं केवल मात्र अपने को एक मानव के रुप में ही पाता हूँ । मेरा किसी धर्म से न कोई विरोध है और न ही सरोकार है ।

प्र0 - मेरा स्पष्ट यह प्रश्न था कि" क्या आप अपने को हिन्दू मानते हैं", परन्तु आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है,कृपया इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब दें ?

उ0- हालांकि मैं इसका स्पष्ट जवाब ऊपर अपने बयान में दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी सभी संबंधित सज्जनों की संतुष्टि के लिए मैं एक बार फिर यह दोहराना चाहता हूँ कि मेरा किसी धर्म से न कोई विरोध है , न कोई विशष लगाव है । मैं किसी भी धार्मिक विश्वास में आस्था नहीं रखता हूँ ,जिसमें हिन्दू धर्म को भी सम्मिलित माना जाये ।

प्र0- अभी आपने ऊपर अपने आज ही के बयान के पेज-40 पर यह कहा है" सभी संबंधित सज्जनों की संतुष्टि के लिए मैं एक बार फिर दोहराना चाहता

हूँ", तो क्या आप अपनी गवाही संबंधित सज्जनों की संतुष्टि के लिए दे रहे हैं ?

उ0- मैंने अपना बयान माननीय न्यायालय में उपस्थित सभी सज्जनों की संतुष्टि के लिए दोहराया है ।

मेरे आज ही के बयान में" जाट" शब्द का प्रयोग किया गया है । यह "जाट" शब्द किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है ।

विवादित स्थल पर हुए उत्खनन जो ए0एस0आई0 द्वारा किया गया था,के पूर्व भी मैं एक बार अयोध्या गया था । सम्भवतः मैं सन् 1991 में अयोध्या गया था ।

प्र0- क्या जब आप सन् 1991 में अयोध्या गये थे, तो आपने अयोध्या में रामजन्मभूमि को देखा था ?

उ0- मैंने उस समय विवादित मानूमेंट को भी देखा था ।

प्र0- क्या आपने इस मानूमेंट को इसके अन्दर जाकर क़रीब से देखा था ?

उ0- उस समय मैंने इस मानूमेंट को अन्दर व बाहर से देखा था ।

मुझे आर्किटेक्चर का बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन पुरातत्व व इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते थोड़ी-बहुत जानकारी तो है । विवादित मानूमेंट को जब मैंने देखा था, तब आर्किटेक्चर की दृष्टि से मुझे यह महसूस हुआ कि यह मानूमेंट एक मस्जिद के रुप में है ।

प्र0- तो क्या मंदिर व मस्जिद को आप डिफरेंसिएट कर सकते हैं ?

उ0- उमूमन, मेरे द्वारा ऐसा किया जा सकता है ।

जिस समय मैं सन् 1991 में अयोध्या गया था,उस समय वहां जाने का मेरा उद्देश्य इस विवादित मानूमेंट के विषय में फ़र्स्टहैण्ड इन्फ़ार्मेशन प्राप्त करना था क्योंकि इस विवादित मानूमेंट के बारे में अक्सर एकेडमिक व अन्य

क्षेत्रों में चर्चा होती रहती थी और मुझे इस विवादित मानूमेंट के उस वक़्त के वास्तविक स्वरुप के बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट रुप से नहीं थी । सन् 1991 में मैं अयोध्या अपने मन से अपनी जानकारी व संतुष्टि के लिए गया था । उस समय विवादित मानूमेंट को जितना अपनी क्षमता के आधार पर ध्यान से देखा जा सकता था, मैंने उस तरह से देखा था । मुझे इस बात की जानकारी है कि अयोध्या में सन् 2003 में ए0 एस0 आई0 द्वारा जो उत्खनन किया गया था, उसके पूर्व भी अयोध्या में उत्खनन हुआ था । यह उत्खनन कब हुआ था, इसके समय को मैं संभवतःनहीं बता पाऊँगा,परन्तु मुझे यह ज्ञात है कि पुरातत्व से संबंधित दो महत्वपूर्ण विभागीय इकाइयों के द्वारा यहां पर उत्खनन किये जा चुके थे। 2003 के पूर्व हुए उत्खननों के संबंध में जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा निश्चित तौर पर रही है और उस वक़्त जो भी जानकारी उपलब्ध हो सकती थी,उसको जानने की कोशिश मैंने किया था । सन् 2003 से पूर्व अयोध्या में हुए उत्खनन के संबंध में मैंने जो जानकारी हासिल की, वह बहुत अधिक थी, लेकिन उसके कुछ अंश मैं यहां पर पेश करना अवश्य चाहूँगा। इस स्थल पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के तत्वावधान में तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रो0 बी0बी0लाल की लीडरशिप में यहां पर उत्खनन-कार्य करवाया गया था । इन दोनों ही उत्खननों के परिणामस्वरुप यह पाया गया कि सबसे प्रारम्भिक चरण में इस स्थान पर जिन मनुष्यों ने अपनी बस्ती बनायी, वे मनुष्य एक ख़ास तरह के मृदभाण्डों (क्ले-पाटरी) (सिरेमिक वेयर्स),जिसको धूसर मृदभाण्ड (ग्रे-वेयर्स) कहा जाता है, पाये गये थे । इसके पश्चात् द्वितीय चरण में यहां पर कुषाण काल की बस्ती के अवशेष पाये जाते हैं । बाद के कालों में कुछ ईंट के बने

तथाकथित चबूतरेनुमा छोटे स्थल भी पाये गये ,जिनका उस समय उत्खननकर्ता प्रो0 वी0बी0 लाल के द्वारा किसी काल विशेष के ढाँचे से संबंध स्थापित नहीं किया गया । सन् 2003 के पूर्व अयोध्या में हुए ये दोनों उत्खनन अलग-अलग विभागीय इकाइयों के उद्देश्यों की पुरातात्विक दृष्टि से कराये गये थे । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा किये गये उत्खनन संबंधी जानकारी मुझे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग से ही देखने को मिली, जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किये गये उत्खनन की जानकारी विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से हुई थी ।

सन् 2003 के पूर्व अयोध्या में जो उत्खनन हुआ था तथा जिसके संबंध में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो सामग्री प्रकाशित की गयी, उसको मैंने पढ़ा था। सन् 1970 से 1980 के बीच के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने कुछ विशेष योजनाओं के तहत रामायण से संबंधित कुछ पुरास्थलों पर उत्खनन कराया था। विशेष रूप से इस योजना से संबंधित उत्तर भारत के उत्खननों के कुछ विषयों की मुझे जानकारी है। विषयों से मेरा तात्पर्य उत्खनन स्थल से है। लेकिन फिर भी यह जानकारी इस वक्त समुचित नहीं कही जा सकती है। रामायण से संबंधित तथाकथित स्थलों के उत्खनन के संबंध में प्रो0 ब्रजवासी लाल को नियुक्त किया गया था,इसकी जानकारी मुझे है।" तथाकथित " से मेरा तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से सभी पुरातत्ववेत्ता व इतिहासकार इस बात से संतुष्ट/सहमत नहीं है कि जिन स्थलों पर इस योजना के तहत खुदाई करवाई गयी थी,वे सभी स्थल रामायण काल से ही संबंधित रहे हों। प्रो0 बी0बी0लाल ने अयोध्या में 14 स्थानों पर उत्खनन का कार्य किया था,इसकी जानकारी मुझे नहीं है, परन्तु उनमें से कुछ स्थलों के बारे में मुझे जानकारी है,जैसे कि बाबरी मस्जिद -रामजन्मभूमि

पुरास्थल। मुझे इस संबंध में ठीक से स्मरण नहीं है कि प्रो0 बी0बी0लाल ने जब अयोध्या में उत्खनन का कार्य किया था,तब वे भारतीय पुरातत्व विभाग में किसी पद पर नियुक्त थे। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है,वे जीवाजी विश्वविद्यालय में उस समय प्रोफ़ेसर थे।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान आज ही पृष्ठ 42 पर दिये गये बयान के अंश " भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रो0बी0बी0लाल की लीडरशिप में जहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया था " पर आकृष्ट किया," साक्षी ने इसे पढ़ने के बाद बताया कि यह खुदाई प्रो0 बी0बी0लाल के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग की योजना के अन्तर्गत ही हुई थी।

प्रश्न- उपरोक्त संदर्भित अंश में जो बयान आप द्वारा दिया गया है,क्या आप उससे सहमत हैं?

उत्तर- मैं इस बात से इस तरह से सहमत हूँ कि यह योजना भारतीय पुरातत्व विभाग की थी और भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस योजना के तहत खुदाई करने का ज़िम्मा प्रो0 बी0बी0लाल को ही दिया था। इसलिए यह खुदाई प्रो0 बी0बी0लाल ने भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ़ से ही करवाई थी। मैं अपने उपरोक्त संदर्भित बयान से पूरी तरह से सहमत हूँ। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खुदाई का उत्तरदायित्व मुझे नहीं दिया था, प्रो0 बी0बी0लाल को अपना प्रतिनिधि समझ कर दिया था।

प्रो0 बी0बी0लाल की सत्यनिष्ठा(एंटीग्रिटी) पर संदेह इस आधार पर किया गया है कि जिस तरह से साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर खुदाई का कार्य कुछ पुरास्थलों पर किया गया,उसी बात पर संदेह व्यक्त किया गया। जो संदेह व्यक्त किया गया,इसके पीछे वैज्ञानिक ,शैक्षणिक तत्वों का अभाव पाया गया, क्योंकि जिस रामायण के आधार पर यह खुदाई

करवाई गयी,पहले उस रामायण नामक रचना को ही वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषित करने की आवश्यक्ता थी, जो नहीं की गयी और इस ग्रन्थ की सत्यता को तथा इसके विभिन्न चरणों की रचनाओं के कालों की जाँच किये बग़ैर ही उसको मौलिक ग्रन्थ के रूप मे सत्य मान लिया गया था।

रामायण मेरी दृष्टि में एक रचना है। जिसे महाकाव्य कहा जाता है। कुछ प्रदेशों में इसको धार्मिक ग्रन्थ के रूप में भी माना जाता है,जिसका अर्थ यह है कि सभी प्रदेशों में एक समान रूप से इस दृष्टि से इसको नहीं स्वीकारा जाता है। दिल्ली तथा हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रामायण का आंशिक प्रभाव ही पाया जाता है। यह कहना ग़लत है कि दिल्ली तथा हरियाणा में हिन्दू धर्म के लोगों की संख्या कम है ,इस कारण वहाँ पर रामायण का आंशिक प्रभाव है।

प्रो० ए०के०नारायण द्वारा जो उत्खनन अयोध्या में किया गया था,उसकी उपलब्धियों की सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं किया गया था। प्रो० ए०के०नारायण की रिपोर्ट का सारांश (जिस्ट) मैं इस वक्त नहीं बता पाऊँगा। प्रो०ए०के० नारायण की रिपोर्ट में किस काल(ऐरा) का उल्लेख किया गया है,इसके बारे में मुझे धुंधली याद है,वह यह है कि सबसे प्रारम्भिक चरण में यहाँ पर एक विशेष प्रकार के मृद्भांड(ग्रेवेयर) का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की बस्ती के रूप में पाया गया। दूसरे चरण में कुषाण काल के अवशेष पाये गये। उपरोक्त ग्रेवेयर्स के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकती है, परन्तु यह तो कहा ही जा सकता है कि एक विशेष काल में इस तरह के मृद्भांडों का प्रचलन पाया जाता है। जिसका तात्पर्य यह है कि कुषाण काल के पूर्व ही वहां पर हैबीटेशन(बस्ती) था। कुषाण काल में जो लोग थे,उनका धर्म क्या था,इसकी जानकारी प्राप्त

की जा सकती है। इस काल के उपलब्ध साक्ष्यों में इस तरह के संकेत मिलते हैं। कुषाण काल में धर्म से संबंधित एक विशेष प्रकार की मिश्रित प्रथा या मिली - जुली प्रथा का संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है, जिसके रूप में कुषाण शासक कनिष्क को उसके अपने सिक्कों पर एक विशेष स्थिति में खड़े हुए दर्शाया जाता है या दर्शाया गया है। इस मुद्रा में कनिष्क अचकन पहने हुए है। पैरों में लम्बे जूते पहने हुए है। उसके हाथों में आहुति देने के लिए कुछ सामग्री दिखाई देती है अर्थात् आहुति देने की मुद्रा में उसके हाथ दिखाई देते हैं और उसके सामने एक यज्ञ वेदी का चिन्ह दिखाई देता है। इस मुद्रा से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर तत्कालीन दो धार्मिक प्रवृत्तियों का मिश्रण या सम्मेलन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सामान्य रूप से भारतीय परम्परा के अनुसार यज्ञ में आहुति देते समय जूते धारण नहीं किये जाते हैं।

ऊपर बयान में मैंने जिन दो मिश्रित धर्मों का उल्लेख किया है, उनमें कुषाणों का तथा भारतीय वैदिक परम्पराओं का मिश्रण दिखाई देता है। जिस मुद्रा का मैंने उल्लेख किया है, उसको मैंने अयोध्या में नहीं देखा था, बल्कि कुषाण काल के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मुद्राओं में ऐसा देखने को मिलता है। मैंने उपरोक्त सिक्कों को म्यूज़ियम में तथा मुद्रा शास्त्र की पुस्तकों में देखा है। कुषाण काल फ़र्स्ट सेंचुरी ई० डी० तथा सेकेण्ड सेंचुरी ई० डी० में मुख्य रूप से माना जाता है। मुझे इस संबंध में अभी जानकारी नहीं है कि प्रो० ए०के०नारायण द्वारा अयोध्या में किये गये उत्खनन में कुछ पकी हुई ईंटे, नादर्न ब्लैक पालिश्ड वेयर (एन०बी०पी०डब्लू) प्राप्त हुए थे या नहीं। प्रो० बी०बी०लाल द्वारा किये गये उत्खनन में पुरातात्विक दृष्टि से क्या - क्या मिला था, उसके बारे में मैं आज ही के बयान में बता चुका हूँ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान रंगीन एलबम कागज़ संख्या 200 सी-1 के चित्र संख्या 39 व 40 पर आकृष्ट किया, साक्षी ने इसे देखने के बाद कहा कि चित्र सं0 39 में पीछे मस्जिद का हिस्सा दिखाई दे रहा है, गुम्बदनुमा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल इसको देखकर स्पष्ट रूप से कहना सम्भव नहीं है। मुझे यह याद नहीं आ रहा है कि जब मैं सन्1991 में अयोध्या गया था, तब विवादित भवन का उत्तरी द्वार मैंने देखा हो। मैं उस भवन के अंदर गया था। उस भवन के अंदर काले रंग के पत्थर के खंभे लगे हुए थे। इन काले पत्थरों को बसाल्ट स्टोन कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार की प्रकृति द्वारा सुघढ़ निर्मित पत्थर होता है। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है कि इसे कसौटी का पत्थर कहा जाता है या नहीं।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम -2 प्लेट संख्या 82 व 83 पर आकृष्ट किया, जिसे साक्षी ने देखने के बाद प्रश्न किये जाने पर बताया कि इन चित्रों को देखकर मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यह उसी काले पत्थरों के ही फ़ोटो हैं या नहीं। क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी का जो कमाल होता है उसमें काले को सफ़ेद व सफ़ेद को काला दिखाया जा सकता है। पुरातत्व विज्ञान अपने आप में एक निष्पक्ष विज्ञान है। परन्तु इस विज्ञान का प्रयोग करने वाला निष्पक्ष हो या न हो, इस बात की कोई गारण्टी नहीं होती है। अतएव पुरातत्व के लिए जो फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, उस पर भी यह लागू होता है। जब मैंने सन् 1991 में विवादित भवन को देखा था तब उस भवन में जो खंभे लगे हुए थे, वह काले पत्थर के थे जिस पत्थर को ब्लैक बसाल्ट कहा जाता है। सन्1991 में जब मुझे इस स्थल को देखने का मौक़ा मिला था और वहाँ पर मैंने जो काले रंग के पत्थर के खंभे देखे थे, उन पर कहीं -कहीं फूल पत्तियों के चित्र भी थे। मुझे उन खंभों पर

पशुओं या मनुष्यों के चित्र देखने को नहीं मिले थे। यह मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि उपरोक्त प्लेट संख्या 82 व 83 में जो खंभे नज़र आ रहे हैं, वही खंभे विवादित भवन में उस समय लगे थे अथवा नहीं जब मैंने सन्1991 में इसे देखा था।

मैंने मार्च 2003 से अगस्त, 2003 के बीच अयोध्या में हुए उत्खनन को देखा था। मैं इस खुदाई के दौरान तीन बार इस स्थल पर मौजूद रहा था, परन्तु उस दौर में उस तरह के खंभे जैसे उपरोक्त प्लेट संख्या 82 तथा 83 में नज़र आ रहे हैं,देखने को नहीं मिले थे।

उत्खनन के दौरान तीनों बार मिलाकर मैं कुल लगभग एक माह वहाँ पर रहा था।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

8.11. 2005

मेरे बोले जाने पर आशुलिपिक द्वारा खुले न्यायालय में टाईप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनांक 9.11.2005 को प्रस्तुत हो।

(हरि शंकर दूबे) 8.11.2005

आयुक्त

8.11.2005

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे,अपर ज़िला जज / विशेष कार्याधिकारी,
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ पीठ ,लखनऊ

(अन्य मूल वाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0 प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में मा0 विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा नियुक्त)

दिनाँक 09.11.2005 पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0 - 30 डा0, आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांक -08.11.2005 के क्रम में अन्य मूल वाद सं0 -3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री तरुणजीत वर्मा , एडवोकेट द्वारा जारी)

मोटे तौर पर मुझे यह याद है कि मैं मार्च,2003 के शुरू में अयोध्या गया था। उस समय खुदाई की शुरूआत हुई थी। मैं मार्च सन् 2003 के लगभग तीसरे सप्ताह तक अयोध्या में रूका था। उसके बाद दूसरी बार अप्रैल,2003 में अयोध्या में खुदाई के दौरान आया और फिर लगभग दूसरे व तीसरे सप्ताह वहाँ रहा। तीसरी बार अयोध्या में खुदाई के दौरान मैं मई,2003 के लगभग प्रथम सप्ताह में वहाँ पर पुनः आया था तथा खुदाई के दौरान उपस्थित रहा था। उसके बाद खुदाई के अंत तक मैं अयोध्या नहीं आया। तीनों बार मिलाकर मैं लगभग एक माह तक खुदाई के दौरान उपस्थित रहा। अयोध्या रहने के दौरान मैं विवादित स्थल पर हो रही खुदाई को देखता था। मैं वहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया था। इस संबंध में मैंने कोई आवेदन या प्रार्थना- पत्र किसी को नहीं दिया था। मैं विपक्ष की तरफ़ से उत्खनन के दौरान विशेषज्ञ की हैसियत से आया था। विपक्ष के लोगों का

नाम मुझे याद नहीं है,परन्तु उनमें मैं श्री जीलानी साहब,एडवोकेट को जानता हूँ। जब मैं उत्खनन स्थल पर जाता था तो उत्खन्न संबंधी कोई औज़ार या अन्य कोई सामग्री लेकर नहीं जाता था, क्योंकि उत्खनन करने से मेरा कोई संबंध नहीं था । मेरे अतिरिक्त विपक्ष की तरफ़ से अन्य विशेषज्ञ भी वहाँ पर उपस्थित रहते थे,उनमें से कुछ को मैं जानता हूँ। विपक्ष(मुस्लिम पक्ष) की तरफ़ से कुल कितने विशेषज्ञ रहे होगें,इसकी मुझे निश्चित जानकारी नहीं है और न ही मैंने इस संबंध में पता लगाने का प्रयत्न ही किया। उन विशेषज्ञों में मैं डा0 सुप्रिया वर्मा,डा0 जया मेनन,प्रो0 एस0ज़ेड0एच0जाफ़री को जानता भी हूँ और इनसे मेरी मुलाक़ात भी हुई। मैं एक और विशेषज्ञ से मिला था,परन्तु उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। जहाँ तक उपरोक्त तीन विशेषज्ञों को जानने का प्रश्न है,मैं प्रो0 एस0ज़ेड0एच0 जाफ़री को पहले से जानता था और मेरी मुलाक़ात भी उनके साथ थी। अन्य दो व्यक्तियों को मैं नाम से तो जानता था ,परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे खुदाई के पूर्व नहीं मिला था। सामान्य तौर पर जब-जब हम लोग खुदाई स्थल पर जाते थे,तब सुरक्षाकर्मियों के द्वारा एक स्थान पर ही नहीं,अपितु कई स्थानों पर पूछताछ की जाती थी तथा तलाशी भी ली जाती थी। जब मैं उत्खनन स्थल पर जाता था तब कभी-कभी वहां पर विपक्ष(मुस्लिम पक्ष) के अधिवक्ता उपस्थित रहते थे, परन्तु वे प्रत्येक तिथि को तथा प्रत्येक समय वहां पर उपस्थित नहीं रहते थे। मैंने ऊपर अपने बयान में जो " विपक्ष " शब्द का प्रयोग किया है उससे मेरा तात्पर्य मुस्लिम पक्ष से है। उत्खनन स्थल पर कोई बैग अथवा अन्य किसी प्रकार का " लगेज " लेकर नहीं जाने पाते थे। इसे ले जाना सम्भव ही नहीं था। केवल मात्र हम लोग अपना पेन,पेंसिल व राईटिंग पैड लेकर वहाँ पर जाते थे। उत्खनन स्थल पर जो भी व्यक्ति आते थे उनकी पहचान की जाती थी तथा इस हेतु सरकार की तरफ़ से वहाँ पर

एक पदाधिकारी उपस्थित रहता था। जिस प्रकार मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तथा विशेषज्ञ उत्खनन स्थल पर रहते थे उसी प्रकार हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता व विशेषज्ञ भी वहाँ पर रहते थे।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम प्रथम (टेक्सट) के मुख्य पृष्ठ पर आकृष्ट किया,साक्षी ने बताया कि हरि मांझी व बी0आर0मणि का नाम लिखा हुआ है,इन लोगों में से मैं श्री बी0आर0मणि को अयोध्या उत्खनन के पूर्व से जानता था। मणि साहब से मेरा परिचय है,इनके नेतृत्व में नई दिल्ली में लालकोट नामक पुरास्थल पर किये जा रहे उत्खनन के दौरान इनसे मेरा परिचय हुआ था। हरि मांझी साहब से मेरा उत्खनन के पूर्व कोई परिचय नहीं था और न ही उत्खनन के दौरान उनसे मेरा कोई परिचय हुआ। उपरोक्त मुख्य पृष्ठ पर " विद कन्ट्रीब्यूशन फ़ार्म " लिखा हुआ है, उसके नीचे जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं उनमें से मैं श्री पी0के0त्रिवेदी, श्री सी0बी0मिश्रा, श्री नीरज सिन्हा को ही उत्खनन के पूर्व से जानता था। इन लोगों से मेरी मुलाकात उत्खनन के पूर्व से ही थी।

प्रश्न- क्या श्री बी0आर0मणि,श्री पी0के0त्रिवेदी,श्री सी0बी0मिश्रा तथा नीरज सिन्हा के सत्यनिष्ठा पर अयोध्या में सन् 2003 में हुए उत्खनन के पूर्व हुए किसी उत्खनन के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया था?

उत्तर- मुझे इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सभी मेरे परिचित पुरातत्ववेत्ता कितने उत्खनन स्थलों से कहाँ-कहाँ और कब-कब संबंधित रहे थे। सामान्य तौर पर पुरातात्विक उत्खननों में ,विशेष तौर से भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किये जाने वाले उत्खननों में उत्खनन की टीम में अनेक सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसलिए यह मैं नहीं कह सकता हूं कि यह माननीय सदस्य किन-किन उत्खनित स्थलों से जुड़े हुए रहे हैं। लेकिन फिर

भी मैं यह कह सकता हूं कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई इस स्थिति में प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि इनकी एंटीग्रेटी(सत्यनिष्ठा) पर संदेह किया गया हो।

जिस प्रकार का उत्खनन अयोध्या में सन् 2003 में हुआ था तथा जिसमें उत्खनन स्थल धार्मिक रूप से विवादित रहा हो और माननीय न्यायालय के द्वारा इस संबंध में आदेश दिया गया हो, इस प्रकार के उत्खनन की जानकारी मुझे नहीं है।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान उनके मुख्य परीक्षा के शपथ - पत्र की धारा-2 पर आकृष्ट किया, साक्षी ने इसे पढ़ने के बाद प्रश्न किये जाने पर बताया कि विवादित स्थल पर उत्खनन किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी मुझे समाचार - पत्रों एवं टी.वी. के माध्यम से हुई थी। विवादित स्थल पर हुए उत्खनन की टीम का गठन ए0एस0आई0 के निदेशक द्वारा किया गया था अथवा यह किसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन यह पुरातत्व विभाग इस संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही आता है। इसलिए यह सम्भावना तो हमेशा ही रह सकती है कि दोनों विभागों द्वारा आपसी सलाह - मशविरा के बाद ही उत्खनन करने वाली टीम का गठन किया गया हो। अयोध्या में सन् 2003 में विवादित स्थल पर किये गये उत्खनन की टीम के सदस्य मेरी जानकारी के अनुसार प्रमुखतया भारतीय पुरातत्व विभाग के ही थे। भारतीय पुरातत्व विभाग का हेड आफिस केवल एक है, परन्तु इसके सर्किल कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं।

किसी भी स्थान पर उत्खनन करने के लिए उत्खननकर्ताओं की टीम का गठन होना चाहिए। लेकिन गठन किन सदस्यों और किस तरह के विशेषज्ञों का किया जाता है, उसका अपना एक विशेष महत्व रहता है। मैं

मिर्ज़ापुर तथा राजा कर्ण का क़िला के जिन दो उत्खननों में सम्मिलित हुआ था,उन उत्खननों में उत्खननकर्ताओं की टीम का गठन किया गया था। पुरातत्व के उत्खनन की टीम का शायद ही कोई ऐसा नेता(टीम लीडर) हो,जिसको खुदाई से प्राप्त सामग्री के अध्ययन व विश्लेषण के लिए आवश्यक सभी जानकारियाँ उपलब्ध हों। सामान्य तौर पर टीम लीडर की मदद के लिए उत्खनन की आवश्यकताओं के अनुसार उत्खनन व अध्ययन के लिए अनेक विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता रहती है। किसी उत्खनन स्थल पर उत्खनन की शुरूआत करने के लिए अनेक पहलुओं व उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है और उसके बाद ही यह तय किया जाता है कि किस तरह का उत्खनन हो। (अर्थात् लम्बवत् व क्षैतिज)और उत्खनन किसी एक विशेष बिन्दु से शुरू कराया जाये या कुछ बिन्दुओं पर कराया जाये या पूरे पुरास्थल पर कराया जाये। अयोध्या में विवादित स्थल पर उत्खनन की शुरूआत उत्तर दिशा में जे-3 से हुई थी।

प्रश्न- ट्रेंच जे-3 उत्खनन स्थल पर खोली गयी ट्रेंचों में से एक अति महत्वूपर्ण ट्रेंच मानी जाती है,इसकी जानकारी आपको है?

उत्तर- मेरी दृष्टि में उत्खनन के लिए जितने भी ट्रेंच लगाये जाते हैं,सभी महत्वपूर्ण होते हैं,क्योंकि पुरातत्व में साक्ष्य की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों ही सामान्य तौर पर महत्वपूर्ण होती है।

अयोध्या में उत्खनन के दौरान जब मैं उपस्थित रहता था तब अपना व्यक्तिगत समुचित नोट बनाना सम्भव नहीं रहता था ,परन्तु जहाँ तक एक व्यक्ति की हैसियत से सम्भव हो सकता था,मैंने उस तरह के नोट तैयार किये थे। मैं अपने नोट रूटीन से ही तैयार करता था। लेकिन उस खुदाई की परिस्थितियों में जितना मानवीय तौर पर सम्भव हो सकता था,उतने ही नोट

मैं तैयार करता था। सामान्य तौर पर भारतीय पुरातत्व विभाग के उत्खनन की टीम के सदस्य जिनको उत्खनन के कार्य का सुपरविज़न का भार सौंपा गया था, वे नोट्स तो लेते थे, परन्तु उस तरह के नोट्स नहीं लिये जाते थे, जिस तरह के नोट्स की ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकता होती है। नोट्स लेने से मेरा तात्पर्य खुदाई के दौरान जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं, चाहे वे कितने ही तुच्छ नज़र आते हों, सभी की उचित प्रकार से रिकार्डिंग होनी चाहिए और इस रिकार्डिंग का लेखा-जोखा ट्रेंच नोट बुक में होना ही चाहिए, ताकि जब भी कभी इसको कन्सल्ट करने की आवश्यकता पड़े, तो किया जा सके। मुझे इस बात की जानकारी है कि ए0एस0आई0 द्वारा एक डेली रजिस्टर मेन्टेन किया जाता था, जिसमें शाम के वक़्त दिन-भर के उत्खनन के दौरान उत्खनन कर्ताओं के अनुसार जो उल्लेखनीय अवशेष होते थे, उनकी रिकार्डिंग की जाती थी। मैंने ए0एस0आई0 द्वारा मौक़े पर 'साईट नोट बुक' मेनटेन करते नहीं देखा था। यद्यपि आमतौर पर 'साइट नोटबुक' उत्खनन के दौरान प्रयोग की जाती है।

जितने भी उत्खनन होते है उनमें एक डेली रजिस्टर तथा साइट नोटबुक मेन्टेन किया जाता है और होने वाली अप्रत्याशित संभावनाओं को रोकने के लिए ऐसा किया जाना वांछनीय होता है। साइट नोटबुक उत्खनन स्थल पर ही तैयार होती है तथा होनी चाहिए। विवादित स्थल पर हो रहे उत्खनन के संदर्भ में मेरा जो कार्य क्षेत्र था वह बहुत सीमित था। केवल उत्खनन के पर्यवेक्षण तक ही मेरा कार्य सीमित था । उस अवस्था में मुझे हस्त क्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। उत्खनन के दौरान उत्खनन को देखने की इजाज़त तो थी परन्तु ट्रेन्च के अन्दर जाकर या ट्रेन्च के बाहर उत्खननकर्ताओं के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी और न ही उत्खननकर्ताओं को किसी प्रकार का दिशा निर्देश देने का

अधिकार था। समान्य तौर पर पुरातत्व विभाग के उत्खननकर्ता उत्खनन के दौरान मुझसे न कोई सलाह करते थे न किसी विषय पर वे लोग मुझसे कोई चर्चा करते थे । उत्खनन के प्रारंभिक कई दिनों तक तो हम लोगों को अपने द्वारा उत्खनन को देखने के अतिरिक्त और क्या - क्या अधिकार थे इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी और न ही किसी पक्ष के द्वारा हम लोगों को या मुझे अपने कार्यक्षेत्र की सीमाओं के संबंध में लिखित रुप से किसी के द्वारा भी कुछ दिया गया लेकिन कई दिनों के कार्य अनुभव तथा अपने पक्ष के व्यक्तियों के साथ चर्चा करने पर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपने पक्ष के व्यक्तियों को कुछ आवश्यक सूचना खुदाई के कार्य से संबंधित दे सकता हूँ और उस बात को हमारे पक्ष के व्यक्ति संबंधित अधिकारियों तक पहुँचा सकते थे। इसके परिणामस्वरुप मेरे द्वारा ऐसा किया भी गया था और मेरे पक्ष के व्यक्तियों के द्वारा वह आपत्तियाँ संबंधित अधिकारीगणों को पहुँचा दी गयी थीं, जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय के द्वारा इस संबंध में उत्खननकर्ताओ को दिशा निर्देश भी दिया गया था और इसके पश्चात् मेरी दृष्टि से उत्खनन कार्य में जो कमी देखी जा रही थी उसको दुरस्त किया गया।

प्रश्न- क्या मैं यह समझूँ कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो आप अपने कार्यक्षेत्र को समझे बिना कार्य शुरु कर देते हैं?

उत्तर- ऐसा समझना उचित नहीं है क्योंकि उत्खनन प्रारंभ होने पर मुझे केवल पर्यवेक्षण करने की ही जानकारी थी और उसी जानकारी के आधार पर तथा उसके दायरे में पूर्ण चेतना के साथ मैंने अपने कार्य को करने का प्रयास किया।

प्रश्नः-अयोध्या विवादित स्थल पर जो उत्खनन हो रहा था उसमें आप अपनी उत्सुकता के साथ सहभागी थे अथवा आप किसी दबाव के तहत उसमें शामिल हुए थे?

उत्तर- मेरे उत्खनन में भाग लेने के पीछे किसी प्रकार के दबाव का सवाल ही नही उठता है। मैं पुरातत्व व इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते भारतीय इतिहास से संबंधित उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए व इतिहास के विषय में अपनी समझ को और स्पष्ट रखने के लिए अपनी उत्सुकतावश ही इस उत्खनन में पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहा था।

प्रश्न- चूकिं आप मई 2003 के प्रथम सप्ताह के बाद अगस्त 2003 तक अर्थात् उसकी समाप्ति तक उत्खननस्थल पर नहीं थे और उसके बारे में आपने कोई जानकारी भी हासिल नहीं की तो क्या मैं यह समझूँ कि इस संबंध में आपकी उत्सुकता समाप्त होगयी थी?

उत्तर- यह कहना उचित नहीं है कि मेरी उत्सुकता किसी भी तरह से कम या समाप्त हो गयी थी। मेरी उत्सुकता बराबर बनी रही और बनी हुई है। बनी भी रहेगी। लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक अप्रत्याशित परेशानियों की वज़ह से मुझे मई2003 में उत्खनन के कार्यस्थल से अचानक ही वापस लौटना पड़ा जो परेशानियाँ कई महीनों तक चलती रहीं जिसकी वजह से मैं लौटकर उत्खनन के कार्य स्थल पर नही पहुँच पाया। जहाँ तक प्रश्न में पूछे गये दूसरे तथ्य की बात है कि मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई उत्सुकता ही नहीं रखी ,यह भी उचित नहीं है। जानकारी प्राप्त करने का प्रयास अपने स्तर पर मैं बराबर करता रहा और उत्खनन स्थल से उस स्थिति में दूर होने की वज़ह से समुचित जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया, निश्चित तौर पर अपनी आँखों से देखने और प्रकाशित लेखों में पढ़ने से जो जानकारी प्राप्त की जा सकती है उस जानकारी की तुलना अन्य व्यक्तियों से सुन करके प्राप्त होने

Sudarsan

वाली जानकारी के साथ हूबहू रुप में नहीं की जा सकती और ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों से चर्चा के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है उसको पूर्ण रुप से सत्यापित रुप से स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसलिए इसके बाद की फ़र्स्ट हैन्ड इनफ़ारर्मेशन के सबंध में मेरी सीमा रही है।

प्रश्न-जिस दरम्यान आप विवादित स्थल पर हो रहे उत्खनन में सम्मलित हुए थे उस समय आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत थे?

उत्तर- हाँ , मैं उस दरम्यान अपने विभाग में बराबर कार्यरत था।

मार्च, अप्रैल व मई 2003 में जब मैं अयोध्या आया था, तब मैंने अपने विभाग से अवकाश व स्टेशन छोड़ने की अनुमति भी प्राप्त की थी। यह कार्य मैंने मार्च और अप्रैल महीनों के लिए ही किया था। चूंकि मई 2003 में हमारे विश्वविद्यालय मे ग्रीष्मावकाश हो गया था। इसलिए अवकाश लेने की आवश्यकता तो नहीं थी, परन्तु स्टेशन छोड़ने की इजाज़त लेने की आवश्यकता अवश्य थी और वहाँ से उत्खनन स्थल पर पहुँचने के पहले मैंने अपने विभाग से इस तरह की अनुमति ली थी।

प्रश्न- आपको एक्सपर्ट बनने के लिए क्या किसी ने प्रेरित किया था?

उत्तर- उत्खनन में भाग लेने की मेरी अपनी उत्सुकता तो थी परन्तु यहाँ तक पहुँचने का कोई भी रास्ता मुझे ज्ञात नहीं था। इसी बीच श्री ज़फ़रयाब जीलानी साहब ने मुझसे फ़ोन पर सम्पर्क किया और इस उत्खनन में अपने पक्ष की तरफ़ से उपस्थित होने के लिए आग्रह किया जिसको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

प्रश्न– तो क्या यदि आपसे हिन्दू पक्ष का कोई व्यक्ति सम्पर्क करता तो आप हिन्दू पक्ष की तरफ़ से विशेषज्ञ के रुप में उत्खनन 2003 मे भाग लेते?

Sharma

(इस प्रश्न पर श्री ज़फ़रयाब जीलानी ने यह आपत्ति की कि यह प्रश्न काल्पनिक (हाईपोथेटिकल) है। अतएव इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए)

(उपरोक्त आपत्ति का जबाब विद्वान जिरहकर्ता द्वारा यह दिया गया कि अभी गवाह ने अपने बयान में अयोध्या के उत्खनन के प्रति अपनी उत्सुकता को ज़ाहिर किया है,अतः यह प्रश्न सुसंगत है।)

उत्तर- सामान्य तौर पर इस तरह के किसी भी पक्ष की तरफ़ से आग्रह होता तो मैं पुरातत्व व इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इसको सहर्ष स्वीकार कर लेता ,परन्तु जिन परिस्थितयों में यह उत्खनन हो रहा था वे सामान्य परिस्थितियाँ नहीं थीं। इस उत्खनन से पूर्व दोनों सम्प्रदायों के बीच में विवादित ढाँचे को लेकर जो कुछ चल रहा था और उसके बाद सन्1992 में जो कुछ घटित हुआ उसको मद्दे नज़र रखते हुए तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के नियमों तथा पुरातत्व विषय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए इस तरह के आग्रह जिसको किसी भी ऐसे संगठन की तरफ़ से किया गया हो जिनका उपरोक्त मान्यताओं में विश्वास न हो, को स्वीकार करना संभव नहीं था।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

9.11. 2005

मेरे बोले जाने पर आशुलिपिक द्वारा खुले न्यायालय में टाईप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दि0 10.11.2005 को प्रस्तुत हो।

9.11.2005

(हरि शंकर दूबे)
आयुक्त
9.11.2005

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे,अपर ज़िला जज / विशेष कार्याधिकारी, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ पीठ ,लखनऊ

(अन्य मूल वाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0 प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में मा0 विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा नियुक्त)

दिनाँक 10.11.2005 **पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान**

(पी0डब्लू0 - 30, डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांक -09.11.2005 के क्रम में अन्य मूल वाद सं0 -3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री रंजीत लाल वर्मा , एडवोकेट द्वारा जारी)

" पिट " का तात्पर्य पुरातात्विक दृष्टि से यह होता है कि किसी पुरातात्विक स्थान पर (या किसी प्राचीन वस्ती के स्थान पर) पुरास्थल के जीवनकाल में जब भी कभी उस काल के मानवों या मनुष्यों के द्वारा पुरास्थल के प्राचीनकाल में निर्मित परतों में कोई गड्ढा खोदा जाता है, तो इस तरह के गड्ढे को पुरातात्विक भाषा में" पिट" का नाम दिया जाता है । आम-तौर पर इस तरह के पिट मनुष्य द्वारा ही या मनुष्य की अनेक क्रियाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं ।

प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा, विशेष रुप से भू-गर्भ संबंधी हलचल के कारण, इस तरह के पुरास्थलों पर पिट निर्माण की प्रायः सम्भावना नगण्य होती है ,परन्तु अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न भी होती है तो उसको पुरातात्विक उत्खनन के दौरान आसानी से पहचाना जा सकता है । जहाँ तक प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा निर्मित इस तरह के पिट के आकार का सवाल

Chairman

है, तो यह प्राकृतिक शक्तियों की गहनता पर निर्भर करता है परन्तु इस तरह का पिट प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा आमतौर पर किसी एक ख़ास रुप में नहीं पाया जाता है । पिट का आकार प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसा कि मैं ऊपर बता भी चुका हूँ। स्वयं कहा कि इस तरह के पिट मानव निर्मित पिट से सहज रुप में अलग किये जा सकते हैं ।

प्र0- पिट के डिपाज़िट्स में जो पुरावशेष मिले हों और उसी लेयर में अन्य जो पुरावशेष मिले हों, इन दोनों में जो कामन पुरावशेष हैं,तो क्या उनकी समानताओं के आधार पर पिट की संरचना का काल निर्धारित हो सकता है अथवा नहीं ?

उ0- यदि यह मान लिया जाये कि जिस परत के काल में गड्ढा बना है और उस परत के अवशेष भी गड्ढे में उपस्थित हैं और इस गड्ढे में और किसी परत के अवशेष नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर पिट के निर्माण का काल उस परत के काल के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिस परत में वह पिट खोदा गया है, उस परत के अवशेष भी उस पिट में पाये जाते हैं , इसका तात्पर्य यह है कि उस परत के काल के अनुसार पिट का काल भी निर्धारित किया जा सकता है ।

पुरातात्विक दृष्टि से " डम्प " का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब किसी पुरास्थल पर रह रहा हो या कोई अन्य क्रिया कर रहा हो तो वे मनुष्य अपनी आवश्यकता व समझ के अनुसार जो उनके पास अवांछनीय पदार्थ होते हों, उनको एक जगह ढेर के रुप में डालते रहते हैं या डालते जाते हैं । यह क्रिया पुरास्थल पर दो रुपों में देखी जा सकती है । पहले रुप के अनुसार अगर यह मान लिया जाये कि ऐसी अवांछनीय वस्तुओं का ढेर वे मनुष्य किसी आस-पास स्थित गड्ढे में कर रहे हों। दूसरे रुप के अन्तर्गत अगर यह

मान लिया जाये कि पुरास्थल पर कोई गड्ढे जैसी स्थिति नहीं है और गड्ढे के स्थान पर पुरास्थल के ऊपर केवल मात्र समतल भू-भाग उपलब्ध , तो उस स्थिति में उस समतल भू-भाग के ऊपर अवांछनीय वस्तुओं को ढेर के रुप में इकट्ठा किया जा सकता है या डाला जा सकता है । अतएव पुरातत्व में इस तरह के जो मानव निर्मित अवांछनीय वस्तुओं के ढेर होते हैं, उनको "डम्प" कहा जाता है ।

प्र0- यदि डम्प में पुरावशेष मिलते हैं, तो क्या उन्हें पुरावशेष कहा जा सकता है?

उ0- इस तरह के "डम्प" में जो भी सामग्री उपलब्ध होती है, उनको पुरातत्व की दृष्टि से पुरावशेष माना जाता है ,लेकिन यह बात अलग है कि यह पुरावशेष उस "डम्प" के काल के मानव की क्रियाओं से संबंधित अथवा उस काल के मानव की क्रियाओं से किसी अन्य स्थान से लाकर डम्प के रुप में जमा कर दिये गये हों ।

प्र0- क्या कोई "डम्प" ऐसा भी हो सकता है जो कि पुराने मानूमेंट के गिरने से बना हो ?

उ0- पुरातत्व में प्रायः यह पाया जाता है कि जब भी कभी किसी प्राचीन भवन या मानूमेंट का प्राकृतिक तौर पर विध्वंस होता है, तो उसकी अपनी सामग्री जिस सतह पर यह भवन होता है, उसी सतह के ऊपर जमे हुए मिलते हैं । इस तरह की प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित विध्वंस सामग्री को डम्प नहीं माना जाता है ।

स्वयं कहा कि अगर यह मान लिया जाये कि कोई बहुत बड़ा मानूमेंट प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव के कारण गिर जाता है , तो ज़ाहिर है कि उसका मलबा मानूमेंट के स्थल पर" जमाव" के रुप में मिलेगा । इस तरह के "जमाव " को प्राकृतिक या मानवीय शक्तियों के द्वारा विध्वंस किया गया

"जमाव" कहते हैं इसे डम्प नहीं कहा जायेगा । इस तरह के विध्वंस के मलबे में जो भी सामग्री, स्क्ल्पचर आदि के रुप में उपलब्ध होती है उन सभी को अध्ययन करने की आवश्यकता होती है और पुरातत्ववेत्ता की यह एक विशेष ज़िम्मेदारी भी होती है ।

प्र0- क्या ऐसी सामग्री पाने पर पुरातत्ववेत्ता अपने आब्ज़र्वेशन, जो कारण व आधार सहित होगा, उस पर ऐतिहासिक फ़ाइंडिंग अवधारित कर सकता है?

उ0- इस तरह के विध्वंस सामग्री में उपलब्ध अवशेष सत्य होते हैं और इन अवशेषों का विश्लेषण करने वाला स्वतंत्र होता है । वह जो भी विश्लेषण करता है और एक निष्कर्ष विशेष पर पहुँचता है, वह उसकी उस वक़्त की समझ, विश्लेषण के तरीक़े और उद्देश्यों पर आधारित होता है । अपने असेसमेंट के आधार पर वह अपना एक मत प्रस्तुत कर सकता है। स्वयं कहा कि लेकिन इसका यह क़तई अर्थ नहीं है कि वही निष्कर्ष आख़िरी सत्य है । विभिन्न पुरातत्ववेत्ता व इतिहासकार उसी सामग्री का विश्लेषण भिन्न तरीक़े से कर सकते हैं , परन्तु सर्वमान्य वही विश्लेषण कहा जा सकता है, जो विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निकाला गया हो ।

प्र0- यदि उपरोक्त सामग्री में से 95 प्रतिशत सामग्री का विश्लेषण किया गया हो तथा 5 प्रतिशत सामग्री की उपेक्षा कर दी गई हो अर्थात् उसका विश्लेषण न किया गया हो तो क्या ऐसे विश्लेषण को सत्य माना जा सकता है ?

उ0- पुरातत्ववेत्ता की यह ज़िम्मेदारी होती है कि एक स्थान,काल विशेष में जो भी अवशेष उपलब्ध हैं, उन अवशेषों का उस काल विशेष में विश्लेषण की जो सभी प्रकार की पद्धतियां उपलब्ध हैं, उनके आधार पर सर्वांगीण रुप से होना चाहिए । जो विश्लेषण आंशिक अवशेषों के आधार पर या आंशिक अवशेषों की अनदेखी करके किया जायेगा, उसको न तो पुरातात्विक खोजों

के हित में और न ही मानव समाज इतिहास के विषय में समझ को प्रखर करने वाला कहा जायेगा । ऐसे विश्लेषण को आमतौर पर पक्षपातपूर्ण विश्लेषण की संज्ञा दी जायेगी ।

यहाँ पर पक्षपात से मेरा तात्पर्य यह है कि पुरातत्ववेत्ता विश्लेषण करते समय सभी उपलब्ध तथ्यों को विश्लेषणों की विधियों को आधार नहीं बना रहा है और ऐसा करके वह अपने विषय-कर्तव्य का पालन भी नहीं कर रहा है , बल्कि वह किसी ख़ास उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अनुकूल अवशेष विध्वंस सामग्री में उपलब्ध हैं, उन्हीं का प्रयोग अपने सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा है । इस तरह के रवैये को पक्षपातपूर्ण कहा जायेगा ।

एक पुरातत्वविद् का उद्देश्य, फ़ैक्ट्स-फ़ाइंडिंग, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण और सत्यता के नज़दीक पहुँचने का होता है । ऐसे विश्लेषक को वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति का पक्षधर कहना ही उचित होगा । ऐसे व्यक्ति को पक्षपाती नहीं कहा जा सकता है ।

प्र0- आपने अपने बयान में पक्षपातपूर्ण होने के बारे में बताया है,क्या ऐसा पक्षपातपूर्ण होना किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में रुचि रखकर मत देने के कारण है ?

उ0- ऐसा नहीं है । ऐसा मानना उचित नहीं होगा,क्योंकि यहां पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से संबंध नहीं है, अपितु इसका संबंध उन व्यक्तियों के द्वारा पुरातात्विक अवशेषों का जो विश्लेषण किया जा रहा है और वह विश्लेषण जिस उद्देश्य से किया जा रहा है,इनकी वजह से मैं इसको पक्षपातपूर्ण मानता हूँ ।

प्र0- ट्रेंचेज़ के उत्खनन में क्या स्ट्रेटीग्राफ़ी का विशेष महत्व होता है ?

उ0- पुरातात्विक उत्खनन और उत्खनित सामग्री के समुचित विश्लेषण के लिए ट्रेंच की स्ट्रेटीग्राफ़ी का निश्चित तौर पर बहुत महत्व है ।

प्र0- स्तर -विन्यास अर्थात् विभिन्न स्तरों के निर्धारण (स्ट्रेटीफ़िकेशन आफ़ लेयर्स) का क्या आधार होता है ?

उ0- पुरातत्व में किसी भी स्तर (लेयर) का निर्धारण करने के लिए उस स्तर विशेष में पायी जाने वाली सामग्री का स्वरुप व परत की बनावट में जिस तरह की मिट्टी सम्मिलित होती है, यह स्तर - निर्धारण करने में मुख्य आधार का काम करते हैं ।

जब भी कभी पुरातत्व में खुदाई के दौरान लेयर की पहचान की जाती है, तब यह भी जानना आवश्यक होता है कि उस लेयर की मिट्टी की संरचना क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी कठोरता कैसी है, उसमें मानव-निर्मित सामग्री है या नहीं, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है । हालांकि, उपरोक्त आधार बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्वतःपर्तो(लेयरर्स) से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्राचीन काल के अवशेषों वाली यह लेयर्स भिन्न-भिन्न हैं। इनकी पहचान करने के लिए पुरातत्ववेत्ता को ही पुरातत्व नियमों के अनुसार इन लेयर्स की अलग - अलग पहचान करनी ज़रुरी होती है। लेयर्स की मोटाई अलग - अलग हो सकती है, मोटाई अलग होने के लिए विभिन्न कारक हो सकते हैं।

प्रश्न- कन्टम्पेरेरी लेयर्स क्या होती हैं?

उत्तर-किसी भी पुरास्थल पर जब खुदाई की जाती है और उस खुदाई के दौरान किसी अमुक लेयर्स से जो सामग्री उपलब्ध होती है अगर वह सामग्री किसी अन्य उत्खनित स्थल की किन्ही लेयर्स में भी प्राप्त होती है ,तो इस तरह की दो भिन्न - भिन्न पुरास्थलों की लेयर्स को मोटेतौर पर सामग्री की समानता के आधार पर कन्टम्पेरी कहा जाता है।

एक ही पुरास्थल पर विभिन्न ट्रेन्चों में एक समान सामग्री रखने वाली लेयर्स को मोटे तौर पर कन्टम्प्रेरी लेयर्स ही माना जाता है। यदि एक ही

पुरास्थल की विभिन्न ट्रेन्चों में एक समान अवशेषों को रखने वाली लेयर्स का स्तर ऊँचा नीचा भी है तब भी इन लेयर्स को आपस में जोड़ कर विशलेषण करने की आवश्यकता होती है। अगर विशलेषण करने पर यह पाया जाता है कि लेयर्स से प्राप्त होने वाले अवशेष एक ही समान हैं तब भी इन लेयर्स को कन्टम्प्रेरी कहा जा सकता है। स्वयं कहा कि एक ही पुरास्थल की विभिन्न ट्रेन्चों में जो स्तर भिन्नता पायी जाती है उसका एक मोटा कारण तो यह होता है कि जिस समय यह लेयर्स बन रही हों उसी समय इन लेयर्स के जमाव स्थल पर स्थल ऊँचाई भिन्नता हो। दूसरे लेयर्स में इस तरह की भिन्नता इस लिए भी होती है कि मानवीय गतिविधियों की गहनता में भिन्नता होती है। जहाँ गतिविधियाँ अधिक होती हैं वहाँ लेयर के रुप में जमाव होने की संभावना अधिक होती है। तीसरे कभी - कभी अप्रत्याशित प्राकृतिक गतिविधियों के परिणामस्वरुप भी एक ही साथ बहुत सारी सामग्री एक लेयर के रुप में जमा हो जाती है । इसलिए उसकी मोटाई की संभावना अधिक होती है, अतएव लेयर्स के स्तर में भिन्नता भी लाज़मी है।

प्रश्न- सीलिंग लेयर ऊपरी स्तर को कहते हैं क्या यह कहना सही है?

उत्तर-सीलिंग लेयर भिन्न भिन्न संदर्भो में देखी जा सकती है। किसी पुरास्थल पर प्राचीन कालीन मानव की गतिविधियों के अवशेष को जो लेयर ढक लेती है उसको सीलिंग लेयर कहा जा सकता है। ठीक वैसे ही मानव के द्वारा अगर किसी पुरास्थल पर कोई पिट खोदा गया है और उसके पश्चात् उस पिट को ऊपर से ढ़कने वाली जो लेयर होती है उसको भी सीलिंग लेयर कहा जाता है । इसी तरह किसी पुरास्थल पर अगर किसी डम्प के रुप में अवशेषों को ढक लेने वाली लेयर है उसको भी सीलिंग लेयर का नाम दिया जाता है। इसी तरह से कुछ अन्य संभावनायें भी सीलिंग लेयर की हो सकती हैं।

प्रश्न- पुरातत्व में लेयर के संदर्भ में जिन स्तरों को काटा गया है उसे काटने की प्रक्रिया को पुरातत्व विज्ञान में अग्रेंजी में " सीलिंग कट-ऐट " कहेंगे या नहीं, इसी तरह निचले स्तर को " कट-थ्रू " कहेंगे या नहीं ?

उत्तर- पुरातत्व में मेरी जानकारी के अनुसार या आकिर्योलाजिकल पारलेंस के अनुसार इस तरह के टर्म्स का प्रचलन नहीं है। हलांकि ये दोनों ही टर्म्स अग्रेंजी भाषा से संबंधित हैं जिनका मेरी समझ के अनुसार अर्थ इस प्रकार है- जब कभी हम " कट-ऐट " नामक टर्म का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि जिस स्तर से उत्खनन के लिए खुदाई करना प्रारंभ करते हैं उसको " कट-ऐट दिस प्वाइंट " या "कट-ऐट दिस प्लेस " कहा जाता है। ठीक वैसे ही जो कट-थ्रू नामक टर्म है, उसका अर्थ यह होता है कि उत्खनन के दौरान उत्खननकर्ता ने जिन लेयर्स के थ्रू खुदाई की है। इसी तरह से यह भी मान लिया जाये कि किसी पुरास्थल पर जब कभी मनुष्यों के द्वारा कोई पिट खोदा जाता है तो उसके संबंध में भी उपरोक्त दोनो टर्म्स का प्रयोग उसी तरह के संदर्भ में किया जाता है।

ट्रेन्च के खोदे जाने पर स्ट्रेटीग्राफ़ी की लेयर्स की मार्किंगं (नम्बरिंग) ऊपर से नीचे की ओर की जाती है जबकि उत्खनन से प्राप्त विभिन्न सांस्कृतिक कालों की मार्किंग नीचे से ऊपर की तरफ़ की जाती है। अगर लेयर सं02 पर लेयर सं03 स्थापित है तो यह माना जायेगा कि " लेयर 2 रेस्टिंग आन लेयर थ्री "।

प्रश्न-पुरातात्विक विज्ञान में " फ्री स्टैडिंग वाल " को किस प्रकार परिभाषित किया जावेगा ?

उत्तर - मुझे इस तरह के किसी विशेष टर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने का मौक़ा नहीं मिला है और न ही मुझे यह जानकारी है कि पुरातात्विक पारलेंस में इस तरह के किसी टर्म का प्रचलन है ।

प्रश्न - यदि खुदाई के दौरान कोई ऐसी दीवाल मिली हो जिसमें रेग्यूलर कोर्स में लगी हुई ईंट के रद्दे लगे हुए हों तो क्या उस दिवाल को पुरातात्विक विज्ञान के अर्न्तगत " कान्सट्रक्शन " कहेंगे?

उत्तर - हाँ, इस दीवाल को निर्माण (कान्सट्रक्शन) कहेंगे।

"सेरेमिक वेयर्स " को " मृद्भांड " कहते हैं। " मृद्भांडों " शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। इन मृद्भांडों के पुरातत्व में अनेक आकार प्रकार मिलते हैं। सभी प्रकार के मृद्भांडों (सेरेमिक शेप्स) की विस्तार से चर्चा करना तो यहाँ पर संभव नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ शेप्स की चर्चा तो की ही जा सकती है। इस तरह की शेप्स में जार , घट, तश्तरी, (डिश), बाऊल(कटोरा), वाश - बेसिन, हांडी, टम्बलर , कप्स, ढक्कन आदि प्रमुख रुप से पाये जाते हैं लेकिन इसका यह क़तई अर्थ नहीं है कि ये सभी वर्तनों के शेप्स सभी कालों में एक समान रुप से पाये जाते हों। मैं इस बारे में नहीं बता पाऊँगा कि फ्रांस में जो सांस्कृतिक क्रान्ति हुई उसका प्रभाव भारत के 14वीं - 15वीं शताब्दी के मृद्भाडों के आकार प्रकार पर पड़ा अथवा नहीं । फ्रांस, डच, यूनान, हालैण्ड , पुर्तगाल, आदि देशों से भूतकाल में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापारिक गतिविधियों के कारण जो भी संबंध स्थापित हुए उनका प्रभाव किसी न किसी रुप में भारतीय मृद्भांड की कला के क्षेत्र में भी पड़ा। इन प्रभावों का असर भारत में प्रचलित मृद्भांड कला पर विभिन्न रुपों में देखा जा सकता है।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

Kapoor

10.11. 2005

मेरे बोले जाने पर आशुलिपिक द्वारा खुले न्यायालय में टाईप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दि0 16.11.2005 को प्रस्तुत हो।

10.11.2005

(हरि शंकर दूबे)
आयुक्त
10.11.2005

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज / विशेष कार्याधिकारी,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद , लखनऊ पीठ , लखनऊ

(अन्य मूल वाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0 प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में मा0 विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा नियुक्त)

दिनाँक 16.11.2005 पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांक - 10.11.2005 के क्रम में अन्य मूलवाद संख्या- 3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री तरूणजीत वर्मा ,एडवोकेट द्वारा जारी)

मैं तीसरी बार उत्खनन स्थल पर जब अयोध्या में मई सन् 2003 में आया था,तब मैं वहां किस तारीख़ से लेकर किस तारीख़ तक रूका था,यह इस समय मुझे याद नहीं है। मैं मई,2003 के पूर्वार्द्ध में अयोध्या आया था। उत्खनन कार्य अगस्त,2003 में समाप्त हुआ था, परन्तु वास्तविक रूप से यह किस तारीख़ को समाप्त हुआ,यह मुझे याद नहीं है। मैंने अपने पहले के बयान में यह बताया है कि मैं ट्रेंचों के अंदर नहीं गया था। ए.एस.आई.द्वारा उत्खनन के पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पक्षों को न्यायालय द्वारा यह अनुमति प्रदान की गयी थी कि वे ट्रेंचों में जाकर अपने विशेषज्ञों द्वारा उसका मुआयना करा सकें , परन्तु यह मुझे जानकारी नहीं है कि फ़ोटोग्राफ़, सेक्शन स्क्रेपिंग व सेक्शन टचिंग की अनुमति प्रदान की गयी थी अथवा नहीं , यह मुझे नहीं पता कि यह अनुमति न्यायालय द्वारा सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड के प्रार्थना पत्र पर प्रदान की गयी थी या नहीं। मई,2003 के पूर्वार्द्ध में अयोध्या जाने के बाद

आज तक मैं पुनः अयोध्या नहीं गया। मई,2003 के पूर्वार्द्ध के बाद भी मेरी उत्सुकता अयोध्या जाकर उत्खनन स्थल के ट्रेंचों को देखने की बनी रही और बनी हुई है, परन्तु इसका मौक़ा मुझे नहीं मिल पाया। विवादित भवन के ध्वस्त होने के बाद से ही विवादित स्थल पर जाने के लिए अनुमति आवश्यक थी, परन्तु इस अनुमति के अलावा भी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण भी मेरा जाना वहाँ सम्भव न हो सका। मुझे उत्खनन स्थल पर जाने से किसी ने नहीं रोका। सामान्य तौर पर हो रहे उत्खननों के उत्खनन स्थल पर जाने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, परन्तु विवादित स्थल तथा उसका उत्खनन एक विशेष महत्ता का था तथा इसे एक विशेष परिस्थिति में किया जा रहा था , इसलिए वहां पर जाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उत्खनन की समाप्ति के बाद प्रत्येक रविवार को पक्षों ,उनके अधिवक्ताओं को उत्खनन स्थल पर जाने की अनुमति न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है अथवा नहीं। यदि इस प्रकार की जानकारी मुझे रही होती तो मैं निश्चित तौर पर किसी वक़्त अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर मैं उत्खनित स्थल का मुआयना अवश्य करता।

प्रश्न- मेरा यह सुझाव है कि आप किसी भी बात को समझे - बूझे बिना अपने मन से ही समझ कर तय कर लेते हैं, मेरा यह कहना सही होगा अथवा नहीं?

उत्तर- मैं अन्य किसी या अन्य सभी सजग व्यक्तियों की भाँति ही अपने विवेक के आधार पर अमुक स्थिति में समझने का प्रयास भी करता हूँ और समझ - बूझकर ही जवाब देने का प्रयत्न भी करता हूँ । इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि बगैर सोचे - समझे अचानक अपने ही तरीक़े से मनगढ़न्त जवाब देने अथवा जवाब देने का प्रयत्न मेरे द्वारा किया जाता है।

Rupram

मैंने ऊपर अपने बयान में अपनी जानकारी के आधार पर यह बताया है कि उत्खनन स्थल पर जाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

प्रश्न- आज ही दिये गये बयान में आपने अयोध्या के उत्खनन स्थल पर जाने के लिए सरकारी अनुमति का ज़िक्र किया है जब कि वहां पर जाने तथा उत्खनन स्थल का निरीक्षण करने में कोई परेशानी नहीं है तथा आसानी से संबंधित पक्ष अथवा उसके विशेषज्ञ आसानी से ऐसा निरीक्षण कर सकते हैं इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- इस संबंध में मेरा यह कहना है कि मेरी जानकारी के अनुसार मुझे यही मालूम था कि इस उत्खनित स्थल का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और इसी जानकारी के आधार पर मैंने यह उत्तर भी उपरोक्त पंक्तियों में दिया था। मैं एक बार पुनः यह दोहराना चाहता हूँ कि मुझे इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं थी कि मैं एक विशेषज्ञ की हैसियत से जब चाहूँ तब या रविवार को ही इस स्थल का मुआयना करने के लिए सक्षम हूँ।

प्रश्न - आपके मुख्य परीक्षा का पूरा शपथ पत्र क्या आपकी मात्र जानकारी के आधार पर ही बनाया गया है?

उत्तर- जो जानकारी उत्खनन के दौरान इस स्थल के उत्खनन के संबंध में मुझे है और जो जानकारी इस उत्खनन की भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो उत्खनन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, उसके अध्ययन के फलस्वरूप, मैं हासिल कर पाया और पुरातत्व विषय की तकनीकों और आवश्यकताओं संबंधी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर मैंने अपने शपथ पत्र को तैयार किया है।

प्रश्न- आपने इस विवादित स्थल (अयोध्या) से संबंधित कितनी पुस्तकों का अध्ययन किया है?

Sharma

उत्तर- इस उत्खनन स्थल से संबंधित उत्खनन की जो जानकारी प्रकाशित हुई है,उसका अध्ययन मैंने किया था। केवल मात्र उत्खनन संबंधी अवशेषों के विषय में और तकनीकों के विषय में तथा उनके किये गये विश्लेषणों के संबंध में ही मैंने अध्ययन किया है और उसी की जानकारी भी मुझे है।

प्रश्न- अयोध्या से संबंधित क्या किसी और ऐतिहासिक पुस्तक का आपने अध्ययन नहीं किया है?

उत्तर- इस संबंध में यदि मुझे ऐतिहासिक पुस्तकों के संबंध में बताया जाता है तो मैं इसका ठीक उत्तर दे पाऊँगा , क्योंकि जब तक यह स्पष्ट न किया जाये कि प्रश्नकर्ता विद्वान अधिवक्ता ऐतिहासिक पुस्तक किसे मान रहे हैं तब तक इसके अनुरूप उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न- ऐतिहासिक पुस्तकों से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- किसी भी काल विषय में जो भी रचना की जाती है और उस रचना से उस काल के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है,ऐसे ग्रन्थ को या ऐसी रचना को समान्य प्रकार से ऐतिहासिक ग्रन्थ का नाम दिया जा सकता है। लेकिन इतिहास के अध्ययन के लिए उस जानकारी का वैज्ञानिक तरीक़े से विश्लेषण करना अति आवश्यक होता है। जब तक इस तरह का विश्लेषण ऐसे ग्रन्थों से प्रदत्त जानकारी का नहीं कर लिया जाता है, तब तक ऐतिहासिक सामग्री के रूप में उन ग्रन्थों से मिलने वाली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न- अयोध्या से संबंधित प्राचीन काल की आबादी(हैबीटेशन), भौगोलिक,ऐतिहासिक,राजवंश एवं अयोध्या विवाद की उत्पत्ति से संबंधित किसी ऐतिहासिक पुस्तक का आपने अध्ययन किया है अथवा नहीं?

उत्तर- मैंने विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में पहले भी यह बताया है कि आप यदि पुस्तकों की चर्चा करें तो शायद मैं यह बता पाऊँ कि किस पुस्तक का मैंने अध्ययन किया है अथवा नहीं किया है ।

प्रश्न- क्या आपने अयोध्या या अयोध्या विवाद से संबंधित किसी पुस्तक का अध्ययन किया है?

उत्तर- अयोध्या से संबंधित जो प्राचीन रचनायें हैं,उनका अध्ययन मैंने नहीं किया है । अयोध्या विवाद कैसे शुरू हुआ,इससे संबंधित कोई विशेष प्राचीन पुस्तक भी मैंने नहीं पढ़ी । लेकिन अयोध्या विवाद , अयोध्या के उत्खनन , अयोध्या के उत्खनन से संबंधित कुछ प्रकाशित सामग्री पढ़ने का मुझे मौक़ा मिला है।

प्रश्न- आपने अपने दिनांक 9.11.2005 के बयान मे यह बताया था कि आप अयोध्या विवाद के संबंध में बहुत उत्सुक हैं इस उत्सुकता के बावजूद आपके द्वारा किसी विशेष पुस्तक का अध्ययन न किया जाना , केवल सामान्य तथा साधारण पुस्तकों का अध्ययन किया जाना ही आपकी किस उत्सुकता को दर्शित करता है?

उत्तर- पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अयोध्या उत्खनन से संबंधित प्रकाशित सामग्री को सामान्य सामग्री या लेखों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है और इस पर आधारित जो भी प्रकाशन हुआ है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन मैंने किया है और जहां तक मेरी अयोध्या विवाद संबंधी उत्सुकता का सवाल है,इस उत्सुकता को यह कह करके नहीं नकारा,या उसकी अहम उपयोगिता को कम नहीं किया जा सकता है कि मैंने अयोध्या से संबंधित अन्य प्राचीन रचनाओं का अध्ययन नहीं किया है। मेरा विषय पुरातत्व है। पुरातात्विक जानकारी की जिज्ञासा बराबर मुझे थी और अभी भी है और इसी उत्सुकता

Sharma

की पूर्ति के लिए मैंने जो भी उत्खनन से संबंधित जानकारी उपलब्ध थी,या जिसको मैं अध्ययन के लिए प्राप्त कर सकता था, उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपना एक विश्लेषण भी किया। इतिहास के किसी ऐसे काल के संबंध में हमारे पास साहित्यिक रचनायें भी उपलब्ध हैं और पुरातत्व विज्ञान भी है,ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक रचनाओं की बग़ैर तर्क की कसौटी पर कसी हुई जानकारी पर निर्भर करना सम्भव नहीं होता है। ख़ासतौर पर ऐसे संबंधित पुरातात्विक स्थलों के बारे में उत्खनित सामग्री उपलब्ध हो,तब विशेष महत्व उत्खनित सामग्री को विश्लेषण के लिए दिया जाता है। इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए साहित्यिक रचनाओं को आधार नहीं बनाया जाता और न ही इन रचनाओं को आधार मानकर पुरातात्विक सामग्री का विश्लेषण किया जाता है,जब कि ठीक इसके विपरीत पुरातत्व व पुरातात्विक सामग्री को साहित्यिक रचनाओं की सत्यता को परखने का आधार माना जाता है। जिस समय खुदाई से उपलब्ध पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध हों ,तो उन्हीं अवशेषों का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए मैंने भी पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया है।

प्रश्न- अभी आपके आज के ही बयान में विशेष पुस्तक का अध्ययन न किये जाने का आप द्वारा उल्लेख किया गया है , बल्कि प्रकाशित सामग्री पढ़ने का ज़िक्र किया गया है , तो ऊपर आपने जो " विशेष शब्द का" उल्लेख किया है , उसके बाद " सामान्य" ही बचता है , इस बिन्दु पर आपको क्या कहना है ?

उत्तर- मैंने " विशेष शब्द" का प्रयोग ऐतिहासिक पुस्तकों पर सवाल पूछे जाने के संबंध में किया था। जहाँ मेरा यह तात्पर्य था कि विशेष प्राचीन रचनाओं की तरफ़ यदि संकेत हो तो उसका उस रूप में जवाब दिया जाये और जहाँ

पर सामान्य शब्द के प्रयोग की बात है, सामान्य ऐतिहासिक रचनाओं में अनेक प्रकाशित सामग्रियों को सम्मिलित किया जा सकता है। ऊपर के मेरे अपने जवाब में 'विशेष' शब्द का प्रयोग मैंने उत्खनन से प्रकाशित जानकारी के संबंध में भी किया है।

प्रश्न- प्राचीन रचनाओं से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर- प्राचीन रचनाओं से दो तरह के अर्थ निकाले जा सकते हैं अथवा दो प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है। पहला अर्थ प्राचीन विषय के अध्ययन की दृष्टि से जब किया जायेगा, तब केवल इसका अर्थ वही होगा, जो प्राचीन काल में पुस्तकें या रचनायें रची गयी हैं, उनकी ओर यह संकेत करती हैं। दूसरे आपके अनुसार सामान्य बोल-चाल में जब इसका प्रयोग किया जाता है ,तब इसका अर्थ यही समझा जाता है कि आज से पूर्व या एक समय विशेष के पूर्व, जो बहुत प्राचीन नहीं हैं जो रचनायें की गयी हैं, उनकी तरफ़ संकेत किया जाता है। दोनों ही दृष्टियों से उनके अपने-अपने विशेष महत्व होते हैं।

प्राचीन रचनाओं की उन पुस्तकों के नाम मुझे मालूम नहीं हैं जिनका अयोध्या से संबंध रहा हो।

प्रश्न- क्या पुरातत्व में इतिहास को भी एक श्रोत के रूप में लिया जाता है?

उत्तर- हाँ, इतिहास को प्रमुख श्रोतों में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पुरातत्व में मानव के जीवन से संबंधित इतिहास का अध्ययन करते हैं।

उत्खनन के दौरान जब मैं उत्खनन स्थल पर मौजूद रहा था , तब मैंने यह देखा था कि उत्खनन से प्राप्त जो पुरावशेष उत्खनित किए जाते थे , उनकी रिकार्डिंग तो होती थी , परन्तु सभी प्रकार के पुरावशेषों की समुचित रिकार्डिंग नहीं होती थी ।

प्रश्न - अयोध्या में उत्खनन के दौरान जो पुरावशेष प्राप्त हुए थे , क्या उनकी इंडेक्सिंग (नम्बरिंग) की गई थी ?

उत्तर - हाँ , मुझे इस बात की जानकारी है कि उत्खनन के दौरान जो पुरावशेष उपलब्ध होते थे और जिनको उत्खननकर्ता महत्वपूर्ण मानते थे , उन पुरावशेषों की उत्खनन के दौरान मार्किंग की जाती थी ।

प्रश्न - उपरोक्त पुरावशेष जिनकी मार्किंग होना आपने अभी बताया है , क्या यह मार्किंग विवादित स्थल पर स्थित मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर के पूरब स्थित एक बड़े चबूतरे पर होती थी ?

उत्तर - हाँ , मुझे यह जानकारी है कि उक्त स्थल पर दिन भर की खुदाई के दौरान जो पुरावशेष (उत्खननकर्ताओं की दृष्टि से तथाकथित महत्वपूर्ण अवशेष) मिलते थे , उनकी मार्किंग और लिस्टिंग वहाँ न करके किसी अन्य जगह पर की जाती थी और उसके पश्चात् इस तरह से लिस्टिंग की गई पुरावशेषों की जानकारी उत्खननकार्य को प्रतिदिन समाप्त करने से पहले उपस्थित पर्यवेक्षकों या अन्य उपस्थित व्यक्तियों को दी जाती थी ।

प्रश्न - क्या पुरावशेषों की इस मार्किंग से आप संतुष्ट थे ?

उत्तर - जिस तरह से यह मार्किंग , रिकार्डिंग व लिस्टिंग उत्खननकर्ताओं के द्वारा उनकी दृष्टि में केवल महत्वपूर्ण पुरावशेषों की ही की जाती थी , उससे मैं संतुष्ट हूँ , परन्तु जिस तरह से बहुत सी सामग्री की अनदेखी की जा रही थी , उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ ।

प्रश्न - जिन पुरावशेषों की अनदेखी किया जाना आप बता रहे हैं , उनकी संख्या कम थी अथवा बहुत ज़्यादा थी ?

उत्तर - सबसे पहले यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि पुरावशेषों से मेरा क्या अभिप्राय है । मेरी दृष्टि से उन सभी वस्तुओं (सामग्रियों) को पुरावशेष की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है या जिन पुरावशेषों से

मानव , मानव क्रियाओं व मानव प्रयासों से सम्बन्ध रहा हो , ऐसी स्थिति में पुरास्थलों पर जो भी जानकारी इस तरह के पुरावशेषों के रूप में प्राप्त होती है , उन सभी की रिकार्डिंग , लिस्टिंग व प्रिज़र्वेशन आवश्यक होता है , इस आधार पर बहुत ऐसी सामग्री थी , जिसकी न तो प्रारम्भ में रिकार्डिंग हुई और न मार्किंग की गई , न ही उनकी लिस्टिंग की गई और न ही उनको प्रिजर्व करने का प्रयास किया गया । पुरातत्व में स्टेटिस्टिक्स दृष्टि से विश्लेषण करने के लिए इस तरह के सभी उत्खनित पुरावशेषों को शामिल करने की आवश्यकता होती है , जो इस खुदाई के दौरान किया गया । जहाँ

प्रश्न - क्या आप किसी ऐसे महत्वपूर्ण पुरावशेष के बारे में बता पाएंगे , जो उत्खनन के दौरान मिला हो , परन्तु उत्खननकर्ताओं के द्वारा उनकी मार्किंग व रिकार्डिंग न की गई हो ?

उत्तर - हाँ, निश्चित तौर पर मैं यह बता सकता हूँ कि किन - किन पुरावशेषों की आवश्यकतानुसार रिकार्डिंग , लिस्टिंग व विश्लेषण नहीं किया गया है । इस तरह की सामग्री में मुख्य रूप से उत्खनन स्थल पर पाई जाने वाली हड्डियों को मद्देनज़र नहीं रखा गया था । ठीक वैसे ही उत्खनन स्थल पर विभिन्न पर्तों (स्तर विन्यास) के रूप में जो मिट्टी मिल रही थी , उस मिट्टी को भी नज़र अंदाज किया गया था, जो नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस तरह की जो मिट्टी होती है , वह न तो सामान्य मिट्टी की तरह से होती है और न ही पुरातात्विक दृष्ट से अध्ययन के लिए यूज़लेस होती है । यहाँ हम उत्खनन के माध्यम से जिस तरह का अध्ययन करना चाह रहे थे , वह केवल इस स्थल पर मौजूद पुराने भवनों से ही सम्बन्धित नहीं था , अपितु इस उत्खनन के दौरान वास्तविक उद्देश्य यह था कि यहाँ पर रहने वाले सभी प्रकार के , सभी कालों के मनुष्यों की समग्र गतिविधियों का अध्ययन किया जाए और इस पुरास्थल का सम्पूर्ण जीवन - चित्रण किया जा सके । जिस

मिट्टी की मैंने उपरोक्त पंक्तियों में चर्चा की है , वह मिट्टी मानव की गतिविधियों का एक बहुत बड़ा प्रतिबिम्ब होती है , जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ - पौधों व अनाजों के अवशेष भी उपलब्ध होते हैं , ये अवशेष सामान्य परिस्थितियों में केवल मात्र देखने से नज़र नहीं आते हैं , इसीलिए इनको पहचानने के लिए व सूक्ष्म से सूक्ष्म अवशेषों को अलग करने के लिए मिट्टी के विश्लेषण की विशेष पुरातात्विक पद्धतियों का सहारा लिया जाता है , जो यहाँ पर नहीं हुआ या समुचित रूप से नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में यह विश्लेषणकर्ता पर निर्भर करता है कि उत्खनन से प्राप्त इस सामग्री को कितना प्रतिशत महत्व दिया जाता है ।

प्रश्न - मेरा यह बहुत स्पष्ट प्रश्न था कि सन् 2003 के उत्खनन के दौरान जो अयोध्या में किया गया था , आपकी उपस्थिति के दौरान कोई महत्वपूर्ण पुरावशेष मिला हो , जिसकी उत्खननकर्ताओं ने न तो मार्किंग किया हो , न रिकार्डिंग किया हो और न ही उसकी लिस्टिंग की गई हो तथा उसे यूज़लेस बताकर फेंक दिया हो , तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण पुरावशेष के नाम बताने की कृपा करें ?

उत्तर - मैंने उपरोक्त पंक्तियों में इस सवाल का जवाब अपनी समझ - बूझके अनुसार दिया है , परन्तु शायद यह उचित नहीं प्रतीत हुआ , इसलिए इसका जवाब मैं पुनः दे रहा हूँ । मैंने जो उपरोक्त पंक्तियों में दो महत्वपूर्ण पुरावशेषों (हड्डियाँ व लेयर से प्राप्त मिट्टी) की चर्चा की है , वही इसका जवाब है ।

पुरावशेषों में निश्चित तौर पर भी मिट्टी को लिया जाता है लेकिन यह मिट्टी वही होती है जिसमें मानवीय क्रियाओं का समिश्रण या योग पाया जाता है। मैंने उस पक्ष के लोगों को जिसकी तरफ़ से मैं एक्सपर्ट के रूप में उत्खनन स्थल पर उपस्थित था, को मिट्टी की पुरातत्व के लिए जो

उपयोगिता है उसकी उत्खननकर्ताओं द्वारा अनदेखी किये जाने के बारे में बता दिया था।

प्रश्न- क्या आपकी जानकारी में यह तथ्य आया था कि मिट्टी के पुरावशेष को पुरातात्विक दृष्टि से उत्खननकर्ताओं द्वारा रिकार्ड न करने के संबंध में कोई आपत्ति किसी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी अथवा नहीं?

उत्तर-मेरा ऐसा अनुमान है कि संबंधित पक्ष की तरफ़ से यह बात अधिकारियों तक पहुँचायी गयी जिसके परिणामस्वरुप तत्पश्चात् खुदाई से प्राप्त मिट्टी का विश्लेषण व रिकार्डिंग का काम शुरु किया गया परन्तु उत्खननकर्ताओं द्वारा केवल यही कार्य(विश्लेषण) प्रारंभ किया गया परन्तु एक और अन्य आवश्यक क्रिया थी उसको फिर भी शुरु नहीं किया गया। वह क्रिया उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के दो तरह से उसी वक्त विश्लेषण किये जाने की है, उनमें से एक विश्लेषण के द्वारा मिट्टी को बारीक छलनी से छान लिया जाता है दूसरी विधि के अनुसार इस छानी गयी मिट्टी को पानी में फ्लोटेशन विधि के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। दोनों ही प्रकार की विधियों का उद्देश्य यह होता है कि खुदाई के दौरान प्राप्त की गयी मिट्टी में किसी भी तरह के छोटे से छोटे मानवीय क्रियाओं के सूचना देने के पुरावशेष मिट्टी के साथ न चले जायें। इस तरह की क्रियाओं के करने के परिणाम स्वरुप जो भी जानकारी पुरावशेषों के रुप में या उनकी अनुपस्थिति के रुप में प्राप्त होती हैं, वह मानवीय क्रियाओं के सर्वांगीण रुप को समझने में बहुत मदद करते हैं। पुरास्थल पर्तों में जो मिट्टी प्राप्त होती है, उस मिट्टी के आधार पर मिट्टी के उद्गम स्थान का अनुमान भी लगाया जा सकता है।

प्रश्न-पुरावशेष के रुप में प्राप्त मिट्टी को विश्लेषित करने के दो तरीक़ों में से किस तरीक़े का प्रयोग एस0आई0द्वारा किया गया?

उत्तर- मेरी जानकारी के अनुसार उत्खननकर्ताओं द्वारा प्रथम विधि (जिसको छानने की विधि कहा जाता है अर्थात् ड्राई सीविंग भी कहा जाता है) विधि का ही प्रयोग किया गया था।

प्रश्न- आपने पुरावशेष के रुप में जिस मिट्टी का ज़िक्र किया है क्या वह किसी विशेष लेयर से संबंधित है अथवा वह हर लेयर के संबंध में लागू होती है?

उत्तर- सभी प्रकार के पुरास्थलों पर सामान्य परिस्थितयों में दो तरह के मिट्टी के जमाव उपलब्ध होते हैं। पहले मिट्टी के जमाव के, जो पर्त के रुप में पायी जाती हैं, जो अवशेष मिलते हैं, वह प्राकृतिक शक्तियों की क्रियाओं का परिणाम होते हैं। आमतौर पर इस तरह की पर्त निर्जन पुरास्थल के ऊपरी सतह पर या जब भी कभी पुरास्थल निर्जन हो गया हो और लम्बे समय तक उसी अवस्था में रहा हो, ऐसी परस्थितियों के कारण जमी हुई अवस्था में पाये जाते हैं । इस तरह की प्राकृतिक क्रियाओं से निर्मित पर्तों में मानवीय क्रियाओं की कोई विधिवत जानकारी देने के लिए अवशेषों की उपस्थित नहीं पायी जाती है। दूसरे तरह के पर्त का जो निर्माण होता है उसमें मानवीय गतिविधियों के नियमित अवशेष पाये जाते हैं। इस तरह से पुरास्थल पर पाये जाने वाली प्राचीनकाल में निर्मित जो पर्तें होती है और उन पर्तों में जो मिट्टी होती है ,उससे इसका संबंध है। पुरास्थल पर उपरोक्त दो प्रकार की मिट्टी मिलती है जो प्राकृतिक निर्मित तथा मानव निर्मित पुरातत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं।

प्रश्न- मिट्टी के इन पुरावशेषों के अध्ययन के लिए केवल एक ट्रेन्च से ही मिट्टी का विशलेषण आवश्यक था अथवा उत्खनित सभी ट्रेन्चों से ली गयी मिट्टी का विशलेषण आवश्यक था?

Sharma

उत्तर- इस पुरास्थल के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अति अवश्यक था कि केवल किसी एक ट्रेन्च के लेयर या उसकी सभी लेयर्स की मिट्टी के विश्लेषण के बजाय सभी ट्रेन्चों की सभी लेयर्स से प्राप्त होने वाली मिट्टी का विश्लेषण किया गया होता।

प्रश्न-मिट्टी के इन पुरावशेषों के अध्ययन के लिए मिट्टी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है?

उत्तर-इस तरह के उत्खनन के दौरान विभिन्न पर्तों से प्राप्त होने वाली मिट्टी के किसी अमुक अंश के विश्लेषण का सवाल नहीं है अपितु जो भी मिट्टी जितनी भी मात्रा में उत्खनन के दौरान प्राप्त हो रही है उस सारी मिट्टी का विश्लेषण करना आवश्यक होता है।

प्रश्न- इस तरह के विवादित स्थल पर इस प्रकार के मिट्टी के पुरावशेषों का अध्ययन करने के लिए बहुत समय व्यर्थ हो सकता है जो इस न्यायिक कार्यवाही की दृष्टि से संभव नहीं था, इस संबंध में आपको क्या कहना है? यह बताने का कष्ट करें।

उत्तर-उत्खनन स्थल का भारतीय इतिहास की दृष्टि से जो महत्व है , उसको देखते हुए इस स्थान की खुदाई के लिए लम्बे समय की आवश्यकता तो थी ही इसलिए समुचित विशलेषण करने के लिए समय सीमा के साथ बांधकर विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए उत्खनन किया जाना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है । इस तरह के उत्खनन में जो लम्बा समय व्यर्थ होने की संभावना व्यक्त की गयी है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि खुदाई के दौरान उन सभी तौर तरीक़ों को या तकनीकों को अपनाने की ज़रुरत होती है जो उस वक्त ज्ञात होते हैं और खुदाई के माध्यम से मानवीय क्रियाओं के हर पहलू के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए समय सीमा से हटकर उत्खनन विशलेषण करना ही आवश्यक होता है।

प्रश्न- हडडी तथा मिटटी के पुरावशेषो के अतिरिक्त ऐसे कौन से पुरावशेष थे जिनको एस0आई0वालों ने अनावश्यक समझकर उसका अध्ययन न किया हो, उसे फेंक दिया हो अथवा उसे हटा दिया हो, कृपया इस संबंध में बताने का कष्ट करें?

उत्तर-इस संबंध में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि उत्खनन के दौरान एक विशेष प्रकार के मृदभांड (ग्लेज़्ड वेयर) भी पाये गये थे, इन मृदभांडो के अवशेषो पर भी प्रारंभ में उत्खननकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार की तवज्जो नही दी गयी थी , मृदभाण्डों के अतिरिक्त एक ख़ास तरह की टाईल (ग्लेज़्ड टाईल्स)का प्रमाण भी उत्खनन के दौरान प्राप्त किया गया था। इस प्रमाण के रिकार्डिंग को भी दर किनार कर दिया गया था। हलांकि यह दोनों ही प्रकार के पुरावशेष इस पुरास्थल के अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे और हैं।

प्रश्न- जिन ग्लेज़्ड वेयर या ग्लेज्ड टाईल्स के बारे में आपने अभी अपने ऊपर बयान में बताया है वह किस काल से संबंधित रहे होगें ,कृपया बताने का कष्ट करें?

उत्तर-पुरातत्व में जो भी अवशेष उपलब्ध होते हैं (ग्लेज़्ड वेयर व ग्लेज्ड टाईल्स सहित) वे सभी अवशेष एक काल विशेष और उस काल में प्रचलित तकनीकी ज्ञान व उसके प्रयोग के परिणामस्वरुप तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति में यह पुरावशेष एक काल विशेष व तकनीकी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं । मेरी जानकारी के अनुसार इस तरह की तकनीक अरब देशों में प्रारंभ हुई और जिस समय अरबवासियों का भारत के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ वह समय इस तरह के मृदभांडों के प्रचलन का प्रारंभ माना जाता है। जिसका अर्थ यह है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी सन् से भारत में इस तरह के नये प्रचलन की शुरुआत मानी जा सकती है।

प्रश्न- सातवीं शती के जिन अरबवासियों का ज़िक्र जो आपने अभी बयान में किया है उनके वंश का क्या कोई इतिहासिक प्रमाण मिलता है?

उत्तर-भारतीय उपमहाद्वीप मे रहने वाले लोगों के व भारतीय उपमहाद्वीप के प्रदेशों के साथ अरबवासियों का जो संबंध स्थापित हुआ वह केवल वंश या वंशों तक ही सीमित नहीं था बल्कि सामान्य जन मानस के बीच में अधिक था और इनके द्वारा जो गतिविधियाँ या क्रियायें की गयीं, उनके इतिहास में किसी न किसी रुप में प्रमाण भी मिलते हैं।

प्रश्न-आपने आज ही पृष्ठ 73 पर ऊपर से 9वीं तथा10वीं लाईन में यह कहा है कि " अयोध्या के उत्खनन .....मिला है ",कृपया इसमें उल्लिखित प्रकाशित सामग्री जिन्हें पढ़ने का आपको मौक़ा मिला है, का उल्लेख करें?

उत्तर-मैंने यह चर्चा आवश्य की थी और जो सामग्री अयोध्या के उत्खनन से सबंधित मुझे पढ़ने का मौक़ा मिला था, उसमें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास व पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में जो अवशेष मिले थे उनकी चर्चा करना चाहूँगा। इसी तरह से प्रो0 बी0बी0लाल के द्वारा पिछली शताब्दी के सत्तर के दशक के मध्य में इस स्थल पर जो खुदाई करवायी गयी थी, उसके प्रकाशित अंशों को भी पढ़ने का मौक़ा मिला था इसके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग के द्वारा सन्2003 में जो खुदाई की गयी और उसकी रिपोर्ट पेश की गयी उस रिपोर्ट के टेक्स्ट को भी पढ़ने का मौक़ा मिला था। अतःअयोध्या के उत्खनन से संबंधित जो भी प्रकाशित सामग्री उपलब्ध थी, उसका मैने अध्ययन करके समझने का प्रयास किया।

प्रश्न- आपने आज पृष्ठ 74 पर दिये गये बयान के अंश में यह कहा है कि " मैंने भी पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया है ",कृपया यह पुरातात्विक अवशेष जिनका आपने अध्ययन किया है, वे कौन-कौन से है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें?

उत्तर- सभी पुरावशेषों का और उनके विस्तृत अध्ययन का बयान करना तो यहाँ पर संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि पुरावशेष अनेक रहे हैं परन्तु उनमें से कुछ पुरावशेषों के नाम का उल्लेख तो किया ही जा सकता है। इन पुरावशेषों में मैं मृद्भांड (विभिन्न सेरेमिक वेयर्स), ब्रिक्स, फ्लोर्स, तथाकथित पिलरबेसेज़ , हड्डियाँ, दीवाल, वाटर टैंक, तथाकथित श्राइन, लेयर्स (स्तर विन्यास) आदि को सम्मिलित करना चाहूँगा।

प्रश्न-आपने आज ही पृष्ठ 76 पर ऊपर से 8वी तथा 9वीं लाईन में दिये गये बयान के अंश में " तथाकथित महत्वपूर्ण अवशेष " का उल्लेख किया है ,कृपया यह बतायें कि यह कथाकथित महत्वपूर्ण अवशेष क्या थे?

उत्तर-"तथाकथित" पुरावशेषों से मेरा तात्पर्य यह था" कि उस वक्त पुरातत्व विभाग के उत्खननकर्ताओं की दृष्टि से इस स्थल के उत्खनन के लिए जो पुरावशेष महत्वपूर्ण था"।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

16.11. 2005

मेरे बोले जाने पर आशुलिपिक द्वारा खुले न्यायालय में टाईप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दि0 17.11.2005 को प्रस्तुत हो।

(हरि शंकर दूबे)
आयुक्त
16.11.2005

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज / विशेष कार्याधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ पीठ , लखनऊ

(अन्य मूलवाद संख्या- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उत्तर प्रदेश व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा नियुक्त)

दिनाँक 17.11.2005 **पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान**

(पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांक - 16.11.2005 के क्रम में अन्य मूलवाद सं0- 3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री रंजीत लाल वर्मा ,एडवोकेट द्वारा जारी)

ए0एस0आई0 की रिपोर्ट को मैंने पूरा पढ़ा है। मुझे यह भी मालूम है कि माननीय न्यायालय ने ए0एस0आई0 से विवादित स्थल के संबंध में रिपोर्ट माँगी थी। मुझे इसके संबंध में जानकारी नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय ने किसी एक ख़ास उद्देश्य से कोई रिपोर्ट माँगी हो, स्वयं कहा कि जिसका अर्थ यह हो कि उत्खनन की तमाम विधियों व उत्खनन से प्राप्त सभी प्रकार की जानकारियों या अवशेषों का उलंघन करके रिपोर्ट दे दिया जाये।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 की रिपोर्ट के वैलयूम -1 (टैक्सट) के पृष्ठ 8 के शीर्षक " आब्जेक्टिव एण्ड मैथाडालाजी " के नीचे लिखी चार पंक्तियों पर आकृष्ट किया, साक्षी ने इसे देखने के बाद बताया कि मैंने रिपोर्ट के इस अंश को पढ़ा है। इसी रिपोर्ट के

पृष्ठ 272 के दूसरे प्रस्तर के प्रथम - 7 पंक्तियों पर ध्यान आकृष्ट कराये जाने पर साक्षी ने इसे पढ़ने के बाद बताया कि रिपोर्ट की इन पंक्तियों को मैंने पढ़ा है।

प्रश्न - पुरातत्व से संबंधित मानव इतिहास के स्थूल रुप से कितने भाग किये जा सकते हैं?

उत्तर - मानव इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास काल को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिनमें प्री-हिस्ट्री (प्रागैइतिहास),प्राटो-हिस्ट्री (प्राक् या आद्य इतिहास),अर्ली हिस्टारिकल पीरियड ,हिस्टोरिकल ,अर्ली मिडिवल पीरियड ,मिडिवल पीरियड , लेट मीडिवल पीरियड व आधुनिक कालों में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन मैंने मानवीय इतिहास के विकास का जो सिलसिला होता है और जिसका अध्ययन किया जाता है ,उस विकास के सिलसिले के आधार पर सम्पूर्ण भारतीय इतिहासकाल को उपरोक्त भागों में विभाजित किया है।

प्रश्न- मिडवल पीरियड का विभाजन आपने किस आधार पर किया है?

उत्तर- किसी भी काल के विभाजन के लिए उसके कुछ प्रमुख विकास संबंधी आधार होते हैं। ठीक इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास के भी अपने कुछ आधार हैं, जिन आधारों में एक प्रमुख आधार यह है कि इस युग में एक ख़ास तरह के आर्थिक विकास की शुरुआत व प्रचलन देखा जाता है । इस आर्थिक आधार के अनुसार कृषि उत्पादन की जो विधियाँ है, उनमें समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। इसका तात्पर्य संक्षेप में यह है कि कृषि उत्पादन विधि के अनुसार किया

जाता है और उसी के अनुरुप समाज के विकास की प्रक्रिया को समझा जाता है।

प्रश्न - मध्यकाल में कृषि उत्पादन की विशेष प्रक्रिया थी तथा यह किस समय से लेकर कब तक थी ?

उत्तर -मध्यकाल में सामन्तवादी (फ़्यूडलिज़्म) उत्पादन की व्यवस्था के अनुसार कृषि उत्पादन का कार्य किया जाता था और जहाँ तक इसके प्रचलन के काल का सवाल है उसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर यह अर्ली मिडिवल से शुरु होता हुआ पाया जाता है और आधुनिक युग के प्रारंभ होने तक प्रभावशाली रुप में देखा जाता है लेकिन इसका यह क़तई अर्थ नहीं समझना चाहिए कि आधुनिक भारत काल की शुरुआत के पश्चात् यह प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गयी थी।

प्रश्न- भारतीय इतिहास की दृष्टि से आप द्वारा वर्णित सामन्तवादी प्रथा का काल कब से लेकर कब तक रहा है?

उत्तर- मोटे तौर पर 7 वीं शताब्दी ईस्वी सन् के प्रारंभ से लेकर 18 वीं शताब्दी के मध्य तक यह प्रथा प्रभावशाली रही है।

यह कहना उचित नहीं होगा कि पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का स्थूल रुप से विभाजन पाषाण युग,कांस्य युग तथा लौह युग में ही किया जाता है, क्योंकि पुरातात्विक अध्ययन की महत्ता मानव इतिहास के अध्ययन के लिए है न कि केवल उपरोक्त तीन कालों के मानव जीवन के अध्ययन के लिए ही है। यह कहना सही है कि पुरातात्विक अध्ययन मानव को केन्द्र में रखकर किया जाता है।

प्रश्न - मेरा यह कहना है कि मानव के अतीत के अज्ञातनामे की जानकारी के लिए उस काल और देश के संस्कृतियों का क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक है इसके संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर - मैं इस सवाल को सुनने के बाद यह समझ पाया हूँ कि विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता मानव संस्कृति के एक तो उस काल के बारे में पुरातात्विक अध्ययन की उपयोगिता को जानना चाहते हैं जिसके विषय में हमारे पास लिखित स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं और दूसरे उस काल के बारे में पुरातत्व के अध्ययन की उपयोगिता जानना चाहते हैं जिस काल के विषय में हमारे पास लिखित स्त्रोत उपलब्ध हैं, इस संबंध में मेरी यह समझ है कि दोनों में से चाहे किसी भी काल का हम अध्ययन करना चाहें पुरातत्व का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और पुरातात्विक अध्ययन करते समय लिखित स्त्रोतों से सांस्कृतिक काल के बारे में जानकारी यदि उपलब्ध हो, तब भी पुरातात्विक अध्ययन से प्राप्त होने वाली सामग्री को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए पुरातात्विक अध्ययन से उपलब्ध होने वाले अवशेषों के आधार पर लिखित स्त्रोतों में जो उल्लेख मिलते हैं उनका अवलोकन किया जाता है। ऐसा करना उचित नहीं है कि साहित्यिक सूचनाओं को प्रमुख मानकर उसकी पूर्ति व संतुष्टि के लिए ही पुरातत्व का अध्ययन किया जाये।

मेरा यह कहना नहीं है कि पुरातात्विक अध्ययन के लिए लिखित सामग्री का होना ही आवश्यक हो । पुरातत्ववेक्ता सर्वेक्षण के दौरान सतह से उपलब्ध सामग्री (पुरातात्विक अवशेष) या उत्खनन से उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन अपने तरीक़े से कर ही सकता है और उस पर अपनी

समझ को लिखित रुप में भी पेश कर सकता है। यदि पुरावशेषों के संबंध में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं भी हो तब भी पुरात्ववेत्ता उसका अध्ययन कर सकता है।

प्रश्न - मानवकृत पुरावशेषों को कितने भागों में बाँटा जा सकता है?

उत्तर - मानवकृत पुरावशेषों को मानवीय क्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है, मानवीय क्रियाओं के परिणामस्वरुप उन क्रियाओं के जो भी अवशेष उपलब्ध होते हैं उन सभी अवशेषों को पुरावशेषों के रुप में माना जा सकता है। जहाँ तक मानवीकृत पुरावशेषों को विभाजित किये जाने का सवाल है इसके संबंध में मेरा अपना वर्गीकरण का कोई एक या दो आधार नहीं है अपितु मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न अवशेषों को अनेक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर निर्भर करता है। मानवकृत पुरावशेषों को आर्थिक दृष्टि से चल तथा अचल पुरावशेषों के रुप में विभाजित किया जा सकता है, चल पुरावशेषों को समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि जिन अवशेषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित–शिफ़्ट या ट्रासंपोर्ट किया जा सकता हो , उनको चल पुरावशेषों के रुप में देखा जा सकता है। चल पुरावशेषों के उदाहरण बर्तन,आभूषण ,कृषि के उपकरण आदि हैं।

उत्खनन के दौरान जो मृद्भांड प्राप्त होते हैं, उन मृद्भांडों के अध्ययन के आधार पर उस स्थान व काल विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के जीवनस्वरुप का आभास मिलता है।

प्रश्न - व्यापारिक गतिविधियों के कारण यदि किसी दूसरे देश काल से एक निश्चित देश काल में कोई पुरावशेष आ गया हो, तो क्या वह पुरावशेष वहाँ की उस समय की संस्कृति का विखण्डन करेगा?

उत्तर - किसी उत्खनन स्थल पर उत्खनन के दौरान जो भी अवशेष उपलब्ध होते हैं जिनमे मृद्भांडों को भी सम्मिलित किया जाता है ,ये अवशेष व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से भी आ सकते हैं या आये हो सकते हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन जिस समय इन अवशेषों के व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से उत्खनित स्थल पर पहुँचने के कारणों को जानने व समझने का प्रयास किया जावेगा तब निश्चित तौर पर ऐसे उन सभी अवशेषों को जानने की भी ज़रुरत होती है जो व्यापारिक गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर वहाँ पर पाये जाते हैं।अगर मृद्भांडों के अतिरिक्त व्यापारिक गतिविधियों को स्पष्ट करने वाले सहायक अवशेष उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में विशेष प्रकार के मृद्भांडों के उक्त स्थल पर पहुँचने की संभावना घट जाती है। उत्खनन स्थल पर विदेशों से संबंध रखने वाले मृद्भांडों के रुप में जो अवशेष प्राप्त होते हैं उन अवशेषों से निश्चित तौर पर उस समय व स्थान की संस्कृति के विखण्डन का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन यह तो समझ में आता है कि नये प्रकार के मृद्भांडों का जो प्रचलन हो रहा है वह एक नये प्रकार के सांस्कृतिक प्रणाली या पद्धति के प्रचलन का संकेत कर रहा है ।

विदेशी आक्रांताओं के द्वारा लाये गये व छिटपुट अवशेष जो पीछे छूट गये और उत्खनन के दौरान पुरास्थल पर विधिवत् रुप से जो पुरावशेष एक

काल विशेष में निरन्तर रुप से पाये जाते हैं , दोनों प्रकार के उक्त अवशेषों को अलग - अलग से समझने की ज़रुरत होती है और निश्चित तौर पर उस स्थल के उस अमुक काल के सांस्कृतिक अवशेषों पर उसके प्रभाव को अलग - अलग रुप से देखे जाने की ज़रुरत भी है, क्योंकि दोनों प्रकार के अवशेषों के प्रभाव स्पष्ट रुप से विश्लेषण के दौरान भिन्न - भिन्न दिखायी देंगे।

प्रश्न- क्या विदेशी आक्रांताओं द्वारा छोड़े गये छिटपुट पुरावशेषों के कारण भारतीय संस्कृति का उस समय का मौलिक स्वरुप समाप्त हो जावेगा?

उत्तर-मेरा ऐसा मानना नहीं है कि विदेशी आक्रान्ताओं के द्वारा छिटपुट सांस्कृतिक अवशेषों के छोड़ देने से या छूट जाने से किसी भी स्थान की मौलिक संस्कृति का रुप या स्वरुप बदल जावेगा। लेकिन अगर विदेशियों से संबंधित अवशेष उत्खनन में बराबर मिल रहे हों तब निश्चितत्तौर पर उनके द्वारा उस स्थान की संस्कृति को प्रभावित करने की क्रिया से इंकार नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत वस्त्र तथा आभूषण विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार के पाये जाते हैं परन्तु कभी - कभी निरंतरता भी पायी जाती है क्योंकि ये मानवीय क्रियाओं के स्वरुप में बदलाव व निरंतरता का संकेत देते हैं और जो बदलाव आता है वह एक इवेन्ट (घटना) के रुप में नहीं अपितु सतत् विकास की क्रिया का हिस्सा होते हैं।

प्रश्न- भारतवर्ष में विशेष देश व काल में आर्यों तथा अनार्यों का पहनावा तथा उसके पहनने का तरीक़ा अलग-अलग रहा है, इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- उपरोक्त सामाजिक समुदायों के संबंध में मेरे पास कोई ठोस पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर मैं यह कह सकूँ कि अमुक व्यक्ति व अमुक समुदाय के व्यक्ति आर्य थे या हैं और अमुक समुदाय के व्यक्ति अनार्य थे या हैं। अतः इनके पहनावे से संबंधित सवाल मुझे तर्क संगत नहीं लगता है।

तर्क का क्या मायने होता है इसको मैं नहीं जानता हूँ। पुनः कहा तर्क का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट था और इसको दुबारा पूछने की मेरी समझ से कोई आवश्यकता नहीं थी । यह कहना सही है कि भारत के प्राचीन काल के काव्य, नाटक तथा उपन्यासों अर्थात् कालीदास तथा वात्यायान के साहित्य में भारत के लोगों के पहनावे तथा उसकी शैली एवं आभूषण का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यह भी हो सकता है कि इस साहित्य में आर्य और अनार्य का भी विवरण मिलता हो। कालिदास गुप्त काल में थे। वात्सायन भी उनके समकालीन थे।

प्रश्न- उपरोक्त कालिदास तथा वात्सायन के साहित्य में नृत्यांगना को वेड़ी , कंचुकी धारण किये हुए तथा नाभि से बांधी हुई साड़ी को दर्शाया गया है इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर - मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भारतीय नृत्यांगना को इस रुप में दर्शाया गया है अथवा नहीं ,लेकिन इस तरह का चित्रण साहित्यिक रचनाओं में समय - समय पर मिलता है।

मुझे इस संबंध मे जानकारी नही है कि उपरोक्त साहित्य में इस तरह के पहनावे का विवरण प्राप्त होता है अथवा नहीं । जहाँ तक पुरातात्विक अवशेषों पर इस तरह के पहनावे के उत्कीर्ण होने का सवाल है, उसके संबंध

में मैं यह कह सकता हूँ कि हू-बहू वैसे ही वस्त्रों के चित्रण किये गये हों, यह तो ज़रुरी नहीं है ,परन्तु विभिन्न प्रकार के परिधानों के चित्रण उत्कीर्ण के माध्यम से पुरावशेषों पर समय - समय पर किये गये हैं। मैं खुजराहो गया नहीं हूँ ,इसलिए यह नहीं बता सकता हूँ कि इस प्रकार के उत्कीर्ण मंदिरों के अलंकरण के चित्र वहाँ पर मिलते है या नहीं। मैं गोला मठ, सतना नहीं गया हूँ।

अयोध्या में जब मैं पहली बार गया था तब मैंने वहाँ पर ब्लेक बसाल्ट नामक खम्भों के ऊपर नृत्यांगना तथा उपरोक्त विवरण के पुरुष का चित्र देखा हो, तो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रो0 बी0बी0लाल साहब के द्वारा अयोध्या में पिछली शताब्दी के 70के दशक में जो उत्खनन कराया गया उस उत्खनन से नृत्यांगना व पुरुष के चित्रों के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। श्री के0वी0सुन्दराराजन भूतपूर्व संयुक्त महानिदेशक भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम मैंने सुना है। अयोध्या से संबंधित सुन्दराराजन साहब की रिपोर्ट के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे यह याद नहीं आ रहा है कि के0वी0सुन्दराराजन साहब की कोई रिपोर्ट अयोध्या के उत्खनन के सबंध में है या नहीं।

विदेशी यात्रियों द्वारा जहाँ तक पुरावशेषों के लाने एवं उनके छोड़े जाने का प्रश्न है उनके संबंध में मेरा यह कहना है कि इस तरह के यात्री अपनी यात्रा के दौरान कुछ (सीमित)सामग्री ला भी सकते हैं और इस तरह की सीमित सामग्री के अवशेष उन स्थानों पर छूट सकते हैं ,जहाँ - जहाँ इन यात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान पर्यटन किया हो, परन्तु इस तरह की सामग्री उत्खनन में विधिवत् रुप से बराबर मिलने की बजाय बहुत नगण्य

होती है। जहाँ तक नृतकियों व अलंकृत पुरुषों की तस्वीरों के देखने का सवाल है तो यह कोई असंभव बात नहीं है और मैंने इस तरह के चित्र अनेक जगहों पर अनेक रुपों में देखें हैं। इस तरह की आकृतियों को देखने के लिए पुरातत्व से संबंधित अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं लेकिन यहाँ मैं एक पुस्तक जिसका शीर्षक " राइज़ आफ़ सिविलाईज़ेशन इन इण्डिया एन्ड पाकिस्तान " है तथा जिसे " अलचिन साहब " द्वारा लिखा गया है,में देखा जा सकता है। इस पुस्तक का प्रकाशन संभवतः 1984 में हुआ था। इस पुस्तक की रचना एक पुरातत्ववेत्ता के द्वारा सिन्धु घाटी की सभ्यता से उत्खनित स्थलों से प्राप्त होने वाली सामग्री पर आधारित है। अतएव जहाँ तक उपरोक्त चित्रों का संबंध है इस पुस्तक को प्रमाणिक माना जाता है। यह पुरातत्ववेत्ता इंग्लैण्ड के हैं तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक पुरातत्ववेत्ता के रुप में सेवा निवृत्त हुए हैं। पुरातात्विक सामग्री का काल निधार्रण करने के लिए "प्रमुख आधार स्तर "(लेयर्स) होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस लेयर्स से प्राप्त होने वाली सामग्री का तिथिकरण करने की अनेक विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियाँ भी उपलब्ध हैं।

प्रश्न- क्या इन उपलब्धियों में आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, बौद्धिक ,सामाजिक, साहित्यिक उपलब्धियाँ भी सम्मिलित हैं?

उत्तर - मैं इस संदर्भ में सवाल का जो अंश " इन उपलब्धियों " वाला है उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ।

प्रश्न- प्रोटो हिस्ट्रारिक ऐज़ लेखन कला के विकसित होने के बाद का काल है अथवा उसके पहले का काल है?

उत्तर- यह काल लेखन कला की जानकारी की शुरुआत का काल है।

लेखन कला की शुरुआत, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सिंधुघाटी की सभ्यता के साथ संबंधित है। यह बात सत्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि का अनेक प्रयासों के बावजूद भी सफलतापूर्वक अध्ययन नहीं किया जा सका है। सिंधु घाटी की लिपि को अनेक विद्वानों के द्वारा पढ़ने का प्रयत्न किया गया है।विद्वानों के अतिरिक्त कुछ सामान्य व्यक्तियों के द्वारा भी इसको पढ़ने की कोशिश की गयी है । विद्वानों में अस्को पार ला का नाम ले सकते हैं और सामान्य व्यक्तियों में हरियाणा के भिवानी जिले के श्री हरीसिंह व बिहार के ट्रांसपोर्ट आफ़िसर श्री ओमप्रकाश का नाम ले सकते हैं।

प्रश्न- पुरातात्विक ज्ञान के लिए सामान्य व्यक्तियों के निष्कर्षों तथा उनके द्वारा की गयी रिकार्डिंग की गणना होती है या नहीं ?

उत्तर- सामान्य व्यक्तियों के द्वारा भी कई बार पुरातत्व के अनेक मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती हैं और ऐसी स्थिति में उस जानकारी को उपयोगी माना जाता है लेकिन ऐसे सभी व्यक्तियों को पुरातत्व विज्ञान की ज्ञाता के रुप में स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न- क्या ऐसे सामान्य व्यक्तियों द्वारा दी गयी सूचना को आधार बनाकर एक पुरातत्ववेत्ता के लिए उस सूचना के आधार का निष्कर्ष मानना लाज़मी है या स्वैच्छिक?

उत्तर- यहाँ पर सामान्य व्यक्ति द्वारा दी गयी जानकारी की गुणवत्ता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसमें स्वैच्छिक व अनिवार्यता का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न- क्या सामान्य व्यक्ति की पुरातत्व संबंधी अपनी जानकारी के आधार पर किये गये निष्कर्ष को, पुरातत्ववेत्ता द्वारा मानना लाज़मी है या स्वैच्छिक है?

उत्तर-किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा किसी पुरावशेष का विश्लेषण करने पर और एक विशेष निष्कर्ष पर पहुँचने पर पुरातत्ववेत्ता के लिए यह जानना आवश्यक है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा पुरावशेषों का विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है अथवा नहीं,अगर यह निष्कर्ष वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है अन्यथा नहीं। यहाँ पर पुरातत्ववेत्ता की स्वेच्छा अथवा निष्कर्ष को मानने की अनिवार्यता की बात नहीं है बल्कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए उसके द्वारा जिस पद्धति का अनुकरण किया गया है, उसको देखने की ज़रुरत होती है।

प्रागैतिहासिक काल (प्री हिस्ट्रारिक पीरियड) को लेखन कला की जानकारी की शुरुआत के काल से पहले माना जाता है। भारतवर्ष में लेखनकला की लिपि का ज्ञान सिंधुघाटी की सभ्यता के काल से जुड़ा है लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है,इसलिए इसके बाद भारतवर्ष में एक दूसरी लिपि (ब्राह्मी लिपि) पायी जाती है, जिसका सफलतापूर्वक अध्ययन भी किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में ब्राह्मी लिपि को ही प्रथम लिपि कहा जावेगा, जिसका अध्ययन हो चुका है। मुझे ब्राह्मी लिपि का अध्ययन अपने एम0ए0द्वितीय वर्ष के दौरान मिला। उसके बाद ब्राह्मी लिपि को नहीं पढ़ा हूँ इसलिए इस वक़्त समुचित रुप से मेरे लिए इस लिपि को पढ़ना संभव नहीं होगा। जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि ब्राह्मी लिपि पर अन्य किसी लिपि अर्थात् चीनी तथा यूनानी लिपि का कोई प्रभाव रहा है और बाद में भी मैंने इस संबंध में जानने का प्रयास नहीं किया है।

मेरे मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 3 के प्रस्तर - 5 का अन्तिम प्रस्तर जो इस पृष्ठ पर दिया गया है कि दूसरी पंक्ति में ट्रेन्च - ई 6 तथा ई-7 का उल्लेख किया गया है यह ट्रेन्च मेकशिफ़्ट स्ट्रक्चर के दक्षिणी कोने पर स्थिति है। ट्रेन्च वाल सं0 16 तथा 17 इस ट्रेन्च ई -6 ,ई -7 में है अथवा इससे होकर जाती है ,इसके बारे में मैं इस वक़्त नहीं बता पाऊँगा। ट्रेन्च एफ़ 4/एफ़ 5 मेकशिफ़्ट स्ट्रक्चर के सामने स्थित है। ट्रेन्च एफ़ 4 व एफ़ 5 की शुरुआत की खुदाई मेरे सामने हुई थी। इन ट्रेन्चों की खुदाई एक फ़िट हुई या डेढ़ फ़िट हुई पर इन ट्रेंन्चों में उक्त शुरूआती खुदाई मेरे सामने हुई थी। मैंने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ-पत्र के पृष्ठ 3 पर अन्तिम प्रस्तर की तीसरी पंक्ति में एफ़ 4/एफ़ 5 के सामने (जो लेयर 4 लिखा है) उसका उल्लेख मैंने ए0एस0आई0 की रिपोर्ट देखकर किया है। ए0एस0आई0की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद मैं यह बता पाऊँगा की उपरोक्त लेयर 4 डम्प का है अथवा नहीं। उपरोक्त संदर्भित प्रस्तर में पाँचवी पंक्ति में ट्रेन्च सं0 जी2 का उल्लेख है। यह ट्रेन्च मेकशिफ़्ट स्ट्रक्चर के उत्तर पूर्वमेंसीता की रसोई की तरफ़ है। इसमें खुदाई ऊपर-ऊपर से मेरे सामने हुई थी।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

17.11. 2005

मेरे बोले जाने पर आशुलिपिक द्वारा खुले न्यायालय में टाईप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दि0 18.11.2005 को प्रस्तुत हो।

(हरि शंकर दूबे) 17.11.2005
आयुक्त
17.11.2005

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.10866-10867 OF 2010

IN THE MATTER OF:

MOHD. SADDIQ (D) THROUGH LRS. ...APPELLANT

VERSUS

MAHANT SURESH DAS & ORS. ETC. ...RESPONDENTS

STATEMENTS OF P.Ws & D.Ws

PAPER BOOK

VOLUME-XXXI
(PAGES 7451-7700)

FOR INDEX KINDLY SEE INSIDE

KAMLENDRA MISHRA
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT/STATE OF UTTAR PRADESH

I N D E X

VOLUME-XXXI
(PAGES 7451-7700)

Sr. No.	Particulars		Pages
84.	A true copy of the statement of PW-30 Dr. R.C. Thakran Continued in Volume-XXXII		7451-7700

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज / विशेष कार्याधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद , लखनऊ पीठ , लखनऊ

(अन्य मूल वाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0 प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में मा0 विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा नियुक्त)

दिनाँक 18.11.2005 पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांक - 17.11.2005 के क्रम में अन्य मूलवाद संख्या - 3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री तरूणजीत वर्मा ,एडवोकेट द्वारा जारी)

प्रश्न- क्या अयोध्या में कुषाण काल के बाद से आबादी या हैबीटेशन निरन्तर अवस्था में रहने का प्रमाण मिलता है ?

उत्तर - अयोध्या में उत्खनन के दौरान स्तर विन्यास के रूप में जो अवशेष मिलते हैं ,उन अवशेषों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कुषाण काल के बाद इस स्थल पर निरन्तर आबादी रही है।

प्रश्न- आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है मेरा प्रश्न यह था कि क्या पूरे अयोध्या में कुषाण काल तथा उसके बाद निरन्तर हैबीटेशन रहा है?

उत्तर - मेरी जानकारी के मुताबिक़ अयोध्या के पूरे स्थल पर उत्खनन कार्य नहीं हुआ है,इसलिए ऐसी स्थिति में यह कह पाना सम्भव नहीं होगा कि अयोध्या के पूरे स्थल पर कुषाण काल के बाद निरन्तर रूप से आबादी रही है।

प्रश्न- प्रो0 ए0के0नारायण एवं प्रो0 बी0बी0लाल तथा ए0एस0आई0 द्वारा सन् 2003 में विवादित स्थल पर किये गये उत्खनन एवं आपके अपने स्वयं के अध्ययन के आधार पर क्या आप यह बता पायेंगे कि अयोध्या में कुषाण काल के बाद निरन्तर हैबीटेशन रहा है या नहीं?

उत्तर - इस संबंध में मेरा यह कहना है कि उपरोक्त खुदाईयों से जो जानकारी मिली है और उसका जो मैंने विश्लेषण किया, उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्खनन स्थल पर कुषाण काल के बाद निरन्तर आबादी रही।

प्रश्न - तो क्या कुषाण काल के बाद अयोध्या में हैबीटेशन का जो गैप हुआ, उसके कितने समय बाद पुनः वहाँ पर नये हैबीटेशन की शुरूआत पुनः हुई?

उत्तर - मेरा इस संबंध में यह कहना है कि जब तक बस्ती के किसी काल विशेष में निर्जन होने के बाद प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जिस लेयर का फ़ारमेशन होता है उस लेयर की जब तक मोटाई के बारे में सही जानकारी उपलब्ध न हो तब तक अंतराल काल (गैप) की अवधि के बारे मे मेरे लिए इस वक़्त बताना सम्भव नहीं है।

प्रश्न- क्या आप अपने अध्ययन के आधार पर यह बता पायेगें कि कुषाण काल के बाद कब अयोध्या में हैबीटेशन निरन्तर होना चालू हुआ ?

उत्तर- अभी मैं इस संबंध में नहीं बता पाऊँगा।

भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा अयोध्या के विवादित स्थल पर सन् 2003 में जो उत्खनन कराया गया, उस उत्खनन के आधार पर जो उत्खनन की रिपोर्ट दी गयी, उसके अनुसार प्रारम्भिक बस्ती की शुरूआत इस स्थल पर कुषाण काल में होती है।

इस उत्खनन के उपरान्त भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी, उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी

में मानव के रहने के अवशेष सबसे ऊपरी चरण में मिलते हैं। खुदाई में 20वीं शताब्दी से संबंधित जो अवशेष उत्खनन स्थल पर मिले हैं,उनकी निश्चित तिथि के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा ,परन्तु मैं इस बात का संकेत अवश्य देना चाहूंगा कि सबसे ऊपरी फ़्लोर में (जो 20 वीं शताब्दी से संबंधित है) इस शताब्दी में तैयार व प्रयोग की गयी कुछ ईंटों के छापे मिले थे,जिनमें ईस्वी सन् भी अंकित था,लेकिन उस अंकित ईस्वी सन् की जानकारी मुझे अभी नहीं है। सन् 2003 के अयोध्या के विवादित स्थल के सबसे ऊपरी फ़र्श की खुदाई पर जिन ईंटों के छापे का ज़िक्र मैंने किया है,उनमें किसी वंश की जानकारी नहीं थी। इन ईंटों के अध्ययन करने पर वंश की जानकारी तो हासिल नहीं की जा सकती है,लेकिन उनके काल के संबंध में मालूम किया जा सकता है।

प्रश्न- अयोध्या के संदर्भ में ईंटों का प्रयोग किस काल में अथवा किस वंश में शुरू हुआ था?

उत्तर- मोटे तौर पर मेरी जानकारी के अनुसार इस स्थल पर कुषाण काल में ईंटों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ।

प्रश्न- सन्2003 में ए0एस0आई0 द्वारा विवादित स्थल पर किये गये उत्खनन के दौरान जब आप उपस्थित रहे थे तब क्या आपने उत्खननकर्ताओं के तौर तरीक़ों तथा कार्य पर गहन रूप से ग़ौर किया था अथवा नहीं?

उत्तर- अयोध्या के सन् 2003 के उत्खनन के दौरान उत्खननकर्ताओं द्वारा जो उत्खनन का कार्य किया जाता था,उसको हम देखते रहते थे। जहां तक गहन अध्ययन करने की बात है,वह तो तभी कही जा सकती है,जब मुझे ट्रेंच में जाकर उत्खनन से संबंधित हर किसी क्रिया को जाँचने का अधिकार होता।

प्रश्न- तो क्या ट्रेंच में जाकर के ही उत्खननकर्ताओं के तौर तरीक़ों तथा उनके कार्य का गहन अध्ययन किया जा सकता है?

उत्तर- ट्रेंच में गये बग़ैर उत्खननकर्ताओं की गतिविधियों का गहन अध्ययन सम्भव नहीं होता है।

ट्रेंच के बाहर खड़े होकर उत्खननकर्ताओं की गतिविधियों को देखा जा सकता है, लेकिन उसका गहन अध्ययन सम्भव नहीं है।

प्रश्न- क्या विवादित स्थल पर ए0एस0आई0 द्वारा किये गये उत्खनन में उत्खननकर्ताओं के कार्य कलापों से आप संतुष्ट थे?

उत्तर - उत्खननकर्ताओं के हर किसी कार्य से तो मैं संतुष्ट नहीं था।

प्रश्न- उत्खननकर्ताओं के ऐसे कौन से कार्य थे, जो पुरातत्व विज्ञान के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं थे?

उत्तर- हालांकि मैं इस सवाल का उत्तर पहले भी अपने बयान में दे चुका हूँ, लेकिन यह सवाल दोबारा पूछा गया है, इसका जवाब देना ही मैं उचित समझता हूँ। उत्खननकर्ताओं के द्वारा कुछ ऐसे पुरावशेषों की जिनमें हड्डियाँ, ग्लेज़्ड वेयर, ग्लेज़्ड टाइल्स व पर्तों से प्राप्त मिट्टी का अध्ययन समुचित रिकार्डिंग, व प्रिज़र्वेशन नहीं किया जा रहा था। उनकी इस तरह की क्रियाओं से मैं संतुष्ट नहीं था।

प्रश्न- मेरा प्रश्न यह था कि खुदाई करने की जो विधि है, उसमें से किन महत्वपूर्ण विधियों अथवा तरीक़ों का प्रयोग ए0एस0आई0 द्वारा उत्खनन के दौरान नहीं किया गया ?

उत्तर- मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व विभाग के उत्खननकर्ताओं के द्वारा जिस समय उत्खनन किया जा रहा था, तब उत्खनन विधियों से संबंधित कुछ कमियाँ भी देखने को मिली थीं। उदाहरण के रूप में मैं यह बताना चाहूँगा कि राम चबूतरे के नीचे जो एक वर्गाकार कान्स्ट्रक्शन मिला था, उसके चारों तरफ़ से खुदाई कर दी गयी थी, जो उचित नहीं था। क्योंकि इस निर्माण का उस ट्रेंच की लेयर्स के साथ विभिन्न तरीक़े से संबंध स्थापित

करने के लिए निर्माण के ढ़ाँचे के साथ सटे हुए ट्रेंच के कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाता है,जिससे इस निर्माण के साथ उसका संबंध स्थापित करने में आसानी रहती है।

इसके अतिरिक्त भी ,खुदाई के दौरान ऐसी और भी कमज़ोरियां देखी गयीं थीं,जिसमें उत्खननकर्ताओं के द्वारा विभिन्न ट्रेंचों में खोदी गयी लेयर्स का आपसी तालमेल स्थापित किया जाता है, वह नहीं किया गया। इसी तरह से विभिन्न ट्रेंचों में लेयर्स की खुदाई के दौरान जो पुरावशेष प्राप्त किये जा रहे थे,उनका भी तुलनात्मक दृष्टि से न अध्ययन किया गया और न ही उनको प्रस्तुत किया गया। उत्खनन के दौरान एक काल से दूसरे काल के बीच में जब कोई स्ट्राइल या बैर लेयर(प्राकृतिक लेयर) प्राप्त होती है,तब उसकी मोटाई को व उसके विस्तार को (अन्य ट्रेंचों में) निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिसे नहीं किया गया। (स्वयं कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी हैं,जिनके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है।)

प्रश्न- क्या उत्खनन स्थल पर जितनी भी ट्रेंचें खोदी गयी थीं,उनमें प्राप्त लेयरों का आपस में तुल्यता (सिमिलरटी) होनी आवश्यक थी?

उत्तर- इस तरह के उत्खनन में यह आवश्यक नहीं है कि हर ट्रेंच की लेयर नं0- 1 समकालीन ही हो। लेकिन फिर भी उत्खनित पुरावशेषों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विभिन्न ट्रेंचेज़ से जो जानकारी उपलब्ध होती है, उसके आधार पर यह तो तय करने की ज़रूरत होती ही है कि किसी एक ट्रेंच की कोई एक लेयर अन्य ट्रेंचेज़ की किसी अन्य लेयर के साथ समान है या नहीं।

प्रश्न- ए0एस0आई0 वालों ने उत्खनन के दौरान जो उपरोक्त अव्यवहारिक तरीक़ा अपना ,क्या आपने उसके संबंध में आपत्ति की थी?

उत्तर - उत्खनन के दौरान इस अव्यवहारिक तरीक़ों के अपनाये जाने की जानकारी की संभावना नहीं थी और यह तो केवल उसी समय सामने आया ,जब उत्खनन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

ए0एस0आई0 वालों द्वारा अपनाया गया यह अव्यवहारिक तरीक़ा उत्खनन के दौरान नज़र आना मेरे लिए स्वाभाविक नहीं था। मुझे यह जानकारी थी कि ए0एस0आई0 द्वारा किये गये कार्यो के बारे में उत्खनन के दौरान पक्षों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी ,जो उचित माध्यम से संबंधित अधिकारियों के पास भेजी गयी थी, परन्तु जहाँ तक विभिन्न ट्रेंचों की विभिन्न लेयर्स में प्राप्त होने वाली पुरातात्विक सामग्री के तत्काल तुलनात्मक अध्ययन का सवाल है,वह वहाँ पर सम्भव ही नहीं था।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान उनकी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र के पेज 2 प्रस्तर 3 की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में उल्लिखित शब्दों " अनप्रोफ़ेशनल डाकूमेंट " की ओर आकृष्ट किया तथा पूछा कि इससे साक्षी का तात्पर्य क्या है ?साक्षी ने बताया कि मेरा इससे अभिप्राय यह है कि जब भी कभी किसी स्थल पर उत्खनन किया जाता है तो उत्खनन के दौरान पुरावशेषों की रिकार्डिंग लेयर्स और उनकी गहराई के आधार पर की जाती है। उत्खनन का कार्य सम्पन्न होने के बाद जो भी उत्खनित सामग्री उपलब्ध होती है,उस उपलब्ध सामग्री का पहले एक लेयर में प्राप्त होने वाली सामग्री का दूसरी ट्रेंचेज की लेयर्स में उसी तरह की मिलने वाली सामग्री के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। फिर उन अवशेषों का कालों (पीरियड्स) के रूप में वर्गीकरण किया जाता है और उसके फलस्वरूप इन सभी पुरावशेषों का लेयर्स व कालक्रम के रूप में अध्ययन करके एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की सन् 2003 की उत्खनन की रिपोर्ट में ऐसा नही किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग

के प्रोफ़ेशनल आर्कियोलाजिस्ट्स से इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद नहीं की जाती है,इसलिए यह डाकूमेंट मुझे अनप्रोफ़ेशनल लगता है।

प्रश्न- क्या ए0एस0आई0 द्वारा आप द्वारा बताई गयी उपरोक्त कमियों के कारण ही ए0एस0आई0 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनप्रोफ़ेशनल हो गया ?

उत्तर- हाँ , मेरे द्वारा जिन कमज़ोरियों की तरफ़ संकेत किया गया है, वे आधार थीं। पुरातत्व की आधारभूत पद्धतियों से संबंधित है। चूंकि यह रिपोर्ट इन पद्धतियों की ख़ामियों को दर्शाती है,इसीलिए इसको अनप्रोफ़ेशनल डाकूमेंट मैं मान रहा हूं।

प्रश्न- क्या यदि आप द्वारा बताई गयी उपरोक्त कमियों को संशोधित कर लिया जावे तो ए0एस0आई0 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रोफ़ेशनल डाकूमेंट हो जायेगा?

उत्तर- हाँ, जितनी भी इस तरह की कमियाँ इस रिपोर्ट में देखी जा रही हैं। अगर उनको दूर करके नये सिरे से पुरातत्व के आधारभूत विधियों के आधार पर पुरावशेषों का विश्लेषण किया जाये तो निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट की सत्यता में वृद्धि हो जायेगी।

जहाँ तक इस तरह की सम्भावना पर विचार करने का सवाल है,यह तो माननीय न्यायालय के द्वारा ही तय किया जा सकता है।

प्रश्न- क्या इस प्रकार की कमियों का ज़िक्र आपने ए0एस0आई0 की रिपोर्ट के संदर्भ में किया है तो क्या वर्तमान में यह कमियाँ दूर की जा सकती हैं अथवा नहीं,इसके बारे में आप अपने अनुभव के आधार पर बताने का कष्ट करें ?

उत्तर- मैं पुनः यह दोहराना चाहूंगा कि अधिकारिक तौर पर इन कमियों को दूर करने का फ़ैसला लेने का अधिकार माननीय न्यायालय के पास ही है। लेकिन जहाँ तक पुरातत्व का एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे व्यक्तिगत तौर

पर उत्खनित पुरावशेषों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की एकेडेमिक बात है,उसको तो मैं अपने तरीक़े से कर ही सकता हूँ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम 1 (टेक्स्ट) के पेज 37-ए (टेन्टेटिव पीरियडाईज़ेशन आफ़ दि डिस्प्यूटेड साईट एट अयोध्या) की ओर आकृष्ट किया। साक्षी ने इसे देखकर बताया कि इस चार्ट के अंतिम स्तम्भ में पीरियड का उल्लेख किया गया है।

प्र0- उपरोक्त रिपोर्ट के पेज-37ए के अंतिम कालम में दिये गये चार्ट में जिस पीरियड का उल्लेख किया गया है, क्या आप उससे सहमत हैं ?

उ0- मैं इस काल-विभाजन (पीरियडाइज़ेशन) से सहमत नहीं हूँ ।

इस तालिका में काल-विभाजन के आधार पर जो कालक्रम दर्शित है,उस सम्पूर्ण कालक्रम से मैं असहमत नहीं हूँ, बल्कि इस तालिका में जो-जो त्रुटियां मुझे समझ आ रही हैं, वह निम्न प्रकार हैं -

तालिका के शीर्षक का सबसे पहला शब्द " टेंटेटिव " है , जो अनिश्चितता की तरफ़ संकेत करता है । इस तरह के विवादित स्थल के उत्खनन के परिणाम- स्वरुप जो भी इस तरह की तालिका प्रस्तुत की जाये, उस तालिका में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए । अतएव स्वयं रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता इस काल- विभाजन से आश्वस्त प्रतीत नहीं हो रहे हैं ।

दूसरे , इस तालिका में उत्खनन के लिए जितनी भी ट्रेंचेज़ लगाई गई थीं और उनमें उत्खनन भी किया गया, उन सभी ट्रेंचेज़ का यहां पर उल्लेख नहीं पाया जाता है ।

(इस स्तर पर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि मैंने साक्षी से उपरोक्त तालिका के अंतिम स्तम्भ में जो पीरियड लिखे हुए हैं, उनकी कमियों के संबंध में नहीं पूछा है, बल्कि यह पूछा है कि इस स्तम्भ में दिये

गये किन कालक्रमों से वह सहमत हैं,अतएव साक्षी से पहले इस बिन्दु पर प्रश्नोत्तर रुप में पूछ लिया जावे)

प्र0- ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट भाग-1 के उपरोक्त पेज-37ए के पीरियड के कालम में दिये गये किस कालक्रम से आप सहमत हैं, कृपया उसका नाम बताने का कष्ट करें ?

उत्तर -इस तालिका में जो कालक्रम दिया गया है,उसमें से मैं काल विभाजन के निम्नलिखित नामों से सहमत हूँ -

1.प्राचीनतम् काल एन0बी0पी0डब्लू0,शुंगकाल (द्वितीयकालक्रम), कुषाणकाल (तृतीय काल), गुप्ता पीरियड (चतुर्थ काल) से मैं सहमत हूँ ।

गुप्ता पीरियड के ऊपर दिये गये काल विभाजन से मैं सहमत नहीं हूँ ।

- प्र0- जिन पीरियड्स से आप सहमत नहीं हैं, उसके असहमत होने के संबंध में आपके ज्ञान(स्टडी) के आधार क्या हैं?

उ0- गुप्ता काल के बाद तालिका में जो कालक्रम का वर्गीकरण दिखाया गया है, वह कालक्रम मेरी जानकारी के अनुसार मुझे इसलिए उचित प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि जिसे यहां पर" पोस्ट-गुप्ता- राजपूतकाल" कहा गया है, वह दरअसल "अर्ली मेडिवल पीरियड" का अंग है। दूसरे, पोस्ट-गुप्ता-राजपूत काल के बाद जिस काल को" अर्ली मेडिवल सल्तनत-काल" का नाम दिया गया है,वह मेडिवल काल, सल्तनत काल का हिस्सा है । तीसरे , जहां पर" मेडिवल" नाम का काल-विभाजन बताया गया है, दरअसल उसके संबंध में तालिका तैयार करने वालों को भी यह स्पष्ट नहीं है कि वे मेडिवल किसे कह रहे हैं और यह मेरी समझ से भी बाहर है । चतुर्थ, इस तालिका में जहां पर" मुग़लकाल" का नाम लिया गया है,दरअसल वास्तव में यह भी मध्यकाल का ही एक हिस्सा है । पांचवें, इस काल-विभजान के अनुसार जो लेट-एण्ड पोस्ट-मुग़ल काल का नाम दिया गया है, इसके संबंध में भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि "लेट व पोस्ट-मुग़ल" को मध्यकाल में ही रखकर रिपोर्टकर्ता

देखना चाह रहे हैं या इसका यहां पर उनके अनुसार कोई और अर्थ है, मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । इस तालिका के अनुसार इसके बाद भी एक काल के दिये जाने के (जिसे आधुनिक काल कहा जाता है) संबंध में कुछ नहीं बताया गया है ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान उपरोक्त रिपोर्ट के पेज-40 के दूसरे प्रस्तर के पीरियड - v के नीचे लिखी हुई दूसरी पंक्ति के शब्द समूह " पीरियड फ्राम सेवेन्थ टू टेंन्थ सेंचुरी ए0डी0" की ओर आकृष्ट किया तथा यह पूछा कि इसमें पोस्ट-गुप्ता-राजपूत लेविल का जो काल दिया गया है, उससे साक्षी सहमत है अथवा नहीं । साक्षी ने बताया कि मैं इसके नामकरण से सहमत नहीं हूँ और जहां तक सातवीं से दसवीं शताब्दी के काल का प्रश्न है, तो उसमें कोई दो राय होने की सम्भावना ही नहीं है,क्योंकि सातवीं से दसवीं शताब्दी ईसवी सन् तक का काल तो रहा ही है।

प्र0- उपरोक्त पीरियड - V (पोस्ट गुप्ता-राजपूत लेविल नाम) से आप सहमत हैं अथवा नहीं ?

उ0- मैं इस नामकरण से सहमत नहीं हूँ ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान पुनः उपरोक्त रिपोर्ट के पेज-40 पर शीर्षक " पीरियड - VI (मेडिवल- सल्तनत नाम) के नीचे लिखी चौथी तथा पांचवीं पंक्ति में उल्लिखित काल की ओर आकृष्ट किया तथा यह पूछा कि उपरोक्त पीरियड - VI के जिस काल का इसमें उल्लेख है, उससे साक्षी सहमत है अथवा नहीं । साक्षी ने बताया कि मैं उपरोक्त काल से सहमत नहीं हूँ जिसमें 11वीं एवं 12वीं शताब्दी का समय निर्धारित किया गया है।

प्र0- तो आपके अनुसार " मेडिवल -सल्तनत " लेविल का पीरियड क्या होना चाहिए ?

उ0- सल्तनत काल, मेरी जानकारी के अनुसार 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण से प्रारम्भ होता है और उसके पश्चात् मुगल राज्य प्रारम्भ होने तक चलता रहा।

प्र0- उपरोक्त रिपोर्ट के पेज-41 के दूसरे प्रस्तर में मेडिवल पीरियड को 12वीं शताब्दी के अन्त से 16वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक बताया गया है, क्या आप सहमत हैं ?

उ0- मैं इस काल से सहमत नहीं हूँ ।

प्र0- तो आपके अनुसार मेडिवल पीरियड किस काल में होना चाहिए ?

उ0- यह 12वीं शताब्दी के अन्त से लेकर 16वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक का जो काल है और इसको मेडिवल काल का यहां पर जो नाम दिया गया है,वह उचित नहीं है । हालांकि, उपरोक्त काल , मध्यकाल का ही हिस्सा है, परन्तु यह सल्तनत काल का दौर भी है ।

(उपरोक्त उत्तर के संबंध में अन्य मूल वाद सं0-5/89 के वादी के विद्वान अधिवक्ता ने आयुक्त का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि साक्षी पूछे गये प्रश्न का उत्तर पहले न देकर स्वयं जो कहना चाह रहे हैं,उसको बता रहे हैं,जबकि उन्हें प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहिए।)

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

18.11.2005

109

अन्य मूलवाद संख्या - 3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से एडवोकेट द्वारा प्रतिपरीक्षा समाप्त न हो सकी तथा जारी है ।

18.11.2005

(हरि शंकर दूबे)

आयुक्त

18.11.2005

समक्षः-मा0 विशेष पूर्णपीठ उच्च न्यायालय , इलाहाबाद लखनऊ पीठ ,लखनऊ

दिनाँकः- 13.2.2006 पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांक -18.11.2005 के क्रम में अन्य मूलवाद संख्या- 3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री रंजीत लाल वर्मा ,एडवोकेट द्वारा जारी)

अनंग ताल के उत्खनन की पूरी रिपोर्ट कहीं छपी नहीं है, परन्तु उस रिपोर्ट से संबंधित " एन्वल रिव्यू " छपा है और मैंने उसे पढ़ा भी है। अनंग ताल के उत्खनन के दौरान मैं दो बार उसे देखने गया भी था। अनंग ताल का अर्ली मिडिवल इतिहास में बड़ा महत्व है और इसलिए अर्ली मिडिवल इतिहास में राज महलों के रहने के तौर तरीक़े तथा भवन निर्माण कला आदि को जानने के उद्देश्य से वहाँ खुदाई की गयी थी। लालकोट व अनंग ताल एक-दूसरे के नज़दीक हैं। अनंग ताल खुदाई के समय समतल नहीं था, बल्कि उँचा- नीचा था अर्थात् कहीं ऊँचा था और कहीं नीचा था। यह ठीक है कि जिस साईट का नाम अनंग ताल लिया गया है वह राजा अनंग पाल से संबंधित है। राजा अनंग पाल, चौहान राजपूत डाईनेस्टी का था। दिल्ली में राजधानी कई बार बदलती रही है और इसी कारण से अनंग ताल की खुदाई की गयी थी ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके। इस मरहले पर विद्वान जिरहकर्ता ने साक्षी का ध्यान उसके शपथ - पत्र के संलग्नक 20/2 के छठे पैराग्राफ़ की दूसरी लाईन पर नार्दन ब्लैक् पालिश्ड वेयर " की ओर दिलाया और पूछा कि यह नार्दर्न ब्लैक पालिश्ड वेयर मुख्य तौर पर भारत के उत्तरी भाग में पाये जाते हैं ? गवाह ने उसे पढ़कर उत्तर दिया कि यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भाग में ही पाये

जाते हैं। इसी प्रस्तर की तीसरी लाईन को पढ़कर गवाह ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि नार्दर्न ब्लैक पालिश्ड वेयर हर जगह प्राकृतिक भूमि के ऊपर ही पाये जायें लेकिन इस स्थल पर ,अर्थात् मनेर की खुदाई में , यह नार्दर्न ब्लैक पालिश्ड वेयर प्राकृतिक भूमि के ऊपर पाये गये थे। यह कहना सही नहीं होगा कि नार्दर्न ब्लैक पालिशड वेयर प्राचीनतम हैं। स्वयं कहा कि बर्तन बनाने की कला का विकास मानव जीवन के विकास से संबंधित है और इस कला की शुरूआत नार्दर्न ब्लैक पालिश्ड वेयर के काल से बहुत पहले मध्य प्रस्तर युग (मैसोलिथिक पीरियड) में होती है और मैसोलिथिक का काल भारत वर्ष में मोटे- तौर पर बीस हज़ार वर्ष ईसा पूर्व के आसपास रखा जा सकता है। जब कि नार्दर्न ब्लैक पालिश्ड वेयर के प्रारम्भ का काल केवल 600 ईसापूर्व ही माना जाता है। यह कहना पूर्णरूप से सही नहीं है कि नार्दर्न ब्लैक पालिश्ड वेयर काल के बाद जो भी कालक्रम की गणना होती है ,वह वंश के आधार पर किया जाता है। स्वयं कहा कि नार्दर्न ब्लैक पालिश्ड वेयर (उत्तरी काली पालिशदार मृद्भाण्ड) की शुरूआत 600 ईसा पूर्व के आसपास/ इनका प्रयोग लगभग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक चलता रहा है और इसी दौर में एक तरफ़ हम इस प्रकार के मृद्भाण्डों का प्रचलन देखते हैं और दूसरी तरफ़ सिकन्दर के आक्रमण के बाद उत्तरी भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण राजवंश(मौर्य राजवंश) मौर्य वंश का शासनकाल भी पाया जाता है। सांस्कृतिक कालक्रम का नाम दिये जाने के लिए अलग अलग मापदण्ड भी होते हैं। जिस समय तक हमारे पास लिखित श्रोत उपलब्ध नहीं रहे ,तब तक मुख्य रूप से मृद्भाण्डों की पहचान को नामकरण का एक मापदंड माना जाता रहा है,लेकिन लिखित जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् निश्चित तिथि,समय का ज्ञान होने के कारण मृद्भाण्डों के साथ- साथ लिखित जानकारी को भी सांस्कृतिक काल निर्धारण का आधार माना जाता है। एन0बी0पी0 काल के बाद शुंग काल मान सकते है, लेकिन मैं

Chairman

इस मत से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ लेकिन उसे माना जा सकता है। स्वयं कहा कि ~~बूंकि~~ मौर्य काल का अंत 185 बी0सी0 में हो जाता है, परन्तु उस समय एन0बी0पी0डब्लू0 का प्रचलन भी मिलता है।

शुंग के बाद कन्नव व कुषाण काल आते हैं और कुषाण काल के बाद मोटे तौर पर गुप्ता काल आता है। गुप्तकाल का अंत 600 ईस्वी में आकर ख़त्म हो जाता है। गुप्तकाल के बाद सामान्य तौर पर अर्ली मिडिवल पीरियड की इतिहास में शुरूआत मानी जाती है। अर्ली मिडिवल पीरियड 600 ए0डी0 से शुरू होता है और दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने तक यही काल चलता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई इसीलिए 600 ए0डी0 से लेकर 1206 ए0डी0 को अर्ली मिडिवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। 600 ए0डी से 1200 ए0डी के बीच में दिल्ली पर अनेक वंशों के राज्य समय-समय पर रहे। मुख्य तौर पर गहड़वाल, चौहान, गूजर प्रतिहार, चालुक्य आदि के राज्य दिल्ली व दिल्ली के आसपास में रहे। फिर कहा कि चालुक्य का क्षेत्र दिल्ली के आस - पास नहीं था ,वह उत्तरी महाराष्ट्र में होता था। यह ठीक है कि उपरोक्त चारों वंशज अपने को राजपूत कहते थे। यह ठीक है कि कोई इतिहासकार यदि किसी विशेष क्षेत्र को अर्ली मिडिवल काल के राजपूत काल से संबोधित करना चाहे, तो कर सकता है ,परन्तु इतिहास में वृहद रूप में इस काल को अर्ली मिडिवल काल के नाम से ही जाना जाता है। स्वयं कहा कि इस काल में कोई एक विस्तृत साम्राज्य नहीं था, जो पूरे इस क्षेत्र को अपने अधीन रख पाया हो। इस काल में अनेक छोटे-छोटे क्षेत्रों में राज्य रहे हैं। इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से छोटे - छोटे राज्यों का अध्ययन भी आवश्यक है ,परन्तु उस समूचे काल की ऐतिहासिक विकास की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक वृहद मानक व मापदण्ड की आवश्यकता होती है।

इस मरहले पर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने गवाह का ध्यान उसके शपथ - पत्र के संलग्नक पृष्ठ 20/9 की ओर दिलाया और पूछा कि इसमें गहड़वाल शब्द किसी डायनेस्टी के संबंध में है या नहीं? जिसे पढ़कर गवाह ने कहा कि गहड़वाल वंश, क़न्नौज के शासक थे। मैं यह नहीं बता सकता कि क़न्नौज राज्य के अन्तर्गत बनारस व अयोध्या आता था या नहीं। चूंकि उस समय राज्यों की सीमायें घटती बढती रहती थीं, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि गहड़वाल काल में कन्नौज राज्य के अन्तर्गत बनारस व अयोध्या था या नहीं। 11वीं शताब्दी में गहड़वाल शासकों का राज्य कन्नौज पर था।

इलाहाबाद के दक्षिण -पश्चिम में 52 कि0मी0 की दूरी पर कौशाम्बी है, जो कौशल राज्य की राजधानी थी। गवाह ने अपने शपथ पत्र के संलग्नक 1 के पृष्ठ 20/3 के दूसरे प्रस्तर की पहली तीन पंक्तियों को पढ़कर कहा कि मैं इसमें लिखी बातों से मोटे तौर पर सहमत हूँ। मिडिवल काल अपने में विस्तृत काल है जो ई0 सन् 600 ए0डी0 से शुरू होकर ई0 सन् 1707 तक चलता है और इस पूरे काल के अन्तर्गत कई उप काल हैं,जैसे ई0 सन् 600 से 1200 तक अर्ली मिडिवल कहलाता है और ई0 सन् 1206 से 1526 तक सल्तनत काल कहा जाता है व ई0 सन् 1526 से 1707 तक मुग़ल काल कहलाता है।

प्रश्न- मिस्टर मणी द्वारा दाख़िल ए0एस0आई0 रिपोर्ट में विवादित परिसर के उत्खनन के संबंध में जो उन्होंने अर्ली मिडिवल सल्तनत पीरीयड शब्द का प्रयोग किया है ,क्या वह आपके द्वारा अर्ली मिडिवल पीरियड का बोध कराता है ?

उत्तर- नहीं।

यह कहना सही नहीं होगा कि अर्ली मिडिवल सल्तनत से यदि सल्तनत शब्द को हटा दिया जाये तो अर्ली मिडिवल पीरियड का सही बोध हो जायेगा। भारतीय पुरातत्व इतिहास में मुस्लिम पीरियड शब्द का प्रयोग नहीं हुआ

Shaivam

GB

है,लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के मध्य काल को मुस्लिम काल साबित करने की कोशिश की है और इसका आधार उन्होंने यही माना कि इस काल में मुस्लिम शासकों का भारतवर्ष में राज्य रहा है। यह काल विभाजन का आधार क़तई तर्क संगत नहीं है,क्योंकि जिस काल में अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया,उस काल को उन्होंने इसी आधार पर क्रिश्चियन काल नहीं कहा,अपितु उसको आधुनिक काल की संज्ञा दी। जेम्स मिल ने इस काल को मुस्लिम काल का नाम दिया है। जेम्स मिल ने सल्तनत काल व मुग़लकाल को मुस्लिम काल के अंदर रखा है अर्थात् मुस्लिम काल के अंदर उपकाल के अन्तर्गत उसे माना है। इस मरहले पर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने गवाह के शपथ- पत्र के पेज 12 की दूसरी व तीसरी लाईन पर "प्री -मुस्लिम पीरियड" शब्द के इस्तेमाल पर पूछा कि यह प्री मुस्लिम पीरियड काल आपने प्रयोग किया है? गवाह ने पढ़कर उत्तर दिया कि इस शब्द का प्रयोग मैंने एक ख़ास संदर्भ में किया है और यह संदर्भ इस बात की ओर संकेत करता है कि उस समय उत्खन्नकर्ता उत्खनित सामग्री को या तो एक काल से दूसरे काल में स्थानांतरित करते हुए देखे गये हैं या उनके द्वारा अवांछनीय सामग्री को इग्नोर करने की कोशिश की गयी है।

मैं नहीं बता सकता कि वास्तु कला की किसी शैली का विकास सल्तनत वंश ने नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं है कि भारतवर्ष की मौलिक शैली को उन्होंने अपनाया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि चित्रकारी या बर्तन पर किसी तरह की कलाकृतियां नहीं बनायी जाती थीं या किसी नियम के तहत इन पर प्रतिबंध लगा हुआ था क्योंकि मध्य काल में एक ख़ास तरह के मृद्भाण्डों का प्रयोग हुआ है,जिनको ग्लेज़्ड वेयर मृद्भाण्ड नाम से जाना जाता है। यह भी पूर्णरूप से सत्य नहीं है कि सल्तनत काल में निर्माण में केवल भारतीय शिल्पियों का प्रयोग किया गया ,बल्कि विदेशी तराशों का भी इस्तेमाल

किया गया। निर्माण में उक्त काल में स्थानीय शैली व विदेशी शैली दोनों का मिश्रण किया गया है। यह मानना ठीक नहीं है कि विदेशी शैली का प्रयोग केवल मात्र व्यापार के लिए आने वाले विदेशियों ने ही किया। यह कहना सही है कि यूनान से भारतवर्ष का व्यापारिक संबंध सल्तनत काल से भी पहले हो गया था और इसी सिलसिले में यूनान से शराब आती थी। शराब से संबंधित बर्तन जिनको पालिशदार बर्तन में भेजा जाता था, उन पर कभी - कभी चित्र भी होते थे और ये बर्तन सामान्य तौर पर भारत के पश्चिमी व पूर्वी तटों के क्षेत्रों में ही सप्लाई होते थे। प्रारम्भिक काल में उत्तरी भारत में जिन पुरास्थलों पर उत्खनन का कार्य हुआ, उनमें पाये गये बर्तन ग्लेज़्ड नहीं होते थे, बल्कि पालिशदार काले व सुनहरे रंगों के होते थे। ग्लेज़्ड से मेरा तात्पर्य है कि एक ख़ासतौर से बनाया गया पेस्ट बर्तनों पर लगाया जाता था। सन् 1934 की तक्षशिला (पाकिस्तान) की खुदाई में जो पाटरीज़ मिलीं वह मेरी जानकारी के मुताबिक़ एन0बी0पी0डब्लू0 थीं, परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि उसको ग्लेज़्ड कहा गया अथवा नहीं। यह पूर्णतया सत्य है कि सल्तनतकाल में राजाओं ने अपने महलों व मस्जिदों का निर्माण हिन्दुओं व जैनियों के मंदिरों को तोड़कर किया। यह पूर्णतया सही नहीं है कि सल्तनत काल में प्रायः चाहे मंदिर का निर्माण हो या मस्जिद का आंगन व सहन छोड़े जाते रहे हों और उनमें स्तम्भ बने होते रहे हों। चूंकि मैंने कभी मस्जिदों व मंदिरों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि कितने प्रतिशत मंदिर ,मस्जिद के निर्माण में सहन छोड़े जाते रहे हों और कितने प्रतिशत में नहीं। जान मार्शल ने अपने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि मस्जिद व मंदिर के उन दिनों के निर्माणों में सहन के छोड़े जाने पर एक समानता थी और सहन में पंक्तिबद्ध स्तम्भ बनाये जाते थे। परन्तु मेरे अनुसार जान मार्शल ने कोई लिस्ट मंदिरों या मस्जिदों की तैयार नहीं की थी और मेरी जानकारी के अनुसार

उन्होंने मंदिरों व मस्जिदों का विस्तृत अध्ययन भी नहीं किया था। यह पूर्णतया सत्य नहीं है कि इसी समानता के कारण विजेताओं ने मंदिरों को तोड़कर गुम्बद बनाकर बड़ी सरलता से मस्जिदों का निर्माण किया। स्वयं कहा कि माईकल विजिटल ने ऐसी मस्जिदों व मंदिरों की (लिस्ट) सूची तैयार की थी , जिनमें कोई परिवर्तन किये गये थे और मेरा मत है कि पुरातत्व के आधार पर यदि किसी निर्माण को पाश्चात् में बदला गया हो तो ऐसा बदलाव आसानी से पहचाना जा सकता है। इसप्रकार के किसी भी मंदिर ,मस्जिद को पहचानने से पहले उसका विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार माईकल विजिटल ने" फ्रँट लाईन" नामक मैग्ज़ीन में दो लेख छपवाये थे ,उनमें परिवर्तित मंदिरों व मस्जिदों का विस्तार से उल्लेख है। मैं उन लेखों के लिखने की असली तारीख़ नहीं बता सकता, परन्तु जहाँ तक याद है, वे लेख हाल के वर्षों में यानी वे लेख सन् 1992 के बाद प्रकाशित हुए। मैंने संलग्नक 1 ,जो मेरे शपथ पत्र के साथ संलग्न है ,के पृष्ठ 20/5 के पैरा-3 में पिलर बेसेज़ से संबंधित फ़ोटोग्राफ़ को नहीं देखा है और जब मैं खुदाई के दौरान मौक़े पर गया था,तब भी मैंने पिलर बेसेज़ को नहीं देखा था। फिर कहा कि मुझे याद नहीं है कि फ़ोटोग्राफ़ को देखा था या नहीं। मैं "उस" रिपोर्ट में लिखी इस बात से सहमत हूँ कि पिलर बेसेज़ पत्थर के पैडेस्टल्स पर टिके हुए थे। मेरे पास ए0एस0आई0 की रिपोर्ट में इस उद्धरण के ख़िलाफ़ या सपोर्ट में कोई इवीडेंस नहीं है कि लालकोट की खुदाई के दौरान पाये गये पेडेस्टल्स राजकोट शैली की खुदाई से मिलते थे। मैंने अयोध्या की खुदाई के दौरान सभी पिलर बेसेज़ को देखा था। उसमें पैडेस्टल्स स्टोन कहीं पर नहीं हैं। केवल मात्र सीता की रसोई की तरफ़ कुछ पिलर बेसेज़ के ऊपर पत्थर पाये गये हैं। जो पेडेस्टल से भिन्न हैं।

लालकोट , दिल्ली में जो पिलरबेस का उल्लेख है तथा अयोध्या के सम्बन्ध में जो कथित पिलर बेस मिले हैं , उनका सांस्कृतिक काल लगभग

एक ही माना जा सकता है । अयोध्या की खुदाई में तथाकथित सभी पिलर बेसेज़ पर स्टोन स्लैब नहीं हैं । ज़्यादातर कथित पिलर बेस पर स्टोन नहीं हैं, जिन पर स्टोन मिल रहे हैं , वे कैल्शियम और कार्बोनेट से बने स्टोन्स मिले हैं, जो कमज़ोर होते हैं । ऐसे पत्थरों को कैल्क्रीट स्टोन कहते हैं । मैंने ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट के वाल्यूम - 2 (प्लेट्स) की प्लेट संख्या - 42,45 और 46 देखी, इन प्लेट्स में कैन्साइट स्टोन्स की स्लैब दिखाई दे रही है । प्लेट नं0 - 46 में पिलर बेस आधे फ़्लोर पर है । इसे, जैसा देखने में लग रहा है, पेडेस्टल स्टोन नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इसकी खुदाई में पूरा बेस हो, तो पेडेस्टल स्टोन कहा जा सकता है , यानि अगर और खुदाई करने पर नीचे स्टोन्स की पूरी एक पर्त मिले तो उसे पेडेस्टेल स्टोन कहेंगे । जब तक मैं अयोध्या के खुदाई स्थल पर रहा , पिलर बेसेज़ जो मिले , उनके नीचे तक खुदाई नहीं की गई थी । मैंने ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई आपत्तियों को पढ़ा है , लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने सभी आपत्तियाँ पढी हैं । अज़खुद कहा कि मुझे यह भी नहीं मालूम कि कुल कितनी आपत्तियाँ रिपोर्ट के विरूद्ध फ़ाईल की गई थीं । मैंने सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड तथा मो0 हाशिम द्वारा ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट के विरूद्ध दाख़िल आपत्तियों को पढ़ा है । मैंने ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट को भी पढ़ा है । मुझे नहीं मालूम है कि उपरोक्त दोनों आपत्तियों में इस बात की आपत्ति की गई थी कि पिलर बेसेज़ को जहाँ तक खोदा गया था , उस पिलर बेस को डिस्मेंटल न किया जाए । मुझे याद नहीं है कि खुदाई के समय सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड या मो0 हाशिम की तरफ़ से कोई आपत्ति फ़ोटो प्लेट संख्या - 42,45 और 46 के सम्बन्ध में दिया था या नहीं । जब तक मैं खुदाई स्थल पर रहा मुझे याद नहीं है कि पिलर बेस के सम्बन्ध में ऐसी कोई आपत्ति दी गई या नहीं । मुझे याद नहीं आ रहा है कि शपथ - पत्र दाख़िल किए जाने तक मुझे यह बात मालूम थी या नहीं कि सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

या मो0 हाशिम ने कोई आपत्ति खुदाई होते समय पिलर बेसेज़ के सम्बन्ध में मौक़े पर दी थी या नहीं । प्लेट संख्या - 46 में दिखाई दे रहा पिलर बेस जितना दिखाई दे रहा है उतना गोलाई में है । यह ब्रिक्स बैट्स रेगुलर कोर्स में हैं। ये ब्रिक्स में नहीं हैं , ब्रिक बैट्स में हैं , जिनको पुख़्ता करने के लिए किसी प्रकार के मज़बूत मोर्टार का प्रयोग दिखाई नहीं दे रहा है । इस पिलर बेस में ईंट के टुकड़ों को जोड़ने के लिए मिट्टी के मोर्टार का प्रयोग किया गया था । जब तक मैं खुदाई स्थल पर रहा , ऐसा नहीं है कि ए0 एस0 आई0 वालों ने पिलर बेस बनाए हों , बाद में अगर उन्होंने कुछ किया हो , तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है । यदि सभी ट्रेंचेज़ में लगातार वीडियोग्राफ़ी हो रही हो , तो पिलर बेस बनाना सम्भव नहीं है , लेकिन अगर कोई आर्क्यालाजिस्ट विशेष रूप से इन्ट्रेस्टेड हो , तो पिलर बेस बनाया जा सकता है , क्योंकि हर ट्रेंच में हर समय हर व्यक्ति मौजूद नहीं होता है , बल्कि एक ट्रेंच में एक सुपरवाईज़र तथा कुछ उत्खनन की सहायता के लिए मज़दूर होते हैं । यह सही है कि अयोध्या की खुदाई में अदालत के आदेशों के अनुसार सभी पक्षकार एवं उनके नामिनी की उपस्थिति में ही कोई मज़दूर या ए0 एस0 आई0 टीम का कोई सदस्य उत्खनन क्षेत्र में जा सकता था । खुदाई के समय अदालत द्वारा नियुक्त पयर्वेक्षक उपस्थित रहते थे । मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि एक समय में तीन या चार ट्रेंच की ही खुदाई होती थी , क्योंकि जब मैं वहाँ था , तो मैंने एक समय में तीन , चार ट्रेंचेज़ से भी ज़्यादा ट्रेंचेज़ में खुदाई होते देखा था । मैंने आठ - दस , बारह ट्रेंचेज़ में एक साथ खुदाई होते देखा था । खुदाई के समय मेरे साथ मुस्लिम पक्ष के एक , दो , तीन एक्सपर्ट - नामिनी रहते थे । ऐसे एक्सपर्ट नामिनी जो मेरे साथ थे , उनमें से कुछ के नाम मैं बता सकता हूँ । इनमें एक दिन डा0 सुप्रिया वर्मा तथा दो – तीन दिन रिसर्च स्कालर निकहत , इसके अतिरिक्त दो – एक दिन डा0 नदीम रिज़वी तथा एक दिन

बंगाल के एक रिसर्च स्कालर भी मेरे साथ थे , जिनका नाम मुझे याद नहीं है । खुदाई के समय पक्षकारों में मो0 हाशिम तथा हाजी महबूब खुदाई स्थल पर रहते थे , इनके अतिरिक्त वहाँ के जो स्थानीय वकील रहते थे , उनके नाम मुझे याद नहीं हैं । खुदाई के समय श्री जीलानी , श्री मुश्ताक़ अहमद तथा श्री इरफ़ान साहब अधिवक्तागण कभी - कभी वहाँ जाते थे । ऐसा नहीं था कि दो वीडियो कैमरा , दो स्टिल फ़ोटोग्राफ़र तथा दो ड्राफ़्ट्मैन खुदाई वाले हर ट्रेंच पर रहते थे । खुदाई के वक़्त शाम के समय डेली रजिस्टर में जितने आर्टिफ़ैक्टस मिलते थे , उनका इन्द्राज इन आर्टिफ़ैक्टस की प्राप्ति की ट्रेंच , उसकी गहराई तथा आर्टिफ़ैक्ट्स के विवरण के साथ किया जाता था । रजिस्टर में इन्द्राज न्यायालय द्वारा नियुक्त दो पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में होता था । रजिस्टर में इन इन्द्राज के बाद पर्यवेक्षकों तथा एक्सपर्ट के हस्ताक्षर होते थे । मैंने भी उक्त डेली रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे ।

यह सही है कि पुरातत्व की खुदाई के समय जो आर्टिफ़ैक्टस मिलते हैं, उनका इतिहास के सृजन में बड़ा योगदान होता है , बशर्ते कि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा यह कार्य किया गया हो । यह मैं नहीं कह सकता कि खुदाई के दौरान वैज्ञानिक विधि का पूरी तरह प्रयोग किया गया है तथा जो आर्टिफ़ैक्टस मिले उनका वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण किया गया । इसके अतिरिक्त विश्लेषण से पहले सभी बातों की रिकार्डिंग भी वैज्ञानिक विधि से की जाए । विवादित स्थल पर खुदाई के समय सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया , जो परत दर परत की जाती है , उसके अनुसार नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त खुदाई के दौरान जो स्ट्रक्चरल अवशेष मिलते हैं , उनको एक या दो तरफ़ से नहीं खोदा जाता है , ताकि उस स्ट्रक्चर का सम्बन्ध परतों के साथ बैठाया जा सके और यह तय किया जा सके कि उक्त स्ट्रक्चर किस काल में शुरू हुआ और किस काल में समाप्त हुआ तथा यदि कोई परिवर्तन प्रारम्भ और अन्त के

बीच में हुए हैं , तो वह कब - कब हुए हैं और उनकी पहचान की जा सके। जैसा कि रामचबूतरा वाले ट्रेंच में जो स्ट्रक्चर मिले , उसका एक सेक्शन बरक़रार नहीं रखा गया है , बल्कि पूरे को खोद दिया गया है ।

मेरे अनुसार ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम - 2 (प्लेट्स) में जो चबूतरा दिखाया गया है , वह स्ट्रक्चर है । यह चबूतरा फ़र्श पर टिका हुआ है । फ़र्श वैसे ही छोड़ दी गई है । फ़र्श तक सेक्शन भी क़ायम है । इस स्तर तक इसमें कोई ग़ल्ती नहीं है । इसी वाल्यूम के प्लेट संख्या - 16 में जो सेक्शन दिखाया गया है , वह पूरब की ओर है तथा पश्चिम की ओर फ़ेस कर रहा है । सेक्शन जो कटा है , सही कटा है , परन्तु इस सेक्शन के आधार पर रामचबूतरे का सम्बन्ध सेक्शन के साथ नहीं बैठाया जा सकता है । स्वयं कहा कि जब तक इस रामचबूतरे को इस सेक्शन के साथ नहीं बैठाया जाता , तब तक पुरातत्व की दृष्टि से इसका सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता है और इसलिए पुरातत्व के सम्बन्ध में इसका महत्व कम हो जाता है । स्वयं कहा कि यह सेक्शन जहाँ पर तैयार किया गया है , वह उचित जगह नहीं है । इस सेक्शन को ऐसी जगह दिखाया जाना चाहिए था , जहाँ से इसका सम्बन्ध सीधे तरीक़े से रामचबूतरे से स्थापित किया जा सके । ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट में इस चबूतरे का सम्बन्ध इस सेक्शन के कालक्रम के साथ स्थापित नहीं किया गया है । मैं रामचबूतरे को इम्पार्टेंट स्ट्रक्चरल साक्ष्य मानता हूँ । प्लेट संख्या - 17 में रामचबूतरे के ऊपर दो साइड के सेक्शन कैलक्रीट के बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं । इस चबूतरे के सेक्शन के दायीं ओर जहाँ खड़ा स्केल रखा है , वहाँ क्लिपिंग के द्वारा फ़्लोर्स दिखाए गए हैं ।

प्रश्न - क्या प्लेट संख्या - 17 में सेक्शन में जो चार फ़्लोर दिखाए गए हैं , उन चारों का स्ट्रक्चरल फ़ारमेशन अर्थात् चारों फ़्लोर का निर्माण एक ही काल में और एक ही समय में हुआ है ?

Sharma

GS

उत्तर - मेरे अनुसार इन चारों फ़्लोर्स को बनाने के लिए जिस सामग्री व तकनीक का प्रयोग किया गया है , वह एक जैसी है , लेकिन इसके बावजूद भी इसके आधार पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इनके निर्माण का काल (समय) एक ही हो , क्योंकि इसके नीचे भी उसी तरह का फ़्लोर , उसी तरह की सामग्री , उसी तकनीक से तैयार किए गए हैं । अतः इनका काल एक भी हो सकता है और भिन्न - भिन्न भी हो सकते हैं ।

यह सही है कि आर्क्यालाजिस्ट को खुदाई के बाद सारे साइंटिफ़िक तरीक़े अपनाकर अपना अन्तिम मत व्यक्त करना चाहिए , लेकिन चूँकि प्लेट संख्या - 17 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी , इसलिए यह निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन स्ट्रक्चर का काल एक है या नहीं । फ़्लोर - 5 सुर्ख़ी की है और जो प्लेटफ़ार्म बना है , वह मौक़े पर देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि सीमेंट जैसी वस्तु से बनाया गया है । लेकिन जब तक टेस्ट न हो , यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सीमेंट का बना है या किसी और चीज़ का बना है । यह बात पक्की तौर पर नहीं कही जा सकती है कि चबूतरे में जो प्लास्टर था , उसमें सिलीकान सैण्ड का प्रयोग हुआ था या नहीं । यह बात खुरच करके प्रयोगशाला में देखने के बाद ही बताई जा सकती है । प्लेट संख्या - 16 के चबूतरे के ऊपरी हिस्से की मोटाई चार से छः इंच के बीच में होगी । इस प्लेट में जहाँ स्केल रखा हुआ है , वह फ़्लोर संख्या - 6 होनी चाहिए । इस प्लेट में उक्त फ़्लोर पूरब की तरफ़ चली गई हैं , उसके बाद सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है । फ़्लोर संख्या - 6 एल0 शेप में कटी हुई है और उसके नीचे की फ़्लोर कटे वाले हिस्से से दिखाई दे रही है । फ़्लोर संख्या - 6 से नीचे वाली फ़्लोर का मैटीरियल अलग दिखाई दे रहा है । मुझे अयोध्या में हुई खुदाई में ट्रेंच में अन्दर जाने की अनुमति नहीं थी , इसलिए मैंने किसी ट्रेंच में अन्दर जाकर किसी ट्रेंच का अध्ययन नहीं

Sudarsan

68

किया । मैंने जो भी अध्ययन किया , वह ट्रेंच के बाहर से किया । मैंने सरसरी तौर पर सभी ट्रेंचेज़ को देखा है । मुझे इस बात का ज्ञान है कि अदालत के आदेश से सभी पक्षकारों को अपने - अपने एक्सपर्ट्स को खुदाई के बाद ट्रेंच में ले जाकर ट्रेंच तथा अन्य चीज़ों की स्टडी की अनुमति दी गई थी । जो टीम उपरोक्त आदेश के अनुसार ट्रेंच में गई थी , मैं उस टीम का हिस्सा नहीं था। प्लेट संख्या - 12 में फ़्लोर में ईंटों की जो चौके बनी हुई हैं , इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग कई कालों में हुआ है , इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्लेट में दिखाई गई ईंटें किस काल की हैं । स्वयं कहा कि यह ईंटें चौकोर नहीं , बल्कि आयताकार हैं । प्रथम बार इस तरह की ईंटों का प्रयोग कुषाण काल में भारतवर्ष में हुआ था । इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग कुषाण काल व पूर्व मध्यकाल में कहा जाए , तो अनुचित नहीं होगा । इस प्लेट में पूरब की तरफ़ जो दरवाज़े का प्लेटफ़ार्म दिखाई दे रहा है , उधर से ही आने का रास्ता था । मेरे अनुसार चौकोर / आयताकार ईंटों वाला फ़्लोर कॉरीडोर भी हो सकता है , खुली जगह भी हो सकती है तथा पूरी तरह से कवर्ड स्पेस भी हो सकता है ।

प्लेट संख्या - 67 में फ़्लोर संख्या - 3 में चौकोर ईंटों की फ़र्श दिखाई दे रही है । इस फ़्लोर पर बीच में घड़े के शेप का आकार बना है , परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह शेप फ़र्श को काटकर बनाया गया है । यह शेप उस समय का बना नहीं है , जबकि फ़र्श बनी थी , लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह शेप किस काल का बना है , लेकिन निश्चित तौर पर इसके बायीं तरफ़ के हिस्से को देखने से यह स्पष्ट है कि यह शेप ईंटों को खुरचकर या खुरदकर बाद में बनाया गया है । इसी प्रकार बीच में जो रेखा बनाई गई है , वह भी बाद में ही बनाई गई है । इस शेप में ईंटें जो लगी हैं , वे टेराकोटा की

Sharma

98.

हैं । उत्खनित पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के लिए साहित्यिक रचनाओं को आधार नहीं माना जा सकता है ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

13.2.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु दिनांक- 14.2.2006 को प्रस्तुत हो ।

13.2.2006

समक्षः-मा0 विशेष पूर्णपीठ उच्च न्यायालय,इलाहाबाद लखनऊ पीठ ,लखनऊ

दिनाँकः- 14.2.2005 (2006) पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0- 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांकः- 13.2.2006 के क्रम में अन्य मूलवाद सं0 3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री रंजीत लाल वर्मा,एडवोकेट द्वारा जारी)

मेरे शपथ-पत्र के प्रस्तर 6 में मुस्लिम ग्लेज़्ड वेयर कहा गया है। इसे इसलिए कहा गया है कि चूंकि यह ग्लेज़्ड वेयर मुस्लिमों के साथ ही भारतवर्ष में आया था। ऐसा कहना सही नहीं है कि मृद्भाण्ड बनाने की कला भारतवर्ष से ही शुरू हुई थी,अर्थात् यह भारतवर्ष की ही कला है। भारतवर्ष में बर्तन बनाने की कला जो शुरू हुई ,वह प्राचीनतम नहीं है ,इससे पहले दूसरे देशों में भी बर्तन बनाने की शुरूआत हो चुकी थी। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भारत में बर्तन बनाने की कला का प्रारम्भ अरब देश से पहले हो चुका था। भारतवर्ष पर सबसे पहले इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाले लोग 712 ईस्वी में सिंध के प्रदेशों में आक्रमणकारियों के रूप में आये और जिस समय आक्रमणकारी यहाँ पर आये ,तब उनके साथ व्यापारी ,धर्म प्रचारक,राज दरबारी (तथा) विद्वान लोग भी आये। वे कौन विद्वान आये थे ,उनका नाम मैं नहीं बता पाऊँगा। मोहम्मद बिन क़ासिम ने सिन्ध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसकी मुठभेड़ राजा दाहिर से हुई थी और लूटपाट करने के बाद वह लौट गया। उपरोक्त आक्रमण के बाद लगातार इस तरह के हमले होते रहे और उनके आक्रमणों का प्रभाव दिन प्रतिदिन या साल

Ranjeet Verma

दरसाल उत्तरी भारतीय उप महाद्वीप के हिस्सों में बढ़ता चला गया। लेकिन इन सभी आक्रमणों के प्रमाण इस तरह से प्रख्यात नहीं हैं, जिस तरह से कुछ एक आक्रमणों के हैं। इसलिए सामान्य तौर पर जनमानस यह महसूस करता है कि कुछ विशेष आक्रमण ही हुए। मोहम्मद बिन क़ासिम ही पहला मुस्लिम व्यक्ति था,जिसने भारतवर्ष के उत्तरी भाग पर आक्रमण किया था। वह दिल्ली तक नहीं आया था। मथुरा तक भी नहीं आया।

उत्तरी भारत पर पहली बार मुसलमान शासकों ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने राज्य की स्थापना की। 1191-92 में पृथ्वी राज चौहान व मोहम्मद ग़ौरी के बीच युद्ध हुए थे और उसी दौरान 1194 में क़न्नौज के शासक जयचन्द्र के साथ युद्ध हुआ था और ऐसी स्थिति में मो0 ग़ौरी ने उत्तर भारत के इन नव विजित प्रदेशों पर अपने प्रतिनिधि क़ुतुबउद्दीन ऐबक़ को नियुक्त किया और वहीं से उत्तरी भारत पर मुसलमानों की हुकूमत बनने का दौर शुरू होता है और इसी के साथ मुस्लिम शासकों के भारतवर्ष में रहने की प्रक्रिया का भी प्रारम्भ हुआ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि भारतवर्ष में शिल्प कला की शुरूआत मगध व कौशल से ही हुई। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सांस्कृतिक स्थल एक दूसरे से 640 किलोमीटर दूर है वैसे वह लगभग चार सौ मील है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, दो सभ्यता नहीं थीं ,बल्कि एक ही सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर केन्द्र थे और इन दोनों ही बस्तियों पर एक ख़ास तरह के मृद्भाण्डों (पाटरीज़) का बहुतायत रूप से प्रयोग हुआ है। इन बर्तनों को ब्लैक एण्ड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त सभ्यता से चित्रित धूसर (प्रिंटेंड ग्रे वेयर) मृद्भाण्डों का कोई संबंध न तो काल के आधार पर और न ही तकनीक के आधार पर रहा है।

प्रश्न - आपने अपने शपथ पत्र के प्रस्तर- 6 में जो शब्द मुस्लिम ग्लेज़्ड वेयर शब्द का प्रयोग किया है वह किसी भी इतिहास की पुस्तक जिसके आथर योरोपीय हों, या भारत के हों,की एथेंटिक बुक में नहीं मिलता है?

उत्तर- यह कहना उचित नहीं है।

मैंने अपने शपथ - पत्र के प्रस्तर 8 की दूसरी लाईन में ग्लेज़्ड टाईल्स के बारे में कहा है। यह ख़ास तरह की टाईल्स हैं। और एक विशेष तकनीक से बनायी जाती हैं। इस तकनीक का भारत में प्रचलन मुसलमानों के आने के साथ ही हुआ है। टाईल्स ,खपड़ा नहीं होता था, बल्कि पक्की मिट्टी की बनायी जाती हैं और उसे किसी ख़ास तकनीक से ग्लेज़्ड किया जाता है और अगर टाईल्स को सिर्फ़ पकाया जाये और ग्लेज़्ड न किया जाये तो उसे टेरीकोटा टाईल्स ही कहा जायेगा।

रिपोर्ट के साथ जो डाकूमेंट ए0एस0आई0 ने दाख़िल किया है उसे मैंने देखा है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई और स्केच आदि पुरातत्व विभाग के ड्राफ़्टमैन के द्वारा तैयार किया गया है तो उसे मैंने नहीं देखा अर्थात् इस ए0एस0आई0 की रिपोर्ट के साथ जो डाकूमेंट या छाया चित्र लगे हैं उसे मैंने देखा है। वीडियोग्राफ़ी मैंने नहीं देखी।

प्रश्न- आर्कियोलाजिकल प्रापर डाकूमेंट के सिद्धान्त में क्या-क्या चीजें आती हैं?

उत्तर- हालांकि इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। लेकिन एक बार फिर इसे यहाँ दोहराना सम्भव व उचित ही होगा। जिस समय किसी भी पुरास्थल की खुदाई प्रारम्भ की जाती है, खुदाई प्रारम्भ होने के बाद ऊपर से नीचे तक पर्त दर पर्त जैसे-जैसे खुदाई का विकास होता जाता है,उसी के साथ-साथ जो भी इन पर्तों में पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है उन सभी सामग्री का पुरातत्व विधियों के अनुसार रिकार्डिगं किया जाता है। रिकार्डिगं करने के बाद उसकी फ़ोटोग्राफ़ी भी पुरातत्व की दृष्टि से की जाती है। इस तरह से उत्खनित पुरा सामग्री को (पोटरी) पाटरी यार्ड में पर्तों के अनुसार अरेंज करा दिया जाता है और जो दूसरे पुरावशेष होते हैं,उनकी पर्तों का नाम, प्राप्ति स्थान की गहराई और काल, मार्क करते हुए एक ख़ास तरह के बाक्स में बंद करके स्टाक रूम में रखा जाता है।

ठीक वैसे ही विभिन्न पर्तों से खुदाई के दौरान जो मिट्टी प्राप्त होती है,उस मिट्टी को भी ड्राईवेटिंग व वेटशीविंग की विधियों के द्वारा छाना जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि इस मिट्टी में कोई भी विखण्डित पुरा सामग्री या प्राग कण मिट्टी के साथ अनदेखे न रह जायें। जिस समय इस तरह से रिकार्डिंग कर ली जाती है,उसके पश्चात कालक्रम व प्रक्रम के अनुसार उस सामग्री का विश्लेषण किया जाता है।

गवाह ने ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-1 के पृष्ठ 42 -ए पर बने स्केच को देखकर कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आईसोमैट्रिक व्यू ऐसा ही हो। आईसोमैट्रिक व्यू नतीजा कल्पना पर आधारित नहीं होता है ,बल्कि पुरावशेषों पर आधारित होता है। इस आईसोमैट्रिक व्यू में जो एक से चार तक फ़्लोर दिखाये गये हैं या उनकी जो गणना की गयी है,वह सही है। लेकिन जिस तरह से चारों फ़्लोर को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गयी है, वह उचित नहीं है।

ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-1 के पृष्ठ-42ए पर फीगर 23 में मेनगेट के सामने एक्स्टेंडेड टैरेस वही जगह है,जिसे चौकोर ईटों से ट्रेन्च के-4,के-5, में दिखाया गया है । चित्र 23ए वाल्यूम-1 में फ़्लोर -4 (ए) के ऊपर दो लाइनों में दिखाये गये कथित पिलरबेसेज़ उस चित्र में फ़्लोर-3 के ऊपर नार्थ-वेस्ट में उसी एलाइनमेंट में पिलरबेसेज़ मौक़े पर नहीं हैं, यानि, पिलरबेसेज़ की दो लाइनें एक सीध में नहीं हैं । मैंने विवादित स्थल पर बनी कैनोपी के अन्दर की चारों तरफ़ की चारदीवारी के अन्दर एक ट्रेंच एफ़-3 व एफ़-4 में एक पिलरबेस को देखा है । फिर कहा कि उपरोक्त ट्रेंचेज एफ़-3 व एफ़-4 रामलला की कैनोपी की बाउण्ड्री के अन्दर नहीं है, बल्कि बाहर हैं । मुझे याद नहीं है कि रामलला के ऊपर बनी कैनोपी की चारदीवारी के अन्दर कोई ट्रेंच खोदी गई थी अथवा नहीं । मेरे अंदाज से पूरी खुदाई के क्षेत्र में फ़्लोर-1, फ़्लोर-2,फ़्लोर-3 एवं फ़्लोर-4 में तक़रीबन 20 से 30 पिलरबेसेज़ खुदाई में दिखाई पड़े थे । एक पुरातत्व के विद्यार्थी की हैसियत

से मैं यह बता सकता हूँ कि अलग-अलग फ़्लोर अलग-अलग काल का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन उपरोक्त चारों फ़्लोर पर मिले पिलरबेसेज़ को देखकर यह कहा जा सकता है कि इन पर विभिन्न कालों में हल्का अस्थाई स्ट्रक्चर रहा होगा । मुझे अब याद नहीं है कि सन् 1991 में जब मैंने विवादित ढांचे का निरीक्षण किया था, तब पृष्ठ 42ए पर बने चित्र 23 में पिलरबेसेज़ की पश्चिमी लाइन से विवादित ढांचे की पश्चिमी दीवार कितनी दूर थी ,क्योंकि उस समय पिलरबेसेज़ का ज्ञान ही नहीं था, अतः उक्त दूरी नापने का प्रश्न ही नहीं उठता था ।

मैंने अपने शपथ - पत्र के पैरा-15 में जिस वाल का जिक्र किया है ,वह ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम-2 की प्लेट सं0-25 में दर्शाई गई है । इस वाल का नम्बर -16 है और यह ट्रेंच ई-8 में दिखाई पड़ रही है । यह वाल रद्दा-दर-रद्दा में लगी है और उसके ईटों के साइज़ भिन्न-भिन्न हैं और इसमें ईटों के टुकड़ों का प्रयोग अधिक हुआ है । इस दीवार को देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें साबुत ईटें कम और टुकड़े ज्यादा रद्दों में लगे हैं । इस दीवार में एक अलंकृत पत्थर दिखाई पड़ रहा है और दूसरे अनालंकृत हैं । मैं नहीं बता सकता कि ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम-2 में प्लेट नं0-26 में वही दीवार दिख रही है अथवा नहीं, जिसे प्लेट नं0-25 में दर्शाया गया है ,क्योंकि प्लेट नं0-26 में दाहिनी ओर एक वर्टिकल वी - वी लाइन से अलंकृत पत्थर का टुकड़ा दिखाया गया है, जो प्लेट नं0-25 में दिखाई नहीं पड़ रहा है ।

प्लेट नं0 - 51 में जो दीवार बनी है , उसमें रद्दे लगे हैं , लेकिन वे ईंटें अलग - अलग साईज़ की हैं , इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ईंटों के टुकड़े लगे हुए हैं । प्लेट नं0 - 25 और प्लेट नं0 - 51 में जो अलंकृत पत्थर लगे हैं , वे अलग - अलग रूप में हैं , अर्थात् दोनों अलग - अलग स्लैब हैं । प्लेट नं0 - 27 व प्लेट नं0 - 28 में बनी दीवार को बनाने के लिए जिन ईंटों का प्रयोग किया

गया है , वे प्लेट नं0 - 25 व प्लेट नं0- 51 में बनी दीवार में प्रयोग किए गए ईंटों से न केवल भिन्न हैं , बल्कि दोनों को बनाने में जिस मैटीरियल का प्रयोग किया गया है , वे भिन्न हैं । प्लेट नं0 - 27 व 28 बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया है , जबकि प्लेट संख्या - 25 व 51 से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा मैटीरियल प्रयोग किया गया है , परन्तु प्लेट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बनाने के लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया गया है । प्लेट नं0 - 27 और प्लेट नं0 - 28 तथा प्लेट नं0 - 25 और प्लेट नं0 - 51 सभी में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है । प्लेट नं0 - 25 और प्लेट नं0 - 51 में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है , उनका साईज़ भिन्न है । सर्कुलर श्राइन , जिसका उल्लेख मैंने अपनी बयान हल्फ़ी के प्रस्तर - 14 में किया है , उसको मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं है, बल्कि फ़ोटो देखकर मैंने यह बयान दिया है । इस सम्बन्ध में ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है । इस सर्कुलर श्राइन से वाल संख्या - 16 पश्चिम की ओर है , परन्तु श्राइन से कितनी दूरी पर है , यह मैं नहीं बता सकता । प्लेट नं0 - 60 वही सर्कुलर श्राइन है , जिसका उल्लेख मैंने अपने शपथ - पत्र के प्रस्तर -14 में किया है । श्राइन की गोलाई मुझे अर्द्धचन्द्राकार प्रतीत हो रही है । इस अर्द्धचन्द्राकार आकार में नीचे से ईंटे के रद्दे दिखाई दे रहे हैं । इस अर्द्धचन्द्राकार आकार का नीचे का हिस्सा छोड़ने के बाद चार - पाँच रद्दे रेगुलर हैं । स्वयं कहा कि ऊपरी रद्दे के बीच में दो ईंटें एक छोटी , एक बड़ी बनावट की समानता से अलग रखी हुई हैं । ठीक उसी प्रकार से इस रद्दे से अन्दर की तरफ़ लगी ईंटों को भी काट करके डिस्टर्ब किया हुआ है । प्लेट नं0 - 59 में वह दीवार जिसमें एक पत्थर की स्लैब लगी है , वह अर्द्धचन्द्राकार हिस्से के पास आकर ख़त्म हो गई है । इस सिरे पर जो ईंटें दिखाई दे रही हैं , वह अर्द्धचन्द्राकार ईंटों से नीचे तो मिले हुए हैं , लेकिन ऊपर अर्द्धचन्द्राकार वाले हिस्से से मिले हुए हैं । इस दीवार का दूसरा हिस्सा मुझे 'एण्डिग एज' नहीं लग रहा है , क्योंकि इसमें

जो दीवार में रद्दे लगे हुए हैं , वे जैसे - जैसे ऊपर लगे हैं , बाहर की तरफ़ निकले हुए हैं ।

लीडिंग केस नं0 - 4/1989 में प्रस्तुत ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट दिनांक - 22.8.2003 के विरुद्ध निर्मोही अखाड़ा प्रतिवादी संख्या - 3 की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों सी0 एम0 नं0 - ~~1/43~~ 143 (ओ0) 2003 के संलग्नक - 27 में वही सर्कुलर श्राइन का फ़ोटो है , जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । इन्हीं आपत्तियों के संलग्नक - 28 में एक कटिंग दिखाई दे रही है , परन्तु इसे परनाला (chute) नहीं कह सकते हैं । इस फ़ोटो में जो छेद दिखाई दे रहा है , वह ईंटा निकालकर नहीं , बल्कि ईंटे को काटकर बनाया गया है । मैंने यह छेद मौक़े पर नहीं देखा है , फ़ोटो के आधार पर मैं यह बयान दे रहा हूँ ।

इस तरह के पेडेस्टल पर शिव जी पर पानी चढ़ाने पर पानी का निकास उत्तर की ओर होता है या नहीं , यह मुझे नहीं मालूम ।

दीवार नं0 - 16 को मैंने मौक़े पर जाने के समय उतनी देखी थी , जितनी उस समय तक खोदी गई थी । यह दीवार उत्तर - दक्षिण है । मैं अन्तिम बार खुदाई स्थल पर मई 2003 के पहले दो हफ़्तों के उत्तरार्द्ध में गया था । मैंने इस दीवार के उत्तर के अन्तिम छोर से पूरब की तरफ़ दूसरी दीवार चली जाती है। इसी प्रकार दक्षिण छोर पर भी दीवार पूरब की ओर मुड़ी हुई है । ए0 एस0 आई0 द्वारा की गई खुदाई के सम्बन्ध में तैयार की गई साईट नोट बुक संख्या - 30 के पृष्ठ - 12 पर जो आब्ज़र्वेशन किए गए हैं , मैं उनसे सहमत नहीं हूँ । खुदाई के दौरान जो स्ट्रक्चर खुदाई में मिला , उसमें जो मैटीरियल लगा था , उसको पुनः इस्तेमाल किया गया है । स्वयं कहा कि यह भी संभावना है कि केवल मात्र बिल्डिंग में प्रयोग होने वाले मैटीरियल को ही प्रयोग नहीं किया गया है , बल्कि बाहर से लाए गए मैटीरियल का भी प्रयोग किया गया है ।

श्रावस्ती की खुदाई में जो आर्टिफ़ैक्ट्स मिले हैं , उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे गहड़वाल शासकों के काल के हैं । यह सही है कि गहड़वाल काल में सुर्खी - चूने का प्रयोग निर्माण में शुरू हो गया था ।

मैंने ईदगाह और मस्जिद देखी है । ईदगाह में पश्चिम की ओर एक ही दीवार मैंने देखी है । ईदगाह की दीवार में मैंने ताख़े देखे हैं , लेकिन मैंने इनकी गणना नहीं की है । मैंने मस्जिद की पश्चिमी दीवार में भी ताख़े देखे हैं , परन्तु उनकी संख्या याद नहीं है । मैंने मस्जिद और ईदगाह की बनावट के बारे में कहीं पढ़ा नहीं है । मैंने क़ुरान भी नहीं पढ़ा है । मैं नहीं बता सकता कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार में एक ही ताख़ होता है या उससे अधिक । मैंने मन्दिर भी देखा है । मन्दिर में गर्भगृह होता है , जिसमें भगवान विराजमान होते हैं । गर्भगृह के चारों तरफ़ हर मन्दिर में परिक्रमा नहीं होती है । यह ज़रूरी नहीं है कि मन्दिर के गर्भगृह के दो तरफ़ कमरे हों । सभी मन्दिरों में यह ज़रूरी नहीं है कि पुजारी के रहने की जगह हो या भगवान के भोग के लिए कोठार , रसोई घर आदि हो । मन्दिर के चारों दिशाओं में सहन हो सकता है । मन्दिर के अन्दर दीवार में ताख़े होते भी हैं और नहीं भी होते हैं । ताख़ा होना ज़रूरी नहीं है । मैंने ऐसे मन्दिर भी देखे हैं , जहाँ भगवान का भोजन एक बार भी नहीं बनता है । मेरे गाँव में दो ऐसे मन्दिर हैं , जहाँ भोजन नहीं बनता है , अर्थात् भोग भी नहीं लगता है । मेरे गाँव के दोनों मन्दिरों में से एक शिव जी का मन्दिर है और दूसरा मालदेव जी का मन्दिर है । जब मई के महीने में मैं अयोध्या खुदाई स्थल पर गया था , तब मैंने ट्रेंच के - 3 के अन्दर तीन चूल्हे नहीं देखे थे , बल्कि मैंने उसकी ऊपरी सतह पर एक चूल्हा देखा था । जो एक चूल्हा मैंने देखा था , मैं यह नहीं कह सकता कि यह उपरी सतह से एक फ़िट नीचे था या नहीं , परन्तु यह चूल्हा सतह के बहुत क़रीब था ।

ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम - 2 की प्लेट नं0 - 3 में बना हुआ चूल्हा ही वह चूल्हा है , जिसे मैंने देखा था । ईदगाह के सम्बन्ध में मुझे विस्तृत ज्ञान कि ईदगाह , कनाती मस्जिद अथवा मस्जिद किस प्रकार की होती है , इसके बार में विस्तृत ज्ञान मेरे सहयोगी डा0 आर0 पी0 राना , डा0 सैय्यद ज़हीर हुसैन जाफ़री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में हैं , से जानकारी हुई । उन्होंने यह नहीं बताया कि नं0 - 16 की दीवार ईदगाह की दीवार है । मैंने स्वयं इस दीवार को ईदगाह की दीवार इन्टरप्रेट किया । मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो0 इरफ़ान हबीब द्वारा खुदाई स्थल की दीवार नं0 - 16 को ईदगाह की दीवार बताए जाने के सम्बन्ध में लिखे गए आर्टिकल को नहीं पढ़ा । मुझे यह नहीं मालूम कि इस दीवार को ईदगाह की दीवार बताने के सम्बन्ध में कोई लेख किसी ने लिखा है या नहीं ।

मैंने बौद्ध स्तूप देखा है । बौद्ध स्तूप आवश्यक नहीं है कि हर समय पूर्णगोलाकार ही हो । बौद्ध स्तूप इस तरह के भी होते हैं , जिसमें लोग नहीं जा सकते हैं और बड़ा भी होता है , जिसमें लोग जा सकते हैं । मैंने अयोध्या में बौद्ध स्तूप नहीं देखे हैं ।

मैंने अपने शपथ - पत्र के पैरा - 3 में ए0 एस0 आई0 के लिए शब्द इन्ट्रेस्टेड , पैरा - 25 में वन आईड , पैरा - 32 में पार्टीजन , बायस शब्दों का प्रयोग किया है , उसका मेरा आधार यह है कि समय - समय पर जिस तरह से ए0 एस0 आई0 के अधिकारी पुरातत्व धर्म से प्रेरित न होकर व्यक्तिगत आस्था के आधार पर पुरातात्विक स्तरों का एप्रोप्रियेशन उत्खनन के समय तथा रिपोर्ट बनाने के समय करते रहे हैं ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने गवाह से उनके शपथ - पत्र के प्रस्तर - 33 में लिखे शब्द " Subservient to his master's wishes " की ओर दिलाया और पूछा कि यह मास्टर कौन हैं , गवाह ने उत्तर दिया कि मेरा

मास्टर शब्द से अभिप्राय उस वक़्त जो केन्द्रीय सरकार थी , उससे है और उस समय उत्खनन से ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार के द्वारा उस वक़्त मौजूद पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल (आई0 ए0 एस0 आफ़ीसर), जिनका नाम याद नहीं है , को हटाकर एक अन्य आई0 ए0 एस0 आफ़ीसर को डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। पुरातत्व विभाग में एक पुरातत्ववेत्ता को ही डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त होना चाहिए , जो पिछले कई सालों से नहीं किया जा रहा है । यह ठीक है कि किसी भी उत्खनन की रिपोर्ट एक टीम वर्क के आधार पर होती है , परन्तु उस टीम का जो लीडर होता है , वह टीम के सदस्यों को गाइड करता है । किसी उत्खनन में टीम लीडर का ही यह दायित्व है कि वह अपनी टीम को गाईड करे । यह ज़रूरी नहीं है कि वह टीम लीडर आर्कियोलाजी के हर विषय की जानकारी रखता हो । यह कहना ग़लत है कि मैं " मुस्लिम" शब्द से अभिभूत है और मैं इसीलिए पूर्ण असत्य बोलने के लिए आया हूँ और यह भी कहना ग़लत है कि मैं पूर्ण असत्य बोलने यहाँ आया हूँ । स्वयं कहा कि मैं अदालत में अपने विषय के दायित्व का निर्वहन करने आया हूँ ।

(अन्य मूलवाद सं0 - 3/89 के वादी निर्मोही अखाड़ा की ओर से श्री रंजीत लाल वर्मा, एडवोकेट द्वारा जिरह समाप्त ।)

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

14.2.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु दिनांक - 27.2.2006 को प्रस्तुत हो ।

14.2.06

समक्षः-मा0 विशेष पूर्णपीठ उच्च न्यायालय,इलाहाबाद लखनऊ पीठ,लखनऊ

दिनाँकः- 27.2.2006 पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0- 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांकः- 14.2.2006 के क्रम में अन्य मूलवाद सं0 4/89 में प्रतिवादी सं0-17 एवं प्रतिवादी सं0 22 श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय की ओर से श्री वीरेश्वर द्विवेदी,एडवोकेट द्वारा प्रारंभ)

मेरा पूरा नाम रामचन्द्र ठाकरान है। मेरा मूल निवास स्थान नांगल ठाकरान दिल्ली-39 है। ठाकरान नामक एक समुदाय है। हिन्दू वर्ण संस्कृति के हिसाब से ठाकरान समुदाय जाट जाति के अन्तर्गत आता है।

मैंने मास्टर आफ़ फ़िलास्फ़ी इन आर्कियोलाजी की डिग्री हासिल करने के लिए इण्डस वैली सिविलाईज़ेशन के अंतिम चरण पर शोध किया। (दि सक्वेल कल्चर्स टू दि हड़प्पन सिविलाईलज़ेशन इन दि ग्रेटर इण्डस वैली) मेरे शोध का कार्यकाल 18वी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। सिन्धु घाटी की सभ्यता की शुरूआत प्रोटो हिस्टौरिक पीरियड (प्राक् इतिहास) के समय से होती है यानी इस पीरियड की शुरूआत थर्ड मिलेनियम बी0सी0 के पूवार्द्ध से शुरू होती है। सन्1993 में मैंने पीएच0डी0 की डिग्री हासिल की। पीएच0डी0 का फ़ुलफ़ार्म " डाक्टर आफ़ फिलास्फ़ी " कहा जाता है। मेरे शोध का विषय 'सेटिलमेंट पैटर्न इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा' रहा था। मेरे अध्ययन के दौरान एम0ए0का कोर्स दो वर्ष का था और प्रत्येक वर्ष जुलाई से लेकर मई तक क्लासेज़ होती थीं ,यानी एकेडेमिक सेशन चलता था।

मेरे एम0ए0 के अध्ययन का पहला एकेडेमिक सेशन जुलाई सन् 1973 से मई सन् 1974 तक था और दूसरा जुलाई सन् 1974 से मई,सन् 1975 तक था।

मैने अपने एम0ए0 के अध्ययन के दौरान कुछ उत्खनन प्रोजेक्टस को एटैंड किया था। मैं विद्यार्थी के रूप मे उत्खनन टीम का सदस्य था। टीम के लीडर तथा अन्य कार्यकर्ता मेरे प्रोफ़ेसर व टीचर्स थे। और इस सिलसिले में मैं खुदाई के लिए मिर्ज़ापुर व राजा करन का क़िला दो स्थानों पर गया था। मिर्ज़ापुर का उत्खनन कार्य मिर्ज़ापुर नामक गाँव में किया गया था। राजा करन का क़िला भी मिर्ज़ापुर गाँव में ही है। यह दोनों स्थान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र ज़िले में स्थित हैं।

मैंने मिर्ज़ापुर व राजा करन का क़िला नामक दो स्थानों में उत्खनन कार्य सन् 1973 में नवम्बर माह से लेकर फरवरी,सन् 1974 तक किया था। राजा करन का क़िला का उत्खनन कार्य नवम्बर सन् 1974 से शुरू होकर, फरवरी 75 तक चला था। मैंने अपने शपथ-पत्र के पैरा 1 के आख़िर में जिन दो शिक्षा सेशन का ज़िक्र किया है, उनसे मेरा मतलब सन् 1973-74 व सन् 1974-75 से है। मेरे अपने शपथ -पत्र के पैरा 1 में सन् 1973 न लिखने का कोई ऐसा कारण नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा कोई कारण है नहीं। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि मैंने अपना शपथ-पत्र कैजुवल वे में लिखकर दाख़िल किया। विवादित स्थल पर उत्खनन कार्य के दौरान मैं 11 मार्च,सन्2003 से एक सप्ताह तक रहा और फिर मार्च के आख़िरी हफ़्ते में दोबारा आया और इस बार भी मैं एक सप्ताह तक मौक़े पर रहा। तीसरी बार मैं अप्रैल के आख़िर में आया और मई के पहले सप्ताह तक रहा। इसके बाद मैं फिर विवादित स्थल पर नहीं गया। तीनों बार मैंने उत्खनन कार्य का निरीक्षण किया। यह सही है कि विवादित स्थल पर खुदाई के दौरान मैं जब - जब गया और जब - जब वापस आया तो मुझे दस्तख़त करने पड़ते थे।

मैंने कभी कोई उत्खनन स्वयं किसी फ़ील्ड में नहीं किया। मुख्य तौर पर आर्कियोलाजी को फ़ील्ड आर्कियोलाजी व टेबिल आर्कियोलाजी में विभाजित किया जा सकता है। यह कहना ग़लत होगा कि मैं फ़ील्ड आर्कियोलाजिस्ट नहीं हूँ बल्कि केवल टेबिल आर्कियोलाजिस्ट ही हूँ। बावजूद इसके कि मैंने फ़ील्ड आर्कियोलाजी में स्वतंत्र रूप से कोई उत्खनन कार्य नहीं किया है, मैं अपने आप को फ़ील्ड आर्कियोलाजिस्ट मानता हूँ, क्योंकि मैं फ़ील्ड आर्कियोलाजिस्ट का काम करता रहा हूँ। मैंने इस मुक़दमे में प्लेटिफ़ की ओर से ए0एसआई0 की रिपोर्ट पर दाख़िल किये गये एतराज़ का अध्ययन किया है। यह एतराज़ मुझे श्री ज़फ़रयाब जीलानी ने अध्ययन करने के लिए मेरे पास भिजवाया था। मुझे श्री जीलानी साहब ने यह नहीं कहा था कि इन्हीं एतराज़ के समर्थन में मुझे गवाही देनी है। मैंने भी यह नहीं कहा कि मुझे बुलायेगें तो मैं जमकर गवाही दूंगा। मुझे सबसे पहले गवाही देने के लिए कोर्ट से सम्मन मिला था, किसी ने कहा नहीं था।

प्रश्नः क्या उस सम्मन में यह लिखा था कि आपको वादी के आपत्ति के समर्थन मे गवाही देनी है?

उत्तरः मुझे यह याद नहीं है कि ऐसा लिखा था या नहीं।

चूँकि न्यायालय के सम्मान में मुझे आना था इसलिए मैं न्यायालय का आदेश पाकर निर्धारित तिथि पर यहां पहुंच गया। मैंने यहाँ आने से पहले ही दिल्ली में शपथ-पत्र तैयार किया था। मैंने दिल्ली में भी किसी वकील की मदद अपना शपथ-पत्र तैयार कराने में नहीं ली थी। मैंने इस मुक़दमे में आने से पूर्व न तो किसी अन्य मुक़दमे में गवाही दी है और न किसी न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही मैंने शपथ-पत्र दिया है। मैंने शपथ-पत्र देने से संबंधित किसी किताब का अध्ययन नहीं किया। अर्थात् शपथ-पत्र का क्या फ़ार्म होगा ,इसको जानने के लिए मैंने किसी पुस्तक का अध्ययन नहीं किया। मैने अपने शपथ-पत्र की कापी

श्री जीलानी साहब को दी थी ,उन्होंने उसका फ़ारमेट तैयार करके दाख़िल किया। साक्षी ने अपने शपथ पत्र के पृष्ठ 19 पर शब्द वेरीफ़िकेशन को देखने के बाद कहा कि मुझे वेरीफ़िकेशन का मतलब मालूम है ,इसका अर्थ तस्दीक़ करना होता है। मेरे वेरीफ़िकेशन के क्लाज़ में एक्सेट्रा से तात्पर्य यह है कि सूचना व राय के अलावा व्यक्तिगत अनुभव ,अर्थात् खुदाई के दौरान जो देखा ,वह शामिल है। मैंने वक़्त की नजाकत के हिसाब से अपने शपथ-पत्र में इनफ़ारमेशन एण्ड एडवाईस का सोर्स बताना उचित नहीं समझा।

मैंने अपने शपथ-पत्र में जितने फ़ैक्टस व फ़ीगर कोष्ठक में लिखे हैं, वे तथा पैराग्राफ 23 में लिखे तथ्यों की सूचना या राय मुझे किसी ने नहीं दी, बल्कि मैंने ज्ञान व अनुभव के आधार पर इन सभी बातों को लिखा है।

प्रश्न- आपने यदि अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर कोष्ठक में लिखे तथ्यों को तथा पैरा 23 को अपने स्वयं के अनुभव व ज्ञान पर लिखा है, तो आपने वेरीफ़िकेशन क्लाज़ में यह कैसे लिखा दिया कि मैं प्राप्त सूचना व राय के आधार पर कोष्ठक पोर्शन व प्रस्तर 23 में कैसे लिखा दिया कि उपरोक्त तथ्य प्राप्त सूचना व राय आदि पर आधारित हैं ?

उत्तर- मैंने यह इसलिए लिखा है कि क्योंकि सूचना किसी व्यक्ति विशेष से ही प्राप्त नहीं होती है , अपितु उपलब्ध प्रकाशित सामग्री से भी मिलती है और मैंने यह सामग्री जो भी उपलब्ध श्रोत हो सकते थे ,उनसे प्राप्त की। जहां तक एडवाईस आदि का सवाल है इसका मेरा अभिप्राय यह रहा है कि जो जानकारी हासिल होती है,उस जानकारी का सही विश्लेषण करने के लिए विषय से संबंधित एक्सपर्ट के साथ विचार विमर्श करना भी आवश्यक होता है और विचार विमर्श के दौरान कुछ अच्छी बातें भी उभरकर सामने आती हैं, जो ओरिजनल रूप से अकेले विश्लेषणकर्ता के ज़ेहन में नहीं आ पाती हैं।

यह कहना उचित नहीं है कि मैंने जानबूझ कर सूचना देने वाले व परामर्श देने वाले का नाम खोलना ठीक नहीं समझा। मुझे किसी ने ऐसी सलाह नहीं दी थी कि मैं सूचनाकर्ता व परामर्शकर्ता का नाम न खोलूँ । यह कहना ग़लत है कि मैंने अपना पूरा शपथ - पत्र कैजुअल - वे में दाख़िल किया है ।

मैं ईश्वर , खुदा या गॉड में विश्वास नहीं करता हूँ , मैं बयान देने से पहले ईश्वर की सौगन्ध नहीं लेता । मैंने बयान हलफ़ी दाख़िल करते वक़्त जो शपथ ली है , वह मैंने इंसानियत और इस देश के संविधान की शपथ खाई है ।

मुझे इस बात का ज्ञान है कि बहुत सारे उत्खनन कार्यों में हड्डियों के मिलने पर उनकी रिकार्डिंग की जाती रही है । उदाहरण स्वरूप सराय नाहर राय (उत्तर प्रदेश), दमदमा (उत्तर प्रदेश), महादहा (उत्तर प्रदेश) आदि हैं । उपरोक्त सभी जगहें जौनपुर , प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में हैं । मैंने उपरोक्त जगहों के उत्खनन कार्यों से सम्बन्धित रिपोर्टों को अवश्य पढ़ा है । सम्बन्धित रिपोर्टें छापी गईं थीं । ये सभी रिपोर्टें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रकाशित हुई थीं । जिन मैगज़ीन्स में उपरोक्त रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं , उनके नाम मुझे याद नहीं हैं । ये तीनों रिपोर्टें सन् अस्सी एवं नब्बे के दशक में प्रकाशित हुई थीं । अभी हाल ही में एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है , जिसमें उपरोक्त तीनों स्थानों से सम्बन्धित रिपोर्ट का ज़िक्र है । मुझे उस पुस्तक , उसके लेखक एवं प्रकाशक का नाम याद नहीं है । यह कहना ग़लत है कि उस पुस्तक को मैंने कैजुअल-वे में पढ़ा है , बल्कि मैंने उसका गहन अध्ययन भी किया है ।

प्रायः मैं किसी भी पुस्तक को पढ़ते समय उसके लेखक , प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम याद रखने की कोशिश करता हूँ , परन्तु उपरोक्त पुस्तक का नाम व प्रकाशक का नाम मुझे याद नहीं है । मुझे उपरोक्त पुस्तक का सन् याद है और मेरे ज्ञान के मुताबिक़ वह सन् 2005 में प्रकाशित हुई है । विवादित संपत्ति

या उसके सन्नत (adjucent) संपत्ति पर हुए ऐसे उत्खनन कार्य जो सन् 1989 से पहले हुए हैं , उनका ज्ञान मुझे है । मेरी जानकारी के मुताबिक़ प्रो० बी० बी० लाल के द्वारा एक उत्खनन कराया गया था और उक्त खुदाई के अंश " Indian Archaeology - A Review " नामक पत्रिका में छपे हैं । जो कई सालों में प्रकाशित हुए हैं । ठीक वैसे ही यहाँ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास , संस्कृति व पुरातत्व विभाग के द्वारा भी खुदाई कराई गई थी , लेकिन उस उत्खनन के अंश रिपोर्ट के रूप में छपे मैंने नहीं देखे। जो मैंने इस विभाग में देखी थी । मैंने उपरोक्त सभी उत्खनन कार्यों से सम्बन्धित पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी और न पूरी रिपोर्ट छपी ही है , बल्कि उनसे सम्बन्धित अंशों को पढ़ा है । ये अंश उत्खननकर्ताओं के द्वारा ही लिखे गए हैं । ये सभी अंश मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तथा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की लाइब्रेरी में पढ़ने को मिले हैं । मैंने उपरोक्त सभी अंशों की विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए उनका अध्ययन किया था । मैंने उपरोक्त अंशों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही अपनी राय क़ायम की तथा निष्कर्ष निकाला है ।

प्रश्न - क्या मैं यह समझूं कि उत्खनन की रिपोर्ट्स के अंशों को पढ़कर आप अपनी राय व निष्कर्ष सुनिश्चित करते हैं ?

उत्तर - उत्खनन से सम्बन्धित जो भी राय या जानकारी प्राप्त होती है , उसी का अध्ययन करके मैं अपनी राय क़ायम करता हूँ ।

ऐसा नहीं है कि उपरोक्तानुसार ही किसी उत्खनन कार्य के अंशों को पढ़ने के पश्चात् मैं अंतिम राय क़ायम करता हूँ , बल्कि सही यह है कि जब तक कि समुचित उत्खनित जानकारी प्रकाशित रूप में उपलब्ध नहीं कराई जाती है या हो पाती है , तब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही राय बनाने के लिए निर्भर रहना पड़ता है । यदि किन्हीं परिस्थितियों में राय का देना या क़ायम करना

आवश्यक है , तो जो उपलब्ध सामग्री होती है , उसी के आधार पर राय देना उचित है । मैं भी ऐसा उचित कार्य करता हूँ । चूँकि मैंने कोई उत्खनन कार्य नहीं किया है , इसलिए उत्खनन कार्य की रिपोर्ट लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैंने उत्खनन कार्यों से सम्बन्धित अंशों को पढ़ने के बाद एक विश्लेषक के रूप में कार्य करते हुए विश्लेषण किया है । मैंने समालोचक या आलोचक के रूप में कार्य नहीं किया है । मैंने जिन - जिन कार्यों का विश्लेषण किया , उनसे सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित कराया । मैंने अपने विश्लेषणों को सोशल साइंस प्रोविंग्स , सोशल साइंटिस्ट , पंजाब हिस्ट्री कांग्रेस , इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस , आर्कियोलाजी सिन्स इंडिपेंडेंस , रीजन एण्ड आर्कियोलाजी नामक अनेक पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में अपने शोध - पत्रों को छपवाया किया है । उपरोक्त पत्रिकाओं में से कोई भी पत्रिका दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से नहीं छपती हैं । मैं उपरोक्त पत्रिकाओं के लेखक प्रकाशक एवं सम्पादक के नाम पता सकता हूँ , जो प्रो0 आर0 एल0 शुक्ला , प्रो0 के0 एम0 श्रीमाली , प्रो0 रामाकृष्णा चटर्जी , प्रो0 वी0 रामाकृष्णा , डा0 आर0 पी0 राना , डा0 विश्वजीत पति हैं । इन पुस्तकों का प्रकाशन सन् 2000 ई0 के बाद ही हुआ हो , ऐसा कहना सही नहीं है , बल्कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस सन् 1935 से प्रकाशित हो रही हैं , इसी तरह से बाक़ी पुस्तकें काफ़ी लम्बे अर्से से प्रकाशित होती रही हैं । जिन अंशों का विवरण मैंने ऊपर दिया है , उनका प्रकाशन इन पत्रिकाओं में सन् 2000 के बहुत पहले से हो रहा है । यह कहना सही है कि जितने भी उत्खनन कार्यों का विवरण मैंने दिया है , उनसे सम्बन्धित मेरे सभी लेख सन् 1989 के बाद छपे हैं । उस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य में व्यस्त था । दिल्ली विश्वविद्यालय एफ़ीलिएटिंग यूनिवर्सिटी है और उसके अन्तर्गत एफ़ीलिएटेड कालेज आते हैं । उस समय मैं स्वामी श्रद्धानन्द कालेज में शिक्षण का कार्य करता था । मैं लेक्चरर , सीनियर

लेक्चरर और रीडर के पद पर उस कालेज में कार्य कर चुका हूँ । दिल्ली विश्वविद्यालय के एफ़ीलिएटेड कालेजों में रीडर की पोस्ट है ।

सराय नाहर, दमदमा और महादाहा की खुदाई में हड्डियां भी मिली थीं। इन हड्डियों की रिकार्डिगं भी हुई थी । मैंने उक्त रिकार्डिगं देखी है । इन हड्डियों के बारे में खुदाई से सम्बन्धित जो विभिन्न लेख प्रकाशित हुए, उनमें पढ़ी है । इन हड्डियों की रिकवरी से सम्बन्धित रिकार्ड मैंने देखा व पढ़ा और अध्ययन भी किया है । यह प्रकाशन आंशिक रुप से हुआ है । मैं इलाहाबाद - यूनिवर्सिटी , इन स्थानों की खुदाई की रिपोर्ट पढ़ने नहीं गया । खुदाई के दौरान मिली हुई हड्डियों को संरक्षित करने के लिए आर्कियोलोजी में रासायनिक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं । यह पूर्ण रुप से सही नहीं है कि आर्कियोलोजी का अर्थ पुरानी वस्तुओं का विज्ञान मात्र है । अंग्रेज़ी के "आर्केक" शब्द का अर्थ प्राचीन होता है ।" लॉजी " शब्द "लोगोज़" से बना है , जिसका अर्थ विज्ञान होता है । किसी भी विज्ञान में कार्य करने की विधा दी जाती है। स्वयं कहा कि लेकिन वह विधा स्थायी नहीं होती है । सर मार्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक " आर्कियोलोजी फ्राम दि अर्थ" में यह स्पष्ट किया है कि उत्खनन के दौरान जो भी चीज़ें मिलती हैं,उनके स्तर की क्रमानुसार प्रापर रिकार्डिग किया जाना ज़रुरी है ।

प्र0- क्या सर मार्टिमर व्हीलर ने अपनी इस पुस्तक में हड्डियों का भी जिक्र करते हुए उनकी रिकार्डिंग और प्रिज़र्वेशन के बारे में लिखा है ?

उ0- सर मार्टिमर व्हीलर ने यह बहुत स्पष्ट लिखा है कि उत्खनन के दौरान जो भी पुरावशेष प्राप्त होते हैं, उन सभी की प्रापर रिकार्डिगं किया जाना बहुत आवश्यक है । इन पुरावशेषों में सभी प्रकार के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें हड्डियां भी हैं ।

प्र0- उत्खनन में पाई गई हड्डियां पुरावशेष हैं, इसके निर्धारण की क्या प्रक्रिया आर्कियोलोजी में है ?

उ0- पुरावशेष कहलाने के लिए एक प्रमुख आधार यह होता है कि मानवीय परिश्रम व क्रियाएं उनके साथ सम्बन्धित होनी चाहिए ।

हड्डियां, सख्त और मुलायम दोनों प्रकार की होती हैं । यह सही है कि एक ही जानवर की कुछ हड्डियाँ मुलायम हो सकती हैं और उसी जानवर की कुछ हड्डियां सख्त हो सकती हैं । यह सही है कि हड्डियाँ मरे जानवर की होती हैं । यह भी सही है कि हड्डियाँ मनुष्य की भी हो सकती हैं । आर्कियोलोजी में हड्डियों की आयु व जानवर की प्रजाति जानने के लिए कई विधाएं प्रयोग में लाई जाती हैं । रिचर्ड मेडो ने अपने अनेक लेखों में हड्डियों की आयु और उससे सम्बन्धित जानवर की प्रजाति जानने की विधाओं का उल्लेख किया है । रिचर्ड मेडो के लेख मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि मैंने वे लेख कब पढ़े थे । मुझे उस पुस्तक का नाम याद नहीं है,जिसमें वह लेख छपा था ।

प्र0- क्या आपको वह विधाएं मालूम हैं,जो रिचर्ड मेडो ने हड्डियों की आयु और जानवर की प्रजाति जानने के सम्बन्ध में दी हैं ?

उ0- मुझे सभी विधियाँ याद नहीं हैं ।

हड्डियाँ किस जानवर जैसे- सुअर, कुत्ते, लोमड़ी, बकरी या आदमी के बच्चे की हैं , इसको जानने के लिए भी विधाएं हैं और इन विधाओं का प्रयोग करते हुए पैलिंटियोलाजिस्ट तय करते हैं कि अमुक हड्डी किस जानवर की है ।

Palaeontology का अर्थ प्राणिशास्त्र है । यह एक विशेष शाखा है,जिसके अन्तर्गत जानवरों की हड्डियों का अध्ययन किया जाता है । मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में पैलेंटियोलोजी के सम्बन्ध में नहीं पढ़ा था। बाद में भी मैंने पैलेंटियोलोजी से सम्बधित कोई किताब नहीं पढ़ी, परन्तु मैंने विभिन्न खुदाई से सम्बधित हड्डियों के बारे में लेख पढ़ा है । रिचर्ड मेडो ,जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है,उसके लेखों में मैंने इस विधा के सम्बन्ध में पढ़ा है ।

जानवरों के अध्ययन को ज़ूलोजी तथा पुरा-जानवरों को पैलियोज़ूलोजी कहा जाता है । मैंने पैलियोज़ूलोजी के सम्बन्ध में पढ़ा है , परन्तु यह मेरा विशिष्ट विषय नहीं है ।

प्र0-अपने शपथ पत्र के प्रस्तर -5 के सम्बन्ध में शपथ-पत्र को सत्यापित करते हुए आपने यह लिखा है कि प्रस्तर -3 से 22, 24 से 33के सभी विषय या तथ्य रिकार्ड्स के आधार पर आधारित मेरे ज्ञान के आधार पर सत्य हैं, यह सही है ? किन्तु आपने अपने सत्यापन में उन रिकार्ड्स का कोई उल्लेख नहीं किया है ?

उ0- यह सही है कि मैंने उन रिकार्ड्स का उल्लेख नहीं किया है और न ही मैंने यह उल्लेख करना ज़रुरी समझा,क्योंकि खुदाई के दौरान जब मैं वहाँ था, वहां पर जो हड्डियाँ मिल रही थीं,उन पर कट- मार्क्स् थे और हड्डियाँ अनेक प्रकार की थीं (पतली,मोटी,सख़्त,नर्म आदि) जिनको देखकर यह कहा जा सकता है कि यह हड्डियां उक्त जानवरों की हैं ।

मेरे शपथ - पत्र का सत्यापन(वेरीफ़िकेशन) जो पेज-19 पर है, उसकी शब्दावली भी मेरे ही द्वारा लिखी गई थी । मैंने शपथ- पत्र के सम्बन्ध में क़ानून की कोई किताब नहीं पढ़ी। मैंने चूँकि अन्य शपथ पत्र पहले देखे हैं जिनमें कि सत्यापन (वेरीफ़िकेशन) शपथ पत्र में होता है,अतः मैंने शपथ पत्र का सत्यापन भी लिख दिया था । मैंने उसे लिखने के पहले कोई क़ानून की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी और न ही मैने किसी वकील से इस सम्बन्ध में सलाह ली ।

प्र0- क्या आपके इस शपथ पत्र के सत्यापन का विषय लिखने के बाद आपने इसको आपकी शिनाख्त करने वाले वकील को भी देकर पूछा था कि यह ठीक है या नहीं ?

उ0- मैं यह पहले कह चुका हूँ कि मैंने अपने शपथ-पत्र का तैयार किया हुआ टेक्स्ट पूरा का पूरा अपने वकील को दिखाया था, ताकि वह यह देख लें कि इसका प्रिज़ेंटेशन ठीक है या नहीं ,जिसका यह स्पेसिफ़िक पहलू भी हिस्सा है।

मैंने अपने शपथ पत्र का टेक्स्ट श्री ज़फ़रयाब जीलानी,एडवोकेट को दिखाया था । मेरे वकील,जो मैंने ऊपर उल्लेख किया,उससे मेरा मतलब मेरे अपने व्यक्तिगत वकील से नहीं है, बल्कि जिस पक्ष की ओर से मैं गवाही देने आया हूँ, उस वकील से है । यह कहना ग़लत है कि मैं इस मरहले पर झूठ बोल रहा हूँ । चूँकि मैंने यह ज़रुरी नहीं समझा, इसलिए उन लेखों व लेखकों का उल्लेख, जिनका मैंने ऊपर ज़िक्र किया है, शपथ-पत्र में नहीं किया ।

मैंने एम0ए0 हिन्दी मीडियम से किया है । शपथ-पत्र के प्रस्तर -33 के अन्त में कोष्ठक में लिखी बात में" मस्ट" शब्द मैंने स्वयं लिखा था, मेरे वकील ने यह शब्द नहीं लिखा था । श्री ज़फ़रयाब जीलानी,एडवोकेट ने कहा था कि यह शपथ पत्र सही है,इस पर दस्तख़त कर दें । मुझे यह नहीं मालूम है कि शपथ-पत्र में केवल तथ्य दिये जाते हैं तथा प्रार्थना नहीं की जाती है । Must be', 'should be' , 'deserves to be' के अर्थ में अन्तर है । यह कहना ग़लत है कि" मस्ट बी" आदेशात्मक लगता है, बल्कि यह इमफ़ैसिस देने के लिए लिखा जाता है ।" शुड बी" के मायने में भी इम्फ़ैसिस देना ही है।" डिजर्वस्- टू बी" लिखे जाने पर भाषा कुछ नर्म हो जाती है । मैंने इम्फ़ैसिस देने के उद्देश्य से "मस्ट बी" शब्द का इस्तेमाल किया है ।

"इन- टो टो" शब्द का प्रयोग मैंने पूरी रिपोर्ट को निरस्त करने के उद्देश्य से किया है ।"इन टो टो" का अर्थ" इन टोटैलिटी" होता है ।

प्र0- क्या मैं यह समझूँ कि आपको ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट जो इस वाद में दाख़िल है, को पढ़ने के बाद आप इस राय और निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसमें एक प्रतिशत बात भी सही नहीं है ?

उ0- जिस उद्देश्यके लिए विवादित स्थल पर खुदाई करने के लिए पुरातत्व विज्ञान का सहारा लिया गया था, उसको ध्यान में रखकर मैं यह कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को पूरी तरह से निरस्त कर देना चाहिए । इसमें बिल्कुल सत्य नहीं है ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

27.2.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनांक 28.2.2006 को प्रस्तुत हो । साक्षी उपस्थित आवें ।

27.2.2006

समक्षः-मा0 विशेष पूर्णपीठ उच्च न्यायालय,इलाहाबाद लखनऊ पीठ,लखनऊ

दिनाँकः- 28.2.2006 पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांकः-27.2.2006 के क्रम में अन्य मूलवाद सं0 4/89 में प्रतिवादी सं0 -17 एवं प्रतिवादी सं0 22 श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय की ओर से श्री वीरेश्वर द्विवेदी, एडवोकेट द्वारा जारी।)

मंदिर का शाब्दिक अर्थ मैं नहीं बता पाऊँगा। अंग्रेज़ी के शब्द ' श्राईन ' का अर्थ पूजा स्थल होता है। मैंने ऐसा कोई लेख नहीं पढ़ा है जिसमें यह बताया गया हो कि विभिन्न मंदिरों के देवी-देवताओं के नाम पर अथवा हनुमान जी का मंदिर,हनुमानजी का मंदिर और रामजी का मंदिर, रामजी का मंदिर कहा जाता है। यह ठीक है कि इस विषय पर मैंने ज्ञान अर्जन करने की चेष्टा नहीं की। स्वयं कहा कि ऐसा मैंने ज़रूरी भी नहीं समझा। किसी मंदिर में प्रिसाईडिंग डीटी अर्थात प्रमुख डीटी होता भी है और नहीं भी होता है। प्रिसाईडिंग डीटी, हेड डीटी को कहा जाता है। यह कहना सही है कि किसी मंदिर की पहचान उसके प्रिसाईडिग डीटी के नाम पर होती है। हिन्दू अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और उनको देवी देवता मानते हैं। हर समय यह कहना उचित नहीं होगा कि मंदिर को आवास गृह भी या आवास स्थल या आवास भवन ही कहें। स्वयं कहा कि देवता का आवास गृह भी या देवता का आवास स्थल कहा जाये ऐसा ज़रूरी नहीं है।

प्रश्न - क्या यह सही है कि मौक़ा(सिचुवेशन) देखकर जहाँ जैसा चाहे मंदिर का अर्थ बता देते हैं।

उत्तर- स्थिति का मुआयना करने के बाद अगर यह पाया जाये कि वहाँ पर अमुक देवी - देवता या किसी देवी- देवता की स्थापना है, तो उसी के अनुरूप उस विशेष स्थान के बारे में बताया जायेगा।

यह ठीक है कि अमूमन मंदिरों में प्रिसाईडिंग डीटी के अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी होती है,जिनका श्रद्धालु पूजन करते हैं। यह ठीक है कि मंदिर मे प्रिसाईडिंग डीटी की मूर्ति सबसे बड़ी होती है और बाक़ी देवी देवताओं की मूर्ति तुलनात्मक रूप से छोटी होती है।जहाँ पर श्रद्धालु उसी अनुपात में पूजा भी करते हैं। यह ठीक है कि जिस मंदिर में प्रिसाईडिंग डीटी के अतिरिक्त् और मूर्तियाँ होती हैं उन्हें सब्सीडियरी श्राईंस कहा जाता है। सब्सीडियरी का अर्थ "सहायक" होता है । यह ठीक है कि हिन्दू धर्म ग्रन्थ व शास्त्र यह बताते हैं कि हनुमान जी ,भगवान राम के सेवक थे। मुझे ऐसा नहीं मालूम है कि जिस मंदिर में हनुमान जी की प्रिसाईडिंग डीटी होती है, वहां भगवान राम की मूर्ति छोटी होती है, किन्तु श्रद्धालु लोग पूजा करते हैं। यह कहना सही नहीं है कि मै सिद्धान्ततः किसी मंदिर में नहीं गया। मेरे गांव में दो मंदिर हैं जिनमें एक मंदिर के प्रिसाईडिंग डीटी लार्ड शिव हैं और दूसरे के दादा मालदेव हैं। मैं बचपन से उन दोनों मंदिरों में अनेकों बार गया। इसके अतिरिक्त भी मैं और मंदिरों में भी गया हूँ। जैसे कर्नाटक में हैलेबिट व बेलूर के मंदिर है। इन दोनों मंदिर के प्रिसाईडिंग डीटी शिव जी और नन्दी जी हैं। इन उपरोक्त दोनों मंदिर में सब्सिडियरी श्राईन भी देखा है।" श्रीलिंगम्" शब्द मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। पर जिन मंदिरों में मैं गया, वहाँ श्रीलिंगम् शब्द नहीं सुना। श्रीलिंगम का कान्सटीट्यूशन मुझे नहीं मालूम। न ही मैंने उसे जानने की ज़रूरत समझी। यह ठीक है कि हिन्दू धर्म शास्त्र के अन्तर्गत त्रिदेव में ब्रह्मा,विष्णु एवं महेश आते हैं। ब्रह्मा को उत्पत्तिकर्ता माना जाता है अर्थात् क्रियेटर व जेनरेटर माना जाता है। इसी प्रकार विष्णु को संचालक ,पालक अथवा आपरेटर कहा जाता है। इसी प्रकार शिव को

संहारकर्ता कहा जाता है। जिसको डिसट्रायर भी कहते हैं। यह सही है कि हिन्दू धर्म में ऐसी धारणा है कि भगवान विष्णु समय - समय पर अवतार धारण कर धरती पर आते हैं। यह भी सही है कि हिन्दू समाज की कल्पना व भावना के अनुसार भगवान राम ने विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया। हिन्दू समाज के बहुत लोग उनको मर्यादा पुरूषोत्तम मानते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं भी मानते हैं।

प्रश्न- ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं भावनाओं से अभिभूत होकर आपके पैरेण्ट्स ने आपका नाम रामचन्द्र रखा?

(इस प्रश्न पर श्री जीलानी, एडवोकेट वादी के अधिवक्ता ने एतराज किया और कहा कि इस प्रकार का प्रश्न पूर्णतया ईरिलिवेंट है और इस गवाह से उसके पिता के द्वारा रखे गये नाम के बारे में पूछना अनुचित है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि न्यायालय इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान न करे)

(न्यायालय ने विचार करने के उपरोक्त एतराज मंजूर किया)

जिन मंदिरों मे मैंने शिव जी की मूर्ति देखी ,वहां श्रीलिंगम की मूर्ति नहीं देखी थी। मैंने श्रीलिंगम देखा है। श्रीलिंगम का शेप राऊंड अर्थात् गोलाकार और ऊपर से टेपरिंग होती है। मैंने जिन खुदाई में भाग लिया है, उनमें ऐसा देखने को नहीं मिला है कि श्रीलिंगम का पूरा रूप धरती के ऊपर व नीचे मिला हो। अर्थात् मुझे खुदाईयों में श्रीलिंगम देखने को नहीं मिला।

प्रश्न- तो क्या यह समझा जाये कि आपने सम्पूर्ण श्रीलिंगम अर्थात् धरती के ऊपर का भाग व धरती के नीचे का भाग आज तक न देखा है और न इसके बारे में पढ़ा है?

उत्तर- मैंने श्रीलिंगम स्थापित रूप में ज़मीन के ऊपर देखा है और उसी के आधार पर अनेक बार पढ़ने का मौक़ा भी मिला है। ज़मीन के नीचे का श्रीलिंगम का भाग मैंने न देखा और न पढ़ा।

बौद्धों के स्तूप को मैंने देखा है। स्तूप के भीतर घुसने का मार्ग होता भी है और नहीं भी होता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि बौद्धों के विभिन्न ग्रुपों के अनुयायी अपनी इच्छानुसार कभी भीतर जाने का रास्ता बनाते हों और कभी न बनाते हो बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि जैसे - जैसे विकास होता गया (तकनीकी विकास व आर्थिक विकास) वैसे-वैसे समयानुसार बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बौद्ध मठों के स्वरूप , आकार,प्रकार में परिवर्तन आता गया। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि बौद्ध अपने स्तूपों को परम्परा अनुसार स्नान भी कराते हैं या नहीं। एक इतिहासक के रूप में मेरे लिए कभी इसके जानने की नौबत ही नहीं आई और न ही जानने की कोशिश की। स्वयं कहा कि एक इतिहासकार के लिए इतिहास के विस्तृत विषय के सभी पहलुओं का एक साथ अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। मुझे मालूम है कि श्रीलिंगम को जल से व दूध से स्नान कराया जाता है और यह कार्य पुजारी एवं श्रद्धालुजन करते हैं। दूध व पानी निकालने के लिए श्रीलिंगम के चारों तरफ़ एक नीचा हिस्सा बनाया जाता है और बाद में जाकर वह एक छोटी नीची नाली के साथ जुड़ जाता है ताकि दूध व पानी क्रमबद्ध तरीके से बाहर जा सके। स्वयं कहा कि लेकिन श्रीलिंगम के चारों तरफ़ जो नीचा सर्किल व उससे जुड़ी हुई नाली भी एक विशेष आकार,प्रकार व विधि से बनती है। मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है कि भक्तजन इस श्रीलिंगम के चारों तरफ़ बने सर्किल से नाली की ओर निकलने वाले दूध व जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर आगे बढ़ जाते हैं या नहीं, पर ऐसा सम्भव है। यह सही है कि ऐसा बौद्धों के स्तूप में नहीं होता है।

प्रश्न- क्या आप बौद्धों के स्तूप व श्रीलिंगम के आर्किटेचर अर्थात् स्थापत्य में उपरोक्त अन्तर को महत्वपूर्ण मानते हैं या नहीं?

उत्तर- निश्चित तौर पर इस तरह का अंतर महत्वपूर्ण होगा। मैं भी इसे महत्वपूर्ण मानता हूँ।

प्रश्न- क्या आपने इस तरह के उपरोक्त अंतर को ए0एस0आई0 द्वारा दी गयी रिपोर्ट में वर्णित व चित्रित सरकुलर श्राईन में नोट किया?

उत्तर- हाँ मैंने नोट किया। स्वयं कहा कि जिस तरह का सर्किल व उससे जुड़ी हुई नाली क्रमबद्ध रूप से बनी हुई श्रीलिंगम के ईर्द - गिर्द पायी जाती है इस तरह का यहां पर कोई भी अवशेष मुझे देखने को न चित्र में और न ही टैक्स्ट में मिला।

मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्रीलिंगम की पीठ का ~~अर्घा~~ प्रदेश का मुख सदा उत्तर की ओर ही होता है। स्वयं कहा कि मुझे अर्घा का अर्थ ही मालूम नहीं है।

मुझे मालूम नहीं है कि आर्कियोलाजी में " आइसोमैट्रिक व्यू " का क्या मतलब होता है । मुझे ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम - 1 के पृष्ठ - 70ए पर फ़ीगर - 17 के नीचे वाले चित्र में दाहिनी ओर एक पतली सी नाली दिखाई पड़ रही है । यह कहना सही है कि इस फ़ीगर - 17 के अनुसार यह नाली उत्तर की ओर जा रही है । यह भी कहना सही है कि उत्तर की ओर जाती हुई ऐसी नाली बौद्ध स्तूप में नहीं होती है । आर्कियोलाजी में " बर्ड्स आई व्यू " नामक कोई शब्दावली प्रयोग नहीं होती है , परन्तु यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है ,कि वह अपनी सुविधा व भाषा ज्ञान के अनुसार कोई ऐसी शब्दावली का प्रयोग करे । मैं उपरोक्त शब्दावली का अर्थ नहीं बता पाऊँगा ।

यह कहना सही है कि ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम - 2 के प्लेट संख्या - 60 में बाईं ओर एक तीर का निशान बना हुआ है । इस प्लेट में एक पतली सी नाली नज़र आ रही है । मुझे नहीं मालूम कि इस प्लेट में जो ऐरो दिखाया गया है , उसका मतलब उस तरफ़ उत्तर दिशा से है । इस प्लेट में दिए गए चित्र के अनुसार ऐसा लगता है कि जिस तरफ़ " सेम व्यू फ्राम वेस्ट" लिखा है , उस तरफ़ शायद पश्चिम दिशा है और इसके अनुसार जिस तरफ़ 'ऐरो' संकेत

कर रहा है , वह उत्तर दिशा प्रतीत होती है । मैंने श्रीलिंगम के श्राईन के अलावा भी और श्राईस में भी उत्तर की ओर निकलने वाली नालियाँ देखी हैं । मेरे ही गाँव में इसी तरह का एक छोटा सा श्राइन है , जिसमें पानी निकलने का रास्ता उत्तर व दक्षिण दिशाओं में है । उस श्राइन को माता का मन्दिर कहा जाता है । उस मन्दिर को हमारे यहाँ शीतला माता का मन्दिर कहा जाता है ।

मैं अपने आपको मन्दिरों की स्थापत्य कला का विशेषज्ञ नहीं मानता हूँ । इस विषय पर जो कुछ मैं चित्र में देख रहा हूँ , उसके आधार पर एक पुरातत्ववेत्ता होने के नाते अपना बयान दे रहा हूँ ।

प्रश्न - क्या यह समझा जाए कि इसीलिए आप मन्दिरों की स्थापत्य कला के विशेषज्ञ के रूप में अपना बयान नहीं दे रहे हैं ?

उत्तर - यह कहना ठीक होगा कि मैं यहाँ पर जो बयान दे रहा हूँ , वह मन्दिर की स्थापत्य कला के विशेषज्ञ की हैसियत से नहीं दे रहा हूँ , बल्कि एक पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में बयान दे रहा हूँ ।

मैं पुरातत्व शास्त्र की सभी विधाओं के विशेषज्ञ के रूप में बयान दे रहा हूँ। पुरातत्व शास्त्र से पृथक 'आर्ट' और 'आर्किटेक्चर' की दो विधाएं हैं ,जिसका ज्ञान एक पुरातत्व वेत्ता के लिए आवश्यक नहीं है । यह कहना सही है कि पुरातत्व के अन्वेषण के लिए ही उत्खनन का कार्य किया जाता है । जितने उत्खनन कार्यों में मैंने अपने विद्यार्थी जीवन के समय में भाग लिया था ,उनमें पुरातत्व के अन्वेषण का कार्य हुआ था । उस समय उत्खनन टीम के लीडर मेरे गुरू प्रो0 उदय वीर सिंह थे । यह कहना ग़लत है कि मैं उत्खनन के कार्य में भी पुरातत्व अन्वेषण का विशेषज्ञ हूँ ।

उत्खनन के अन्वेषण की विशेषज्ञता हासिल करने का कार्य सन् 1973 - 74 में एक विद्यार्थी के रूप में प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात् आज तक निरन्तर

वह सिलसिला जारी है । मुझे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सन् 1975 में स्नातकोत्तर पास करने के बाद इस विशेषज्ञता की डिग्री मिली ।

प्रश्न - क्या आपको मास्टर आफ़ आर्ट्स की उपाधि में किसी विशेष विधा के विशेषज्ञ की उपाधि भी मिली थी ?

उत्तर - उस समय मुझे पुरातत्व विशेषज्ञ की उपाधि इंडियन प्री हिस्ट्री , इंडियन प्रोटो हिस्ट्री , इंडियन आर्कियोलाजी, मुद्रा शास्त्र व अभिलेख शास्त्र में प्राप्त हुई थी ।

उपरोक्त सभी विषय एम0 ए0 द्वितीय वर्ष के स्पेशलाइज़ेशन के पेपर्स होते थे । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन उपरोक्त सभी विषयों का मैं स्पेशलिस्ट हूँ क्योंकि पश्चात् काल में मैंने पुरातत्व को ही अपने अध्ययन , अध्यापन और खोज का विषय बना लिया था।

'कांकार्डेन्स' का अर्थ विभिन्न पहलुओं तथा अंगों में समानता स्थापित करना होता है। उत्खनन के समय विभिन्न ट्रेन्चेज़ में जो खुदाई की जाती है वह पर्त दर पर्त की जाती है अर्थात् लेयरवाइज़ की जाती है और खुदाई सम्पन्न होने के बाद उत्खनन में प्राप्त सभी ट्रेन्चेज़ में पाई जाने वाली लेयर्स का आपसी संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता को कांकार्डेन्स कहते हैं। कांकार्डेन्स को स्थापित करने के लिए सिद्धांत होते हैं जिसको 'प्रिंसिपुल्स आफ कांकार्डेन्स' कहते है। जिनको स्वयं कहा कि अर्कियोलोजी में यह सर्वविदित सिद्धांत है। 'प्रिंसिपुल्स आफ कांकार्डेन्स' पुस्तक में दिये गये हैं। यह सिद्धांत एक पुस्तक में प्रारंभ में दिये गये थे, जिस पुस्तक में दिये गये थे उस पुस्तक का नाम 'अर्कियोलोजी फ्राम अर्थ' है इसके लेखक सर मार्टिमर व्हीलर हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन सन् 1948 से सन् 1950 के दरिम्यान हुआ था। तब तक ग्राउन्ड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम(जी0पी0आर0एस0) की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मेरे अनुसार इस सिस्टम की जानकारी पूरे विश्व में नहीं थी। ग्राउन्ड

पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम पिछले दो दशकों में उपलब्ध हुआ है। मैंने व्हीलर द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी है। मुझे यह मालूम है कि 'प्रिंसिपुल्स आफ कांकार्डेन्स' में कौन-कौन सी बाते मैन्डेटरी होती हैं। उन बातों में पर्तों के अनुसार खुदाई होना चाहिए, पर्तों में पायी जाने वाली हर सामग्री की प्रापर रिकार्डिगं होनी चाहिए, व पर्तों की आईडेंटीफ़िकेशन व डिमारकेशन स्पष्ट रुपसे होना चाहिए तथा खुदाई के उपरांत विभिन्न पर्तों में मिलने वाली सामग्री का तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक विधियों से अध्ययन होना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं मालूम है कि कोई और सिद्धान्त किताब में लिखा है या नहीं। सिन्धु घाटी की सभ्यता के विषय में प्रथम बार सन्1920 या 1921-22 में जानकारी प्राप्त हुई। मैं सर जान मार्शल को जानता हूँ। चूँकि पिट नाम के कई व्यक्ति हैं इस वास्ते जब तक पूरा नाम न हो तब तक मैं नहीं बता सकता कि मुझसे किस पिट के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने स्टूवार्ड पिट के बारे में सुना है। स्टूवार्ड पिट एवं स्टूवार्ड पिगट ने प्राचीन सभ्यताओं पर कुछ काम किया है। सर जान मार्शल ने भी भारतवर्ष में प्राचीन सभ्यताओं के विषय में खोज बीन की है और अपनी रिपोर्ट दी है। ऐसा कहना उचित नहीं है कि सिन्धु घाटी सभ्यता के संबंध में जान मार्शल द्वारा दी गयी रिपोर्ट सर्वमान्य हो। वैसे तो प्रो0 शीरीन रत्नागर व प्रो0 नयनजोत लहरी ने भी मार्शल की रिपोर्टिगं पर प्रश्नचिन्ह लगाये हैं। ऐसा नहीं है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता की खुदाई के समय सर जान मार्शल हमेशा उपस्थित रहे हों। यह सही है कि उक्त खुदाई में सर जान मार्शल टीम लीडर थे। उक्त सभ्यता की खुदाई सन्1921 से प्रारंभ होकर सन् 1927 तक चलती रही। मुझे यह मालूम है कि श्रीरीन रत्नाकर तथा प्रो0 नयनजोत लहरी सिन्धु घाटी सभ्यता से संबंधित अनेक स्थानों पर गयी हैं। श्रीरीन रत्नाकर पिछले लगभग 30सालों से और प्रो0नयनजोत लहरी पिछले दस सालों से सिन्धु घाटी सभ्यता के स्थलों पर जा रही हैं यह कहना सही नहीं है कि मैंने प्रो0 शीरीन रत्नागर तथा प्रो0 नयन जोत लहरी द्वारा

जान मार्शल के विरुद्ध दी गयी रिपोर्टो को पढ़ा नहीं है। शीरीन रत्नागर की कई किताबें सिन्धु घाटी की सभ्यता के संबंध में हैं, जिनको मैंने पढ़ा और जिनमे जान मार्शल से मतवैभिन्न जताया गया है। इनकी पहली किताब " इनकाउन्टर विथ दि वेस्ट- दि वेस्टर्ली ट्रेड " यह किताब मैंने सन्1984 - 1985 में पढ़ी थी। उनकी दूसरी किताब " दि ग्रेट हड़प्पन ट्रेडीशन एन्ड ईट्स डिकालइन " थी ,जिसे मैंने सन् 1995-96 में पढ़ा थी, इनकी तीसरी किताब " अन्डरस्टैन्डिंग हड़प्पा " सन् 2000 में आयी थी। प्रो0 नयनजोत लहरी ने अपनी किताब " दि आर्कियोलोजी आफ़ ट्रेड रूट्स" सन् 1992-93 में छपी थी और उनकी दूसरी किताब " फ़ाइन्डिंग हड़प्पन सिटीज़ " सन् 2005 में छपी है। सन् 1981 में मुझे एम0 फ़िल की डिग्री " दि सिक्यूल टू दि हड़प्पन सिवलाइज़ेशन इन दि ग्रेटर इन्डस वैली " विषय पर किये गये शोध पर दी गयी थी।

प्रश्न-क्या विवादित स्थल पर खुदाई के समय सुअर के या सुअर के बच्चों की हड्डियाँ मिली थी या नहीं?

उत्तर-इस सवाल का जवाब मिली हुई हड्डियों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के उपरांत ही दिया जा सकता है।

मेरे शपथ-पत्र के पृष्ठ 3 प्रस्तर 5 की 11वीं लाइन में जो " व्हिच इन वल्क सीम्स टू बी शीप एन्ड गोट " लिखा है, वह मेरी अपनी राय है और इसका पुरातात्विक आधार भी है। इस संबंध में किसी ने मुझे न राय दी थी न सूचना दी थी। यह मेरा अपना निष्कर्ष है । स्वयं कहा कि मैं इस तरह के पुरातात्विक अवशेषों को डील करता रहा हूँ। मैंने सुअर की हड्डियों के विषय में डील नहीं किया है क्योंकि पुराइतिहास में प्रथम बार भेड़ व बकरी, इन दो पशुओ का ही मनुष्यों द्वारा पालन शुरु किया जाना पाया गया और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन दोनों जानवरों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता रहा है जिसका प्रमाण विभिन्न स्थलों की खुदाईयों के दौरान मिलता रहा है। गाय ,बछड़ा व बैल

का पालन नवपाषाण काल ~~न्यूलिथिक~~ नियोलिथिक एज' से शुरु होता है । भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में इनके पालन के प्राचीनतम अवशेष 7000 बी0सी0 के समय से अभी तक की जानकारी के अनुसार मिलते हैं। मेरे इतिहास के अध्ययन के काल में सुअर के पालन संबंधित जानकारी का अभाव है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि सुअर का पालन कब से शुरु हुआ। मुझे मालूम है कि हिन्दू शास्त्र में 'वाराह ' (सुअर) भी एक अवतार है। प्राचीन भारत में हिरन का भी शिकार होता था।

मुझे मालूम है कि हैबीटेशन को 'बसासत' भी कहते हैं। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि एक ही जगह पर समय समय पर हैबीटेशन बनते हैं और समाप्त होते हैं।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

28.2.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनांक 1.3.2006 को प्रस्तुत हो । साक्षी उपस्थित आवें ।

28.2.2006

समक्षः-मा0 विशेष पूर्णपीठ उच्च न्यायालय,इलाहाबाद लखनऊ खण्ड पीठ,लखनऊ

दिनाँकः- 1.3.2006 पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांकः- 28.2.2006 के क्रम में अन्य मूलवाद सं0 - 4/89 में प्रतिवादी सं0 -17 एवं प्रतिवादी सं0 22 श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय की ओर से श्री वीरेश्वर द्विवेदी, एडवोकेट द्वारा जारी।)

' बसासत ' का अर्थ मैं समझता हूँ। जिसका मतलब होता है ' हैबीटेशन' । हमारे हरियाणा में साधारण बोलचाल में बसासत शब्द का प्रयोग अक्सर होता है। यह कहना ग़लत है कि मैंने 'कैज़ुवल वे' में ' बसासत' शब्द का इस्तेमाल इस अदालत में किया है। हमारे यहाँ ' बसासत ' का अर्थ लुत्फ़,ख़ुशी आदि से नहीं है।

स्थापत्य कला में किसी बिल्डिंग का बेस उसे कहते हैं जो उस बिल्डिंग में प्लेटफ़ार्म के तौर पर बनाया जाता है। बेस के नीचे के हिस्से को पैडिस्टल या लोवर फ़ाउंडेशन कहा जा सकता है। जब किसी भवन का निर्माण होता है तो उसमें लो बर्न्ट ब्रिक्स, प्रापरली बर्न्ट ब्रिक्स व ओवर बर्न्ट ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। स्वयं कहा कि उपरोक्त ब्रिक्स का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। यह सही है कि प्रापरली बर्न्ट ब्रिक्स तुलनात्मक रूप से स्मूथ होते हैं, पर सामान्यू तौर पर चिकनी नहीं होती हैं। यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि प्रापरली बर्न्ट ब्रिक्स की तुलना में टेढ़ी - मेढ़ी ब्रिक्स या ज़्यादा पकी ब्रिक्स में ज़्यादा मोरटार लगता है, पर इसकी सम्भावना है। यह ठीक है कि टेढ़ी - मेढ़ी

ईंट से निर्माण करने पर उनके बीच में गैप्स होते हैं, पर यह कहना पूर्ण सत्य नहीं होगा कि इन गैप्स के बढ़ने की वजह से उनको भरने के लिए ज़्यादा मोरटार को भरना पड़ेगा। यह तो उन ईंटों के प्रयोग करने वाले व्यक्ति की योजना ,आवश्यकता,आर्थिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है। यह ठीक है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है व स्थायित्व या मज़बूती में विश्वास करते हैं या एक मंज़िल के बजाये कई मंजिल उठाना चाहते हैं तो वे लोग फ़ाउंडेशन में ज़्यादा मसाले का प्रयोग भी करते हैं।

प्रश्न- किसी भी प्रस्तावित भवन के लोड अथवा बोझ के अनुसार ही फ़ाउंडेशन को मज़बूत बनाया जाता है ,यह कहना सही है या ग़लत है?

उत्तर- किसी भी बिल्डिंग की प्रस्तावित मंज़िलों को ध्यान में रखकर के नींव डालना चाहिए, परन्तु तथाकथित प्रस्तावित मंज़िलें हर वक्त स्पष्ट होती नहीं है।

प्रस्तावित के मायने " प्रपोज़्ड " से है। विवादित स्थल पर जो फ़ाउंडेशन पाया गया, उसका कुछ हिस्सा मैंने देखा है। ईंटों के टुकड़ों को ब्रिक बैट्स कहा जाता है। यह ठीक है कि ब्रिक बैट्स का यदि निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो गैप्स व वायड्स बनने की सम्भावना होती है। यह बात पूर्ण सत्य नहीं है कि ~~किन्हीं~~ ईन्हीं कारणों की वजह से फ़ांउडेशन में ब्रिक्स बैट्स एण्ड ओवर बर्न ब्रिक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोरटार का प्रयोग हो और फ़ाउंडेशन मज़बूत हो सके। स्वयं कहा कि ईंटों के टुकड़ों को सामान्य तौर पर ऐसी परिस्थितियों में फ़ांउडेशन(नींव) में प्रयोग किया जाता है, जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी ईंटों को प्रयोग करने की नहीं होती है और जहाँ तक अधिक पकी हुई ईंटों से मज़बूती बढ़ाने का सवाल है,वह ठीक नहीं है,क्योंकि इस तरह की अधिक पकी हुई ईंटें मसाले को या मोरटार को कम पकड़ती हैं। यह ठीक है कि ज़्यादा पकी ईंटें(खंजड़) सीलन अवरोधक होती हैं। स्वयं कहा कि इसीलिए ऐसी ईंटें चुनाई में प्रयोग होने वाले मसाले को बहुत मज़बूती से

और देर तक पकड़ कर नहीं रख सकती हैं। सामान्य तौर पर ओवर बर्न्ट ब्रिक्स का आर्थिक कमज़ोरी के कारण प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ईंटें सस्ती होती हैं। यह कहना ग़लत है कि मैं इस विषय पर जानबूझकर ग़लत बयानी कर रहा हूँ। यह सत्य नहीं है कि इस तरह की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण कला के अनुसार शाश्वत रूप से आज तक चला आ रहा है। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी ,तो मैंने अपने मकान बनाने के लिए नींव में ज़्यादा पकी हुई ईंटों के टुकड़ों का प्रयोग किया था चूँकि वे सस्ते थे और जब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गयी तो मैंने नींव में बढ़िया ईंट व स्मूथ ईंट व बढ़िया अधिक मसाले का प्रयोग किया था। यह दूसरा मकान मैंने आज से 8-10 साल पहले बनवाया था।

प्रश्न- पुरातत्व के स्थापत्य में ऐसे कितने भवन आपने देखे हैं जिसमें नींव में चिकनी (स्मूथ) ईंटों का प्रयोग किया गया है?

उत्तर- मैंने इस तरह के स्थापत्य के नमूनों की खुदाई,पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा पहले नहीं देखी है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि कितने व किन - किन स्थापत्य नमूनों में इस तरह का प्रयोग हुआ है।

यह कहना ग़लत है कि मैं इस विषय पर जानबूझकर ग़लत बयानी कर रहा हूँ। यह ठीक है कि किसी भवन निर्माण में कहीं - कहीं पर नींव में पूरी दीवार बना लेते हैं और कहीं- कहीं यथा आवश्यकता सिर्फ़ पिलर्स उठाते हैं।

भारतवर्ष में लाईम- सुर्ख़ी का प्रयोग भवन निर्माण संबंधी क्रियाओं में 8वीं शताब्दी से, जिसे पूर्व मध्य काल का हिस्सा माना जाता है,से प्रारम्भ होता है। मेरी जानकारी के अनुसार 8वीं शताब्दी के पूर्व लाईम मोरटर का प्रयोग भवन निर्माण में नहीं होता था। उस समय अर्थात् 8वीं शताब्दी के पूर्व क्ले मारटर, यानी मिट्टी के गारे का प्रयोग भवन निर्माण में होता था। क्ले अर्थात् मिट्टी अनेक प्रकार की होती है, जिसमें हम एलीव्यूएल अर्थात् नदी द्वारा निर्मित मिट्टी,एलोवियन स्वायल यानी हवा द्वारा लाये गये रेत से बनी मिट्टी ,क्लेई स्वायल यानी काली

चिकनी मिट्टी,लोम स्वायल यानी कि दोमट मिट्टी,यलो क्ले स्वायल यानी कि पीली चिकनी मिट्टी,ब्लैक काटन स्वायल ,लेटराइट स्वायल,अर्थात् लाल पथरीली मिट्टी,सिल्टी स्वायल यानी बारीक रेत से निर्मित मिट्टी सम्मलित हैं।

यह कहना सही है कि कुछ मिट्टी में चिपकने अथवा चिपकाने का गुण ज़्यादा होता है । इस गुणवत्ता को आरजीलेजियस (Argellagious) कहते हैं। भवन निर्माण में नींव में ऐसी ही मिट्टी का उपयोग करना उपयुक्त माना जाता रहा है , आवश्यक नहीं है , क्योंकि मुख्यतः इस तरह की मिट्टी की उपलब्धता पर निर्भर करता है । यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावित भवन निर्माण के समय मकान निर्माता दूर - दूर से ऐसी मिट्टी मंगवाते हों । यह कहना सही होगा कि जिस जगह से ऐसी मिट्टी निकाली यानी खोदी जाएगी , वहाँ पर ऐसे गड्ढे ज़रूर बन जाएंगे ।

प्रश्न - यदि एकाधिक मकान बनाने की प्रक्रिया में आस - पास के एरिया में ज़्यादा मिट्टी खोदकर नींव में डाली जाएगी , तो वहाँ पर बड़े - बड़े गड्ढे बन जाएंगे ?

उत्तर - यह इस बात पर निर्भर करता है कि बनाए जाने वाले मकानों की संख्या कितनी है ।

कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि एक स्थान पर ज़्यादा लोगों की ' बसासत ' हो , तो वहाँ पर ज़्यादा बड़े गड्ढे हों , क्योंकि गड्ढों की संख्या और उनके आकार तब बड़े हो सकते हैं , यदि मिट्टी एक ही जगह और आस - पास से निकाली गई हो और मकान मिट्टी से ही बनाए जा रहे हों । यह कहना सही है कि ' बसासत ' होने के बाद यदि बस्ती को लोग गड्ढे वाली जगह का कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हैं या उन्हें गड्ढे यथावत् रहने में असुविधा है , तो गड्ढे पाट दिए जाते हैं । पाटने की इस क्रिया को 'डम्पिंग' नहीं कहते हैं , बल्कि 'फ़िलिंग' कहते हैं । यह पूर्णतया सत्य नहीं है कि ऐसे गड्ढों को पाटने के लिए

बाहर से मलबा लाकर भरा जाता है । यह कहना ग़लत है कि पाटने की प्रक्रिया में यदि किसी मलबे अथवा अन्य सामग्री का प्रयोग हो, तो उसे डम्पिंग कहते हैं । पुरातत्व शास्त्र में " डम्पिंग " शब्द का प्रयोग होता है । मेरे विचार में " डम्पिंग " का अर्थ यह है कि यदि किसी मलबे या सामान आदि को किसी सतह या स्थान पर ढेर के रूप में इकट्ठा कर दें , तो इसे डम्पिंग कहते हैं । ऐसा ढेर यानि डम्पिंग ज़मीन की सतह पर ही किया जा सकता है , किसी गड्ढे में नहीं । विवादित स्थल पर उत्खनन के दौरान मैंने डम्पिंग के चिन्ह नहीं देखे , बल्कि केवल फ़िलिंग के निशानात देखे थे । फ़िलिंग के निशानात में मिट्टी , ईंटों के टुकड़े और अन्य छोटी - छोटी चीज़ें थीं । हड्डी के टुकड़े भी ऐसे मलबे में शामिल थे । मुझे याद तो नहीं है , परन्तु इसकी भी संभावना है कि फ़िलिंग के निशानात में पत्थर के छोटे - छोटे टुकड़े शामिल थे । ऐसे निशानात में मैंने टेराकोटा के छोटे - छोटे टुकड़े भी देखे थे । ऐसे फ़िलिंग मैटीरियल में पत्थर की मूर्तियों के टुकड़े बरामद नहीं हुए थे । मुझे अब ठीक से याद नहीं है कि खुदाई के दौरान सिस्ट (ब्लैक बेसाल्ट स्टोन) पत्थर के टुकड़े या काले पत्थर (कसौटी) के टुकड़े मिले थे या नहीं ।

मैं ' आमलक ' का अर्थ नहीं समझता हूँ । यह मैंने सुना है कि मन्दिरों में आमलक होता है । मैंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आमलक क्या होता है । चूँकि मैं यह नहीं जानता कि आमलक क्या होता है , इसलिए मैं नहीं बता सकता कि आमलक के स्वरूप का कोई टुकड़ा खुदाई के दौरान मिला था या नहीं । जहाँ - जहाँ भरी हुई मिट्टी खुदाई स्थल पर मिली थी , वह कई क़िस्म की थी, जिसमें नदी के रेत वाली मिट्टी , राख मिली हुई मिट्टी , आस - पास की मिक्स्ड स्वायल मिली थी ।

विवादित स्थल पर उत्खनन के दौरान जो भराई की मिट्टी मिली , वह मेरे मतानुसार कुषाण काल के अवशेषों के ऊपर मिली है । एक्ज़ेक्ट पीरियड उस

फ़िलिंग का बताना मुश्किल होगा। वह कुषाण काल या उसके ठीक बाद यानी फ़र्स्ट सेन्चुरी बी0 सी0 से थर्ड सेन्चुरी ए0 डी0 की हो सकती है ।

मैंने इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चरल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित मैगज़ीन, "हिस्ट्री टुडे" नहीं पढ़ी है और न मैंने इसका नाम सुना है । मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी श्री आर0 नाथ, इतिहासकार का नाम सुना हो। मैंने जनाब इरफ़ान हबीब का नाम सुना है । मैंने श्री एच0सी0 भारद्वाज जी का भी नाम सुना है ।

कागज़ संख्या- 296सी-1/5 से 296सी-1/9 तक लेख श्री एच0सी0 भारद्वाज द्वारा लिखित " हिस्ट्री टुडे " मैगज़ीन में प्रकाशित दर्शाया गया है। मैं एच0सी0 भारद्वाज के इस मत से सहमत नहीं हूँ कि लाइम- मार्टर का प्रयोग 5000 वर्ष पूर्व से होता चला आ रहा है ।

मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान लाइम -मार्टर का प्रयोग किया जाता रहा है । स्वयं कहा कि मैंने हड़प्पा सभ्यता के दौरान एक खास तरीक़े का बाइंडिंग मैटीरियल, जिसे आमतौर पर जिप्सम कहा जाता है, उसके प्रयोग होने के बारे में पढ़ा है । श्री एच0सी0 भारद्वाज ,एक धातु-विशेषज्ञ (metallurgist) हैं, न कि रसायन - वैज्ञानिक । एच0सी0 भारद्वाज ने अपने उपरोक्त लेख में जिन विद्वानों का उल्लेख किया है,उनकी लिस्ट,लेख के अन्त में दी गई है । इस लिस्ट में उल्लिखित जे0 मार्शल, ए0 कनिंघम, एम0सी0 जोशी, व्हीलर - आर्कियोलोजिस्ट थे । इस लिस्ट में उल्लिखत अल्टेकर, आर्कियोलोजिस्ट नहीं थे ।

प्र0- इस बिन्दु अर्थात् लाइम- मार्टर के भारत में प्रयोग की अवधि के बारे में दिये गये उपरोक्त पुरातत्ववेत्ताओं के विचारों से आप सहमत हैं कि नहीं?

उ0- उपरोक्त पुरातत्ववेत्ताओं ने जो रसायन-वैज्ञानिक नहीं हैं, उन्होंने सिन्धु-काल में जिस बाइंडिंग मैटीरियल के प्रयोग की बात कही है,उसको जिप्सम कहा है ।

भारतीय उपमहाद्वीप निओलिथिक पीरियड लगभग 7000 ई0पू0 से प्रारम्भ होकर लगभग 1000 ई0पूर्व तक विभिन्न क्षेत्रों के सन्दर्भ में माना जाता है । हड़प्पा सभ्यता के काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है । प्रथम काल लगभग 2700 ई0पू0 से 2500 ई0पू0 तक, द्वितीय काल 2500 ई0पू0 से 1800 ई0पू0तक तथा तृतीय काल 1800ई0 पूर्व से लगभग 1200 ई0पू0 तक माना जाता है । हड़प्पा के द्वितीय काल में जिप्सम का प्रयोग मार्टर के रुप में होता था , लाइम-मार्टर का प्रयोग उस अवधि में नहीं होता था । हड़प्पा, पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है । हड़प्पा का कोई भी हिस्सा राजस्थान राज्य के क्षेत्र में नहीं आता था । मैंने राजस्थान में स्थित हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित कालीबंगन का नाम सुना है । मैं इस जगह को जानता हूँ,मैंने इस जगह को देखा भी है । यह जगह, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में आती है ।

बयान सुनकर तसदीक़ किया ।

Sharma

01.3.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनांक 02.3.2006 को प्रस्तुत हो ।

Sharma साक्षी उपस्थित आवें ।

Singh

01.3.2006

समक्षः-मा0विशेष पूर्णपीठ उच्च न्यायालय,इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ

दिनाँकः- 2.3.2006 पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान

(पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा दिनांकः- 1.3.2006 के क्रम में अन्य मूलवाद सं0- 4/89 में प्रतिवादी सं0-17 एवं प्रतिवादी सं0 22 श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय की ओर से श्री वीरेश्वर द्विवेदी, एडवोकेट द्वारा जारी।)

पुरातत्व में " प्रणाल " शब्द मैंने नहीं पढ़ा है। परनाला मैं जानता हूँ। यह ठीक है कि परनाला पानी या तरल पदार्थ को निकलने के लिए बनाया जाता है। यह ठीक है कि हर श्रीलिंगम की पीठ में एक परनाला होता है पर मैं यह नहीं बता सकता कि इसे संस्कृत में " प्रणाल " कहते हैं । भारतीय पुरातत्व के अध्ययन में हमें संस्कृत शब्दों से वास्ता पड़ा है।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुरातात्विक उत्खनन का एक स्थल " मानसार " भी है जो ज़िला नागपुर में है। मैंने " मानसार " नाम नहीं सुना है। "इंडियन आर्कियोलाजी ए रिव्यू " नामक पत्रिका का नाम मैंने सुना है। मुझे मालूम है कि यह पत्रिका डायरेक्ट्रेट जनरल आफ़ आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ़ इंडिया द्वारा प्रकाशित होता है। मैंने इस जनरल को पढ़ा है। मैंने इसे देखा नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि इस पत्रिका के 2004 वाले इश्यू में वर्ष 1998-99 से संबंधित रिव्यू छपा है या नहीं। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि " मानसार " में श्रीलिंगम की पीठ का प्रणाल उत्तर की ओर था। ऐसा कहना उचित नहीं है कि मैं उसी लेख या किताब का अध्ययन करता हूँ ,जो मुझे सूट करती है। यह कहना ग़लत है कि मैं अपना बयान पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दे रहा

हूँ । आज तक मैं शिव जी के कई मंदिरों में गया हूँ लेकिन उन मंदिरों में श्रीलिंगम की क्या दिशा थी , मुझे याद नहीं है। स्वयं कहा कि मैंने कई श्रीलिंगम भी देखे हैं,परन्तु परनाले की दिशा पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। यह कहना उचित नहीं होगा कि एक पुरातत्ववेत्ता के नाते मैंने श्रीलिंगम् के परनाले की दिशा पर ध्यान महत्वपूर्ण नहीं समझा । स्वयं कहा कि यह विषय कभी मेरे शोध का विषय नहीं रहा , इसलिए मैंने उतने ग़ौर से इन सब पहलुओं को नहीं जाँचा। यह कहना ग़लत है कि चूँकि यह मेरे शोध का विषय नहीं था, इसलिए मैंने इसे जानना महत्वपूर्ण नहीं समझा। स्वयं कहा कि सामान्य तौर पर एक व्यक्ति अपने शोध के विषय पर ही ध्यान देता है। भारतीय पुरातत्व के अन्तर्गत कल्चर में टेम्पिल्स भी शामिल होते हैं। मेरे एम0फ़िल0 के शोध में कल्चर भी शामिल था। स्वयं कहा कि कल्चर एक विस्तृत विषय है,जिसमें मानव जीवन से संबंधित लगभग सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और यह ठीक है कि इन सभी क्रियाओं में धर्म,रहन-सहन, आवास एवं भवन निर्माण सभी सम्मिलित हैं।

प्रश्न - कल्चर में हिन्दू धार्मिक रीति व प्रक्रियाओं में आपकी कोई रूचि नहीं थी , इसलिए आपने इसका अध्ययन नहीं किया ?

उत्तर - एम0 ए0 प्रथम वर्ष के अध्ययन काल में इंडियन कल्चर एण्ड फ़िलासफ़ी मेरे अध्ययन का एक विषय था । उस दौर में विषय की आवश्यकताओं के अनुसार जो अध्ययन करना ज़रूरी था , उन पहलुओं का अध्ययन मैंने किया था, लेकिन पाश्चात् काल में मेरा शोध का विषय पुरातत्व का एक ख़ास काल व पक्ष बन गया , इसलिए पाश्चात् काल में मैंने उस तरफ़ अधिक अध्ययन नहीं किया। मैंने अपने एम0 फ़िल0 के शोध में इण्डस वैली के हड़प्पन कलचर का भी शोध किया था । यह पूर्ण सत्य नहीं है कि हड़प्पन कल्चर में " आदि शक्ति" अर्थात् " मातृ शक्ति " की पूजा होती थी। स्वयं कहा कि इस विषय पर विद्वानों में वैचारिक गम्भीर मतभेद हैं । इस विषय पर मेरा यह मानना है कि हर विद्वान

अपनी - अपनी समझ के अनुसार एक मत प्रस्तुत करता है। मेरे मत के अनुसार यह मानना उचित नहीं है कि आदि शक्ति या मातृ शक्ति की पूजा होती थी ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने गवाह का ध्यान पेपर संख्या - 296 सी-1/5(लाईम- मारटर ,प्लास्टर , सुर्खी इन एशियंट इंडिया , एच0 सी0 भारद्वाज द्वारा लिखित आर्टिकिल) की ओर दिलाया और पूछा कि इस आर्टिकिल में भारतवर्ष के हर कोने में बने हुए प्राचीन भवनों में लाईम-मारटर व प्लास्टर व सुर्खी के इस्तेमाल किये जाने के बारे में कहा गया है, गवाह ने इस आर्टिकिल को देखा और उत्तर दिया कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने अपने बयान में कल भी दिया है। इस लेख में ऐसा लिखा है कि जिप्सम एण्ड लाईम -मारटर का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर व विभिन्न कालों में होता रहा है। पेपर संख्या 296-सी-1/6 व 296-सी-1/7 में लिखा हुआ है कि पटना से दिल्ली तक, जिसमें बीच में लखनऊ,वाराणसी , ग़ाज़ीपुर व इलाहाबाद सम्मिलित है ,में लाईम मारटर का प्रयोग कांस्ट्रक्शन में हुआ है। स्वयं कहा कि जिस तरह से लेखक ने बग़ैर किसी परीक्षण के बहुत ही मुक्त रूप से जिप्सम,बिटुमन , लाईम,जिप्सम लाईम-मारटर आदि शब्दावली का प्रयोग किया है,वह वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित नहीं है। मारटर के वैज्ञानिक परीक्षण के बारे में मैंने कोई विशेषज्ञता नहीं हासिल किया है और मैंने ऐसा कोई परीक्षण भी टेस्ट करने के लिए नहीं किया है। मुझे यह नहीं मालूम कि जिप्सम क्या होता है, पर यह एक कैमिकल एलीमेंट होता है। जिप्सम का भी मैंने कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया है। मैंने संकालिया साहब का नाम सुना है। संकालिया साहब बहुत बड़े पुरातत्व शास्त्री हैं। मैं अपना वैचारिक मतभेद इसलिए इन विद्वानों के मत के साथ व्यक्त कर रहा हूँ , क्योंकि पुरातत्व इतिहास में इस विषय पर एक वाद -विवाद है और मैं इस वाद -विवाद से परिचित हूँ। जब तक कि इस तरह के सभी केमिकल ऐलीमेंट का वैज्ञानिक

रसायन - विधियों के द्वारा विश्लेषण नहीं हो जाता ,तब तक मेरे लिए किसी निर्णय पर पहुँचना उचित नहीं है।

लाइम मार्टर के इस्तेमाल की मेरी जानकारी किसी वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित नहीं है । लाइम - मार्टर और क्ले- मार्टर के केमिकल एनालिसिस के अन्तर को मैं नहीं बता सकता । आमतौर पर यह कहना सही है कि लाइम - मार्टर में केमिकल एनालिसिस की आवश्यकता होती है, क्ले मार्टर में नहीं । मेरी जानकारी उपरोक्त के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान पर आधारित है । मेरी जानकारी विधिवत लेखों के अंशों को पढ़ने के बाद ही हुई । मौजूदा परिस्थितियों में अपनी उक्त जानकारी के आधार पर बतौर विशेषज्ञ अपना बयान नहीं दे रहा हूँ ।

मुझे भवनों में बनाये गये फ़र्शों की जानकारी विभिन्न भवनों को देखने एवं अध्ययन करने के बाद हासिल हुई। मैंने बौद्ध मंदिरों के फ़र्शों को नहीं देखा, परन्तु चित्तौड़गढ़ के क़िले में एक जैन मंदिर के फ़र्श को देखा है । मैंने गुरुद्वारों के फ़र्श भी देखे हैं । मैंने मस्जिदों के भी फ़र्श देखे हैं और इसी तरह मैंने मंदिरों के फ़र्श भी देखे हैं । परन्तु मैंने किसी भी भवन जिसमें उपरोक्त मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारों के फ़र्श शामिल हैं, का अध्ययन नहीं किया है । इसी तरह मैंने उपरोक्त सभी भवनों के फ़र्शों के स्टाइल का भी अध्ययन नहीं किया है । मैं बतौर पुरातत्ववेत्ता यह नहीं बता पाऊँगा कि विभिन्न भवनों जिनमें उपरोक्त मंदिर,मस्जिद , गुरुद्वारे भी शामिल हैं, के फ़र्शों के स्टाइल में किस शैली का प्रयोग किया गया है । मैंने विवादित स्थल के उत्खनन के दौरान पाये गये फ़र्शों को देखा था । चूँकि मौक़े पर ऐसे पाये गये फ़र्शों को नज़दीक से जाकर देखने का अधिकार मुझे नहीं था, इसलिए मैंने उन फ़र्शों का उतनी बारीकी से अध्ययन नहीं किया ।

गवाह का ध्यान उनके शपथ पत्र के प्रस्तर -19 में लिखे शब्द " We " यानी हम की ओर दिलाया गया, तो गवाह ने कहा कि " We " बहुवचन होता है

Sharma

और" I" एक वचन होता है । यह शपथ पत्र मेरा है और इसमें मेरे साथ कोई और शपथी शामिल नहीं हुआ था, बल्कि मैं" We" यानी हम का इस्तेमाल अपने लिए करता हूँ । यह कहना सत्य नहीं है कि मैंने अपने शपथ पत्र के प्रस्तर-19 में सभी बातें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिखी हैं । स्वयं कहा कि मैंने जो कुछ विवादित स्थल पर देखा और ए0 एस0 आई0 की रिर्पोट में पढ़ा, उसी के सम्बन्ध में लिखा है ।

प्र0- क्या एक विशेषज्ञ के रुप में" मुस्लिम स्टाइल मैटीरियल्स एण्ड टेक्नीक आल थ्रो" का ज्ञान आपको है, यह तथ्य जो आपने अपने शपथ पत्र की धारा-13 पेज-8 पर दिया है ?

उ0- मुझे उपरोक्त बातों का जैसा कि ज़िक्र मैंने अपने शपथ पत्र के पैरा-13 में किया है, का ज्ञान है ।

मेरे इस विषय का ज्ञान स्थापत्य कला एवं वास्तु कला से संबंधित है और अन्य बातों से भी जुड़ा हुआ है । अन्य बातों में ग्लेज़्ड -वेयर, ग्लेज़्ड टाइल्स तथा संबंधित मैटीरियल में शामिल हैं । मैंने इन सभी बातों का अध्ययन किया है । मेरा यह ज्ञान विभिन्न लेखों के अंशों मात्र पर ही आधारित नहीं है, बल्कि स्वयं मेरे अनुभव पर भी आधारित है । यह कहना सम्पूर्ण रुप से ठीक नहीं होगा कि मैं भवनों में प्रयुक्त उपरोक्त संदर्भित मैटीरियल एवं स्टाइल्स का विशेषज्ञ नहीं हूँ । मैं सम्पूर्ण ज्ञान के शब्द का प्रतिशित तो नहीं बता सकता, परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे विशेष ज्ञान उपरोक्त का है, जो मेरे अध्ययन के आधार पर आधारित है । मैंने इस विषय पर कोई ख़ास पुस्तक नहीं पढ़ी है । मैंने किसी विज्ञान - प्रयोगशाला में भी इसका अध्ययन अर्जित नहीं किया है , परन्तु मुझे अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर यह ज्ञान है ।

हिन्दू - स्टाइल मैटीरियल्स एण्ड टेक्नीक्स,जो भवनों में प्रयोग की जाती है या भवन निर्माण शैली में प्रयोग की जाती है,से मैं परिचित नहीं हूँ , परन्तु मैं हिन्दू मैटीरियल्स से परिचित हूँ ।

मुझे याद नहीं है कि उत्खननकर्ता श्री ए0 के0 नारायण को खुदाई के दौरान देव राजाओं के दो सिक्के मिले थे या नहीं । यह भी मुझे याद नहीं है कि विवादित स्थल के क़रीब खुदाई के दौरान श्री बी0 बी0 लाल उत्खननकर्ता को मिट्टी की वासुदेव की मुद्रा प्राप्त हुई थी या नहीं ।

मैंने " हेंस बेकर" , इतिहासकार का नाम सुना है , लेकिन उनका नाम हेंस बेकर नहीं , बल्कि " हंस बेकर " हैं । मुझे याद नहीं है कि हंस बेकर इतिहासकार थे या नहीं । मुझे यह भी याद नहीं है कि उन्होंने किसी विषय पर क़िताब लिखी है या नहीं ।

मैंने प्रो0 डेविड फ़्रॉले का नाम सुना है । मैंने उनकी किताब " द मिथ आफ़ आर्यन इन रीजन आफ़ इण्डिया" का नाम सुना है । मुझे यह नहीं मालूम कि प्रो0 डेविड फ्रॉले किसी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हैं या नहीं । यह सही है कि प्रो0 डेविड फ़्रॉले ने इतिहास एवं पुरातत्व से सम्बन्धित उपरोक्त किताब लिखी है । मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं है , परन्तु मुझे इस किताब के कंटेन्ट्स तथा सब्सटेंस के बारे में जानकारी है । मुझे इस कंटेन्ट्स और सब्सटेंस के बारे में किसी ने बताया नहीं है , फिर भी मुझे ज्ञान है ।

मुझे यह ठीक से ध्यान नहीं है कि मेरे शपथ - पत्र के पृष्ठ - 17 पर प्रस्तर - 30 में जिस " कपोतपडी" (kapotpadi) शब्द का प्रयोग किया गया है, उसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं । मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी शब्द " पल्ली" के बारे में नहीं मालूम है । " आमलक " शब्द के बारे में मैं जानता नहीं हूँ , लेकिन उसके बारे में पढ़ा है । मैंने अपने शपथ - पत्र के प्रस्तर - 30 में आमलक व ~~कपोतपडी~~ कपोतपल्ली के अतिरिक्त जिन चीज़ों को पाने का उल्लेख किया

गया है , वे संख्या में कम थीं तथा क्रमबद्ध तरीक़े से नहीं थीं । " लोटस - मोटिफ़" कमल के फूल के चिन्ह को कहते हैं । शपथ - पत्र के पृष्ठ - 17 के प्रस्तर - 30 की अंतिम लाइन में शब्द " एक्सप्लीकेबुल" शब्द का प्रयोग किया गया है , उसका तात्पर्य सुस्पष्ट (एक्सप्लीसिट) से है । " प्रोबेबली" शब्द का अर्थ " संभवतः" होता है ।

विवादित स्थल पर मई सन् 2003 में खुदाई के दौरान मुझे यह ज्ञात हुआ कि विवादित स्थल के नीचे मस्जिद / ईदगाह थी । खुदाई के दौरान दीवार को देखने से तथा ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट देखने से मुझे ऐसा लगा कि बाबरी मस्जिद या उसके पूर्व की मस्जिद / ईदगाह बनाने में जो मैटीरियल पुनः प्रयोग में लाया गया है , वह कहीं आस - पास से लाकर इस्तेमाल किया गया है । मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरे शपथ - पत्र देने के पहले इरफ़ान हबीब साहब का कोई आर्टिकल इस आशय का आ चुका था कि विवादित स्थल पर मस्जिद के नीचे पहले कोई ईदगाह थी ।

" लाज़ेंज" (Lozenge) शब्द जिसका प्रयोग पेज - 18 के प्रस्तर - 30 में है , उसका तात्पर्य जॉमैट्रिकल डिज़ाइन की शेप से होता है , जिसको चित्रकारी या बिल्डिंग के निर्माण में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है । मुझे यह नहीं मालूम कि लाज़ेंज किसी फल का नाम है अथवा नहीं ।

प्रश्न - आपने ऐसे कितने एक्सपर्ट्स अर्थात् विशेषज्ञों की राय पढ़ी या देखी है , जो प्राबेबिलिटी के आधार पर आधारित हो ?

उत्तर - मैंने अनेक ऐसे इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ताओं की रचनाओं को पढ़ा है, जो अपने लेखों में इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं ।

मैंने आलचिन्स की किताब " द राइज़ आफ़ सिविलाइज़ेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान" व प्रो0 शीरीन रत्नागर की पुस्तक " द ग्रेट हड़प्पन ट्रैडीशन एण्ड इट्स डिक्लाइन" में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग पढ़ा है । इन दोनों

किताबों में लेखकों ने प्राबेबिलिटी के आधार पर अपना मत व्यक्त किया है तथा फ़ाइंडिंग्स भी दी हैं ।

प्रश्न - यदि यह कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी कंजेक्चर (अनुमान) पर आधारित होती है और फ़ाइंडिंग्स फ़ैक्ट पर आधारित होती है , तो यह कहना सही होगा या ग़लत ?

उत्तर - मेरे अनुसार यह बात सही नहीं हैं ।

मेरे शपथ - पत्र के प्रस्तर - 30 में जो बातें लिखी हैं , वे मेरे द्वारा खुदाई के दौरान देखी गई बातों , ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट तथा उस रिपोर्ट के विरूद्ध जो आपत्तियाँ , आलोचनाएं आईं , उनके आधार पर लिखी गई हैं ।

मैंने " आंवला " फल का नाम सुना है । मन्दिरों के ऊपर आंवले की शक्ल की नहीं , बल्कि लगभग उसी प्रकार की शक़्ल की गोलाकार डिज़ाइन बनी होती है , जिसके ऊपर शिखर होता है । स्वयं कहा कि केन के मोढ़े की शक्ल अर्थात् घट शेप मोढ़े की तरह का होता है । " केन " को बेंत भी कहते हैं । मुझे यह ज्ञान नहीं है कि बेंत / केन का प्रयोग मोढ़ा बनाने के लिए आज से कितनी शताब्दी अथवा वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ । मैंने मस्जिदों पर आमलक या उपरोक्त बताए गए केन के मोढ़े की शक्ल का निर्माण नहीं देखा । मुझे नहीं मालूम कि घट को कलश भी कहा जाता है या नहीं । स्वयं कहा कि घट को बरतन कहते हैं । मैंने " कलश " शब्द सुना है , लेकिन उसके मायने नहीं जानता हूँ । घट को घड़ा भी कह सकते हैं । यह सही है कि हिन्दू धर्म में हर क्रिया - कलाप में घट का महत्व रहता है और प्रयोग होता है , किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इसीलिए मन्दिरों में घट चित्र का प्रयोग होता है , क्योंकि मुझे हिन्दू मन्दिरों में सभी जगह घट चित्रों का प्रयोग देखने को नहीं मिला है । यह सही है कि कुछ मन्दिरों में घट चित्र का प्रयोग मिलता है , लेकिन कुछ में नहीं भी मिलता है । यह ठीक है कि वैष्णव मन्दिरों में घट चित्र मिलता है । यह ठीक है कि लार्ड राम

के मन्दिर वैष्णव मन्दिर माने जाते हैं । यह कहना गलत है कि मैंने विद्वेष भाव से , पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विवादित स्थान जहाँ पर खुदाई हुई है , को मस्जिद सिद्ध करने की कोशिश की है ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

02.3.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया । श्री वीरेश्वर द्विवेदी , एडवोकेट द्वारा प्रतिपरीक्षा जारी है ।

02.3.2006

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज / विशेष कार्याधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद , लखनऊ पीठ , लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0 प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक- 27.6.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक -2.3.2006 के क्रम में पी0डब्लू0-30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या 4/89 में प्रतिवादी संख्या 17 की ओरश्री वीरेश्वर द्विवेदी एडवोकेट द्वारा जारी)

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र की धारा- 33 (पृष्ठ 19) तथा इसी पृष्ठ पर दिये गये सत्यापन खण्ड की अंतिम चार पंक्तियों पर आकृष्ट किया तथा यह पूछा कि इन तथ्यों के संबंध में साक्षी को सलाह अथवा सूचना किसने दिया? साक्षी ने बताया कि इसके बारे में मुझे किसी ने सलाह अथवा सूचना नहीं दिया। सूचना मुझे उत्खनन की रिपोर्ट से प्राप्त हुई थी। म्यूचुवल कन्सल्टेशन अर्थात् आपसी विचार - विमर्श इस संबंध में अपने सहयोगियों से मैंने किया था, परन्तु इस बारे मे मैंने किसी से कोई सलाह नहीं ली थी। यह कहना ग़लत है कि उपर्युक्त धारा 33 के ब्रैकेटेड पोर्शन के संबंध में मैंने शपथ - पत्र के सत्यापन खण्ड में जो कहा है,वह सही नहीं है। उपर्युक्त ब्रैकेटेड पोर्शन के अंतिम वाक्य के बारे में मैंने किसी की सलाह नहीं ली थी और न ही इस बारे में मैंने किसी से सूचना प्राप्त किया था। रिपोर्ट के आधार पर इसमें मैंने अपना

मत व्यक्त किया है। धारा 33 के ब्रैकेटेड पोर्शन का अंतिम वाक्य मेरे ज्ञान से सही है।

प्रश्न- तो क्या आपके शपथ पत्र की धारा 33 के ब्रैकेटेड पोर्शन के अंतिम वाक्य के बारे में आपने अपने ज्ञान से सत्यापन करने की बात नहीं लिखी है?

उत्तर- मैंने अपने ज्ञान से ही शपथ पत्र के सत्यापन करने की बात कही है।

सत्यापन के संबंध में यह बात लिखने का कारण यह है कि विधिक मामलों में मुझे तकनीकी बारीकियों का ज्ञान नहीं है। मैंने अपने विषय की सामान्य समझ के आधार पर यह बातें लिखी हैं।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने पुनः साक्षी का ध्यान शपथ पत्र की धारा 30 (पृष्ठ 17 तथा 18) पर आकृष्ट किया तथा साक्षी से यह पूछा कि "वैष्णवाईट इमेजेज़" से साक्षी का तात्पर्य क्या है? साक्षी ने बताया कि इससे मेरा तात्पर्य यह है कि यह विष्णु की मूर्तियाँ या उसके अवतारों से संबंधित होती हैं। विष्णु एक देव का नाम है तथा वैष्णव उसके पालन करने वालों को कहते हैं।

" स्टोन विद फ़ोलिएज पैर्टन" से मेरा तात्पर्य यह है कि इसमें पत्थर पर फूल पत्तियों के डिज़ाईन उकेरे हुए होते हैं। आमलक के संबंध में मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा। " कपोत पदी डोर जैम" से मेरा तात्पर्य दरवाजों पर लगाये गये चित्रित पत्थर से है। इसी प्रकार" लोटस मोटिफ़" से मेरा तात्पर्य कमल के चिन्ह वाली चित्रित वस्तु से है। " कपोत पदी" का शाब्दिक अर्थ मैं नहीं जानता। मैंने कपोत पदी डोर जैम को अनेक स्थानों पर देखा है परन्तु उन स्थानों की गणना मैं इस समय नहीं बता पाऊँगा। मैं किसी एक स्थान का नाम भी नहीं बता पाऊंगा ,जहाँ पर मैंने कपोत पदी डोर जैम को देखा हो। अयोध्या में विवादित स्थल पर हुए उत्खनन के एक- डेढ़ साल पहले भी मैंने

कपोत पदी डोर जैम को अन्य स्थानों पर देखा था। अयोध्या की खुदाई में मैंने कपोत पदी डोर जैम विद सेमी सरकुलर पिलास्टर देखे हों,यह याद नहीं । "पिलास्टर" (Pilaster) से मेरा तात्पर्य दीवार या पत्थर में इन बिल्ट पिलर जैसे स्ट्रक्चर से है। अयोध्या के उत्खनन में मैंने जहां तक मुझे स्मरण है फ़ोलियेज पैर्टन वाला पत्थर खुदाई के क्षेत्र से बाहर देखा था तथा एक पत्थर जो फ़ोलियेज पैर्टन का था ,उसको मैंने पश्चिम की बड़ी दीवार के अंदर लगा हुए भी देखा था। इससे अधिक लियेज पैटर्न वाला पत्थर मैंने उत्खनन स्थल पर देखा हो, तो इस बार में मुझे याद नहीं है। उत्खनन स्थल पर मैंने कितने आमलक देखे थे,यह मैं नहीं बता सकता। मैं पहले ही अपने बयान में यह बता चुका हूँ कि आमलक क्या होता है, इस बारे में मैं नहीं जानता। मैने अपने शपथ-पत्र की धारा 30(पेज 17) के नीचे से ऊपर की दूसरी पंक्ति में " आर इन टोटल वेरी फ़्यू " शब्दों को लिखा है इससे मेरा तात्पर्य शाब्दिक तौर पर यह है कि कुछ एक ही ऐसी वस्तुयें प्राप्त हुईं। वेरी फ़्यू से मेरा तात्पर्य बहुत कम से है। उपरोक्त धारा 30 के अंश" एण्ड आल इज़ीली एक्सपीकेबिल ..... कान्स्ट्रक्शन आफ़ दि बाबरी मस्जिद" से मेरा तात्पर्य यह है कि जिस तरह की कुछ एक वस्तुयें बिखरे हुए रूप में उत्खनन स्थल पर पायी गयी थीं, उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह इन -सी -टू न होकर किसी अन्य स्थल से मलबे के तौर पर लाई गयी हों। कितने मस्जिदों के निर्माण में आमलक, कपोत पदी तथा लोटस मोटिफ़ देखा ,यह तभी बताया जा सकता है जब मस्जिदों का विध्वंस हुआ हो और उनकी जगह पर इस प्रकार की खुदाई हुई हो। कितने मस्जिदों के निर्माण में उपर्युक्त आमलक ,कपोत पदी व लोटस मोटिफ़ का प्रयोग किया गया ,यह मैं नहीं बता सकता। स्वयं कहा कि इसके लिए अनेक मस्जिदों के सर्वेक्षण की आवश्यकता है। मैं यह नहीं बता सकता कि मैंने कितनी मस्जिदों

में आमलक,कपोत पदी व लोटस मोटिफ़ लगे हुए देखा है। इस संबंध में न बता पाने का कारण यह है कि ऐसा बताया जाना तभी संभव है, जब मैं अनेक मस्जिदों का सर्वेक्षण इस दृष्टि से करूँ। किसी एक मस्जिद में भी मैंने उपर्युक्त तीनों चीज़ों को लगे हुए नहीं देखा। मस्जिदों के आर्कीटेक्चर के संबंध में बहुत ज्ञान तो नहीं है,किन्तु कुछ जानकारी इस संबंध में मुझे है। इस बारे में जो मुझे थोड़ी जानकारी हुई,वह मुझे आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ़ इंडिया के सर्वे रिपोर्टस को पढ़ने से हुई व समय -समय पर जब भी मस्जिद देखने का मौक़ा मिला,उससे प्राप्त हुई। ए0एस0आई की इन एनुवल रिपोर्ट्स के प्रकाशित होने के सन् के बारे में मैं इस वक़्त नहीं बता पाऊंगा लेकिन हर वर्ष इन प्रकाशनों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों की मस्जिदों के संबंध में छपता रहता है। मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि ए0एस0आई0 की ऐनुवल रिपोर्ट के 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99के अंक में मस्जिद के आर्कीटेक्चर के बारे में प्रकाशित हुआ है अथवा नहीं। स्वयं कहा कि मैंने अपने शपथ-पत्र में भी इस तरह के प्रकाशनों का संदर्भ दिया है। इस संदर्भ में मैंने यह लिखा है कि दिल्ली के आसपास किन - किन मस्जिदों के बारे में इन रिपोर्टों में छपा है। विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी से कहा कि वह अपने मुख्य परीक्षा के शपथ - पत्र को देखकर यह बतावें कि इसमें किस स्थान पर ए0एस0आई0 की एनुवल रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया है ? साक्षी ने शपथ-पत्र पढ़ने के बाद बताया कि शपथ पत्र के पृष्ठ 13 के प्रस्तर 22 में ऐसे तथ्य दिये गये हैं। मेरे शपथ - पत्र के प्रस्तर 23 जो पेज 14 पर दिया गया है, में भी इस बारे में उल्लेख है। मैंने अपने शपथ - पत्र के प्रस्तर 23 में ए0एस0आई0 की किसी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। उपर्युक्त प्रस्तर 23 में मस्जिद कैसी बननी चाहिए ,इसका उल्लेख

नहीं है परन्तु इसमें यह उल्लेख है कि दिल्ली की इन मस्जिदों में इस तरह के पिलर्स का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त धारा 23 में पिलर के आकार - प्रकार व बनावट का कोई उल्लेख नहीं है। मैंने प्रस्तर 23 में जिस पुस्तक का उल्लेख किया है,उसके लेखक जापान के हैं। यह पुस्तक दिल्ली के सल्तनत कालीन आर्कीटेक्चर पर लिखी गयी है। पुस्तक का उल्लेख मेरे शपथ-पत्र की धारा 23 में किया गया है ,वह किसी भी देश का गर्वनमेंट पब्लिकेशन नहीं है। यह कहना उचित नहीं होगा कि मेरे शपथ - पत्र की धारा- 22 में मस्जिद के आर्कीटेक्चर के सबंध में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि पिलर बेसेज़ की इस धारा में चर्चा की गयी है,वे मस्जिद के आर्कीटेक्चर से ही संबंधित हैं। मस्जिद में जो पिलर बनाये जाते हैं, उनके लिए पिलर बेसेज़ की आवश्यकता होती है। उपरोक्त धारा 22 में इन पिलर बेसेज़ के संबंध में चर्चा की गयी है तथा पिलर बेसेज़ के ऊपर जो पिलर्स खड़े किये गये हैं,उनकी भी चर्चा है और पिलर्स के ऊपर जिस तरह का सुपर स्ट्रक्चर लालकोट नामक स्थान पर पाया गया है ,इसकी भी चर्चा यहां पर की गयी है। यह सभी मस्जिद के स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। उपर्युक्त धारा 22 में यह नहीं कहा गया है कि यह किसी मस्जिद से संबंधित है। इस धारा में मस्जिद का ज़िक्र ही नहीं है। इस बिन्दु पर बयान देते समय मुझे यह भ्रम हो गया था कि जापानी लेखकों की जिस पुस्तक की चर्चा मैंने अपने ऊपर बयान में की है, उसी से संबंधित बात मुझसे पूछी जा रही है। इसीलिए भ्रम के कारण मेरे बयान में यह बात आ गयी कि यहाँ पर मस्जिद के बारे में चर्चा हो रही है।

एम0ए0पार्ट वन में इंडियन कल्चर और फ़िलास्फ़ी का मैंने अध्ययन किया था,इसमें सीधे तौर पर आर्कियोलाजी के बारे में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था,परन्तु पुरातत्व से संबंधित सामग्री का अध्ययन होता था।

एम0फ़िल0 में आर्कियोलाजी मेरे अध्ययन का विशेष विषय था। एम0फ़िल0 की डिग्री मिलने के संबंध में थीसिस सबमिट करनी पड़ती है। एम0फ़िल0 में मेरे थीसिस का विषय "सीक्वेल कल्चर्स टू दि हड़प्पन सिविलाईज़ेशन इन दि ग्रेटर इन्डस वैली" था। हड़प्पन संस्कृति तथा उसके बाद के काल का अध्ययन पुरातत्व के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि इसके अध्ययन के लिए और कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार यह विषय विशुद्ध रूप से पुरातत्व से संबंधित है। मैंने अपने बयान में यह बताया है कि" लेकिन पश्चात काल मेरा शोध का विषय एक ख़ास काल व पक्ष बन गया" मेरा यह बयान सही है। इसमें जिस काल का उल्लेख किया गया है,वह आदि काल से लेकर अर्ली हिस्टारिकल पीरियड तक से संबंधित है। इतिहास की दृष्टि से यह स्पेसिफ़िक पीरियड मेरे अध्ययन की दृष्टि से रहा है। इसमें कई सब- पीरियड या उपकाल हैं। उपर्युक्त बयान में मैंने जो "पक्ष" का जिक्र किया है, उससे मेरा तात्पर्य यह है कि पुरातात्विक अध्ययन में अनेक पक्षों का अध्ययन किया जाता है ,लेकिन मैंने अपने अध्ययन काल में कुछ विशेष पक्षों को ही अपनाया है। पक्ष से मेरा तात्पर्य है कि एम0ए0फ़ाईनल में अध्ययन की दृष्टि से चार विषय एक ग्रुप में होते थे। इस तरह के वहां पर कई ग्रुप्स थे। केवल स्पेशलाईज़ेशन की दृष्टि से मैंने जिस ग्रुप या पक्ष को चुना था, वह पुरातत्व,मुद्रा शास्त्र व अभिलेख शास्त्र से संबंधित है और इसमें भी बाद में चलकर मेरे अध्ययन का विषय इसका केवल एक पक्ष रह गया ,जो केवल पुरातत्व से ही संबंधित था। एम0फ़िल0 करने के दौरान मैं पुरातत्व के पक्ष की तरफ अध्ययन के लिए आगे बढ़ता गया। पुरातत्व का अध्ययन मैंने आदि काल से लेकर अर्ली हिस्टारिकल पीरियड तक का किया।

मैंने अपने दिनांक 2.3.2006 को अभिलिखित बयान पृष्ठ 165 पर एच0सी0 भारद्वाज तथा संकालिया साहब का उल्लेख किया है,इन दोनों

व्यक्तियों से वैचारिक मतभेद होने के संबंध में मैंने उपर्युक्त पृष्ठ पर अपने बयान में कहा है। संकालिया साहब से मेरा वैचारिक मतभेद इस बिन्दु पर है कि वह रसायन शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, वह एक पुरातत्ववेत्ता अवश्य थे। इसी तरह से एच0सी0भारद्वाज से भी वैचारिक मतभेद मेरा इसी कारण से था कि वह रसायन शास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं और उन्होंने जिप्सम का कोई प्रयोगशाला में विश्लेषण नहीं किया है।

प्रश्न- अपने बयान के पेज 165 में उल्लिखित जिन बिन्दुओं का आपने बयान किया है, उन बिन्दुओं पर क्या आप किसी पुरातत्ववेत्ता या रसायन शास्त्री के विचारों से सहमत हैं?

उत्तर- रसायन शास्त्र ज्ञाता के संबंध में मुझे यह जानकारी नहीं है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक निर्माण के लिए जिस सामग्री का समय-समय पर प्रयोग होता रहा है,उसका किसी ने प्रयोगशाला में अध्ययन किया हो। इसलिए मुझे किसी रसायन शास्त्र ज्ञाता के संबंध में इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं स्वयं यह नहीं जानता हूं कि जिप्सम क्या होता है। मैंने इस विषय का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया है क्योंकि ऐसा परीक्षण करने में मैं सक्षम नही हूँ। लाईम मार्टर का भी मैंने कोई परीक्षण नहीं किया है। लाईम मार्टर तथा क्ले मार्टर के अंतर को मैं मोटे तौर पर बता सकता हूँ। मैंने दिनांक 2.3.2006 को पेज 166 के द्वितीय प्रस्तर में यह बयान दिया है " लाईम मार्टर व क्ले मार्टर के कैमिकल एनालिसिस के अंतर को मैं नहीं बता सकता " इस संबंध में मेरे द्वारा आज दिया गया बयान तथा दिनांक 2.3.2006 को दिया गया बयान दोनों सही हैं। यह कहना ग़लत है कि मैं इस बिन्दु पर ग़लत बयानी कर रहा हूँ। मार्टर के संबंध में मुझे कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं है। मुझे यह पता है कि मैं इस समय विशेषज्ञ के रूप में अपना बयान दे रहा हूँ।

मैं हिन्दुओ के मंदिरों, बौद्ध मंदिर तथा जैन मंदिरों में गया हूँ। मै गुरुद्वारे में भी गया हूँ। चर्च में भी मुझे जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है। मैं मस्जिद में भी गया हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारा, जैन तथा बौद्ध मंदिरों में अलग- अलग क़िस्म के फ़्लोर होते हैं अथवा नहीं। उपरोक्त दोनों के फ़र्श की क़िस्मों के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की इसलिए मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान उनके मुख्य परीक्षा के शपथपत्र की धारा -13(पृष्ठ 7) पर आकृष्ट किया तथा यह पूछा कि -इस धारा के पृष्ठ 7 पर दिये गये नीचे से दूसरी पंक्ति में " सच ए फ़्लोर टोटली मुस्लिम आन स्टाईलिस्टिक ग्राउन्डस " से साक्षी का तात्पर्य क्या है, साक्षी ने बताया कि इससे मेरा तात्पर्य यह है कि इस तरह के फ़र्श बनाने की तकनीक व सामग्री मुस्लिम लोगों के द्वारा ही ईजाद व प्रयोग की गयी। यह सही है कि प्री मुग़ल पीरीयड में लाइम सुर्खी की फ़र्श मंदिरों में नहीं पायी जाती है तथा मुस्लिम स्ट्रक्चर में ही इसका प्रयोग पाया जाता है। मैंने इसका कोई वैज्ञानिक शोध नहीं किया है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि विशेषज्ञ के रुप में मुझे इस विषय मे ज्ञान नहीं है। इस विषय के संबंध में मुझे विशेषतौर पर ज्ञान एक प्राध्यापक के रुप में हुआ। यह ज्ञान मुझे प्राध्यापक के तौर पर अध्ययन व अध्यापन करने के दौरान प्राप्त हुआ। सिधुं सभ्यता से लेकर पश्चात् काल में जो निर्माण हुए और उनमें जिस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया गया उसके अध्ययन के फलस्वरुप मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा कहना सही नहीं है कि उपर्युक्त विन्दु पर उत्तर देने में हीला हवाली कर रहा हूँ। इस बारे में ज्ञान मैंने पुस्तकों व शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्रियों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया। इन पुस्तकों तथा पत्रकाओं में सभी लेखकों तथा प्रकाशन वर्ष के सबंध में बताना संभव नहीं है परन्तु मौटे तौर पर इस

Sivapuram

समय मैं पुस्तकों व पत्रकाओं के नाम बता सकता हूँ,जिनका मैंने अध्ययन किया है। "राइज़ आफ़ सिविलाइज़ेशन इन इण्डिया आर पाकिस्तान" लेखक एफ0आर0अलचिन , "अन्डरस्टैण्डिगं हड़प्पा" बाई शीरीन रत्नागर व " पुरातत्व - मैन एण्ड इनवायरलमेंट" , "इण्डियन आर्कियोलोजी ए रिव्यू" आदि प्रकाशनों को सम्मिलित किया जा सकता है।" अलचिन " की उपरोक्त पुस्तक का प्रकाशन सम्भवःत 1983में हुआ है । डा0शीरीन रत्नागर की उपरोक्त पुस्तक संभवतः1998अथवा सन्2000 में प्रकाशित हुई है।" पुरातत्व" वार्षिक पत्रिका है, मैंने उपरोक्त के संबंध में" पुरातत्व" के किस वर्ष में पढ़ा था यह मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इस प्रकार की सामग्री के संबंध में अनेक बार इन विषयों पर कुछ न कुछ प्रकाशित होता रहता है।" मैन एण्ड इनवायरनमेंन्ट" नामक पुस्तिका भी वार्षिक है, इसमें समय -समय पर उपरोक्त के संबंध में लेख छपते रहते हैं।" इण्डियन आर्कियोलोजी-ए रिव्यू " ,पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक शोध पत्रिका है और इसमें भी समय - समय पर इस तरह के अनेक प्रकार की रिपोर्ट्स प्रकाशित होती रहती हैं। इन पत्रिकाओं में जितने भी आर्टीकिल्स मैंने पढ़े थे, उनके लेखकों का नाम मैं इस समय नहीं बता पाऊँगा।

प्रश्न- बौद्व ,जैन और हिन्दू मंदिरों में लाइम सुर्खी के फ़्लोर प्री मुग़ल पीरीयड में नहीं बनते थे ,इस बारे में आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ?

उत्तर- इसका ज्ञान मुझे उपरोक्त शोध पत्रिकाओं में समय समय पर शोध कर्ताओं के द्वारा जो प्रकाशन किये जाते रहे हैं,उन्हीं से प्राप्त हुआ है।

यह कहना सही नहीं होगा कि इसी कारण से मैं एच0सी0 भारद्वाज साहब के मत से सहमत नहीं हूँ। एच0सी0भारद्वाज के मत से सहमत न होने के संबंध में कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ जिसमें मैंने यह बाताया है कि एच0सी0भरद्वाज का विशलेषण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि न तो वह

रसायनशास्त्री हैं और न ही उन्होनें विभिन्न स्थानों से मिलने वाली इस प्रकार की सामग्री का प्रयोगशाला में विश्लेषण किया है और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया मत विदित एतिहासिक जानकारी के अनुरुप है।

प्रश्न- क्या आपको ऐसे किसी रसायनशास्ती का नाम ज्ञात है, जिसने यह मत दिया हो कि लाइम सुर्ख़ी के फ़र्श मस्जिद में ही पाये जाते हों

उत्तर- मुझे इस तरह के किसी रसायन शास्त्री का नाम मालूम नहीं है जिसने यह कहा हो कि लाइम सुर्ख़ी का प्रयोग प्री मुग़लकाल में केवल मात्र मस्जिदों में ही किया जाता रहा हो । लेकिन इतिहास में सामान्य रुप से स्वीकृत विज्ञान विकास का जो ज्ञान है उसके आधार पर मैंने यह कहा है कि लाइम सुर्ख़ी का प्रयोग इस्लाम धर्म के अनुयायियों के द्वारा प्रचलित व प्रयोग किया गया है।

प्री मुग़ल काल में मुस्लिम रुलर थे। भारतवर्ष में लाइम सुर्खी का प्रयोग इतिहास में सातवीं - आठवीं इस्वी सन् से माना जाता है। इसे विशेषरुप से आठवीं शताब्दी से माना गया है। अनेक इतिहासकारों का यह मानना है कि इस ख़ास सामग्री व तकनीक का प्रयोग इसी काल से प्रारंभ होता है। इन इतिहासकारों में प्रो0हरिवंश, प्रो0सतीशचन्द्र ,प्रो0इरफ़ान हबीब के नाम उल्लेखनीय है। मैंने प्रो0 आर0एस0शर्मा का नाम सुना है। इस बारे में प्रो0 आर0एस0शर्मा का क्या मत है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ।

प्रश्न- आठवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक मंदिरों में लाइम सुर्ख़ी का प्रयोग भारत में किया जाता था अथवा नही?

उत्तर- भारतवर्ष के इस काल में निर्मित सभी मंदिरों के फ़र्श के निर्माण के लिए लाइम सुर्ख़ी का प्रयोग किया जाता था या नहीं ,इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैंने इस काल के मंदिरों का इस दृष्टि

से अध्ययन नहीं किया था। यह कहना ग़लत है कि मस्जिदों से मुझे अ धिक प्रेम है, मंदिरों से नहीं।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

Sharma

27.6.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया। इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनाँक 28.6.2006को प्रस्तुत हो।

27.6.06

(हरिशंकर दूबे)

आयुक्त

27.6.2006

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/विशेष कार्याधिकारी,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,लखनऊ खण्डपीठ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक- 28.6.2006 पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान

(दिनांक -27.06.2006 के क्रम में पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद सं0 4/89 में प्रतिवादी सं0 17 की ओर से श्री वीरेश्वर द्विवेदी एडवोकेट द्वारा जारी)

हिन्दू वैष्ण मंदिर का आर्कीटेक्चर क्या होता था,इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हिन्दू वैष्णव मंदिर का आर्कीटेक्चर शुरू से आज तक समान रूप से एक जैसा नहीं रहा है ,उसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। 12वीं शताब्दी के हिन्दू वैष्णव मंदिर का आर्कीटेक्चर क्या होता था,यह मैं नहीं बता पाऊँगा। वर्तमान में वैष्णव मंदिर का क्या आर्कीटेक्चर होता है,यह भी मैं नहीं बता पाऊँगा। मंदिर में गर्भगृह मंदिर के कैनोपी के बाद होता है प्रदक्षिणा पथ से यह घिरा होता है। कैनोपी गर्भगृह के सामने के पोर्च जैसे भाग को कहते हैं। मंदिर में कैनोपी के पहले खुला प्लेटफ़ार्म होता है तथा उसके पहले सीढ़ियॉ होती हैं,लेकिन ऐसा हर जगह होना आवश्यक भी नहीं है। इंडियन कल्चर व फ़िलासफ़ी के बारे में मैंने एम0ए0 प्रीवियस करते समय पढ़ा था,तब मैंनें मंदिर के आर्कीटेक्चर के निर्माण शैली के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ा था। मंदिर का कोई भाग अंतराल कहलाता है या नहीं,यह मुझे

मालूम नहीं है। मंदिरों में जगमोहन नाम का कोई स्थान होता है, इस बारे में मुझे मालूम नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मंदिरों में स्थित गर्भगृह के सामने जो स्थान होता है, उसको अंतराल या जगमोहन कहते हैं या नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गर्भगृह के सामने तथा उसके दोनों पार्श्व में मण्डप होते हैं या नहीं। मंदिर जब बनाये जाते हैं तो मोटे तौर पर मुझे यह मालूम है कि उस समय पूजा की जाती है। यह पूजा उस स्थल की की जाती है ,जहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मंदिर का जब निर्माण होता है तब उसके पहले भूत,प्रेत एवं पिशाच की पूजा होती है या नहीं अथवा उनका भोग लगाया जाता है या नहीं। चूंकि इस भूत,प्रेत व पिशाच के ,मंदिर निर्माण के समय, पूजा होने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि यह पूजा इसलिए की जाती है ताकि उस क्षेत्र में इन लोगों का कोई दुष्प्रभाव न पड़े और भक्तजनों पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि कहीं कहीं पर इस प्रकार की पूजा का आयोजन वार्षिक रूप से मंदिरों में होता है या नहीं।

मैंने "वास्तुपद विन्यास" का नाम नहीं सुना है। मैंने अंग्रेज़ी में" सैकरेड डाईग्राम" का नाम नहीं सुना है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उपरोक्त भूत,प्रेत व पिशाच की पूजा के समय रक्त व माँस का भोग लगाया जाता है या नहीं। मुझे अनेक बार दक्षिण भारत जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस समय मैंने वहां के मंदिरों को भी देखा था। मैं कभी तिरूपति बालाजी क्षेत्र में नहीं गया हूँ। आंध्र प्रदेश के किसी गुड़ी मल्लम नाम के क्षेत्र का नाम मैंने नहीं सुना है। उपरोक्त क्षेत्र में मैंने किसी ऐसे विशिष्ट शिव मंदिर को नहीं देखा है,जिसकी पूरे विश्व में प्रसिद्धि हो और ऐसे किसी स्थान पर मुझे जाने

का मौक़ा प्राप्त नहीं हुआ। दक्षिण के मंदिरों में सोमनाथ,हेलेबिड,बेलूर तथा मैसूर के मंदिरों में मैं गया हूँ। इसी दौर में मैं जैन मंदिर," श्रावण बेग गोला" को देखने भी गया था। दक्षिण में मैं रामेश्वरम् नहीं गया हूँ। दक्षिण के उपरोक्त जिन मंदिरों को देखना मैंने बताया है,वह शैव मंदिर हैं। बंगला देश के " महास्थान मंदिर" का नाम मैंने सुना है। यहां पर भी उत्खनन हुआ था,जिसे डा0 नजीमुद्दीन अहमद ने कराया था। स्वयं कहा कि यहां पर खुदाई हुई थी यह तो मुझे मालूम है, परन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि उत्खननकर्ता कौन थे। मुझे यह जानकारी नही है कि बंगलादेश का यह मंदिर माउण्ड पर है या नहीं। महास्थान के उत्खनन में क्या क्या पाया गया ,इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि बंगलादेश के उपरोक्त महास्थान की खुदाई मे पिलर ,पिलर बेसेज़, बोन्स तथा कार्बिंग स्टोन पाये गये थे। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि इस स्थान की खुदाई में इस्लामिक चीजें प्राप्त हुई थीं या नहीं,क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस स्थान की खुदाई से संबंधित विवरण का मुझे पता नहीं है। मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना कि महास्थान पर हुआ उत्खनन पुरातात्विक दृष्टि से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने श्री जगतपति जोशी का नाम सुना है। यह ए0एस0आई0में डायरेक्टर जनरल थे। इनको कुछ लोग एक अच्छा पुरातत्ववेत्ता मानते हैं तथा कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। मैं श्री जगतपति जोशी को अच्छा पुरातत्ववेत्ता नहीं मानता हूँ। मैं अच्छा पुरातत्ववेत्ता हूं या नहीं, इसका आकंलन दूसरे पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार ही कर सकते हैं। मैंने ए0के0शर्मा का नाम सुना है। यह भी पुरातत्व विभाग के एक पुरातत्ववेत्ता रहे हैं। उन्होंने कई खुदाई कराई हैं ,परन्तु इस समय वह सिरपुर, झारखण्ड में खुदाई करवा रहे हैं या नहीं ,इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने आर0डी0त्रिवेदी जो ए0एस0आई0 में

सिविल इंजीनियर हो,इनका नाम नहीं सुना। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि आर0डी0त्रिवेदी नार्थ इंडियन टेम्पिल्स के स्टाईल व कान्स्ट्रक्शन के विशेषज्ञ माने जाते हैं या नहीं। दक्षिण के आर0नागा स्वामी का नाम मैंने सुना है। यह दक्षिण में किस स्थान के हैं,इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि यह इतिहास के किसी विभाग के विशेषज्ञ माने जाते हैं अथवा नहीं। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि यह किसी विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग मे प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। ए0एस0आई0 में जो डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं, उनका नाम आर0 नागराजा राव है। यह पहले मैसूर में रहते थे। इस समय कहाँ पर रहते हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जे0एन0यू0 में एंशियेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है। इसकी कोई विधा जैसे आर्कियोलाजी या एंथ्रोपोलोजी इस विश्वविद्यालय में स्वंतत्र रूप से नहीं हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेन्टर फ़ार हिस्टारिकल स्टडीज़ में आता है। इसकी चेयरपर्सन प्रो0 मृदुला मुखर्जी हैं। प्रो0 सूरजभान, महान पुरातत्ववेत्ता तथा उत्खननकर्ता हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण विभाग में क्लास श्री से सर्विस शुरू की या नहीं। मैं अपने गांव के मंदिर को छोड़ कर उत्तरी भारतवर्ष के कई मंदिरों में गया हूँ। उत्तरी भारत के मंदिरों में जम्मू के एक प्रसिद्ध मंदिर में भी मैं गया हूँ ,परन्तु उस मंदिर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं जम्मू विश्वविद्यालय में गया था ,उसी दौर में इस मंदिर में भी उसको देखने के लिए मैं गया था। यह मंदिर किस देवी या देवता का था, यह मैं मंदिर को देखते समय जान पाया था ,परन्तु इस समय उस देवी या देवता का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी दृष्टि से जम्मू के उस मंदिर के देवी या देवता का नाम महत्वूपर्ण नहीं

था, इसलिए मैं इस नाम को भूल गया। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं ईश्वर या देवी देवता में आस्था नहीं रखता हूँ। अल्लाह या ख़ुदा पर भी मेरा विश्वास नहीं है। मुझे मस्जिद के आर्कीटेक्चर के बारे में सामान्य ज्ञान है।

प्रश्न- एक विशेषज्ञ के रूप में मस्जिद के आर्कीटेक्टचर व स्टाईल का आपको ज्ञान है या नहीं?

उत्तर- मैं एक पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और पहले ही मैं अपने बयान में यह बता चुका हूँ कि भवन निर्माण कला एक अलग विधा है जिसका मैंने एक विशेषज्ञ के तौर पर कोई गहन अध्ययन नहीं किया था।

हिन्दू धर्म में सचल व अचल विग्रह होता है या नहीं,इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि हिन्दू धर्म के संदर्भ में मैं इन शब्दों को प्रथम बार सुन रहा रहा हूँ। मुझे मस्जिद व ईदगाह के बारे में जानकारी है। मस्जिद व ईदगाह में क्या अंतर होता है ,इस अंतर को मैं ठीक से नहीं बता सकता हूँ, परन्तु इस अंतर के बारे में मैंने सुना है।

प्रश्न-क्या आप यहाँ पर सुनी हुई बात के बारे में साक्ष्य देने आये हैं अथवा नहीं?

उत्तर- सुनी हुई बात अगर किसी संदर्भ में उपयोगी है, तो निश्चित तौर पर उसके संबंध में भी जानकारी या मत प्रस्तुत किया जा सकता है।

मस्जिद व ईदगाह के अंतर के बारे में मैंने सुना अवश्य है, परन्तु मैंने इसके बारे में अध्ययन नहीं किया है। यह कहना सही है कि मस्जिद व ईदगाह के संबंध में मैंने सशपथ अपना बयान मुख्य परीक्षा का प्रस्तुत किया है। इस विधा में मैं विशेष ज्ञान नहीं रखता हूँ।

प्रश्न- लेकिन आप ईदगाह की नींव की दीवार व मस्जिद की नींव की दीवार को देखकर अलग-अलग बता सकते हैं कि यह ईदगाह की दीवार है तथा यह मस्जिद की दीवार है,इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर - केवल नींव की दीवार को देखकर उपरोक्त दोनों अंतर बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है।

मैंने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ-पत्र में जो भी बयान दिया है उसको विशेषज्ञ की हैसियत से ही दिया है। यह कहना ग़लत है कि मैंने सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड से हितबद्ध होने के कारण उपरोक्त बयान दिया है। यह कहना भी ग़लत है कि मैं सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड से हितबद्ध हूँ। मैंने मस्जिद की नींव की दीवार पर दूसरे मस्जिद की नींव की दीवार को बनाने की क्रिया को अयोध्या के विवादित स्थल को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर अभी तक नहीं देखा है, स्वयं कहा अभी तक किसी अन्य स्थान पर इस तरह के विवादित स्थल पर या सामान्य स्थल पर उत्खनन ही नहीं हुआ है और जब तक उत्खनन न हो तब तक इस तरह की स्थिति को देख पाना और उसके विषय में कह पाना सम्भव नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मस्जिद व ईदगाह के कांस्ट्रक्शन के डिफ़रेंस के बारे में मुझे पता नहीं है।

मंदिर में मैंने ताख़ या निशे को देखा है। मंदिर में जो ताख़ होते हैं,उनमें मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। जब कोई श्रद्धालु मंदिर के प्रदक्षिणा पथ पर चलता है, तो वह इन ताख़ पर रखी मूर्तियों को अपने - अपने तरीक़े से नमन करता है। किसी भी मंदिर के गर्भगृह की प्रिज़ाइडिंग डिटी के पीछे की दीवार में सामने की ओर ताख़ होता है,जिसमें मूर्ति रहती है। प्रिज़ाइडिंग डिटी तथा उनके पींछे की दीवार में अंदर वाले हिस्से में ताख़ होता है और इसमें मूर्ति रहती है। ताख़ में रखी इस मूर्ति का मुँह प्रिसाईडिंग

डिटी के किस ओर होता है ,इसका ज्ञान मुझे नहीं है। यह कहना ग़लत है कि इस बिन्दु पर मैं सरीही तौर पर ग़लत बयानी कर रहा हूँ।

प्रश्न- जो ताख़ आपने बताया है क्या वह गर्भगृह में प्रतिष्ठित प्रिज़ाइडिंग डिटी के पीछे वाली दीवार के अंदरूनी हिस्से में होता है?

उत्तर - ताख़ में रखी यह मूर्ति प्रिज़ाइडिंग डिटी की भी हो सकती है तथा जो सहायक देवी-देवता होते हैं उनकी भी हो सकती है ,परन्तु जहाँ पर प्रिज़ाइडिंग डिटी अलग से स्थापित है,वहाँ पर उस डिटी के दोनो तरफ साईड में जो ताख़ होते हैं, उनमें सहायक देवी-देवताओं की मूर्ति रखी होती है।

प्रिज़ाइडिंग डिटी गर्भगृह में ही होती है। उपरोक्त ताख गर्भगृह की दीवार में भी होते हैं तथा प्रदक्षिणा पथ की बाहरी दीवार में व अंदर की दीवार दोनों में होते हैं। मुझे यह ठीक से याद नहीं है कि प्रदक्षिणा पथ वाली दीवार में ताख़ किस दीवार के बाहर की ओर होते है या अंदर की ओर होते हैं। यह कहना ग़लत है कि इस बिन्दु पर मैं अपने पहले की कथित बात को साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ।

मैंने " उज्जयिनी महाकाल मंदिर " का नाम नहीं सुना है । मुझे यह ज्ञान नहीं है कि इस मंदिर को औरंगज़ेब ने तोड़वा दिया था अथवा नहीं । मराठा लोगों ने इस मंदिर पर पुनः कब्ज़ा किया अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है । मुझे यह जानकारी नहीं है कि उज्जैन का यह महाकाल मंदिर किस देवी अथवा देवता का है । ऐसा माना जा सकता है कि मुझे मंदिरों के बारे में विशेष ज्ञान नहीं है । विवादित स्थल पर उत्खनन के पूर्व जी0पी0आर0 सर्वे हुआ था । इससे संबंधित रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है । जी0 पी0आर0 की रिपोर्ट में कतिपय एनामलीज़ का उल्लेख किया गया है । यह

मुझे याद नहीं है कि इस रिपोर्ट में कितनी एनामलीज़ का उल्लेख किया गया है । मैंने यह लोकेट करने का प्रयत्न नहीं किया कि जी0 पी0 आर0 सर्वे में उल्लिखित एनामलीज़ विवादित स्थल पर कहाँ- कहाँ पर है । स्वयं कहा कि इन एनामलीज़ का इस संदर्भ में मेरी दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है । जी0 पी0 आर0 सर्वे रिपोर्ट में जिन एनामलीज़ का उल्लेख किया गया, वह मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं है । यह कहना सही नहीं है कि जिस जगह पर यह एनामलीज़ पाई गई थीं, वह स्थान मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

प्र0- लेकिन यह जानते हुए भी आपने यह कहीं नोट नहीं किया कि यह एनामलीज़ कहाँ- कहाँ पर पाई गई थीं ?

उ0- यह कहना ठीक है कि मैंने इन एनामलीज़ की जगहों को नोट करना उचित नहीं समझा ।

मैं यह बता सकता हूँ कि यह एनामलीज़ जिस तरफ़ इशारा कर रही हैं, वह किसी सालिड सब्सटेन्स की तरफ़ था, न कि किसी स्ट्रक्चर विशेष की तरफ़ ।

प्र0- आप यह नहीं बता पायेंगे कि जहां -जहां पर जी॰पी॰आर॰सर्वे रिपोर्ट में एनामलीज़ के होने का उल्लेख था, उन-उन स्थानों पर यह एनामलीज़ पाई गईं अथवा नहीं ?

उ0- यह कहना उचित नहीं है । मैं यह मानता हूँ कि जहां-जहां जी0 पी0 आर0 तकनीक के द्वारा एनामलीज़ की तरफ़ इशारा है, वहां- वहां कुछ ठोस सब्सटान्स या वस्तु प्राप्त हुई हैं ।

प्र0- जब आप जी0 पी0 आर0 रिपोर्ट में इंगित किये गये एनामलीज़ के स्थानों के बारे में नहीं जानते, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वहां उत्खनन में ठोस वस्तुएं पाई गईं ?

उ0- मेरा कहने का आधार यह है कि यह तकनीक अति आधुनिक तकनीक है, जिसकी सहायता से इस तरह की एनामलीज़ ठोस वस्तुओं की तरफ़ इशारा करती हैं ।

यह कहना गलत है कि इस बिन्दु पर मैं ग़लतबयानी कर रहा हूँ।

मुझे इसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं है कि बहुत से मंदिरों के उत्खनन में एनीमल बोन्स पाये गये अथवा नहीं । मंदिरों की खुदाई की रिपोर्टस् में एनीमल बोन्स पाये जाने के बारे में पढ़ा है । ऐसे मंदिरों के संबंध में किसी ईदगाह या मस्जिद का कोई विवाद नहीं था । ऐसे मंदिरों के उत्खनन में, जहां पर एनीमल बोन्स पाई गईं, मैंने जानने का प्रयत्न नहीं किया कि उक्त स्थान पर एनीमल बोन्स क्यों थीं । ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि मैंने वादीगण के हित में ग़लतबयानी किया है ।

उत्खनन में पीरियडाइज़ेशन नामक चीज़ होती है । उत्खनन की रिपोर्ट में पीरियडाइज़ेशन का उल्लेख रहता है । उत्खनन रिपोर्ट में कालक्रम के संबंध में पहली महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यह कालक्रम नीचे से ऊपर की तरफ चलता है । दूसरे , हर किसी कालक्रम के अपने कुछ महत्वपूर्ण पहचान - चिन्ह होते हैं , जिनके आधार पर एक काल को दूसरे काल से अलग वर्गीकृत किया जाता है । उत्खनन से प्राप्त सामग्री का विशद अध्ययन और विश्लेषण, स्तर विन्यास और विकासक्रम के आधार पर किया जाता है । उसके पश्चात इस तरह का कालक्रम - विभाजन किया जाता है । पीरियडाइज़ेशन में पीरियड्स का नाम भी होता है । यदि पीरियड्स डायनेस्टिक काल होता है, तो उसका भी उल्लेख किया जाता है , परन्तु हर पीरियड में डायनेस्टिक काल का होना जरुरी नहीं है । पीरियडाइज़ेशन का आधार-क्रम विकास है,जिसका एक काल विशेष से सम्बन्ध होता है। उस

काल विशेष को सेन्चुरीज़ के आधार पर विभाजित करके नहीं देखा जा सकता है । विभिन्न कालों को विकासक्रम की विशेष पहचान- बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए विभाजित किया जाता है । पीरियडाइज़ेशन में शुंग पीरियड या कुषाण पीरियड आदि का भी उल्लेखकिया जाताहै । कालक्रम को सामान्य बोलचाल की भाषा में सेंचुरीज़(शताब्दियों) के आधार पर भी विभाजित किया जाता है , लेकिन एक ही कालक्रम विशेष में कई वंश और कई शताब्दियां भी सम्मिलित होती हैं । कालक्रम के निर्धारण में उसे अलग-अलग नाम दिया जाता है,जैसे- प्री-हिस्ट्री (प्राग इतिहास) प्रोटोहिस्ट्री (आद्यः इतिहास), अर्लीहिस्टारिकल पीरियड((प्रारंभिक ऐतिहासिक काल) , हिस्टारिकल पीरियड (ऐतिहासिक काल)अर्लीमिडिवियल पीरियड (प्रारम्भिक मध्यकाल), मिडिवियल पीरियड(सल्तनत व मुग़ल काल), उत्तर मध्यकाल या अर्ली माडर्न पीरियड और माडर्न पीरियड ।

प्र0- कौन सा पुरातत्व किस सेंचुरी से किस सेंचुरी के बीच का है,क्या इसका उल्लेख कालक्रम निर्धारण में किया जाता है ?

उ0- सामान्य तौर पर पुरातत्व का इस तरह का विभाजन नहीं है ।

डायनेस्टिक पीरियड में शुंग, कुषाण, गुप्ता तथा पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है । पोस्ट गुप्ता पीरियड में ही राजपूत पीरियड को सम्मिलित कर लिया जाता है । इसके बाद का कालसल्तनत काल कहाजाता है । सल्तनत काल के बाद मुग़ल काल आता है । मुग़ल काल के बाद उत्तर मुग़ल काल आता है । उत्तर मुग़ल काल के बाद आधुनिक भारत काल,जिसे ब्रिटिश काल भी कहा जाता है, आता है ।

मुग़ल डायनेस्टी सन् 1525 ई0 से लेकर 1707 ई0 तक मुख्य तौर पर मानी जाती है । मुग़लवंश का प्रारम्भ बाबर ने किया । ऐसा नहीं है कि मैं

इस बिन्दु पर ग़लतबयानी कर रहा हूँ । बाबर , हिन्दुस्तान में सन् 1525ई0 में आया । ऐसा नहीं है कि बाबर सन् 1526 ई0 में भारत में आया हो । बाबर जब प्रथम भारत में आये, तो पंजाब के क्षेत्र में आये थे । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जब बाबर भारत आये तब अफ़ग़ानिस्तान भी भारत का अंग था अथवा नहीं । मुझे इस बात की ठोस जानकारी नहीं है कि बाबर जब और लोगों से लड़ता था, तो युद्ध की तरह लड़ता था और जब हिन्दुओं से लड़ता था, तो जेहाद के रुप में लड़ता था अथवा नहीं । इब्राहिम लोदी, जिससे बाबर का युद्ध हुआ था, सुल्तान था । वह लोदी वंश का था। वह, शर्क़ी वंश का था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । शर्क़ीवंश के सुल्तानेट समय में उत्तरी भारत के एक हिस्से में शासन करते थे । उस हिस्से में जौनपुर शामिल था , परन्तु उसमें फ़ैज़ाबाद शामिल था या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं हि । सन 1528 ई0 में अयोध्या फ़ैज़ाबाद का रुलर कौन था,इसकी जानकारी मुझे नहीं है । जौनपुर में जो शर्क़ी सुल्तान रुलर था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं । मैंने सिकन्दर लोदी का नाम सुना है । वह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन करता था । इब्राहिम लोदी तथा सिकदर लोदी के शासन का क्षेत्र अलग- अलग था। मैंने बाबरनामा नहीं पढ़ा है । मुझे यह मालूम है कि बाबरनामा, बाबर द्वारा लिखित डायरी है ।

प्र0- भारतवर्ष में 11वीं और 12वीं शताब्दी का काल किस डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है ?

उ0- इस दौर में भारत में अनेक क्षेत्रों में अनेक वंशों के शासक होते थे । किसी एक वंश का भारतवर्ष में राज्य नहीं था । सभी वंशों का यहां पर मैं उल्लेख नहीं कर पाऊँगा ।

ऐसा कहना सही नहीं है कि गुप्ता डायनेस्टी का शासन पूरे भारत में था । ऐतहासिक पीरियडाइज़ेशन में गुप्तकाल भी आता है ।

उत्तर भारत में गहड़वाल वंश का शासन आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा उसके आसपास के क्षेत्र में रहा है, उनकी राजधानी क़न्नौज थी। सुलतानेट पीरीयड रहा है। सुल्तानेट पीरियड के ठीक पहले के काल को राजपूत काल कहते हैं । सुल्तानेट पीरियड सन् 1206 ई0 से लेकर सन् 1525 - 1526 ईस्वी तक रहा है । राजपूत काल सल्तनत पीरियड से पहले रहा है । लगभग तीन सौ साढ़े तीन सौ वर्षों तक उनका शासन रहा है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अयोध्या में भी इनका शासन था या नहीं । गहड़वाल वंश के शासकों ने मंदिर बनवाए होंगे , लेकिन इसके बारे में मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है । ऐसा कहना सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में मैं जानबूझकर बताने से इन्कार कर रहा हूँ । इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि गहड़वाल वंश के राजाओं द्वारा अयोध्या में मन्दिर बनवाए गए तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया गया । गुप्ता काल में मन्दिरों के बनाए जाने की शुरूआत हुई थी , परन्तु इस काल में अयोध्या में कोई मन्दिर बनाया गया अथवा नहीं , इस बात की जानकारी मुझे नहीं है । मुझे इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि मुग़लकाल में अयोध्या में कोई मन्दिर बनवाया गया या नहीं । अयोध्या के हनुमान मन्दिर की जानकारी मुझे है । इस मन्दिर को किसने बनवाया , इसकी जानकारी मुझे नहीं है । मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि मध्यप्रदेश के ओरछा के राजाओं की तरफ़ से अयोध्या में कोई मन्दिर बनवाया गया या नहीं । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अयोध्या में औरंगज़ेब ने कोई मन्दिर गिरवाया था या नहीं । विवादित भवन बाबर द्वारा बनवाई गई मस्जिद है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं

है कि बाबर इस मस्जिद के निर्माण को देखने के लिए अयोध्या आए थे या नहीं । इस बारे में कि अयोध्या में बाबर ने मस्जिद बनवाया था , मैंने समाचार - पत्रों तथा पत्रिकाओं में पढ़ा था । मैं एक इतिहासज्ञ के रूप में अख़बारों और पत्रिकाओं को ज्ञान का स्रोत मानता हूँ । स्वयं कहा कि इन स्रोतों से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी सत्यापित है या नहीं इसको इतिहासकार अध्ययन व विश्लेषण के द्वारा तय करते हैं । अख़बारों और पत्रिकाओं से प्राप्त इस जानकारी का सत्यापन मैंने किसी पुस्तक से नहीं किया , लेकिन इस सम्बन्ध में इस विवाद को लेकर जो लेख व मोनोग्राफ़ इस दौर में छपे उनसे जानने की मैंने कोशिश की । इन लेखों व मोनोग्राफ़ों की आथेंटीसिटी को मैंने सत्यापित नहीं किया । स्वयं कहा कि पहले ही इतिहासकारों के द्वारा यह बात सत्यापित की जा चुकी थी । इस सम्बन्ध में किसी इतिहासकार की पुस्तक को मैंने नहीं पढ़ा है । उत्खनन के दौरान जब मैं फ़ैज़ाबाद में रहा , तब मैंने अयोध्या के किसी मन्दिर को नहीं देखा , परन्तु मैंने एक मन्दिर को जो नदी के किनारे था , देखा था । उस मन्दिर का नाम या उसमें स्थापित देवी - देवता का नाम मुझे मालूम नहीं है । मैंने अयोध्या के किसी मस्जिद व मक़बरे को भी नहीं देखा है ।

प्रश्न - आपने किसी उत्खनन में डायरेक्टर का काम नहीं किया ?

उत्तर - यह सही है ।

प्रश्न - मिर्ज़ापुर तथा राजा करन का क़िला में जो उत्खनन आपने किया था , उसकी रिपोर्ट क्या कहीं पर प्रकाशित हुई ?

उत्तर - हाँ । इन उत्खननों से सम्बन्धित वार्षिक प्रोग्रेस रिपोर्ट के विषय में आंशिक रूप से छपा हुआ है ।

उत्खनन की फ़ाइनल रिपोर्ट अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुई है । मैंने किसी मन्दिर या मस्जिद का स्वयं उत्खनन नहीं किया है । ऐसा कहना सही नहीं है कि मस्जिद के उत्खनन के सम्बन्ध में मैं फ़ील्ड आर्कियोलाजिस्ट नहीं कहा जा सकता हूँ ।

प्रश्न - तो क्या यह समझा जाए कि ऐसे उत्खननों में बिना फ़ील्ड पर गए ही आपको फील्ड आर्कियोलाजिस्ट मान लिया जाए ?

उत्तर - फ़ील्ड आर्कियोलाजिस्ट को हर किसी उत्खनन में हिस्सा लेना आवश्यक नहीं है । फ़ील्ड आर्कियोलाजिस्ट के लिए उत्खनन की ट्रेनिंग , उत्खनन करने की विधि , उत्खनित सामग्री को रिकार्ड करने के तरीक़े , सामग्री का वर्गीकरण , अध्ययन व विश्लेषण करना आवश्यक है ।

इसलिए मैं यह नहीं मानता कि मैं एक फ़ील्ड आर्कियोलाजिस्ट नहीं हूँ । उपरोक्त सभी कार्य कार्यालय तथा प्रयोगशाला में नहीं हो सकते हैं । इनको फ़ील्ड में किया जाता है और फील्ड से प्राप्त जानकारी का अध्ययन और विश्लेषण फ़ील्ड और कार्यालय दोनों स्थानों पर किया जा सकता है । मैं फ़ील्ड में जाता रहा हूँ । मैं फ़ील्ड में डायरेक्टर , लेबर अथवा इंजीनियर की हैसियत से नहीं जाता था , बल्कि एक पुरात्तववेत्ता के रूप में जाता रहा हूँ । मैं बिना बुलाए तथा बुलाए जाने पर भी फ़ील्ड में जाता रहा हूँ । बालू नामक स्थान पर व कलायत नामक स्थान पर मुझे बुलाया गया । इन दोनों स्थानों पर मैं उत्खनन टीम का मेम्बर नहीं था , परन्तु मुझे पुरातत्ववेत्ता के रूप में खुदाई के दौरान बुलाया गया था । मुझको उत्खनन के डायरेक्टर प्रो0 सीलक राम ने बुलाया था । सीलक राम जी ने मुझे लिखित रूप से आमन्त्रित नहीं किया था , मौखिक तौर पर मुझे बुलाया था । मैं सन् 1984 - 85 ई0 में

वहाँ पर गया था । यह कहना ग़लत है कि मैं यहाँ भी ग़लत बयानी कर रहा हूँ ।

सिकन्दर लोदी तथा इब्राहीम लोदी का शासनकाल अलग - अलग था । यह कहना ग़लत होगा कि पानीपत की लड़ाई में जब बाबर तथा इब्राहीम लोदी के बीच युद्ध हुआ था , तब सिकन्दर लोदी ने बाबर की इस युद्ध में शासक के रूप में मदद की थी । मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि इब्राहीम लोदी का शासन काल क्या था और सिकन्दर लोदी का शासन काल क्या था , लेकिन सिकन्दर लोदी का शासन काल पहले था और इब्राहीम लोदी का शासन काल बाद में था । दोनों के शासन काल में कितने वर्षों का अन्तर था , यह मैं नहीं बता पाऊँगा । ऊपर बयान में शर्क़ी सुल्तान आया है , शर्क़ी का क्या अर्थ है , यह मुझे मालूम नहीं है ।

मैंने बौद्ध स्तूप देखे हैं । सांची का बौद्ध स्तूप देखा है । वैशाली में कोल्हुआ के बौद्ध स्तूप को भी मैंने देखा है । इन स्तूपों का आकार तथा कंस्ट्रक्शन मैं बता सकता हूँ ।

मैं चैत्यगृह जानता हूँ । चैत्यगृह एक बौद्ध मन्दिर होता है , जो पहाड़ को काटकर बनाया जाता है ।

प्रश्न - स्तूप ठोस होता है या खोखला (हालो) होता है ?

उत्तर - समय - समय पर स्तूप में इस दृष्टि से परिवर्तन होता रहा है ।

पहले यह ठोस होता था , बाद में यह हालो होना शुरू हुआ , परन्तु ऐसा होना कब से और किस काल से शुरू हुआ यह मैं नहीं जानता । इस स्तूप में शुरू में कोई द्वार नहीं होता था ।

मैंने जिन स्तूपों को देखा है , वे ठोस थे । इन ठोस स्तूपों के आस - पास और भी कंस्ट्रक्शन थे । यह कंस्ट्रक्शन अलंकरण के लिए होता था ।

वह बौद्ध भिक्षुओं के लिए व बौद्ध विहार के लिए होता था । बौद्ध मन्दिरों में अलंकरण भी होता था । यह कहना सही नहीं होगा कि बौद्ध विहारों में निर्माण नहीं होता । मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि स्तूप के आगे बड़ा सा हाल होता है या नहीं , क्योंकि मैंने इस तरह का हाल कहीं देखा नहीं है । स्तूप के आगे बाहर द्वार होता था । किसी स्तूप के सामने आवश्यक रूप से कोई हाल होता हो और उसमें भीतर जाने के लिए द्वार बना रहता हो , इसकी जानकारी मुझे नहीं है । स्तूप के अन्दर गौतम बुद्ध या उनके बड़े अनुयायियों के अवशेष सुरक्षित रहते हैं । बौद्धों के स्तूपों की निर्माण विधि के बारे में मैंने कोई गहन अध्ययन नहीं किया है । गहन अध्ययन से मेरा तात्पर्य शोध से है । मैंने स्तूपों के बारे में अध्यापन के लिए जितना अध्ययन आवश्यक होता है , वह किया है । इस सम्बन्ध में अनेक किताबें हैं । ऐसी पुस्तकों में विमल चन्द्र पाण्डेय द्वारा लिखित पुस्तक " प्राचीन इतिहास भाग - 2" है । इसके प्रकाशक का नाम मुझे याद नहीं है । इसके प्रकाशन का वर्ष भी मुझे मालूम नहीं है , परन्तु यह पुराना संस्करण है । मैंने आर्ट व कल्चर के बारे विषय के तौर पर अध्ययन नहीं किया है । बौद्धों में पहले मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी , बाद में इसे बौद्ध धर्म के विभाजन के समय से किया जाने लगा । महायान के अन्तर्गत मूर्ति पूजा की जाती है । हीनयान वर्ग के अन्तर्गत मूर्ति पूजा नहीं की जाती है । जिन बौद्ध स्तूपों को मैंने देखा था , वे महायान वर्ग के लोगों का स्तूप था या नहीं , यह मैं नहीं बता पाऊँगा । बौद्ध धर्म से सम्बन्धित किसी एथारिटेटिव पुस्तक का नाम मैं नहीं बता पाऊँगा । स्वयं कहा कि लेकिन प्रो0 रोमिला थापर द्वारा लिखित पुस्तक " अशोका एण्ड द डिक्लाइन आफ़ मौर्यन एम्पायर " तथा " मौर्या रिविज़िटेड " पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं । दोनों पुस्तकों में बौद्ध स्तूपों तथा चैत्यगृह के निर्माण का विस्तृत

विवरण नहीं दिया गया है , परन्तु उनके सम्बन्ध में उल्लेख है । यह उल्लेख संक्षिप्त है । इस संक्षिप्त उल्लेख में यह नहीं लिखा हुआ है कि महायान स्तूप ठोस होते हैं तथा हीनयान स्तूप हालो होते हैं ।

प्रश्न - क्या आपने अपने उपरोक्त ज्ञान के आधार पर ही अपनी मुख्य - परीक्षा के शपथ - पत्र के पैरा - 25 (पृष्ठ - 15) की प्रथम दो पंक्तियाँ लिखी हैं ?

उत्तर - यह कहना उचित नहीं है ।

मैं समय - समय पर अन्य पुस्तकों तथा शोध पत्रिकाओं में इस बार में पढ़ता रहा हूँ । इन अन्य पुस्तकों का नाम मैं नहीं बता पाऊँगा । शोध पत्रिकाएं , जिनमें मैंने इस बारे में पढ़ा है , उनका ठीक - ठीक संदर्भ मैं नहीं बता पाऊँगा , लेकिन उन पत्रिकाओं के नाम मैं बता सकता हूँ ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

28.6.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनाँक - 3.7.2006 को प्रस्तुत हो।

28.6.06

(हरिशंकर दूबे)

आयुक्त

28.6.2006

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ खण्डपीठ ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक - 3.7.2006 पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान

(दिनांक -28.06.2006 के क्रम में पी0डब्लू0 - 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद सं0 4/89 में प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से श्री वीरेश्वर द्विवेदी एडवोकेट द्वारा की जानी थी, परन्तु उनके द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें इस साक्षी से और प्रतिपरीक्षा नहीं करना है। अतएव प्रतिवादी सं0 17 की तरफ़ से श्री वीरेश्वर द्विवेदी ,एडवोकेट की प्रतिपरीक्षा समाप्त की गयी।)

(अन्य मूलवाद संख्या -4/89 में प्रतिवादी सं0 13/1 की ओर से पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा प्रारम्भ)

"अर्ली मिडिवल पीरियड" तथा "सल्तनत पीरियड" अलग-अलग हैं। अर्ली मिडिवल पीरियड सेवेंथ सेंचुरी ए0डी0 से शुरू होता है और सल्तनत काल के प्रारम्भ तक माना जाता , जो 1206 ई0 है। सल्तनत काल का अंत 1525-1526 ई0 में हुआ। " मिडिवल पीरियड 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। " मिडिवल सल्तनत पीरियड " कोई

पीरियड नहीं है। यह कहना सही नहीं होगा कि" मिडिवल सल्तनत पीरियड" 11वीं सदी के मध्य से 12वीं संदी के मध्य तक था।

मैंने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र की धारा 3 की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में ए0एस0आई0 की रिपोर्ट को अन प्रोफ़ेशनल डाकूमेंट बताया है।

प्रश्न- ए0एस0आई0 की टीम में हर धर्म के लोग थे तथा हर प्रान्त अर्थात् पुरातत्व के विभिन्न विषयों से संबंधित अनुभवी लोग थे। तो आपने अपने शपथ पत्र जो" अन प्रोफ़ेशनल" शब्द का प्रयोग किया है उसको आपने टीम के सदस्यों के रूप में किया है या कुछ ख़ास व्यक्तियों के बारे में यह कहा है?

उत्तर- जहां तक ए0एस0आई0 टीम के गठन का प्रश्न है इस संबंध में मैं अपनी राय पहले ही व्यक्त कर चुका हूं। जिसमें यह बताया गया था कि ए0एस0आई0 की विवादित स्थल पर उत्खनन के लिए जो टीम गठित की गयी थी, उस टीम में कई विशेषज्ञों का अभाव था और जहाँ तक इस रिपोर्ट के अन प्राफ़ेशनल होने की बात है,उससे मेरा तात्पर्य यह है कि इस रिपोर्ट में जिस तरह की अनदेखियाँ की गयी हैं,उसकी उम्मीद इस तरह के प्रोफ़ेशनल आर्कियोलाजिस्टस से नहीं की जाती है।

अन प्रोफ़ेशनल शब्द का प्रयोग मैंने ए0एस0आई0 की रिपोर्ट के लिए किया है। इस शब्द का प्रयोग मैंने टीम की एप्रोच के लिए किया है। चूंकि ए0एस0आई की रिपोर्ट टीम के सदस्यों द्वारा तैयार की गयी है,इसलिए मैंने अनप्रोफ़ेशनल होने की बात टीम के सभी सदस्यों के लिए की है।

प्रश्न- आपने अपने मुख्य शपथ पत्र की धारा 1 में स्वयं द्वारा प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व विषयों एम0ए0 करना बताया है पुरातत्व से ऐसे बहुत से विषय थे जिनका अध्ययन आपने नहीं किया है और ए0एस0आई0

के टीम में इन विषयों से संबंधित विशेषज्ञ थे, परन्तु क्या आपने उनके कार्य के संबंध में भी अन प्रोफ़ेशनल शब्द का प्रयोग किया है?

उत्तर- यह सत्य है कि मैंने सभी विषयों का अपने अध्ययन काल में अध्ययन नहीं किया लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि पाश्चात् काल में भी किसी उत्खनन की रिपोर्ट के संबंध में अध्ययन करके मैं अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता हूँ और ए0एस0आई0 के जिन विशेषज्ञों की बात है,अगर वे विशेषज्ञ अपने विषय धर्म का पालन रिपोर्ट लिखते समय नहीं करते हुए पाये जायें तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मैं उन त्रुटियों की तरफ़ इशारा करते हुए यह कहने के लिए सक्षम हूँ कि रिपोर्ट अनप्रोफ़ेशनल डाकूमेंट है।

प्रश्न- मेरा यह कहना है कि क्या आपने ए0एस0आई0 की कार्यकलाप के बारे में अनप्रोफ़ेशनल शब्द का प्रयोग किया है या नहीं । आपने इस प्रश्न का उत्तर नही दिया है,कृपया बतावें?

उत्तर- इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ए0एस0आई0 के जिन विशेषज्ञों ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इस रिपोर्ट को जांचने के बाद मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि यह उन लोगों का अनप्रोफेशनल कार्य है।

प्रश्न- किस प्रकार आपका यह कहना हे कि ए0एस0आई0 में जितने सदस्य है उन सब के बारे में आपने अनप्रोफ़ेशनल होने को कहा है?

उत्तर-अगर ए0एस0आई0 टीम के सभी सदस्य इस रिपोर्ट को तैयार करने में सम्मिलित थे, तो यह वक्तव्य सत्य है।

प्रश्न- तो क्या ए0एस0आई0 की रिपोर्ट में कोई अंश ऐसा भी है, जिसको तैयार करने में ए0एस0आई0 के सभी सदस्यों का सहयोग न रहा हो?

उत्तर- ए0एस0आई की रिपोर्ट को लिखने में किन सदस्यों का सहयोग रहा तथा किन सदस्यों का असहयोग रहा, यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ लेकिन जिन सदस्यों के नाम रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों के साथ जुड़े हुए हैं,उन्हीं के संबंध में मैंने अपनी बात कही है।

प्रश्न- आपने मार्च 2003 से अगस्त 2003 के बीच उत्खनन स्थल अयोध्या पर रहने की बात अपने शपथ पत्र की धारा 2 में बताया है,क्या उत्खनन स्थल पर रहने के दौरान आपने ए0एस0आई0टीम के किसी सदस्य के अनप्रोफ़ेशन कन्डक्ट के बारे में इस अवधि मे किसी से शिकायत की थी?

उत्तर- मैंने अपने अधिकार के अनुसार वकील के माध्यम से यह बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचावाई थी।

मुझे यह मालूम नहीं था कि मैं ए0एस0आई0 टीम सदस्यों के कन्डक्ट के बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने में स्वयं सक्षम था। मैंने ए0एस0आई0 टीम के सदस्यों के विरूद्ध उनके अनप्रोफ़ेशनल कन्डक्ट के बारे में वकील के माध्यम से शिकायत नहीं की ,बल्कि ए0एस0आई0 टीम में कार्यविधि के संबंध में उल्लेख किया था।

मैं बाबरी मस्जिद का प्रतिनिधित्व उत्खनन स्थल पर कर रहा था। ऐसा नहीं है कि उत्खनन स्थल पर मुझे बाबरी मस्जिद का पक्ष प्रस्तुत करना था या विपक्ष का विरोध भी करना था। मेरा मक़सद केवल यह था कि उत्खनन पुरातत्व के नियमों के अनुसार चलता रहे।

प्रश्न- आपको यह नहीं मालूम कि आप विवादित स्थल पर किस पक्ष की तरफ़ से उपस्थित थे?

उत्तर- मैं पहले ही अपने बयान में इस बारे में बता चुका हूँ । मैंने पहले ही बताया है कि मैं बाबरी मस्जिद के पक्ष की तरफ़ से उत्खनन स्थल पर उपस्थित हुआ।

ऐसा कहना ठीक नहीं है कि मैंने बाबरी मस्जिद पक्ष की तरफ से उसके हितों को ध्यान में रखते हुए आपत्ति प्रस्तुत किया था। मेरा मक़सद यहाँ पर यही था कि पुरातत्व के नियमों के अनुसार खुदाई हो। खुदाई के पश्चात् उसी के नियमों के अनुसार उत्खनित सामग्री का अध्ययन हो और उसके पश्चात् उसका वैज्ञानिक तरीक़े से विश्लेषण हो और अन्ततः जो वास्तविकता है वह उभर कर सामने आवे। ऐसा नहीं है कि उत्खनन के नियम निर्धारित नहीं हैं। उत्खनन के नियम निर्धारित हैं। यह कहना अनुचित होगा कि पुरातत्व, नियम विहीन विषय है।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा साक्षी का ध्यान उनके मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र की धारा 3 की चौथी पंक्ति के अंश " इट इज़ फुल आफ़ इण्टरनल कंट्राडिक्शन " की ओर आकृष्ट किया। उत्खनन के कौन से निर्धारित नियम हैं, इसके बारे में मैं पहले ही अपने बयान में विस्तार से बता चुका हूँ। मैंने अपने मुख्य परीक्षा की शपथ पत्र की धारा 3 के उपरोक्त अंश में इण्टरनल कंट्राडिक्शन शब्दों का प्रयोग ए0एस0आई0 की पूर्व रिपोर्ट के संदर्भ मे किया है क्यों कि इस तरह के कंट्राडिक्शन से यह रिपोर्ट भरी पड़ी है। और इन कंट्राडिक्शन के बारे में मैं पहले भी विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। मैंने अपने शपथ पत्र की धारा 3 में इण्टरनल कंट्राडिक्शन की बात कही है, वह मेरे शपथ पत्र की धारा 4 व उसके बाद लिखी हुई धाराओं में दिये गये तथ्यों से संबंधित है, मैंने इण्टरनल कंट्राडिक्शन के अतिरिक्त और भी तथ्य शपथ पत्र की इन धाराओं में लिखा है। मैंने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र मे ए0एस0.आई0 रिपोर्ट के जिन इण्टरनल कंट्राडिक्शन की बात कही है,उसके अलावा भी रिपोर्ट में और बहुत से ऐसे तथ्य हैं,जो इण्टरनल कंट्राडिक्शन के अन्तर्गत आते हैं। चूंकि मैं कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा था इसलिए मैंने अपने शपथ पत्र मे उन्हीं कंट्राडिक्शन का उल्लेख किया जो

मेरे मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र की धारा में दिया जाना सम्भव था। ऐसा नहीं है कि बाबरी मस्जिद की तरफ़ से जो कहा गया उन्हीं तथ्यों को शपथ पत्र में मेरे द्वारा दिया जाना सम्भव है। ऐसा कहना ठीक नहीं है कि बाबरी मस्जिद के पक्षकारों द्वारा जो मुझसे इण्टरनल कंट्राडिक्शन कहा गया उन्हीं का उल्लेख मैंने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में किया।

प्रश्न- क्या जिन इण्टरनल कंट्राडिक्शन का संदर्भ रिपोर्ट के संबंध में आपने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में नहीं किया है उनका उल्लेख किया जाना सम्भव नहीं था?

उत्तर- सम्भव शब्द से मेरा तात्पर्य यह है कि मैं कोई समानान्तर उत्खनन की रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। मैं केवल उत्खनन रिपोर्ट पर उसकी विशेष कमज़ोरियों की तरफ़ इशारा करते हुए अपना जवाब दे रहा हूँ। अगर माननीय न्यायालय की तरफ़ से मुझे आदेश दिया जाये कि रिपोर्ट के सभी कमज़ोर पहलुओं को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये तो निश्चित तौर पर उस स्थिति में मैं इस तरह के सभी कमज़ोर पहलुओं को स्पष्ट या उजागर करने में सक्षम होऊँगा।

मुख्य परीक्षा के अपने शपथ- पत्र को मैंने ही तैयार किया है और यह बात मैं पहले भी अपने बयान में बता चुका हूँ। मैं एक विटनेस के तौर पर उत्खनन स्थल पर रहा हूँ और माननीय न्यायालय में भी मेरा नाम एक गवाह के तौर पर बाबरी मस्जिद पक्ष की तरफ़ से दिया गया ,इसलिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए यह डाकूमेंट मैंने तैयार किया। मुझे जीलानी साहब, एडवोकेट ने गवाही देने के लिए कान्टेक्ट किया था । जीलानी साहब एडवोकेट को निश्चित तौर पर पुरातत्व के विषय के बारे मे ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने ही अपने पुरातत्व के ज्ञान के आधार पर अपनी मुख्य परीक्षा का बयान तैयार किया है। जीलानी साहब को पुरातत्व के संबंध में ज्ञान न होने

के बावजूद मैंने अपनी आपत्ति उनके माध्यम से इसलिए करवाया क्योंकि मुझे यह ज्ञात था कि हम केवल उन्हीं के माध्यम से अपने आबर्ज़वेशन्स माननीय अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा साक्षी का ध्यान उनके मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र की धारा 5 पर आकृष्ट किया साक्षी ने अपने शपथ पत्र के पेज 3 व 4 पर दिये गये इस धारा को पढ़ने के बाद प्रश्न किये जाने पर बताया कि यदि किसी उत्खनन के दौरान मौक़े पर बोन्स पायी जाती हैं तो वह कई सम्भावनाओं की तरफ़ इशारा करती हैं। इन सम्भावनाओं में यह हड्डियाँ मनुष्यों की भी हो सकती है और जानवरों की भी । मनुष्यों की हड्डियां कुछ विशेष संदर्भों में ही पायी जा सकती है जिनकी सम्भावना यहां पर दिखाई नहीं देती है। इसलिए जानवरों की हड्डियों का होना अधिक सम्भव प्रतीत होता है। जानवरों की हड्डियों की उपस्थिति उत्खनन स्थल के बड़े भू-भाग में इस तरफ़ इशारा करती हैं कि यहां पर रहने वाले लोगों के द्वारा इन जानवरों को खाया जाता था।

प्रश्न-- मेरा सवाल यह था कि किसी स्थान पर उत्खनन के दौरान हड्डियाँ पायी जाती हैं, तो वह किस बारे में संकेत करती हैं?

उत्तर- उत्खनन के दौरान हड्डियों का पाया जाना इस तरफ़ इशारा करता है कि हड्डियाँ मनुष्यों की भी हो सकती हैं और जानवरों की भी हो सकती हैं।

प्रश्न- अगर किसी उत्खनन स्थान पर हड्डियाँ पायी जायें तो आपके द्वारा बताये गये उपरोक्त उत्तर के अनुसार कोई रिपोर्ट इस आधार पर तेयार की जा सकती है कि वहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ हो सकती हैं और मनुष्य की भी हड्डियाँ हो सकती हैं?

उत्तर - मैंने यह जवाब उपरोक्त पूछे गये सवाल के उत्तर में दिया था लेकिन जहां तक इस सवाल का जवाब है,इसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि

केवल मात्र हड्डियों के उपस्थित होने मात्र से या पाये जाने मात्र से कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है। रिपोर्ट लिखने के लिए उक्त उत्खनित स्थल पर पाये जाने वाली हड्डियों का वैज्ञानिक विश्लेषण अति आवश्यक होता है ,जो इस रिपोर्ट में नहीं करवाया गया है।

प्रश्न- हड्डियों के वैज्ञानिक विश्लेषण से किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है?

उत्तर- हड्डियों के वैज्ञानिक विश्लेषण से यह निर्धारित किया जा सकता है कि अमुक हड्डियाँ मनुष्यों की हैं या जानवरों की हैं। अगर यह हड्डियाँ जानवरों की हैं तो यह देखने की कोशिश की जाती है कि कौन से जानवरों की यह हड्डियां है ,उन जानवरों की आयु क्या रही है। उन जानवरों को या उनकी हड्डियों को यहां कैसे लाया गया । क्या यह हड्डियाँ कटी हुई हैं या जली हुयी है, आदि-आदि बातों का विश्लेषण किया जाता है।

वैज्ञानिक विश्ले से पता चल सकता हे कि वह किसकी है आयु कितनी है वह जानवर पालतू है या जंगली है। वह जानवर टूर्बी बोरस है या आमनी बोरस है। विवादित स्थल के अतिरिक्त मैंने किसी ऐसे उत्खनन में भाग नहीं लिया जिसमें हड्डियाँ पायी गयी हों जिनका विश्लेषण करवाया गया हो और उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हो लेकिन एक पुरातत्व का विद्यार्थी होने के नाते मुझे अनेक उत्खनित स्थलों की आंशिक व सम्पूर्ण रिपोर्टर्स का अध्ययन करने का अवसर अवश्य मिला है।

प्रश्न - किसी ऐसे उत्खनित स्थल का नाम बताएं जहाँ पर उत्खनन के दौरान हड्डियाँ मिली हों , उनका विश्लेषण किया गया हो तथा उसके आधार पर उत्खनन रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष हड्डियों को आधार पर दिया गया हो ?

उत्तर - ऐसे स्थलों में मोटे तौर पर सराय नाहर राय , महादाय, चौपानी माण्डो तथा चिरान्ह हैं ।

मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि उपरोक्त चारों स्थल जहाँ पर खुदाई के दौरान हड्डियाँ मिली थीं , उन हड्डियों के विश्लेषण के उपरान्त कौन सी विशेष रिपोर्ट मिली थी , परन्तु मोटे तौर पर " इण्डियन आर्कियोलाजी - ए रिव्यू " में इनके विषय में समय - समय पर प्रकाशित होता रहा है । रिपोर्ट के बारे में मुझे यह मालूम है कि उसमें क्या है । उपरोक्त चारों स्थलों की उत्खनन रिपोर्ट की हड्डियों का अध्ययन करने के उपरान्त यह बताया गया कि इन हड्डियों में जंगली जानवरों की हड्डियों की संख्या अधिक रही है और इन जानवरों का प्रयोग खाद्यापूर्ति के लिए इस काल के मानव ने किया है । उपरोक्त दोनों तथ्यों के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में और बहुत सी बातों का उल्लेख रहा होगा , जिनकी इस समय मैं चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूँ । ऐसी बात नहीं है इन तथ्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है , इसलिए इनको बता पाने के सम्बन्ध में मैंने इस समय असमर्थता व्यक्त किया है । मैं इसके बारे में बता सकता हूँ , परन्तु इससे मेरा बयान बहुत लम्बा हो जाएगा। यह कहना ग़लत है कि चूंकि मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है , इसलिए मैं बयान के लम्बे होने का बहाना बताकर इस बारे में संक्षेप में नहीं बता रहा हूँ । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में हड्डियों की जिस तरह से उपेक्षा की गई , उस पर हमारी एक महत्वपूर्ण आपत्ति है , जिसमें इससे सम्बन्धित अन्य सभी आपत्तियाँ सम्मिलित हो जाती हैं । मेरा यह कहना नहीं है कि हड्डियों के रसायनिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि ये हड्डियाँ जानवरों की हैं या अन्य किसी की , बल्कि हड्डयों के रसायनिक विश्लेषण कराने से और भी बहुत से तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है , जिसमें से कुछ के बारे में मैं ऊपर अपने बयान में बता चुका हूँ ।

प्रश्न - किसी उत्खनन स्थल पर मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियाँ पाए जाने से आपकी दृष्टि में इनका क्या पुरातात्विक महत्व है ?

उत्तर - उत्खनन के दौरान किसी स्थल पर मनुष्य की हड्डियाँ यदि पाई जाती हैं , तो उसके संदर्भ के हिसाब से अलग - अलग महत्व होते हैं और अगर जानवरों की हड्डियाँ खुदाई के दौरान पाई जाती हैं , तो मोटे तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग जानवरों का प्रयोग अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे । यदि मनुष्यों की हड्डियों के पाए जाने की चर्चा की जाए , तो इस बारे में यह देखे जाने की आवश्यकता है कि मनुष्य की हड्डियाँ मलवे के नीचे दबी हुई मिली हैं या घर या रास्ते में बिखरी हुई मिली हैं या मनुष्य की हड्डियों को नियमानुसार दफ़नाया गया है। इनके सम्बन्ध में जैसे - जैसे संदर्भ बदलता है , वैसे - वैसे इनके अलग - अलग निष्कर्षों की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं ।

अयोध्या के उत्खनन से कई मानव स्केल्टन भी प्राप्त हुए थे , परन्तु उनकी निश्चित संख्या नहीं बता सकता । मेरी मौजूदगी में भी दो - तीन ग्रेब्ज़ में इस तरह के स्केल्टेन प्राप्त हुए थे । ये स्केल्टन किस लेविल पर प्राप्त हुए थे , इसका मुझे ज्ञान नहीं है । ये स्केल्टन किस दिशा में तथा किस क्षेत्र में मिले थे , यह मुझे याद नहीं है । ये स्केल्टन उस उत्खनन स्थल के दक्षिण - पश्चिम दिशा की तरफ़ थे । दक्षिण - पश्चिम की तरफ़ दो स्थानों में स्केल्टन के मिलने के बारे में मुझे याद है । स्केल्टन्स के क़ब्रों में मिलने के सम्बन्ध में कोई भ्रम होने की बात नहीं थी । मुझे ठीक से यह याद नहीं आ रहा है कि रोड लेविल से कितनी गहराई में ये स्केल्टन मिले थे । स्केल्टन्स को मैंने खुदाई स्थल पर आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व देखा था । यह कहना ग़लत है कि मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि तीन वर्ष पूर्व देखी गई बात को मैं याद नहीं रख सकता , लेकिन खुदाई में इतना साक्ष्य मिला है कि यदि सभी का इस तरह का विस्तृत विवरण पूछा जाए , तो वह मानवीय आधार पर बताया जाना सम्भव नहीं है । यह कहना सही नहीं है कि

अपने मुख्य - परीक्षा के शपथ - पत्र को तैयार करते समय ऐसी बहुत सी बातें थीं , जो मेरे ज़ेहन में नहीं थीं , क्योंकि इस तरह का बयान तैयार करते समय ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य और वर्तमान व्यवहारिक अनुभव महत्वपूर्ण होता है । मैंने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र की धारा - 5 के अंश "बोन फ्रैगमेंट्स आफ़ लार्ज एण्ड मीडियम साईज़..... ऐट द साईट ऐट द टाईम" ये जो बातें लिखी हैं , उसको मैंने हड्डियों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर नहीं लिखा है , बल्कि मात्र हड्डियों को देखकर अपने अनुभव के आधार पर लिखा है । यह कहना सही है कि मात्र कुछ हड्डियों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे हड्डियाँ मनुष्य की हैं अथवा जानवरों की । हड्डियों की इस समस्या के निपटारे के लिए ,इसीलिए ए0 एस0 आई0 के लिए अति आवश्यक था कि इनका वैज्ञानिक विश्लेषण कराते । यह कहना सही है कि समस्या के निपटारे के लिए मैंने अपने अनुभवों के आधार पर हड्डियों के बारे में अपना निष्कर्ष दिया है । विवादित स्थल से जो हड्डियाँ प्राप्त हुई थीं , वहाँ के संदर्भ में हड्डियों का विश्लेषण कराया जाना नितान्त आवश्यक था । किसी अन्य स्थान के सम्बन्ध में यह स्थिति भिन्न हो सकती थी ।

प्रश्न - इस विवादित स्थल पर उत्खनन के दौरान जो हड्डियाँ पाई गईं , उन हड्डियों के संदर्भ में वैज्ञानिक विश्लेषण नितान्त आवश्यक था या नहीं ?

उत्तर - वैज्ञानिक विश्लेषण नितान्त आवश्यक ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट लिखने वालों के लिए था ।

ए0एस0आई की इस रिपोर्ट के लिए इस विवादित स्थल के उत्खनन के बाद यहाँ पर पायी गयी हड्डियो का वैज्ञानिक विश्लेषण इसलिए आवश्यक था कि यह स्थल दो धार्मिक समुदायों के बीच विवाद का विषय रहा है। अतःउत्खनन में जो भी सामग्री मिल रही थी, उसका वैज्ञानिक

विश्लेषण इस स्थल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक था। हड्डियो के वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती थी कि यहाँ पर प्राप्त हड्डियों से संबंधित पशुओं का माँस सामान्य जन मानस के द्वारा भोजन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था या किसी विशेष अवसर पर जानवरों के मांस का प्रयोग भी किया जाता था। यह कहना ग़लत है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है कि जिससे यह बताया जा सके हड्डियों का किन अवसर पर प्रयोग किया गया है। निश्चित तौर पर मैं हड्डियो के वैज्ञानिक विश्लेषण करने का वैज्ञानिक नहीं हूँ।

प्रश्न- आपको ऐसे किसी रसायनिक प्रक्रिया अथवा वैज्ञानिक विश्लेषण की जानकारी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हड्डियों का किन परिस्थियों में किया गया है और किन अवसरों पर किया या है?

उत्तर- यह कहना तो उचित होगा कि मैं रसायनिक वैज्ञानिक नहीं हूँ लेकिन एक पुरातत्व का विद्यार्थी होने के नाते विश्लेषण की जो अन्य विधायें हैं उनका ज्ञान मुझे हैं। जिनका प्रयोग करने के परिणामस्वरुप उपरोक्त सवालों का जबाब दिया जा सकता है।

प्रश्न- क्या यदि जानवरों को खाने के लिए उन्हें मारा गया है या किसी अन्य प्रयोजन से उन्हें मारा गया है तो क्या दोंनों प्रकार से मारने की कोई भिन्नता होगी और क्या हड्डियों में अन्दर कोई परिवर्तन आयेगा?

उत्तर- उपरोक्त दोनों उद्देश्यों के लिए जानवरों का जो वध किया जाता है उसकी पुरातत्व में अलग -अलग पहचान होती है और हड्डियो में भी पुरातात्विक विश्लेषण के आधार पर अन्तर देखा जा सकता है।

जहाँ तक विशेष अवसर पर पशु या पशुओं का वध करने की अवस्था होती है उसमें एक ख़ास तरह के या कुछ ख़ास तरह के पशुओं का ही वध किया जाता है ऐसा वध एक ख़ास स्थल पर किया जाता है और ऐसी स्थित

में उनकी हड्डियों का पाया जाना किसी विशेष स्थल से सबंधित हो सकता है परन्तु अगर जानवरों का वध दिन प्रतिदिन खाद्य सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाये तब इन जानवरों की हड्डियो में अनेक तरह के जानवरों की हड्डियाँ मिलने की संभावना अधिक होती है और ठीक वैसे ही उस स्थल पर रहने वाले व्यक्तियों के निवास में या उसके आस-पास इन हड्डियों का बराबर पाया जाना संभव होता है। खाद्य सामग्री के लिए जिन जानवरों का वध किया जाता है, वे जानवर पालतू भी हो सकते है और जंगली भी , इन हड्डियों के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त हो सकती है कि कितने प्रकार के पालतू व कितने प्रकार के जंगली जानवरों की प्रजातियाँ उस समय उपस्थित थीं और उनका भोजन के लिए प्रयोग किया जाता था। उपरोक्त के अतिरिक्त कोई और बात मुझे इस समय याद नहीं आ रही है।

की भिन्नता के आधार पर जानवरों की काटने की प्रक्रिया में अन्तर हो सकता है। एक पुरातत्ववेत्ता हड्डियों को देखकर बता सकता है कि किन जानवरों को हलाल करके मारा गया है अथवा झटके से उसे मारा गया है। इस समय इस बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अधार पर यह कहा जाता है कि झटका या हलाल से जानवर को मारने के बाद गर्दन की हड्डियों को देखकर भी यह बताया जा सकता है कि मारने में किस विधि का प्रयोग किया गया है परन्तु प्राचीन काल में ,आज जानवर को काटने की जो विधि प्रचलित है और जिन उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए जानवर काटे जाते हैं, यह ज़रुरी नहीं है कि पहले भी ऐसा रहा हो। जानवर काटते समय दो प्रकार की विधियाँ महत्वपूर्ण रहती है, एक में जानवर को झटके के साथ काट दिया जाता है तथा दूसरे में उसको धीरे धीरे काटा जाता है जानवर को मारने की यह दो प्रमुख विधियाँ प्राचीन काल में भी रही होंगी। हो सकता है कि उन विधियों का वह नाम न रहा हो जो आज प्रचलित है। पुरातत्व की

दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण रहता है कि जानवर को किस औज़ार से काटा गया है वह औज़ार प्रहार व तकनीक की दृष्टि से अगर बहुत विकसित है तब उसकी सहायता से एक प्रहार में भी जानवर के शरीर के एक हिस्से को काटा जा सकता है अन्यथा नहीं। ज़ाहिर है कि औज़ार से ही जानवर का वध किया जाता है इस संदर्भ में हथियार की उपयोगिता ध्यान दिये जाने योग्य होती है। यदि हथियार उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए है तब तो यह ठीक ही है परन्तु यदि ऐसे हथियार उत्खनन के दौरान न मिले हों, तब भी यह जानना ज़रुरी है कि जानवर को मारने के लिए किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया और उस काल मे हथियार बनाने की तकनीक के विकास का स्तर क्या था। मै यह नहीं मान सकता हूँ कि विवादित स्थल पर उतखनन कराये जाने का जो न्यायालय का आदेश था उस संदर्भ में यह जानना अवश्यक नहीं था कि उत्खनन स्थल पर जो हड्डियाँ प्राप्त हुईं,उससे संबंधित जानवर को किस हथियार से मारा गया था क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा खुदाई का आदेश व खुदाई करने का निर्देश भारतीय पुरातत्व विभाग को दिया गया था इसलिए पुरातत्व विभाग के उत्खननरत पुरातत्ववेत्ताओं की यह सब जानने की जिम्मेदारी थी। मुझे इस बारेमें कुछ जानकारी है कि न्यायालय ने विवादित स्थल पर उत्खनन किये जाने के संबंध में क्या आदेश दिये थे तथा उस उत्खनन के द्वारा क्या जानकारी हासिल की जा सकी, इसी आदेश में इन सब बातों का ध्यान रखने की बात भी निहित थी। मेरी जानकारी के अनुसार माननीय न्यायालय का यह आदेश था कि जो विवादित स्थल है उस पर जी0पी0आर0सर्वे की जो रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में जो ऐनामिलीज़ की तरफ़ संकेत किया गया था उसके आधार पर इस स्थल की खुदाई करने का निर्देश दिया गया । इसमें यह भी तय करना था कि इन ऐनामिलीज़ को लेकर जो दावा किया जा रहा है ,वह कहाँ तक उचित है। मैंने इस तरह का

दिशा निर्देश पढ़ा नहीं ,परन्तु यह बातें मैंने अपनी जानकारी के आधार पर बताया है। न्यायालय के इस आदेश के बारे में मैंने सुना था, मैंने न्यायालय के आदेश को पढ़ा नहीं है। ए0एस0आई की रिपोर्ट में न्यायालय के आदेश के संबंध में सही सही किस भाषा का प्रयोग किया गयाहै वह इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आपस में जो चर्चा होती थी, उसी के आधार पर मैंने यह बताया है कि न्यायालय के आदेश में क्या निहित है। न्यायालय के आदेश में यह कहीं नहीं लिखा है कि खुदाई के समय किन बातों का ध्यान नहीं दिया जायेगा। उच्च न्यायालय का खुदाई के संबंध में वास्तविक दिशा निर्देश क्या था, वह मैंने पढ़ा नहीं है। यह बात पहले ही ऊपर अपने बयान में बता चुका हूँ। मैं अपने बयान में आज ही यह बता चुका हूँ कि यदि उत्खनन स्थल पर मानव हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, किन संदर्भों में उनके मिलने की संभावना रहती है। यदि उत्खनन स्थल पर मलबे के नीचे मानव हड्डियाँ अथवा अस्थि पंजर मकान के अन्दर मिलता है तो उसका एक संदर्भ और अर्थ होता है और अगर मानव अस्थि पंजर कहीं गली या अन्य सार्वजनिक स्थल पर मिलता है तो उसका एक संदर्भ होता है । मानव की अस्थियों को विधिवत् रुप से अगर दफनाया जाये तो उसका एक संदर्भ और अर्थ होता है और अगर मानव अस्थि पंजरों को दो,तीन,चार आदि की संख्या में एक साथ दफ़नाया जाये तो वह एक अलग संदर्भ होता है तथा मनुष्य के अस्थि पंजर को एक साथ एक स्तर पर अलग - अलग क़ब्रों में यदि दफ़नाया जाये तो उसका संदर्भ और अर्थ अलग होता है । विवादित स्थल पर जो मानव स्केल्टन प्राप्त हुए थे वह क़ब्रों में थे और उनको देखकर ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वहाँ पर रहने वाले किसी या किन्ही महत्वपूर्ण व्यक्ति या व्यक्तियों को दफ़नाया गया है और जहाँ तक इनके संदर्भ की बात है केवल मात्र एक दो या तीन इस तरह की अस्थियों को क़ब्रों में देखकर यह

तो नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर कोई ग्रेव यार्ड रहा था। इस बात के बारे में कुछ व्यक्तियों की हत्या करके विवादित स्थल पर दफ़ना दिया गया था या नही इसको वैज्ञानिक विधियों से जॉचने के बाद ही बताया जा सकता है। जहाँ तक इस तरह के संभावना की बात है उससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

3.7.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनाँक - 4.7.2006 को प्रस्तुत हो।

(हरिशंकर दूबे) 3.7.2006

आयुक्त

3.7.2006

समक्षः- आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ खण्डपीठ ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक - 4.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 03.07.2006 के क्रम में पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0 सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या 4/89 में प्रतिवादी संख्या 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जारी)

यदि किसी स्थान पर कोई स्ट्रक्चर रहा हो और उन स्थानों पर खुदाई करने पर हड्डियाँ प्राप्त हों तो उन हड्डियों व स्ट्रक्चर में पारस्परिक संबंध स्थापित किया जा सकता है। खुदाई के दौरान यह देखने की ज़रूरत होती है कि उस स्ट्रक्चर में हड्डियाँ किस स्तर व संदर्भ में मिल रही हैं। इन हड्डियों का स्ट्रक्चर से संबंध जानने के लिए यह आवश्यक होता है कि उत्खननकर्ता यह मालूम करे कि जिस डिपाज़िट की स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई हो रही है , वह साधारण डिपाज़िट है या नहीं। अगर यह साधारण डिपाज़िट है तो खुदाई के दौरान हड्डियाँ फ़र्श के ऊपर मिल रही हैं कि फ़र्श के ऊपर वाली पट्टी में मिल रही हैं, ऐसी स्थिति में यह संभावना बहुत प्रबल हो जाती है कि हड्डियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का संबंध उस स्ट्रक्चर से रहा है। निश्चित तौर पर स्ट्रक्चर का नेचर अवधारित करने के लिए हड्डियों का महत्व होता है। इस प्रकार की अनेक रिपोर्ट्स पुरातत्व में प्राप्त होती हैं,

जिनमें हड्डियों के आधार पर स्ट्रक्चर के नेचर को बताया गया है। हड्डियों के मिलने मात्र से किसी स्ट्रक्चर का नेचर हड्डियों के संदर्भ में बताया जा सकता है। स्ट्रक्चर की बनावट के बारे में हड्डियों के आधार पर नहीं बताया जा सकता । वह तो केवल स्ट्रक्चर के अवशेषों को देखकर बताया जा सकता है। हड्डियों को देखकर भी यह नहीं बताया जा सकता कि स्ट्रक्चर की बनावट किस प्रकार की रही होगी। हड्डियों को देखकर वहां रहने वाले लोगों के फ़ूड हैबिट तथा वहाँ की गतिविधियों के बारे में बताया जा सकता है। इनके अलावा हड्डियों के आधार पर फूड हैबिट तथा गतिविधियों के अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर स्ट्रक्चर की बनावट के आकार - प्रकार के बारे में नहीं बताया जा सकता। यह कहना सही है कि विवादित स्थान पर स्ट्रक्चरल एक्टीविटीज़ को जानने के लिए हड्डियों का महत्व नहीं है। किसी नेचुरल लेयर में हड्डियों तथा ह्यूमन आर्टीफ़ैक्ट्स के पाये जाने की सम्भावना रहती है। जहाँ पर खुदाई के दौरान यह पाया जाता है कि निरन्तर मानव गतिविधियों के अवशेष उपस्थित हैं,ऐसी परत,स्तर या लेयर को मानव गतिविधियों द्वारा निर्मित लेयर या पर्त कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ प्राकृतिक लेयर्स में भी मानव गतिविधियों के कुछ स्कैटर्ड अवशेष मिलने की सम्भावना रहती है। अगर इस तरह के अवशेष किसी प्राकृतिक स्तर में मिलते हैं तो यही कहा जा सकता है कि यह मानव निर्मित अवशेष प्राकृतिक शक्तियों की गतिविधियों या कुछ आइसोलेटेड मानवीय गतिविधियों के प्रतीक हैं। विवादित स्थल पर खुदाई के दौरान जो हड्डियाँ पायी गयीं, वह दोनों प्रकार के संदर्भों अर्थात् क्रमबद्ध स्तरों में भी पायी गयी तथा पिट फिलिंग के रूप में भी पायी गयीं। मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा कि विवादित स्थल पर हुई खुदाई में जो न्यूनतम प्राकृतिक स्तर है उनमें भी हड्डियाँ पायी गयीं या नहीं। मैं यह

नहीं बता पाऊँगा कि हड्डियाँ किन किन स्तरों पर पायी गयीं । इसके बारे में मैं रिपोर्ट देखकर ही बता पाऊँ गा लेकिन खुदाई के दौरान ऊपर से नीचे तक विभिन्न स्तरों में किसी न किसी रूप में हड्डियाँ मिलती रही हैं। नेचुरल लेयर से हड्डियाँ नहीं पायी गयीं। जहां तक मुझे याद आ रहा है कुषाण काल के बाद के स्तरों में हड्डियाँ खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। हड्डियाँ अर्ली मिडिवल पीरियड ,सल्तनत पीरियड और ऊपर के स्तरों में पायी गयी हैं। अर्ली मिडिवल पीरियड से मेरा तात्पर्य 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक से है। यदि हड्डियाँ विभिन्न स्तरों पर पायी जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिन कालों के स्तरों से यह हड्डियाँ मिल रही हैं, उन्हीं कालों से इनका संबंध भी रहा है। विवादित स्थल पर स्ट्रक्चरल एक्टीविटीज़ की शुरूआत मेरी जानकारी के अनुसार कुषाण काल से प्रारम्भ होती है और उसके बाद के कालों में किसी न किसी रूप में चलती रही हैं। निश्चित तौर पर विवादित स्थल पर जो " विवादित भवन " था उसे " वर्जिन लैण्ड" पर नहीं बनाया गया था। जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया है विवादित भवन जिस स्थान पर बनाया गया ,उस भवन के स्थल पर निर्माण गतिविधियाँ कुषाण काल से प्रारम्भ होकर पाश्चात् के कालों में किसी न किसी रूप में चलती रही हैं। पाश्चात् काल से मेरा तात्पर्य गुप्त काल ,अर्ली मिडिवल पीरियड,सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड व बाद के कालों से है। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि विवादित स्थल पर जो निर्माण या भवन रहे होंगे उन्हें तोड़ा भी गया होगा ,क्योंकि खुदाई के दौरान किसी भी पूर्व कालीन स्ट्रक्चर के विध्वंस के कोई अवशेष नहीं मिले हैं।

प्रश्न- आपने अपने बयान में ऊपर बताया है कि कुषाण काल के पश्चात् विवादित स्थल पर किसी न किसी प्रकार की स्ट्रक्चरल एक्टीविटीज़ रही है,किन अवशेषों के आधार पर आपने इस बारे में बताया है?

उत्तर - उत्खनन के दौरान भवन निर्माण से संबंधित जो अवशेष प्राप्त हुए जिनमें ईंटे ,दीवारें, फ़र्श ,टाइल्स आदि अवशेष मिले हैं उन्हीं के आधार पर मैंने इस बारे में कहा है। यह कहना सही है कि इनके निर्माण से संबंधित अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं।

मैं अभी इस समय नहीं बता पाऊँगा कि विवादित स्थल पर खुदाई के दौरान किन - किन लेयर्स में कहाँ- कहाँ पर हड्डियाँ प्राप्त हुईं। मैंने अपने बयान में केवल यह बताया है कि ह्यूमन एक्टीविटीज़ की वजह से कुछ आर्टीफ़ैक्ट्स नेचुरल लेयर में पाये जा सकते हैं। मैंने अभी ऊपरी लेयर या अन्य लेयर्स के बारे में कभी नहीं कहा है। हर चीज़ को पूरी तौर पर इन्कार नहीं किया जा सकता है । ह्यूमन एक्टीविटीज़ की वजह से आर्टीफ़ैक्ट्स या हड्डियां नेचुरल लेयर के अतिरिक्त अन्य लेयर में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु इस संदर्भ में यह जानने की ज़रूरत होती है कि किन लेयर्स के संबंध में बात की जा रही है। हड्डियों के किसी लेयर में पाये जाने अथवा न पाये जाने की ख़ास वजह होती है और पुरातत्व की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी बिन्दु है। नीचे की लेयर्स की सामग्री ऊपर की लेयर्स में आ सकती है, परन्तु ऊपर की लेयर्स की सामग्री नीचे की लेयर्स में क्रमबद्ध रूप से मिलना असम्भव होता है। नीचे की सामग्री ऊपर में जा सकती है परन्तु ऊपर की लेयर की सामग्री नीचे की लेयर्स में नहीं जा सकती। नीचे की लेयर्स से मेरा तात्पर्य अर्ली लेयर्स या पहले की लेयर से है। ऊपर की लेयर्स से कुछ विशेष परिस्थितियों में मानव की खुदाई के गतिविधियों के परिणामस्वरूप ऊपरी लेयर की सामग्री नीचे की लेयर्स में जा सकती है, परन्तु इस तरह की सामग्री को नीचे की लेयर्स का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता है। यह केवल मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप इनक्लूजन के रूप में ही देखा जा सकता है।

रैटहोल एक्टीविटीज़ के द्वारा भी कुछ छोटी - मोटी चीज़ें ऊपर की पर्तो से नीचे वाली पर्तों में जा सकती हैं परन्तु इस स्थिति में उत्खननकर्ता के लिए यह पहचान कर लेना अति आवश्यक होता है । यह कहना ठीक है कि हिन्दू धर्म में शक्ति उपासना करने वाले लोग जानवरों की बलि देते हैं। जानवरों में भेड़ - बकरी,तथा बकरा आदि की बलि होती है, अन्य जानवरों की बलि के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि बहुत से साधु - सन्यासी भूमि के अंदर समाधि ले लेते हैं अथवा नहीं। मैंने इस बारे में न तो कहीं पढ़ा है और न सुना है और न ऐसा होते हुए मैंने देखा है।

विद्वान जिरहकर्ता द्वारा साक्षी का ध्यान उनकी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र की धारा-6 की ओर आकृष्ट किया गया तथा निम्न प्रश्न पूछा गया -

प्र0- आपने अपने शपथ पत्र की धारा-6 में ग्लेज़्ड वेयर तथा मुस्लिम ग्लेज़्ड वेयर का उल्लेख किया है । क्या इन दोनों प्रकार के ग्लेज़्ड वेयर में कोई अन्तर होता है ?

उ0- मैंने इस सन्दर्भ में जिस " ग्लेज़्ड वेयर" तथा " मुस्लिम ग्लेज़्ड वेयर" नामक शब्दावली का प्रयोग किया है, उससे मेरा तात्पर्य मुस्लिम काल के ग्लेज़्ड वेयर से ही है ।" मुस्लिम ग्लेज़्ड वेयर" शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इस तरह के वेयर्स को बनाने की तकनीक का विकास इस्लाम धर्म के अनुयाइयों के द्वारा अरब देशों में ईजाद किया गया है और उसके परिणामस्वरुप भारतवर्ष में जैसे-जैसे इस धर्म के अनुयायी लोगों का इण्टरऐक्शन बढ़ता गया, वैसे-वैसे इस तरह के वेयर्स का प्रयोग भी बढ़ा।

मुस्लिम मतावलम्बियों द्वारा ग्लेज़्ड वेयर की तकनीक की ईजाद भी गयी तथा उन्हीं के द्वारा इसका प्रयोग भी किया जाता रहा है । भारत में इस तरह के ग्लेज़्ड वेयर्स का प्रयोग 8वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है ।

ग्लेज़िंग की जो टेकनिक कुषाणकाल में प्रचलित थी, उस तकनीक तथा 8वीं शताब्दी से विकसित हुए ग्लेज़्ड वेयर्स की तकनीक में अन्तर था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मोहनजोदड़ो के समय से ही ग्लेज़िंग की तकनीक भारत में विकसित हो गई थी अथवा नहीं । कुषाणकाल में ग्लेज़्ड वेयर्स थे, परन्तु उनके बनाने की तकनीक 8वीं शताब्दी से प्रचलित ग्लेज़्ड वेयर्स की तकनीक से भिन्न थी ।

प्र0- तो क्या ग्लेज़िंग की तकनीक के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इस तकनीक को विकसित करने में अरब कंट्रीज़ के लोंगों द्वारा मूल रुप से योगदान नहीं था, बल्कि यह भारत में पहले से प्रचलित थी ?

उ0- यह तो कहा जा सकता है कि भारत में ग्लेज़िंग की तकनीक का ज्ञान कुषाणकाल में था, परन्तु इस तकनीक के विकास का पश्चात् काल में कोई क्रमबद्ध सिलसिला नहीं है और ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल रुप से इस तकनीक का विकास भारत में हुआ और इसी जानकारी के आधार पर अरववासियों ने इसे आगे विकसित किया ।

यह हो सकता है कि अरब देशों में ग्लेज़िंग की कला इस्लाम धर्म के शुरु होने के पूर्व से प्रचलित रही हो, इसकी मुझे जानकारी नहीं है और जिस ग्लेज़्ड वेयर की मैंने अपने शपथ - पत्र में चर्चा की है, उसका विकास इस्लाम धर्म के अनुयाइयों के द्वारा ही किया गया था । यह कहना उचित नहीं होगा कि ग्लेज़्ड वेयर्स और ग्लेज़्ड पॉटरीज़ भारत में इस्लाम के प्रारम्भ होने के बाद सभी धर्म के अनुयाइयों ने प्रारम्भ कर दिया था और ख़ासतौर पर मंदिरों में भी इसका प्रयोग अपनाया जा चुका था । यह कहना ग़लत है कि ग्लेज़्ड वेयर्स तथा ग्लेज़्ड पाटरी का प्रयोग भारतवर्ष में हर वर्ग के लोग करते थे । अभी तक भारतवर्ष के क्षेत्रों में जो उत्खनन किये गये हैं, उनमें मेरी जानकारी के मुताबिक़ इस पॉटरी का प्रयोग न तो हिन्दू मंदिरों में होता था

और न ही सामान्य हिन्दू जनमानस के द्वारा किया जाता था । विवादित स्थल को छोड़कर अन्य किसी उत्खनन में इस तरह की पॉटरी का प्रयोग हिन्दू मंदिरों में या हिन्दू बस्तियों में नहीं देखा है और ऐसा किसी रिपोर्ट में भी पढ़ने को नहीं मिला है ।

प्र0- आप हिन्दू मंदिरों से विशेष रुप से नाराज़ रहते हैं तथा हिन्दू शब्द तथा हिन्दू मंदिरों से आपको एलर्जी है, इसलिए आप हर उत्तर में हिन्दू मंदिर का इस्तेमाल करते हैं तथा हर प्रश्न के उत्तर में मंदिर को आप बीच में ले आते हैं । मेरा प्रश्न मात्र यह था कि किसी अन्य स्थान के उत्खनन में आपने इस तरह की पॉटरीज देखी हैं अथवा नहीं । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- यह कहना ठीक नहीं है कि मुझे हिन्दू धर्म से एलर्जी है और मैं जानबूझकर हिन्दू धर्म व हिन्दू मंदिर बीच में ले आता हूँ । सवाल के सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ ।

मैंने किसी और उत्खनन में इस प्रकार की पॉटरीज़ का प्रयोग नहीं देखा है । सिंध प्रान्त में अर्ली मिडिवियल पीरियड के लैम्बा आदि कुछ स्थान हैं, जहां पर इस प्रकार की पाटरी पाये जाने के प्रकाशन उपलब्ध हैं और उन्हीं के माध्यम से यह जानकारी मुझे मिली है कि इस प्रकार की पॉटरीज का प्रयोग पहली बार भारत के क्षेत्रों में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा किया गया है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरम्भ से लेकर अब तक ग्लेज़्ड वेयर्स या पॉटरीज़ का प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाता रहा है ।

कुलम्बा को सिंध में बस्ती है और यहाँ पर एक मस्जिद भी है इस स्थान पर यह पाटरी इस्लामिक काल में प्रयोग होती थी। इसके पहले के कालों में इस पाटरी के प्रयोग के कोई प्रमाण नहीं बताये गये हैं इसलिए यह माना जाता है कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों के द्वारा इस तरह की पाटरी

का प्रयोग पहली बार इस क्षेत्र अर्थात् सिंध क्षेत्र में किया गया। लगभग सभी इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता यह मानते हैं कि इस पाटॅरी की ईजाद व प्रयोग इस्लाम धर्म के अनुयायियों के द्वारा ही किया गया। सामान्य तौर पर इतिहास में जो तकनीकी विकास का सिलसिला है उसके अनुसार भी यही माना जाता है कि ग्लेज़्ड पाटरी की ईजाद व प्रयोग इस्लाम धर्म के अनुयायियों के द्वारा ही किया गया है। मैंने ग्लेज़्ड पाटरी के तकनीकी विकास की जानकारी प्राप्त नही की अपितु इतिहास के माध्यम से यह जाना कि इस पाटरी के बनाने की तकनीक का विकास इस्लाम के अनुयायी अरबवासियों के द्वारा ही किया गया। यह तकनीक किसके द्वारा विकसित हुई इसकी जानकारी मुझे है परन्तु यह मुझे जानकारी नहीं है कि यह तकनीक किस प्रकार विकसित हुई। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत में शुरु में ग्लेज़्ड वेयर इसी देश में बनाया जाता था अथवा इनको बाहर के किसी देश से मंगाया जाता था। मैंने पर्सी ब्राऊन का नाम सुना है । मैंने पर्सी ब्राऊन के इस विचार के बारे में कहीं पर नहीं पढ़ा है कि ग्लेज़्ड वेयर शुरु में परसिया से ही आते थे परन्तु इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि इस प्रकार की पाटरी शुरु में परसिया से स्थल मार्गों के माध्यम से इस देश में आयी हो। चूंकि मस्जिदों तथा मुस्लिम बस्तियों से ही ग्लेज़्ड पॉटरीज़ के उपयोग के चिन्ह प्राप्त हुए है अतएव उसी के आधार पर मेरा यह मानना है कि ग्लेज़्ड पॉटरीज़ का प्रयोग मुस्लिम मतावलम्बियों के द्वारा ही किया जाता रहा है। मैने अपने बयान में यह बताया है कि लम्बा आदि की खुदाई के दौरान इस प्रकार की पाटरी प्राप्त हुई थीं अतएव लम्बा के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों की खुदाई में ग्लेज़्ड पाटरीज़ मिली थी। इन उत्खननो में हिस्सा नहीं लिया परन्तु इनसे संबंधित रिपोर्ट में मैनें इस बारे में पढ़ा था। कुलम्बा की उत्खनन रिपोर्ट के अतिरिक्त मैंने अन्य स्थानों की उत्खनन रिपोर्ट को भी

Sharma

इस बारे में पढ़ा है परन्तु वह रिपोर्ट किन स्थानों के उत्खनन से संबंधित है उनके नाम इस समय याद नहीं है। इसके साथ मैंने कोई उत्खनन की रिपोर्ट ऐसी नहीं पढ़ी है जिसमें यह बताया गया हो कि मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के अतिरिक्त और उनके अपने स्थानों के अतिरिक्त इस पॉटरी का प्रयोग इस काल में अन्य लोगों के द्वारा भी किया जाता रहा हो।

प्रश्न- आप किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं जिसमें यह लिखा हो कि ग्लेज़्ड पाटरी का प्रयोग मुस्लिम मतावालम्बियों के अतिरिक्त अन्य वर्गो के लोगों के द्वारा नहीं किया जाता था इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- उत्खनन की ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

यह मुझे पता है कि लम्बा के उत्खनन की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी। "लम्बा आदि स्थानों की उत्खनन रिपोर्ट" साऊथ ऐशियन आर्कियोलाजी" नामक संगठन के द्वारा प्रकाशित की गयी है। मुझे यह याद नहीं है कि यह खुदाई किसके द्वारा करवायी गयी थी। जिसके द्वारा यह खुदाई करायी गयी होगी, उसी की देख रेख में इस खुदाई का कार्य सम्पन्न हुआ होगा। यह रिपोर्ट किस सन् में प्रकाशित हुई थी, इसकी जानकारी मुझे है जहाँ तक मुझे स्मरण है यह रिपोर्ट सन्1979 से सन्1985 के बीच कभी प्रकाशित हुई होगी। उस रिपोर्ट की सारी डिटेल मुझे इस समय याद नहीं है। यह कहना ग़लत है कि उस रिपोर्ट में ग्लेज़्ड वेयर के बारे में कुछ नहीं लिखा है यह भी कहना ग़लत है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो मैं अपना निष्कर्ष निकाल रहा हूँ उस प्रकार का कोई निष्कर्ष स्वयं इस रिपोर्ट में नहीं है। मुझे यह जानकारी है कि लम्बा की इस खुदाई में ग्लेज़्ड वेयर पूर्व मध्यकाल क्रमबद्ध स्तरों में प्राप्त हुई है। मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि किन - किन लेयर में ग्लेज़्ड पाटॅरीज़ मिली थीं। लम्बा की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है

कि ग्लेज़्ड पाटरी क्रमबद्ध लेयर में प्राप्त हुई थी यदि यह क्रमबद्ध लेयरों में प्राप्त नहीं हुई होती तो रिपोर्ट में इस बारे में स्पष्ट रुप से लिखा होता। ग्लेज़्ड वेयर के ट्रेडिंग नेटवर्क तथा ट्रेडिंग सेन्टर तथा ट्रेडिंग रुट्स की जानकारी मुझे नहीं है। ग्लेज़्ड वेयर में किसी ख़ास रंग या रंगों का प्रयोग नहीं होता था, इसमें कई रंग प्रयोग किये जाते थे। मैं यह नहीं कह पाऊँगा कि कोई ऐसा रंग था या नहीं, जिसका प्रयोग ग्लेज़्ड पाटरीज़ में नहीं किया गया । मुझे यह जानकारी नहीं है कि ग्वालियर के किले में ग्लेज़्ड टाईल्स का प्रयोग किया गया है या नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस काल के बहुत से मंदिरो में ग्लेज़्ड टाईल्स का प्रयोग हुआ है । जहाँ तक मैंने इस संबंध मे पढ़ा है या देखा है कि मैंने मंदिरो में ग्लेज़्ड टाईल्स, ग्लेज़्ड वेयर का प्रयोग होते हुए नहीं देखा है। विवादित स्थल से जो ग्लेज़्ड वेयर मिले थे वे अधिकतर छोटे छोटे टुकड़ों में मिले थे। यह बात स्पष्ट है कि छोटे छोटे अलग- अलग प्रकार के टुकड़ों की सहायता से उन ग्लेज़्ड वेयर्स का शेप व साईज़ सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लेज़्ड वेयर विवादित स्थल से किन - किन लेयर से प्राप्त हुए थे इसकी जानकारी मुझे इस वक़्त नहीं है। मैंने उत्खनन के दौरान विवादित स्थल पर उपरी लेयर में ग्लेज़्ड वेयर को देखा था, नीचे की लेयर्स में भी इनको मैंने देखा था परन्तु उन लेयरों की संख्या मुझे याद नहीं है।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0रिपोर्ट वाल्यूम 1 के पृष्ठ 164 लगायत 172 पर आकृष्ट किया - इन पृष्ठों पर ग्लेज़्ड टाईल्स फ्रेगमेंट किस ट्रेन्च तथा किस लेयर में हैं, इसका विवरण दिया गया है। इसी संदर्भ में विद्वान जिरहकर्ता ने ए0एस0आई0रिपोर्ट वाल्यूम 2 के पृष्ठ सं0 99 लगायत 102 पर साक्षी का ध्यान आकृष्ट किया ,साक्षी ने बताया कि ए0एस0आई रिपोर्ट वाल्यूम 2 में इन ग्लेज़्ड टाईल्स में से कुछ

के फ़ोटोग्राफ़ दिये गये हैं। मेरे अनुसार उपरोक्त प्लेट सं0 99 लगायत 102 में नज़र आ रही वस्तुओं को ग्लेज़्ड आब्जेक्ट कहना उपयुक्त होगा।

सुर्ख़ी , चूने का प्रयोग भारत में पूर्व मध्यकाल में पाया जाता है। मैं इस वक़्त पूर्व मध्यकाल के किसी ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाऊँगा जिसमें सुर्ख़ी चूने का प्रयोग किया गया हो। कुषाण पीरीयड में सुर्ख़ी का प्रयोग नहीं हुआ। भारत में लाइम का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम बार निर्माण करने के लिए किया गया। लाइम का प्रयोग भारत में प्लास्टर करने के लिए तथा फ़र्श बनाने के लिए सैंधवकाल में किया जाता था। हड़प्पा पीरीयड तथा सैंधव काल एक ही है। सुर्ख़ी व चूने का प्रयोग भारत में पहली बार पूर्व मध्यकाल में पाया जाता है, इसको मैंने अभी ऊपर अपने बयान में बताया है। गुप्ता पीरियड में सुर्ख़ी चूने का प्रयोग नहीं होता था। मैंने एच0सी0भारद्वाज का नाम सुना है जो धातु विशेषज्ञ हैं । इनको मान्यता प्राप्त इतिहासकार या पुरातत्वविद् नहीं माना जाता है। पुरातत्वविद् होने के लिए पुरातत्व का प्रशिक्षण आवश्यक होता है, उसके पश्चात् पुरातात्विक शोध में रत रहना आवश्यक होता है। मैंने श्री रामशरण शर्मा का नाम सुना है। यह इतिहासकार हैं परन्तु पुरातत्वविद् नहीं हैं। पुरातत्व की टीम के हर सदस्य को पुरातत्वविद होना आवश्यक नहीं है क्योंकि टीम में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का होना उचित होता है।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित श्री रामसरण शर्मा द्वारा लिखित प्रारंभिक भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास जिसका उद्धरण काग़ज़ सं0 294 सी-1/1लगायत 1/4 के रुप में न्यायालय में दाख़िल है के पृष्ठ 212 के तीसरे प्रस्तर में लिखी बातों पर साक्षी का ध्यान आकृष्ट किया। साक्षी ने इसे पढ़ने के बाद बताया कि जिस संदर्भ संख्या 98,99एवं 100का उल्लेख

रामशरण शर्मा द्वारा किया गया है ,बिना उसे देखे हुए मैं शर्मा जी द्वारा इस प्रस्तर में लिखी हुई बात के संदर्भ में अपना मत व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। शर्मा जी द्वारा जो संदर्भ कोट किया गया है वह स्वयं शर्माजी का अपना मत नहीं है उन्होंने किसी के वक्तव्य का हवाला उपरोक्त प्रस्तर में दिया है।

प्रश्न- क्या प्रो0 रामशरण शर्मा जैसे व्यक्तित्ववाले आदमी के द्वारा ग़लत रिफ़्रेंस का दिया जाना संभव है?

उत्तर- शर्मा जी ने जो रिफ़्रेंस दिया है उस रिफ़्रेंस को देखे बिना मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने सही रिफ़्रेंस दिया है या नहीं।

यदि कोई व्यक्ति दावे के साथ स्वयं अपना मत व्यक्त करता है तब वह अलग बात होती है परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे इतिहासकार या पुरातत्वविद द्वारा लिखी बात का संदर्भ देता है, तो अलग बात होती है।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

Shriraman

4.7.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनाँक - 5.7.2006 को प्रस्तुत हो।

Shriraman

(हरिशंकर दूबे)4.7.2006

आयुक्त

4.7.2006

समक्षः-आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ खण्डपीठ ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक - 5.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 04.07.2006 के क्रम में पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या 4/89 में प्रतिवादी संख्या 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जारी)

भारतीय इतिहास में किसी पीरियड को " इस्लामिक पीरियड " नहीं कहा जाता है । मैंने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में एक जगह पर "इस्लामिक पीरियड" शब्द का प्रयोग किया है, मेरा इससे तात्पर्य यह है कि इस काल में ग्लेज़्ड टाइल्स , ग्लेज़्ड पॉटरी का मस्जिद में प्रयोग किया गया है । यह कहना सही नहीं है कि इतिहास में पीरियडाइज़ेशन के नामकरण का कोई महत्व नहीं है । मैंने अपने शपथ - पत्र में " इस्लामिक पीरियड " शब्द का प्रयोग इतिहास तथा पुरातत्व के सन्दर्भ में नहीं किया है, बल्कि कुछ ख़ास तथ्य, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है, के सम्बन्ध में किया है। मैंने इस शब्द का प्रयोग इस्लामिक प्रचलनों के लिए किया है । मैंने यह बताया है कि जो चीज़ें इस्लामिक प्रचलन की हैं, उन्हे बिना इस्लामिक कहे, हम उनके बारे में स्पष्ट रुप से नहीं बता सकते हैं । मेरा संकेत केवल इसी तरफ़ था, न कि इतिहास के काल-विभाजन की ओर मैं " इस्लामिक " तथा " इस्लामिक

पीरियड" के बारे में ऊपर अपने बयान में बता चुका हूँ । जब पुरातत्व में" पीरियड" शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह किसी विशिष्ट समय-काल को दर्शाता है । मैंने अपना शपथ- पत्र एक पुरातत्ववेत्ता के रुप में प्रस्तुत किया है ।

प्र0- आप एक पुरातत्ववेत्ता की हैसियत से किसी ऐसे पीरियड को नहीं कह सकते या लिख सकते हैं, जो इतिहास में कभी माना नहीं गया या लिखा नहीं गया। इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- मेरा इशारा उस काल की तरफ़ है, जिस काल में इस्लाम धर्म के अनुयायी राज्य करते थे ।

यह कहना ग़लत है कि बाबरी मस्जिद का पक्ष लेते हुए मैं इतना आगे बढ़ गया कि मैंने शपथ-पत्र में उस काल का उल्लेख किया, जो इतिहास में कभी रहा ही नहीं । इतिहास में तथाकथित इस्लामिक शासकों के राज्य का काल सन् 1206 ई0 से शुरु होकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है । यहाँ पर तथाकथित से मेरा तात्पर्य यह है कि मध्यकाल के इस भाग को इस्लामिक पीरियड के नाम से भी समझते हैं । बहुत से इतिहासकारों ने इस पीरियड को इस्लामिक पीरियड कहा है । मैं किसी ऐसे प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम अथवा उनकी पुस्तक का नाम नहीं बता पाऊँगा, जिन्होंने अथवा जिनकी पुस्तक में" इस्लामिक पीरियड" शब्द का प्रयोग किया हो । यह कहना ग़लत है कि किसी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में" इस्लामिक पीरियड" शब्द का प्रयोग नहीं किया । इतिहास में डायनेस्टी के आधार पर काल निर्धारित किये जाने को मैं ठीक नहीं मानता हूँ, परन्तु इतिहासकारों ने डायनेस्टी के आधार पर काल - निर्धारण किया है । अर्ली मिडीवियल पीरियड तथा पोस्टगुप्ता पीरियड - दोनों में कुछ हद तक ओवरलैपिंग है । कुछ हद तक इन दोनों पीरियडों में समानता है ।

प्र0- यदि किसी इतिहासकार ने किसी तथ्य को दर्शाने के लिए अर्ली मिडिवियल पीरियड को गुप्ता पीरियड लिख दिया हो,तो क्या उसने इस सम्बन्ध में कोई गलती की है ?

उ0- हाँ , निश्चित तौर पर यह इतिहास की दृष्टि से अनुचित होगा ।

यह कहना ग़लत है कि मेरे द्वारा इस्लामिक पीरियड का प्रयोग किया जाना अनुचित है,क्योंकि मैं गुप्ताकाल को इस्लामिक काल कहकर किसी बात को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ।

प्र0- आपने इस्लामिक पीरियड सन् 1206 ई0 से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्यकाल तक बताया है,जिसमें ग़ुलामवंश, मुग़ल पीरियड,पोस्ट मुग़ल पीरियड और अन्य वंश और पीरियड शामिल हैं । आपने कई पीरियड को मिलाकर एक पीरियड बताया है तथा साथ ही यह भी बताया है कि अर्ली मिडिवियल पीरियड तथा गुप्ता पीरियड में समानता है,तो इस प्रश्न के ठीक पहले दिये गये उत्तर में जो बात आपने कही है,उसको आप किस आधार पर जस्टीफ़ाई करेंगे ?

उ0- मैंने अपने बयान में कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि गुप्ताकाल और अर्ली मिडिवियल पीरियड एक समान हैं । यह बात मैंने पोस्ट गुप्ताकाल और अर्ली मिडिवियल पीरियड के सम्बन्ध में कही थी ।

प्र0- आपके अनुसार अर्ली मिडिवियल पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड, क्या एक ही पीरियड को दर्शाते हैं ?

उ0- इस सम्बन्ध में अपने उपरोक्त बयान में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ । मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक समानता है।

यदि कोई इतिहासकार अर्ली मिडीवियल पीरियड को केवल पोस्ट गुप्ता पीरियड लिखकर दर्शाता है, तो वह ऐतिहासिक दृष्टि से ग़लत होगा

और ख़ासतौर पर वर्तमान सन्दर्भ में । इस सम्बन्ध में यह त्रुटि होगी कि लेखक विकास-क्रम को महत्व न देकर राजवंशों को महत्व दे रहा है । इतिहास राजवंशों तक सीमित गतिविधियों के समावेश को ही नहीं कहा जाता है अपितु , यह एक बहुत विस्तृत विषय है ।

प्र0- क्या इतिहास में किसी विशेष समुदाय या कम्युनिटी अथवा किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष धर्म के आधार पर कालक्रम का निर्धारण किया जाता है?

उ0- बहुत से इतिहासकार इन आधारों पर इतिहास का विभाजन व नामकरण करते हैं, लेकिन इतिहास के वैज्ञानिक दृष्टिकोंण से इसे उचित नहीं माना जाता है ।

प्र0- आपके उपरोक्त उत्तर से क्या मैं यह समझूँ कि आप द्वारा प्रयुक्त "इस्लामिक पीरियड" शब्द का प्रयोग उचित नहीं है ?

उ0- यह कहना सही नहीं है, क्योंकि मैंने इस सन्दर्भ में इस काल के विकास-क्रम के विशेष प्रचलनों की तरफ़ इशारा करते हुए ऐसा लिखा है ।

प्र0- तो क्या आपने "इस्लामिक पीरियड" शब्द का प्रयोग इस काल के विकास के सम्बन्ध में प्रयोग किया है ?

उत्तर- इसका प्रयाग मैंने इस काल के विकासक्रम को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रचलनों के सन्दर्भ में किया है ।

प्रश्न- क्या किसी विशेष प्रचलन को दर्शाने के लिए इतिहास में स्थापित काल को लिखने के बजाये उन प्रचलनों के आधार पर किसी विशेष काल का नाम दिया जा सकता है ?

उत्तर- इन आधारों पर मैंने कोई नया काल गढ़ने की कोशिश नहीं की है। मैंने केवल एक काल विशेष में ख़ास तरह के प्रचलनों को प्रदर्शित करने के

लिए उनकी तरफ़ इशारा किया है,परन्तु उसको अलग पीरियड का नाम नहीं दिया जा सकता है ।

खुदाई के दौरान किसी आब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए पुरातत्व में विशेष पद्धति अपनाई जाती है । इस पद्धति के अनुसार सबसे पहले उत्खनन वाले स्थान का समुद्र-तल से लेवेल तय किया जाता है और यह तय करने के बाद जब भी उत्खनन होता है और उत्खनन के दौरान कोई आर्कियोलोजिकल आब्जेक्ट पाया जाता है, तो उसकी सही- सही लोकेशन तय करने के लिए थ्री- डाइमेंशनल मैथड का प्रयोग किया जाता है । इसके अनुसार जिस ट्रेंच में यह आब्जेक्ट पाया गया है , उस आब्जेक्ट के ट्रेंच के दो कोनों से (जो पहले से फ़िक्स्ड होते हैं), उस आब्जेक्ट की इन दोनों कोनों से लम्बाई- चौड़ाई व उसके बाद जहां पर यह आबजेक्ट हैं, समुद्र तल की ऊँचाई के बेंचमार्क से उसकी गहराई मापी जाती है और इस सब का उचित रिकार्डिंग भी किया जाता है,ताकि पश्चात् काल में जब भी कभी कोई व्यक्ति (इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता) इस आब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में जानना चाहे , उस रिकार्ड के आधार पर आसानी से उसे लोकेट किया जा सकता है।

पिट्स में जो पुरावशेष पाये जाते हैं, उनके काल-निर्धारण के लिए पिट को रखने वाली लेयर के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता होती है । यदि किसी ट्रेंच या उत्खनन स्थल में पिट की संख्या एक से अधिक हो, तो उनको संख्या के अनुसार जाना जा सकता है । उत्खनन के लिए ट्रेंचेज़ का जो ले-आउट लिया जाता है, उसकी एक विधि होती है और उसी के अनुसार उसको बनाया जाता है ।

प्र0- क्या ट्रेंचेज़ को समानान्तर बनाया जाता है अथवा एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच को किसी ख़ास कोण पर निर्मित किया जाता है ?

उ0- ट्रेंचेज़ का ओरिएंटेशन, कार्डिगनल डायरेक्शन की ओर होता है और सामान्य तौर पर समकोण पर ट्रेंचों को लगाया जाता है ।

पुरातत्व में उत्खनन के दौरान पाये गये फ़िलिंग का अपना महत्व होता है । इस तरह की फ़िलिंग का उत्खनन स्थल से क्रोनोलाजिकल सीक्वेंस निर्धारित करने के लिए सीधा सम्बन्ध नहीं होता है । अप्रत्यक्ष रुप से उनका सम्बन्ध होता है, क्योंकि जिस काल में फ़िलिंग की गई है , उस काल को किस तरह के मैटीरियल से फ़िलिंग की गई है और वह कहां से आया है या लाया गया है, जानने में मदद मिलती है । यदि किसी फ़िलिंग में बोन पाया जाता है, तो उसका महत्व उस काल के लिए है, जिस काल में वह फ़िलिंग की गई है । यदि किसी उत्खनन के दौरान फ़िलिंग के रुप में अथवा लेयर्स में बोन पाई गई हों, तो अन्य महत्वपूर्ण काल-निर्धारकों में बोन भी एक महत्वपूर्ण पुरावशेष होता है । बोन को पुरातत्व में डिसाइसिव पीस आफ़ इवीडेंस माना जा सकता है । इस बात को पुरातत्व में सामान्य रुप से माना जाता है । यह कहना सही नहीं है कि आज तक बोन को डिसाइसिव पीस आफ इवीडेंस मानकर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई ,जिसमें जिस रिपोर्ट में बोन को डिसाइसिव पीस मान कर रिपोर्ट दी गई है,ऐसी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है । मैं ऐसी उत्खनन - रिपोर्ट के बारे में कल के अपने बयान में बता चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ और रिपोर्टस् का हवाला देना उपयुक्त समझता हूँ । इस तरह की रिपोर्ट में - सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्पूर्ण स्थल, मोहनजोदड़ो की रिपोर्ट, राजस्थान में बागौर की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में बाघौर की रिपोर्ट व आलमगढ़ की रिपोर्टस् महत्वपूर्ण हैं । इन सभी रिपोर्टस् में बोन्स को डिसाइसिव पीस आफ़ इवीडेंस माना गया है । बोन को आधार बनाकर इन रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि उस काल में मानव समाज के विकास का एक विशेष तरह का दौर था और उस दौर वहाँ पर रहने वाले

व्यक्तियों के द्वारा जानवरों का प्रयोग खाने के लिए या भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था ।

प्र0- एनीमल बोन्स को आधार बनाकर किसी भी खुदाई में आज तक कोई कल्चर या इतिहास निर्धारित नहीं किया गया है और मानव इतिहास निर्धारित करने के लिए एनीमल बोन्स को कभी डिसाइसिव पीस आफ इवीडेंस नहीं माना गया है। जो बातें आपने इस बारे में बताई हैं, वह आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, यह किसी इतिहासकार का मत नहीं है । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- ऐसा कहना उचित नहीं है ।

यह कहना भी गलत है कि जिन रिपोर्ट्स के बारे में मैंने उल्लेख किया है,उनमें से किसी भी रिपोर्ट में बोन को आधार बनाकर मानव इतिहास तथा कल्चर के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है । यह भी कहना ग़लत है कि इस प्रकार की किसी रिपोर्ट को मैंने पढ़ा नहीं है । यह कहना ग़लत है कि मैंने ऊपर अपने बयान में अभी जिन रिपोर्ट्स का हवाला दिया है,उनका सन्दर्भ मैं नही बता सकता हूँ। मार्शल की मोहनजोदड़ो की उत्खनन रिपोर्ट व एम0जी0मजूमदार की " मेमायर्स आफ़ आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया न0-34 " महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने पढ़ा है । यह रिपोर्ट सन् 1940 के दशक के शुरु में प्रकाशित हुई थी ।

प्र0- इन रिपोर्ट्स में केवल फूड-हैबिट्स के बारे में बताया गया है, न कि बोन्स के आधार पर इतिहास व कल्चर निर्धारित किया गया है । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- यह कहना उचित नहीं है,क्योंकि फ़ूडहैबिट मानव संस्कृति का ही एक अंग है और मानव इतिहास में मानव की सभी प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित करके उनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इतिहास में व

संस्कृति के दृष्टिकोण से बोन्स का अपना एक विशेष महत्व रहा है । हम अपनी इच्छा के अनुसार इस तथ्य को नकार नहीं सकते।

मोहनजोदड़ो की सभ्यता इस्लाम धर्म के बहुत पहले की सभ्यता है । हमारे पास काई ठोस प्रमाण ऐसा नहीं है,जिससे यह कहा जा सके कि वह आर्य संस्कृति से सम्बन्धित थी । यह कहना सही नहीं है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में देवी-देवताओं से सम्बन्धित वस्तुएँ मिली थीं । मोहन-जोदड़ो की खुदाई में हिन्दू सभ्यता से सम्बन्धित कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई। चूँकि मानव जीवन की शुरुआत ही माँस खाकर जीवित रहने से हुई है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस्लाम के आगमन के पूर्व ही मांसाहार समाज के विभिन्न अंगों में प्रचलित था । मांस खाने को किसी विशेष धर्म या वर्ग से नहीं जोड़ा जा सकता है,क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी विशेष धर्म या वर्ग के लोग ही मांसाहारी थे । यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि किसी धर्म में धर्म के अनुयाइयों में , मांस खाने का प्रचलन बदलते हुए समय के अनुसार अधिक होता है और किसी में कम ।

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को जानने के लिए मुख्य रुप से दो प्रकार के स्रोत हैं । पहला- पुरातात्विक स्रोत, दूसरा- साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में उपनिषद वेद-पुराण, काव्य- महाकाव्य, जीवनियां तथा अन्य साहित्यिक रचनाएं आती हैं । ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, आजीविका का मुख्य स्रोत था ।

ऋग्वैदिक काल में पशु पालन का जो कार्य किया जाता था , उसमें मुख्य रूप से गाय , भेंड़ व बकरियों का महत्व होता था । वेद व पुराण भारतीय हिन्दू संस्कृति के बारे में भी बताते हैं । ऐसा पुराणों के सम्बन्ध में कहना ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि वेदों के समय में " हिन्दू " शब्द का प्रयोग नहीं होता था । " हिन्दू " शब्द का सम्बन्ध हिन्दू धर्म से है । उसका सम्बन्ध

" वे आफ़ लिविंग " से नहीं है । हो सकता है कि डा0 राधाकृष्णन ने यह लिखा हो कि हिन्दू कोई धर्म न होकर " वे आफ़ लिविंग " है । डा0 राधाकृष्णन् फ़िलासफ़ी के एक अच्छे विद्वान माने जाते हैं । डा0 राधाकृष्णन् ने हिन्दू के बारे में जो कहा है , एक तो उसे मैंने पढ़ा नहीं है , दूसरे इसके सम्बन्ध में यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है , इससे मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ । मुझे इस बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है कि " हिन्दू " शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई । मेरी जानकारी के अनुसार वेदों में " हिन्दू " शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । वैदिक लोग केवल वैदिक थे , वे हिन्दू नहीं थे , क्योंकि उस समय " हिन्दू " शब्द का प्रयोग नहीं होता था । वेदों में " आर्य " शब्द का प्रयोग हुआ है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हिन्दुओं का एक वर्ग " आर्य " कहा जाता है । वेदों में जो " आर्य " शब्द आया है , वह वैदिक लोगों से सम्बन्धित है । " आर्य " शब्द का प्रयोग आर्यावर्त्त में रहने वाले गौर वर्ण के लोगों के लिए हुआ है , ऐसा उल्लेख है । वेदों में यह लिखा हुआ है कि जो लोग गौर वर्ण के हैं , वे आर्य हैं ।

प्रश्न - क्या गौर वर्ण के लोग ही केवल आर्य होते थे , उनका सम्बन्ध किसी विशेष क्षेत्र से था या नहीं ?

उत्तर - वैदिक आर्यों का क्षेत्रीय आधार पर आर्यावर्त्त से सम्बन्ध बताया गया है ।

मेरी जानकारी के अनुसार आर्य वैदिक काल में ही होते थे । वैदिक काल के पूर्व उनके होने का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है । आज के परिप्रेक्ष्य में मैं यह नहीं बता सकता कि कौन आर्य है और कौन आर्य नहीं है । मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आर्यावर्त्त में रहने वाले गौर वर्ण के लोग आर्य ही हैं । मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूँ कि इस समय आर्य हैं अथवा नहीं । मैं यह

कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि आर्य समाप्त हो गए हैं अथवा अन्य वर्गों के साथ उनका मिश्रण हो गया है । आर्यावर्त्त की परिभाषा अलग - अलग है ।

प्रश्न - भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारतवर्ष में आर्यावर्त्त क्षेत्र कौन सा है ?

उत्तर - ऋग्वेद के अनुसार सप्त सैन्धव (सप्त सिन्ध) प्रदेश को आर्यावर्त्त बताया गया है ।

सप्त सैन्धव सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं कहा जाता है । आज के परिप्रेक्ष्य में सतलज , रावी , व्यास , झेलम , चिनाव और सिन्धु आदि नदियों के क्षेत्रों को आर्यावर्त्त कहते हैं । सिन्धु सभ्यता तथा वैदिक काल के आर्यों की सभ्यता , दोनों अलग - अलग थी । मैंने पुराणों का अध्ययन नहीं किया है और मैं यह नहीं जानता हूँ कि वेदों और पुराणों में क्या - क्या उल्लेख मिलते हैं । एक पुरातत्वविद् को इतिहास की जानकारी रखना आवश्यक है । ऐसा कहना ठीक नहीं है कि पुरातत्वविद् के रूप में मैंने भारतीय संस्कृति को जानने के लिखित स्रोत वेद व पुराणों का अध्ययन नहीं किया है । अन्य विद्वानों द्वारा वेद व पुराण का अध्ययन करने के बाद जो लिखा गया है , उसका मैंने अध्ययन किया है ।

प्रश्न - अन्य विद्वानों ने वेद व पुराणों को पढ़ने के बाद जो पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो अपना मत बनाया है , उसी मत के आधार पर क्या आप अपना बयान दे रहे हैं ?

उत्तर - अन्य विद्वानों के द्वारा इस तरह के जो अध्ययन किए गए उनको पढ़ने के बाद जो बातें मुझे तर्कसंगत लगीं , उन्हीं के आधार पर अपना बयान मैंने दिया ।

अन्य विद्वानों ने वेद व पुराण पढ़ने के बाद उसमें लिखी बातों के बारे में जो अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है , उस को मैंने पढ़ा है । बहुत से विद्वानों ने जिन्होंने वैदिक साहित्य का शोध व विश्लेषण किया है , उनके

अनुसार वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 6ठी - 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है । मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि वेदों , पुराणों तथा उपनिषदों में किस विषय का वर्णन है । जिन विद्वानों की लिखी बातों को मैंने पढ़ा है , उन लोगों ने वेदों में वर्णित विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है । पुराणों में धार्मिक रीति - रिवाजों , पूजा - पाठ की विधियों , संस्कृति के उदय - विकास , समाज व समाज के विभिन्न वर्ग तथा उनके कार्य - क्षेत्र व काल के बारे में भी चर्चा की गई है । उपनिषदों में क्या लिखा है , इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा ।

वेद चार हैं । हो सकता है कि अन्य पुराणों में यह लिखा हो कि हिन्दू सभ्यता में भी मांस - मछली खाने का प्रचलन रहा हो ।

प्रश्न - हिन्दू संस्कृति में मांस - मछली खाना और उसका प्रचलन कभी वर्जित नहीं रहा है तथा इसे वैदिक पीरियड से लोग खाते चले आ रहे हैं । इस बारे में आप क्या कहेंगे ?

उत्तर - यह तो सच है कि हिन्दू समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले लोग मांस खाते रहे हैं और मैंने यह कभी मना नहीं किया है , लेकिन आधुनिक युग में हिन्दू धर्म के तथाकथित प्रवर्तक व संरक्षक यह कहते रहे हैं कि न तो आर्य मांस खाते थे और हिन्दू उन्हीं की सन्तान हैं , वे भी मांस नहीं खाते हैं ।

यदि किसी विशेष स्थल की खुदाई से वहाँ पर भेड़ - बकरियों की हड्डियाँ पाई जाती हैं , तो इस तथ्य को वहाँ पर रहने वाले समुदाय विशेष के लोगों के फ़ूड हैबिट्स से जोड़ा जा सकता है , क्योंकि हिन्दू धर्म में बहुत ऐसे पुजारी और साधारण अनुयायी हैं , जो मांस खाने की बात तो दूर मांस का नाम लेना भी बुरा मानते हैं । इस सम्बन्ध में यह तर्क महत्वपूर्ण रहता है कि उस स्थल पर कौन से लोग रह रहे हैं अथवा कौन से लोग रह रहे थे तथा उनका किस समुदाय विशेष से सम्बन्ध था । इसको जानने के बाद ही

इस सम्बन्ध में मत व्यक्त किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने के लिए गहन शोध , विश्लेषण और अध्ययन की आवश्यकता होगी तथा यह जानना भी आवश्यक होगा कि उस विशेष काल में उस स्थान पर किस विशेष समुदाय के लोग रह रहे थे ।

प्रश्न - किसी भी विशेष स्थल पर 12वीं , 13वीं , 14वीं शताब्दी में अथवा किसी भी विशेष काल में यह जानने के लिए किस वर्ग के लोग वहाँ बहुतायत में रहते थे , क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा और किस आधार पर गणना की जाएगी ?

उत्तर - किसीभी स्थल पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली और उनके अपने सामुदायिक सम्बन्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी पुरातात्विक व साहित्यिक सामग्री उपलब्ध हो सकती हो , उसका अध्ययन करने के बाद विश्लेषण करने पर ही यह बताया जा सकता है ।

ऐसा हो नहीं सकता कि पुरातात्विक और साहित्यक दोनों ही स्रोत उपलब्ध न हों और समुदाय के लोग वहाँ रहे हों । यह सम्भव है कि वहाँ पर रहने वाले समुदाय के लोगों का साहित्यिक स्रोत उपलब्ध न हो ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

5.7.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनाँक - 6.7.2006 को प्रस्तुत हो।

5.7.2006

(हरिशंकर दूबे)

आयुक्त

5.7.2006

समक्षः-आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ खण्डपीठ ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक - 6.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 05.07.2006 के क्रम में पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या 4/89 में प्रतिवादी संख्या 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जारी)

हड़प्पा की खुदाई मे ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला था कि यहाँ पर आर्यन की सभ्यता कभी थी। हड़प्पा की खुदाई में जो सभ्यता प्राप्त हुई वह इसी देश की सभ्यता थी,किसी बाहरी देश से नहीं आई। हड़प्पा की खुदाई में वैदिक सभ्यता से संबंधित कला के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। हड़प्पा की खुदाई में ऐनीमल्स व ह्यमून्स के फ़िगरीन प्राप्त हुए। यह सच है कि हड़प्पा की खुदाई में कुछ ऐसे एनीमल फ़िगरीन प्राप्त हुए जिनमें बैल है। जिसकी आधुनिक काल में हिन्दू धर्म में पूजा की जाती थी। यह नहीं कहा जा सकता कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ ऐसी ह्यूमन फ़िगरीन प्राप्त हुए थे ,जिनकी देवता के रूप में हिन्दू लोग पूजा करते हैं। यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैल जैसे पशु की किसी न किसी रूप में हिन्दुओं में पूजा की जाती है। हिन्दुओं में कुछ वनस्पतियों की भी पूजा की जाती है, जैसे पीपल व तुलसी।

प्र0- केवल हिन्दू धर्म को मानने वाले पशुओं व वनस्पतियों की पूजा करते हैं। किसी अन्य धर्म या मत को मानन वाले नहीं ,इसके बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- मेरे लिए यह बता पाना मुश्किल है कि संसार में हिन्दू धर्म के अतिरिक्त किन - किन अन्य धर्म में पशुओं व वनस्पतियों की पूजा होती है।

बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में पशुओं तथा वनस्पतियों की पूजा किये जाने का उल्लेख लिखा है और बौद्ध तथा जैन धर्मों में पशुओं को विशेष महत्व भी दिया गया है, परन्तु संसार के अन्य धर्म अथवा मतों में इस प्रकार की पूजा की जाती है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के संबंध में यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल मूर्ति पूजा को लेकर ही उसका विकास हुआ। प्रारम्भिक कालीन बौद्ध धर्म में इस तरह की पूजा की कोई व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध धर्म के विकास की ऐतिहासिक काल में अनेक अवस्थायें हैं। यह कहना ठीक है कि प्रारम्भिक या मूल बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था। यह कहना उचित नहीं है कि बौद्ध धर्म की किसी भी साहित्य में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित साहित्य में इससे संबंधित उल्लेख मिलते हैं। इस साहित्य में पूजा के संबंध में महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं और बोधिसत्वों के मूर्तियों की पूजा का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में,वनस्पतियों के रूप में,पशुओं के रूप में पूजा किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के अन्तर्गत महायान शाखा के अनुयायी पशुओं ,वनस्पतियों,व स्तूपों की पूजा करते हैं। यह कहना सम्भव नहीं है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हिन्दू धर्म से हुई है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत के संविधान में बौद्ध धर्म को हिन्दू धर्म के अन्तर्गत माना गया है अथवा नहीं। मैंने जो बात कही है वह इतिहास के

दृष्टिकोण से कही है। यह कहना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही नहीं है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हिन्दू धर्म से ही हुई और यह दोनों हिन्दू धर्म के ही अभिन्न अंग रहे।

सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में मुस्लिम लोगों के प्रथम बार आगमन की सूचना हम लोगों को आठवीं शताब्दी से प्राप्त होती है। सिंधु नदी की जो निचली घाटी है जिसको सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इस प्रदेश में पहली बार इस्लाम से संबंधित आक्रमणकारियों का आगमन दिखाई देता है।

प्रश्न- जो अर्ली इनवेडर्स थे, उनका उद्देश्य विजय प्राप्त करना नहीं था बल्कि उनका उद्देश्य लूट करना था,इस बारे में आपको क्या कहना है?

(इस प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि यह प्रश्न ग़लत है तथा इसके पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए)

(उपरोक्त आपत्ति का जवाब विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा यह दिया गया कि उठाई गयी आपत्ति में कोई ग़लती नहीं बताई गयी है और समय बर्बाद करने के लिए यह आपत्ति उठाई गयी है।)

उत्तर- इस काल के आक्रमणकारियों के दोनों ही उद्देश्य थे।

बिना विजय के लूटपाट करना सम्भव नहीं लगता।

प्रश्न- आरम्भ में जो अर्ली इन्वेडर्स(प्रारम्भिक आक्रमणकारी) थे उनका उद्देश्य केवल लूट करना था , राज्य स्थापित करना नहीं था,इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- यह तो हम देखते हैं कि प्रारम्भिक आक्रमणकारियों ने आक्रमण किये विजय प्राप्त की,लूट की और वापस चले गये, लेकिन यह हम नहीं कह सकते हैं कि भारत में इन प्रारम्भिक आक्रमणकारियों का उद्देश्य केवल लूट

करना ही था,क्योंकि राज्य स्थापित करने के लिए हो सकता है कि उनके लिए पस्थितियाँ अनुकूल न रही हों।

अर्ली इनवेडर्स में मोहम्मद बिन क़ासिम था ,जिसने यहाँ पर कोई राज्य स्थापित नहीं किया ,वह यहाँ पर केवल लूटपाट करके वापस चला गया। यह सम्भावना है कि मोहम्मद बिन क़ासिम ने देवल नामक स्थान पर मंदिर को क्षति पहुंचाई हो,लेकिन यह कहना इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं है कि यह मंदिर कितना विशाल था। मुझे इस संबंध में इतनी ही जानकारी है कि इस आक्रमण के द्वारा मंदिर को क्षति पहुंचाई गयी। यह भी सम्भव है कि इस मंदिर में उस समय लूटपाट की गयी हो, परन्तु इस बारे में मुझे कोई ठोस जानकारी नहीं है। इतिहास के द्वारा ऐसी जानकारी मिलती है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ। लेकिन यह कह पाना मेरे लिए मुश्किल है कि वह मंदिर कितना विशाल था और कितनी क्षति उस मंदिर को पहुंचाई गयी थी। यह कहना ग़लत है कि चूंकि मैंने इतिहास के पन्नों को देखा नहीं है तथा ऐतिहासिक तथ्यों की मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं प्रश्नों के उत्तर में यह कहता हूँ कि ऐसा सम्भव नहीं है। मैंने मंदिर को क्षति पहुंचाये जाने की केवल सम्भावना व्यक्त की है। यह कहना ग़लत है कि मुझे ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी नहीं है इसलिए मैंने मंदिर के तोड़े जाने की सम्भावना की बात कही,क्योंकि प्रो0 रोमिला थापर के द्वारा इस मुद्दे को लेकर एक विशद शोध कार्य किया गया है,जिसका प्रकाशन सन् 2004 - 2005 मे एक पुस्तक के रूप में हुआ है जिसका टाईटिल " सोमनाथ - मेनी वायसेज़ " है । इस पुस्तक में उन्होंने इस स्थल के इतिहास से संबंधित जो भी श्रोत उपलब्ध रहे हैं,उन सभी का अध्ययन करने के पश्चात यह बताया है कि आज जिस तरह से सोमनाथ के मंदिर की कल्पना व प्रचार किया जा रहा है ,उस तरह के मंदिर के न तो उस काल के कोई अवशेष और न ही उस मंदिर के विषय

में ऐतिहासिक श्रोतों से कोई ठोस जानकारी मिल रही है। सोमनाथ में खुदाई हुई अथवा नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

प्रश्न- आपने अपने उत्तर में यह बताया है कि सोमनाथ के मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे, क्या सोमनाथ मंदिर में कोई उत्खनन हुआ था?

उत्तर - इस तरह के मंदिर के अवशेष केवल मात्र खुदाइयों के माध्यम से ही प्राप्त नहीं होते हैं अपितु ज़मीन की सतह पर भी मिलते हैं और साहित्यिक व ऐतिहासिक श्रोतों में भी इनके विषय में लिखित सामग्री होती है।

प्रश्न- आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि इस प्रकार के मंदिरों को देखकर स्वतः ही अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती आपके इस उत्तर में शब्द " इस प्रकार " का क्या तात्पर्य है ?

उत्तर- मैंने यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि पुरातत्व में सर्वेक्षण व खुदाई के माध्यमों से पुरातात्विक श्रोतों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है । यह अवशेष अक्षुण रूप में भी हो सकते हैं और खण्डहरों के रूप में भी हो सकते हैं। मेरा यहाँ पर शब्द" इस प्रकार" से यह तात्पर्य था कि अगर यह मंदिर अक्षुण रहा हो या खण्डहर के रूप में रहा हो तो पुरातत्व की सहायता से उपरोक्त विधियों के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से मेरा मंतव्य केवल यह था कि मंदिर के जिस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा हो रही है,उसी स्ट्रक्चर (चाहे वह विक्षिप्त रूप में हो या विखंडित रूप में) पुरातत्व की विधियों के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न- मैं केवल यह जानना चाहता था कि मंदिर को तोड़ा गया था या नहीं, मंदिर के स्ट्रक्चर से संबंधित कोई प्रश्न मैंने नहीं किया । आप अपने मन से मंदिर का अपमान करने हेतु इन बातों को अपने मन से जोड़ देते हैं, आप

केवल इतना बताईयो की वहाँ पर मंदिर था या नहीं और मंदिर पर आक्रमण हुआ या नहीं?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान ,एडवोकेट व श्री जफ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि सोमनाथ मंदिर से सभी प्रश्न पूर्णतया असंगत हैं और केवल गवाह व न्यायालय का समय बर्बाद करने के आशय से पूछे जा रहे हैं। अतएव इस प्रकार के प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।)

(उपरोक्त आपत्ति का उत्तर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा यह दिया गया कि यह इतिहास का प्रश्न है और यह विवाद से संबंधित है, क्योंकि इतिहास में यह पाया गया है कि मुस्लिम शासकों के द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़कर अपमानित करने के पश्चात् वहाँ पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया और यही बात इस विवाद में भी निहित है। अतएव आपत्ति अनावश्यक है।)

उत्तर- मेरी मंदिर या इस संदर्भ में किसी भी समुदाय के किसी भी धार्मिक स्थल के अपमान करने की कोई इच्छा नहीं रही है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ और न ही ऐसा करने के लिए मैं यहां पर आया हूँ। जहां तक सोमनाथ के उस काल के मंदिर की बात है,अभी तक इतिहास व पुरातत्व की दृष्टि से यह साबित नहीं किया जा सका है कि अमुक मंदिर ही उस काल का सोमनाथ मंदिर था। इसलिए ऐसी स्थिति में मेरे लिए यह ठोस रूप से कह पाना सम्भव नहीं है कि सोमनाथ के उस मंदिर पर आक्रमण हुआ और उसका विध्वंस भी किया गया।

इस बात की पूरी पूरी सम्भावना है कि पहले के सोमनाथ के जिस मंदिर की चर्चा की जा रही है ,वहाँ आस-पास कोई और मंदिर रहा हो और वतर्मान में जो मंदिर है वह पश्चात् काल का कोई और मंदिर हो।

प्रश्न- तो क्या सोमनाथ का पूर्व मंदिर ध्वस्त कर दिया गया और नये स्थान पर जो मंदिर आज खड़ा है ,उसे बनाया गया?

उत्तर- इसके बारे में मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक शोध नहीं किया जा सका है कि अमुक स्ट्रक्चर सोमनाथ के मंदिर का स्ट्रक्चर है। ऐसा मैंने इतिहास में पढ़ा है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ । जो मैंने पढ़ा है ,वह इतिहास के कुछ तथ्यों पर आधारित है।

मैं रोमिला थापर को स्थापित इतिहासकार मानता हूँ। रोमिला थापर ने एक पुस्तक " भारत का इतिहास " लिखी है। रोमिला थापर ने अपनी इस पुस्तक में सोमनाथ के इस मंदिर का उल्लेख किया होगा। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है। यह सम्भव है कि रोमिला थापर ने अपनी इस पुस्तक में यह लिखा हो कि सोमनाथ मंदिर में अपार धन था,जिसके बारे में दूर-दूर तक चर्चा थी। यह हो सकता है कि रोमिला थापर ने अपनी इस पुस्तक में यह लिखा हो कि उस मंदिर में अपार धन होने के कारण व धार्मिक भावना से प्रेरित होकर इस मंदिर पर आक्रमण किया गया था। हो सकता है कि रोमिला थापर ने यह लिखा हो कि इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने इसे एक प्रशंसनीय कार्य समझा था क्योंकि सभी धर्मो के कट्टर पंथियों में इस तरह के भाव पाये जाते हैं। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर यह बात बता रहा हूँ। यह हो सकता है रोमिला थापर ने यह लिखा हो कि सोमनाथ मंदिर का विध्वंस इतने भयानक ढंग से हुआ कि बहुत दिनों तक यह बात हिन्दू मानस में शताब्दियों तक छाई रही। यह सच है कि प्रो0 रोमिला थापर दुनिया की एक जानी मानी इतिहासकार हैं और उन्होनें जो बातें लिखी हैं, उनको नकारने का मेरा कोई इरादा नहीं है,क्योंकि मैं पहले ही उपरोक्त बयान में यह कह चुका हूं कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण के विषय में

मैंने भी पढ़ा है और जो बातें उन्होंने उस काल में लिखी थीं,जब उनकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी,तब उनके पास जो उपलब्ध जानकारी थी उसी के आधार पर उन्होंने ऐसा लिखा है और इतिहास की जानकारी कोई स्थायी या निश्चित नहीं होती है जैसे- जैसे इतिहास से संबंधित शोध चलता रहता है वैसे -वैसे जानकारी के नये बिन्दु सामने आते रहते हैं और उनके प्रकाश में इतिहासकार नयी बातें भी लिखते हैं जिसका प्रमाण रोमिला थापर के द्वारा लिखी गयी हाल की पुस्तक जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की है,उसमें साफ़ तौर पर दिखाई देती है।

प्रश्न- रोमिला थापर ने सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में जो बाते अपनी पहली पुस्तक भारत का इतिहास (प्रकाशन वर्ष 1993) में कहीं है। उन्हीं बातों पर वह आज भी कायम हैं तथा उन्होने अपने मत में कोई परिवर्तन आज तक नहीं किया?

उ0- प्रो0 रोमिला थापर की यह पुस्तक काफी समय पहले छपी थी, उसके बाद उसका हिन्दी में अनुवाद हुआ और कुछ समय के बाद उनकी इस पुस्तक के किसी रिवाइज़्ड वर्जन की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए जो पुस्तक उन्होंने पहली बार लिखी थी, उसकी चर्चा यहां पर की गई है। इसमें अपने मत को उनके द्वारा परिवर्तित करने का कोई सवाल ही नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि आज तक वे उन्हीं बातों पर क़ायम हैं । उनकी नवीनतम् जिस पुस्तक की चर्चा मैंने अपने बयान में ऊपर की है, उससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है ।

प्र0- आपके अनुसार रोमिला थापर ने सोमनाथ मंदिर के सम्बन्ध में जो नये तथ्य बतायें हैं, वे क्या हैं ?

उ0- मैंने अपने उपरोक्त बयान में उन तथ्यों की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि प्रो0

रोमिला थापर ने सोमनाथ के मंदिर के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक जिसका टाइटिल " सोमनाथ-मेनी वायसेज़" में उल्लेख किया है ।

रोमिला थापर ने यह कहा है कि उस काल का कोई मंदिर, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी ठोस रुप से पहचान करना मुश्किल है और ऐसी स्थिति में उसके विध्वंस के बारे में भी कहना सम्भव नहीं ।

प्रश्न-रोमिला थापर ने न तो पहले सोमनाथ के मंदिर के विध्वंस होने की बात कही थी और न ही बाद में उन्होंने इस मंदिर के विध्वंस होने की बात कही। इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि पहले उन्होंने क्या कहा था । बाद में उन्होंने यह कहा कि सोमनाथ के मंदिर की पहचान (आइडेण्टीफ़िकेशन) नहीं हुई ।

सोमनाथ मंदिर के आइडेंटीफ़िकेशन का मुद्दा निश्चित तौर पर इतिहास की दृष्टि से एक मुद्दा है ।

प्रश्न- किसी भी इतिहासकार ने पहले सोमनाथ मंदिर के आइडेंटीफिकेशन को लेकर कोई मुद्दा नहीं बनाया। चूँकि आप मंदिर विरोधी-भावना से प्रेरित हैं,इसलिए प्रथम बार आप यह मुद्दा जानबूझकर उठा रहे हैं ?

उत्तर-मैं यह पहले भी अपने बयान के दौरान कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं न तो हिन्दू धर्म विरोधी हूँ और न किसी अन्य धर्म से विरोध है, न ही किसी विशेष धर्म से मेरा स्नेह है,इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि मैं हिन्दू धर्म विरोधी भावना से प्रेरित होकर सोमनाथ मंदिर के आइडेंटीफ़िकेशन का मुद्दा पहली बार उठा रहा हूँ ।

सोमनाथ मंदिर के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है, इसकी मुझे जानकारी है । मुझे इस ऐक्ट का नाम अथवा उसका विवरण इस समय मालूम नहीं है । मुझे यह भी मालूम नहीं है कि यह ऐक्ट किस सन् में

बना था । मुझे यह नहीं मालूम है कि इस ऐक्ट के बनने के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ अथवा इस ऐक्ट के पहले ।

प्रश्न- जिस समय सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तथा जिस समय इस बारे में ऐक्ट पारित हुआ, उस समय किसी संस्था, समुदाय या किसी इतिहासकार ने सोमनाथ मंदिर की पहचान के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया और न ही इसे मुद्दा बनाया। इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- उस समय मंदिर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा कि मंदिर उसी स्थल पर बने, जहां पर पहले था या उसके आसपास के क्षेत्र में बने,अपितु संभवतः राज्य की दृष्टि से जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह आवश्यक रहा हो कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हो, लेकिन इतिहास की दृष्टि से, और ख़ासतौर पर जिस तरह से विवादित स्थलों को लेकर बहस होती है, उसको जानने - पहचानने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है ।

मुझे यह अंदाज़ है कि उस समय केन्द्रीय सरकार के सहयोग से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था । इस बात की सम्भावना हो सकती है कि सोमनाथ का नया मंदिर दूसरे स्थान पर बनाया गया हो क्योंकि मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण में एक आधारभूत अन्तर है । मेरी ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था । यह कहना ग़लत है कि मुझे इतिहास की जानकारी नहीं है और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण न होकर जीर्णोद्धार हुआ हो,क्योंकि ऐसा काई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि आप जिस मंदिर के ढांचे के जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, वही अमुक सोमनाथ का मंदिर सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के दौरान भी था ।

प्र0- सोमनाथ के मंदिर को आपके अनुसार आक्रमण के समय ध्वस्त किया गया था अथवा नहीं ?

उ0- मैं पहले भी यह बता चुका हूँ कि सोमनाथ के मंदिर को क्षति पहुंचाये जाने की सम्भावना है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि उस काल का सोमनाथ का मंदिर अमुक ढांचा था और इसको ध्वस्त किया गया था ।

प्र0- आपके पास कोई ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी नहीं है ,जिसके आधार पर आप यह कह सकें कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था या नहीं ?

उ0- इतिहास में ऐतिहासिक व पुरातात्विक तथ्यों का अभाव है,जिसके कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि ठोस रुप से क्या हुआ था ।

मैंने सोमनाथ मंदिर के बारे में स्वयं कोई पुरातात्विक सर्वेक्षण या उत्खनन इस दृष्टि से नहीं किया । इस बारे में सोमनाथ के आसपास के क्षेत्रों में जो ऐतिहासिक व पुरातात्विक शोध कार्य हुए हैं, उनके आधार पर ही मैं इस बारे में बता रहा हूँ । यह बात सही है कि सोमनाथ मंदिर के ध्वस्त होने से सम्बन्धित तथ्य मैं सम्भावनाओं के आधार पर बता रहा हूँ,क्योंकि जब तक इस बारे में ठोस पुरातात्विक तथ्य व उस काल के रचनाकारों के द्वारा रचित जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तब तक इस बारे में प्रमाणित रुप से कुछ कहना सम्भव नहीं है । मैं यह नहीं कहूँगा कि रोमिला थापर ने बिना किसी जानकारी के आधार पर अपनी पुस्तक में इस बारे में लिख दिया है । मैंने उनके द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ा है ।

मैंने डा0 ईश्वरी प्रसाद का नाम सुना है । उनकी पुस्तक " हिस्ट्री आफ़ मुस्लिम रुल इन इण्डिया " कभी अण्डर ग्रेजुएट लेवेल पर पढ़ी थी । डा0 ईश्वरी प्रसाद विश्व-प्रसिद्ध इतिहासकार थे या नहीं,यह कह पाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, परन्तु इतना सही है कि वे अपने समय के जाने-माने इतिहासकार थे । कोई भी इतिहासकार या रचनाकार किसी समय विशेष पर

जो लिखता है, उसका अर्थ यह नहीं है कि उनके द्वारा लिखी गई बातें उनके काल के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बाद के काल में उनकी सभी बातें निरर्थक हो जाती हैं और ऐसा भी नहीं होता है कि उनकी बातें सार्वभौम सत्य के रुप में हमेशा सार्थक ही बनी रहें, क्योंकि कोई भी इतिहासकार या अन्य लेखक अपने जीवन-काल में, उसके पास जो जानकारी उपलब्ध रहती है, उसी के आधार पर लिखता है , और जानकारी की सीमा किसी काल-विशेष की सीमा के साथ बँधी हुई नहीं रहती है । ये बातें प्रायः सभी इतिहासकारों पर लागू होती हैं । यह बात मुझ पर भी लागू होती है । मेरी हर बात सार्वभौम सत्य नहीं हो सकती है ।

प्र0- डा0 ईश्वरी प्रसाद ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में यह लिखा है कि महमूद ग़ज़नवी सोमनाथ मंदिर में घुसा और उसने वहां स्थित मूर्ति को कई टुकड़ों में तोड़ा, परन्तु उन्होंने मंदिर के ध्वस्त होने की बात नहीं लिखी। इसबारे में आपको क्या कहनाहै ?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान, व श्री ज़फ़रयाब जीलानी, एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि यह किताब या इसका कोई सम्बन्धित उद्धरण दाखिल नहीं किया गया है, अतएव किताब के कण्टेंट्स के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाना सम्भव नहीं है और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए)

उ0- इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि हर किसी इतिहासकार को उपलब्ध स्रोतों का अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का और अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है , लेकिन अन्य कोई इतिहास का विद्यार्थी इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि वह उक्त इतिहासकार के कथित बयान के सम्बन्ध में उसकी जानकारी के स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त करे ।

मैंने प्रो0 मोहम्मद हबीब का नाम सुना है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि प्रो0हबीब ने सुल्तान महमूद आफ़ ग़जनी नामक कोई पुस्तक लिखी है अथवा नहीं। मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ कि अर्ली मुस्लिम इनवेडर्स द्वारा मंदिरों के तोड़ने से इस्लाम का अधिक प्रचार होता था।

प्रश्न- क्या प्राचीन भारत में अधिकांश धन मंदिरों मे ही रखा जाता था और क्या इसीलिए मुस्लिम इनवेडर्स मंदिरों पर आक्रमण करते थे?

उत्तर -यह मानना उचित नहीं है कि जिस समय इस्लाम धर्म के अनुयायियों के भारत पर आक्रमण प्रारंभ हुए वह काल प्राचीन काल था और यह भी उचित नहीं है कि भारत की धन सम्पत्ति का केन्द्र मंदिर ही थे।

यह कहना सही नहीं है कि प्राचीन भारत में ज़्यादातर सम्पत्ति मंदिरों में हीरे जवाहरात के रुप में रहती थी।

प्रश्न-प्रो0 हबीब साहब ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार का मत व्यक्त किया है कि उस समय हिन्दू मंदिरों में बहमूल्य वस्तुएं केन्द्रित रहती थी और भी कई इतिहासकारों जैसे रोमिला थापर ने इस बात को अपनी पुस्तकों में लिखा है ,क्या आप उनकी बात से सहमत हैं?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान एडवोकेट व ज़फ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि उपरोक्त पुस्तक अथवा उद्धरण न्यायालय में प्रस्तुत नही किये गये हैं। अतः उनके अन्तर्वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाना संभव नहीं है और न ही ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।)

(उपरोक्त आपत्ति का जबाब विद्वान जिरहकर्ता द्वारा यह दिया गया कि उन्होंने इन इतिहासकारों के मत के संबंध में प्रश्न पूछा है जो एक तथ्य के संबंध में है, उस संबंध में साक्षी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।)

उत्तर- प्रो0हबीब को एक व्यक्ति व इतिहासकार होने के नाते अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार था इस बात से मैं इन्कार नहीं कर सकता। जहाँ तक उनके मत के कहे गये कण्टेंट की बात है उस संबंध में मैं सहमत नहीं हूँ कि उस काल में भारत की अधिकतर धन सम्पत्ति मंदिरों में ही केन्द्रित थी जहाँ तक प्रो0रोमिला थापर के मत का सवाल है मुझे ज्ञात नहीं है उन्होंने कितनी धन सम्पति मंदिरों में केन्द्रित होने की बात कही है।

प्रश्न- भारत वर्ष में प्रथम बार मुस्लिम शासक द्वारा मुस्लिम राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कब हुआ और किसके द्वारा?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान एडवोकेट व जफ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि इस प्रकार के प्रश्न पूर्णतया असंगत है और पहले भी इसी साक्षी से दिनाँक 5.7.2006 को पृष्ठ 229-230 पर पूछे जा चुके हैं अतएव इन दोनों आधारों पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए)

(उपरोक्त आपत्ति का जबाब जिरहकर्ता अधिवक्ता व्दारा यह दिया गया कि साक्षी के द्वारा लगातार यह कहा जाता रहा हैकि इस्लामिक वस्तुएं प्राप्त हुईं,इस्लामिक शब्द का प्रयोग बार - बार किया गया है इस संदर्भ में यह जानना ज़रुरी है कि किस काल में और किस समय से भारत वर्ष में मुस्लिम शासकों द्वारा राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया ताकि यह मालूम हो पाये कि किस वर्ष से व किस काल से मुस्लिम मतावलम्बी इस क्षेत्र में आये और इस्लामिक चीज़ों का इस्तेमाल शुरु किया। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

उत्तर- भारत वर्ष में , मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा राज्य स्थापित करने का प्रयास तो प्रारंभ से ही रहा परन्तु पहली बार मोहम्मद

गौरी के विजय अभियान के बाद 1206ई0वी में स्लेव्ज़ डायनेस्टी के शासन के प्रारंभ से इस्लामिक राज्य की शुरुआत मानी जाती है।

यह कहना सही नहीं है कि मुस्लिम शासको की यह नीति रही है कि जब तक यहाँ भारतवर्ष के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति धर्म आदि के बने रहने से यह लोग विद्रोही बने रहेंगे भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना मुश्किल होगी। यह कहना भी सही नहीं है कि मुस्लिम शासकों का निरंतर यह प्रयास रहा था कि भारतीय संस्कृति और धर्म को पनपने न दिया जाये। यह कहना भी ठीक नहीं है कि धर्म के आधार पर अधिकतर मुस्लिम शासकों ने हिन्दुओं को करने का बराबर प्रयास किया। यह बात आंशिक रुप से सत्य है कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिन्दू मंदिरों को व मूर्तियों को तोड़ा गया लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि नियमतः सभी ने ऐसा किया। औरंगज़ेब के बारे में यह कहा जा सकता है कि कभी- कभी उन्होंने ऐसा किया, लेकिन एक नीति के तहत हर जगह पर ऐसा किया गया हो, ऐसा कहना उचित नहीं और औरंगज़ेब ने कहाँ - कहाँ पर मदिरों को क्षति पहुँचायी मैं नहीं बता सकता। चूंकि इस संबंध में प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर मैं यह कह रहा हूँ कि औरंगज़ेब द्वारा नीतिगत रुप से किया गया है इसके बारे में मै पहले भी बता चुका हूँ।

पश्न- बाबर को आप एक इनवेडर कहेगें ,शासक कहेगें या केवल विजे ता कहेंगे?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री ज़फ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि यह प्रश्न भी इस स्तर पर पूर्णतया असंगत है इस संबंध में पहले भी सवाल किया जा चुका है। अतएव इस प्रकार के प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।)

(उपरोक्त आपत्ति का जबाब विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा यह दिया गया कि बाबर एक विदेशी था और पूरा विवाद उसी विदेशी के नाम से है, इसलिए बाबर के बारे में इस प्रश्न का पूछा जाना उचित है।)

उत्तर-बाबर के संबंध में उपरोक्त तीनों संज्ञायें खरी उतरती हैं क्योंकि बाबर एक शासक होने के नाते एक आक्रमणकारी के रुप में आया, उसने विजय हासिल की, अपने वंश का राज्य स्थापित किया और शासक के रुप में राज्य भी किया।

शासक भी आक्रमणकारी हो सकता है।

प्रश्न- आप बाबर को विदेशी शासक मानते हैं या नही?

उत्तर- जिस समय भारत में बाबर एक आक्रमणकारी के रुप में आया तब वह एक विदेशी आक्रमणकारी था लेकिन अपने विजय अभियान में सफलता प्राप्त करने के बाद भारत में उसने जिस वंश के राज्य की स्थापना की उस राज्य का वहीं रह कर राज्य किया और एक ऐसा माहौल भी तैयार किया जिसके फलस्वरुप इस वंश के पश्चात्कालीन शासक यहीं के नागरिक के रुप में राज्य किये।

बाबर के शासन का काल सन्1526से लेकर 1530ई0 तक था। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि बाबर अवध के क्षेत्र पर भी अपना राज्य क़ायम कर पाया अथवा नहीं लेकिन उत्तरी भारत वर्ष के बड़े भू- भाग पर अवध से पूर्व तक उसका राज्य फैला हुआ था। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि बाबर कभी अवध के क्षेत्र में आया था या नहीं इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि औरंगज़ेब अवध के क्षेत्र विशेष में कभी आया था या नहीं। लेकिन औरगंजेब के शासनकाल में मुग़लों का राज्य बाबर के राज्य की तुलना में भारत के बहुत बड़े भू- भाग पर फैला हुआ था, जिसमें अवध का क्षेत्र आता है। इस बात की

जानकारी का स्त्रोत अध्ययनकाल में पढ़ी हुई बातें तथा अध्यापन काल में इस बारे में किया गया अध्ययन है और इस संबंध में इतिहास से संबंधित समय समय पर जो गोष्ठियाँ और कान्फ्रेंसेज़ होती रहती हैं, उनमें भाग लेने से विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा जो शोधपत्र प्रस्तुत किये जाते हैं उनको सुनने से भी प्राप्त हुए। मैंने औरंगज़ेब द्वारा अयोध्या में किसी मंदिर को तोड़े जाने को कहीं पर नहीं पढ़ा। मैंने यह भी नहीं पढ़ा है कि औरंगज़ेब ने अयोध्या में कोई मस्जिद बनवाया अथवा नहीं। मुझे इस संबंध में ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मैंने औरंगज़ेब के द्वारा काशी के मंदिरों को तोड़े जाने की बात को कहीं पढ़ा है या नहीं लेकिन मैंने काशी के एक धर्मस्थल के बारे में यह ज़रुर सुना है कि वहाँ पर मंदिर व मस्जिद साथ - साथ हैं।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान उनके मुख्य परीक्षा के शपथ-पत्र की धारा 1 की ओर आकृष्ट किया साक्षी ने यह बताया कि इस प्रस्तर में मैंने अपनी योग्यता के बारे में उल्लेख किया है। मैंने अपने शपथपत्र की धारा 1 की अन्तिम चार पंक्तियों में अध्ययनकाल के दौरान उत्खननों में भाग लिये जाने का विवरण दिया है। मैं अपने बयान में पहले बता चुका हूँ कि जब मैं शिक्षक के रुप में कार्य करने लगा तब उसके बाद कालू और कलायत दो स्थानो पर किये जा रहे उत्खननों में मैंने भाग लिया था। इन उत्खननों में मुझे बुलाया गया था। इन दोनों उत्खननों की आंशिक वार्षिक रिपोर्ट" इण्डियन आर्कियोलाजी - ए - रिव्यू" में प्रकाशित हो चुकी है। इस रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं है क्योंकि मैं आफ़िशियल टीम का मेम्बर नहीं था। उपरोक्त दोनों उत्खननों में मैंने आब्ज़र्वर या उत्खननकर्ता के रुप में भाग नहीं लिया , मैं इस उत्खनन में जानकारी प्राप्त करने के लिए या अपना असेसमेंट देने के लिए बुलाया गया था। मैं उस समय भी तथा आज भी

सीखने की प्रक्रिया से गुज़र रहा था क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन भर सीखता ही रहता है। मैं अपने बयान में अनेक बार बता चुका हूँ कि मैंने स्वतंत्र रुप से कोई उत्तखनन का कार्य नहीं किया, इसलिए मेरे द्वारा किसी रिपोर्ट को लिखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। विवादित स्थल पर किये गये उत्खनन के अतिरिक्त अन्य उत्खननों के संबंध में मेरी प्रतिक्रियायें किसी न किसी रुप में छपी हैं और आल इण्डिया रेडियो पर भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भूतपर्व दो डायरेक्टर जनरल श्री जगतपति जोशी और श्री एम ०सी० जोशी के साथ भी एक एक्सपर्ट के रुप में इस तरह की चर्चाओं में मैं हिस्सा ले चुका हूँ। एक अन्य भाषण माला के अर्न्तगत जिसका आयोजन आर.०एस०एस० के द्वारा दिल्ली में किया गया था उसमें डा०भगवान सिंह और श्री आर०एस०विष्ठ के साथ भी कुछ व्याख्यानमाला में भाग ले चुका हूँ और पिछले 25सालों में विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न शोध पत्रिकाओं में, विभिन्न इतिहास व पुरातत्व के काग्रेंसेज़ में मेरे अनेकों शोध पत्र इस तरह के विवादित मुद्दों पर छप चुके हैं । यह कहना गलत है कि मैं लेखों द्वारा विवाद उत्पन्न करता हूँ अपितु अन्य लोगों के द्वारा जो विवाद उत्पन्न किये जाते हैं और उसके फलस्वरुप जो विषाद फैलाया जाता है, उस संदर्भ में ऐतिहासिक व पुरातात्विक मुद्दों के आधार पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहलाये जाने वाले भ्रान्तियों व विषाद को कम करने का प्रयास करता रहा हूँ। यह कहना सही नहीं है कि इस संबंध में मैंने अपने शपथ-पत्र में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मेरे इन कृत्यों की किसी स्तर पर मान्यता नहीं है। स्वयं कहा मेरे लेख किसी झूठी स्वीकृति या पहचान के मोहताज नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कार्यो में स्वीकृति नहीं है। किसी उत्खनन में भाग लेने के लिए या स्वतंत्र रुप से उत्खनन करने के लिए किसी संस्था की स्वीकृति(भारतीय पुरातत्व

विभाग) से आवश्यक है, जो किसी ख़ास तरह के लोगों को ही उपलब्ध होती रही। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

6.7.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनाँक - 7.7.2006 को प्रस्तुत हो।

(हरिशंकर दूबे) 6.7.2006

आयुक्त

6.7.2006

समक्षः-आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ खण्डपीठ ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक - 7.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 06.07.2006 के क्रम में पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या 4/89 में प्रतिवादी संख्या 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जारी)

पुरातत्व में ऐसा होता है कि किसी पुरातत्वविद् के लेख को अनावश्यक तौर पर महत्व दिया जाय । ज़ाहिर है कि यदि किसी लेख को अनावश्यक तौर पर महत्व दिया गया है, तो वह झूठी स्वीकृति की कोटि में आवेगा । पुरातत्वविद् लोग ऐसा करते हैं । मैं स्वयं एक पुरातत्वविद् हूँ । यह कहना ग़लत है कि चूँकि पुरातत्व में किसी के लेखों को अनावश्यक महत्व कभी- कभी दिया जाता है और झूठी स्वीकृति दी जाती है, अतएव उसी अवधारणा के तहत मैंने अपना ग़लत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । इस प्रकार के अनेक उदाहरण पुरातत्व में प्राप्त होते हैं, जहाँ पर किसी महत्वहीन लेख को अनावश्यक महत्व प्रदान किया गया हो अथवा किसी महत्वपूर्ण लेख को उसके अनुरुप मान्यता न दी गई हो, परन्तु किन-किन मामलों में किन-किन पुरातत्वविदों द्वारा ऐसा किया गया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। यह कहना ग़लत है कि मैं इस विस्तार में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ

क्योंकि इस प्रकार का कार्य किसी पुरातत्वविद् ने किया ही नहीं । यह भी कहना ग़लत है कि मैं किसी ऐसे पुरातत्वविद् का नाम नहीं जानता हूँ और न ही उसके द्वारा लिखे गये लेख के बारे में ही मुझे जानकारी है। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल मात्र अनुभवी लोगों को ही ए0 एस0 आई0 द्वारा उत्खनन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । यह कहना पूर्ण सत्य नहीं है कि जो अनुभवी तथा योग्य नहीं हैं, उनको ए0एस0आई0 द्वारा उत्खनन के लिए बुलाया नहीं जाता है । ए0 एस0 आई0 के अतिरिक्त अन्य बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं, जो उत्खनन का कार्य करती हैं । यह ज़रुरी नहीं है कि ए0 एस0 आई0 के अतिरिक्त अन्य संस्थाएं उत्खनन कार्य करवाती हैं, वह हर समय अनुभवी और योग्य लोगों को ही इस कार्य के लिए नियोजित करें । ए0 एस0 आई0 द्वारा कभी- कभी ऐसा भी होता है कि कम अनुभवी लोग और व्यक्ति अथवा अनुभव-विहीन व्यक्ति को भी उत्खनन के कार्य में लगाया जाता है । यह कहना पूर्ण सत्य नहीं है कि ए0 एस0 आई0 द्वारा उत्खनन कार्य में कम अनुभव वाले वे व्यक्ति लगाये जाते हैं, जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । यह कहना ग़लत है कि मुझे उत्खनन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ए0 एस0 आई0 ने मुझे कभी उत्खनन कार्य में नहीं लगाया । अभी हाल में पुरातत्व विभाग द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिनौली नामक स्थान पर जो उत्खनन कार्य करवाया जा रहा है, उस उत्खनन कार्य को देखने के लिए एवं उत्खनित सामग्री पर अपना मत व्यक्त करने के लिए व इस पर चर्चा करने के लिए उत्खनन के अधिकारियों ने स्वयं मुझसे सम्पर्क किया था और उस स्थान पर मुझे ले गये और दिनभर उत्खनन स्थल, उत्खनन के तौर-तरीक़े व उत्खनित सामग्री का मुआइना मुझसे करवाया । ज़ाहिर है कि चूँकि मैं उत्खनन-टीम का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए उत्खनन की रिपोर्ट मुझसे लिखवाया जाना उचित नहीं था । यह कहना ग़लत है कि सिनौली के

उत्खनन में जो मुआइना करने का मुझे मौक़ा दिया गया ,उसमें मैंने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी , परन्तु यह सही है कि उत्खनन में मैंने भाग नहीं लिया । यह कहना ग़लत है कि मुझे उत्खनन का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है । सिनौली के उत्खनन का मुआइना करने के बाद कई पत्रकारों ने भी उत्खनन तथा उसमें प्राप्त सामग्री और उसके महत्व के सम्बन्ध में, मेरे विचार जानने के लिए मुझसे सम्पर्क किया । यह कहना ग़लत है कि मैं अपने अनुभव को दिखाने के लिए सिनौली के उत्खनन के सम्बन्ध में पत्रकारों द्वारा मुझसे सम्पर्क किये जाने की बात बता रहा हूँ । मैंने उपरोक्त बयान यह पूछे जाने पर कि मुझे पुरातत्व का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है और इसीलिए मुझे कभी किसी पुरातात्विक उत्खनन के सम्बन्ध में नहीं बुलाया गया, इसका जवाब देते हुए सिनौली उत्खनन स्थल पर जिस तरह से मुझे बुलाया गया, उसकी चर्चा की थी , और जहाँ तक मेरे अपने पुरातात्विक अनुभव का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने बयान में पहले विस्तार से बता चुका हूँ।

प्र0- आप अपनी योग्यता से ज़्यादा स्वयं को पत्रकारों द्वारा सम्पर्क किये जाने और महत्व दिये जाने को अपनी योग्यता का आधार समझते हैं। आपने मेरे इस प्रश्न के उत्तर में, कि आपको उत्खनन का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, आपने यह उत्तर दिया कि सिनौली में मेरे विचारों को जानने के लिए पत्रकारों ने मुझसे सम्पर्क किया । इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उ0- यह कहना ठीक नहीं है कि पत्रकारों ने मुझसे सिनौली नामक उत्खनित स्थल के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए जो मुझसे सम्पर्क किया, वह मेरे पुरातात्विक - व्यावहारिक ज्ञान का आधार है, मैंने यह बात इस सन्दर्भ में पूछे जाने पर कही थी कि सिनौली नामक स्थान पर खुदाई का मुआइना करने के लिए जो मुझे बुलाया गया था, उसके बाद मेरे विचार जानने की किसी ने कोशिश नहीं की और मैंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं

किया । खुदाई के इस स्थल पर उत्खननकर्ताओं के द्वारा एक पुरातत्व का विद्यार्थी होने के नाते मुझे बुलाया गया, यह इस बात का सबूत है कि पुरातत्व के सम्बन्ध में मेरा अपना एक अनुभव है और उसको पहचाना भी जाता है ।

प्र0- आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि मुझे विद्यार्थी के रुप में सिनौली उत्खनन स्थल पर बुलाया गया था तथा इसी रुप में मैं वहाँ पर गया था, तो यदि आप अभी भी विद्यार्थी ही हैं,तो आप सीखने के प्रासेस में है और आप स्वयं भी अपने को एक्सपर्ट नहीं समझते हैं । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- मैं पुरातत्वविद् हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी पुरातत्व के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्ति और सीखने का सिलसिला जीवनपर्यन्त चलता रहता है और इसी रुप में मैं अपने-आप को एक पुरातत्वविद्-विद्यार्थी मानता हूँ ।

चूँकि सीखने का कोई अन्त नहीं होता है, इसलिए मैंने स्वयं अपने को एक पुरातत्वविद् - विद्यार्थी मानता हूँ ।

प्र0- आप पुरातत्व में स्वयं को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं मानते हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- इस बात को दो रुपों में समझा जा सकता है । पहले के अनुसार - आदमी को, जो पुरातत्व से जुड़ा हुआ है, पुरातत्वविज्ञान की आधारभूत तकनीकों का व सर्वेक्षण और उत्खनन का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरे रुप में - पुरातत्व से सम्बन्धित जो अनेक अज्ञात पुरास्थल हैं और उनमें छिपे हुए जो पुरावशेष हैं, उनके बारे में जैसे-जैसे खोज-कार्य होते हैं, वैसे-वैसे जानकारी हासिल करने से है और इसी दौर में मनुष्य न केवल जानकारी हासिल करता है और बहुत कुछ सीखता भी रहता है,इसलिए यह एक आन-गोइंग प्रासेस (सतत प्रक्रिया) है ।

चूँकि पुरातत्व से सम्बन्धित ज्ञान को प्राप्त करने का कोई अन्त नहीं है, इसलिए मैंने यह बताया है कि यह एक सीखने की सतत प्रक्रिया है । जाहिर है कि पुरातत्व कोई स्थिर विज्ञान नहीं है, निरन्तर पुरातत्व की तकनीकों व पुरातत्व से सम्बन्धित नई-नई जानकारियों की दिन-प्रतिदिन खोज की जा रही हैं और इस दौर में सभी पुरातत्वविदों के लिए,जिनमें मैं भी एक हूँ, निरन्तर सीखने की, एक अच्छा पुरातत्वविद होने के लिए आवश्यकता बनी रहती है । मेरे अनुसार पुरातत्व एक विज्ञान है। फ़िज़िकल साइंस और पुरातात्विक विज्ञान में अन्तर होता है । पुरातत्व में कुछ आधारभूत बातें स्थाई रहती हैं, लेकिन अन्य बातें बदलती हुई जानकारी के परिवेश में परिवर्तित होती रहती हैं ।

सिनौली के उपरोक्त उत्खनन में अब से एक माह पूर्व गया था,इसके सम्बन्ध में मेरा कोई लेख या एक्सपर्ट ओपिनियन प्रकाशित नहीं हुई है । सिनौली के अतिरिक्त अपने पूर्व अनुभव के बारे में पहले लिखे गये बयान में बता चुका हूँ । यह कहना ग़लत है कि उत्खनन स्थल पर बुलाये जाने मात्र से मैं स्वयं को अनुभव-प्राप्त पुरातत्वविद बता रहा हूँ ।

विवादित स्थल पर मैंने फ़र्श देखी है। मैंने विवादित स्थल पर उत्खनन के दौरान चार फ़्लोर देखे थे।चौथी फ़्लोर का पीरियड मेरे अनुसार मिडिवियल पीरियड है । फ़्लोर थ्री भी मिडिवियल पीरियड की है । इसी प्रकार फ़्लोर -टू भी मिडिवियल पीरियड की थी, परन्तु फ़्लोर - वन इस पीरियड की नहीं थी। फ़्लोर - वन आधुनिक काल की है । चौथी फ़्लोर में फ़र्श को बनाने के लिए लाइम तथा एक ख़ास तरह की बढ़िया मिट्टी और ईंटों के पाउडर का प्रयोग हुआ है ,जिसको लाइम-सुर्खी कहा जाता है । उपरोक्त चीज़ों के अलावा इस फ़्लोर में अन्य किसी चीज़ का प्रयोग किया गया अथवा नहीं, इस बात को इसके रासायनिक परीक्षण के उपरान्त ही बताया जा सकता है । मुझे यह

याद नहीं आ रहा है कि चौथी फ़्लोर को बनाने में ब्रिक-बैट्स का प्रयोग किया गया या नहीं। जहां तक मुझे स्मरण है,तीसरे फ़्लोर को बनाने के लिए ब्रिक जेली का प्रयोग हुआ । मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस फ़्लोर के बनाने में ब्रिक जैली के अलावा ब्रिक-बैट्स का प्रयोग किया गया है या नहीं । मैं वहाँ मौजूद था,परन्तु चूँकि वहां पर हर समय मौजूद नहीं था और न ही यह ज़रुरी है कि देखी हुई हर बात मुझे हर समय याद हो । मुझे यह याद नहीं आ रहा है कि उपरोक्त फ़्लोर - टू को बनाने में ब्रिक-बैट्स का प्रयोग हुआ था या नहीं ।

विवादित स्थल की खुदाई में कुछ टेराकोटा ह्यूमन तथा एनीमल फ़िगरीन प्राप्त हुईं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस्लाम धर्म में एनीमल तथा ह्यूमन फ़िगरीन की पूजा होती है या नहीं और इस तरह के पुरावशेष पूजा के लिए ही नहीं होते हैं।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम -2 के प्लेट संख्या 49 ,50 तथा 55 पर आकृष्ट किया गया , साक्षी ने इन प्लेट्स को देखकर बताया कि प्लेट संख्या 50 व 55 में फ़्लोर संख्या 1 व फ़्लोर संख्या -2 दिखाई दे रहे हैं। इन प्लेट्स को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सक्सेसिव स्ट्रक्चरल एक्टीविटीज़ रही। इस प्लेट को देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि फ़्लोर -2 से फ़्लोर - 3 की दूरी क्या है। मैं इस समय यह नहीं बता पाऊँगा कि मौक़े पर फ़्लोर - 1 से फ़्लोर -2 की दूरी क्या थी।

प्रश्न- आप मौक़े पर मौजूद थे और खुदाई के समय मौजूद थे, आपके अनुसार फ़्लोर 2 से फ़्लोर -3 के बीच क्या दूरी रही होगी ?

उत्तर- इस वक्त मैं इस बारे में नहीं बता पाऊँगा।

स्पष्ट है कि इस बारे में मुझे इस समय याद नहीं है।

Sharma

प्रश्न- जो चीज़ें आपको याद नहीं है उनके बारे में न तो आप बता सकते हैं और न उसे लिख सकते हैं?

उत्तर- ऐसा नहीं है कि जो बातें पहले मैंने लिखी हों वह सभी बातें मैं अभी याद रख पाऊँ और यदि याद नहीं रख पाऊँ तो इसका यह भी अर्थ नहीं है कि मुझे नहीं लिखना चाहिए।

चूंकि उपरोक्त प्लेटों में फ़्लोर 3 व फ़्लोर 4 है ही नहीं ,इसलिए इन प्लेटों को देखकर इन फ़्लोर्स के बीच की दूरी नहीं बतायी जा सकती है। प्लेट संख्या 55 को देखकर मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि फ़्लोर 3 है अथवा नहीं, क्योंकि इस प्लेट में इनको दिखाया ही नहीं गया है। मैं इस बारे में अपने अनुभव के बारे में भी नहीं बता सकता। प्लेट संख्या-55 में फ़्लोर -3 के बाई तरफ़ जो दीवार नज़र आ रही है, उसमें प्लास्टर लगा हुआ है । फ़्लोर संख्या-2 व 3 को फ़्लोर संख्या-1 से इक्वेट नहीं किया जा सकता है । फ़्लोर संख्या-2 व 3 हू-ब-हू समकालीन नहीं हैं ।

प्र0- क्या फ्लोर संख्या-2 व 3 समकालीन फ़्लोर हैं ?

उ0- दोनों फ़्लोर्स हू-ब-हू समकालीन नहीं हैं ।

प्र0- आपने अपने उत्तर में जो " हू-ब-हू " शब्दों का प्रयोग किया है,उससे आपका तात्पर्य क्या है ?

उ0-उससे मेरा तात्पर्य यह है कि दोनों फ़्लोर्स एक समय की बनी हुई नहीं हो सकती हैं ।

फ़्लोर संख्या-2 व 4 की भी यही स्थिति है ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

07.07.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया । दिनांक 10.7.2006 को डा0 सूरज भान की प्रतिपरीक्षा हेतु वाद प्रस्तुत हो । साक्षी उपस्थित आवें ।

(हरि शंकर दूबे) 7.7.2006

आयुक्त

07.07.2006

समक्षः-आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ खण्डपीठ ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक - 17.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 07.07.2006 के क्रम में पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या 4/89 में प्रतिवादी संख्या 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जारी)

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-2 की प्लेट नं0-50 तथा 55 पर साक्षी का ध्यान आकृष्ट किया । साक्षी ने इन दोनों प्लेटों को देखकर प्रश्न किये जाने पर बताया कि इन प्लेटों को देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि फ़्लोर नं0-2 और 3 विवादित भवन के फ़्लोर हैं अथवा नहीं, क्योंकि इन प्लेट्स में फ़्लोर नं0-2 व 3 ही दिखाये गये हैं। मैंने विवादित स्थल पर फ़्लोर्स की जो स्थिति देखी थी, उसके अनुसार फ़्लोर -2 व-3 को विवादित भवन से जोड़ा जा सकता है और उसी तरह से फ़्लोर नं0-1 को भी विवादित भवन के स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जा सकता है । फ़्लोर नं0-1, 2 तथा 3 समकालीन नहीं थे । फ़्लोर नं.-2 व 3 भी समकालीन नहीं थे । स्वयं कहा कि समकालीन होने का यहां पर विशेष अर्थ है, इसका तात्पर्य यह है कि जिस समय फ़्लोर नं0-3 बनाया गया होगा,उसी समय फ़्लोर नं.-2 भी बनाया गया हो । फ़्लोर नं0-3, प्रीवियस स्ट्रक्चर का फ़्लोर है। यह उस स्ट्रक्चर का फ़्लोर है, जो विवादित भवन के नीचे मिला । फ़्लोर

नं0-1 व 2 विवादित भवन के ही फ़्लोर हैं । मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फ़्लोर नं0-2 , किसी प्रीवियस स्ट्रक्चर का फ़्लोर है । फ़्लोर नं0-1 व 2 समकालीन हैं अथवा नहीं, इस बात को मैं पहले अपने बयान में स्पष्ट कर चुका हूँ ।

प्र0- फ़्लोर नं0-1 व 2 एक पीरियड के थे अथवा नहीं ?

उ0- फ़्लोर नं0-1 आधुनिक काल का है । फ़्लोर नं0-2 विवादित स्ट्रक्चर के काल का है ।

विवादित स्ट्रक्चर की लेन्थ(लम्बाई) कितनी रही होगी,इसकी जानकारी मुझे नहीं है । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर तरफ़ सीता रसोई से लेकर दक्षिण तरफ़ पूरब व पश्चिम की तरफ़ जो एक पतली दीवार है, उससे भी परे दक्षिण में यह लम्बाई जाती है, परन्तु इसकी निश्चित माप नहीं बता सकता हूँ । मैं यह दूरी अंदाज़ से भी नहीं बता सकता हूँ । अंदाज़ से मैं इसकी चौड़ाई भी नहीं बता सकता हूँ ।

प्र0- पश्चिम तरफ़ जो विवादित स्ट्रक्चर की दीवार थी, उसकी ऊँचाई क्या थी ?

उ0- यह ऊँचाई मुझे ठीक से याद नहीं है ।

विवादित भवन जब बना हुआ था, तब मैंने उसको देखा था तथा बाद में खुदाई के दौरान मैं विवादित स्थल पर गया था । विवादित भवन के स्ट्रक्चर को मैसिव स्ट्रक्चर मैं नहीं कहूँगा, परन्तु यह मज़बूत था और रीज़नेबिली बड़ा था ।

प्र0- विवादित भवन कितना लम्बा-चौड़ा था ?

उ0- विवादित भवन में तीन गुम्बद थे,परन्तु उसकी लम्बाई - चौड़ाई की पैमाइश नहीं किया था, इसलिए अंदाज़ से उसकी लम्बाई- चौड़ाई मैं नहीं बता सकता ।

विवादित ढांचा जिसे मैंने देखा था,उसमें पश्चिम की दीवार काफ़ी भारी दीवार थी और पूर्व की तरफ़ ब्लैक बसाल्ट के पिलर्स लगे हुए थे । आगे की तरफ़ एक ऊँची दीवार थी, जिसमें दरवाज़ा पूरब की तरफ़ लगा था । बीच में आँगन था । दरवाज़े वाली दीवार, मेन स्ट्रकचर के बाहर पूरब की ओर थी । उत्तर की तरफ़ स्ट्रक्चर के बाहर दीवार थी । पश्चिमी दीवार के साथ सपोर्ट के तौर पर थोड़ी दीवार थी और उत्तर तथा दक्षिण के कोने पर पिलर लगा हुआ था और शायद पत्थर का पिलर बना हुआ था । उत्तर - पूर्व दिशा में पत्थर की दीवार का पिलर था और उसके साथ पत्थर या खम्भा या पिलर लगा हुआ था । जहां तक मुझे स्मरण है ,दक्षिणी-पश्चिमी भाग में पश्चिमी दीवार से सटी हुई एक छोटी दीवार थी ,आगे पत्थर का दीवारनुमा पिलर बना हुआ था और इसके साथ अन्दर की तरफ़ ब्लैक बेसाल्ट पत्थर का पिलर था । विवादित भवन के पूर्वी भाग में कितने पिलर थे,उनकी निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन जो तीन गुम्बद विवादित भवन में थे, तीनों गुम्बदों के नीचे दाहिने व बायें पिलर लगे थे । विवादित भवन में सामने पूरब की तरफ़ छः पिलर्स या उनसे अधिक पिलर्स रहे होंगे, उनकी निश्चित संख्या मुझे याद नहीं है । पूर्वी भाग में जो पत्थर के पिलर्स थे , वे काले पत्थरों (ब्लैक बेसाल्ट) के थे । विवादित भवन के गिरने के बाद वहाँ मैं खुदाई के समय गया था और जिस समय वहाँ पहुँचा,तब सतह पर न ही पिलर के कोई अवशेष नज़र आ रहे थे और न ही इन पिलरबेसेज़ को जानने की दृष्टि से मैंने कोई प्रयास किया । जो पिलर्स विवादित स्थल पर विवादित भवन के गिरने के पूर्व देखे थे, उनके अवशेष उत्खनन के दौरान मुझे नहीं मिले । उत्खनन के दौरान वही अवशेष मिलेंगे, जिनको वहाँ छोड़ा गया होगा । जिन पिलर्स को विवादित भवन के खड़े रहने की स्थिति में मैंने देखा था, भवन के गिरने के बाद उत्खनन के दौरान उन पिलर्स के फ़ाउडेशन अथवा बेसेज़ को

मैंने वहाँ नहीं देखा। इन पिलर्स की नींव को देखने का कोई प्रश्न नहीं था,क्योंकि खुदाई के दौरान इन पिलर्स की कोई नींव नहीं देखी ।

प्र0- क्या जो पिलर्स आपके अनुसार विवादित ढांचा गिरने के पूर्व थे, वह विवादित ढांचा गिरने के पश्चात् उनकी नींव के बारे में न पता चलने के कारण यह कहा जा सकता है कि नींव न मिलने के कारण वहाँ पर पिलर्स नहीं थे ?

उ0- यह कहना इस सन्दर्भ में उचित नहीं है कि विवादित ढांचे को गिराने के बाद उसके उत्खनन के दौरान विवादित ढांचे में प्रयोग किये गये पिलर्स के बेसेज़ अगर वहाँ नहीं मिले हैं, तो वहाँ पिलर्स का प्रयोग ही नहीं रहा है,क्योंकि इस विवादित ढांचे को गिराने के बाद वहाँ पर जिस तरह की अनाधिकृत रुप से खुदाई की गई थी,उसमें इन पिलर्स के बेसेज़ को भी हटा देने की पूरी सम्भावना है ।

" अनाधिकृत " का तात्पर्य अनएथराइज़्ड से है और इससे मेरा तात्पर्य उस खुदाई से है, जो विवादित ढांचे के विध्वंस के तुरन्त बाद ढांचे के गिराने वालों के द्वारा की गई थी । मैंने अनाधिकृत रुप से खोदने की जो बात अभी ऊपर अपने बयान में कही है, उसको मैंने ढांचा गिराने वालों के सम्बन्ध में कहा है, ए0एस0आई0वालों द्वारा की गई खुदाई के सम्बन्ध में मैंने "अनाधिकृत" शब्द का प्रयोग ऊपर बयान में नहीं किया है । जिस समय ढांचा गिराया गया, उस समय इसको गिराने वालों ने अपनी मर्ज़ी से काफ़ी खोद-खाद वहाँ पर की और मेरी बात का आधार यह है कि हर दिन उस दौरान राष्ट्रीय समाचार -पत्रों में, खबरों में और उक्त खुदाई करने वाले व्यक्तियों के दावों में इस बात के संकेत प्राप्त होते थे । इस सम्बन्ध में खुदाई करने वालों के द्रावों तथा समाचार - पत्रों में प्रकाशित ख़बरें ही उपरोक्त कथन की सूचना के स्रोत हैं । विध्वंस करने वालों के दावे समाचार-पत्रों में ही आते थे और उसी

में मैंने इस बारे में पढ़ा था । इस सम्बन्ध में विध्वंस करने वालों से मेरा कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं हुआ, बल्कि उपरोक्त दोनों स्रोतों से ही मुझे इस बारे में जानकारी हुई थी । खोदने वालों के द्वारा ही समाचार-पत्रों के माध्यम से यह दावा किया जा रहा था कि खुदाई में अमुक-अमुक चीज़ें प्राप्त हुई हैं ।

प्र0- मेरा प्रश्न यह है कि अगर मौक़े पर विवादित भवन या उसके पिलर्स की नींव की खुदाई कर दी गई हो या उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो, तो क्या आपके अनुसार ऐसी सम्भावना है कि वहाँ पर बहुत से पिलर्स के साक्ष्य नष्ट हो गये हों?

उ0- जिस समय विवादित भवन का विध्वंस हुआ, उस समय विवादित स्थल को भी डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से इस बात की पूरी सम्भावना है कि उस विवादित ढांचे से सम्बन्धित सभी तरह के अवशेषों को, जिसमें पिलरबेसेज़ तथा नींव भी शामिल है, को क्षतिग्रस्त किया गया हो।

जिस स्थान पर इन साक्ष्यों को क्षतिग्रस्त किया गया होगा, वहाँ पर जो साक्ष्य पहले रहे होंगे, वे नष्ट हो गये होंगे ।

प्र0- क्या ऐसी सम्भावना है कि मौक़े पर उपरोक्त खुदाई या क्षति जिसका वर्णन आपने किया है, के कारण विवादित स्थल व विवादित ढांचे से बहुत से पिलरबेसेज़ के बारे में जानकारी प्राप्त न हो सकी हो ?

उ0- मैंने अपने बयान में बहुत से पिलर्स की बात नहीं कही है । मैंने यह कहा है कि इस विवादित स्ट्रक्चर में कुछ पिलर्स रहे हैं और विवादित स्ट्रक्चर के विध्वंस के बाद जिस तरह की अनधिकृत खुदाई से विवादित स्थल को क्षति पहुंचाई गई, उससे यह सम्भावना है कि जो पिलर वहाँ पर थे, उनके बेसेज़ को भी क्षति पहुंचाई गई हो ।

प्र0- समाचार - पत्रों में विवादित भवन को गिराये जाने का जो समाचार प्रकाशित हुआ था, क्या उन समाचारों में विवादित भवन की नींव को भी खोदे जाने की भी बात प्रकाशित हुई थी ?

(इस प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता श्री ज़फ़रयाब जीलानी,एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता पूर्णतः असंगत प्रश्न पूछकर न्यायालय तथा साक्षी का समय नष्ट कर रहे हैं, अतः इस प्रकार के प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।)

(उपरोक्त आपत्ति का विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा यह उत्तर दिया गया कि अगर यह प्रश्न विद्वान आपत्तिकर्ता अधिवक्ता के कथन के अनुसार असंगत है, तो यह अपने- आप में दर्शाता है कि गवाह के द्वारा असंगत उत्तर दिये गये हैं, क्योंकि यह प्रश्न गवाह के उत्तर से निकल रहा है।)

उ0- इस प्रकार का विध्वंस करने वाले व्यक्ति, जो ऐसी खुदाई करते हैं, वे अपनी बात की पुष्टि करने के लिए सबूत और दावे ही पेश करते हैं। वे कभी यह नहीं बताते कि किस तरह की खुदाई में यह अवशेष पाये गये हैं । इसलिए वे कभी भी इस बात की ओर इशारा भी नहीं करेंगे कि उन्होंने विवादित स्थल को कितना और किस तरह डैमेज किया है ।

मैंने इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में जो पढ़ा था, उसमें नींव खोदे जाने की बात नहीं छपी थी । यह कहना ग़लत है कि मैं समय-समय पर ग़लतबयानी भी करता रहता हूँ । मैंने अपने बयान में यह कहीं पर नहीं कहा कि मैंने समाचार पत्रों मे यह समाचार पढ़ा था कि " नींव खोदी गई "। नींव खोदे जाने के सम्बन्ध में मैंने एक सम्भावना व्यक्त किया है,क्योंकि विवादित भवन के गिरने के बाद विवादित स्थल को जो क्षति पहुंचाई गई थी, उसके

आधार पर इस बारे में सम्भावना व्यक्त की है । ऐसा कहना उचित नहीं है कि मैं पूछे गये प्रश्नों के उत्तर केवल सम्भावनाओं के आधार पर दे रहा हूँ ।

प्र0- आपने अपने पहले के बयान में पेज 270-271 पर यह कहा है कि" नींव खुदाई करने वालों के दावे समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें ही उपरोक्त कथन के सूचना के स्रोत हैं। विध्वंस करने वालों के दावे समाचार पत्र में ही आते थे और उसी से मैंने इस बारे में पढ़ा था" । पुनः आप पेज 271 पर आपने कहा है कि" खोदने वालों के द्वारा ही समाचार पत्रों के माध्यम से यह दावा किया जा रहा था कि खुदाई में अमुक-अमुक चीज़ें प्राप्त हुईं", अब आप यह कह रहे हैं कि आपको इस सम्बन्ध में अखबार के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी और इस बारे में आप अनुमान से बता रहे हैं, तो आपकी किस बात को सही माना जाये ?

उ0- मैंने अपने उपरोक्त बयान में यह कहीं नहीं कहा है कि उपरोक्त खोदने वालों के द्वारा नींव खोदी गई और इसके बारे में मैंने पढ़ा । मैंने केवल उपरोक्त खोदने वाली बात समाचार पत्रों में पढ़ा था, खबरों में सुना और उसी के आधार पर यह सम्भावना व्यक्त की थी कि इस तरही की खुदाई में अगर उन पिलरबेसेज़ की जगह पर नींव उन्होंने खोद दी हो, तो उनके बेसेज़ व नींव के नष्ट होने की सम्भावना है।

प्र0- आपने सम्भावना के आधार पर यह बताया कि पिलर्स के बेस तथा नींव को भी क्षतिग्रस्त किया गया, परन्तु इस बात का आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- मैंने यह कहीं पर नहीं कहा है कि इस तरह की नींव या पिलरबेसेज़ को नष्ट किया गया है । मैंने केवल यह सम्भावना व्यक्त की थी कि इस तरह की खुदाई यदि विवादित स्थल पर हुई, तो नींव व पिलरबेसेज़ के नष्ट होने की सम्भावना है ।

प्र0- विवादित भ्वन के गिरने के बाद उत्खनन के समय विवादित स्थल की जो स्थिति आपने देखी थी, उस स्थिति के आधार पर आप अपनी सम्भावनाओं के आधार पर क्या बताएंगे कि वहां पर नींव अथवा पिलरबेस की खुदाई हुई थी या नहीं ? यह प्रश्न खुदाई के पूर्व की नींव तथा उन पिलरबेस के बारे में है, जिनको आपने ढांचे के गिरने के पहले देखा था । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री ज़फ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि उपरोक्त प्रश्न अस्पष्ट तथा मिश्रित है,अतएव न्यायालय द्वारा इसको अलग-अलग करके कई भागों में पूछा जाना उपयुक्त होगा ।)

उपरोक्त आपत्ति के प्रकाश में विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता से इस सम्बन्ध में अलग-अलग प्रश्न पूछे जाने का अनुरोध किया गया, तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निम्न प्रश्न पूछेः-

प्र0- विवादित भवन के गिरने के पूर्व विवादित भवन के जिन पिलर्स को आपने देखा था, उन पिलर्स के बेस या नींव उत्खनन के दौरान आपने देखे या नहीं ?

उ0-मैंने खुदाई से पूर्व जिन पिलर्स को विवादित स्ट्रक्चर में देखा था ,उनके बेसेज़ व नींव खुदाई के दौरान नहीं देखे ।

प्र0- यदि आपने उन पिलर्स के बेस अथवा नींव नहीं देखे, तो क्या आप अपनी सम्भावना से इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि खुदाई करने वालों के द्वारा नींव या पिलर के बेसेज़ को नष्ट किया गया था ?

उ0- विवादित स्ट्रक्चर का जो बड़ा उत्तरी भाग है, उस पर खुदाई नहीं हुई, इसलिए यह बात उस पर लागू नहीं होती । जिस दक्षिणी हिस्से में कुछ खुदाई हुई, उसके आधार पर ऐसा कोई प्रमाण नही है कि पिलरबेसेज़ या नींव को नष्ट किया गया हो ।

प्र0- जिन पिलर्स को आपने विवादित भवन के ध्वस्त होने के पूर्व देखा था,क्या वे बिना बेस या नींव के थे ?

उ0- इस बारे में मैं नहीं कह सकता कि उनकी नींव या बेसेज़ कैसे थे, क्योंकि मैंने तो पिलर्स को स्ट्रक्चर में लगे हुए देखा था और देखने से यह एहसास होता था कि स्ट्रक्चर का लोड इन पिलर्स पर नहीं है ।

प्रश्न - क्या चौथे फ़्लोर से अटैच्ड कोई पिलर बेस था , जिसकी विवादित स्थल पर नींव पाई गई , यदि इस प्रकार के पिलर बेस चौथे फ़्लोर से अटैच्ड थे , तो उनकी संख्या क्या थी?

उत्तर - इस प्रकार के पिलर बेस नहीं थे ।

ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि चौथे फ़्लोर पर कुछ पिलर बेसेज़ थे । ए0 एस0 आई0 ने इन पिलर बेसेज़ की संख्या क्या बताई है , यह मुझे याद नहीं है । मैंने इस बारे में रिपोर्ट में पढ़ा है ।

प्रश्न - आप रिपोर्ट देखकर यह बताएं कि ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में कहाँ पर यह लिखा हुआ है कि चौथे फ़्लोर से कितने पिलर बेस अटैच्ड थे ?

(इस प्रश्न पर श्री ज़फ़रयाब जीलानी, एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि इस समय 2 बजकर 25 मिनट हुआ है और आज की कार्यवाही रेफ़रेंस होने के कारण तीन बजे समाप्त हो जाएगी । इसलिए रिपोर्ट को इस समय पढ़वाने का यह मतलब होगा कि आज मज़ीद कोई प्रश्न पूछा न जा सके । इसलिए इस प्रश्न को , जो पूर्ण रूप से अप्रासंगिक भी है और जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है , इस समय पूछा जाना पूर्णतया अनुचित है । केवल समय नष्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है ।)

(उपरोक्त आपत्ति का जवाब विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा यह दिया गया कि समय सीमा से बांधकर प्रश्न को नहीं पूछा जा सकता । गवाह ने स्वयं बताया है कि उन्होंने ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में इस बारे में पढ़ा

है और ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में जो बातें बताई लिखी गई हैं , वे क्रमबद्ध रूप में हैं , इसलिए रिपोर्ट को देखकर इस सम्बन्ध में बताना कोई मुश्किल कार्य नहीं है । इस प्रकार की आपत्ति करके गवाह को यह सुझाव दिया जा रहा है कि वह इस प्रश्न का उत्तर न दे या उसका गोल - मोल उत्तर दे ।)

उत्तर - इस सम्बन्ध में ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट के वाल्यूम - 1 के पृष्ठ - 54 के पैरा - 3 में इस बारे में यह लिखा हुआ है कि " देयर फ़ाउडेंशन्स वेयर सर्कुलर .....एण्ड समव्हेयर सैण्ड स्टोन चिप्स वेयर यूज़्ड टु गेट द डिज़ायर हाइट एण्ड लेविल "। उपरोक्त अंश में ए0 एस0 आई0 ने यह लिखा है कि कितने पिलर बेस फ़्लोर फ़ोर से अटैच्ड थे ।

प्रश्न - ए0 एस0 आई0 ने उपरोक्त अंश में अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि " मोस्ट आफ़ देम रेस्टिंग ओवर फ़ोर्थ फ़्लोर" क्या इस अंश में " रेस्टिंग ओवर फ़ोर्थ फ़्लोर में " रेस्टिंग ओवर" का तात्पर्य " अटैच्ड " से है ?

उत्तर - हाँ " रेस्टिंग ओवर " का तात्पर्य " अटैच्ड " से है ।

प्रश्न - क्या उपरोक्त वाक्य से आप यह बता सकते हैं कि कितने पिलर बेसेज़ के बारे में ए0 ए स0 आई0 ने बताया है , जो फ़्लोर फ़ोर्थ से अटैच्ड थे । क्या उनकी निश्चित संख्या बताई जा सकती है ?

उत्तर - उपरोक्त पैराग्राफ़ में यह नहीं लिखा है कि कितने पिलर बेसेज़ की बात ए0 एस0 आई0 कर रही है ।

प्रश्न - रेस्टिंग ओवर का तात्पर्य यह होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर स्थित है , परन्तु उसका तात्पर्य दोनों चीज़ों के अटैच होने से नहीं है । इस बारे में आपका क्या कहना है ?

उत्तर - किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का स्थित होना ही उनका एक - दूसरे के साथ जुड़ा होना व्यक्त करता है ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान उनके शपथ - पत्र के पृष्ठ - 8 पर लिखे गए प्रस्तर - 13 की 19वीं पंक्ति के अंश " आफ़ दिस स्ट्रक्चर ..... ओनली फ़ोर फ़्लोर हैव बीन फ़ाउण्ड "

(बीसवीं पंक्ति के अंत तक) आकृष्ट किया तथा यह पूछा कि इस वाक्य में यह बताया गया है कि चार पिलर बेसेज़ ऐसे थे , जिनकी नींव चौथे फ़्लोर से अटैच्ड थी । इस वाक्य में चार की संख्या किस आधार पर लिखी गयी है , जबकि साक्षी यह बता चुके हैं कि ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट से ऐसे पिलर बेस की संख्या नहीं बताई जा सकती है । साक्षी ने बताया कि इस सम्बन्ध में जो ऊपर बताया है , वह ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम - 1 के पृष्ठ - 54 के प्रस्तर - 3 के उपरोक्त अंश के बारे में ही कहा है ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

17.07.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया । इसी क्रम में दिनांक - 18.7.2006 को अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद प्रस्तुत हो । साक्षी उपस्थित आवें ।

(हरि शंकर दूबे) 17.7.2006
आयुक्त
17.07.2006

समक्षः-आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ खण्डपीठ ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक - 18.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 17.07.2006 के क्रम में पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या 4/89 में प्रतिवादी संख्या 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जारी)

मैंने गहड़वाल डायनेस्टी के बारे में सुना है । गहड़वाल डायनेस्टी का राज्य उत्तरी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में था । मुझे यह याद नहीं आ रहा है कि 11वीं शताब्दी में राजा चन्द्र देव, गहड़वाल वंश के शासक, उपरोक्त क्षेत्र के थे या नहीं । मैंने गहड़वाल वंश के राजा गोविन्द चन्द्र का नाम सुना है । यह 12वीं शताब्दी में गहड़वाल वंश के शासक थे या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । गोविन्द चन्द्र का राज्य उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में था, परन्तु इनका राज्य बिहार प्रदेश में था या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है गोविन्द चन्द्र का राज्य किन - किन भागों में फैला हुआ है,इसकी जानकारी मुझे नहीं है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गहड़वाल वंश के राजा "अनंग पाल" थे या नहीं । यह हो सकता है कि गहड़वाल वंश के राजाओं ने कई स्थानों पर मंदिर बनवाये हों, परन्तु इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है । मैंने यद्यपि अपने शपथ - पत्र में गहड़वाल डायनेस्टी का ज़िक्र किया है, परन्तु इस डायनेस्टी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है । मुझे इस बात

की जानकारी नहीं है कि गहड़वाल वंश के शासकों द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या के क्षेत्र पर उनका शासन था या नहीं ।

विद्वान जिरहकर्ता ने साक्षी का ध्यान ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम -2 की प्लेट 137 पर आकृष्ट किया । साक्षी ने इसे देखकर बताया कि मुझे ठीक से यह याद नहीं आ रहा है कि इस प्लेट में नज़र आ रहा पत्थर खुदाई स्थल पर उत्खनन के दौरान मिला था या नहीं । यह कहना सही नहीं है कि खुदाई स्थल पर जो चीज़ें प्राप्त हुई थीं, उनको मैंने ध्यान से नहीं देखा । यह कहना ग़लत है कि मैंने खुदाई स्थल से प्राप्त बहुत सी चीज़ों को नही देखा तथा यह भी कहना ग़लत है कि चूँकि मैं बाबरी मस्जिद की तरफ़ से उत्खनन स्थल पर उपस्थित था, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा । प्लेट सं0-137 में नज़र आ रहे पत्थर में देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नागरी लिपि व देवनागरी लिपि में क्या अन्तर है । मैं देवनागरी लिपि जानता हूँ, क्योंकि यह हिन्दी की लिपि है ।

प्र0- देवनागरी लिपि से हिन्दी निकली अथवा हिन्दी से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ ?

उ0- लिपि किसी भाषा को व्यक्त करने का एक माध्यम है । यह मैं नहीं कह सकता कि हिन्दी, देवनागरी लिपि से निकली है ।

प्लेट नं0-137 में नज़र आ रहे पत्थर पर जो कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ । इस टूटे हुए पत्थर के टुकड़े पर" प ल न" अक्षर नज़र आ रहे हैं । इस प्लेट के आधार पर मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि इस पत्थर पर क्या लिखा हुआ था तथा किस नाम, स्थान, काल की ओर संकेत करता है । मैं इस बात को पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि इस पत्थर पर नागरी लिपि में" अनंगपाल" लिखा है कि नहीं ।

प्र0- खुदाई स्थल पर यदि कोई ऐसा पत्थर प्राप्त होता है,जिस पर किसी विशेष डायनेस्टी के शासक का नाम लिखा हुआ है,तो पुरातात्विक दृष्टि से इससे क्या निष्कर्ष निकाला जावेगा तथा क्या जिस शासक के बारे में यह कहा जावेगा कि वह उस वंश से संबंधित है, जिस वंश का राजा वह था ?

उ0- एक तो पुरातत्व में इस प्रकार की बात को माने जाने का (एज़्यूम)करने का कोई महत्व नहीं है। दूसरे उत्खनन के दौरान स्तरबद्ध क्रम में अगर कोई वस्तु उपलब्ध होती है,उसका अपना उस स्तर व काल के लिए महत्व होता है। इस सम्बन्ध में तीसरी बात यह है कि जहां तक किसी राजा के अभिलेख मिलने के एज़म्प्शन की बात है, इस सन्दर्भ में ऐसे किसी पुरालेख का महत्व तभी स्पष्ट हो पाता है, जब उस राजा के काल को सुनिश्चित, उत्खनन के दौरान अनेक स्थानों पर,किया गया हो और उस काल के स्तरों से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में जानकारी भी उपलब्ध हो ,केवल मात्र किसी एक स्थल के उत्खनन में किसी एक सम्पूर्ण या अधूरे लेख मिल जाने मात्र से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती ।

मैंने ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट पढ़ी है, परन्तु रिपोर्ट में इस पत्थर के बारे में क्या लिखा है, यह मुझे इस समय याद नहीं है । यह कहना ग़लत है कि यदि किसी हिन्दू शासक से सम्बन्धित कोई वस्तु प्राप्त हुई है , तो उसके बारे में मैं याद नहीं रखता हूँ और न इसको याद रखने का प्रयत्न ही करता हूँ ।

प्र0- यदि उत्खनन के पूर्व आर्कियोलोजिकल डिपाज़िट को डिस्टर्ब कर दिया जाये, जैसा कि कल आपने अपने बयान में बताया कि नींव को अनएथराइज़्ड - वे में खोदा गया,तो क्या यह सम्भावना है कि इस अवस्था में इस डिस्टर्बेंस के कारण अर्ली पीरियड की कोई वस्तु लैटर-लेवेल पर प्राप्त हो?

उ0- मैंने कल अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया था कि मैंने अनाधिकृत खुदाई में इस तरह की चीज़ों को नष्ट किये जाने की सम्भावना की ओर संकेत मात्र किया था और दूसरे इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी पुरास्थल पर इस तरह के उत्खनन में नीचे स्तर की वस्तुओं या पुरावशेषों के ऊपर के स्तरों में पहुँच जाने की सम्भावना होती है ।

मैंने अपने कल के बयान में यह बता दिया था कि मुझे यह याद नहीं है कि विवादित भवन में लगे हुए ब्लैक बेसाल्ट के पिलर्स की संख्या क्या था, परन्तु इतना ज़रुर है कि इस भवन में जो पिलर्स लगे हुए थे, वे ब्लैक बेसाल्ट के थे। यह ब्लैक बेसाल्ट के पिलर्स डेकोरेटिव पीसेज़ के रुप में वहां पर लगे हुए थे । यह लोड-बियरिंग की पोज़ीशन में फ़िक्स्ड नहीं थे।

प्र0- विवादित भवन में जो तीनों आर्च थे, उनके सामने के हिस्से में क्या दाहिने और बायें दोनों तरफ़ यह ब्लैक स्टोन लगे हुए थे । यह स्टोन तीनों आर्च में लगे हुए थे या केवल बीच के आर्च में लगे हुए थे ?

उ0- यह मुझे स्पष्ट रुप से याद नहीं आ रहा है कि यह पिलर्स सामने के तीनों आर्च में लगे हुए थे अथवा नहीं। सम्भवतः यह बीच के आर्च में लगे हुए थे । यह बीच वाले डोम के सामने वाले आर्च में साइड्स में लगे हुए थे ।

प्र0- क्या यह बीच वाले आर्च में सामने वाले हिस्से में मुख्य द्वार की तरफ़ थे?

उ0- यह पिलर्स बीच वाले डोम के प्रवेश स्थान पर आर्च के नीचे जो दीवार थी, उसमें सामने लगे हुए थे ।

इनकी लम्बाई लगभग 6 फ़िट रही होगी । मैंने डेकोरेटिव स्टोन को मस्जिद में लगा हुआ देखा है, परन्तु काले रंग के डेकोरेटिव स्टोन पिलर किसी मस्जिद में नहीं देखा। स्वयं कहा कि मैंने कुछ मस्जिदों में ही देखा है

तथा उसी के बारे में यह बयान दे रहा हूँ । मैंने किसी ऐसी मस्जिद के बारे में नहीं सुना,जिसमें चित्रित काले पत्थर लगाये गये हों।

मुझे मूर्ति तथा मंदिर - निर्माण कला के बारे में कुछ-कुछ जानकारी है। आर्किटेक्चर तथा मूर्तिकला मेरा विषय नहीं है,इसलिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी होने का दावा मैं नहीं करता हूँ और न ही यह आवश्यक है कि प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व के अध्ययन के जो विशिष्ट विषय हैं, उनमें हर कोई व्यक्ति पारंगत हो । निर्माण- शैली के बारे में जानकारी रखना अपनी-अपनी रुचि तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है । किसी पुरातत्वविद् के लिए इसके मेन ट्रेंड्स की जानकारी रखना आवश्यक है । मैं यह बता सकता हूँ कि भारत में पत्थर पर मूर्ति बनाने की शुरुआत कब हुई । यह सेकण्ड सेंचुरी बी0सी0 के आस-पास हुई । सिंधु सभ्यता में मूर्ति बनाने की कला विकसित नहीं हुई थी, परन्तु पत्थर को तराशने की कला उस समय विकसित हो चुकी थी । मैं इस बारे में सही-सही नहीं बता पाऊँगा कि मंदिरों में तराशे हुए पत्थरों का लगाया जाना किस तिथि से शुरु हुआ । जहां तक काल का सम्बन्ध है, इसकी शुरुआत हम अर्ली मिडिवियल पीरियड से कह सकते हैं ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-2 की प्लेट सं0- 83 पर आकृष्ट किया। इसमें काले पत्थर पर उत्कीर्ण कलश स्पष्ट रुप से नज़र आ रहा है । इसी रिपोर्ट की प्लेट नं0-82 में मुझे नीचे घट जैसी आकृति दिखाई दे रही है, जिस पर लाल रंग भी चढ़ा हुआ है । कलश के चारों ओर पल्लव तथा फूल-पत्तियां बनी हुई हैं । प्लेट नं0-83 में दो चरण मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं । प्लेट न0-83 के निचले भाग में पैर जैसी आकृति नज़र नहीं आ रही है, परन्तु कलाई तथा पंजे जैसी आकृति नज़र आ रही है, परन्तु इसके बारे में ठोस रुप से नहीं कहा जा

सकता है । यह सच है कि हिन्दू धर्म में कलश का कुछ अवसरों पर महत्वपूर्ण स्थान है । यह भी ठीक हो सकता है कि हिन्दू धर्म में शुभ चिन्ह के रुप में कलश को कुछ अवसरों पर दिखाया जाता हो या प्रयोग किया जाता हो। स्वयं कहा कि लेकिन इसका यह क़तई अर्थ नहीं है कि हिन्दू धर्म में ही इसका प्रचलन रहा हो, क्योंकि अभी तीन दिन पहले मैंने दिल्ली में कुछ मस्जिदों ,गुम्बदों व दरगाहों का सर्वेक्षण किया और उनमें से एक लाल गुम्बद मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है । इस लाल गुम्बद की दरगाह में भी जो मस्जिद बनी हुई है,उसमें घट - पल्लव का चित्रण करने के लिए प्रयोग किया गया है ।

प्र0- आज से तीन दिन पहले बिना किसी औचित्य के दिल्ली में आप इसलिए भटकते रहे कि आपको मस्जिद में घट - पल्लव ढूंढ़ना था और केवल आप मस्जिद की ही निर्माण शैली को जानने की कोशिश करते रहे। इस प्रकार आपने मस्जिद के अतिरिक्त अन्य निर्माण के बारे में जानने का प्रयत्न नहीं किया और इसीलिए अन्य धर्म विशेषकर हिन्दू धर्म के मंदिरों की निर्माण शैली के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है । इस बारे में आपको क्या कहना है?

उ0- जहाँ तक औचित्य की बात है, इस प्रश्न में ही औचित्य छिपा हुआ है और मैंने मस्जिद में जो घट - पल्लव देखने का प्रयास किया, वह भटकना नहीं और न ही किसी धर्म विशेष से लगाव व विरोध की वजह से है। यह केवल मैंने इसलिए किया कि हिन्दू धर्म के कुछ अधिष्ठाता ही यह दावा करते हैं कि घट - पल्लव चित्रकारी के लिए हिन्दू धर्म की ही धरोहर रही है। दिल्ली की मस्जिद में घट - पल्लव की चित्रकारी के विषय में कहने का मेरा तात्पर्य केवल यही है ।

मैंने दिल्ली में लाल गुम्बद,मालवीय नगर,में जो मस्जिद देखी थी वह सल्तनत काल की है। मैं वहाँ पर आफ़िशियल विज़िट के लिए नहीं गया था

बल्कि आर्कियोलाज़िकल सर्वे के लिए गया था । मैं स्वेच्छा से वहाँ पर गया था। ऐसा नहीं है कि मैं स्वेच्छा से मस्जिद व दरगाहों का सर्वेक्षण करता रहा हूँ। यह कहना ग़लत है कि मैं मस्जिद और दरगाहों पर ही पुरातत्व के पुराअवशेष खोजता रहता हूँ। यह कहना पूर्ण सत्य नही हैं कि मैं बाबरी मस्जिद के बारे में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु मस्जिद तथा दरगाहों में भटक रहा हूँ।

प्रश्न- क्या हिन्दू धर्म शैली और पूजा पद्धति के बारे में यह जानने का प्रयत्न किया कि कलश का क्या महत्व है और वह किन अवधारणाओं को दर्शाता है?

उत्तर - मैं अपने ऊपर के बयान में इस बात को बता चुका हूँ कि हिन्दू धर्म में कलश तथा फूल पत्तियों का क्या महत्व है। चूँकि कलश को शुभ माना जाता है ,इसी अवधारणा के कारण हिन्दू धर्म में इसका प्रयोग होता है।

प्रश्न- कलश को शुभ क्यों माना जाता है और शुभ मानने के पीछे क्या अवधारणा है, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको हिन्दू धर्म के बारे में जानकारी रखने की कोई रुचि है तथा आप अपना सर्वेक्षण केवल मुस्लिम धर्म के आधार पर करते हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- यह कहना सही नहीं है कि मैं केवल इस्लाम धर्म से संबंधित बातों में ही रुचि रखता हूँ और हिन्दू धर्म के विषय में जानकारी नहीं रखता हूँ।

कलश को शुभ माने जाने के पीछे यह अवधारणा है कि कलश एक ऐसा बर्तन है ,जिसमें किसी भी पदार्थ को विशेष कर तरल पदार्थ को सुरक्षित रूप से स्टोर करके रखा जाता है और तरल पदार्थों में पानी का विशेष महत्व है ,पानी जीवन के लिए अमृत माना जाता है उसका जीवन में विशेष महत्व रहता है ,जहाँ तक फूल पत्तियों का प्रश्न है ,वह भी जीवन की तरफ़ संकेत

करते हैं और इस बात के द्योतक हैं कि जीवन एक बेल की तरह से फैलता फूलता और पल्लवित होता रहे।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-2 की प्लेट सं0- 83 पर आकृष्ट किया तथा निम्न प्रश्न पूछाः-

प्रश्न -प्लेट सं0 -83 में कलश के ऊपर क्या नारियल जैसी आकृति नज़र आ रही है?

उत्तर-कलश के ऊपर जो चीज़ रखी हुई दिख रही है, वह नारियल है अथवा नहीं ,यह हर व्यक्ति की मानसिकता व मान्यता पर निर्भर करता है । वह इसे नारियल के रुप में व कली के रुप में भी देख सकता है।

मैंने नारियल को देखा है ,परन्तु प्लेट सं0-83 में हूबहू नारियल जैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कलश के ऊपर रखी हुई चीज़ नारियल को संकेत करती हो। मुझको प्लेट सं0-83 के कलश के ऊपर कुछ कुछ नारियल के आकार जैसी चीज़ दिखायी दे रही है। हो सकता है कि यह हिन्दू धर्म में पूजा पाठ मे प्रयोग होता हो। हो सकता है कि हिन्दू धर्म में कलश के ऊपर चावल तथा उसके ऊपर नारियल पूजा पाठ के समय रखा जाता हो।

प्रश्न- आपने यह बताया है कि कलश में पानी सुरक्षित रखा जाता है तथा पानी जीवन का आधार होता है, तो क्या पानी को कलश के अतिरिक्त ओर किसी बर्तन में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है?

उत्तर- पानी को किसी भी बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन इस संदर्भ में यह बात रखने की है कि मनुष्य के जीवन में जब बर्तन बनाने की कला का प्रारंभ हुआ ,तब उस काल के व्यक्तियों के द्वारा इस तरह के बर्तनों में पानी जैसे तरल पदार्थों को संचित रखने का महत्वपूर्ण तकनीकी विकास था और इसी तकनीकी विकास की शुरुआत के परिणामस्वरुप मनुष्य के

जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इसी परिवर्तन के परिणामस्वरुप बर्तन को विशेष महत्व दिया गया है और जैसे - जैसे बर्तन बनाने की कला का विकास समय के साथ होता गया वैसे वैसे बर्तनों के आकार व प्रकार में भी परिवर्तन आता गया कलश उसी तकनीकी विकास के सिलसिले का एक विकसित पहलू है।

प्रश्न- आपने अपने उत्तर में कलश को हिन्दू धर्म में शुभ माने जाने के पीछे जो कारण बताया है,उसमें एक कारण यह है कि कलश को मनुष्य द्वारा विकसित किया गया पहला बर्तन है और कलश में जल व तरल पदार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कलश को शुभ मानने के लिए हिन्दू धर्म की अन्य मान्यताओं और रीतियों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- हिन्दू धर्म कोई स्थाई इकाई नहीं रही है। इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और इन्हीं परिवर्तनों के दौर में अनेक तरह की मान्यतायें जुड़ती रही हैं। मुझे नहीं मालूम है कि प्रश्न में किस मान्यता की तरफ़ इशारा किया गया है।

प्रश्न- आपने यह बताया है कि हिन्दू धर्म में कई मान्यतायें हैं,आपने ऊपर अपने बयान में जो बात बतायी हैं, क्या वह भी हिन्दू धर्म की मान्यता है ,इसके अतिरिक्त कोई मान्यता आपकी जानकारी में है अथवा नहीं, कृपया बतायें?

उत्तर- मैंने उपरोक्त बयान में जिस मान्यता की चर्चा की है, वह मूल मान्यता है और पश्चात् काल में जो कपोल कल्पित अन्य मान्यतायें जुड़ गयी हैं, उन मान्यताओं के संबंध में अगर मुझसे विशिष्ठ रुप से किसी मान्यता के बारे में उसका नाम बताकर पूछा जाये, तो संभवतः मैं इसका जबाब दे सकूँगा।

हिन्दू धर्म में लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। हिन्दू लोग धन की देवी के रुप में लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस संबंध में इस बात के मेरे द्वारा मानने या न मानने का प्रश्न नहीं है। मुझको यह जानकारी नहीं है कि हिन्दू धर्म में कलश, घट -पल्लव की जो पूजा की जाती है, उसमें लक्ष्मी के किसी प्रतीक को रखा जाता है अथवा नहीं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि हिन्दू धर्म में पूजा के समय जो जल रखा जाता है ,उसको किस प्रतीक के रुप में रखा जाता है।

प्रश्न - कलश के ऊपर जो चावल रखा जाता है, उसका प्रयोग किस चीज़ के प्रतीक के रुप में होता है ,क्या इसके बारे में आपको जानकारी है?

उत्तर -मैं यह जानता हूँ कि कलश के ऊपर जो चावल के" ग्रेन्स" रखे जाते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। इसका संबध मैं मानव के द्वारा ख़ानाबदोश अवस्था को छोड़ करके भोजन उत्पादन व स्थायी जीवन की शुरुआत के संकेत के रुप में देखता हूँ। पहले ख़ानाबदोश अवस्था में मनुष्य के भोजन की पूर्ति का कोई स्थायी प्रबंध नहीं था ,इसलिए उसके जीवन में कोई सुख, चैन व स्थायित्व नहीं था और जैसे ही मनुष्य ने इस ख़ानाबदोश अवस्था को पार करके भोजन उत्पादन की क्रिया का प्रारंभ किया, उसी के साथ मनुष्य के जीवन में स्थायी जीवन की शुरुआत के साथ साथ स्थायित्व और सुख भी आया । अनाज़ (जिस तरह से चावल के ग्रेन्स हैं ।) मनुष्य की अनाज उत्पादन क्रिया और इसके साथ उसके जीवन के सुख के संबंध को दर्शाता है।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कलश के ऊपर नारियल किसी आराध्य देव के प्रतीक के रुप में रखा जाता है या नहीं। मैं नारियल का महत्व बता सकता हूँ। ऐसी वस्तुओं के विश्लेषण के अनेक तरीक़े हो सकते हैं और व्यक्ति व्यक्ति की दशा में भिन्न - भिन्न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी

उसका जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, वह इस प्रकार है कि भारत वर्ष में पहली सभ्यता का जो विकास हुआ ,वह अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में ही हुआ और इन क्षेत्रों में जो वनस्पति पायी जाती है, उसमें से एक महत्व पूर्ण वृक्ष नारियल का होता है। जो मनुष्य के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ,जो भारतवर्ष में भी महत्वपूर्ण इसी वजह से धर्म के क्षेत्र में माना जाता है।

यह कहना ग़लत है कि चूंकि मुझे हिन्दू धर्म की मान्यता तथा रीति रिवाजों के बारे में जानकारी नहीं है,इसलिए मैं इस संबंध में पूछे गये प्रश्नों का अनुमान के आधार पर सामान्य उत्तर दे रहा हूँ।

प्रश्न- दिल्ली के जिस मस्जिद को अभी हाल में देखे जाने की बात आपने अपने बयान में बताई है, उस मस्जिद के किस भाग को आपने देखा था?

उत्तर- मैंने मस्जिद के पूरे भाग को देखा था।

प्रश्न- मस्जिद में आप क्या ढूंढ़ने गये थे?

उत्तर- मस्जिद के आकार ,प्रकार तथा स्वरूप को देखने मैं गया था।

प्रश्न- क्या आप मस्जिद के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हैं,जिसके संबंध में आप मस्जिद को देखने गये थे?

उत्तर- मैं इस संबंध में किसी शोध कार्य में रत नहीं हूँ। मैं शोध कार्य के सिलसिले में वहाँ नहीं गया था।

मैं मस्जिद के अंदर वाले भाग में भी गया था।

प्रश्न- क्या किसी किताबी को मस्जिद के अंदर जाना वर्जित है?

(इस प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान,एडवोकेट व श्री ज़फ़रयाब जीलानी,एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि यह प्रश्न पूर्णतया असंगत है और इसका साक्षी की गवाही से कोई संबंध नहीं है तथा इसमें जो शब्द" किताबी" का प्रयोग किया गया है, वह भी आम फ़हम नहीं है।)

(उपरोक्त आपत्ति का उत्तर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा यह दिया गया कि साक्षी पढ़ा लिखा होने के साथ- साथ इतिहास व इस्लाम के जानकार हैं तथा वह मस्जिद और दरगाहों में जाते रहते हैं,यह बात उन्होंने स्वयं बताई है ,इसलिए यह कहना कि साक्षी को शब्दों का अर्थ मालूम नहीं होगा,यह साक्षी की तौहीन करना है, साक्षी द्वारा दिये गये उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न पूरी तरह सुसंगत है।)

उत्तर- चूंकि मैं " किताबी" शब्द से परिचित नहीं हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दे पाना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

प्रश्न- क्या आपने इस्लाम धर्म के परिप्रेक्ष्य में " किताबी " शब्द पढ़ा या सुना है?

उत्तर- न तो मैंने आज से पूर्व इस शब्द को सुना है और न ही इसको कहीं पढ़ा है।

प्रश्न- मस्जिद में उन लोगों का प्रवेश वर्जित है अथवा नहीं , जो इस्लाम मत के अनुयायी नहीं हैं अथवा दूसरे धर्मों के मानने वाले हैं?

(इस प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान,एडवोकेट व श्री ज़फ़रयाब जीलानी,एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि साक्षी न तो इस्लाम धर्म के एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर पेश किये गये हैं और न ही मस्जिद में दाख़िल होने या न होने के बाबत इस्लामी उसूल का साक्षी के बयान से कोई संबंध है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूर्णतया असंगत हैं एवं न्यायालय व साक्षी का समय नष्ट करने के लिए पूछे जा रहे हैं)

(उपरोक्त आपत्ति का उत्तर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने यह दिया कि साक्षी ने स्वयं बताया है कि वह मस्जिद व दरगाहों में घूम-घूम कर साक्ष्य देखते हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर अपने साक्ष्य में यह भी बताया

है कि उन्होंने मस्जिद में क्या-क्या पाया ,इसलिए साक्षी के क्रेडिबिलिटी को टैस्ट करने के लिए यह प्रश्न पूछा जाना आवश्यक है)

उत्तर- यह सच है कि मैंने इस्लाम धर्म के नियमों का कोई अध्ययन नहीं किया है और यह भी मुझे निश्चित तौर पर जानकारी नहीं है कि ग़ैर इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाले लोग इस्लाम के नियमों के अनुसार मस्जिद में जा सकते हैं अथवा नहीं,लेकिन मुझे कई बार मस्जिद में जाने का मौक़ा मिला है। मुझे किसी ने रोका नहीं। दूसरे दिल्ली की जिन मस्जिदों की मैंने चर्चा की थी,उनमें से कुछ मस्जिदों की चर्चा मैंने अपने बयान में भी की है। उनको देखने के लिए मैं गया था और जिन मस्जिदों में मैं गया था वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियमों के अनुसार प्रोटेक्टेड मानूमेंट्स में सम्मिलत हैं। इनमें किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है।

प्रश्न- उपरोक्त उत्तर में आपने अपने शपथ पत्र में जिस चर्चा का उल्लेख किया है तो आपने चर्चा पहले कर दी,मुआयना बाद में करने गये। तो मैं यह समझूं कि लिख पहले देते हैं और उसका सत्यापन बाद में करते हैं?

उत्तर- मैंने अपने जवाब को छोटा रखने के लिए ऐसा कहा था। मुझे यह अंदाज़ भी था कि इस तरह का सवाल पूछा जायेगा। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह कहना उचित नहीं है कि बग़ैर देखे या पढ़े मैंने अपने बयान में इस बारे में चर्चा की है। मैंने एक जापानी लेखक की पुस्तक " आर्किटेक्चर आफ़ दिल्ली" व" भारतीय पुरातत्व विभाग" के प्रकाशन"इंडियन आर्कियोलाजी -ए रिव्यू" के अध्ययन के आधार पर लिखा है। और इसी लिए अभी हाल में इन स्मारकों को मैं स्वयं देखने के लिए भी गया था। मैं जिन मस्जिदों व दरगाहों को दिल्ली में देखने गया था उसको ए0एस0आई0 ने प्रोटेक्टेड मानुमेंट्स घोषित किया है और वह इस आशय की इस विभाग की तरफ़ से घोषणा भी अंकित है।

मैंने वहाँ पर मस्जिद को उत्तर-दक्षिण एक दीवार के रूप में देखा। इस दीवार के उत्तरी व दक्षिणी किनारों पर भी छोटी-छोटी दीवारें ,डाट के साथ हैं। इस पश्चिम वाली दीवार में तीन आर्क थीं,बीच वाली बड़ी थी व दोनों साईड वाली छोटी थीं और इसी दीवार में ताक़ भी बने हुए थे। इन ताक़ों में प्लास्टर किया हुआ था। ताक़ों को बाहरी किनारे पर फूल -पत्तियों से सजाया गया था और ताक़ के अंदर बहुत सुन्दर घट पल्लव बनाया हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ए0एस0आई0 द्वारा प्रोटेक्टेड उपरोक्त मानूमेंट्स के संबंध में किसी पुरातत्वविद् ने कभी कोई विचार व्यक्त किया अथवा नहीं कि वहाँ पर घट पल्लव देखा गया था।

प्रश्न- तो क्या आप हिन्दुस्तान के अकेले ऐसे आर्कियोलाजिस्ट हैं जिन्होंने मस्जिद में घट पल्लव पाये जाने की खोज किया है?

उत्तर- मैंने अपने उपरोक्त बयान में यह कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि किन-किन विद्वानों व पुरातत्ववेताओं ने उक्त घट पल्लव की चर्चा की है। जिसका अर्थ यह है कि इसकी चर्चा की भी गयी हो सकती है और नहीं की गयी भी हो सकती है। मैं यह दावा क़तई नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही पहला ऐसा पुरातत्ववेत्ता हूँ, जिसने यह बात कही हो। वहां पर जो चित्रित है उसको कोई भी रूचि रखने वाला व्यक्ति व विद्वान जाकर देख सकता है।

मैंने मस्जिद में घट पल्लव की बात को सुना भी नहीं था इसको देखा केवल विवादित स्थल पर ही और अभी दिल्ली के उपरोक्त स्थल पर देखा है। मैंने इस बारे में पहले कहीं पढ़ा हो,यह मुझे याद नहीं है। यह कहना सही नहीं है कि मेरी स्मरण शक्ति ठीक नहीं है। मैंने पुरातत्वविद् की हैसियत से इस संबंध में जानने की कोई विशेष कोशिश नहीं की कि काले पत्थर भारत में कहाँ-कहाँ पर पाये जाते हैं।

प्रश्न- क्या किसी पुरातत्वविद् को किसी वस्तु के संबंध में यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है कि उस वस्तु का उपयोग कहां होता था और वह वस्तु कहाँ से लाई जाती थी, किस क्षेत्र में पायी जाती थी और किस प्रकार के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी?

उत्तर- मैंने जिस पत्थर की (ब्लैक बसाल्ट) की चर्चा अपने उपरोक्त बयान में की है, वह विशेष तरह का पत्थर है और कुछ प्राकृतिक शक्तियों के विशेष प्रभाव की वजह से ही इस पत्थर का निर्माण भी होता है। भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का पत्थर पाया भी जाता है, लेकिन मैं इस वक़्त उन सभी स्थानों का नाम नहीं बता पाऊँगा । जहाँ तक किसी भी पत्थर का या अन्य प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है , अपनी क्षमता(तकनीक) और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

यह कहना ग़लत है कि प्रश्न का सही उत्तर न देना पड़े ,इसलिए मैं उत्तर को बढ़ाकर बताता हूँ। यह भी कहना ग़लत है कि मैं पूछे गये प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे रहा हूँ। यह कहना ग़लत है कि पूछे गये प्रश्न का मैंने ठीक उत्तर नहीं दिया है ,क्योंकि मैंने प्रश्न को जैसा समझा है, उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया है।

प्रश्न- जहाँ पर प्रश्न स्पेसिफ़िक होता है, वहाँ पर आप जनरल उत्तर देते हैं और जहाँ पर जनरल प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर किसी स्पेसिफ़िक बात को लेकर आप गोल मोल उत्तर देते हैं, जैसा कि आपने पहले के प्रश्न के संबंध में किया, इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- यह कहना ग़लत है।

ब्लैक बसाल्ट पत्थर दक्कन में पाया जाता है। मुझे इस संबंध में जानकारी है कि काले पत्थर का निर्माण कैसे होता है।

Sharma

प्रश्न- ब्लैक बसालट के पत्थर तराशे जाते हैं अथवा खान से सीधे निकाले जाते हैं?

उत्तर- ब्लैक बसाल्ट पत्थर मनुष्य के द्वारा नहीं, अपितु प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा निर्मित होता है और जहाँ पर इस प्रकार की प्राकृतिक शक्तियाँ कहीं पर कार्यरत रहीं ,उन्हीं स्थानों पर यह पत्थर प्राकृतिक रूप में ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे पाया जाता है।

मैंने दिल्ली के लाल गुम्बद नामक स्थान में जो दरगाह है, उसके अंदर स्थित कई मस्जिदों में से एक मस्जिद , जो दरगाह के मेनगेट के क़रीब है,में घट पल्लव को मस्जिद की दीवार के ताक़ में देखा था। यह मुझे नहीं पता कि उस ताक़ के पास नमाज़ पढ़ी जाती है अथवा नहीं। जब मैं वहाँ पर 11 बजे दिन में गया था ,तो मैंने वहाँ किसी को नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। जहाँ तक मुझे पता है संरक्षित मानुमेंट्स होने के कारण वहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती रही होगी। दरगाह में मैंने क़ब्र भी देखा था। जिस ताक़ का अभी मैंने ऊपर ज़िक्र किया है ,वह दीवार के अंदरूनी हिस्से में था। मैं अपने आज के ही बयान में यह स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ कि जिस प्रकार का घट पल्लव विवादित स्थल पर काले पत्थर पर मुख्य द्वार पर मैंने देखा था ,उस प्रकार का घट पल्लव काले पत्थर पर किसी दूसरी मस्जिद में कभी नहीं देखा है। यह सम्भव है कि मंदिरों के मुख्य द्वार पर घट पल्लव बनाये जाते हैं।

प्रश्न- आपने उपरोक्त उत्तर में " सम्भव " शब्द का प्रयोग किया है तो क्या आपको इस बारे में जानकारी नहीं है?

उत्तर- मैंने "सम्भव" शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि इस तरह का प्रयोग होता भी रहा है और नहीं भी होता रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए न तो यह कहना सम्भव है कि नियमतः ऐसा होता ही था या नहीं होता था। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में जो मंदिर

निर्माण होते रहे हैं उनमें क्षेत्रीय व स्थानीय आधारों पर निर्माण कला के संदर्भ में इस तरह की विभिन्नतायें पायी जाती रही हैं।

ऐसा कहना सही नहीं है कि 11वीं शताब्दी के बाद से सभी मंदिरों में मंदिर के मुख्य द्वार पर घट पल्लव बनाया जाता रहा हो। यह सम्भव है कि 11 वीं शताब्दी के बाद कुछ क्षेत्रों में मंदिरों के निर्माण में इस तरह की विधि का प्रयोग किया जाता रहा हो।

यह कहना सही है कि मथुरा, प्राचीन काल में मूर्ति कला का एक केन्द्र रहा है। मथुरा के मूर्ति कला में यक्ष व यक्षियाँ बनाये जाने का मुझे ज्ञान है ,परन्तु मैं यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि इस दौर में फूल-पत्तियॉ या वनस्पतियों का भी इस कला के माध्यम से चित्रण किया गया हो। इस प्रकार की कला प्रमुखतया भारतीय थी।

मूर्ति कला के गान्धार शैली तथा मथुरा शैली में कुछ समानता हो सकती है। लेकिन मुख्यतः दोनो अलग-अलग कलाओं के केन्द्र थे। यह सम्भव है कि मूर्ति कला के मथुरा शैली के विकास के पश्चात् हिन्दू धर्म से संबंधित मंदिरों में पत्थरों पर उत्कीर्ण हुई फूल- पत्तियों वाले चित्रित पटों का प्रयोग भी किया गया हो। डेकोरेटेड पत्थरों का प्रयोग भवनों ,मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों में प्रमुखतया डेकोरेशन के उद्देश्य से किया जाता था।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

18.07.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया । इसी क्रम में दिनांक - 19.7.2006 को अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद प्रस्तुत हो । साक्षी उपस्थित आवें ।

18.7.2006

(हरि शंकर दूबे)
आयुक्त
18.07.2006

समक्षः-आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,लखनऊ खण्डपीठ ,लखनऊ

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त)

दिनांक - 19.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 18.07.2006 के क्रम में पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या 4/89 में प्रतिवादी संख्या 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जारी)

प्र0- क्या डेकोरेटेटु स्टोन हिन्दुओं के भवन निर्माण और मंदिरों के निर्माण में इस्तेमाल होते रहे हैं ?

उ0- यह कहना उचित नहीं है कि डेकोरेटेड स्टोन का प्रयोग केवल हिन्दू मंदिरों व भवनों में ही होता रहा है ।

हिन्दू लोग भी अपनी आर्थिक क्षमता और आवश्यकता के अनुसार इस तरह के डेकोरेटिव स्टोन पीसेज़ का प्रयोग भवन निर्माण के लिए करते रहे हैं।

प्र0-कौटिल्य के समय में नगर निर्माण की कला प्रासाद विन्यास और पुर-विन्यास कला का प्रयोग होता था । क्या आप कौटिल्य के समय की इन निर्माण कलाओं के बारे में जानते हैं?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान एडवोकेट तथा श्री ज़फ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि यह प्रश्न पूर्ण रुप से असंगत है तथा इस मुक़दमे में साक्षी की गवाही में इसकी कोई रेलीवेन्स नहीं है। ऐसे

प्रश्न केवल न्यायालय का समय व साक्षी का समय नष्ट करने के लिए किये जा रहे हैं,अतएव इस प्रकार के प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।)

(उपरोक्त आपत्ति का जवाब जिरहकर्ता अधिवक्ता ने यह दिया कि इस प्रकार की आपत्ति उठाकर गवाह को एक सुझाव दिया जा रहा है कि वह स्पष्ट उत्तर न देकर गोल मोल उत्तर दे । विद्वान आपत्तिकर्ता यह भूल गये कि ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में विभिन्न कालों के डेकोरेटिव स्टोन्स के बारे में वर्णित है और इस सम्बन्ध में पक्षकारों की आपत्तियां भी हैं,तो इस गवाह से डेकोरेटेड स्टोन्स के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने को असंगत कहना खुद ही असंगत होगा।)

उ0- मैं इस प्रश्न में यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस या किन नगरों के राज प्रासाद व पुर विन्यासों की बात की जा रही है । अगर यह स्पष्ट कर दिया जाये,तो सम्भवतः मेरे लिए इसका जवाब देना सुगम हो जायेगा ।

प्र0- तो क्या मैं यह समझूँ कि कौटिल्य के समय में भवन निर्माण के सम्बन्ध में जो पुरातात्विक साक्ष्य और अवशेष किस स्थान पर उपलब्ध हैं, इसकी आपको जानकारी नहीं है ?

(इस प्रश्न पर भी श्री अब्दुल मन्नान,एडवोकेट व श्री ज़फ़रयाब जीलानी , एडवोकेट ने वही आपत्ति दोहराई, जो ऊपर के प्रश्न पर की गई है।)

(विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने इस आपत्ति का भी वही उत्तर दिया जो ऊपर के प्रश्न में दी गई आपत्ति के सम्बन्ध में दिया गया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार आपत्ति करके न्यायालय का समय नष्ट किया जा रहा है ।)

उ0- यह कहना उचित नहीं है कि मुझें उपरोक्त काल के अवशेषों की जानकारी नहीं है,लेकिन मेरे लिए सवाल का जवाब देने के पहले यह जानना ज़रुरी है कि किन राज-प्रासाद व भवनों के विन्यास के सन्दर्भ में पूछा जा रहा है ।

प्र0-मैंने कौटिल्य के समय के भवन-निर्माण के किसी विशेष स्थान के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया था,बल्कि यह पूछा था कि उस समय के भवन निर्माण तथा नगर निर्माण की शैली में दो शैलियां- प्रासाद विन्यास व पुर -विन्यास प्रचलित थीं या नहीं ?

उ0-कौटिल्य के समय में इस प्रकार की निर्माण शैलियां निश्चित तौर पर किन्हीं स्थानों से ही सम्बन्धित रही होंगी और उपरोक्त सवाल में पुरावशेषों की तरफ़ भी इशारा किया गया है, इसलिए अगर मुझे यह बता दिया जाये कि अमुक स्थान के पुरावशेषों के बारे में व उनकी शैलियों के बारे में पूछा जा रहा है,तब सम्भवतः मेरे लिए इसका सही जवाब देना ठीक होगा ।

प्र0- बतौर इतिहासकार क्या आप कौटिल्य के समय की नगर - निर्माण शैली के बारे में जानते हैं अथवा नहीं ?

उ0- मैं इसके बारे में जानता हूँ । कौटिल्य के काल के शासक चन्द्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र के राज-प्रासाद के विषय में मैं जानता हूँ और उसकी पहचान आधुनिक पटना में "कुम्रहार" नामक टीले की खुदाई में पाये गये अवशेषों से की जाती है । इस राज-प्रासाद में साहित्य तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर इस राज-प्रासाद को बनाने के लिए लकड़ी के खम्भों का प्रयोग किया गया था।

प्र0- कौटिल्य के समय में भवनों के निर्माण में पत्थरों के स्तम्भों का प्रयोग किया जाता था । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- कौटिल्य के इस काल में सामान्य जनमानस अपने भवनों के निर्माण में किसी तरह के पत्थर के खम्भों का प्रयोग नहीं करता था। पत्थर के खम्भों के प्रयोग की बात तो बहुत दूर है, आम व्यक्ति के लिए भवन बनाने के वास्ते पक्की ईंटें भी उपलब्ध नहीं होती थीं और , जहाँ तक राज-प्रासाद का प्रश्न है,उसके विषय में मैं पहले ही ऊपर बयान में बता चुका हूँ ।

प्र0- आपने ऊपर बयान में " राज-प्रासाद" शब्द का प्रयोग किया है । क्या यह कौटिल्य के समय की निर्माण की कोई विशेष शैली थी ?

उ0- यह भवन निर्माण की कोई शैली नहीं थी ।

प्र0- कौटिल्स के समय में भी ऐसे भवन थे, जो भवन पत्थरों के स्तम्भों पर रहते थे और उन स्तम्भों पर मूर्तियाँ भी चित्रित रहती थीं । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- मुझे इस प्रकार के किसी पुरातात्विक अवशेष के बारे में जानकारी नहीं है ।

पतंजलि शास्त्री व्याकरण के ज्ञाता व रचयिता थे । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में किसी काल के भवन निर्माण की कलाओं के सम्बन्ध में भी चर्चा की है ।

प्र0- मेगस्थनीज़ ने चन्द्रगुप्त के भवन-कला के बारे में अपने लेखों में वर्णन किया है अथवा नहीं ?

उ0- मेगस्थनीज़ के मूल लेख हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं ,लेकिन पश्चात् काल के इतिहासकारों व विद्वानों के लेखों में मेगस्थनीज़ के लेखों के विषय में चर्चा पाई जाती है और उन्हीं लेखों का पश्चात् काल में संकलन "इण्डिका" नामक पुस्तक में किया गया है और इसमें चन्द्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र के महल के विषय में भी चर्चा की गई है । उन्होंने लकड़ी के

स्तम्भों पर भवन निर्माण किये जाने की ओर इशारा किया है । यह कहना उचित नहीं है कि उन्होंने " लकड़ी " का उल्लेख नहीं किया है ।

प्र0- गुप्तकाल में मूर्तिकला के तीन केन्द्र थे। क्या आप बता सकते हैं कि वे केन्द्र कौन-कौन से थे ?

उ0- ये केन्द्र गान्धार , मथुरा तथा अमरावती में थे ।

अमरावती में मूर्तिकला का केन्द्र सेकण्ड सेंचुरी बी0 सी0 में प्रारम्भ हुआ, इस बात की निश्चित जानकारी मुझे नहीं है । यह कहना ग़लत है कि मैंने ऊपर गुप्तकाल के मूर्तिकला के जो तीन केन्द्र बताये हैं,उनके स्थान पर पाटलिपुत्र, सारनाथ व मथुरा तीन प्रमुख केन्द्र थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गुप्तकाल की मूर्तिकला को सारनाथ, पाटलिपुत्र तथा मथुरा शैली कहा जाता है या नहीं ।

प्र0- अमरावती गुप्तकाल के मूर्तिकला के तीन प्रमुख केन्द्रों में नहीं था। यह कला 150 बी0सी0 से 450 बी0सी0 के बीच में विकसित हुई थी । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उ0- मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

प्र0-आपको यह भी जानकारी नही है कि अमरावती मूर्तिकला किस काल में विकसित हुई थी ?

उ0- मैंने अपने उपरोक्त बयान में यह बताया था कि अमरावती कला सेकण्ड सेंचुरी बी0सी0 में शुरु हुई थी, लेकिन मुझे किसी ऐसी अमरावती कला की जानकारी नहीं है , जो 150 ईसा पूर्व से शुरु होकर 450 ईसापूर्व तक रही हो ।

अमरावती मूर्तिकला आन्ध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान से प्रारम्भ होती है ।

प्र0- भवनों में पत्थरों के स्तम्भ लगाकर भवन-निर्माण शैली कब प्रारम्भ हुई ?

उ0- मेरी जानकारी के अनुसार इसकी शुरुआत हम किसी न किसी रुप में सिंधु घाटी की सभ्यता में देखते हैं ।

प्र0- सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद उपरोक्त तकनीकी का प्रयोग क्या भवन निर्माण में बराबर होता रहा है ?

उ0- यह आवश्यक नहीं है ।" यह आवश्यक नहीं है", से तात्पर्य मेरा यह है कि इतिहास में इस तरह के प्रयोग की कोई निरन्तरता बनी रही हो , यह ज़रुरी नहीं है ।

प्र0-मेरा स्पेस्फिक प्रश्न यह था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयोग करने के बाद भवन निर्माण में पत्थर के स्तम्भों का प्रयोग किया गया या नहीं ?

उ0- पत्थर के खम्भों का प्रयोग भवनों के निर्माण में इतिहास में समय-समय पर होता रहा है ,लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह निरन्तर रुप से होता रहा ।

प्र0- क्या डेकोरेटेड स्टोन का प्रयोग किसी विशेष समुदाय द्वारा या किसी शासक द्वारा भवन में ऐसे स्थान में प्रयोग न करके जहां से वह दिखाई दे या डेकोरेटिव परपज़ के अतिरिक्त उसे इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि उसे भवन का जो भाग भूमि के भीतर है, वहां पर उसका प्रयोग किया गया हो ? कृपया इस सम्बन्ध में बतावें ।

उ0- सामान्य तौर पर भवनों के निर्माण में डेकोरेटिव पीसेज़ का प्रयोग उन्हीं स्थानों पर किया जाता है, जहां पर या तो रहने वाले व्यक्तियों के सुख के लिए हो या फिर ऐसे स्थानों पर लगाया जाता है, जिसके दिखावे से भवन-निर्माणकर्ताओं को मानसिक सुख का अनुभव होता हो और विशेष परिस्थितियों में भवन निर्माण के सम्बन्ध में भवन की नींव आदि में डेकोरेटिव पीसेज़ का प्रयोग तभी किया जाता है, जब पुराने खण्डहरों के अवशेष इधर-उधर से इकट्ठा करके निर्माण - सामग्री की पूर्ति करनी आवश्यक हो ।

प्र0- तो क्या डेकोरेटिव स्टोन्स का प्रयोग भवन-निर्माण के समय यदि भूमि के अन्दर किया जाये, तो क्या ऐसा किया जाना असामान्य परिस्थिति में किया हुआ माना जायेगा ?

उ0- हालांकि, इस सवाल का जवाब मैं उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूँ, परन्तु फिर भी मैं इस बात को दोहराना उचित समझता हूँ कि अगर इस तरह के डेकोरेटिव पीसेज़ को भवन की नींव में प्रयोग किया जाये, तब यही कहा जावेगा कि भवन-निर्माण सामग्री की पूर्ति के लिए इस तरह के पत्थर के डेकोरेटिव पीसेज़ का नींव में प्रयोग किया गया ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-2 की प्लेट संख्या- 25 की ओर आकृष्ट किया साक्षी से इस प्लेट को दिखाकर निम्न प्रश्न पूछा -

प्र0- इस प्लेट में नीचे की तरफ़ एक डेकोरेटेड स्टोन नींव में इस्तेमाल किया हुआ क्या आपको दिखाई दे रहा है ?

उ0- यह पत्थर का डेकोरेटिव पीस इस दीवार की नींव में प्रयोग किया गया दिखाई दे रहा है ।

ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-2 की प्लेट संख्या- 26 को दिखाये जाने पर साक्षी ने बताया कि इस प्लेट में भी दो पत्थर के डेकोरेटेड पीसेज़ का प्रयोग हुआ है । प्लेट संख्या-25 तथा प्लेट सं0-26 में जिन डेकोरेटेड पीसेज़ के बारे में मैंने अभी बताया है, को रियूज़ किया गया है । यह पत्थर निश्चित तौर पर किसी न किसी स्ट्रक्चर के कहीं न कहीं हिस्सा रहे होंगे और उस स्ट्रक्चर के खण्डित होने के बाद ही इनका दोबारा प्रयोग इस नींव में किया गया होगा । इन दोनों प्लेटों को देखने से यह स्पष्ट है कि इसमें ब्रिक तथा पत्थरों दोनों का प्रयोग किया जाना लग रहा है ।

प्र0- बर्न्ट ब्रिक का प्रयोग भवन निर्माण कला में कब से शुरु हुआ ?

उ0- भारतवर्ष में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारम्भ होता है ।

प्र0- उपरोक्त प्लेट नं0-25 व 26 में पत्थरों के अतिरिक्त ईंट का प्रयोग करते हुए जो निर्माण दिख रहा है,क्या ऐसी सम्भावना हो सकती है कि यह किसी और भवन का हिस्सा रहे हों ?

उ0- यहाँ पर दोनों ही बातों की सम्भावना है कि इन ईंटों का प्रयोग नये सिरे से नई ईंटों के रुप में किया गया हो या अन्य खण्डित मकानों से निकाल करके प्रयोग किया गया हो । इस सम्बन्ध में स्पष्ट व ठोस रुप से तभी कहा जा सकता है, जब इस दीवार के काल के या कालों के भवनों का उत्खनन व गहन अध्ययन करवाया जाये।

प्र0- क्या हिन्दू संस्कृति में मकर को गंगा का वाहन मानते हुए उसको धार्मिक मान्यता दी जाती है?

उ0- यह कहना सही है ।

उपरोक्त रिपोर्ट वाल्यूम-2 की प्लेट संख्या- 22 व 23 को देखकर प्रश्न किये जाने पर साक्षी ने बताया कि मैं प्लेट सं0-22 में नज़र आ रहे खण्डित डेकोरेटिव भाग को स्पष्ट रुप से कोई नाम नहीं दे सकता । प्लेट सं0-23 में भी वही टूटा हुआ डेकोरेटिव स्टोन पीस दिखाई दे रहा है, जो प्लेट सं0-22 की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट है, लेकिन इसको भी देखकर मेरे लिए इसको कोई नाम देना सम्भव नहीं है । मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इन डेकोरेटिव पीसेज़ को किसी धर्म से जोड़कर पहचान कर सकूँ ।

प्र0- क्या इस प्रकार के चित्रित पीसेज़ का प्रयोग मस्जिदों में या इस्लामिक स्ट्रक्चर में किया जाता है ?

उ0- मैं इस प्रश्न का जवाब ठोस रुप से तभी दे सकता हूँ, जब इस काल में निर्मित धार्मिक व सामान्य भवनों का सर्वेक्षण किया जाये ,लेकिन इस बात

की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के डेकोरेटेड स्टोन्स का प्रयोग विभिन्न धर्मों के अनुयाइयों के भवनों में होता रहा हो। मैं बिना इस तरह के सर्वेक्षण के केवल इन प्लेटों को देखकर यह दावा नहीं कर सकता कि यह किस तरह के ख़ास भवनों में ही प्रयोग होता है।

" घट पल्लव" को मैं किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखता हूँ।

प्र0- आपने अभी यह बताया है कि आप बग़ैर सर्वेक्षण के यह नहीं बता सकते कि प्लेट सं022 व 23 में जो आकृति है ,वह किसी धर्म से जोड़ी जा सकती है या नहीं, कल आपने अपने बयान में यह बताया था कि आप मस्जिद व दरगाहों पर जा जा कर सर्वेक्षण किये है और दिल्ली के एक मस्जिद में आपने अन्दर ताख़ में घट पल्लव देखा है , तो मेरा प्रश्न यह है कि घट पल्लव को आप इस्लामिक समझतें हैं या नहीं?

उत्तर- मैं घट पल्लव को इस्लामिक चिन्ह के रुप में नहीं अपितु एक डेकोरिटव चिन्ह के रुप में देखता हूँ।

प्रश्न- तो क्या मस्जिदों में जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ इस प्रकार के घट पल्लव की आकृति बनाई जा सकती है। ख़ासतौर से उन दिवारों में जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले भाग में हों?

उत्तर- मुझे यह नहीं मालूम है कि ऐसा कोई नियम रहा है जिसके अन्तर्गत "घट पल्लव" की आकृति मस्जिद में चित्रित करने पर कोई पाबंदी हो, लेकिन मैंने अपने उपरोक्त बयान में घट पल्लव से संबंधित जो अंकित चित्र देखा उसी के संबंध में बताया है और इस बात को पूछे जाने पर बताया था कि विवादित स्थल पर काले पत्थर के खंभो पर जो घट पल्लव आकृति उकेरी गयी है क्या वह हिन्दू मंदिरों में ही होती है या नहीं।

प्रश्न- जो अभी आपने ऊपर बात बतायी है कि आपने इस प्रश्न के उत्तर में घट पल्लव के बारे में जो बताया है वह मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दिया था

कि घट पल्लव केवल हिन्दू मंदिरों में ही बनाये जाते हैं यह बात आपने स्वयं अपने मन से कही थी । मेरा प्रश्न यह था कि घट पल्लव हिन्दू धर्म के मंदिरो के मुख्य द्वार पर शुभ को दर्शाने के लिए लगाये जाते हैं परन्तु आपने मस्जिद की भावना से प्रेरित होकर अपने उत्तर में जानबूझकर ग़लत तथ्यों को प्रस्तुत किया ताकि आप मस्जिद पक्ष को जस्टीफ़ाई कर सकें, आप अपना उत्तर ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है ?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान एडवोकेट तथा श्री ज़फ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि यह अत्यंत भ्रमपूर्ण प्रश्न है और इससे यह पता नहीं चलता है कि साक्षी से क्या प्रश्न किया जा रहा है अतएव न्यायालय स्वयं इस प्रश्न का सारांश या अर्थ साक्षी को बतायें, इस प्रश्न में गवाह पर जो लाछंन लगाया गया है, वह पूर्णतया निराधार तथा खेदजनक है।)

(उपरोक्त आपत्ति का जबाब विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दिया गया है कि गवाह से जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर न देकर अपने मन से बातें बताते हैं तथा कन्फ़्यूज़न उत्पन्न करते हैं मेरे कल के प्रश्न और उस पर दिये गये उत्तर को यदि देखा जाये तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी ,और इस प्रकार की आपत्ति निराधार है।)

उत्तर- मैं अपने उत्तर पूरी ईमानदारी के साथ दे रहा हूँ और मैं किसी पक्ष विशेष से प्रभावित होकर ऐसा नहीं कह रहा हूँ । मेरा अपना जो पुरातत्व व इतिहास का विवेक है उसी के आधार पर बयान दिया है और मैंने घट पल्लव व इसके धार्मिक महत्व की बात अपने मन से न कहकर पूछे जाने पर ही केवल यह बताया था कि इस्लाम धर्म से संबंधित स्ट्रक्चर्स में भी घट पल्लव का प्रयोग मैंने देखा है और इसमें मैंने कोई ग़लत बात नहीं कही है इस बात की पुष्टि उस स्थल का मुआयना करके कोई भी कर सकता है।

प्रश्न- इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा, आकृतियों की पूजा ,वनस्पतियों की पूजा वजिर्त है अथवा इस्लाम उसकी इज़ाज़त देता है?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान ,एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि इस क़िस्म के प्रश्न को पूछे जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि न्यायालय में इस संबंध में इस प्रकार के प्रश्नों को न पूछे जाने का निर्देश दिया है।)

(उपरोक्त आपत्ति का जबाब विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दिया गया कि ऐसे किसी भी आदेश की जानकारी मुझे नहीं यदि कोई ऐसा आदेश होता तो आपत्तिकर्ता पक्ष की ओर से हिन्दू देवी देवताओं के विषय में जिरह में प्रश्न पूछे नहीं गये होते और हिन्दू देवी देवताओं के नाम से प्रश्न पूछे गये है तो यह बात स्वयं यह बताती है कि इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है)

उत्तर- मेरी जानकारी के मुताबिक़ इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ तक फूल पत्तियों व वनस्पतियों की पूजा की बात है उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि इस्लाम धर्म से संबंधित भवनों में मैंने फूल, पत्तियों ,ज्यामितीय व अन्य आकृतियों को सुन्दरता की दृष्टि से चित्रित देखा है।

मैंने मस्जिदों ,दरगाहों में फूल, पत्तियाँ, ज्योमिट्रकल डिज़ाइन व घट आकृति के पत्थरों पर उकेर कर चित्रित रुप में देखा है।

प्रश्न- आपने अभी जिन चीज़ों को मस्जिदो में देखना बताया है उसको आपने आउटर पार्ट में देखा होगा इनर पार्ट में नहीं देखा होगा इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- मैंने जिन डिज़ाइन की चर्चा की है, उनको मैंने मस्जिद के दोनों तरफ़ देखा है।

प्रश्न- तो क्या आपने वनस्पतियों ,मनुष्यों ,एव जानवरों की आकृतियों को मस्जिद के इनर और आउटर दोनों भागों में देखा है?

उत्तर- मैंने अपने बयान में फूल, पत्तियों ,घट पल्लव,घट व ज्यामितीय आकृतियों की ही चर्चा की है और यही मैंने देखे हैं।

प्रश्न- हिन्दू धर्म में जानवरों ,वनस्पतियों व वृक्षों को भी धार्मिक भावना से देखा जाता है और उनकी पूजा भी धार्मिक भावना से की जाती रही है। घट पल्लव हिन्दू धर्म का पूजा का एक अभिन्न अंग है और हिन्दू धर्म के रीति-रिवाजों का भाग है इस लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग मंदिरों में किया जाता है यह बात सही है कि ग़लत?

उत्तर- यह बात ठीक है।

प्रश्न-यदि घट पल्लव जैसी कोई चीज़ मस्जिद में पायी जाये तो उसे आप इस्लामिक कहेंगे या नहीं?

उत्तर- इस प्रश्न का उत्तर आज ही मैं दे चुका हूँ और मैंने इस संबंध में यह बताया था कि इस तरह की आकृतियाँ डेकोरेशन के लिए प्रयोग की जाती थीं, इसलिए डेकोरेशन की यह विधि कोई भी व्यक्ति अपना सकता है।

प्रश्न- यदि आपके अनुसार मस्जिद में यदि आकृतियाँ बनी हैं और उस स्थान पर नमाज़ पढ़ा जाता हो तो आपके अनुसार नमाज़ उस स्थान पर भी पढ़ा जा सकता है ,जहाँ पर आकृतियाँ या मूर्तियाँ उकेरी हों, इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जहाँ पर इस तरह की आकृतियाँ चित्रित की गयी हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं।

इस बारे में मेरी जो भी जानकारी है उसके आधार पर ही मैंने इस संबंध में उत्तर दिया है। मैं इस्लाम धर्म का कोई ज्ञाता नहीं हूँ ।

प्रश्न- मेरे ऊपर पूछे गये प्रश्न की घट पल्लव या वनस्पतियों के आकृति हिन्दू धर्म के भाग होते हैं क्योंकि उनकी पूजा होती है और इसी प्रकार से मस्जिद में अगर आकृति पायी जाये या आकृति उकेरी जाये, तो वह इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लामिक माना जावेगा या नहीं?

उत्तर- हिन्दू धर्म में जिन आकृतियों का प्रयोग धार्मिक उद्देश्य से किया जाता है उनका अपना महत्व हिन्दू धर्म में है लेकिन इसके साथ साथ हिन्दू धर्म की तरफ़ से ऐसा कोई प्राहिविटरी आर्डर नहीं है कि अन्य धर्मावालम्बी इस तरह की आकृतियों का प्रयोग नहीं कर सकते ,यह मान्यता केवल फ़ासिस्ट का सूचक है।

प्रश्न- आपने अभी यह कहा कि यह किसी धर्म के लिए प्राहिविटरी नहीं है और उसको अन्य धर्म के लोग भी चित्रित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपने फ़ासिस्ट शब्द का प्रयोग किया । फ़ासिस्ट शब्द आपने जानबूझकर हिन्दू धर्म को अपमानित करने के लिए कहा क्योंकि आप यह जानते है कि हिन्दू धर्म से बड़ा उदार कोई धर्म नहीं है और हिन्दू धर्म में इस प्रकार के रोक टोक का कोई प्राविधान नहीं है। आप प्रश्न का उत्तर न देकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री ज़फ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि यह प्रश्न पूर्णतया असंगत होने के अलावा साक्षी को निराधार रुप से लांछित करने व अपमानित करने के उद्देश्य से पूछा जा रहा है। अतएव ऐसे प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए)

(उपरोक्त आपत्ति पर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने यह जबाब दिया कि आपत्ति में लगाया गया आरोप ग़लत है।)

उत्तर- मेरा हिन्दू धर्म या अन्य किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने अपने उपरोक्त जवाब

में जहाँ पर यह कहा है कि हिन्दू धर्म की तरफ़ से ऐसा कोई प्राहिविटरी आर्डर नहीं है कि अन्य धर्मावलम्बी चित्रण की इन आकृतियों को प्रयोग नहीं कर सकते इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू धर्म अनुदार के बजाय उदार है , इसमें कहने की कोई बात नहीं है । मैंने जो फ़ासिस्ट शब्द का प्रयोग किया है उसका उद्देश्य मेरा यह था कि कुछ लोग हिन्दू धर्म को जो संकुचित बनाने की कोशिश करते हैं उनका यह मानना है कि जो कुछ उन्होंने देखा सुना या पढ़ा वही सर्वभौम सत्य है और अन्य व्यक्ति उसको मानने के लिए बाधित हैं । इस तरह का रुख़ या रवैया फ़ासीज़्म की तरफ़ संकेत करता है।

प्रश्न- उपरोक्त बयान में अभी आपने जिस" कुछ लोगों शब्द का प्रयोग किया है वह बात बिल्कुल निराधार है । यह आपकी अपनी सोच हो सकती है इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- यह मेरी सोच नहीं हो सकती। जो कुछ बार बार इशारे किये जा रहे हैं कि अमुक वस्तुएं या आकृतियाँ हिन्दू धर्म की ही धरोहर हैं, यह उस बात की ओर इशारा करता है।

प्रश्न- अयोध्या में विवादित स्थल पर हुई खुदाई में जो टेराकोटा के ह्यूमन और ऐनीमल फ़िगरीन जिनमें से कुछ देवी देवताओं के है और हिन्दू धर्म में माने जाते हैं, उनको आप इस्लामिक ओरिजिन का कहेंगे या नहीं,क्योंकि हिन्दू धर्म में आपके अनुसार कहीं यह उपबंध नहीं है कि अन्य धर्म के लोग इनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस उत्खनन स्थल पर पाये गये मानव व अन्य आकृतियों में से कौन - कौन हिन्दू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैंने अपने बयान में यह कहीं पर नहीं कहा कि इस तरह के हिन्दू देवी देवताओं की पूजा के लिए अन्य धर्मावलम्बियों को अनुमति

नहीं है। जहाँ तक इनके इस्लामिक ओरिजिन की बात है यह मैं केवल उत्खनित स्थल के विशेष संदर्भो में पायी जाने वाली चीज़ों के संबंध में ही कह सकता हूँ और चूंकि इस प्रश्न में संदर्भ विशेष पर पूछा नहीं गया है इसलिए मैं इसके ओरिजिन के विषय में बताने में असमर्थ हूँ।

उत्खनन में प्राप्त टेराकोटा फ़िगरीन्स को मैंने देखा था मैंने यह फ़िगरीन्स विभिन्न संदर्भो में देखी थीं, इसलिए इस वक्त मैं ऐसी स्थित में नहीं हूँ कि सभी टेराकोटा फ़िगरीन्स को उनको रेस्पेक्टिव संदर्भो में रख पाऊँ और उनके ओरिजिन के बारे में बता सकूँ।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम 2 के प्लेट सं0 127 से लेकर प्लेट सं0135 पर किया तथा यह पूछा कि इन प्लेट्स में जो आकृतियाँ नज़र आ रही हैं क्या आप उनको इस्लामिक ओरिजिन का कहेंगे?साक्षी ने बताया कि इनको देखकर मैं केवल यही कह सकता हूँ कि यह न तो इस्लाम और न ही किसी धर्म से संबंधित हैं। अपितु यह टेराकोटा ऐनीमल फ़िगरीन्स हैं, जो संभवतः खिलौने के रुप में प्रयुक्त होती रही होंगी और इतिहास में इस तरह के उदाहरणों का अभाव नहीं है।

प्रश्न- मैंने आपसे यह नहीं पूछा था कि उपरोक्त प्लेट सं0127 लगायत 135 में जो आकृतियाँ नज़र आ रही हैं, वह खिलौना है अथवा देवी देवताओं की मूर्तियॉ हैं। मैंने सिर्फ़ छोटा सा प्रश्न किया था कि आप इन वस्तुओं को इस्लामिक ओरीजिन का कहेंगे या नहीं, परन्तु आप फिर जानबूझकर खिलौने की संज्ञा देकर प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर मस्जिद पक्ष को ध्यान में रखते हुए उत्तर दे रहे हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- इन आकृतियों में मैंने जो देखा वह बताना मेरे लिए आवश्यक था और उसके साथ- साथ जो प्रश्न पूछा गया था उसका जबाब भी मैंने दिया।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने पुनः साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम 2 के पृष्ठ 127 पर आकृष्ट किया और यह पूछा कि क्या इस प्लेट में हाथी के आकृति का फ़िगरीन नज़र आ रहा है ? साक्षी ने बताया कि हाँ, यह हाथी की फ़िगरीन है। यह कहना ठीक है कि हाथी के सूँड़ वाले गणेश की पूजा हिन्दू धर्म में की जाती है ।

प्रश्न- हाथी को गणेश के रुप में पूजा जाता है या नही?

उत्तर- अगर हाथी के मस्तक और सूड़ वाले गणेश को हाथी के रुप में मानते हैं तो हिन्दू धर्मावलम्बियों द्वारा हाथी की पूजा होती है, लेकिन इसके साथ साथ हाथी का महत्व केवल हिन्दू धर्म में ही नहीं है अपितु इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में भी हाथी का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

Sivaram

19.07.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया । इसी क्रम में दिनांक - 20.7.2006 को अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद प्रस्तुत हो । साक्षी उपस्थित आवें ।

Sivaram

19.7.2006

(हरि शंकर दूबे)

आयुक्त

19.07.2006

समक्षः-आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद , लखनऊ खण्डपीठ , लखनऊ ।

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त ।)

दिनांक - 20.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 19.07.2006 के क्रम में पी0 डब्लू0 - 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या - 4/89 में प्रतिवादी संख्या - 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय , एडवोकेट द्वारा जारी ।)

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम 2 की प्लेट सं0129व 130 पर आकृष्ट करके निम्न प्रश्न पूछाः-

प्रश्न-क्या हिन्दू धर्म के अनुयायी नाग को नाग देवता मानते हैं और उसकी पूजा की जाती है?

उत्तर- आजकल हिन्दू धर्मावलम्बियों में नाग देवता की पूजा की जाती है लेकिन प्राचीन काल में नाग की पूजा मथुरा और उसके आस पास के स्थानीय लोगों में जिनको नागवंशी भी कहा जाता था, की जाती थी और ऋग्वेद में इसको हेय दृष्टि से उल्लिखित किया गया है।

प्रश्न- यह बात आपने कहाँ पर पढ़ ली कि मथुरा व उसके आस पास नागवंश के लोग थे?

उत्तर- यह बात मैंने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक आर्ट एन्ड आर्कीट्रेक्चर आफ़ इण्डिया व समुद्रगुप्त के अभिलेख इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र में भी पढ़ा है।

समुद्रगुप्त के इलाहाबाद के प्रशस्ति पत्र उसके विजय अभियानों के संबंध में नागवंशी शासकों के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश के शासकों के नाम मैं इस समय नहीं बता पाऊँगा परन्तु उपरोक्त प्रशस्ति पत्र में मिलता है। मेरे अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास में नागवंश नामक वंश भी हुआ है।

प्रश्न- क्या कथित नागवंश के शासकों के शासनकाल की अवधि के बारे में बता सकते हैं?

उत्तर- मोटे तौर पर इस वंश के शासकों का राज्य किसी न किसी रुप में सेकेण्ड सेंचुरी ए0डी0 से लेकर फ़ोर्थ सेंचुरी ए0डी0 तक पाया जाता है।

प्रश्न- क्या आप नाग तथा नागवंश के जो लोग मनुष्य थे, दोनो को एक समान मानकर चल रहे हैं क्योंकि मेरा प्रश्न नाग जीव से है किसी वंश से नहीं है?

उत्तर- मैं नाग जीव व नागवंश दोनों को अलग अलग मानकर चल रहा हूँ । नागदेवता की पूजा की परम्परा के संबंध में मैंने केवल यह बताया है कि आधुनिक काल में हिन्दू धर्म के धर्मावलम्बियों में इस नाग नामक जीव को देव के रुप में पूजा जाता है, इसकी शुरुआत प्राचीन भारत के उपरोक्त काल में प्रारंभ में हुई थी।

मैंने अपने उपरोक्त जबाब में यह पहले ही स्पष्ट किया है कि नाग की पूजा उत्तरी भारत वर्ष के क्षेत्रों में सेकेण्ड सेचुरी ए0डी0 में शुरु होती है। हो सकता है कि हिन्दू धर्म में लक्ष्मण जी को शेष नाग का अवतार कहा जाता हिन्दूओं की यह भी मान्यता है पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है।

प्रश्न- क्या यह मान्यता है कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी हुई अनादिकाल से चली आ रही है?

उत्तर- मुझे हिन्दू धर्म की आदिकाल व अनादिकाल से चली आ रही शेषनाग के फन पर पृथ्वी के टिकी रहने का कोई विश्वास नहीं है क्योंकि इतिहास तथा पुरातत्व में इस तरह के कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्न- मैंने उपरोक्त प्रश्न आपके विश्वास को जानने के लिए नहीं पूछा था अपितु आपकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि आप हिन्दू धर्म के मान्यताओं के बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं, इस संबंध में पूछा था। इसमें आपके विश्वास का कोई प्रश्न नहीं है इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- हिन्दूओं में आजकल ऐसी मान्यता है कि अनादिकाल से शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है लेकिन इस मान्यता का कोई ठोस ऐतिहासिक व पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न- क्या धर्म विश्वास की चीज़ होती है या यह साक्ष्यों पर आधारित होती है?

उत्तर- धर्म, आस्था,विश्वास व साक्ष्यों पर आधारित होता है।

प्रश्न- आपने यह बताया कि धर्म, आस्था विश्वास पर आधारित होता है क्या आप किसी ऐसे धर्म के बारे में बता सकते हैं कि जिसे आप साक्ष्य के आधार पर होना कह सकते हो?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री अब्दुल मन्नान एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि संसार में पचासों धर्म है उसमें से विद्वान जिरहकर्ता किस धर्म के बारे में पूछ रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है अतएव इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए)

(उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि साक्षी ने धर्म को साक्ष्य पर आधारित होने की बात बतायी है तो साक्षी से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि वह एक विद्वान इतिहासकार है, साक्ष्यों के जानकारी के आधार पर ही उन्होंने उपरोक्त उत्तर दिया है,इसके अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर ही वह धर्म को स्वीकार करते हैं। आपत्ति केवल समय बरबाद करने के लिए की गयी है।)

उत्तर- भारत वर्ष में बौद्ध धर्म,जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म/ हिन्दू धर्म के उत्थान ,पतन,पुनरुत्थान से संबंधित अनेक पुरातात्विक व ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं और इसके साथ साथ हिन्दू धर्म में आस्था व विश्वास भी महत्वपूर्ण रहे हैं।

प्रश्न-यदि किसी धर्म का कोई साक्ष्य न हो और आस्था ओर विश्वास को अलग कर दिया जाये तो आपके अनुसार क्या उसे धर्म नहीं माना जायेगा?

उत्तर- यह तो उस धर्म या धर्मो में आस्था व विश्वास रखने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है परन्तु इतिहास व पुरातत्व की दृष्टि से आस्था व विश्वास को कसौटी पर कसने के लिए ऐतिहासिक व पुरातात्विक तथ्यों की आवश्यकता होती है और अगर धर्म या धर्मो की अपनी मान्यताओं को ऐतिहासिक दृष्टि से बाँटने की बात हो तो केवल मात्र आस्था व विश्वास के आधार पर यह नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न- आपने ब्राह्मण धर्म के बारे में ऊपर अपने बयान में बताया है ब्राह्मण धर्म , क्षत्रिय धर्म आदि नामों के धर्म भारत में पाये नहीं. जाते हैं और न ही इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य है, आपने किस आधार पर ब्राह्मण धर्म होने की बात कही है?

उत्तर- मैंने अपने उपरोक्त जबाब में ब्राह्मण धर्म की अवश्य चर्चा की है परन्तु क्षत्रीय धर्म के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है, जहाँ तक भारत वर्ष में

ब्राह्मण धर्म के न होने की बात है तो यह सत्य नहीं है, इसके ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं।

प्रश्न- ब्राह्मण धर्म की ओरिजिन कब और कहाँ पर हुई?

उत्तर- भारतवर्ष में ऋग्वेद के आधार पर हमें ऋग्वैदिक धर्म की जानकारी मिलती है, इसके पश्चात् अन्य वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों आदि से लैटर वैदिक धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है और इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर आता है, जिसमें ब्राह्मण धर्म का विकास होता है और इसी धर्म को प्राचीन भारतीय इतिहास में ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न- आपने अपने दो- चार दिन पहले के बयान में यह बताया है कि आपको वेद ,उपनिषद् तथा पुराणों के विषय में जानकारी नहीं है और न उनका आपने अध्ययन किया है, क्या यह बात सही है ?

उत्तर- यह मैंने अपने बयान में कहा था कि मैंने वेदों, उपनिषदों तथा अन्य संबंधित साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, परन्तु इसके साथ -साथ यह भी कहा था कि अन्य इतिहासकारों द्वारा इस सामग्री का अध्ययन किया गया है और उसके उपरांत उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उनका मैंने अध्ययन किया है ,इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि मुझे उपरोक्त के संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है ।

प्रश्न-किसी भी इतिहासकार ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण धर्म का उल्लेख हुआ है?

उत्तर- यह बात सही है कि किसी इतिहासकार ने यह दावा नहीं किया है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख हुआ था और मैंने भी उपरोक्त बयान में इस तरह की कोई बात नहीं कही है।

प्रश्न-आपने ब्राह्मण धर्म के विकास की जिस बात को अभी ऊपर अपने बयान में बताया है ,वह किस काल से संबंधित है?

उत्तर- इसका संबंध भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल से है। उत्तर वैदिक काल से मेरा तात्पर्य उस काल से है,जिसको मोटे तौर से 1000ई0पूर्व से छठी व पांचवी सदी ईसा पूर्व का काल माना जाता है।

प्रश्न- हिन्दू धर्म में जाति प्रथा है, जो शुरु से परम्परागत ढ़ँग से चली आ रही है, इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर -यह कहना सही नहीं है कि भारत में शुरु से जाति प्रथा की परम्परा चली आ रही है।

प्रश्न- क्या ब्राह्मण ,क्षत्रीय आदि जाति प्रथा के ही एक अंग है तथा कोई पृथक धर्म नहीं है?

उत्तर - ब्राह्मण , क्षत्रीय आदि वैदिक वर्ण व्यवस्था के अंग हैं, न कि जाति और धर्म ।

यह कहना बहुत हद तक उचित है कि वर्ण व्यवस्था से ही आगे चल करके जाति व्यवस्था का विकास हुआ।

प्रश्न - क्या ब्राह्मण धर्म हिन्दू धर्म का ही एक अंग है?

उत्तर -यह कहना उचित नहीं है कि ब्राह्मण धर्म, हिन्दू धर्म का ही अंग है अपितु ,इसको अगर हम यह कहें कि ब्राह्मण धर्म से ही हिन्दू धर्म का विकास हुआ, तो अधिक उचित होगा।

प्रश्न- तो क्या आपके अनुसार हिन्दू धर्म के ओरिजिन के पहले ब्राह्मण धर्म की ओरिजिन हुई?

उत्तर- ऐसा कहना उचित होगा।

प्रश्न- तो क्या ब्राह्मण धर्म , वेद और पुराणों के पहले का है?

उत्तर- ब्राह्मण धर्म, उत्तर वैदिक काल में विकसित हुआ, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह ऋग्वैदिक कालिक भी है। ब्राह्मण धर्म, ऋग्वैदिक काल में नहीं था।

प्रश्न - आप वेद ,पुराण तथा उपनिषद् हिन्दू धर्म का अंग मानते हैं या नहीं?

उत्तर - वेद, वैदिक संस्कृति के परिचायक हैं और पुराणों में ब्राह्मण धर्म से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है और पश्चात् काल में बहुत से पुराण हिन्दू धर्म का अंग बन गये ।

प्रश्न - मैंने यह पूछा था कि वेद ,पुराण तथा उपनिषद् हिन्दू धर्म के स्क्रप्चर हैं अथवा नहीं?

उत्तर:- जैसा कि मैंने उपरोक्त जबाब में यह स्पष्ट रुप से कहा है कि वेद, वैदिक संस्कृति के अंग हैं,न कि हिन्दू संस्कृति के और इसके साथ -साथ मैंने यह भी बताया कि बहुत पुराण, हिन्दू धर्म का अंग हैं। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, जिसमे उपनिषद् भी सम्मिलित हैं ,वह ब्राह्मण धर्म का अंग हैं।

वैदिक संस्कृति ,वैदिक संस्कृति है, न कि हिन्दू संस्कृति का अंग है। मैं वैदिक संस्कृति के बारे में जानता हूँ।

प्रश्न-वैदिक संस्कृति के अनुसार मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन होते थे या नहीं, तथा वर्ण व्यवस्था थी या नहीं?

उत्तर-वैदिक संस्कृति में, मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं रहा है । इस संस्कृति में यज्ञ का विशेष महत्व रहा है और इस संस्कृति में वर्ण व्यवस्था भी थी।

प्रश्न-वेदों में लक्ष्मी, धनवन्तरि, कामधेनु आदि देवताओं का ज़िक्र है अथवा नहीं?

उत्तर-वैदिक संस्कृति को मैंने अपने उपरोक्त बयान में दो भागों में प्रस्तुत किया है। एक ऋग्वेदिक कालीन है, दूसरी उत्तर ऋग्वैदिक कालीन। जहाँ तक ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति का प्रश्न है इसमें कामधेनु,लक्ष्मी एवं धनवन्तरि का कोई उल्लेख नहीं है और जहाँ तक उत्तर वैदिक कालीन साहित्य का संबंध है, तो मैं इस विषय में ठोस रुप में नहीं कह सकता कि इनका उत्तर वैदिक कालीन वेदों में उल्लेख है या नहीं। स्पष्टता के लिए मैं यहाँ यह कहना उचित समझता हूँ कि चारों वेदों के काल की संस्कृति को, वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं और इस वैदिक संस्कृति को ऋग्वेद व उत्तर वेदों के आधार पर इन कालों मे होने वाले विकासों व परिवर्तनों के आधार पर अलग - अलग रुप में देखा जा सकता है इसलिए जब भी कभी इस तरह का सवाल, वैदिक संस्कृति के नाम से पूछा जाये तो यह आवश्यक हो जाता है कि इसको अलग - अलग भागों में रख करके देखा, समझा व बयान किया जाये।

प्रश्न - आपको वेदों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही आपने किसी इतिहासकार के कोई लेख पढ़े हैं और आपको जानकारी न होने के वजह से पूछे गये प्रश्न का सही जबाब न देकर गोल मोल ढ़ँग से विस्तार में अनर्गल रुप से भूमिका बनाकर जवाब देते हैं और प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं।

यह कहना उचित नहीं है, मैंने जो भी सवाल पूछे गये उनके जबाब ऐतिहासिक पुरातात्विक सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से दिये हैं।

प्रश्न- मेरा प्रश्न सीधा था कि वेदों में लक्ष्मी,धनवन्तरि व कामधेनु आदि देवी देवताओं के बारे में वर्णन है अथवा नहीं । इस प्रश्न का उत्तर न देकर आप किसी साईन्टिफिक आधार की बात कर रहे है?

(इस प्रश्न पर श्री एम0ए0सिद्दीकी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि गवाह के उत्तर में विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रुप से आ गया है। विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता उस उत्तर को देखें।)

(उपरोक्त आपत्ति का जबाब विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता द्वारा यह दिया गया है कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर को पढ़ने के बाद यदि विद्वान आपत्तिकर्ता अधिवक्ता हाँ या न में बताकर, स्पष्ट कर दें, तो मैं इस संबंध में किया गया प्रश्न वापस ले लूँगा।)

उत्तर - मैंने इस सवाल का जबाब उपरोक्त बयान में बिलकुल साफ़-साफ़ दिया है।

प्रश्न- मैंने आपसे यह पूछा है कि वेदों में उपरोक्त देवी देवताओं का वर्णन है या नहीं । उसका उत्तर आपने कहाँ पर दिया है, कृपया बता देवें क्योंकि आपके उत्तर बड़े अस्पष्ट होतें हैं?

उत्तर- मैंने अपने उपरोक्त बयान में इसको पूरी तरह से स्पष्ट बयान किया है। जहाँ मैंने यह बताया है कि ऋग्वेद में इनकी कोई चर्चा नहीं है और जहाँ तक उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में है या नहीं ,इसके बारे में ठोस रुप में नहीं कह सकता हूँ। संभवतः पुराणों में इनके विषय में चर्चा रही होगी।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 की रिपोर्ट वैल्यूम 2 के प्लेट सं0 129 पर पुनः आकृष्ट करते हुए पूछा कि क्या प्लेट सं0 129 पर नाग के सिर वाले भाग की आकृति नज़र आ रही है ? गवाह ने कहा कि इस प्रश्न का जबाब मैंने आज सुबह ही अपने बयान में दिया है, जहाँ पर मैंने इसे पकी मिट्टी के नाग के फण वाली फ़ोटोग्राफ़ होना बताया है। हिन्दू धर्म में बैल की आराधना नंदी के रुप में होती है और हमारे यहाँ बैल की कृषि में उपयोगिता होने की वजह से भी पूजा की जाती है।

उपरोक्त रिपोर्ट के प्लेट संख्या 59 पर ध्यान आकृष्ट किया तथा निम्न प्रश्न पूछा-

प्रश्न- इस प्लेट में जो सरकुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है,उसको आपने देखा था या नहीं?

उत्तर- मैंने इसको मौक़े पर नहीं देखा था।

मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है तथा इसके फ़ोटोग्राफ़ को मैंने पहले भी देखा है। उपरोक्त रिपोर्ट की प्लेट सं0 60 को दिखाकर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने निम्न प्रश्न पूछा-

प्रश्न- सरकुलर स्ट्रक्चर , विवादित स्ट्रक्चर के सेन्ट्रल पार्ट से कुछ दूरी स्थित है अथवा नहीं?

उत्तर -सम्भवतः यह उक्त स्ट्रक्चर से कुछ दूरी पर है।

इस सरकुलर स्ट्रक्चर का इन्ट्रेन्स किस तरफ़ से है, यह प्लेट संख्या 59 व 60 को देखकर नहीं बताया जा सकता। स्वयं कहा कि इस अधूरे स्ट्रक्चर को देखकर इन्ट्रेन्स के बारे में कहना सम्भव नहीं है।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने पुनः साक्षी का ध्यान प्लेट संख्या 59,60 व 61 की ओर आकृष्ट किया,तथा निम्न प्रश्न पूछा-

प्रश्न- क्या आप उपरोक्त तीनों प्लेटों में नज़र आ रहे स्ट्रक्चर को देखकर यह बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर सक्सेसिव स्ट्रक्चरल एक्टीविटी रही है या नहीं?

उत्तर- उपरोक्त प्लेट्स को देखकर मेरे लिए यह बता पाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न- उपरोक्त तीनों प्लेटों में नज़र आ रहे स्ट्रक्चर के बारे में जिनसे आपने सुना, क्या उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर क्या आप इस स्थान पर सक्सेसिव स्ट्रक्चरल एक्टीविटी का होना मानते हैं?

उत्तर- मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी है।

ज़ाहिर है कि इसके विपरीत बात भी मैंने नहीं सुनी।

प्रश्न- प्लेट संख्या 59,60 तथा 63 में क्या ब्रिक वाल इन्टैक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है ?

उत्तर- जितनी दीवार इन प्लेटों में दिखाई दे रही है,उन्हीं के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह इन्टैक्ट हैं।

प्लेट सं0 60 में तीन तरफ़, प्लेट सं0 59 में एक तरफ़ और प्लेट सं0 63 में दो दीवारों के हिस्से नज़र आ रहे हैं।

प्रश्न- आपने प्लेट संख्या 50,60 व 63 को देखा है ,इनको देखने के आधार पर क्या आप यह बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर के चारों तरफ़ दीवारें हैं अथवा नहीं,यह दीवारें इस स्ट्रक्चर के कितनी तरफ़ हैं ?

उत्तर- मैं प्लेट संख्या 59 तथा 60 में नज़र आ रही दीवारों के संबंध में पहले ही बता चुका हूँ और प्लेट संख्या 63 के विषय में भी मैंने बताया है। लेकिन इस प्लेट में दो दीवारों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं ,परन्तु सरकुलर स्ट्रक्चर का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। उपरोक्त प्लेटों में नज़र आ रहे फ़ोटोग्राफ़ को देखकर मैं यह नहीं बता सकता कि यह दिखाई देने वाली दीवारें स्ट्रक्चर के इर्द- गिर्द हैं अथवा नहीं।

प्रश्न- आप जिस स्थल पर सरकुलर स्ट्रक्चर है,उस स्थान पर पूरे उत्खनन के दौरान कभी नहीं गये,यह कहना सही है या ग़लत?

उत्तर- यह कहना उचित नहीं है कि उत्खनन स्थल पर खुदाई के दौरान मैं गया ही नहीं। मैं केवल यही कह रहा हूँ कि जिस समय उत्खनन स्थल पर यह स्ट्रक्चर खुदाई में निकला, उस समय मैं वहाँ नहीं था और उसके बाद भी इस स्थल पर मैं नहीं गया,इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को इसके उत्खनन के दौरान या पश्चात में नहीं देखा।

प्रश्न- यदि आपने इस स्थल को देखा नहीं और निरीक्षण नही किया है तो क्या आप इस स्थल के बारे में अपना मत केवल दूसरों की बताने के ही आधार पर दे रहे हैं?

उत्तर- उत्खनन के दौरान जब यह स्ट्रक्चर पाया गया ,उसके बाद इस स्थल को मैंने नहीं देखा और जहाँ तक इस संबंध में मेरे बयान देने की बात है, वह केवल सुनी हुई बातों के आधार पर नहीं है ,अपितु पुरात त्व विधा की उत्खनन संबंधी जो रिपोर्ट है, उसके अध्ययन के आधार पर मैंने कहा है।

प्रश्न- आपने इस बारे में जो कहा है उस रिपोर्ट के ही आधार पर कही है स्वयं आपको इस बारे में व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है,इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि उक्त स्थल जहाँ पर यह स्ट्रक्चर निकला है उसको मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है और इसके संबंध में मेरी अपनी राय रिपोर्ट को पढ़ने पर ही आधारित है और इस संबंध में मैं अपने उपरोक्त बयान में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ।

प्रश्न- आपको जिस पक्ष ने इंगेज किया उस पक्ष ने आपको ए0एस0आई0 की रिपोर्ट की आलोचना करने के लिए ही इंगेज किया,इसलिए आपने जानकारी,अन्वेषण व शोध करने के बजाए सीधा आलोचना करने के उद्देश्य से आपत्ति प्रस्तुत कर दी और ग़लत बयानी कर रहे हैं?

उत्तर- यह कहना उचित नहीं है।

प्रश्न- क्या आपने ए0एस0आई0 की रिपोर्ट में यह पढ़ा है कि सरकुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ़ दीवारें हैं?

उत्तर- यह मुझे अभी याद नहीं है।

रिपोर्ट देखकर इस संबंध में जो वास्तविक स्थिति होगी, उसको मैं बता दूँगा। मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर प्लेट सं0 59,60 में नज़र आ रहा है, वह गुप्त काल से संबंधित होगा। प्लेट संख्या 59 में जिस दीवार के ऊपर ई-8,एफ-8 का लेबिल लगा है, वह दीवार किस पीरियड की है,इसको प्लेट देखकर बता पाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। यह केवल तभी बताया जा सकता है,जब उत्खनित स्थल पर मुआयना किया जाये। इस दीवार को ए0एस0आई0 ने कौन सा नम्बर दिया है,इस प्लेट को देखकर मैं नहीं बता पाऊंगा।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 की रिपोर्ट वैल्यूम 1 के फ़ीगर -3-ए(पेज 48) की ओर आकृष्ट किया तथा निम्न प्रश्न पूछा-

प्रश्न- आप फ़ीगर को देखकर यह बताये कि सरकुलर स्ट्रक्चर किस जगह है और वह दीवार जो ऊपर मैंने पूछा है, उस पर ए0एस0आई0 ने क्या नम्बर डाला है?

उत्तर- इस फ़ीगर को देखकर मेरे लिए यह बता पाना सम्भव नहीं है कि यह स्ट्रक्चर कहॉ पर है और उसके आसपास की दीवार कौन सी है ,क्योंकि इस फ़ीगर में न ही पीरियड वाइज़ कुछ दिखाया गया है और न ही ट्रेंच वाइज़ कुछ दिखाया गया है और न ही लेयर वाइज़ कुछ दिखाया गया है और इन्डेक्स में जो सिम्ब्ल्स दिये गये हैं,वह भी स्पष्ट नहीं है।

प्रश्न- आपने ए0एस0आई0 की रिपोर्ट जो आलोचना की है,बग़ैर रिपोर्ट को देखे हुए केवल आलोचना करने के उद्देश्य से आलोचना कर दिया है,परन्तु आपने ए0एस0आई0 की रिपोर्ट को न तो पढ़ने की ज़रूरत समझी ,न समझने की ज़रूरत समझी और न ही इस संबंध में कोई अध्ययन किया,इस बारे में आपको क्या कहना है

उत्तर- यह कहना उचित नहीं है।

प्रश्न- आप उपरोक्त सरकुलर स्ट्रक्चर के आसपास की दीवारों के बारे में नहीं बता पा रहे हैं ,इसलिए यह समझा जाये कि आपने इस संबंध में कभी कोई जानकारी ही नहीं प्राप्त किया है, इस बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर- यह कहना उचित नहीं है।

प्रश्न- यदि आपने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो यह बतावें कि इस सरकुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ़ दीवारें थी या नहीं?

उत्तर- इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ।

प्रश्न- आपने ऊपर किये गये प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि मैं प्लेट देखकर यह नहीं बता सकता कि सरकुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ़ दीवारें थीं या नहीं,मैं आपकी जानकारी के अनुसार यह जानना चाहता हूं कि सरकुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ़ दीवारें थीं या नहीं?

उत्तर- मैंने इस सवाल के जवाब में स्पष्ट रूप में यह बताया था कि फ़ोटोग्राफ़ को देखकर मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त स्ट्रक्चर के चारों तरफ़ दीवार थी या नहीं। मैंने यह भी बताया कि इस स्ट्रक्चर के मिलने के बाद मैंने यह उत्खनन स्थल नहीं देखा है और इसके साथ-साथ मैंने यह भी कहा है कि इस वक़्त रिपोर्ट के पढ़ने से मुझे जो जानकारी है, उसके आधार पर अभी इस बारे में बता पाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न- जिन आधारों पर आपने रिपोर्ट की आलोचना की है,उन आधारों को आधार मानकर क्या आप यह बता सकते हैं कि सरकुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ़ दीवारें थीं या नहीं?

उत्तर- इस सवाल के उत्तर में भी मैंने अभी यह बताया था कि उक्त स्ट्रक्चर के संबंध में जो लिखा है,उसका आधार ए0एस0आई0 की रिपोर्ट है और इसके चारों तरफ़ दीवार थी या नहीं,यह केवल मैं रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही बता पाऊँगा।

Tiwari

प्रश्न- इसका क्या यह तात्पर्य है कि आपने रिपोर्ट को बिना पढ़े उसकी आलोचना की है?

उत्तर- ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने उपरोक्त पंक्तियों में यह बताया है कि मैंने रिपोर्ट को पढ़कर के ही इस स्ट्रक्चर के संबंध में लिखा है।

प्रश्न- रिपोर्ट की आलोचना करने लिए आपने जो पढ़ा है और आलोचना करने के लिए जो ज्ञान अर्जित किया है उसी ज्ञान के आधार पर मैं प्रश्न का उत्तर चाह रहा हूं?

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री ज़फ़रयाब जीलानी एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि जिहरकर्ता अधिवक्ता एक ही बात को बार-बार पूछ रहे हैं और केवल समय नष्ट करने के लिए ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका कोई नया जवाब मुमकिन नहीं है क्योंकि उसका उत्तर साक्षी पहले ही कई बार दे चुका है)

(उपरोक्त आपत्ति का जवाब विद्वान अधिवक्ता ने यह दिया कि इस प्रकार के प्रश्न पर आपत्ति उठा कर यह इशारा किया जा रहा है कि इसी तरह साक्षी " हां " व " न " में जवाब देता रहे, क्योंकि कभी साक्षी कहता है कि रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उत्तर देंगे और कभी कहता है कि रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और प्रश्नों का उत्तर न, हाँ में दे रहे हैं और न ही " ना " में उत्तर दे रहे हैं, बल्कि गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं है। इस कारण मुझे बार-बार वही सवाल पूछना पड़ रहा है।)

उत्तर- इस संबंध में मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और उसी के आधार पर उक्त स्ट्रक्चर के संबंध में मैंने लिखा है ,लेकिन इस वक़्त मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि उक्त स्ट्रक्चर के आसपास कितनी दीवारें थीं या हैं और इसीलिए मैंने पूछे जाने पर यह बताया कि रिपोर्ट को पढ़कर के ही मैं यह बता सकता हूँ।

प्रश्न- क्या उपरोक्त जगह पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी या नहीं?

उत्तर- पुरातात्विक दृष्टि से इस स्थल का महत्व है।

प्रश्न- उक्त स्थान पर जो स्ट्रक्चर था तथा जो दीवारें थीं,उनका अध्ययन आवश्यक था या नहीं?

उत्तर- उक्त स्थल पर दीवारों का अध्ययन तो महत्वपूर्ण है ही और इसके साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य (स्तर विन्यास , कालक्रम ,उनका सही प्रदर्शन ,सही काल निर्धारण व विश्लेषण) भी अध्ययन की दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न- यदि वह स्थान महत्वपूर्ण और आवश्यक थे तो आपने क्यों उस स्थान के शोध व अध्ययन की आवश्यक्ता नहीं समझी, इस बारे में आप क्या कहेंगे?

उत्तर- यह कहना उचित नहीं है।

मैंने इस रिपोर्ट का अध्ययन भी किया और विश्लेषण भी किया।

प्रश्न- मैं ए0एस0आई0 की रिपोर्ट के शोध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप द्वारा उस स्थान विशेष के शोध व अध्ययन के बारे में जानकारी चाहता हूँ,कृपया बतायें?

उत्तर- किसी भी उत्खनित स्थल के शोध के लिए सदैव यह आवश्यक व सम्भव नहीं होता है कि उक्त स्थल पर जाकर ही अध्ययन व शोध किया जाये। इसके लिए उत्खनित रिपोर्ट के आधार पर भी यह काम किया जा सकता है लेकिन इसके बावजूद भी यह स्थल व इसका उत्खनन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिसका स्थल पर जाकर अध्ययन किया जाये तो और भी अच्छा होता परन्तु इस संबंध में मैं वहाँ क्यों नहीं गया यह पहले ही मैं अपने बयान में स्पष्ट कर चुका हूँ कि मुझे यह जानकारी नहीं थी कि उत्खनन के

बाद भी बग़ैर किसी परमीशन के मुझे वहाँ जाने का अधिकार था और इसलिए मैं बाद में वहाँ नहीं गया।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

20.07.2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया । इसी क्रम में दिनांक - 21.7.2006 को अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद प्रस्तुत हो । साक्षी उपस्थित आवें ।

20.7.2006

(हरि शंकर दूबे)
आयुक्त
20.07.2006

समक्षः-आयुक्त श्री हरि शंकर दूबे, अपर ज़िला जज/ विशेष कार्याधिकारी,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद , लखनऊ खण्डपीठ , लखनऊ ।

(अन्य मूलवाद सं0- 4/89 सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़ उ0प्र0 व अन्य बनाम गोपाल सिंह विशारद व अन्य में माननीय विशेष पूर्णपीठ के आदेश दिनांक 17.5.2006 द्वारा नियुक्त आयुक्त ।)

दिनांक - 21.7.2006 **पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0 ठाकरान**

(दिनांक - 20.07.2006 के क्रम में पी0 डब्लू0 - 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या - 4/89 में प्रतिवादी संख्या - 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय , एडवोकेट द्वारा जारी ।)

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपार्ट वाल्यूम 2 के प्लेट सं0 - 59 व 60 की ओर आकृष्ट किया तथा निम्न प्रश्न पूछाः-

प्रश्न - क्या प्लेट सं0 - 59 तथा 60 में सरकुलर स्ट्रक्चर के किनारे जो दिवार नज़र आ रही है, वह उसी पीरियड की है जिस पीरियड का सरकुलर स्ट्रक्चर है?

उत्तर - यह संभव है कि सरकुलर स्ट्रक्चर तथा दीवार एक ही पीरीयड की हो। सरकुलर स्ट्रक्चर तथा दीवार गुप्त पीरीयड की होना संभव है।

प्रश्न - क्या उपरोक्त प्लेटों को देखकर आप बता सकते हैं कि इस स्थान पर गुप्त पीरीयड के बाद भी स्ट्रक्चरल एक्टीविटीज़ रही हैं?

उत्तर - इन प्लेटों को देखकर इस बारे में बता पाना संभव नहीं है कि उस स्थान पर बाद में स्ट्रकचरल एक्टीविटीज़ हुई या नहीं।

प्रश्न - क्या प्लेट सं0 - 59 तथा 60 में जो स्थान नज़र आ रहा है, उसके बारे में आपकी और लोगों से जो वार्ता हुई, क्या उन लोगों ने इस बारे में आपको कुछ बताया था या नहीं कि गुप्त काल के बाद इस स्थान पर कोई स्ट्रक्चरल एक्टीविटी हुई कि नहीं?

उत्तर - इस बारे में मुझे इस समय याद नहीं है।

मैं पहले ही अपने बयान में इस बात को बता चुका हूँ कि जी0 पी 0 आर 0 सर्वे में जितनी एनामलीज़ बतायी गयी थीं, उनकी संख्या मुझे याद नहीं है।

विद्वान जिरहकर्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम 1 के पृष्ठ सं0 - 37 ए तथा 37 बी की ओर आकृष्ट किया तथा निम्न प्रश्न पूछाः-

प्रश्न-ट्रेन्च जी - 7,जे - 3 को देखकर आप बताइये कि विवादित स्थल पर गुप्ता पीरीयड , पोस्ट गुप्ता पीरीयड तथा कुषाण पीरीयड के अवशेष प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं?

उत्तर-पृष्ठ 37 ए पर जो कल्चरल डिपाज़िट को दिखाने के लिए तालिका बनाई गयी है तथा जिसका शीर्षक " ट्रेन्चेज़ पीरीयडाज़ेशन आफ़ दि डिस्पुटेड साईट ऐट अयोध्या " है ,को देखकर यह कहा जा सकता है कि ट्रेन्च नं0-जी 7 में गुप्ता व पोस्ट गुप्ता पीरीयड के डिपाज़िट्स हैं जबकि ट्रेन्च नं0जे0 - 3 में इन दोनों ही कालों के अवशेष नहीं दिखाये गये हैं। इसके साथ - साथ इस फ़ीगर को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि ट्रेन्च नं0जी - 7 में लेयर संख्या 9,10,11,12 कुषाण काल के डिपाज़िट को

दर्शाती है और इसी तरह से ट्रेन्च नं0 जे- 3 में लेयर सं0-7 व 8 कुषाण काल के कल्चरल डिपाज़िट को दर्शाती है।

प्रश्न- आपने उत्खनन स्थल पर जो आब्ज़र्व किया, क्या आपने उसके अनुसार कुषाण पीरीयड , गुप्ता पीरीयड , पोस्ट गुप्ता पीरीयड , एवं राजपूत पीरीयड के आब्ज़ेक्ट्स व मैटीरियल इन दि फ़ार्म आफ़ स्टोन ब्रिक्स,पाटरीज़ तथा दूसरे पुरावशेषों को देखा या नहीं?

उत्तर- उत्खनित स्थल पर यदि उपरोक्त कालों की वस्तुओं के बारे में पूछा जा रहा है तो उस संबंध में मैं केवल यही कह सकता हूँ कि जिन - जिन ट्रेन्चेज़ में कुषाण,गुप्ता ,पोस्ट गुप्ता व राजपूत कालों के कल्चरल डिपाज़िट्स सिलसिलेवार उपस्थित हैं, वहाँ पर इन कालों की पाटरी तो अवश्य मिली है लेकिन अन्य वस्तुओं के संबंध में मैं अभी ठोस रुप से नहीं कह सकता हूँ।

प्रश्न- आपने उत्खनन स्थल पर जो आब्ज़र्व किया उसके अनुसार विवादित स्थल पर 12वीं शताब्दी के पूर्व वहाँ पर बस्ती थी या नहीं?

उत्तर- इस सवाल का जबाब मैं अपने उपरोक्त बयान में ए0एस0आई0रिपोर्ट वाल्यूम 1 के (पेज 37) सें संबंधित सवाल पूछे जाने पर पहले ही दे चुका हूँ जिसमें मैंने यह कहा है कि यहाँ पर ट्रेंन्च जी - 7 में कुषाण ,गुप्ता ,पोस्ट गुप्ता और राजपूत कालों (पृष्ठ 37 - ए पर दी गयी काल विभाजन की तालिका के अनुसार) के अवशेष उपस्थित हैं। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 12वीं शताब्दी के पहले भी इस स्थल पर मानव बस्तियों के अवशेष उपलब्ध हैं।

ज़ाहिर है कि अगर सरकुलर स्ट्रक्चर और उसके आस - पास के अन्य स्ट्रक्चरल अवशेष गुप्त काल से संबंधित हैं, तो 12वीं शताब्दी से पूर्व यहाँ पर स्ट्रक्चरल एक्टीविटीज़ के होने की पुष्टि करते हैं।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम 1 के फ़ीगर 19 (पेज 39ए) पर आकृष्ट किया तथा निम्न प्रश्न पूछा:-

प्रश्न- क्या फ़ीगर 19 में ट्रेन्च ई - 7,एफ़ - 7 में सुर्ख़ी चूने वाली दीवारों को दिखाया गया है?

उत्तर - मेरे लिए यह कह पाना मुश्किल है कि जो दीवार ई- 7 ब्रिक्स वाल करके दिखायी गयी है वह लाइम सुर्ख़ी वाली है या नहीं,क्योंकि इस फ़ीगर से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है।

प्रश्न - क्या आप फ़ीगर 19 को देखकर विवादित स्ट्रक्चर के ईस्टर्न वाल को इसमें कहाँ पर दिखाया गया है ,बता सकते हैं?

उत्तर - इस फ़ीगर को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि इसमें ईस्टर्न वाल कहाँ पर दिखायी गयी है। इसे एफ़ - 7 व जी- 7 के बीच में दिखाया गया है। फ़ीगर 19 को देखकर मैं यह तो बता सकता हूँ कि जहाँ पर ट्रेन्च नं0 एफ़- 7 लिखा हुआ है उसके नीचे फ़्लोर नं0-1, 2,व 3 लिखा हुआ है, इसके पूर्व की तरफ़ फ़्लोर नं0-2 हम मान सकते हैं अगर एफ़ - 7 के फ़्लोर 2 से कन्टीन्यूटी में देखा जाये तो इसके आगे विवादित भवन की पूर्वी दीवार है, जो इस फ़ीगर में दिखायी गयी है, वह दीवार फ़्लोर नं0-1के ऊपर से शुरु न होकर बीच से शुरु होना दिखाया गया है।

जब मैंने अपने उपरोक्त जबाब में यह कहा है कि यह दीवार फ़्लोर नं0-1 के ऊपरी सतह से शुरु न होकर थोड़ा नीचे से शुरु हो रही है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दीवार फ़्लोर नं0-1 को टच कर रही है।

प्रश्न- फ़ीगर 19 में ट्रेंन्च ई -7 तथा एफ़ -7 के बीच में पूर्वी दीवार फ़्लोर नं02 को काटते हुए जा रही है अथवा नहीं?

उत्तर - ट्रेंन्च नं0 ई- 7 में फ़ीगर 19 के अनुसार पूर्वी दीवार दिखायी ही नहीं गयी है, इसलिए इसके काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और इसी

प्रकार ट्रेन्च एफ़ - 7 में पूर्वी दीवार नहीं दिखायी गयी है। इसलिए किसी भी फ़्लोर को काटने की कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक ट्रेन्च जी - 7 का प्रश्न है, इस फ़ीगर 19 को देखने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्वी दीवार फ़्लोर नं0-2 को काट रही है।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0रिपोर्ट वाल्यूम-1 के फ़ीगर 5 (पेज नं052ए) पर आकृष्ट किया तथा निम्न प्रश्न पूछाः-

प्रश्न- क्या फ़ीगर 5 पेज नं0-52 ए को देखकर आप यह बता सकते है कि विवादित भवन की फ़ाउन्डेशन वाल में इस फ़ीगर कहाँ पर दिखायी गयी है?

उत्तर- इस फ़ीगर को देखकर यह कहा जा सकता है कि विवादित भवन की फ़ाउन्डेशन वाल ट्रेन्च ई-9 में दिखायी गयी है ।

प्रश्न- आपने उत्खनन स्थल पर जो आब्ज़र्व किया तथा जो जानकारी इस संबंध में प्राप्त की उसके अनुसार विवादित भवन की फ़ाउन्डेशन वाल कौन सी है?

उत्तर- मेरे अनुसार विवादित स्थल पर फ़ाउन्डेशन वाल उत्तर से दक्षिण जाती है और यह पश्चिमी दिशा में है और काफ़ी चौड़ी है। इसमें ईंटे ,ईंटों के टुकड़े और पत्थरों का प्रयोग किया गया है।

मेरे अनुसार विवादित स्ट्रक्चर की नींव की दीवार , पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण वाली दीवार ही थी। फ़ीगर - 5 में यह दीवार ट्रेन्च नं0-ज़ेड ई-1,ई-1 सभंवतः ट्रेंन्च ई -4, ई-7 और ई-9 तथा थोड़ा सा हिस्सा ट्रेन्च ई-10 में दिखायी देता है। मैंने " संभवतः" शब्द का प्रयोग ट्रेन्च ज़ेड ई-1 के लिए ही किया था। पुनः कहा कि जैसा मैंने ऊपर बताया है, " संभवतः " शब्द का प्रयोग मैंने ट्रेन्च ई-4 के लिए भी किया है।

प्रश्न- क्या उपरोक्त फ़ीगर 5 में साउथ चेम्बर वाल, स्ट्रक्चर के ब्रिक वाल तथा फ़्लोर नं0-2 व 3 से ऊपर है?

उत्तर - इस प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मुझे क्या जबाब देना है।

प्रश्न- जो दक्षिणी वाल दिखायी गयी है ,वह फ़्लोर नं0-2 व 3 से नीचे है अथवा उसके ऊपर है?

उत्तर - जिस ट्रेन्च ई-8 में " सदर्न वाल आफ़ डिस्प्युटेड स्ट्रक्चर" लिखा हुआ है यह स्पष्ट नहीं है और इसके साथ फ़्लोर नं0- 2 व 3 स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए यह कहना संभव नहीं है कि यह उसके ऊपर है या नीचे है।

विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने पुनः साक्षी का ध्यान ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम - 1 के फ़ीगर 3ए (पेज - 48ए) तथा फ़ीगर 2बी(51ए) पर आकृष्ट किया तथा निम्न प्रश्न पूछाः-

प्रश्न - इन फ़ीगर्स को देखकर यह बताये कि सदर्न वाल कौन सी है?

उत्तर - फ़ीगर -2 बी को देखकर स्पष्टरुप से यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सदर्न वाल कौन सी है क्योंकि इस फ़ीगर में वाल के लिए कोई सिम्बल ही नहीं दिखाया हुआ है लेकिन अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि इस फ़ीगर के ट्रेन्च नं0-एफ़- 9 और एफ़- 10 जहाँ पर लिखा हुआ है उसके बीच में एक पूरब पश्चिम स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिखाया है, वह दक्षिणी दीवार हो सकती है और फ़ीगर 3- ए को देख करके इसकी तुलना फ़ीगर 3- बी के साथ यदि करें , तब यह कहा जा सकता है कि फ़ीगर 3- ए में जो वाल नं0- 9 दिखायी गयी है ,वही फ़ीगर 3-बी की उपरोक्त दीवार हो सकती है।

प्रश्न - फ़ीगर 3- ए को देखकर फ़ाउन्डेशन वाल का नम्बर बताने की कृपा करें ?

फाउण्डेशन वाल, ट्रेंच- ई-9, ई-7 , ई-1, ज़ेड ई-1 आदि ट्रेंचेज़ में फ़ीगर- 3-ए के आधार पर मैगनीफ़ाइंग ग्लास से देखने पर नज़र आ रहे है । फ़ीगर -5 में फ़ाउण्डेशन वाल, ट्रेंच नं0- ज़ेड ई-1, ई-1, ई-7, ई-8, ई-9 और ई-10 में (नीचे थोड़ा हिस्सा) नज़र आ रहा है और इस सम्बन्ध में मैं पहले भी ऊपर बयान दे चुका हूँ । फ़ीगर -5 के अनुसार इस फ़ाउण्डेशन वाल में कहीं नीचे पत्थरों का प्रयोग हुआ था और उसके ऊपर ईंटों का प्रयोग, कहीं पर ईंटों के ऊपर पत्थर जैसी फ़ीगर्स दिखा रखे हैं । फ़ाउण्डेशन वाल का हिस्सा , जहां पर ट्रेंच ई-8 और ई-9 फ़ीगर -5 में लिखा हुआ है, इन दोनों ट्रेंचों के बीच में स्थित है । फ़ीगर-5 में ट्रेंच ई-8 तथा ई-9 के बीच में जो ब्रिक वाला हिस्सा है, वह फ़ाउण्डेशन वाल का अंश है या स्ट्रक्चर का अंश है, यह इस फ़ीगर को देखकर बताया जाना सम्भव नहीं है,क्योंकि यहां पर एक फ़ाउण्डेशन है, जो प्रारम्भिक नज़र आती है और उसके ऊपर दीवार का हिस्सा नज़र आ रहा है । इस दीवार के हिस्से के ऊपर फ़ीगर-5 के अनुसार और दीवार का एक हिस्सा नज़र आ रहा है, जिससे इस बात की पूरी सम्भावना है कि फ़ाउण्डेशन के ऊपर जो ईंटों की दीवार है, उसको आगे चल करके फ़ाउण्डेशन के रुप में भी प्रयोग किया हो।

प्र0- आपने यह कहा कि ऐसा हो सकता है कि ईंटों वाली दीवार का प्रयोग फ़ाउण्डेशन में किया गया हो,तो यह स्ट्रक्चर की दीवार नहीं हो सकती है । क्या आप इस बात से सहमत हैं ?

उ0-यहां पर यह सम्भव है कि पत्थरों के फ़ाउण्डेशन के ऊपर जो ईंटों की दीवार है, वह पहले स्ट्रक्चर का हिस्सा रही हो ।

यह कहना ग़लत है कि जब यह ईंट की दीवार , फ़ाउण्डेशन के रुप में प्रयोग हुई, तब वह स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रही । स्ट्रक्चर के इस हिस्से

को, जो ट्रेंच ई-9 और ई-8 संख्याओं के बीच में स्थित है, इसको देखकर स्पष्ट रुप से यह नहीं कहा जा सकता कि पत्थरों की जो नींव है और उसके ऊपर ईंटों की जो दीवार है, वह सुपर-स्ट्रक्चर का हिस्सा रही या नहीं रही, क्योंकि स्ट्रक्चर के इस हिस्से में फ़र्श आदि कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखाया गया है,जिसके आधार पर यह कहा जा सके, केवल मात्र इस ईंटों की दवार में बीच में एक काली गहरी लाइन दिख रही है, जिसको देखकर ऐसा एहसास होता है कि इस लाइन के ऊपर की ईंटों से बनी दीवार ऊपर वाले स्ट्रक्चर का हिस्सा रही हो ।

प्र0- आप ट्रेंच ई-7 में देखकर बता सकते हैं कि क्या यह ब्रिक वाली वाल पूरी फाउण्डेशन वाल थी या स्ट्रक्चर की दीवार का हिस्सा थी,क्योंकि इस ट्रेंच में फ्लोर -3 दर्शाया हुआ है ?(यह प्रश्न फीगर-5 के सन्दर्भ में पूछा गया है ।)

(उपरोक्त प्रश्न पर श्री ज़फ़रयाब जीलानी, एडवोकेट ने यह आपत्ति किया कि चूँकि दीवारों का आईडेंटीफ़िकेशन दीवार नम्बर से किया गया है और केवल" ईंट की दीवार " को पूछना किसी ख़ास दीवार को चिन्हित नहीं करता है, इसलिए यह प्रश्न पूर्णतः वेग है और इसको कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए)

(उपरोक्त आपत्ति का जवाब जिरहकर्ता अधिवक्ता ने यह दिया कि जब गवाह को फीगर-3 तथा 3ए दिखाकर दीवार का नम्बर पूछा गया है तथा उसी दीवार का चिन्हींकरण इस फ़ीगर-5 को दिखाकर किया गया है, इसलिए बार-बार नम्बर बताना जरुरी नहीं है)

उ0- इस ट्रेंच में जो फ़्लोर नं0-3 दिखाया गया है, वह ऐसा लगता है कि इस फ़्लोर का प्लास्टर इस दीवार के साथ भी कुछ सटा हुआ है, जिससे यह

साबित होता है कि इस ट्रेंच की ईट वाली दीवार फ़्लोर -3 वाले स्ट्रक्चर की दीवार का हिस्सा है ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

Sivaram

21-7-2006

मेरे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाइप किया गया । वाद दिनांक 24.7.2006 को मा0 विशेष पूर्ण पीठ के समक्ष प्रस्तुत हो।

Sivaram

21.7.06

(हरि शंकर दूबे)

आयुक्त

21-7-2006

समक्षः- विशेष पूर्णपीठ माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

दिनांक 7.8.2006 पी0डब्लू0 30 डा0आर0सी0ठाकरान

(दिनांक 21.7.2006 के क्रम में साक्षी पी0डब्लू0 - 30डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या -4/89 में प्रतिवादी संख्या- 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जारी)

मेरी जानकारी के अनुसार वाल 16 से संबंधित कोई पिलर बेसेज़ नहीं थे। जहाँ तक मुझे याद है वाल 16 के संदर्भ में कोई पिलर बेस था ही नहीं। मैंने ए0एस0आई0 की रिपोर्ट पढ़ी है ,जिसमें उन्होंने वाल 16 के पूरब की ओर पिलर बेसेज़ दिखाने की कोशिश की है। उक्त वाल के पश्चिम में पिलरबेस होने के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि ए0एस0आई0 रिपोर्ट में पिलर बेस की कितनी पंक्तियाँ दिखायी गयी हैं। इतना मुझे याद है कि क़रीब 50 पिलर बेस ए0एस0आई0 ने दिखाये हैं। मैं इतना नहीं बता सकता कि कुल मिलाकर कितने पिलर बेसेज़ ए0एस0आई0 ने पूर्णरूपेण एक्सपोज़ दिखाये हैं। लेकिन उत्तर की तरफ़ जहाँ सीता की रसोई कही जाती थी कुछ पिलर बेस साफ दिखाई पड़ रहे हैं। यह दिखाई पड़ रहे पिलर बेस वाल 16 के उत्तर -पूरब की दिशा में दिखाये गये हैं। ऐसा कहना सही नहीं है कि सीता की रसोई की तरफ़ के यह पिलर बेस सीध में उत्तर में हों, बल्कि वह पूरब की तरफ़ थे। उपरोक्त उत्तर-पूर्वी

जगह को छोड़कर बाक़ी विवादित स्थल के पिलर बेसेज़ स्पष्ट नहीं हैं और न ही ऐसा होने का कोई ठोस प्रमाण है। ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-1 पृष्ठ स0 55 पर पैरा 3 की पहली लाईन जिसमें 17 पिलर बेस का ज़िक्र है, का मतलब है कि वाल 16 उन पिलर बेस के पश्चिम की तरफ़ उत्तर-दक्षिण जा रही है। यह कहना सही नहीं है कि ए0एस0आई0 ने सभी पिलर बेस फ़्लोर 2 में ही दिखाये हैं, बल्कि सही यह है कि कुछ पिलर बेसेज़ फ़्लोर 1 के ऊपर स्पष्ट दिख रहे हैं कुछ फ़्लोर 2 पर कुछ फ़्लोर 3 पर और कुछ 3 व 4 को काटते हुए दिखाये हैं। यह कहना ग़लत है कि ए0एस0आई0 ने 50 में से 46 पिलर बेसेज़ फ़्लोर 2 में होना दिखाये हैं। चूंकि मैं ए0एस0आई0 द्वारा दर्शित पिलर बेसेज़ को नहीं मानता हूँ , इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि कितने पिलर बेसेज़ किस फ़्लोर में थे। यह कहना ग़लत है कि मैंने अपनी पिलर बेसेज़ से संबंधित राय बिना सोचे समझे और बिना ए0एस0आई0 रिपोर्ट का मतलब समझे हुए, दे दी। यह कहना भी ग़लत है कि मेरी राय कि सभी पिलर बेसेज़ ब्रिक बैट्स के ढ़ेर हैं,सही नहीं है। यह कहना ग़लत है कि केवल पिलर या पिलर बेसेज़ पर कोई भवन खड़ा किया जा सकता है।

(अन्य मूलवाद संख्या -4/89 में प्रतिवादी संख्या- 13/1 की ओर से श्री राकेश पाण्डेय ,एडवोकेट द्वारा जिरह समाप्त)

(अन्य मूलवाद सं0 4/89 मे प्रतिवादी सं0 2/1 महंत सुरेश दास की ओर से श्री मदन मोहन पाण्डेय,एडवोकेट द्वारा प्रतिपरीक्षा प्रारम्भ)

X X X X

उत्खनन के पहले भी मैंने विवादित स्थल देखा था। मैंने सन् 1990 में पहली बार विवादित स्थल पर विवादित भवन को देखा था। उस समय मेरे साथ प्रो0 सूरजभान व प्रो0 डी0एन0 झा जी थे। तब के बाद उत्खनन के

दौरान ही मैं विवादित स्थल पर गया था। निश्चित तौर पर पहली बार हम लोग विवादित ढाँचे को देखने व अध्ययन करने गये थे। तब से पहले भी मुझे विवादित भवन से संबंधित विवाद की जानकारी थी। मैंने विवादित भवन के संबंध में कोई शोध नहीं किया, परन्तु विषय अध्ययन इस बाबत सन्1990में ही शुरू कर दिया था। निश्चित तौर पर मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि विवादित भवन व स्थल का अध्ययन करने से यह जानकारी मुझे हुई कि किन-किन शासकों का काल अयोध्या से जुड़ा होगा ,परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से मैं यह बता सकता हूँ कि मोटे तौर पर यह स्थल किन-किन शासकों के राज्य में रहा होगा। मोटे तौर पर मैं गुप्त काल एवं उसके उपरांत के बाद के इतिहास के बारे में बता सकता हूँ कि विवादित स्थल एवं अयोध्या किस-किस शासक के अधीन था। गुप्त काल 320 ईस्वी से शुरू होकर लगभग 600 ईस्वी तक रहा। मुझे इस बात की ख़ास जानकारी नहीं है कि गुप्त काल में अयोध्या का स्थानीय शासक कौन और कब से कब तक रहा। जहाँ तक मेरी जानकारी है गुप्त काल में कोई स्थानीय शासक इस क्षेत्र में नहीं था,बल्कि गुप्तों का ही राज्य था। मुझे जानकारी नहीं है कि 10वीं सदी में अयोध्या किस स्थानीय शासक के अधीन थी। मैं यह भी नहीं बता सकता कि 11वीं , 12वीं,13वीं सदी में अयोध्या किस स्थानीय शासक के अधीन थी।

मैंने गहड़वाल वंश का नाम सुना है। मुझे गहढ़वाल वंश के संबंध में सूक्ष्म जानकारी है। मैं इस संभावना से इन्कार नहीं कर सकता कि अयोध्या गहड़वाल शासकों के अधीन था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अयोध्या पर गहड़वाल वंश का शासन कब से कब तक था। मैंने इस संबंध में कोई जानकारी हासिल करने का प्रयास नहीं किया कि अयोध्या पर गहड़वाल वंश का शासन कब से कब तक था और न ही मैंने ऐसा प्रयास सन् 1990 में जानने का किया जब मैं पहली बार विवादित स्थल पर विषय वस्तु का

अध्ययन करने गया था, क्योंकि यह एक शोध का विषय है। गहड़वालों में जयचन्द्र नाम के शासक हुए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अयोध्या में गहड़वाल वंश के शासकों ने कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था।

मैंने उत्खनन के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। मैंने अपने शपथ पत्र की धारा- 1 (मिर्ज़ापुर, राजा करन का क़िला व कुरुक्षेत्र) में अपने द्वारा तीन उत्खनन कार्यों से जुड़े होने का जो ज़िक्र किया है, परन्तु इन उत्खनन कार्यों से संबंधित कोई रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं हुई। आई0ए0आर0 में इन उत्खननों का आंशिक प्रकाशन हुआ है। मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता कि उपरोक्त उत्खनन कार्यों से संबंधित रिपोर्ट आज तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई है, क्योंकि मैं उत्खनन टीम का लीडर नहीं था। मैंने गंगा, यमुना के दोआब में सिनौली को छोड़कर कहीं कोई उत्खनन कार्य नहीं किया और न ही प्रोटेड किया है। प्रोटो हिस्ट्री का काल सुनिश्चित है जो अर्ली विलेज सेटिलमेंट्स के प्रारम्भ होने से लेकर लगभग सेकेंड सेंचुरी बी0सी0 तक चलता है। मोटे तौर पर मैं इस बात से इत्तिफ़ाक़ रखता हूँ कि प्रोटो हिस्ट्री का काल हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का है। निश्चित तौर पर अयोध्या एक हिस्टारिकल साइट है। यह कहना उचित नहीं है कि मैंने ऐतिहासिक(हिस्टोरिकल) साईट पर कोई शोध कार्य नहीं किया। मैंने जो उपरोक्त तीनों उत्खनन कार्यों से अपने को जुड़ा(अटेंडेड) होना बताया है,वह हिस्टोरिकल साइट नहीं है, बल्कि प्रोटो हिस्टोरिकल साइट है।

विवादित स्थल पर उत्खनन शुरू होने के प्रथम दिन ही मैं मौजूद था। कुल मिलाकर मैं क़रीब 20 दिन तक उत्खनन स्थल पर रहा था,जैसा कि पहले भी कई बार बता चुका हूँ। विवादित स्थल एक टीले की शक्ल में था ,जो न ही ज़्यादा उबड़ - खाबड़ व न ही समतल था। चारों दिशाओं में माउंड

का स्तर अलग-अलग था,जैसे उत्तर की दिशा में सड़क जो पूरब- पश्चिम को जाती है,के स्तर से करीब 10-12 फ़िट ऊँचा था। पूरब की तरफ़ से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फ़िट ऊँचा रहा होगा। दक्षिणी- पश्चिम छोर पर 4-5 फ़िट ऊँचा हो सकता है व पश्चिम दिशा की ज़मीन के स्तर से 15-20 फ़िट ऊँचा रहा होगा। मैंने ए0एस0आई0 रिपोर्ट में विवादित स्थल पर दिखाये गये कन्टूर मैप को देखा है। मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि कन्टूर मैप मौक़े के अनुसार सही है या नहीं। ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम 1 के मैप - पृष्ठ 13-बी , फ़ीगर- 2 को देखकर यह स्पष्ट नहीं है कि यह मौक़े के मुताबिक सही है या नहीं। कन्टूर मैप पृष्ठ -13 ए , फ़ीगर- 1, मौक़े के हिसाब से सही मालूम पड़ता है। मेरे विचार से इस कन्टूर मैप में 99 मीटर का नीचे वाला स्तर है और मेकशिफ़्ट स्ट्रक्चर 108 मीटर की ऊँचाई पर है।

गवाह ने फ़ीगर -1 , पेज-13ए , ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-1 को देखकर कहा कि इसमें मेकशिफ़्ट स्ट्रक्चर , सीताकूप एवं पॉण्ड को लगभग एक ही ऊंचाई पर दिखाया गया है । मुझे इस समय याद नहीं है कि मैंने मौक़े पर सीताकूप देखा था या नहीं । मैंने मौक़े पर फ़्लोर तो देखा था, लेकिन पॉण्ड था या नहीं, मुझे याद नहीं है । इसी फ़ीगर-1 के नीचे शेषावतार मंदिर ,जो दिखाया गया है, को मैंने मौक़े पर नहीं देखा था । यह कहना सही नहीं होगा कि उत्खनन के समय मैंने अपने को इस कन्टूर मैप में दिखाये गये ए बी सी डी ई एफ़ लाइन के अन्दर दिख रही जगह तक सीमित रखा,बल्कि ए बी के पश्चिम, ए एफ़ लाइन के उत्तर और एफ़ ई लाइन के पूरब भी आब्ज़र्व किया था । मैं स्पष्ट रुपसे यह नहीं बता पाउँगा कि इस कण्टूर मैप , फ़ीगर -1 , में दिखाई गई सीमेंट कंकरीट फ्लोर के अगल-बग़ल भी उत्खनन कार्य हुआ था कि नहीं। इस फ़ीगर-1 को देखकर मुझे नहीं अंदाज़ मिल रहा कि उत्खनन कार्य ए बी सी डी ई एफ़ से दिखाई

गई लाइनों के अन्दर ही सीमित था या उससे बाहर भी हुआ था । फ़ीगर -1 (कण्टूर मैप स्ट्रक्चर, सड़क से सीता रसोई की ऊँचाई लगभग दस फिट होगी । मेरा यह अनुमान इसबात पर आधरित है कि उसी फ़ीगर में सड़क को 106 मीटर पर दिखाया गया है और फिर 107, और 108 है और फिर सीतारसोई को 108 मीटर पर बताया जा रहा है और इसी बिना पर मैंने सड़क से ऊँचाई 10 फ़िट बताई है । कण्टूर मैप में जो 106,107 या 108 मीटरदिखाया गया है, यह समुद्र तल से बेंच मार्क से ली जाती है और सर्वेयर के द्वारा यह प्वांइट फ़िक्स किये जाते हैं और इसी के आधार पर यह कंटूर मैप बनाये जाते हैं । मेरे अनुसार इस फ़ीगर -1 में जो मेजरमेंट दिखाया गया है, वह ठीक है । यह ठीक है कि किसी भी स्थल का उत्खनन करने के पहले सर्वेक्षण करके कण्टूर मैप तैयार करता है और इसी मैप के आधार पर उत्खनन कार्य चलता है । स्वयं कहा कि एक उत्खननकर्ता उत्खनन के पहले कण्टूर मैप इसलिए बनाता है कि उत्खनन की जगह की वर्तमान स्तर सम्बन्धी स्थिति को नक्शे में ठीक से दिखाया जा सके और उत्खनन प्रारम्भ करने से पहले यह कण्टूर मैप एक बेंचमार्क तय करने में भी सहायक सिद्ध होता है और उसी बेंचमार्क से उत्खनन के दौरान मेजरमेंट लिया जाता है । मुझे मालूम है कि उत्खनन के पहले विवादित स्थल पर जी0 पी0 आर0 सर्वेक्षण हुआ था। उस सर्वेक्षण में दी गई रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़े है, पर उससे सम्बन्धित अंश उत्खनन की रिपोर्ट जो ए0 एस0 आई0 द्वारा दी गई है, में पढ़ी है । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही मुझे जी पी आर सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बारे में मुख्य रुप से जानकारी हुई । उत्खनन के दौरान मुझे जी0 पी0 आर0 रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी थी । मुझे उत्खनन के समय जी0 पी0 आर0 सर्वे रिपोर्ट में दिखलाई गई उन एनामिलीज़ की जानकारी थी, जो जी0 पी0 आर0 में पायी गई थीं । मेरी

जानकारी के मुताबिक़ उत्खनन के दौरान जी0 पी0 आर0 में दिखाई गई कुछ एनामिलीज़ की पुष्टि हुई ।

ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम-1 की फ़ीगर -2 देखकर मैं यह नहीं बता सकता कि उत्खनन का कार्य कितने लम्बे-चौड़े एरिया में हुआ था । यह सही है कि फ़ीगर -2 में जहाँ-जहाँ एनामेलीज़ पाई गई थीं, उनको दर्शाया गया है । यह कहना सही है कि जी0 पी0 आर0 किसी भी स्थल के निरीक्षण की एक सही वैज्ञानिक विधि है । मैं फ़ीगर -2 देखकर यह नहीं बता सकता कि उत्खनन में जी0 पी0 आर0 सर्वे के दौरान किस एनामिली की पुष्टि हुई। एनामिलीज़ में प्रत्येक ठोस जैसे स्ट्रक्चर, स्टोन पीसेज़, वाल्स, पिलरबेसेज़ इत्यादि शामिल हैं । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जी0 पी0 आर0 सर्वे किस गहराई तक किया गया था । जी0 पी0 आर0 सर्वे में किसी भी गहराई तक जाया जा सकता है, बशर्ते कि उसका इन्स्ट्रूमेंट व रिज़ूलूशन पावरफ़ुल हो । जी0 पी0 आर0 सर्वे के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल है । जी0 पी0 आर0 सर्वेक्षण का प्रयोग भारतवर्ष में विवादित स्थल की खुदाई के लिए सबसे पहले हुआ है । किसी और पुरास्थल पर उत्खनन के लिए जी0 पी0 आर0 सर्वेक्षण के प्रयोग की जानकारी मुझे नहीं है । पुरातत्व में उत्खनन से पूर्व सर्वेक्षण यानी एक्सप्लोरेशन आवश्यक होता है । और एक्सप्लोरेशन के माध्यम से पुरातत्ववेत्ता अमुक क्षेत्र में जहां पर उत्खनन किया जाना है, उसका सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है । उत्खनन से पहले मैग्नेटिक सर्वे का भी प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा पहले कहाँ- कहाँ हुआ है । यह कहना ठीक नहीं है कि किसी उत्खनन कार्य से पहले मैग्नेटिक सर्वे या जी0 पी0 आर0 सर्वे या अन्य वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उत्खनन में स्थल का विनाश हो जाता है । मेरे विचार में मैग्नेटिक विधि का प्रयोग

उत्खनन से पहले इसलिए किया जाता है कि उस पुरास्थल की जो वास्तविक ऐतिहासिक महत्ता है, उसके सम्बन्ध में उत्खनन करने से पूर्व जानकारी प्राप्त की जा सके । सामान्यतः उत्खनन के पहले जनरल सर्वे केवल इसलिए किया जाता है कि उस क्षेत्र विशेष की पुरा-सम्पदा के विषय में मोटी जानकारी प्राप्त की जा सके । ऐसा कहना हर सूरत में ज़रुरी नहीं होगा कि उत्खनन से पहले सर्वेक्षण इसलिए किया जाता है कि उत्खनन की एक्सरसाइज़ बेकार न हो जाये।

यह सही है कि पुरातात्विक उत्खनन में कालगणना (पीरियडाइज़ेशन) एक महत्वपूर्ण कार्य है । उत्खनन में लेयर्स की नम्बरिंग ऊपर से नीचे की ओर होती है तथा पीरियड का फ़िक्सेशन नीचे से ऊपर की ओर होता है । किसी भी ट्रेंच में पीरियडाइज़ेशन ट्रेंच के उत्खनन के बाद ही प्रारंभ होता है । ऐसा कोई निश्चित आधार नहीं है कि कालगणना तीन प्रकार से ही की जाती हो । शताब्दी के आधार पर उत्खनन के दौरान कालगणना मुख्य आधार नहीं है । यह सही है कि कालगणना शताब्दी के आधार पर किए जाने का एक आधार है । कालगणना इतिहास में वंशावली (डायनेस्टी) के आधार पर नहीं की जाती है । यह सही नहीं है कि पुरातत्व विधा में कालगणना शासक के काल के आधार पर की जाती है । कालगणना करने में लेयर को एक आधार माना जाता है । यह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेयर्स के आधार पर , लेयर्स की बनावट के आधार पर तथा लेयर्स में पाई गई सामग्री के आधार पर कालगणना की जाती है । यह सही है कि लेयरवाइज़ तथा शताब्दीवार जो कालगणना की विधि जो मैंने ऊपर बताई है , वह पुरातत्व में मान्य है । कालगणना के यही दो प्रमुख आधार हैं । इनके अतिरिक्त कालगणना का और कोई तीसरा आधार नहीं है । ए0 एस0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट में कालगणना के लिए कहीं पर शताब्दी को , कहीं वंशावली को , कहीं लेयर्स

को आधार माना है । मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ए0 एस0 आई0 ने कालगणना में तीनों आधारों को एक साथ आधार बनाकर कालगणना की हो।

ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट वाल्यूम - 1 के पृष्ठ - 38 पर पीरियड - 1 में कालगणना का आधार शताब्दी माना है । पीरियड - 2 में भी इसी प्रकार शताब्दी को आधार माना गया है । इसी प्रकार पीरियड - 3 एवं पीरियड - 4 पृष्ठ - 39 में भी शताब्दी को आधार माना गया है । पीरियड - 6 , 7 एवं 8 जिनका उल्लेख पृष्ठ - 40 पर है,में भी शताब्दी को आधार माना गया है । यह ठीक है कि ए0 एस0 आई0 ने कालगणना शताब्दी के आधार पर दिखाया है , लेकिन जिस प्रकार उन्होंने पीरियड - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 एवं 7 का नामकरण करके दिखाया है , मैं उससे सहमत नहीं हूँ । मेरा उपरोक्त उत्तर ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में अंकित पीरियड - 8 एवं 9 के लिए भी है । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में पीरियड - 1 को छठी शताब्दी बी0 सी0 से तृतीय शताब्दी बी0 सी0 के बीच का जो बताया गया है , मैं उनके इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ । मेरे विचार से एन0 बी0 पी0 डब्लू0 पीरियड छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक होना चाहिए । यह सही है कि पीरियड - 1 को निर्धारित करने के लिए शताब्दी के अतिरिक्त लेयर को भी आधार बनाया गया है । मेरे विचार से ए0 एस0 आई0 द्वारा निर्धारित पीरियड 2 भी पीरियड - 1 के अन्तर्गत ही आना चाहिए था,क्योंकि इस काल में भी एन0 बी0 पी0 डब्लू0 का प्रचलन बराबर रहा है ।

इतिहास में शुंग पीरियड कोई काल नहीं है । इतिहास में शुंग वंश साम्राज्य का उल्लेख है , किन्तु शुंग वंश को अपने आप में इतिहास काल को निर्धारित करने का आधार नहीं माना जा सकता । केवल शुंग काल के आधार पर अगर किसी काल की गणना की गई है , तो उसे मान्यता नहीं दी जा सकती । शुंग पीरियड को एक कल्चरल पीरियड का एक हिस्सा तो

माना जा सकता है , परन्तु वह स्वतंत्र रूप से एक ऐतिहासिक काल नहीं कहा जा सकता , क्योंकि एन0 बी0 पी0 डब्लू0 पीरियड में जो 6 सेंचुरी बी0 सी0 से प्रारंभ होकर प्रथम सेंचुरी बी0 सी0 तक चलता है ,उसमें मौर्य , शुंग व अनेक वंशों का शासन काल रहा है और इन सभी का जो कल्चरल आधार रहा है , वह एन0 बी0 पी0 डब्लू0 ही रहा है । मेरे विचार से शुंग वंश का काल 185 ईसा पूर्व से शुरू होकर लगभग 132 ईसा पूर्व तक चलता है । शुंग पीरियड के पहले मौर्य वंश का राज्य यहाँ पर इसी दौरान था ।

मौर्य वंश की ऐतिहासिक मान्यता है । मौर्य पीरियड भी कल्चरल पीरियड का एक हिस्सा है । मौर्य वंश का काल 325 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चलता है । ए0 एस0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट में पीरियड - 2 की जो अवधि दिखाई है , शुंग वंश का राज्य लगभग उसी अवधि के दौरान था । यह सही है कि पीरियड - 2 निर्धारित करने में ए0 एस0 आई0 ने लेयर को भी आधार माना है , परन्तु यह आधार ग़लत है , क्योंकि इस लेयर में जो सामान मिला है , वह पहले काल का है , इसलिए इसको पीरियड - 1 में ही माना जाना चाहिए । मेरे विचार से ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में पीरियड - 3 , जिसको कुषाण काल के रूप में प्रस्तुत किया गया है , इसका समय प्रथम सेंचुरी से तृतीय सेंचुरी तक बताया गया है । यह काल लगभग ठीक है और इसका जो नामकरण किया गया है , उसको भी कुछ हद तक ठीक माना जा सकता है । कुषाण काल भी एक कल्चरल पीरियड का हिस्सा है , परन्तु इसको काल निर्धारण का आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता । सामान्य तौर पर मैं ए0 एस0 आई0 द्वारा पीरियड - 3 के निर्धारण से सहमत हूँ । ए0 एस0 आई0 द्वारा पीरियड 1, 2, एवं 3 में जिन लेयर्स का उल्लेख किया है , उनकी मोटाई का अध्ययन मैंने नहीं किया है । चूँकि मुझे ट्रेंच में जाने का अधिकार नहीं था , इस कारण उनके स्ट्रक्चर के बारे में मुझे

जानकारी नहीं है । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में उल्लिखित पीरीयड 1, 2, 3 से सम्बन्धित ट्रेंचेज़ की खुदाई के समय मैं था , लेकिन इस काल की सभी लेयर्स की खुदाई मेरे सामने नहीं हुई थी । मेरी जानकारी में यह बात अब है लेकिन खुदाई के समय नहीं थी कि न्यायालय ने पक्षकारों के विशेषज्ञों को ट्रेंच में जाने तथा ट्रेंच में जाकर उनकी लेयर का अध्ययन करने की अनुमति दी थी । मुझे यह मालूम है कि न्यायालय की उपरोक्त अनुमति के आधार पर प्रो0 सूरजभान , प्रो0 डी0 मण्डल , प्रो0 शिरीन रत्नागर उत्खनन स्थल पर ट्रेंचेज़ का मुआयना करने के लिए ट्रेंचों में गए थे । मेरी उनसे उनके द्वारा ट्रेंचेज़ का अध्ययन किए जाने की कोई बात नहीं हुई थी । यह कहना सही नहीं है कि चूँकि मैंने ख़ुद जाकर ट्रेंचेज़ का निरीक्षण नहीं किया है और उपरोक्त लोगों से इस सम्बन्ध में कोई वार्ता नहीं की है , इस कारण लेयर्स के टेक्सचर, फ़िटनेस , कंपोजीशन का ज्ञान मुझे नहीं है । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में पीरियड - 4 के सम्बन्ध में जो काल / अवधि दी गई है , मैं उससे सहमत हूँ ,परन्तु उसके किए गए नामकरण " गुप्ता पीरियड " से सहमत नहीं हूँ क्योंकि इस काल का निर्धारण एक वंश कि आधार पर किया गया है , न कि इस काल की सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर और यह काल एक सांस्कृतिक काल है , जिसमें केवल मात्र गुप्त वंश ही नहीं था , अपितु कई राजवंशों को सम्मिलित किया जाता है । मेरे विचार से इस काल का नामकरण संस्कृति के आधार पर ऐतिहासिक काल होना चाहिए । मेरे विचार से तथा इतिहास की दृष्टि से ऐतिहासिक काल तीसरी सेंचुरी ईस्वी सन् के अन्तिम चरण से प्रारंभ होकर 7वीं शताब्दी ईस्वी सन् तक माना जाता है । पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास काल को निम्नलिखित कालों में विभाजित किया जाता है । पुरातात्विक दृष्टि से भारतीय इतिहास के एक काल का वर्गीकरण प्राग्

इतिहासिक , प्रोटोहिस्टोरिक (आद्य इतिहास) , अर्ली हिस्टारिकल पीरियड तथा हिस्टारिकल पीरियड में किया जाता है । इतिहास की दृष्टि से वंश के आधार पर काल विभाजन को मैं सही नहीं मानता । यह भी सही है कि आर्कियोलाजी में वंश के आधार पर , उस दौरान पाई गई चीज़ों के आधार पर की गई कालगणना को सही नहीं माना जा सकता । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में पीरियड - 5 के सम्बन्ध में जो कालगणना दी गई है , उससे मैं सहमत हूँ, परन्तु उस काल का जो नामकरण किया गया है , उससे मैं सहमत नहीं हूँ । मेरे विचार से ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से इस पीरियड को अर्ली मेडीवियल पीरियड कहा जाना चाहिए । यह काल भी ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा है । ए0 एस0 आई0 ने पीरियड - 6 के सम्बन्ध में जो बात कही है , उससे मैं सहमत हूँ , लेकिन उसके नामकरण से सहमत नहीं हूँ । मेरे विचार से इसका नाम मध्यकाल होना चाहिए । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में पीरियड - 7 के बारे में जो लिखा है तथा नामकरण किया है , वह सही है । मेरे विचार से ए0 एस0 आई0 ने जो पीरियड - 7 लिखा है , वह पीरियड - 6 में ही आना चाहिए । मेरे विचार से मध्यकाल 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चलता है । ए0 एस0 आई0 ने जो पीरियड - 7 को 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 16वीं शताब्दी तक कहा है , वह सही है । ए0 एस0 आई0 ने पीरियड 6 की जो अवधि पूर्व मध्यकाल दिखाई है , वह ग़लत है , बल्कि उसे पूर्व मध्यकाल के पीरियड में ही सम्मिलत किया जाना चाहिए । मेरे विचार से पूर्वमध्यकाल 7वीं शताब्दी से शुरू होकर 12वीं शताब्दी के अन्त तक चलता है और मध्यकाल 13वीं शताब्दी से शुरू होकर 17वीं शताब्दी के अन्त तक चलता है। मेरे विचार से पुरातात्विक ऐतिहासिक दृष्टि से काल निर्धारण राजपूत काल , सल्तनत काल या मुग़ल काल के आधार पर किया जाना उचित नहीं है । यह

सही है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राजपूतों के शासन का एक काल रहा है , जिसकी अवधि मुख्य रूप से आठवीं शताब्दी के अन्त से बारहवीं शताब्दी के अन्त तक माना जाता है । मोटे तौर पर यह कहना उचित होगा कि इतिहासकार जिस प्रकार से काल निर्धारण करते हैं , उसी आधार पर पुरातत्ववेत्ता भी काल का निर्धारण करते हैं । यह सही है कि काल के नामकरण के सम्बन्ध में इतिहासकारों में एक मत नहीं है , परन्तु सामान्य तौर पर उपर बताये गये काल विभाजन को माना जाता है । शासकों के आधार पर काल का निर्धारण भिन्न - भिन्न क्षेत्रों में अलग - अलग हो सकता है , परन्तु सांस्कृतिक आधार पर जो काल निर्धारण किया जाता है , उसमें समानता होती है । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शताब्दी के आधार पर किए गए सभी जगह के काल निर्धारण एक समान होंगे , क्योंकि विकास का क्रम हर स्थान पर एक समान नहीं होता है । यह सही है कि खुदाई के दौरान सेक्शन में जो लेयर्स का टेक्सचर पाया गया हो , उसमें कुछ अन्तर खुदाई के कुछ समय बाद आ सकता है , परन्तु उसके अपीयरेंस तथा कंपोजीशन में कोई मेजर परिवर्तन आने की संभावना नहीं है । यह सही है कि उपरोक्त कारण से ट्रेंच की खुदाई के समय ट्रेंच सुपरवाइज़र का आब्ज़रवेशन महत्वपूर्ण होता है । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में पीरियड - 8 में उल्लिखत ट्रेंच ई0 - 7 एवं जी0 - 7 की कुछ प्रारंभिक खुदाई के दौरान मैं मौजूद था ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

Sharma

7.8.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनांक - 8.8.2006 को प्रस्तुत हो ।

Sharma

समक्षः- विशेष पूर्णपीठ माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद

लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ ।

दिनांक - 8.8.2006 पी0डब्लू0 - 30 डा0आर0सी0ठाकरान

(दिनांक 7.8.2006 के क्रम में साक्षी पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद संख्या - 4/89 मे प्रतिवादी संख्या - 2/1 महंत सुरेश दास की ओर से श्री मदन मोहन पाण्डेय, एडवोकेट द्वारा प्रतिपरीक्षा जारी)

ए0 एस0 आई0 ने जो पीरियडाइज़ेशन लेयर्स के अनुसार किया है , वह सही है , परन्तु नामकरण के हिसाब से सही नहीं है और न ही वंशावली के आधार पर किया गया नामकरण उचित है । पीरियडाइज़ेशन की डेटिंग की मुख्य तौर पर दो विधियाँ हैं -

1- सापेक्षिक विधि

2- वैज्ञानिक विधि ।

रिलेटिव पीरियडाइजेशन एक तो स्ट्रेटीग्राफ़ी के मुताबिक़ और दूसरी पहले की संस्कृति की सामग्री तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर । एब्सोल्यूट व साइंटिफ़िक विधियाँ एक ही हैं । इस विधि को क्रोनोमिट्रिक भी कहते हैं । कार्बन डेटिंग मेथड व थर्मोल्यूमिनिसेंस मेथड ,डेड्रोक्रोनोलॉजी डेटिंग मेथड आदि हैं । यह कहना हमेशा के लिए सही नहीं होगा कि एब्सोल्यूट डेटिंग या वैज्ञानिक विधि से किया गया पीरियडाइज़ेशन एकदम ठीक होगा । यह कहना भी सही नहीं है कि साइंटिफ़िक विधि का

पीरियडाइज़ेशन प्रायः सही ही होगा। स्तरीकरण द्वारा किया गया पीरियडाइजेशन भी शत प्रतिशत निर्णायक नहीं होता । दोनों विधियों द्वारा किया गया पीरियडाइज़ेशन तथा दोनों विधियों द्वारा तुलनात्मक विश्लेषण क़रीब - क़रीब सही माना जा सकता है , परन्तु एब्सोल्यूटली कनक्लूज़िव नहीं । यह कहना ग़लत है कि आर्कियोलाजी में साइंटिफ़िक विधि द्वारा किया गया पीरियडाइज़ेशन कनक्लूज़िव ही होगा क्योंकि इन विधियों के द्वारा जो तिथिकरण किया जाता है वह उत्खनन में उत्खनित किए गए सैम्पल्स का प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण पर आधारित हैं और सैम्पल लेते वक़्त उचित सावधानियाँ बरतना , सैम्पल्स की सही पैकिंग करना , सैम्पल्स की सही मार्किंग करना और सैम्पल्स का एकदम प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित होना आवश्यक है । उपरोक्त विधि से किया गया विश्लेषण कनक्लूज़िव केवल उसी शर्त पर माना जाएगा , जब सैम्पल्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनमें से आधे से अधिक सैम्पल्स का निष्कर्ष एक ही निकलता हो । डिफ़रेंट सतहों से लिए गए सैम्पल्स के विश्लेषण का निष्कर्ष हमेशा भिन्न होगा ।

प्रश्न - आपके उपरोक्त जवाब से क्या यह समझा जाए कि एब्सोल्यूट डेटिंग के लिए किसी एक लेयर से कई सैम्पल्स लेने पर उसके विश्लेषण के आधार पर यदि आधे से अधिक निष्कर्ष समान हों , तभी उसे एब्सोल्यूट डेटिंग मानी जाएगी ?

उत्तर - हाँ , निश्चित तौर पर अगर आधे से अधिक सैम्पल्स का एक ही निष्कर्ष आ रहा है , तो उसे हम उस लेयर का कनक्लूज़िव काल स्वीकार कर सकते हैं ।

यदि एक लेयर से केवल एक ही सैम्पल लेकर उसका साइंटिफ़िक विश्लेषण किया जाए , तो उसका कनक्लूज़िव पीरियडाइज़ेशन तभी

आएगा ,जब उसी लेयर से पाई गई अन्य सामग्री यानी पुरावशेषों से प्राप्त सापेक्षिक विधि की तिथि या काल से उक्त सैम्पल का पीरियडाइज़ेशन मेल खाता हो ।

निश्चित तौर पर मैं स्ट्रेटीग्राफ़ी को पीरियडाइज़ेशन का मुख्य वैज्ञानिक आधार मानता हूँ । यह कहना सही है कि उसको रिलेटिव डेटिंग ही माना जाता है । यह कहना सही है कि स्ट्रेटीग्राफ़ी का कांसेप्ट आर्कियोलाजी में भू - गर्भ विज्ञान से ही लिया गया है । यह कहना सही है कि स्ट्रेटीग्राफ़ी में लेयर्स की रिलेटिव डेटिंग को भी साइंटिफ़िक आधार माना जाता है । यह कहना सही है कि लेयर्स की एज तय करने के लिए वैज्ञानिक विधि से किया गया विश्लेषण व लेयर में पाई गई एन्टीक्विटीज़ के तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित हैं । यदि किसी लेयर में कोई अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है तो यह भी तिथिकरण के लिए कनक्लूज़िव एवीडेंस माना जाएगा । अभिलेखीय साक्ष्य में केवल इंस्क्रिप्शन्स को ही आधार माना जाता है ।

प्रश्न - यदि कार्बन डेटिंग में कोई डेट डिस्टर्ब नहीं है , तो क्या आप उस कार्बन डेटिंग के रिज़ल्ट को मान्यता देंगे ?

उत्तर - ऐसा कहना सही नहीं है ।

ए0 एस0 आई0 द्वारा खुदाई में प्राप्त किए गए कुछ सैम्पल्स की कार्बन - डेटिंग उन्होंने कराई है , परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि ऐसे कौन - कौन से और कितने सैम्पल्स हैं और उनकी क्या - क्या डेट्स हैं । मुझे याद नहीं है कि उक्त सैम्पल्स किस - किस लेयर से और किन - किन ट्रेंचेज़ से प्राप्त हुए । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में इनका उल्लेख नहीं है । यह कहना सही है कि स्ट्रेटीग्राफ़ी के अध्याय में इन कार्बन डेटिंग का काल गणना के सम्बन्ध में उद्धरण है । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट में कार्बन डेटिंग से सम्बन्धित जिन सैम्पल्स का उल्लेख किया गया है , उनके बारे में मैंने

अध्ययन किया है । ए0 एस0 आई0 ने स्ट्रेटीग्राफ़ी के चैप्टर में कार्बन डेटिंग के आधार पर जिस डेटिंग का उल्लेख किया है , उसे मैं सही नहीं मानता , क्योंकि ए0 एस0 आई0 के द्वारा जो पीरियडाइजेशन किया गया है , वह ही अनुचित है । यह कहना सही है कि कार्बन डेटिंग की काल गणना जो सेन्चुरीज़ के आधार पर की गई है , वह कार्बन डेटिंग के आधार पर की गयी है । ए0 एस0 आई0 द्वारा सेन्चुरीज़ के आधार पर की गई काल गणना की विधि को मैं सही मानता हूँ ।

प्रश्न - क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ए0 एस0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न लेयर्स की कालगणना जो शताब्दी में किया है , उसमें कार्बन डेटिंग के रिज़ल्ट को आधार बनाया है ?

उत्तर - संभवतः यह सही है , परन्तु मेरा मत है कि केवल मात्र कार्बन डेटिंग द्वारा प्राप्त की गई डेटिंग के आधार पर काल विभाजन को सही नहीं माना जा सकता ।

यह कहना सही है कि ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट के वाल्यूम - 1 , अपेंडिक्स - 1 में जो कार्बन की डेट दी गई है , उसमें कोई डेट डिस्टर्ब नहीं है । चूँकि अपेंडिक्स - 1 में ट्रेंच नम्बर और लेयर का ज़िक्र नहीं किया गया है , इसलिए मैं कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को सही नहीं मानता , क्योंकि यह कार्बन डेटिंग का रिज़ल्ट केवल गहराई के आधार पर निकाला गया है और गहराई का स्वतंत्र रूप से इस तरह के विश्लेषण में कोई महत्व नहीं है । मेरे मतानुसार दीवार पर किए गए प्लास्टर के सैम्पल का कार्बन डेटिंग यानी सी - 14 नहीं हो सकता । मेरा मत है कि किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी हिस्से का सी - 14 नहीं हो सकता , परन्तु यदि स्ट्रक्चर में लकड़ी का उपयोग है और लकड़ी को स्ट्रक्चर में पाया जाता है , तो उसका सी - 14 हो सकता है । लेयर्स में पाए गए किसी भी सैम्पल का

जो स्ट्रक्चर से सम्बन्धित है या उसका भाग है , की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है । मेरे हिसाब से केवल चारकोल की ही कार्बन डेटिंग हो सकती है ,मिट्टी की नहीं । मुझे याद नहीं है कि विवादित स्थल पर उत्खनन के दौरान मेरी मौजूदगी में कार्बन डेटिंग के लिए कोई सैम्पल प्राप्त हुआ या नहीं । यह कहना सही है कि डे - टु - डे रजिस्टर में कार्बन डेटिंग के लिए, लिए गए सैम्पल्स की एन्ट्री उक्त रजिस्टर में होती थी , उसके साथ ही दूसरी एन्टीक्विटीज़ का इन्द्राज होता था । जहाँ तक मुझे याद है सैम्पल्स के प्राप्त होने का ट्रेंच नम्बर तो डे - टु - डे रजिस्टर में लिखा जाता था , परन्तु सैम्पल किस लेयर से प्राप्त हुआ ,का लिखा जाना मुझे यह याद नहीं है । संभवतः लेयर का इंद्राज नहीं होता था, क्योंकि खुदाई लेयरवाइज़ नहीं ट्रेंचवाइज होती थी । मैंने ट्रेंच बुक से पाए गए सैम्पल्स का वेरीफ़िकेशन डे - टु - डे रजिस्टर में किए गए इन्द्राजात से नहीं किया । अपेंडिक्स - 1 में दिए गए सैम्पल्स का वेरीफ़िकेशन मैंने साइट नोट बुक व डे - टु - डे रजिस्टर में किए गए इन्द्राजात से नहीं किया । यह कहना ग़लत है कि इसी वेरीफ़िकेशन के अभाव में कार्बन डेटिंग के सम्बन्ध में मैं अपनी राय देने में असमर्थ हूँ ।

यह कहना ग़लत है कि मैंने कालगणना के सम्बन्ध में किसी दुराग्रह से ग्रसित होकर ग़लत बयानी की है । यह भी कहना ग़लत है कि कालगणना के सम्बन्ध में मेरा कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है , इसी कारण मैंने इस सम्बन्ध में ग़लत बयानी की है । गवाह ने फ़ीगर - 3 ए ए0 एस0 आई0 वाल्यूम-1 रिपोर्ट को देखकर कहा कि यह ड्राइंग उत्खनन स्थल पर मिली दीवार , स्ट्रक्चर आदि की है । इस फ़ीगर - 3 ए को देखकर विवादित स्थल पर मिली दीवार एवं स्ट्रक्चर में से कुछ दीवार और स्ट्रक्चर का विवरण मैं बता सकता हूँ । गवाह ने ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट के फ़ीगर - 3 ए को

देखने के बाद कहा कि ए0 एस0 आई0 ने इस फ़ीगर में 28 दीवारों को उत्खनन के स्थान पर दिखलाया है । इसी तरह इस फ़ीगर में 10 स्ट्रक्चर्स एवं 50 पिलर बेसेज़ दिखाए गए हैं । गवाह ने फ़ीगर - 3 ए को देखकर कहा कि इसमें दिखाई गई वाल संख्या - 16 , 9 , 17 एवं 5 ही विवादित भवन की दीवारें हैं । इनमें और भी दीवारें,हो सकता है कि विवादित भवन की हों , लेकिन अभी तक जो मैंने आइडेंटीफ़ाई किया है , इस फ़ीगर को देखकर उससे ये चारों दीवारें विवादित भवन की लगती हैं । ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट को देखने के बाद एवं फ़ीगर 3- ए को देखने के बाद मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि विवादित भवन की टोटल कितनी दीवारें थीं , जो उत्खनन में मिली थीं । फ़ीगर - 3 ए को देखकर जहाँ तक संभव है, मैं बता सकता हूँ कि कौन सी दीवारें विवादित भवन की हैं । फ़ीगर - 3 ए में पूर्व की ओर वाल संख्या - 1 , 2 , 3 , विवादित भवन की पूर्वी दीवार से लगी दीवार थी । संभवतः यह पूर्वी दीवार का भाग थी । गवाह ने वाल नं0 - 4 को फ़ीगर - 3 ए को देखकर बताया कि मैं यह नहीं बता पाऊँगा कि यह दीवार विवादित भवन की थी या नहीं या किसी इसके पूर्व के ढांचे की थीं या नही। मैं फ़ीगर 3- ए में वाल संख्या - 6 , 7 , 8 को देखकर नहीं बता सकता कि ये दीवारें विवादित भवन की हैं अथवा विवादित भवन के पूर्व के किसी भवन की दीवारें हैं । मैं फ़ीगर 3- ए में वाल संख्या - 10 , 11 , 12 , 13 एवं 14 को देखकर नहीं बता सकता कि ये दीवारें विवादित भवन की हैं अथवा नहीं । इसी प्रकार मैं फ़ीगर 3- ए में वाल संख्या - 15 को देखकर नहीं बता सकता कि ये दीवारें विवादित भवन की हैं अथवा नहीं । मुझे याद नहीं आ रहा है कि ए0 एस0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट में फ़ीगर 3- ए के अलावा उत्खनन में प्राप्त दीवारों के सम्बन्ध में अन्य कोई डाइग्राम दिया है या नहीं । मैंने ए0 ए0 आई0 रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एवं स्वयं के आब्ज़र्वेशन के बाद

विवादित भवन की कितनी दीवारें उत्खनन में प्राप्त हुई हैं , की संख्या की जानकारी नहीं की है । मैंने ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट पढ़ी है , पर मैंने दीवारों की संख्या को जानना जरूरी नहीं समझा । मैं फ़ीगर - 3 ए को देखकर एवं रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं बता पाऊँगा कि इनमें जो कुल 28 दीवारें दिखाई गई हैं , उनमें कौन - कौन सी समकालीन हैं । दीवारों के सम्बन्ध में मैंने अध्ययन तो किया था , लेकिन मैंने यह काउंट नहीं किया कि कितनी दीवारें समकालीन थीं । फ़ीगर - 3 ए में दिखाई गई 28 दीवारों में से कुछ दीवारें समकालीन हैं , परन्तु कौन - कौन सी दीवारें किस काल में समकालीन हैं , तो इन सभी के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा । फ़ीगर - 3 ए में दिखाई गई वाल संख्या - 5 , 9 ,16 एवं 17 समकालीन हैं । शेष दीवारों में कुछ समकालीन हो सकती हैं और कुछ दूसरे काल की भी हो सकती हैं ।

ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम - 1 के फ़ीगर - 3 बी में दीवारों को काल के हिसाब से अलग - अलग रंगों में दिखाया गया है । गवाह ने फ़ीगर 3- बी को देखकर कहा कि इसमें दिखाई गई कुछ दीवारों को मैं दीवार नम्बर के हिसाब से बता सकता हूँ । फ़ीगर 3- बी में वाल नं0 - 13 , 16 , 9 , 17 , 1 , 2 , 3 को मैं आइडेंटीफ़ाई कर सकता हूँ । फ़ीगर 3- बी में वाल नं0 - 5 साफ़ दिख नहीं रही है , इसलिए उसको मैं इस फ़ीगर से आइडेंटीफ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ । गवाह ने फ़ीगर 3- बी में ट्रेंच नं0 - ई - 3 , ई - 4 , एफ़ - 3 , एफ़ - 4 , ई - 2 , एफ़ - 2 में हरे रंग से प्रदर्शित दीवार को देखकर कहा मैं नहीं बता सकता कि यह वाल नं0 - 5 है या नहीं । फ़ीगर 3- बी, ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम -1 को देखकर गवाह ने कहा कि मैं यह नहीं बता सकता कि वाल संख्या - 16 ,17 एवं 9 समकालीन हैं या नहीं । फिर कहा कि इस फ़ीगर में दिखाई गई दीवारों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये दीवारें समकालीन हों । मेरे अनुसार विवादित स्थल पर खुदाई में मिली दीवार

Sharma

संख्या - 9 ,16 तथा 17 समकालीन हैं । गवाह ने फ़ीगर 3- बी में फ़ीगर 6 ,7 एवं 8 जो दिखाए गए हैं , को देखकर कहा कि इनका पीरियडाइज़ेशन मेरे अनुसार सही नहीं है । यह कहना उचित नहीं होगा कि वाल संख्या - 16 एवं 17 विवादित ढाँचे की दीवारें नहीं हैं । यह कहना ग़लत होगा कि वाल संख्या - 16 व 9 समकालीन नहीं हैं ।

मैं यह नहीं कह सकता कि वाल सं0 16,17 ,9 व 5 जो विवादित भवन की दीवारें थी , वह वर्ष 1528 ईस्वी की बनी हैं या नहीं। दीवार संख्या 16 दो-तीन स्टेजों में बनी होगी। मेरे विचार से दीवार सं0 16,17,9 व 5 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के पूर्वाध के बीच में कई स्टेजेज़ में बनी होगीं। मेरे विचार से विवादित भवन सन् 1528 ईस्वी के लगभग बना होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि दीवार सं0 5 का निर्माण, विवादित भवन के साथ हुआ या उसके पूर्व हुआ। चूंकि पूरा उत्खनन का कार्य विवादित स्थल पर मेरे समक्ष नहीं हुआ है, अतः मैं केवल रिपोर्ट या अपने अध्ययन के आधार पर यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि वाल सं0 5 कब बनी होगी। मेरे विचार से दीवार सं0 9 व 16 समकालीन हैं। मैं इनके निर्माण का वर्ष नहीं बता सकता। दीवार सं0 17, दीवार सं0 16 की समकालीन प्रतीत होती है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि दीवार सं0 16 के नीचे की सतह पर दीवार सं0 17 बनी है। मुझे चूंकि याद नहीं आ रहा है ,इसलिए मैं नहीं बता सकता कि दीवार सं0 17 ,दीवार सं0 16 के पहले की बनी है या नहीं। मैंने दीवार सं0 1 से लेकर दीवार सं0 28 तक के निर्माण के काल के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। अतः मैं इन दीवारों का निर्माण काल नहीं बता सकता। विवादित भवन का फ़्लोर वही है ,जिसे ए0एस0आई0 की रिपोर्ट में फ़्लोर नं0 1 बताया गया है। मैं फ़ोटोग्राफ़ को देखकर यह बता सकता हूँ कि जो दीवारें मिली हैं, उनमे से कौन दीवार फ़्लोर नं0 1 के ऊपर

की है और कौन फ़्लोर नं0 1 के नीचे की हैं। मैं बिना फ़ोटोग्राफ़ देखे या बिना स्थल का निरीक्षण किये यह नहीं बता सकता कि कौन-कौन सी दीवारें फ़्लोर नं0 1 के ऊपर की है और कौन - कौन दीवारें फ़्लोर नं0 1 के नीचे की हैं। जो दीवारें फ़्लोर नं0 1 से जुड़ी हुई हैं, वह मेरे विचार में विवादित भवन की दीवारें थीं। फ़्लोर नं0 2 से जुड़ी हुई दीवारें भी विवादित ढांचे की दीवारें थीं। फ़्लोर नं0 3 व फ़्लोर नं0 4 से जुड़ी हुई दीवारें विवादित भवन के समय से पूर्व की थीं। ए0एस0आई0 ने अपनी रिपोर्ट में शायद ऐसा डाईग्राम दिया है जिससे फ़्लोर तथा उससे जुड़ी हुई दीवारों को पहचाना जा सकता है। ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम- 1 की फ़ीगर सं0 23-ए में फ़्लोर 1,2,3, व 4 व 4-ए यानी चारों फ़्लोर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, परन्तु सभी दीवारें जिनका उल्लेख रिपोर्ट में है वह स्पष्ट नहीं हो रही हैं। उसी रिपोर्ट के फ़ीगर 23 में विवादित ढाँचे का आईसोमैट्रिक व्यू दिखाया गया है। मेरे विचार से फ़ीगर- 23 में विवादित स्थल की जो स्थिति दिखायी गयी है, वह सही है। लेकिन इस फ़ीगर में फ़्लोर नं0 3 व फ़्लोर नं0 1 बी जिन रंगों से दर्शाये गये हैं, वह कन्फ्यूज़िंग हैं। अतःयह मिसलीडिंग भी हो सकता है।

ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-1 के फ़ीगर 3 ए के अनुसार वाल सं0 16 व वाल सं0 17 एक दूसरे के समानान्तर हैं। बिना स्केल के मैं यह नहीं बता सकता कि इन दोनों दीवारों की लम्बाई क्या थी। मैंने इन दोनों दीवारों के कुछ हिस्से को स्थल पर देखा था। इन दोनों दीवारों की चौड़ाई लगभग समान है। इन दोनों दीवारों की चौड़ाई लगभग पौने दो मीटर से लेकर दो मीटर के बीच होगी। मुझे याद नहीं है कि इन दोनों दीवारों की लम्बाई,चौड़ाई व गहराई का उल्लेख ए0एस0आई0 की रिपोर्ट में है या नहीं। मुझे याद नहीं है कि दीवार सं0 5 दीवार सं0 16 व 17 से स्वतंत्र है अथवा नहीं, परन्तु ए0एस0आई0 रिपोर्ट की फ़ीगर 3-ए में वाल सं0 5 को वाल सं0 16 व 17

से अलग दिखाया गया है। फ़ीगर 3-ए व 3- बी को देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि दीवार सं0 5 ,दीवार सं0 16 पर रेस्ट कर रही थी अथवा नहीं, परन्तु मौक़े का मुआयना करके इस संबंध में बताया जा सकता है। ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-1 के फ़ीगर 3-ए व 3-बी को देखने से ऐसा विदित होता है कि यह 18- ए व 18- बी दीवार सं0 16 से जुड़ी है। इसी प्रकार दीवार स0 18 सी भी दीवार सं0 16 से जुड़ी है। फ़ीगर 3 ए व 3 बी देखने से यह नहीं बताया जा सकता कि दीवार सं0 18-ए,18-बी व 18-सी तथा 16 एक ही ढांचे की दीवारें थीं या नहीं। मेरे सामने जो उत्खनन हुआ, उसके आधार पर मैं इस बारे में अपनी राय नहीं दे सकता। यह कहना सही नहीं है कि मैंने वाल सं0 18ए,18बी व 18 सी को महत्वपूर्ण नहीं समझा। मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया लेकिन रिपोर्ट में लिखी सभी बातें मुझे याद नहीं हैं। इसी प्रकार अन्य दीवारों के बारे में भी मैं अपनी राय देने की स्थिति में नहीं हूँ।

ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-2 के प्लेट सं0 22 में दिखाई गयी दीवार को देखकर मैं यह नहीं बता सकता कि यह कौन सी दीवार संख्या है। हो सकता है कि यह दीवार सं0 5 हो। प्लेट सं0 22 में दिखायी गयी दीवार की नींव में एक डेकोरेटेड स्टोन पीस दिख रहा है। इसी रिपोर्ट के प्लेट सं0 23 में जो स्टोन डेकोरेटेड दिखाई दे रहा है ,वह प्लेट सं0 22 में दिखाये गये पीस का इनलार्ज फ़ोटो है। यह" मकरप्रणाल" के रूप में जाना जाता है। मुझे जानकारी नहीं है कि इस प्रकार के मकरप्रणाल का प्रयोग केवल हिन्दू मंदिरों में होता है या नहीं। मैंने इस प्रकार का डेकोरेटेड स्टोन इस्लामिक बिल्डिंग्स में नहीं देखा है। इसी रिपोर्ट की प्लेट सं0 24 को देखकर यह बताना सम्भव नहीं है कि इसमें कौन- कौन सी दीवारें दिख रही हैं। उक्त रिपोर्ट की प्लेट के फ़ोटो को देखकर मैं यह नहीं बता सकता कि इसमें वाल सं0 5,6 व 16

दिख रही हैं या नहीं। इस प्लेट में जिस जगह स्केल रखा है उसके पास दीवार में जो प्लास्टर है,वह दीवार संख्या 16 प्रतीत होती है। इस दीवार के ऊपर जो दीवार दिखाई दे रही है,यह हो सकता है कि वह दीवार सं0 5 हो। दीवार सं0 16 जिसमें ईंटें लगी हैं ,वह दूसरे तरफ़ तक दिखाई दे रही है। यह वही दीवार है, जिसके तीन कोर्सेज़ में होने की बात मैंने कही है। उक्त रिपोर्ट के प्लेट सं0 25 में वाल सं0 16 दिखाई दे रही है। इस दीवार की नींव में स्टोन तथा कार्वड स्टोन लगे हैं। इस दीवार का निर्माण इस प्लेट में तीन कोर्स में हुआ दिखाई देता है। पहले में 10 रद्दे की दीवार की ऊँचाई दूसरे कोर्सेज़ में चार रद्दों की दीवार की ऊँचाई तथा तीसरे में दो रद्दे की दीवार की ऊँचाई दिख रही है। यह कहना सम्भव नहीं है कि यह तीनों कोर्सेज़ की दीवारों को बनाने में कितना अन्तराल रहा होगा। स्वयं कहा कि जो ईंटें लगी हैं तथा जिस प्रकार लगी हैं,उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन तीनों कोर्सेज़ के निर्माण में कोई लम्बा चौड़ा अंतराल नहीं रहा होगा। इस दीवार की नींव में जो पत्थर के टुकड़े लगे हैं उनका पुनः प्रयोग किया जाना प्रतीत होता है। यह कहना उचित नहीं है कि इस प्लेट में जो कार्वड स्टोन दिख रहा है उसका प्रयोग केवल हिन्दू मंदिरों में होता होगा। ऐसे पत्थरों का प्रयोग इस्लामिक स्ट्रक्चर में भी होता है। मैं यह नहीं कह सकता कि कार्वड स्टोन के अंत में जो एक दूसरा स्टोन है ,वह कपोत पल्ली है या नहीं। मैं कपोत पल्ली के बारे में नहीं जानता कि यह क्या होता है। यह सही है कि उक्त रिपोर्ट के प्लेट संख्या 26 में दीवार सं0 16 के नीचे का हिस्सा दिख रहा है। स्वयं कहा कि प्लेट सं0 26 में दिख रहे डेकोरेटेड पीस व उसके नीचे के स्टोन के आगे एक खड़ा पीस, जिसमें होरीज़ेण्टल वे लाईन बनी है ,ऐसा कोई पीस प्लेट संख्या 25 में नहीं दिख रहा है, जब कि प्लेट संख्या 26, प्लेट संख्या 25 के नीचे के भाग का इनलार्ज फ़ोटो है।

इसी रिपोर्ट के प्लेट संख्या 29 में दिखाई देने वाली दीवार भी शायद वाल सं0 16 ही है। इसमें ईंटों से दिखने वाली दीवार जिस पर प्लास्टर दिख रहा है ,वह दीवार संख्या 16 है तथा उससे मिली हुई दाहिनी ओर जो दीवार है वह कौन सी दीवार संख्या है,यह मैं नहीं बता सकता। इस प्लेट को देखकर मैं निश्चित तौर पर यह नहीं बता सकता कि वाल सं0 16 व 18-डी दिखाई पड़ रही हैं अथवा नहीं। इस प्लेट में दिख रही दीवार सं0 16 में भी ऊपर के हिस्से में एक कार्ड्ड पीस दिख रहा है। दीवार सं0 16,किसी ढाँचे की दीवार का अंश है,जिसमें जगह-जगह पर दीवारों में प्लास्टर दिखाई दे रहा है। मेरे विचार से प्लेट सं0 33 में भी दीवार सं0 16 दिखाई दे रही है। इस प्लेट में दो जगह स्केल रखा है ,इसमें ऊपर वाले स्केल से संबंधित दीवार ,दीवार सं0 16 है। इस प्लेट सं0 33 में दिखाई दे रही वाल सं0 16 के नीचे के हिस्से में प्लास्टर दिखाई दे रहा है। प्लेट सं0 34 में दीवार सं0 16 दिख रही है ,इसके साथ में दूसरी दीवार कौन सी है,यह प्लेट देखकर नहीं बताया जा सकता। हो सकता है कि वाल सं0 16 के साथ जुड़ी हुई दीवार ,दीवार सं0 6 हो ,जो विवादित भवन की दीवार थी। स्वयं कहा कि दीवार सं0 16 के साथ जो दूसरी वाल सटी है,वह निश्चित तौर पर वाल सं0 16 के स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वाल सं0 16 पर प्लास्टर दिखाई दे रहा है और वही प्लास्टर दीवार नं0 16 के साथ सटी हुई दूसरी दीवार व फ़र्श के रूप में दिखाई दे रहा है। इस प्लेट व स्थल के अनुसार दीवार सं0 16, फ़्लोर नं0 3 से संबंधित है।

प्लेट सं0 41 में वह दीवार जिस पर प्लास्टर दिखाई दे रहा है,दीवार सं0 16 है, परन्तु मैं निश्चित तौर से यह नहीं कह सकता कि उसके ऊपर दिख रहा फ़ारमेशन, दीवार संख्या 5 का हिस्सा है अथवा नहीं। दीवार सं0 16 के ऊपर दिख रहा फ़ारमेशन विवादित ढांचे के फ़्लोर के होने की

सम्भावना है। यह फ़ारमेशन जो विवादित ढाँचे का फ़्लोर लग रहा है वह दीवार सं0 16 पर रेस्ट कर रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि दीवार सं0 16 के ऊपर जो उपरोक्त फ़ारमेशन है,उससे दीवार सं0 16 की चौड़ाई अधिक है।

प्लेट सं0 50 में दो दीवारें तो अवश्य दिख रही हैं, परन्तु इस प्लेट को देखकर मैं यह नहीं बता सकता कि यह वाल सं0 16 व 17 हैं या नहीं। इस प्लेट में दाहिनी ओर दीवार किस फ़्लोर से संबंधित है यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें फ़्लोर नं0 1 व 2 ही दिखाये गये हैं तथा यह दीवार फ़्लोर नं0 1 व 2 से संबंधित नहीं है। स्वयं कहा कि इसमें फ़्लोर 1 व 2 जो सेक्शन में दिखाये गये हैं ,वह सही रूप से नहीं दिख रहे हैं। प्लेट सं0 51 में दीवार सं0 16 है ,परन्तु दूसरी दीवार जो दाहिनी ओर है वह वाल सं0 17 है या नहीं,यह मैं नहीं बता सकता। ए0एस0आई0 ने इन प्लेटों में वाल सं0 17 का कोई फ़ोटोग्राफ़ दिया है या नहीं,यह मैं नहीं कह सकता। दीवार सं0 17 को मैंने मौक़े पर नहीं देखा है। अतः उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे यह सही नहीं लगता कि दीवार सं0 17 ,दीवार सं0 16 से बहुत पुरानी रही होगी।

मैंने उत्खनन के दौरान दीवार सं0 16 को देखा था, परन्तु उत्खनन पूर्ण होने के बाद उसको नहीं देखा। उक्त रिपोर्ट की प्लेट सं0 55 में दो दीवारें दिख रही हैं, जिनमें से एक वाल सं0 16 है परन्तु दूसरे का नम्बर मैं नहीं बता सकता। इस प्लेट में दीवार सं0 16 वही है, जिसमें नीचे का हिस्सा प्लास्टर किया हुआ दिख रहा है।

प्लेट सं0 62 में दीवार सं0 16 के ऊपर से नीचे के भाग का पूर्ण फ़ोटोग्राफ़ है। इस फ़ोटोग्राफ़ को देखने से मैं यह कह सकता हूं कि दीवार सं0 16 फ़्लोर नं0 1, 2 व 3 से जुड़ी है।

मैं नहीं कह सकता कि वाल सं0 1 से वाल सं0 15 विवादित ढ़ाँचे की दीवारें थीं या नहीं। यह कहना सही नहीं है कि दीवार सं0 16 तथा 17 विवादित ढांचे की दीवारें नहीं थीं। यह कहना सही नहीं है कि दीवार सं0 16 से दीवार सं0 28, 10वीं व 11वीं शताब्दी के समय की बनी हैं। यह कहना उचित नहीं है कि दीवार सं0 16 व 17 में जो स्टोन्स पीस लगे हैं ,वे केवल हिन्दू मंदिरों में प्रयोग किये जाते हैं। यह कहना भी उचित नहीं है कि इन डेकोरेटेड स्टोन पीस के प्रयोग से यह साबित होता है कि यह किसी हिन्दू स्ट्रक्चर की वाल है। यह कहना ग़लत है कि मुझे फ़ील्ड आर्कियोलाजी का कोई ज्ञान नहीं है तथा मैं किसी विशेष कारण से यहां ग़लत बयान दे रहा हूँ।

(साक्षी पी0डब्लू0-30 डा0 आर0सी0ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद सं0 -4/89 में प्रतिवादी संख्या - 2/1 महंत सुरेश दास की ओर से श्री मदन मोहन पाण्डेय, एडवोकेट द्वारा समाप्त ।)

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

Thacran

8.8.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनांक - 10.8.2006 को प्रस्तुत हो ।

Thacran

8.8.2006

समक्षः- विशेष पूर्णपीठ माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद

लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ ।

दिनांक -10.8.2006 पी0डब्लू0 - 30 डा0आर0सी0ठाकरान

(दिनांक 8.8.2006 के क्रम में साक्षी पी0डब्लू0 -30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद सं0- 4/89 मे प्रतिवादी सं0 20 की ओर से सुश्री रंजना अग्निहोत्री,एडवोकेट द्वारा प्रारम्भ)

मैं डा0 सूरजभान को जानता हूँ और मैं उनका शिष्य हूँ। यह कहना ग़लत है कि मैं डा0 सूरजभान के दबाव में इस मुक़दमे में गवाही देने आया हूँ। मैं हाऊस होल्ड पाटरीज़ के विषय में जानता हूं। इसके संबंध में मैंने ज्ञान पुरातत्व की किताबों और उत्खनन की रिपोर्ट्स से हासिल किया है, इसके अलावा मैंने इसका अध्ययन बहुत सारी आई.0ए0आर0- (इंडियन आर्कियोलाजी ए- रिव्यू)में छपी रिपोर्टस से किया है। हालांकि लेट मुग़ल पीरियड की पाटरीज़ से संबंधित कोई ख़ास अध्ययन पुरातत्व विभाग में नहीं हुआ है ,परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि लेट मुग़ल पीरियड की हाऊस होल्ड पाटरीज़ रेड वेयर्स थीं। प्री मुग़ल काल क्योंकि निश्चित तथा स्पष्ट नहीं है, इसलिए प्री मुग़ल पाटरीज़ के संबंध में कहना मुश्किल होगा। परन्तु मुग़ल काल के ठीक पहले जिसे अर्ली मिडिवियल व सल्तनत काल कह सकते हैं ,में रेड वेयर व ग्लेज़्ड वेयर्स पायी जाती हैं। अर्ली मिडिवियल व सल्तनत काल 8वीं सदी से 16वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक समझा जाता है। प्लेन वेरायटी पाटरीज़ की शुरूआत न्यूलिथिक काल यानी लगभग 7000 ईसा पूर्व

से होती है। यह कहना सही है कि उस समय से ही प्लेन वेरायटी की पाटरीज़ प्लेन यानी विध आउट डेकोरेशन बननी शुरू हुई थी। विवादित स्थल के उत्खनन में बहु संख्यक मृदभाण्ड प्लेन रेड वेयर से ही संबंधित मिले हैं। पीरियड-2 की जो पाटरीज़ उत्खनन में मिली हैं,उनको सिरेमिक्स भी कहा जाता है।

भारत में दवात का प्रचलन दूसरी सदी बी0सी0 के समय से किसी न किसी रूप में हो गया था। यह कहना उचित नहीं है कि कानकेव एवं फ़्लैटिश बेस की दवात कुषाण काल की विशेषता है। मैं यह बता पाने की स्थिति में नहीं हूं कि कुषाण काल में अमुक मिनियेचर पाट दवात के रूप में ही प्रयोग होता था,इसलिए मैं दवात के बेस की शेप के बारे में नहीं बता सकता,लेकिन सामान्य तौर पर किसी भी मिनियेचर पाट का स्वरूप सपाट ही होता था।

यह माना जा सकता है कि शुंग काल में भी दवात का प्रयोग शुरू हो गया था। सिलिंडिरिकल नेक वाली पाटरीज़ का प्रचलन हड़प्पा काल में शुरू हो गया था और इसी तरह सिलिंडिरिकल नेक विद एक्सपैंडिंग पाटरीज़ का भी प्रचलन हड़प्पा काल में शुरू हो गया था। स्वयं कहा कि किसी भी सिलिंडिरिकल नेक वाली पाटरीज़ का शोल्डर एक्सपैंडिग ही होगा। पाटरी पर सन फ़्लावर डेकोरेशन कुषाण काल से ही शुरू हो गया था। ऐसी सन फ़्लावर पाटरीज़ में चार तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता था (1) एनग्रेव्ड इनसाइज़्ड (2) स्टैम्प्ड (3) एम्बोसिंग (4) डेकोरेशन विध कलर्स । मैं पाटरीज़ पर बनाये गये त्रि रत्न चिन्ह के बारे में नहीं जानता।

ए0एस0आई0 रिपोर्ट वाल्यूम-2 की प्लेट सं0 69 में सिलिंडिरिकल पाट में नीचे की ओर जो कुछ डिज़ाईन्स दिख रहा है, वह त्रि-रत्न चिन्ह नहीं है। यह डेकोरेशन का एक डिज़ाइन मात्र है। यह पाट कुषाण काल का है

Sharma

68

और ऐसे डेकोरेशन चित्र का इस्तेमाल कुषाण काल से पहले भी होता रहा। मैं नहीं जानता कि त्रि रत्न चिन्ह किस आकार का होता है।

आज से पहले मैंने ए0एस0आई0 रिपोर्ट जब पढ़ी थी ,मुझे अब याद नहीं है कि" त्रिरत्न" सिम्बल के बारे में मैंने पढ़ा था या नहीं।

रिंग बेस पाटरीज़ का प्रचलन भी हड़प्पन काल में शुरू हुआ था। मैंने ऐसा कोई उत्खनन कार्य नहीं किया है ,जिसमें सिलिंडिरिकल फ़्लावर डेकोरेटेड पाटरी या त्रि रत्न प्रतीक चिन्ह वाली पाटरी खुदाई में मिली हो। यह कहना ग़लत होगा कि मुझे पाटरीज़ का ज्ञान नहीं है। मैंने अपने शपथ पत्र में पाटरीज़ का ज्ञान होना रिकार्ड के आधार पर बताया है। उसका ज्ञान मैंने उत्खनन रिपोर्टस ,आई0ए0आर0 व अन्य पुरातात्विक रिपोर्टस से अर्जित किया है और पिछले 27 साल से मैं पुरातात्विक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ हूँ ,उसके अनुभव के आधार पर भी मेरा ज्ञान आधारित है। यह कहना उचित नहीं होगा कि मेरा ज्ञान किसी प्रयोगात्मक अनुभव पर आधारित न हो,बल्कि मैंने सिन्धु घाटी की सभ्यता के काल से लेकर मध्य काल तक के अनेक पुरास्थलों का पिछले 27 सालों में सर्वेक्षण किया है, उसके अनुभव के आधार पर भी मुझे पाटरीज़ का व्यवहारिक ज्ञान है। मुझे इस बात की जानकारी है कि विवादित स्थल पर उत्खनन के दौरान पोर्सलीन वेयर्स भी खुदाई में मिले थे। मैं निश्चित तौर पर खुदाई में मिली पोर्सलीन वेयर्स का काल नहीं बता सकता। इसी खुदाई में सेलोडान वेयर्स भी मिले हैं। क्योंकि सेलोडान पाटरीज़ से संबंधित मेरा ज्ञान ज़्यादा नहीं हे इसलिए इस तरह के पाटरीज़ का अंतर मैं नहीं बता सकता। मैंने विवादित स्थल पर मिली हुई पोर्सलीन वेयर्स व सेलोडान पाटरीज़ को नहीं देखा। यह कहना सही नहीं होगा कि चूंकि इन दोनों तरह की पाटरीज़ की पुरातात्विक महत्ता कम थी ,इसलिए मैंने इन्हें नहीं देखा, बल्कि असलियत यह है कि उत्खनन स्थल पर मेरी मौजूदगी के

समय पोर्सलीन वेयर्स व सेलोडान वेयर्स खुदाई में नहीं मिली थी और मेरी गैर मौजूदगी में मिली,इसलिए इन पाटरीज़ का अध्ययन करने का मुझे अवसर नहीं मिला। भारतवर्ष में दूध से दही जमाने का प्रचलन किस काल में हुआ,यह मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने दही जमाने वाला पात्र या हांडी को देखा है। आम तौर पर ऐसे पाट्स का बेस जिसमें दही जमायी जाती है,सपाट ही होता है। यह सही है कि फ़्लेट बेस पाट्स खुदाई में मिले थे। यह सम्भव है कि सनातन धर्म के अनुसार दही का प्रयोग सालिग्राम को स्नान कराने के लिए होता रहा हो। लेकिन मेरी दृष्टि में दही का प्रयोग आम व्यक्ति के भोजन में अधिक महत्वपूर्ण रहा है। यह कहना उचित नहीं है कि किसी मंदिर स्थल या विवादित स्थल पर दही जमाने के पात्र का पाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि उस पात्र में जमाया दही पञ्चामृत बनाने के लिए किया जाता हो। ग्लेज़्ड वेयर का ज्ञान मैंने प्रकाशित पुरातात्विक पुस्तकों एवं अपने 27 वर्ष के पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान किया। सर्वेक्षण में खुदाई सम्मिलित नहीं होती। मै नहीं कह सकता कि ब्लू ग्लेज़्ड वेयर हड़प्पन काल से भारतवर्ष में प्रयोग की गयी थी या नहीं, परन्तु मेरा मत है कि हड़प्पन काल से कुछ ग्लेज़्ड पाटरीज़ का इस्तेमाल शुरू हो गया था। मेरे ज्ञान के आधार पर यह कह सकता हूं कि हरे रंग की ग्लेज़्ड पाटरीज़ का इस्तेमाल कुषाण काल में शुरू हो गया था । नीले रंग के ग्लेज़्ड वेयर का प्रचलन कुषाण काल में हुआ या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

ग्लेज़्ड टाईल्स का ज्ञान मुझे है। मैंने चीनी यात्री ह्वेनसांग का नाम सुना है। मैंने कई यात्रियों के वृतान्त और उनमें प्रकाशित अनुभव पढ़े हैं जिसमें ह्वेनसांग भी शामिल है। मुझे याद नहीं है कि ह्वेनसांग ने अपने यात्रा

वर्णन में उत्तर भारत की छत पर रंगीन ग़लेज़्ड टाईल्स के इस्तेमाल होने का ज़िक्र किया है या नहीं।

मैंने डल झील के पास "बुद्ध श्राइन" के होने के बारे में नहीं सुना है। मैं अनुमान से यह बता सकता हूँ कि विवादित स्थल अयोध्या में बह रही सरयू नदी से पश्चिम में स्थित होगा। हालांकि मैंने सरयू नदी को देखा नहीं है। चूंकि मैंने सरयू नदी की स्थिति को अयोध्या में नहीं देखा है इसलिए यह बताना मेरे लिए कठिन है कि वह नदी विवादित स्थल से किस दिशा में बहती है। हालांकि मेरा अनुमान है कि वह पूरब में स्थित होगी। मुझे यह नहीं मालूम कि विवादित स्थल किस मोहल्ले में स्थित है।

मैंने विवादित ढाँचा को जब वह घटना स्थल पर खड़ा हुआ था ,देखा था और मैंने यह ग़ौर किया था कि उसकी दीवारों पर लाईम प्लास्टर व छत पर ईंट , पत्थर व डोम में भी पत्थरों का इस्तेमाल लाईम प्लास्टर से किया गया था। यह सही है कि विवादित भवन तीन डोम्स का बना हुआ था। त्रिमुखी है या नहीं,इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत में तीन डोम्स की मस्जिदें किस काल में बननी शुरू हुई थी। स्वयं कहा कि तीन डोम की आर्कीटेक्चर डिज़ाईन भारत में धीरे- धीरे विकसित हुई थीं और विवादित स्थल पर बने तीन डोम के भवन से यह दर्शित होता है कि उस काल में तीन डोम वाली विधि पूर्णतया प्रचलित हो गयी थी। मैं नहीं कह सकता कि तीन डोम मस्जिद में बनाने की कला अफ़ग़ानिस्तान से आई थी या नहीं। मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है कि मैंने भारतवर्ष में तीन डोम वाली मस्जिद किस-किस स्थान पर बनी देखीं। मैंने बहुत सारी मस्जिदें देखी हैं परन्तु डोम्स का अध्ययन मैंने नहीं किया है,इसलिए नहीं बता सकता कि तीन डोम वाली मस्जिदें मैंने कहाँ-कहाँ देखीं। मैंने कहीं इस बात का अध्ययन नहीं किया है कि डोम्स का आर्किटेक्चरल

डिज़ाइन क्या होता है। मैंने राजस्थान वाले धौलपुर स्थान का नाम सुना है। चूंकि मैंने कभी धौलपुर में बनी मस्जिद को नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पर बाबर की बनायी तीन डोम वाली कोई मस्जिद आज भी मौजूद है या नहीं। मैंने अयोध्या के अलावा तीन डोम वाली मस्जिदों को देखा अवश्य है ,परन्तु कहां देखा है ,यह मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने विवादित स्थल के मुख्य द्वार यानी कि सिंह द्वार पर बने षटकोणीय चिन्हों को नहीं देखा।

मैंने एपीग्राफ़ी पढ़ी है और उसका मुझे ज्ञान भी है । यह ठीक है कि इतिहास जानने में एपीग्राफ़ी का महत्वपूर्ण योगदान है । मैं इंस्क्रिप्शन पढ़ सकता हूँ, पर इस समय नहीं पढ़ पाउँगा, क्योंकि उसको पढ़ने के पहले स्क्रिप्ट को रिवाइज़ करना पड़ेगा,क्योंकि मैंने बहुत पहले एपीग्राफ़ी पढ़ी थी । यह ठीक है कि विवादित स्थल पर उत्खनन के दौरान एक इंस्क्रिप्शन देवनागरी लिपि में मिला था । मैंने खुदाई के समय, जब यह ट्रेंच के अन्दर इम्बेडेड था, तभी इसको देखा था और पूरा निकलने के बाद पढ़ने का अवसर नहीं मिला । संभवतः यह इंस्क्रिप्शन ट्रेंच जे-3 में मिला था। ट्रेंच जे-3 की गहराई काफ़ी थी । मैं इस समय यह नहीं बता पाऊँगा कि यह इंस्क्रिप्शन जे-3 ट्रेंच में किस गहराई पर मिला था । मैं अंदाज़ से भी यह नहीं बता पाऊँगा कि यह एक मीटर या दो मीटर या पांच मीटर की गहराई पर मिला था। जिस समय यह ट्रेंच में मिला था, इसको मैंने ट्रेंच के ऊपर से देखा था और यह बताया जा रहा था कि यह उल्टा था । इस मरहले पर गवाह को प्लेट सं0-137 वाल्यूम-2, ए0 एस0 आई0 रिपोर्ट को दिखाया गया , जिसे देखकर गवाह ने कहा कि इस प्लेट में पत्थर के ऊपर लिखे " प ल द न" स्पष्ट रुप से दिखाई पड़ रहे हैं और इसी अभिलेख के बाईं ओर जो अक्षर नज़र आ रहा है, उसकी फ्रेशनेस को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बाद में कुरेद

कर बनाया गया है । फ़ोटोग्राफ़्स को देखकर अक्षरों के स्वरुप को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर बताया जा सकता है कि सभी अक्षर एक ही समय पर बनाये गये या उसमें कुछ अक्षर बाद में लिखे गये । मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि यह इंस्क्रिप्शन(प्लेट सं0-137) किस सदी का है । स्वयं कहा कि यह बता पाना तभी संभ्व हो सकता है,जब उत्खनन के दौरान इस तरह के अवशेष क्रमबद्ध स्तर विन्यास में पाये जायें । यह ठीक है कि मैंने अपने पहले के बयान में यह नहीं कहा था कि इस इंस्क्रिप्शन पर अक्षर बाद के बनाये लगते हैं । चूँकि मैंने इसे पहली दफ़ा मैग्नीफ़ाइंग ग्लास से नहीं देखा था । जब इस प्लेट के संबंध में मुझसे पहले पूछा गया था, तो यह प्लेट दिखाई गई थी।

प्र0- किसी धार्मिक चिन्ह की धार्मिक पवित्रता के प्रमाण की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलोजी में क्या- क्या आधार हैं ?

उ0- सबसे पहले उत्खनन में पाये गये किसी चिन्ह की धार्मिकता को तय करना होता है और उसके पश्चात् अगर ऐसे चिन्ह किसी ख़ास धार्मिक सन्दर्भ या कान्टेक्स्ट में उत्खनन के दौरान इनसीटू पाये जायें, तभी इस तरह के चिन्हों की धार्मिकता व पवित्रता को पुरातात्विक दृष्टि से स्थापित किया जा सकता है ।

प्र0- क्या धार्मिक चिन्हों की पवित्रता को स्थापित करने के लिए धार्मिक ग्रन्थों का सहारा लिया जाता है या नहीं ?

उ0- पुरातत्व के साथ- साथ धार्मिक ग्रन्थ भी इस तरह के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं । अगर इस तरह के धार्मिक चिन्ह, जिनका साहित्य में वर्णन है और पुरातत्व के क्रमबद्ध उत्खनन के दौरान भी धार्मिक सन्दर्भों में प्राप्त होते हैं, तब यह माना जा सकता है कि ग्रन्थों में जिन धार्मिक ग्रंथों की चर्चा हुई है, वह उक्त स्थल पर धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ।

इस मरहले पर विद्वान जिरहकर्ता अधिवक्ता ने गवाह का ध्यान तुलसीदासकृत श्रीरामचरितमानस के पेज-117 पर दोहा सं0-140 के नीचे की छठी लाइन की ओर दिलाया और जिसे गवाह ने देखकर उत्तर दिया कि इस पंक्ति मे " श्रीवत्स " के चिन्ह का उल्लेख है । यह ठीक है कि श्री रामचरितमानस एक धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ है । मैंने विष्णु-सहस्त्रनामावली का अध्ययन नहीं किया है , इसलिए मैं यह नहीं बता पाऊंगाकि इसमें "श्रीवत्स" चिन्ह का उल्लेख है या नहीं । ए0 एस0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट में " गरुड़ध्वज " चिन्ह का उल्लेख किया है । विवाह के अवसर पर निमंत्रण कार्ड पर सबसे ऊपर एक श्लोक आमतौर से लिखा होता है,जिसे मैंने पढ़ा है और उस श्लोक में गरुड़ध्वज का वर्णन होता है , पर इस समय मुझे वह श्लोक याद नहीं है ।

मैं मंदिरों में प्रातःकाल के समय भी गया हूँ । मैंने ऐसा सुना है कि जब प्रातःकाल जब भगवान को मंदिरों में जगाया जाता है,तो " उत्तिष्ठ गोविन्दम्, उत्तिष्ठ कमलाकान्तम् उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजः मंगलम् कुरु " बोला जाता है । परन्तु उत्तिष्ठ भारते" कभी मंदिरों में लिखते या बोलते नहीं सुना ।

गवाह का ध्यान पेपर सं0-261सी-1/2 के 13वें श्लोक की पहली लाइन की ओर दिलाया गया,जिसे गवाह ने पढ़कर कहा कि इस दोहे में "श्रीवत्सः" शब्द का प्रयोग हुआ है और इसी श्लोक के नीचे भावार्थ में ऐसा लिखा है कि जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है । ऐसा सम्भव है कि ए0 एस०आई०ने जिन धार्मिक चिन्हों का प्रयोग अपनी रिपोर्ट में किया है, उनका वर्णन धार्मिक ग्रंथ एंव साहित्य में मिलता है,लेकिन इस तरह के चिन्हों के प्रयोग की शुरुआत व धार्मिक विश्वासों के साथ इनका सम्बन्ध होना जानने के लिए प्रारम्भ से अर्थात् मानव जीवन की शुरुआत से जो पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं, उनका अध्ययन भी आवश्यक होता है, तभी

Sharma

यह स्पष्ट हो पाता है कि यह मानवीय जीवन की आम क्रियाओं से सम्बन्धित थे या धार्मिक विश्वासों से सम्बन्धित थे ।

प्लेट सं0- 81 को देखकर गवाह ने कहा कि ए0 एस0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट में इस पत्थर के टुकड़े को आमलक स्टोन कहा है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अग्निपुराण और रुद्र-यामल नामक ग्रंथ में आमलक के धार्मिक महत्व का विस्तृत वर्णन है । स्वयं कहा कि इस आमलक का सम्बन्ध केवल हिन्दू धर्म से ही नहीं रहा है,क्योंकि बौद्ध धर्म में भी इस तरह के आमलक का प्रयोग किया जाता रहा है । बुद्धिष्ट, बौद्धधर्म के मतावलम्बी हैं, इस्लाम धर्म के नहीं । यह कहना सही नहीं है कि बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म का ही एक अंग है ।

यह कहना सही नहीं है कि विवादित स्थल पर उत्खनन के दौरान जो भी वस्तुएं प्राप्त हुईं, वे उस स्थान पर मंदिर होने को दर्शाती हैं और मस्जिद के न होने को ।

यह ठीक है कि इतिहास के स्रोतों में लिट्रेचर, ट्रेडीशन एपीग्राफ़ी , न्युमिस्मेटिक , फ़रमान , निसान और सनद आदि भी आते हैं । फिर कहा कि इनकी प्रामाणिकता को जांचे बिना इनसे प्राप्त होने वाली जानकारी को इतिहास के स्रोत के रुप में प्रयोग नहीं किया जा सकता । इन प्राप्त वस्तुओं की प्रामाणिकता को जानने के कई तरीक़े हैं । जैसे , इन स्रोतों में जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है , उसका अध्ययन करके यह तय किया जा सकता है कि यह भाषा किस काल में बोली जाती थी या प्रयोग होती थी ।

यह कहना सही है कि किसी उत्खनन स्थल का सही परिणाम जानने के लिए उस स्थल के ऐतिहासिक महत्व का जानना भी आवश्यक है । उत्खनन के पूर्व का भी ऐतिहासिक महत्व जानना आवश्यक है । यह सही है कि ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए सम्बन्धित साहित्य एवं ट्रैडीशन का

वैज्ञानिक रूप से अध्ययन आवश्यक है । खुदाई स्थल पर जाने से पूर्व मैंने इस क्षेत्र में प्रचलित परम्पराओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था । मैंने केवल पुरातात्विक साहित्य का अध्ययन किया था , अन्य किसी सामान्य साहित्य का अध्ययन नहीं किया था ।

मेरे शपथ - पत्र के प्रस्तर - 5 का सत्यापन मैंने ए0 एस0 आई0 की रिपोर्ट तथा सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड द्वारा ए0 एस0 आई0रिपोर्ट के सम्बन्ध में बनाई गई टेबुल के आधार पर किया है । यह कहना सही नहीं है कि मेरे शपथ - पत्र का यह प्रस्तर सुप्रिया वर्मा तथा जया मेनन के द्वारा दिए गए अतिरिक्त कथनों के आधार पर लिया गया है । मैंने अयोध्या से सम्बन्धित कोई साहित्यिक रचना नहीं पढ़ी है ।

मैंने अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुना है । अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है , यह मैं जानता हूँ । अश्वमेघ यज्ञ में या तो कोई शासक अन्य राज्यों द्वारा अपनी अधीनता मनवाने के लिए एक घोड़ा छोड़ता है और जिन - जिन राज्यों से वह बिना किसी बाधा के निकल जाता है , तो यह समझा जाता है कि उस क्षेत्र के राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ने वाले राजा की आधीनता मान ली है । अश्वमेघ यज्ञ उस समय भी किया जाता है , जिस समय कोई राजा बड़ी विजय प्राप्त करता है । यह कहना सही नहीं है कि हर समय वह घोड़ा जहाँ से छोड़ा जाता था , उस स्थान पर वापस आने पर उसी स्थान पर उसकी बलि दे दी जाती थी , इस बात का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि अश्वमेघ यज्ञ में छोड़े जाने वाले घोड़े की बलि दी जाती थी, यह बात केवल साहित्यिक लेखों में मिलती है । यह ठीक है कि धार्मिक ग्रन्थों में ऐसे घोड़े की बलि देने की बात मिलती है । मेरे विचार से कोई पुरातात्विक प्रमाण इस बात का नहीं है कि ऐसे घोड़े की बलि देने के बाद उसकी हड्डियों को

वहाँ गाड़ दिया जाता था । मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि त्रेता युग में श्री राम ने ऐसा कोई अश्वमेघ यज्ञ किया था या नहीं ।

मैंने रूद्रयामल नामक तन्त्र ग्रन्थ का नाम नहीं सुना है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि तान्त्रिक क्रियाओं में हड्डियों का प्रयोग होता है या नहीं । हड्डियों की स्टडी को पेलियेंटोलाजी तथा जूआर्कियोलाजी कहते हैं । मैंने अनेक पुरातात्विक प्रकाशनों में हड्डियों की स्टडी को पेलियेंटोलाजी होना पढ़ा है । यह कहना ग़लत है कि मुझे बोन्स की स्टडी के बारे में कुछ पता नहीं है । जहाँ तक आस्टियोलाजी का सम्बन्ध है ,उसे बोन्स की एक ख़ास अवस्था की स्टडी को कहा जाता है , जबकि पेलियेंटोलाजी बोन्स के अध्ययन का एक विषय है । पुरातात्विक उत्खनन के दौरान कभी हड्डियाँ मिलती हैं और कभी नहीं भी मिलती हैं । हड्डियों का मिलना कोई आम बात नहीं है ।

हरियाणा में स्थित कर्ण के क़िले की खुदाई के दौरान मुझे हड्डियाँ नहीं मिली थीं । यह खुदाई लगभग तीन सप्ताह चली थी । मैं लगभग पूरी खुदाई के दौरान रहा था । उस खुदाई से सम्बन्धित जो लेख छपा है , उसमें हड्डियों का कोई उल्लेख नहीं है । बकरी और भेड़ की हड्डियों की शिनाख़्त सुअर , कुत्ते और गधे की हड्डियों से की जा सकती है । कुत्ते की हड्डियों के मुक़ाबले में भेड़ और बकरी की हड्डियाँ मज़बूत और मोटी होंगी तथा यदि बकरी और भेंड़ की हड्डियों पर कट मार्क हों , तो वह भी इन जानवरों की हड्डियाँ होने की पहचान होगी । इसके अतिरिक्त यदि भेड़ व बकरी की हड्डियों को भूना गया है , तो उन पर जलने का निशान भी होगा । इस तरह का अन्तर पुरातत्व से सम्बन्धित हड्डियों के सम्बन्ध में जो लेख होते हैं , उनमें अक्सर इन बातों की चर्चा होती है । चौपाया जानवरों में गाय , बैल और इनके बच्चों को सम्मिलित किया जाता है । मैं भेड़ ,बकरी ,

गधे के बच्चे तथा गाय के बच्चे के पीछे की हड्डी को देखकर बता सकता हूँ कि ये किसकी हड्डी है । विवादित स्थल पर खुदाई के समय जो हड्डियाँ निकली थीं , उनको देखकर मैंने पहचान लिया था । वहाँ की हड्डियों में मैंने एक हड्डी भेड़ की और एक बकरे की देखी थी । मुझे इस समय उन हड्डियों की नाप ठीक से नहीं याद है , पर कुछ हड्डियाँ एक इंच की थीं कोई डेढ़ इंच की और कुछ और छोटी थीं । मैं यह नहीं बता सकता कि कितनी हड्डियाँ भेड़ की थीं और कितनी बकरी की थीं । मैंने उन्हें गिना नहीं था और न ही मुझे गिनने की इजाज़त थी । मैंने जो ऊपर हड्डियाँ पहचानना बताई हैं , वह टख़ने के ऊपर की पैर की हड्डी थी या रिब की थी । यह मुझे नहीं मालूम कि ये हड्डियाँ किस ट्रेंच से निकली थीं । मैं नहीं बता सकता कि किस - किस तारीख़ को ये हड्डियाँ निकली थीं ।

प्रश्न - आप न ही हड्डियों के एक्सपर्ट हैं और न ही आपने हड्डियों के विषय में कोई विशेष अध्ययन ही किया है और आप जानबूझकर इस मरहले पर झूठ बोल रहे हैं ?

उत्तर - मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ , लेकिन हड्डियों का अध्ययन मैंने किया है , इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि मुझे इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं है और मैं जान - बूझकर झूठ बोल रहा हूँ ।

मैं कभी - कभी मांस खाता हूँ । मैंने कभी जानवर को नहीं काटा है । मैंने हड्डियों पर कैनाइन कटमार्क नहीं देखा । मैंने सब्ज़ी काटने वाले चाकू का कटमार्क भी नहीं देखा । जो कटमार्क मैंने हड्डियों पर देखा है , वह गड़ासे के कटमार्क थे । गड़ासे भी कई प्रकार के होते हैं । मैं नहीं कह सकता कि कटमार्क झटके के थे या हलाल के थे । ये बात मैं हड्डियों का मुआयना करने के बाद बता सकता हूँ । चूँकि हमें हड्डियाँ एक्ज़ामिन करने की इजाज़त नहीं थी , इस कारण मैं इन हड्डियों का परीक्षण नहीं कर पाया

। यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने हड्डियों का बिना निरीक्षण किये तथा बिना देखे हड्डियों के बारे में शपथ - पत्र में उल्लेख किया है ।

प्रश्न - यदि बाढ़ में बहकरके आयी हुई हड्डियाँ , नदी किनारा छोड़ने या स्थान बदलने के बाद बची हुई हड्डियाँ , कूड़े - करकट के ढेर में दूसरे स्थान से लाई हुई हड्डियाँ और मनुष्यों द्वारा खाए गए जानवरों की हड्डियाँ एक स्थान पर अगर रख दी जाएं , तो उनकी पहचान कैसे आप करेंगे ?

उत्तर - नदी के द्वारा बहाकर लाई गई हड्डियों को पहचाना जा सकता है । आदमी के द्वारा जानवरों को काटकर खाए जाने वाली हड्डियाँ व दूसरे स्थान से डस्ट - बिन में लाई गई हड्डियों को पहचाना जा सकता है । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि नदी के अपना स्थान छोड़ने तथा उसके द्वारा छोड़े गए स्थान का हड्डियों से क्या तात्पर्य है ?

उत्खनन के दौरान हड्डी मिलने के समय मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के श्री आबिद हुसैन या आबिद अली थे तथा डा0 सैय्यद नदीम रिज़वी थे , जिन्होंने हड्डियों के कटमार्क देखे थे । मैंने इन लोगों से हड्डियों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की थी । उत्खनन के दौरान मेरे साथ मिस बोनानी भट्टाचार्या - (कलकत्ता)भी थीं और उनके साथ मेरी हड्डियों के विषय में चर्चा हुई थी । हड्डियों के सम्बन्ध में विभिन्न चर्चाओं में यह भी चर्चा हुई थी कि यह हड्डी किस जानवर की है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ज़िन्दा जानवर और मरे हुए जानवरों के कटमार्क एक से होंगे या भिन्न होंगे । मुझे मालूम है कि मरे जानवरों का भी मांस खाया जाता है ।

भारतवर्ष में भेड़ , बकरी , गाय , बैल , कुत्ता , सुअर , भैंस तथा मुर्गा का मांस खाया जाता है । उत्तरी भारत में जिन जानवरों का मांस आजकल खाया जाता है उनमें भेड़ , बकरी, भैंस , मुर्गा तथा सुअर आदि

का मांस खाया जाता है । उत्तर भारत में गधा, घोड़ा , बैल , गाय, ऊँट आदि जानवरों का मांस आजकल नहीं खाया जाता है । मैं नहीं कह सकता कि विवादित स्थल पर सुअर की हड्डियाँ मिली या नहीं । बोन का डिकंपोज़ीशन इस पर निर्भर करता है कि वह बोन किस स्थिति में रही है । खुदाई के समय में भी हड्डियाँ ज़्यादातर डिकंपोज़्ड नहीं थीं ।

मैं इस्केवेंजर्स को जानता हूँ । इन्हें कुत्ते , कौआ , चील और गिद्ध तभी गिरा सकते हैं , जब अनुकूल परिस्थितियाँ हों । अनुकूल परिस्थितियों से मेरा मतलब है कि अगर हड्डियाँ खुले स्थान पर पड़ी हैं या कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवरों को स्वतंत्र रूप से इस तरह की चीज़ों को ले आने के लिए और डाल देने के लिए इजाज़त हो तो कुछ हड्डियाँ तो आ सकती हैं । मुझे यह नहीं मालूम है कि गड़ासे द्वारा झटके से काटे गए जानवर का मांस मुसलमान लोग नहीं खाते हैं । मैंने इतिहास में ऐसा नहीं पढ़ा है कि आक्रान्ता लोग मन्दिरों में तथा राक्षस लोग यज्ञ में साधु - सन्तों को परेशान करने के लिए हड्डियाँ डाल देते थे ।

मैं जानता हूँ कि शंख क्या होता है । मुझे यह ज्ञान है कि शंख प्राकृतिक शक्तियों से पानी में तैयार होता है । मुझे यह नहीं मालूम है कि शंख की ध्वनि से निकली हुई तरंगें बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं । मुझे इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि कान की बीमारी के समय भी कभी - कभी डाक्टर लोग मुंह से शंख बजाने की राय देते हैं । यह मुझे मालूम है कि मन्दिरों में शंख बजाया जाता है । यह कहना सही नहीं है कि जहाँ से शंख मिले वह स्थान या तो मन्दिर होगा या ऐसे व्यक्ति का घर होगा , जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो और धर्म में विश्वास रखता हो ।

शृंगार की सामग्री जैसे - शंख , शीशे , पीतल , तांबे और लाख की चूड़ियाँ एवं पैर में पहनने वाली बिछिया महिलाएं इस्तेमाल करती हैं ।

प्रश्न - यदि किसी स्थान पर उपरोक्त श्रंगार की सामग्री प्राप्त होती है , तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उस स्थान पर महिलाओं का आवागमन अवश्य रहा होगा । इस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

उत्तर - उपरोक्त बात निश्चित रूप से तभी कही जा सकती है , जब उन मिली हुई सामग्रियों का संदर्भ मालूम हो और उस सम्बन्ध में उसका विश्लेषण किया गया हो ।

किसी पुरास्थल स्थान पर यह निश्चित करने के लिए कि मन्दिर रहा होगा , यह देखना आवश्यक है कि वहाँ पर मन्दिर के ढांचे सम्बन्धी कोई अवशेष हैं या मन्दिर के ले आउट से सम्बन्धित कोई साक्ष्य हों , जिस देवी - देवता का मन्दिर रहा हो , उससे सम्बन्धित मूर्ति या उसके पहचान चिन्ह अगर उस स्थान पर क्रमबद्ध रूप में मिलते हैं , तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थल पर मन्दिर था ।

मैंने इस्लामिक संस्कृति से सम्बन्धित ऐसा कोई धार्मिक भवन नहीं देखा है , जिसमें मानव की आकृतियाँ उकेरी गई हों । मुझे इस बात की जानकारी है कि इस्लामिक मत में मानव आकृतियों और मूर्तियों का प्रयोग पूर्णरूपेण वर्जित है ।

मेरा मस्जिद के आर्किटेक्चर पर कोई आथेंटिक बुक का अध्ययन नहीं है । मैंने पर्सी ब्राउन का नाम सुना है । वह आर्किटेक्चर के विद्वान रहे हैं । उन्होंने इण्डियन आर्किटेक्चर पर भी लिखा है और उन्होंने मेडीवियल हिस्ट्री पर भी किताब लिखी है । मैंने उनकी पुस्तक " इण्डियन आर्किटेक्चर " (इस्लामिक पीरियड) नहीं पढ़ी है । यह सही है कि मैंने मस्जिद आर्किटेक्चर पर कोई किताब नहीं पढ़ी है और एफ़ीडेविट मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दिया है ।

प्रश्न - आपने अपने एफ़ीडेविट में जो मन्दिर के अस्तित्व को नकारने की बात कही है , वह भी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कही है । क्या यह बात सही है ?

उत्तर - मैंने अपने एफ़ीडेविट में इस सम्बन्ध में जो अपनी राय व्यक्त की है, वह राय उत्खनित सामग्री के मेरे द्वारा विश्लेषण और मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है ।

मुझे न्यूमिसमैटिक्स (मुद्रा शास्त्र) का ज्ञान है । इतिहास की जानकारी के लिए सिक्कों का बड़ा महत्व है । यह कहना ठीक है कि सिक्कों के अध्ययन से जिस व्यक्ति व शासक के द्वारा सिक्का जारी किया गया , उसके विषय में सिक्के पर अगर उस व्यक्ति की तस्वीर पूरे परिधान में अंकित है , तो उस व्यक्ति की वेश - भूषा के बारे में , उस सिक्के पर अगर कोई धार्मिक चिन्ह अंकित है , उस व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं के बारे में और अगर तिथि या कोई लेख लिखा हुआ है , तो उस व्यक्ति के काल के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है , परन्तु इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सिक्के की संख्या और उसका संदर्भ महत्वपूर्ण होते हैं ।

खुदाई स्थल पर जो सिक्के मिले हैं , उन सिक्कों को मैंने खुदाई स्थल पर नहीं देखा । बाद में भी मुझे उन सिक्कों को देखने का मौक़ा नहीं मिला ।

मुझे मेहराबों की जानकारी है । इस सम्बन्ध में मैंने ए0 एस0 आई0 द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं लेख पढ़े हैं । मैंने मेहराब के आर्किटेक्चर के सम्बन्ध में कोई स्पेसिफ़िक पुस्तक नहीं पढ़ी है ।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया ।

10.8.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय में आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया । इसी क्रम में अग्रिम प्रतिपरीक्षा हेतु वाद दिनांक - 11.8.2006 को प्रस्तुत हो ।

10.8.2006

समक्षः- विशेष पूर्णपीठ माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद

लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ ।

दिनांक - 11.8.2006 पी0डब्लू0 - 30 डा0आर0सी0ठाकरान

(दिनांक - 10.8.2006 के क्रम में साक्षी पी0 डब्लू0 - 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद सं0 - 4/89 मे प्रतिवादी सं0 20 की ओर से सुश्री रंजना अग्निहोत्री,एडवोकेट द्वारा जारी)

चूँकि लाइम सुर्ख़ी का प्रयोग अरब से आए हुए मुस्लिम लोगों के समय शुरू हुआ था , इसलिए लाइम सुर्ख़ी को मुस्लिम इस्टाइल सुर्ख़ी भी कहते हैं । यह जानकारी मुझे आर्किटेक्चरल मैटीरियल तथा ऐतिहासिक पुस्तकों से हासिल हुई । मैंने अपने हलफ़नामे के वेरीफ़िकेशन क्लाज़ में पैरा - 13 , जिसमें मुस्लिम इस्टाइल सुर्ख़ी का ज़िक्र किया है , को उपरोक्त दो तरह के रिकार्ड के अध्ययन , ऐतिहासिक साहित्य एवं आर्किटेक्चरल मैटीरियल , के आधार पर वेरीफ़ाई किया है । मेरी सुर्ख़ी वाली उपरोक्त राय ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर ही क़ायम हुई है । ऐतिहासिक साहित्य हम इतिहास की पुस्तकों को ही कहते हैं । मुस्लिम स्टाइल सुर्ख़ी में लाइम - सुर्ख़ी और भवन निर्माण की ख़ास तकनीक का प्रारंभ इस दौर में हुआ । उससे मेरा तात्पर्य मुस्लिम स्टाइल लाइम - सुर्ख़ी से है । मुस्लिम्स ने एक ख़ास तरह की निर्माण शैली अपनाई थी , जिसमें मुस्लिम इस्टाइल सुर्ख़ी का प्रयोग हुआ था । मैंने अनेक इतिहास की पुस्तकों में मुस्लिम भवन निर्माण तकनीक़ के सम्बन्ध में पढ़ा है । इस सम्बन्ध में हरबंश मुखिया के द्वारा लिखी

पुस्तक मेडीवल हिस्ट्री तथा प्रो0 इरफ़ान हबीब तथा प्रो0 सतीश चन्द्रा द्वारा लिखे गए लेख मुख्य हैं । मैं हरबंस मुखिया की लिखी गई उपरोक्त किताब को इतिहास की किताब मानता हूँ । इस पुस्तक में मुस्लिम तकनीक का कोई ख़ास अध्याय नहीं है , परन्तु पुस्तक में कई जगह पर इस तकनीक का ज़िक्र है । इस पुस्तक में भवनों की चर्चा कम और तकनीक की ज़्यादा है । किसी भी भवन की नींव का एक आधार तकनीक़ भी होता है । मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा कि किसी मुस्लिम भवन की नींव में अलंकृत पत्थर लगाने से नींव मज़बूत होती है । मुझे मालूम है कि खुदाई के बाद ए0 एस0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट में दर्जनों नक़्शे , दर्जनों चार्ट , टेबुल , सेक्शन्स का हवाला दिया है । प्रत्येक नक़्शे में एक पैमाना दिया होता है , जिसके आधार पर लम्बाई - चौड़ाई का आंकलन किया जाता है । मुझे याद नहीं है कि ए0 एस0 आई0 ने अपने सभी नक़्शों में क्या पैमाना दर्ज किया था । इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से अयोध्या भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है , परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि अयोध्या का भारतवर्ष की संपूर्ण संस्कृति को दर्शाता है । हो सकता है कि अयोध्या वैदिक ज्ञान और पौराणिक मान्यताओं , शास्त्रीय संगीत एवं पूजा - पद्धतियों का स्थान हो । मैं नहीं बता पाऊँगा कि कुषाण काल में अयोध्या व्यवसायिक केन्द्र व धार्मिक स्थल रहा हो । यह कहना ग़लत है कि गुप्तकाल के राजाओं की राजधानी अयोध्या रही है । यह संभव है कि पूर्व मध्यकाल में अयोध्या मन्दिरों का अनुपम नगर रहा हो । मैंने किसी ऐतिहासिक पुस्तक में यह नहीं पढ़ा है कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मस्थल रहा है , परन्तु यह मैंने सुना अवश्य है । मैंने रोमिला थापर द्वारा लिखी गई " मध्यकालीन भारत का इतिहास " नहीं पढ़ा है । मैंने प्रो0 सतीश चन्द्रा की लिखी पुस्तक " भारत का इतिहास" बहुत पहले पढ़ा था । यह संभव है कि इन दोनों पुस्तकों में यह

लिखा हो कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था और भगवान राम ने अपने माता - पिता की आज्ञा पर वनवास लिया था । फिर कहा कि मुझे आज पहली बार यह सुनने को मिला है कि रोमिला थापर ने मेडीवल हिस्ट्री पर कोई किताब लिखी है ।

प्रश्न - शिया मस्जिद , सुन्नी मस्जिद , ईदगाह , कर्बला और मक़बरा के आर्किटेक्चर डिज़ाइन में क्या अन्तर है ?

उत्तर - उपरोक्त में से मुझे केवल ईदगाह , मस्जिद और दरगाह के अन्तर की सामान्य जानकारी है ।

ईदगाह में पश्चिम की तरफ़ एक बड़ी दीवार होती है , दीवार में मेहराब और ताक़ होते हैं । पश्चिमी दीवार के साथ कभी - कभी उत्तरी , दक्षिणी और पूर्वी दीवारें भी होती हैं ।

दरगाह में मस्जिद होती है ,मक़बरा होता है और कभी - कभी और भी क़ब्रें होती हैं । मस्जिद में कभी - कभी केवल पश्चिमी दीवार , मेहराबों व ताक़ों के साथ होती है और कभी - कभी मस्जिद में पश्चिमी दीवार होती है और उस दीवार के ऊपर डोम बना होता है और बाउन्ड्री वाल भी होती है । मैंने इस सम्बन्ध में कोई विशेष पुस्तक नहीं पढ़ी है , परन्तु ऐसी पुस्तकों को अवश्य देखा है । मुझे इस सम्बन्ध में ठोस जानकारी नहीं है कि आम तौर पर ताक़ की ऊँचाई ज़मीन से कितनी होती है , परन्तु अन्दाज़ से बता सकता हूँ कि तीन फ़िट के आस - पास ऊँचाई होती है ।

प्रश्न - मुस्लिम बिल्डिंग्स जैसे इमामबाड़ा , मस्जिद , कर्बला आदि में जो डिज़ाइन्स बनी होती हैं, वे मुख्यतया ज्योमेट्रिकल आकार लिए हुए होती हैं ?

उत्तर - यह पूर्णतया ~~कहना~~ कहना सत्य नहीं है । ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के अलावा फ़्लोरल डिज़ाइन भी उपरोक्त ~~आकार~~ में पाए जाते हैं ।

प्रश्न - प्रायः इमामबाड़ा , मस्जिदों और कर्बला में जो डिज़ाइन होते हैं वे फ़ारमल और मैकेनिकल डिज़ाइन होते हैं , उनमें किसी भावना (रियल फ़ीलिंग्स) का अभाव होता है । इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर - कर्बला और इमामबाड़े के बारे में मुझे जानकारी नहीं है , लेकिन मस्जिद में मैंने फ़्लोरल और जिमैट्रिकल डिजाइन देखे हैं , जो निश्चित तौर पर भाव प्रदर्शित करते हैं ।

जहाँ पर उगते हुए प्लांट में फूलों की डिज़ाइन होती है , वह प्रकृति की क्रियाओं को और रचनाकार की कलाकारी को दर्शाती हैं । यह ठीक है कि मस्जिद में नृत्यशाला , नाट्यशाला के दृश्य और रोमांटिक सीन्स का भी अभाव होता है । मैं शाल्वभंजिका का अर्थ नहीं समझता हूँ ।

मैं पटना गया हूँ । मैंने पटना में शेख़ फ़रीद का म्यूज़ियम नहीं देखा है। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं कि पटना की जामी मस्जिद हिन्दू मन्दिरों के मलवे से बनी है । मैंने जौनपुर में बनी अटाला मस्जिद का नाम सुना है , परन्तु मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ ।

यह कहना ग़लत है कि मैं केवल अयोध्या में एक ही मस्जिद अर्थात् मैं बाबरी मस्जिद में गया हूँ । मैं अयोध्या में किसी दीगर मस्जिद में नहीं गया हूँ । यह कहना ग़लत है कि मैंने अपना बयान हलफ़ी क़रीन और क़यास के आधार पर दाख़िल किया है । यह कहना ग़लत है कि मैंने न तो मस्जिद के आर्किटेक्चर पर कोई पुस्तक पढ़ी है और न ही मुझे मस्जिद के आर्किटेक्चर की जानकारी है । यह भी कहना ग़लत है कि मैंने मस्जिद के आर्किटेक्चर के बारे में न कोई पुस्तक पढ़ी है और न ही मंदिर के आर्किटेक्चर की मुझे जानकारी है । यह कहना भी ग़लत है कि मैं प्रो० सूरजभान के दबाव में आकर इस मुक़दमे में गवाही देने आया हूँ । यह कहना ग़लत है कि मैंने अपनी कांशंस को बन्द करके इस मुक़दमे में गवाही दी है और यह भी ग़लत

है कि मैंने अपनी कांशंस के ख़िलाफ़ अयोध्या में श्रीराम मन्दिर की मौजूदगी को नकारा है । मैं निश्चित तौर पर देहली यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर गवाही देने आया हूँ ।

(साक्षी पी0 डब्लू0 - 30 डा0 आर0सी0 ठाकरान की सशपथ प्रतिपरीक्षा अन्य मूलवाद सं0 - 4/89 मे प्रतिवादी सं0 20 की ओर से सुश्री रंजना अग्निहोत्री,एडवोकेट द्वारा समाप्त)

(साक्षी पी0 डब्लू0 - 30 की सशपथ प्रतिपरीक्षा वाद संख्या - 5 /89 के वादीगण की ओर से श्री अजय कुमार पाण्डेय , एडवोकेट द्वारा प्रारंभ)

X X X X X

मैं चन्द्रशाला अलंकरण को नहीं जानता हूँ । मैंने कुबेर का नाम अवश्य सुना है । उन्हें धन का देवता माना जाता है । मैंने श्री कृष्ण , श्री विष्णु , परशुराम , बलराम का नाम सुना है । बलराम जी श्रीकृष्ण के बड़े भाई थे , ऐसा बताया जाता है । श्री विष्णु वैष्णव धर्म के देव माने जाते हैं । परशुरामजी पुरोहित माने जाते हैं , परन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि ये किसके पुरोहित थे । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि परशुराम विष्णु के अवतार थे या नहीं । मैंने उमा - महेश्वर का नाम सुना है । इनकी पूजा की जाती है । मैंने नन्दी का भी नाम सुना है । नन्दी की प्रतिमा शिव जी के मन्दिर में होती है । उपरोक्त की प्रतिमाएं किसी मस्जिद में मैंनी नहीं देखी हैं । उपरोक्त मूर्तियाँ मन्दिरों में होती हैं । मैं बिजौरा के बारे में नहीं जानता हूँ । मैं कीर्तिमुख के बारे में भी नहीं बता पाऊँगा , क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा है और/सुना भी है । इतना अवश्य जानता हूँ कि कीर्तिमुख मन्दिरों में होता है । मैं कच्छपारूढ़ यमुना के बारे में जानता हूँ । ये भी मन्दिर में ही होती हैं । यह कहना सही है कि चार नागफणों से युक्त कलश मन्दिरों में

होते हैं । " जटाजूटश्मश्रु कूर्च युक्त" मन्दिरों में होती है , परन्तु मैं आख़िरी शब्द " कूर्च" का मतलब नहीं समझ पाया ।

" पद्म" संभवतः मैं जानता हूँ ।" पद्म" का पुरातात्विक महत्व जहाँ तक मैं जानता हूँ यह है कि किसी भी पुरास्थल पर इसके अवशेष पोलरगेंन के रूप में मिले या किसी फ़ीगर के रूप में मिले । उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि जिस काल में ये मिल रहे हैं उस काल में अमुक तरह की वनस्पति व जलवायु थी और मनुष्य इसको महत्वपूर्ण भी मानते थे । इसका धार्मिक महत्व भी है , क्योंकि वैष्णव सम्प्रदाय में यह एक महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में जाना जाता है । " पद्मपीठ" क्या होता है , मुझे नहीं मालूम । " पीठ" से क्या अभिप्राय है , मुझे नहीं मालूम ।" पैडेस्टल" मैं जानता हूँ । लोटस" पैडेस्टल" का अर्थ है ," सीट आफ़ लोटस" । हो सकता है किसी "लोटस पैडेस्टल" को " पद्मपीठ" भी कहते हों । " पद्मपीठ" विष्णु देवता की सीट है । " चरणयुक्त पद्मपीठ" के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है । अगर किसी "पद्मपीठ" पर सिर्फ़ चरण बना हो , तो इससे यह अनुमान लगाया जाएगा कि यह भगवान विष्णु से सम्बन्धित धार्मिक चिन्ह है । " पद्मपीठ" मन्दिर में ही होना चाहिए । " देवांगना" मैं नहीं जानता । " शलभंजिका" भी मैं नहीं जानता ।

यक्ष मैं जानता हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं विवादित स्थल पर , जब ढांचा खड़ा था , गया था , तब वहाँ " यक्ष" की मूर्ति देखी थी या नहीं । ए0 एस0 आई0 ने अपनी रिपोर्ट में संभवतः " यक्ष" का उल्लेख किया है । मुझे याद नहीं है कि ए0 एस0 आई0 ने काले कसौटी के खम्भे पर " यक्ष" की मूर्ति होने की बात अपनी रिपोर्ट में कही है । मैंने गोलाघाट मैहर का मन्दिर नहीं देखा है ।" श्रीकृष्ण जी" का नाम मैंने सुना है । मुझे जानकारी है कि उन्होंने एक पुस्तक निकाली है , उसमें उन्होंने केवल पुरातात्विक महत्व के

Dhawan

68

मन्दिरों के चित्र दिए हैं । मैंने उस पुस्तक को देखा नहीं है । चूँकि मेरा विषय पुरातत्व है न कि आइकनोग्राफ़ी और आर्किटेक्चर , इसलिए मैंने इसे देखना ज़रूरी नहीं समझा । आइकनोग्राफ़ी एवं आर्किटेक्चर के हर पहलू पर मैं आथेंटिक ओपीनियन नहीं दे सकता । यक्ष की मूर्ति मन्दिरों में भी होती है और मन्दिरों के बाहर अन्य स्थानों पर भी होती है । मस्जिदों में मैंने यक्ष की मूर्ति नहीं देखी है । क्षद्या मैं नहीं जानता । आमलक मैं जानता हूँ । मातृ देवी की मूर्तियाँ मन्दिरों में होती हैं और मन्दिरों के बाहर भी होती हैं । अनेक पुरातात्विक स्थानों पर खुदाई के समय मातृदेवी की मूर्ति जो प्रायः टेराकोटा या क्ले की होती हैं , वे मन्दिरों के बाहर मिलती हैं । यह निवास स्थानों पर मिली हैं । संभवतः मातृ देवी की पूजा निवास स्थान पर भी करते हैं और उसे भी उस देवी का " थान" कहते हैं । स्वयं कहा कि पर यह आजकल के रिवाज़ में है ।" मालाधारी विद्याधर" क्या चीज़ है , मैं इसको नहीं बता सकता ।" कीर्तिमुखपद्मअलंकरणयुक्तवितान" क्या है , मैं नहीं कह सकता । द्वार को मैं जानता हूँ ।" स्तंभ" को भी मैं जानता हूँ , पर शाखास्तंभ को मैंने नहीं सुना है । " पंचशाखाद्वारस्तंभ" मैंने नहीं पढ़ा है । यह ठीक है कि मन्दिरों में भी पीतल के घण्टे होते हैं । स्वयं कहा कि लेकिन पीतल के घण्टे दूसरी जगहों पर भी हो सकते हैं । मस्जिद में मैंने पीतल का घण्टा नहीं देखा है , न पढ़ा है और न ही सुना है । मन्दिर का " नौस्थीवेदीबन्ध " मैं नहीं जानता । " वल्लरी" शब्द जो मन्दिरों में होता है , मैं नहीं जानता हूँ । यह कहना ग़लत होगा कि चूँकि उपरोक्त चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है , इसलिए मैं यह राय नहीं कायम कर सकता कि विवादित स्थल पर मन्दिर था या नहीं ।

यह कहना ग़लत है कि विवादित स्थल पर मेरे वक्तव्य सन् 1990 से ही आना शुरू हो गए थे । " पीपुल डेमोक्रेसी" नामक अख़बार का नाम मैंने

सुना है । विवादित स्थल के सम्बन्ध में इस पेपर में मेरा वक्तव्य सन् 1989 - 90 में नहीं छपा था । यह बताना इस समय संभव नहीं है कि मेरे वक्तव्य "पीपुल्स डेमोक्रेसी" नामक अख़बार में कब - कब छपे हैं , परन्तु 6 दिसम्बर 1992 के बाद ही छपे हैं । सन् 2003 में मेरे वक्तव्य इस पेपर में छपे होंगे , पर मैं दिन और महीना नहीं बता सकता । यह कहना सही है कि सन् 2003 में "सहारा समय" में भी मेरा वक्तव्य विवादित स्थल के सम्बन्ध में छपा है । वह वक्तव्य मेरा उत्खनन से भी सम्बन्धित है । मैंने अपने उस वक्तव्य में यह कहा है कि विवादित स्थल पर उत्खनन के समय मन्दिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं । यह ठीक है कि मैंने अपना यह वक्तव्य उत्खनन स्थल पर रहने के बाद दिया था । विवादित स्थल पर उत्खनन को मैं अटेंड करना चाहता था और उसका मुझे मौक़ा मिला । मैं वहाँ किसी आदेश के अन्तर्गत नहीं गया था । मुझे इस न्यायालय के उत्खनन के आदेश का ज्ञान था , परन्तु मुझे यह नहीं मालूम था कि उस उत्खनन के ऊपर कोई वक्तव्य देना वर्जित था ।

हड्डियों से भी अस्त्र शस्त्र बनते थे। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि हड्डियों से श्रृगांर का समान चूड़ी, कंघी बनते थे परन्तु यह सच है कि हाथी की हड्डियों से यह सब चीज़ें बनती थीं। मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि हड्डियों से सजावट का कोई सामान बनता था या नहीं। हड्डियों पर कार्विंग और पालिश होने की जानकारी तो मुझे है लेकिन पेटिंग भी होती थी इसकी जानकारी नहीं है। हड्डियों से बनी हुई यदि उपरोक्त प्रकार की चीज़ें उत्खनन में मिलती है तो वह एन्टीक्विटीज़ की परिभाषा में आयेगीं। हड्डियों से बने सामान साधारण हड्डियों से भिन्न होते हैं। संभव है कि विवादित स्थल की खुदाई में हड्डियों के बने अस्त्र - शस्त्र श्रृगांर के सामान तथा सजावट का सामान मिला हो। यह भी संभव है कि कार्विंग की हुई तथा

पालिश की हुई हड्डियाँ मिली हों। मेरे लिए यह कहना संभव नहीं है कि उक्त सामान कई ट्रेन्चेज़ तथा कई लेयर्स से मिले हैं।

क्ले-टाईल्स का प्रयोग रिसेन्ट है। यानी 18वीं शताब्दी के बाद का। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्ले-टाईल्स का प्रयोग भी कुषाण काल के पहले से था। वोटिव टैंक इलेप्टेकिल शेप का टेरीकोटा का बना हुआ एक छोटा सा टैंक होता था। वोटिव टैंक का बनना कुषाण काल से बनना शुरु होता है और इसका धार्मिक महत्व भी होता था। इसका धार्मिक महत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वोटिव टैंक से क्या क्या किया जाता था। इतना मुझे मालूम हैकि इसका धार्मिक महत्व है और बौद्ध धर्म से संबंधित है परन्तु इसका प्रयोग किस प्रकार और किस लिए होता था यह मुझे जानकारी नहीं है यह कहना ग़लत है कि मै जानबूझकर इसका हिन्दू धर्म से संबंध होना नहीं कह रहा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि वोटिव टैंक का प्रयोग हिन्दू धर्म में विशेष व्रत अनुष्ठान के समय हिन्दू धर्मालम्बी करते थे। हिन्दू मंदिरों में मूर्तियों के सामने घी के दीपक जलाये जाते हैं दीपक किसी भी धातु जैसे ताँबा, पीतल अथवा मिट्टी एवं पत्थर के भी हो सकते हैं फिर कहा कि कच्ची मिट्टी के नहीं होते थे बल्कि पक्की मिट्टी के होते थे। मुझे इस बात की जानकारी है कि दीपक विभिन्न आकार - प्रकार के होते थे परन्तु उन पर सजावट होती थी या नहीं इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। यह संभव है कि विवादित स्थल की खुदाई के दौरान विभिन्न लेयरों से टेराकोटा तथा पत्थर के दीपक मिले हों। किसी भी भवन को गिराकर दूसरे भवन को बनाने में पूर्व भवन के मलबे को नीचे दबाकर या उसी मलबे से होता है या मलबे को दूर फेंककर किया जाता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह भी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कोई सम्पन्न व्यक्ति ऐसी स्थिति में भवन का निर्माण उस मलब से

करेगा या नये सामग्री से करेगा। मैंने जब विवादित भवन खड़ा था, तब उसकी बाहरी और अन्दर की दीवारें देखी थीं। मुझे याद नहीं कि उस समय विवादित भवन की बाहरी दीवार का प्लास्टर टूटा हुआ था या नहीं। मुझे याद नहीं है कि उक्त भवन की किसी दीवार का प्लास्टर टूटा था या नहीं। यह कहना उचित नहीं है कि विवादित भवन बनाने में वहाँ पूर्व स्थिति मंदिर के मलबे का प्रयोग किया गया था जिनमें विभिन्न तरीक़े के मूर्तियाँ, शिलालेख तथा " अलंकृत प्रस्तर खण्ड" भवन के दीवारों में जड़े हुए थे। उत्खननकर्ताओं के पास ऐसा कोई यन्त्र नहीं होता है जो ज़मीन से पता कर सके कि ज़मीन के अन्दर कोई दीवार है या नहीं और यदि है तो वह कितनी मोटी व कितनी गहरी है। स्वयं कहा कि हार्ड सबसेटेन्स के ज़मीन के अन्दर होने के बारे में पता लगाया जा सकता है। उस यन्त्र से ज़मीन के अन्दर ठोस पदार्थ की मोटाई नहीं पता लगायी जा सकती। बिना किसी यंत्र के खुदाई करने के पूर्व हुए सर्वेक्षण से जो सुबह, दोपहर व शाम किया जाता है, उससे इस बात का आभास हो जाता है कि संभवत उसके नीचे कोई स्ट्रक्चर उपस्थित है या नहीं लेकिन उसकी गहराई ,उसके कम्पोज़िशन के बारे में कोई निश्चित राय नहीं बनायी जा सकती। केवल उस फ़र्श के नीचे की उस दीवार या पिलरबेस का सर्वेक्षण से पता लगाया जा सकता है, जो फ़र्श मिटटी की हो या ~~रेड~~ क्ले की हो या कैल्शियम कार्बोनेट की हो ,परन्तु यदि फ़र्श ईंट,लाइम-सुर्ख़ी का हो तो उसके नीचे की दीवार तथा पिलर बेस का अंदाज़ सर्वेक्षण के समय नहीं हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है कि फ़र्श सीमेंट मिश्रित मैटीरियल से बनी हुई थी। फ़्लोर सं 02व 3 लाईम-सुर्ख़ी की बनी हुई थी। यह सही है कि फ़्लोर नं0 1,2 व 3 उपरोक्त कारणों से उसके नीचे पिलर बेस तथा दीवार कितनी गहरी और कितनी चौड़ी थी ,इसका पता सर्वेक्षण से नहीं लगाया जा सकता है। किसी फ़र्श के गढ्ढों को यदि ईटों से भरा जाये तो

उसे रेगुलर कोर्सेज़ के ईंटों से भरा जा सकता है। इस प्रकार गढ्ढे को भरने के लिए उसी मैटेरियल का प्रयोग किया जायेगा, जो भवन निर्माण के लिए किया जा रहा है। कभी-कभी गढ्ढे को भरने के बाद पत्थर से ढक भी देते हैं और नहीं भी। इस तरह से गढ्ढे को भरने के बाद उस स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को अगर यह महसूस हो रहा हो कि उक्त स्थल का लेबिल रेंज करके एक नया फ़र्श डालने की ज़रुरत है तो ऐसी स्थिति में इन ईंटों से भरे हुए गढ्ढों पर नये फ़र्श भी बनाये जाते हैं। उत्खनन के लिए अनेक तरह के चाक़ू,अनेक प्रकार की गैतियाँ ,अनेक तरह के कुदाल,ब्रश आदि का प्रयोग किया जाता है। इन औज़ारों का प्रयोग उत्खननकर्ता तथा स्थल की उत्खनन की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। एक दिन में एक ट्रेन्च की खुदाई कितनी की जा सकती है, यह उत्खननकर्ता तथा वहाँ की परिस्थिति पर निर्भर है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवादित स्थल पर एक दिन में 25 सें0मी0से लेकर 45से0मी0 तक की खुदाई की जा सकती है। मैं विवादित स्थल पर खुदाई के समय लगभग एक माह तक रहा हूँ तथा खुदाई देखता रहा हूँ। खुदाई विभिन्न ट्रेन्चेज़ में एक साथ हो रही थी और ट्रेन्च में मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी इसलिए मैं यह नहीं जानता कि एक दिन में कितनी खुदाई हो रही थी। बिना ट्रेन्च में जाये हुए कितनी खुदाई हुई है, एक दिन में ,यह अंदाज़ से बताया जा सकता है, लेकिन मैं इस संबंध में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। यह कहना ग़लत है कि मैं इस बिन्दु पर ग़लत बयानी कर रहा हूँ। यह कहना ग़लत है कि मैं व्यक्तिगत स्वार्थवश ग़लत बयानी कर रहा हूँ। यह भी कहना ग़लत है कि मैं किसी ज़िद वश विवादित स्थल पर मस्जिद होने तथा मंदिर न होने के संबंध में गवाही दे रहा हूँ। यह सही है कि मैं सिविल इन्जीनियर नहीं हूँ परन्तु यह कहना ग़लत है कि मुझे ऐपीग्राफ़ी न्यूसमैटिक्स आर्कीट्रेक्चर पुरातत्व आदि की कोई जानकारी नहीं है।

यह कहना भी ग़लत है कि मैं पुरातत्व का ज्ञाता नहीं हूँ यह कहना सही है कि मेरी लीडरशिप में आज तक पुरातत्व की कोई खुदाई नहीं हुई है। यह कहना ठीक नहीं है कि मुझे फ़ील्ड आर्कियोलाजी का कोई ज्ञान नहीं है।

(साक्षी पी0 डब्लू0 - 30 की सशपथ प्रतिपरीक्षा वाद सं0- 5 /89 के वादीगण की ओर से श्री अजय कुमार पाण्डेय , एडवोकेट द्वारा समाप्त)

श्री डी0पी0गुप्ता द्वारा वाद सं01/89में वादी की ओर से अन्य प्रतिवादी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा को अंगीकृत किया गया।

सभी प्रतिवादीगण तथा पक्षकारों की ओर से जिरह समाप्त हुई। गवाह अवमुक्त किया जाता है।

बयान पढ़कर तसदीक़ किया।

Sharma

11.08.2006

हमारे बोले जाने पर खुले न्यायालय मे आशुलिपिक द्वारा टाईप किया गया।

Sharma

11.08.2006